अष्टम माला, खंड 5, अंक 39

बुधवार, 8 मई, 1985
18 वैशाख, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No 54
Date 11/2/86

(खंड 5 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा ।)

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 5, दूसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 39, बुधवार, 8 मई, 1985/18 वैशाख, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—23
*तारांकित प्रश्न संख्या : 750 से 755	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	23—203
तारांकित प्रश्न संख्या : 756 से 770	23—36
अतारांकित प्रश्न संख्या : 5542 से 5620 और 5622 से 5778	36—200
सभा पटल पर रखे गए पत्र	203—207
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	207—228
कुछ गैर-सरकारी अभिकरणों द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना केरल और भारत-बर्मा सीमा के संवेदनशील और प्रतिबन्धित क्षेत्रों के मानचित्र कुछ विदेशी अभिकरणों को सप्लाई किए जाने का समाचार	
श्री इन्द्रजीत गुप्त	207
श्री एस० बी० चव्हाण	207
श्री जयप्रकाश अग्रवाल	212
श्री जैनुल बशर	221
श्री नारायण चौबे	224
श्रीमती गीता मुखर्जी	226
नियम 377 के अधीन मामले	228—233
(1) छोटे क्षेत्रीय समाचार पत्रों की परेशानियां दूर करने के लिए एक आयोग गठित करने तथा अन्य प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता	
श्री के० एन० प्रधान	228
(2) बंगलादेश में भारतीय लेखकों की पुस्तकों के अप्राधिकृत पुनर्प्रकाशन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता	
श्रीमती गीता मुखर्जी	228

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(3) अयोध्या, उत्तर प्रदेश में एक रेडियो ट्रांसमीटर लगाने की आवश्यकता	
श्री निर्मल खत्री	229
(4) चामराजनगर को मेत्तुपलयम के साथ जोड़ने के लिए एक नई लाइन बिछाने की आवश्यकता	
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद	229
(5) राजस्थान के खानपुर अहीर फ्लैग स्टेशन का दर्जा बढ़ाकर उसे पूरा रेल स्टेशन बनाने की आवश्यकता	
श्री राम सिंह यादव	230
(6) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के मद्रास स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को बन्द करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता	
श्री के० राममूर्ति	230
(7) राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए गुरुदेव टैगोर की कृतियों को सभी प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित करने की आवश्यकता	
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी	231
(8) कार निकोबार द्वीप में बढ़िया किस्म की आवश्यक वस्तुओं की नियमित आपूर्ति के लिए कदम उठाने की आवश्यकता	
श्री अजित कुमार साहा	232
(9) संगमरमर को उस पर लगाये गये उत्पाद शुल्क से, जिसके परिणामस्वरूप राजस्थान में छोटे संगमरमर एकक बन्द हो गये हैं, छूट देने की आवश्यकता	
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	232
वित्त विधेयक, 1985	233—294
विचार करने के लिए प्रस्ताव (असमाप्त)	
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	233
श्री सी० माधव रेड्डी	237
श्री दिनेश सिंह	244
श्री राम सिंह यादव	249
श्री वी० एस० विजयराघवन	253
श्री अमल दत्त	255
श्री मोहन भाई पटेल	263
श्री राज कुमार राय	265
श्री गिरधारी लाल डोगरा	268

विषय	पृष्ठ
श्री पी० सेलवेन्द्रयन	271
श्री गिरधारी लाल व्यास]	273
श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश	277
प्रो० नारायण चन्द्र पराशर	280
डा० पी० वल्लभ पेरुमान	285
श्री रामपूजन पटेल	288
श्री उमा कांत मिश्र	290
प्रो० सैफुद्दीन सोज	293

लोक सभा

बुधवार, 8 मई, 1985/18 वैशाख, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आज टैम्पर बहुत डाउन है।

श्रीमती चन्द्र भानु देवी।

[अनुवाद]

श्री भागवत झा आजाद : महोदय, शुरुआत तो अच्छी है।

अध्यक्ष महोदय : शुरुआत अच्छी है तो समझो आधा काम निबट गया।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

"पर्यावरण के क्षेत्र में राज्य सरकारों के कार्यों की समीक्षा"

[हिन्दी]

*750. **श्रीमती चन्द्र भानु देवी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार पर्यावरण के क्षेत्र में विभिन्न राज्यों के कार्यों की पुनरीक्षा कर रही है;

(ख) यदि हां, तो मोटे तौर पर उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या पर्यावरण के क्षेत्र की योजनाओं के अधिक अच्छे समन्वय के लिए एक प्राधिकरण बनाने की दृष्टि से सरकार पर्यावरण और वन विभाग को मिलाने पर विचार कर रही है?

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) तथा (ख) राज्यों को पर्यावरणीय प्रबन्ध के लिए उपयुक्त संरचनाओं, गतिविधियों और कार्यक्रमों के बारे में सलाह दी गई है। चूंकि पर्यावरण विभाग का गठन हाल ही में किया गया है, अतः इतना शीघ्र इनकी गतिविधियों की पुनरीक्षा नहीं की जा सकती है।

(ग) सरकार ने पर्यावरण और वन मंत्रालय का पहले ही अलग से सृजन कर दिया है ताकि इन दोनों विभागों में योजनाओं का अच्छा समन्वय किया जा सके। बहरहाल, इन दोनों विभागों को मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमती चन्द्र भानु देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि पर्यावरण विभाग की वर्ष 1984-85 की वार्षिक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि औद्योगिक प्रदूषण के नियन्त्रण में गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र के उद्योगों ने अन्य राज्यों की तुलना में अच्छा काम किया है। क्या केन्द्रीय सरकार अन्य राज्यों को भी इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाने के लिए विशेष निर्देश देगी।

श्री वीर सेन : अध्यक्ष महोदय, सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपनी योजनायें पर्यावरण के सम्बन्ध में बनायें और वह योजनायें जो हमारे पास आती हैं तो उनको हम रिव्यू करते हैं।

श्रीमती चन्द्र भानु देवी : मैं मन्त्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगी कि महानगरों में बढ़ते हुए प्रदूषण पर कारगर नियन्त्रण के लिए क्या केन्द्रीय सरकार ने कोई समयबद्ध योजना बनाई? यदि हां तो उसका मुख्य पहलू क्या है?

श्री वीर सेन : महोदय, सभी राज्यों के जो पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड हैं, उनको यह निर्देश दिए गए हैं कि वह योजनायें बनायें और योजनायें बनाने के बाद जो हमें प्राप्त होंगी, उसके बाद वह बोर्ड उस पर विचार करेंगे और फिर कार्यवाही करेंगे।

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फैलीरो : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के सिद्धान्त तथा वायदों और राज्य सरकारों के क्रियान्वयन के स्तर के मध्य प्रायः जो अन्तर बना रहता है, यह उसी का एक उदाहरण है। केन्द्र में भारत सरकार का एक पर्यावरण मंत्रालय कई वर्षों से काम कर रहा है। परन्तु क्या यह सच नहीं कि महाराष्ट्र सरीखे ऐसे कई राज्य हैं जिनमें अभी तक कोई पर्यावरण विभाग स्थापित नहीं किया गया है और जहां पर्यावरण विभाग मौजूद है, वहां वे काम नहीं कर रहे हैं और उनके काम न करने का एक कारण धनराशि का अभाव है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं जहां अभी तक पर्यावरण विभाग नहीं हैं और राज्यों के पर्यावरण विभागों को वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और दूसरी बात यह है कि अब केन्द्र में सुनियोजित पृथक पर्यावरण विभाग स्थापित हो चुका है। पर्यावरण मंत्रालय तथा वन मंत्रालय को मिलाकर एक मंत्रालय बना दिया गया है परन्तु यह सब नहीं किया जा रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि राज्य सरकार स्तर पर भी ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार से आपकी क्या वार्ता हो रही है ताकि जिस प्रकार आप केन्द्र में एक पर्यावरण तथा वन मंत्रालय स्थापित कर रहे हैं, राज्य सरकारें भी उसका अनुसरण करें।

श्री वीर सेन : प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी उपाय राज्य सरकारों द्वारा किए जाने हैं। केन्द्रीय सरकार तो अनुदेश और सलाह ही दे सकती है। क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि कितने राज्यों ने ये विभाग स्थापित किए हैं, मैं सभा को यह सूचित करता हूं कि चार राज्यों में, प्रत्येक में किसी अन्य विभाग के अधीन एक प्रभाग है और चौदह

राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र ने अलग पर्यावरण विभाग स्थापित किए हैं। पांच राज्यों तथा दो संघ राज्य क्षेत्रों में अलग प्रभाग हैं। अतः इस प्रकार सभी राज्य अपने अलग विभाग स्थापित कर रहे हैं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : ये विभाग कार्यकुशल हों इसके लिए केन्द्र इन्हें क्या वित्तीय सहायता दे रहा है ? मंत्री जी ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है अथवा क्या आप भी इन्हें कार्य-कुशल नहीं बनाना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : और क्या आप राज्यों में भी अलग मंत्रालय चाहते हैं ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : अलग मंत्रालय या अलग विभाग बनने चाहिए। यदि ये न हों तो यह दायित्व सीधे केन्द्रीय सरकार पर होना चाहिए। इसके लिए वहां कोई धनराशि नहीं है। इस सम्बन्ध में आप क्या उपाय कर रहे हैं ?

श्री बीर सेन : बहरहाल, इस विषय में हम राज्य सरकारों से अनुरोध करेंगे कि वे इन मांगों की ओर ध्यान दें।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं एक ऐसा प्रश्न पूछ रहा हूं जो कि मौजूदा स्थिति में बड़ा ज्वलन्त तथा विवादपूर्ण बन चुका है। पर्यावरण, प्रदूषण से जुड़ा हुआ है। यह कई राज्यों में मौजूद घनी आबादी से जुड़ा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता था कि आप यही कहेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : शहरों की घनी आबादी का सम्बन्ध पर्यावरण से है। शहरों की घनी आबादी की समस्या से बचने के लिए, विभिन्न क्षेत्रों का विकास करना होगा तथा क्षेत्रीय आर्थिक असन्तुलन दूर करना होगा तथा बम्बई के भीतरी भाग का विकास करना होगा। इसकी बजाए सरकार, प्रत्येक शहर चाहे वह बम्बई हो या कलकत्ता में लोगों का बड़ी संख्या में आकर बसने पर प्रतिबन्ध लगाने जैसा बड़ा गलत तथा अयुक्तियुक्त तरीका अपनाने पर विचार कर रही है। और अगर ऐसा हुआ, जैसा कि महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री ने कल अपनी प्रेस-कांफ्रेंस में संकेत दिया, तो इससे संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन होगा, जिसके अनुसार सभी नागरिकों को भारत के समस्त भू-भाग में आजादी से आने जाने का अधिकार है। अतः, क्या मन्त्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि घनी आबादी के क्षेत्र में भीड़-भाड़ को कम करने के लिए ऐसा कोई अयुक्तियुक्त तरीका नहीं अपनाया जाएगा, बल्कि वह विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक सन्तुलन बनाएंगे ताकि पूरे देश में लोगों के किसी भी शहर में जाकर बसने पर प्रतिबन्ध लगाने जैसी कोई अयुक्तियुक्त प्रवृत्ति नहीं अपनाई जाएगी ?

प्रो० के० के० तिवारी : इस मामले को राजनीतिक रंग देकर वातावरण को दूषित किया जा रहा है।

प्रो० मधु दण्डवते : जी नहीं, मैं इस मामले को बड़ी गम्भीरता से ले रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसकी चर्चा इसीलिए की है ताकि बम्बई इसमें शामिल हो जाए।

प्रो० मधु दण्डवते : फिर प्रो० रंगा मेरे प्रश्न का समर्थन कर रहे हैं।

श्री वीर सेन : मैं समझता हूं कि किसी नागरिक पर किसी भी बहु-संस्कृतियों वाले शहर में आने-जाने पर कोई पाबन्दी नहीं है। कोई भी व्यक्ति वहां जा सकता है और रहने की ठीक जगह मिले तो वहां रह सकता है।

जहां तक घनी आबादी का सवाल है, महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री ने कुछ समय पहले प्रति व्यक्ति क्षेत्र की सीमा बढ़ाने का निर्णय किया था और उस पर कुछ आपत्तियां उठाई गई हैं। उन पर विचार किया जा रहा है।

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : चूंकि प्रो० मधु दण्डवते ने यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला उठाया है, इस सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। इस तरह की पाबन्दियों का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता है।

अध्यक्ष महोदय : आपको याद होगा हमारे समक्ष ऐसा प्रश्न उठा था···

प्रो० मधु दण्डवते : लोगों के आने पर कोई पाबन्दी नहीं और किसी को निकाला भी नहीं जाएगा। दोनों बातें हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब हम उपग्रह नगर बना सकते हैं।

श्री राजीव गांधी : मैं अपनी बात स्पष्ट करना चाहूंगा। किसी के आने-जाने पर कोई पाबन्दी नहीं होगी।

प्रो० मधु दण्डवते : परन्तु महोदय, दल-बदल विरोधी विधेयक पहले ही पारित हो चुका है।

अध्यक्ष महोदय : आपको याद होगा कि इस विषय पर प्रश्न एक बार सभा में उठा था और मैंने यही कहा था कि संविधान के तहत ऐसा नहीं हो सकता है। उस समय हमने यही किया था और मैं समझता हूं कि पूरी सभा को इस बात की जानकारी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब हमने यह किया है। इस बारे में और कोई प्रश्न नहीं उठता है और हम नहीं जानते कि यह सब क्या है।

श्री थामस।

(व्यवधान)

श्री थम्पन थामस : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि केरल में सरकार द्वारा वन-भूमि ऐसे अधिभोगियों को दी जा रही है जो वन-क्षेत्र में किसी न किसी बहाने से गैर-कानूनी तौर पर रह रहे हैं। इसके फलस्वरूप काफी बड़े क्षेत्र में वन कटाई हुई है। मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार इसे रोकने के लिए कदम उठाएगी क्योंकि यह सब केरल में काफी समय से चल रहा है जिससे वहां की अच्छी-खासी वन भूमि अब पूरी तरह से नष्ट हो गई है। इससे वहां पर्यावरण सम्बन्धी समस्याएं भी उत्पन्न हो गई हैं। यहां तक कि पश्चिमी-घाट की साइलेंट वैली का क्षेत्र, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नेशनल पार्क घोषित किया गया था, नष्ट किया जा रहा है तथा

इसकी वजह यह है कि कुछ लोग वहां जाकर रहने लगे और उन्होंने वहां की सरकार की मदद से उस क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर लिया।

(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स : सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं दी गई है। वास्तविकता यह है कि वहां जब इस तरह के अधिक्रमण हुए, सरकार ने समय पर कार्रवाई भी की है। इसलिए सदस्य को अपनी टिप्पणी वापस लेनी चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय, इसका खंडन करेंगे।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, यह प्रश्न-काल है। वह कोई आरोप नहीं लगा सकते। वह ऐसी बातें नहीं पूछ सकते हैं। (व्यवधान) यह प्रश्न-काल है। अतः इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें इस टिप्पणी को वापस लेना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बस अपना कोई प्रश्न रखें।

श्री थम्पन थामस : महोदय, ऐसा एक दृष्टांत है जबकि वन-कटाई पर निषेध लगाने वाला अध्यादेश व्यपगत हो गया था और कोई नया अध्यादेश नहीं लाया गया जिससे लोग फिर से वन-कटाई करने लगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या किसी पर कोई आक्षेप है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री थामस, आप केवल प्रश्न पूछें। अन्यथा मैं इसे असंगत मानूंगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सम्बन्धित मन्त्री इसका खंडन करेंगे। आप क्या कर रहे हैं? क्या यह कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल किया जा रहा है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सब-कुछ कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल करने की व्यवस्था करूंगा परन्तु मैं यह भी देखूंगा कि आक्षेप के रूप में कुछ न शामिल हो परन्तु खंडन के लिए मन्त्री वहां मौजूद हैं। यदि ऐसी कोई बात है तो हम उस पर ध्यान देंगे। कृपया बैठिए, कोई आक्षेप नहीं है।

(व्यवधान)

श्री थम्पन थामस : क्या केन्द्रीय सरकार, केरल के उन वनों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करेगी जिन्हें वहां सरकार की मदद से नष्ट किया गया है?

(व्यवधान)

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० एन० जी० रंगा : वह ऐसा कैसे कह सकते हैं कि यह 'सरकार की मदद से किया गया है ?'

श्री ए० चार्ल्स : महोदय, कोई भी सरकार इसकी अनुमति नहीं दे रही है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह उनका मत है । परन्तु हो सकता है मन्त्री महोदय का मत भिन्न हो ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये ।

श्री राजीव गांधी : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को बिल्कुल गलत जानकारी है । केरल के वन सरकार की मदद से नष्ट नहीं किए जा रहे हैं ।

प्रो० एन० जी० रंगा : मैंने इसीलिए आपत्ति जाहिर की । उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए ।

श्री राजीव गांधी : उन्हें अधिनियम के व्यपगत होने के बारे में भी गलत जानकारी है । मुझे बताया गया है कि इस अधिनियम को व्यपगत नहीं होने दिया गया और इसके व्यपगत होने के कुछ समय, शायद दो-तीन दिन पहले एक अध्यादेश जारी किया गया था परन्तु पुराने अधिनियम के व्यपगत होने और नए अधिनियम के लागू होने के मध्य कोई अन्तराल नहीं था । **(व्यवधान)** मैंने अपनी बात अभी पूरी नहीं की है ।

महोदय, सदस्य ने यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि केन्द्र किसी राज्य के वनों के मामले में क्या नीति अपना सकता है । इस प्रश्न से सम्बन्धित कुछ ऐतिहासिक समस्याएं हैं जिन्हें हमें इस सभा में कभी न कभी हल करना पड़ेगा । आरम्भ में वनों की कटाई की जाती थी । उन्हें कटाई करके उपयोग में लाने वाली सम्पत्ति माना जाता था । जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होने के परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में वन नष्ट हो गए हैं । केन्द्र के दबाव की तुलना में, राज्यों, जिलों तथा ब्लाकों के राजनीतिक दबाव निरपवाद रूप से अधिक हैं । इसलिए, हम केन्द्र में ऐसे निर्णय ले सकते हैं जिन्हें स्थान-विशेष में निचले स्तरों पर लेना बड़ा कठिन हो जाता है । दुर्भाग्यवश, इस मामले में हमें वास्तव में कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त अधिकार प्राप्त नहीं हैं । मैं चाहता हूं कि इस विषय पर कभी चर्चा हो और हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचें कि इस समस्या से कैसे निबटा जाए क्योंकि वन सम्पदा की क्षति के खतरे बहुत अधिक हैं और इससे देश को बेहद नुकसान हो रहा है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब समय पूरा हो गया है । इस प्रश्न पर 15 मिनट खर्च हो चुके हैं ।

आंध्र प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए की गई कार्यवाही

*751. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के नजदीक कोंडापल्लि, अमरावति, नागार्जुन सागर और गोलकुंडा किला, फलकनामा महल और हैदराबाद के आसपास ऐतिहासिक महत्व के अन्य स्थानों की ओर अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

विभाग ने, राज्य सरकार के परामर्श से राज्य में पर्यटक महत्व के कुछ केन्द्रों को केन्द्र, राज्य और प्राइवेट सेक्टर के मिले-जुले संसाधनों द्वारा अवस्थानुसार विकास के लिए अभिनिर्धारित किया था। सदस्य द्वारा उल्लिखित केन्द्र यथा विजयवाड़ा, हैदराबाद, नागार्जुन-सागर और अमरावति इन केन्द्रों में से हैं। कोंडापल्लि, विजयवाड़ा के नजदीक है तथा गोलकुंडा किला और फलकनामा पैलेस हैदराबाद में हैं। पर्यटन विभाग ने राज्य सरकार से इन केन्द्रों में पर्यटन आधार संरचनात्मक विकास की स्कीमों को आर्थिक सहायतार्थ प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

पर्यटन विभाग, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के स्थानों का प्रचार करने के लिए आंध्र प्रदेश सहित भारत के विभिन्न पर्यटक केन्द्रों पर हिन्दी, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में पर्यटक प्रचार साहित्य प्रकाशित करता है। इस साहित्य को भारत और विदेश स्थित भारत सरकार पर्यटक कार्यालयों के माध्यम से निःशुल्क व्यापक रूप से संवितरित किया जाता है। विभाग ने कुछ ब्रोशर प्रकाशित किए हैं जो आंध्र प्रदेश में माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित पर्यटक अभिरुचि के स्थानों का प्रचार करते हैं।

पर्यटन विभाग, भारत में महत्वपूर्ण स्थानों पर वृत-चित्र भी तैयार करता है, जिनमें आंध्र प्रदेश के ऐतिहासिक स्मारक, कला और संस्कृति को भी चित्रित किया गया है और विदेश स्थित हमारे कार्यालयों द्वारा विदेशी यात्रा प्रचालकों और यात्रा लेखकों के समक्ष इनका प्रदर्शन किया जाता है।

विभाग ने 1983-84 में हैदराबाद में प्रबन्धक के स्तर का भारत सरकार का एक पर्यटक कार्यालय खोला है। 1984-85 में विभाग ने हैदराबाद को शामिल करते हुए भारत की परिचायक यात्रा के लिए 10 बेल्जियन यात्रा अभिकर्ताओं को आमंत्रित किया। यू० के० और यू० एस० ए० से भी 5 यात्रा लेखकों को हैदराबाद की यात्रा के लिए आमंत्रित किया गया था।

पर्यटन विभाग ने फरवरी, 1985 में आयोजित गोलकुंडा उत्सव के लिए जो प्रतिवर्ष गोलकुंडा मकबरे पर मनाया जाता है, राज्य सरकार को 50 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की।

राज्य सरकार हैदराबाद से नागार्जुन सागर के लिए साप्ताहिक रूप से संचालित यात्राओं का परिचालन करती है। पर्यटकों के लिए नागार्जुन सागर से नागार्जुनकोंडा तक की यात्रा के लिए लांच सर्विस भी है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर से सिरीसेलम तक के लिए पर्यटकों के वास्ते एक अन्य तेज रफ्तार वाले लांच "जारिया" का भी परिचालन किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा हैदराबाद शहर में और इसके आसपास के लिए प्रतिदिन संचालित यात्रायें भी परिचालित की जाती हैं।

फिलहाल, केन्द्र अथवा राज्य पर्यटन विभाग के पास विजयवाड़ा के नजदीक कोंडापल्लि के विकास का कोई प्रस्ताव नहीं है।

नागार्जुन सागर पर पर्यटक अतिथि-गृहों की एक श्रृंखला उपलब्ध है तथा राज्य सरकार का ध्यान स्थली मंडप (मेडिटेशन पवेलियन), भू-दृश्यांकन और उद्यान आदि की व्यवस्था करते हुए

सातवीं योजना के दौरान इसे एक बौद्ध केन्द्र के रूप में और अधिक विकसित करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार के पास गोलकुंडा में पर्यटक सुविधायें सुलभ कराने की भी योजनायें हैं। फलकनामा पैलेस एक प्राइवेट प्रापर्टी है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा इसके मालिकों को इस बात के लिए राजी करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि वे इसे पर्यटकों के लिए खोल दें।

श्री वी० शोभाद्रीश्वर राव : महोदय, मुझे इस बात पर प्रसन्नता है कि मेरे द्वारा बताए गए स्थलों को पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित करने के लिए बहुत से कदम उठाए गए हैं। मैं मंत्री महोदय से यह इस कारण जानना चाहता हूं क्योंकि कोंडापल्लि एक बहुत ही महत्वपूर्ण केन्द्र है तथा यह हस्तशिल्प और खिलौनों के लिए मशहूर है। यहां के खिलौनों पर बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भी अर्जित हो सकेगी। क्या सरकार कोंडापल्लि को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने तथा विजयवाड़ा में एक पर्यटक होटल का निर्माण करने के बारे में विचार करेगी और आवश्यक कदम उठाएगी और इसके अलावा पर्यटकों के विजयवाड़ा से अमरावति जाने—जो कि एक अत्यधिक प्रसिद्ध बौद्ध केन्द्र है—के लिए कृष्णा नदी पर और नागार्जुन सागर जाने के लिए एक तेज रफ्तार वाले लांच (बोट) चलाए जाने के बारे में विचार करेगी।

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : माननीय सदस्य ने जो खुशी जाहिर की है इसके लिए मुझे भी बहुत खुशी है। हम लोगों ने आन्ध्र प्रदेश में काफी कुछ किया है···

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कोंडापल्लि गए हैं?

श्री अशोक गहलोत : मैं गया तो नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : पहले मुझको और मिनिस्टर साहब को, दोनों को, वहां लेकर चलिए। पहले हमको दिखलाइए, फिर हम सिफारिश करेंगे।

श्री अशोक गहलोत : आपने कोंडापल्ली के बारे में जिक्र किया है तथा उसके महत्व के बारे में भी प्रकाश डाला है। मैं माननीय सदस्य के सुझाव का स्वागत करता हूं। राज्य सरकार ने जो प्रपोजल्स हमें भेजे हैं उनमें कोंडापल्ली का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अगर वह कोई ऐसा प्रस्ताव हमारे पास भेजेंगे तो उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और कोशिश करेंगे कि वहां पर पर्यटक केन्द्र का विकास हो सके।

कृष्णा नदी पर अमरावती से होकर जो बोट चलाने वाली बात है, उसका प्रस्ताव भी आयेगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है उस पर भी विचार कर लेंगे।

[अनुवाद]

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : मंत्री महोदय द्वारा दिए गए विवरण में यह बताया है कि पर्यटन विभाग भारत में पर्यटन महत्व के स्थलों के बारे में वृत्त चित्र तैयार करता है एवं उनमें आंध्र प्रदेश के ऐतिहासिक स्मारकों को भी दिखाया गया है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश के ऐतिहासिक स्मारकों, कला और संस्कृति के बारे में ऐसे कितने दस्तावेज तैयार किए गए। क्या सरकार महबूब भवन, जो कि वास्तुशिल्पी एवं ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से अत्यधिक सुन्दर भवन है, के अधिग्रहण के बारे में आवश्यक कदम उठाएगी। हैदराबाद शहर में यह भवन जीर्ण-शीर्ण हो रहा है। क्या सरकार इस भवन के अधिग्रहण और इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को सौंपने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : आपने वृत चित्र के बारे में पूछा है। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने पिछले साल बेलजियम के करीब 10 ट्रेवल एजेन्ट्स को इन्वाइट किया था। यू० एस० ए० और यू० के० के पांच ट्रेवल-राइटर्स भी आये थे, जिनको हमने हैदराबाद भेजा था। इनके अलावा हमारे पास पूरी लिस्ट है जिसमें पब्लिसिटी मैटीरियल के बारे में अलग-अलग बतलाया गया है कि एक्सक्लूसिवली आंध्र प्रदेश के लिए कौन-कौन-सा लिट्रेचर बना है, उनमें नाम वगैरह भी दिए हैं, अगर आप चाहें तो पढ़कर सुना सकता हूं, अन्यथा आपको अलग से बतला दूंगा। महबूब भवन के बारे में मुझे इस वक्त जानकारी नहीं है। आप लिखकर देंगे तो हम उसको भी दिखवा लेंगे।

श्री ओवेसी : बहुत से टूरिस्ट्स बाहर से आकर देखते हैं इमारतों को और खासकर अरब मुमालिक से लोग आकर उनको देखते हैं और जब मुसाजिद को देखते हैं तो वहां पर लिखा रहता है कि नमाज नहीं पढ़ सकते। इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है और पूरे मुल्क की बदनामी हो रही है। आप क्यों ऐसी पाबन्दी लगाते हैं कि नमाज न पढ़ें। खुला रहने दीजिए। जो पढ़ना चाहे, वह पढ़े और जो न पढ़ना चाहे, न पढ़े। यह जो पाबन्दी है, इससे हमारे मुल्क की बदनामी हो रही है।

श्री अशोक गहलोत : मालूम नहीं कहां के बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जो ओल्ड पैलेसेज हैं, उनके बारे में कह रहे होंगे।

श्री ओवेसी : मैं हैदराबाद और तमाम जगहों के लिए कह रहा हूं जहां टूरिस्ट्स जाते हैं। दिल्ली में भी और हर जगह यह हो रहा है और इससे बदनामी हो रही है हमारे मुल्क की।

श्री राजीव गांधी : यह प्रश्न आंध्र के बारे में था और इसमें यह सवाल उठता नहीं है। हमने कई बार देखा है और हम गए हैं और यह पाया है कि ये जो हमारी इमारतें हैं, ये काफी नाजुक स्थिति में हैं और बहुत पुरानी हैं और अगर बहुत लोग उनके अन्दर बाहर जायेंगे, तो उनकी हालत खराब हो सकती है और वे टूट सकती हैं। दूसरे देशों में भी, अरब देशों में और इस्लामिक देशों में जो ऐसी इमारतें हैं और जो बहुत पुरानी हैं, उनमें नमाज पढ़ना मना है। ऐसा अकेले भारत में नहीं है, दूसरे देशों में भी ऐसा है।

श्री ओवेसी : इमारतें इतनी दूर हैं कि वहां कोई जाता नहीं है और अगर एकाध वहां पर आता है और नमाज पढ़ना चाहता है तो उसे नमाज पढ़ने दी जाए क्योंकि इससे मुल्क की बदनामी हो रही है।

[अनुवाद]

श्री अय्यप्पु रेड्डी : कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर सिरीसेलम सागर के लिए 'जीरिया' लांच सेवा चलाई जा रही है जिसकी खरीद सोवियत रूस से की गई थी। यह नदी यात्रा अपने आपमें अनुपम है। सम्पूर्ण भारत में इस प्रकार की सेवा नहीं है। समस्त लांच सेवा नदी में एक सागर से दूसरे सागर तक जाती है। दुर्भाग्य से इस मनोहर व रमणीय स्थल को पर्यटक मानचित्र में नहीं लाया गया और न ही कोई वृत चित्र ही इसको लेकर तैयार किया गया। इस समस्त क्षेत्र को वास्तविक "डिस्ने लैंड" में बदला जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से न तो इसे पर्यटक मानचित्र में ही लाया गया एवं न ही इस पर कोई वृत्त चित्र तैयार किया गया। कोई फिल्म भी नहीं बनाई गई।

क्या सरकार इस बात के लिए कदम उठाएगी कि इसे पर्यटक मानचित्र में शामिल किया जा सके और इस पर फिल्म बनाई जाए।

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : पर्यटन विकास कार्यक्रम हमें राज्य सरकारें प्रस्तुत करती हैं और फिर हम यह देखते हैं कि उनमें इस बारे में क्या कुछ किया जा सकता है। मेरे विचार में इस समय आंध्र प्रदेश की कोई भी योजना विचाराधीन नहीं है।

जहां तक इसे 'डिस्नेलैंड' बनाए जाने की बात है, मेरे ख्याल में पूरे आंध्र को ही कल्पनालोक बनाया जा रहा है।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : हां, यह 'डिस्ने लैंड' तो है ही। कोई भूखा नहीं मरता। लोग यहां 2 रु० प्रति कि० ग्राम चावल खरीद सकते हैं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव : इस कल्पना को वास्तविकता में बदलना चाहिए।

श्री दिनेश सिंह : आंध्र प्रदेश में पर्यटन महत्व के बहुत से स्थल हैं। पर्यटन वहां तभी विकसित होगा जब आंध्र प्रदेश में संगठित दल ले जाए जाने का कार्यक्रम हो। क्या एयर इंडिया और पर्यटन विकास परिषद के लिए यह सम्भव होगा कि वह इन दलों को आयोजित करें?

अब तक यह दल केवल उत्तरी भारत में यात्रा करते हैं। वह दिल्ली, आगरा, जयपुर, बनारस आदि स्थलों को जाते हैं।

क्या यह सम्भव है कि दक्षिण भारत के लिए भी पर्यटक दल आयोजित किए जाएं और फिर वह मद्रास से वापिस जा सकें।

प्रो० एन० जी रंगा : यह एक अच्छा सुझाव है।

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : ये जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं उनके टूर प्रोग्राम पहले से बने होते हैं। जो ट्रेवल एजेन्ट्स हैं, वे उनको लाने के लिए पहले से योजना बना लेते हैं और उसी के मुताबिक वे आंध्र प्रदेश की तरफ भी जाते हैं और साऊथ की तरफ भी जाते हैं।

वानिकी कार्यक्रमों के माध्यम से आदिवासियों का आर्थिक उत्थान

[अनुवाद]

752. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी कम करने के लिए वानिकी कार्यक्रमों सम्बन्धी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो वानिकी कार्यक्रमों के माध्यम से आदिवासी आर्थिक उत्थान के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने सिफारिशों के आधार पर सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों तथा राज्यों के साथ चर्चा की है और सातवीं योजना के लिए योजनायें तथा कार्यक्रम तैयार किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन कार्यक्रमों का ब्योरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य सिफारिशों का एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है। (विवरण-I)

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इन सिफारिशों के आधार पर विचार-विमर्श किया गया और प्रस्ताव तैयार किए गए हैं।

(घ) सातवीं योजना में शामिल करने लिए प्रस्तावित प्रस्तावों के प्रारूप की सूची वाला एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है। (विवरण-II) सातवीं योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण-I

1. लाभकारी योजनाओं की पहचान

1.1 वानिकी सम्बन्धी सभी कार्यों से ठेकेदारों को समाप्त किया जाना चाहिए।

1.2 अलग-अलग लाभकारी योजनाओं के माध्यम से व्यापक वन रोपण शुरू किया जाना चाहिए।

1.3 सामाजिक वानिकी के हित में जन-आन्दोलन शुरू किया जाना चाहिए।

1.4 लोगों को स्थान विशिष्ट कृषि-वानिकी तकनीकों के विकास के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

1.5 (क) लघु वन उत्पाद का उत्पादन, संसाधन संचयन, विपणन आदि का विकास किया जाना चाहिए।

1.5 (ख) 250 लाख मानक मानव वर्षों का रोजगार सृजित करने का लक्ष्य होना चाहिए।

1.6 वन पर आधारित कुटीर उद्योगों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

1.7 रबर/काफी आदि जैसी फसलों की स्थिर खेती की परिस्थिति में झूम खेती के काश्तकारों को प्रेरित करना चाहिए।

1.8 खाद्य उगाकर तथा पशु प्रोटीन विकास करने के लिए वन ग्रामवासियों को ऋण आदि दिया जाना चाहिए।

1.9 शिल्पकारों को अभिकल्पन, विपणन आदि में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और कच्ची सामग्री तथा शिविर सम्बन्धी सुविधायें दी जानी चाहिए।

1.10 वृक्ष पत्ती चारा तथा चारागाह का विकास किया जाना चाहिए।

1.11 आदिवासियों को अपनी भूमि में वृक्षों की वैज्ञानिक व्यवस्था में शामिल होना चाहिए और उनकी आमदनी को अधिक से अधिक बढ़ाया जाना चाहिए।

2. वित्तीय

2.1 पौध रोपण करने, झूम खेती को स्थिर खेती में बदलने, कुटीर उद्योगों के माध्यम से गरीबी दूर करने, वन ग्रामों का विकास करने, वानिकी क्षेत्र में लघु वन उत्पाद का संचयन, परि-

संस्करण तथा विपणन, ग्रामीण विकास विभाग आदि के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था होनी चाहिए। विदेशी सहायता का भी उपयोग किया जाना चाहिए।

2.2 नेबार्ड को सामाजिक वानिकी परियोजनाओं की मदद करनी चाहिए।

3. संगठनात्मक परिवर्तन

3.1 केन्द्र में वानिकी विभाग का सृजन किया जाना चाहिए।

3.2 भारतीय वानिकी अनुसंधान तथा शिक्षा परिषद की स्थापना।

3.3 प्रत्येक राज्य में वानिकी विभाग का सृजन किया जाना चाहिए।

3.4 वर्तमान केन्द्रीय वानिकी आयोग को राष्ट्रीय वन आयोग के रूप में प्रोन्नत किया जाना चाहिए।

3.5 वन अनुसन्धान संस्थान देहरादून को राष्ट्रीय वन अनुसन्धान विश्वविद्यालय बनाया जाना चाहिए।

3.6 केन्द्रीय सरकार के स्तर पर राष्ट्रीय वन उत्पाद निगम का सृजन किया जाना चाहिए।

विवरण-II

वानिकी क्षेत्र के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में सूचीबद्ध मुख्य योजनायें ये हैं—

1. वृक्ष रोपण के माध्यम से भूमि का उचित उपयोग।

2. पौध रोपणों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा।

3. दस्तर काकोनों के लिए पौध रोपण।

4. उन्नत शिल्पों तथा दस्तकारी के लिए प्रशिक्षण देना।

5. वन पर आधारित कुटीर उद्योगों का विकास।

6. राज्यों तथा केन्द्र में लघु वन उत्पाद विकास निगम।

7. औषधीय पौधों सहित लघु वन उत्पाद प्रजातियों का पौध रोपण।

8. लाख की खेती।

श्री गिरिधर गोमांगो : यह प्रश्न मूल नीति से सम्बन्धित है क्योंकि यह दो बातों से सम्बन्धित है—जनजाति के लोगों का आर्थिक पहलू और वनों का पारिस्थितिक पहलू। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इन सिफारिशों को पूरी तरह मान लिया है। मन्त्री महोदय ने अपने विवरण में सातवीं योजना में शामिल करने के लिए प्रारूप प्रस्तावों की एक सूची बताई है; उसमें बताई गई केवल एक महत्वपूर्ण बात और जिसका प्रस्ताव किया गया है, वह है लघु वन उत्पाद विकास निगम; लेकिन इसकी भी घोषणा अभी अन्तिम रूप से नहीं की गई। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार का वन-नीति की वर्तमान बुराइयों को किस प्रकार से दूर करने का प्रस्ताव है तथा क्या सरकार एक नई वन नीति की घोषणा करने जा रही है जिसके द्वारा इन सिफारिशों के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके।

श्री वीर सेन : जहां तक सिफारिशों की बात है यह स्पष्ट है कि कुछ सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है तथा हम उन पर कार्यवाही कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न लघु वन उत्पाद विकास निगम के बारे में है। इस पर भी विचार हो रहा है तथा इसे भी समय से स्थापित कर दिया जाएगा। तीसरा प्रश्न नई वन नीति के बारे में है। इस पर भी विचार हो रहा है और मुझे आशा है कि जल्द ही इसे सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

श्री गिरिधर-गोमांगो : इस सिफारिश के अलावा झूम खेती, वन क्षेत्र में अनधिकार कब्जे आदि के बारे में अन्य कई सिफारिशें भी की गई हैं। यह सिफारिशें बहुत समय पहले की गई थीं लेकिन, इन योजनाओं के कार्यान्वयन में कमी होने से जनजातीय लोगों की आर्थिक प्रगति, जो वनों पर आधारित है, नहीं हो पाई। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि इस कार्यक्रम सहित अन्य कार्यक्रमों के लागू करने में जिन आधारभूत सुविधाओं की जरूरत होती है, वे ये हैं : योजना की व्याख्या, कार्यक्रम की पहचान और योजना का जनजातीय लोगों पर प्रभाव, जिन क्षेत्रों में योजना लागू की गई है वहां जनजातीय लोगों का उसमें शामिल होना जो वानिकी कार्यक्रम के लिए महत्त्वपूर्ण है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार के आधारभूत ढांचे को लागू किया जायेगा, और यदि हां, तो किस तरह से।

श्री वीर सेन : माननीय सदस्य द्वारा कई प्रश्न पूछें गए हैं···

अध्यक्ष महोदय : आप केवल एक का उत्तर दीजिए वह केवल एक पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। आप चाहे जिसका उत्तर दे सकते हैं।

श्री वीर सेन : जहां तक झूम खेती की बात है हमने यह अनुदेश और निदेश जारी किए हैं कि जहां तक सम्भव हो उन्हें स्थिर खेती करने के लिए प्रेरित किया जाए। इस रिपोर्ट में भी यह सिफारिश की गई है कि इस बात के भी प्रयास किए जाएं कि जनजातीय लोग एक स्थान विशेष पर खेती करना आरम्भ करें, एक स्थान पर रहने लगें। यह सुझाव भी दिया गया है कि इन क्षेत्रों में जहां झूम खेती की है, चाय अथवा/काफी की खेती एवं रबर की खेती की जाए।

श्री गिरिधर गोमांगो : मेरा प्रश्न लागू किए जाने के बारे में था।

श्री वीर सेन : जहां तक लागू किए जाने की बात है यह राज्य सरकार का काम है। जैसा कि मैंने पहले कहा है हम राज्य सरकार को केवल सलाह एवं निर्देश दे सकते हैं, और अब यह राज्य सरकार का काम है कि वह उन पर अमल करे।

श्री आनन्द गजपति राजु : जनजातीय लोगों की दशा में सुधार करना एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम है। आम धारणा यह भी है कि जो कार्यक्रम जनजातीय लोगों के लिए लागू किए जाते हैं वह मूलतः उद्यमियों को लाभ पहुंचाते हैं न कि उन लोगों को जो इसके लिए मेहनत करते हैं और जो पौंडू खेती करते हैं। अपना स्थान बदलते रहते हैं। क्योंकि ये जनजातीय लोग अपना स्थान बदलते रहते हैं, यह उद्यमी नहीं होते। इनके लिए नए कार्यक्रम तैयार करने होंगे जिससे कि उन्हें भी आर्थिक प्रगति की धारा में मिलाया जा सके। दूसरे उनकी संस्कृति एवं स्थिति को भी ध्यान में रखना होगा। चूंकि इस कार्यक्रम पर करोड़ों रु० खर्च किए गए हैं अतः क्या मन्त्री महोदय कुछ ऐसी योजना तैयार करेंगे जो अपने आप में काफी नई हो और जो जनजातीय लोगों के आर्थिक कार्यों के अनुरूप हो।

श्री वीर सेन : वानिकी समिति द्वारा गरीबी दूर करने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं और हम उन सुझावों पर विचार कर रहे हैं तथा हम उनपर अमल करेंगे।

श्री अरविन्द नैताम : जनजातीय लोगों की 50 से 80 प्रतिशत आय वनों से प्राप्त होती है। छठी और सातवीं योजना का एक उद्देश्य जनजातीय लोगों में से गरीबी दूर करना भी है। जनजातीय लोगों द्वारा वास्तव में बेचे जा रहे लघु वन उत्पादों के मूल्यों और उनके बाजार मूल्यों में 100 से 300 प्रतिशत का अन्तर होता है। इस प्रकार, इन लघु वन उत्पादों के मूल्यों में व्याप्त अन्तर को कम करने के लिए क्या सरकार आवश्यक कदम उठाएगी और जनजातीय लोगों को उनके लघु वन उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करेगी ? केवल इसके द्वारा ही गरीबी दूर करने में काफी अन्तर पड़ेगा। इससे इन दो पहलुओं में भी सहायता मिलेगी—पहला वन संरक्षण और दूसरे भूमि पर अधिक बोझ भी नहीं पड़ेगा।

श्री वीर सेन : लघु वन उत्पाद निगम का प्रस्ताव किया गया है एवं यह इस समस्या के हर पहलू का ध्यान रखेगा। खरीद, संचय एवं विपणन—इस निगम द्वारा सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाएगा।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मेरे चुनाव क्षेत्र में बहुत-सी गिरिजन कालोनियां हैं। जब भी मैं वहां का दौरा करता हूं, लगभग प्रत्येक कालोनी से यह शिकायत प्राप्त होती है कि ये गिरिजन सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं का इस कारण से उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम को बहुत ही कड़ाई से लागू किया जा रहा है। अर्थात् उन्हें मकान बनाने के लिए ऋण तो दिए जाते हैं लेकिन, वह घर इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि जो पेड़ उन्होंने लगाए हैं, उन्हें भी वह नहीं काट सकते। मेरे राज्य केरल में वन संरक्षण अधिनियम को बहुत ही कड़ाई से लागू किया जा रहा है। इसलिए, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय को इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां तो यह सुनिश्चित करने के लिए वह क्या कदम उठाएंगे कि वन संरक्षण अधिनियम का कड़ाई से लागू करना इन जनजातीय लोगों के विकास में बाधक न हो।

श्री वीर सेन : मुझे इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अगर इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होगी तो हम उसे देखेंगे।

प्रो० पी० जे० कुरियन : समझ लीजिए यह शिकायत ही की गई है, और फिर उत्तर दीजिए।

श्री वीर सेन : हम इसे देखेंगे।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैंने अपने चुनाव क्षेत्र में बहुत-सी कालोनियों का दौरा किया है और उन्होंने मुझे इस समस्या से अवगत कराया है।

श्री वीर सेन : वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत कुछेक प्रतिबन्ध हैं जहां राज्य सरकार को केन्द्र के पास कोई आपत्ति नहीं प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आना पड़ता है। जब यह प्रश्न उठेगा तो हम इस पर विचार करेंगे। लेकिन इस समय हमें ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और अगर प्राप्त होगी तो हम उस पर विचार करेंगे।

श्री अमर राय प्रधान : महोदय, आपको मालूम ही है कुछ जनजातीय लोग वनों में ही रहते हैं एवं उनकी संस्कृति और परम्परा तथा यहां तक कि उनकी पूरी अर्थ-व्यवस्था वनों पर ही आश्रित होती है। वर्ष 1984-85 के दौरान केन्द्र द्वारा जारी मार्ग-निर्देशों के अनुसार राज्य-क्षेत्र में वनों पर किए जाने वाले परिव्यय का 16.19 प्रतिशत जनजातीय लोगों के लिए निर्धारित किया गया था। यह सच है कि इस प्रकार के आरोप भी लगाए गए हैं कि कुछ राज्य इस निदेश को—विशेषतया

बिहार राज्य, कार्यान्वित नहीं कर रहे । क्या मैं यह जान सकता हूं कि जो राज्य केन्द्र के निदेशों का पालन नहीं कर रहे उनके खिलाफ कौन से कदम उठाए गए हैं ?

श्री वीर सेन : इस प्रकार की कार्यवाही करने का केन्द्र सरकार को कोई अधिकार नहीं है।

श्री अमर राय प्रधान : लेकिन निदेश तो है।

श्री वीर सेन : हां, निदेश तो जारी किया जा सकता है लेकिन यह निदेश प्राप्त करने वालों पर निर्भर करता है कि वह इसे लागू करे अथवा नहीं।

"पर्यावरण की सुरक्षा हेतु मसूरी की चूना पत्थर की खदानों को बन्द करना"

[हिन्दी]

* 753. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मसूरी की चूना पत्थर की इकसठ खदानों को पर्यावरण की सुरक्षा हेतु स्थायी तौर पर बन्द करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) मसूरी की पहाड़ियों में चूना पत्थर खदान कार्य के पर्यावरणीय तथा समाजार्थिक प्रभाव पर विस्तृत विचार-विमर्श करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि :

(i) 27 खदानों को स्थाई तौर पर बन्द किया जाय तथा इनके सुधार का काम हाथ में लिया जाए ।

(ii) 6 खदानों में खदान कार्य को जारी रखने की अनुमति दी जाय; और

(iii) 19 खदानों को जारी रखने अथवा अन्यथा विचार-विमर्श के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा पुनर्अवलोकन किया जाय ।

(iv) 9 खदानों पर निर्णय लेने से पहले कार्य नहीं हो रहा था ।

(ख) तथा (ग) सुप्रीम कोर्ट ने 19 खदानों के बारे में रिपोर्ट देने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है ताकि इन्हें जारी रखने या न रखने के सम्बन्ध में निर्णय किया जा सके।

श्री पीयूष तिरकी : महोदय, मसूरी एक सुन्दर स्थान है और यहां पर बहुत से पर्यटक विभिन्न देशों से भी आते हैं । क्या यह सच नहीं है कि बड़े व्यापारी वहां पर खनन व्यापार चला रहे हैं और इन खनन कार्यों को बन्द करने के लिए सरकार सख्त कदम उठाने में हिचक रही है ? इन खनन कार्यों से पहाड़ी शहर मसूरी को लाभ प्राप्त होने के स्थान पर ज्यादा नुकसान पहुच रहा है । क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि इस क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा राज्य सभा की याचिका समिति

को 1983 में इस विषय पर एक याचिका प्रस्तुत की गई थी ? याचिका समिति की सिफारिशें क्या हैं ? इन सिफारिशों पर अब तक सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

श्री वीर सेन : महोदय, इस अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे नये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री पीयूष तिरकी : महोदय, याचिका, याचिका समिति को प्रस्तुत की गई थी ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें ब्यौरे का पता लगाना होगा ।

श्री पीयूष तिरकी : बन्द की जा रहीं 27 खानों के परिणामस्वरूप कितने श्रमिक कार्यरहित हो गए और इसके स्थान पर उन्हें कौन-सा रोजगार दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर सेन : सुप्रीम कोर्ट ने इस सम्बन्ध में निर्णय हाल ही में दिया है और मेरा विचार है कि यह प्रश्न विशेष रूप से श्रम विभाग से सम्बन्धित है ।

श्री पीयूष तिरकी : मुझे सन्तोष नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पुनः दोहराए ।

श्री पीयूष तिरकी : खानों को बन्द कर दिए जाने के पश्चात्...

श्री नारायण चौबे : उत्तर नहीं दिए जा रहे हैं ।

श्री पीयूष तिरकी : उन्होंने कहा है कि 27 खानें बन्द कर दी गई हैं । 27 खानों के बन्द होने के परिणामस्वरूप कितने श्रमिक बेकार हो गए हैं ? उनमें से कितनों को अन्य रोजगार उपलब्ध कराये गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

एक माननीय सदस्य : बिल्कुल सही है ।

अध्यक्ष महोदय : उनके पास सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस विषय पर कार्रवाई श्रम मन्त्रालय करता है । इस प्रश्न का उत्तर श्रम मन्त्रालय द्वारा दिया जा सकेगा, उनके द्वारा नहीं । यह प्रश्न केवल पर्यावरण के लिए है जिससे यह पूछा गया है कि क्या ये खानें बन्द कर दी गई हैं या नहीं । यदि बन्द करने का प्रभाव कुछ श्रमिकों पर पड़ेगा तो यह कार्य श्रम मन्त्रालय को सौंप दिया जाएगा । आप अलग प्रश्न कर सकते हैं ।

श्री पीयूष तिरकी : उन्होंने राज्य सभा की याचिका समिति को एक याचिका पहले ही प्रस्तुत कर रखी है । राज्य सभा की याचिका समिति मौजूद है । मन्त्री को इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : यदि उनके पास कोई उत्तर है तो वे दे सकते हैं । यदि यह मामला श्रम मन्त्रालय को भेजना होगा तो इसमें समय लगेगा ।

श्री पीयूष तिरकी : सामान्यतः प्रश्न उन्हें भेजे जाते हैं । मन्त्री को तैयार रहना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : यह श्रम मन्त्रालय से सम्बन्धित है । आपको श्रम मन्त्री से पूछना होगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, उन्हें पहले परामर्श करना चाहिए क्योंकि यह एक संयुक्त जिम्मेदारी है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में आप सूचना एकत्र करके उन्हें भेज सकते हो।

श्री वीर सेन : वह मैं भेज दूंगा।

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : श्रमिकों के बारे में हमेशा ही हमारी रुचि रही है। हम श्रमिकों का ध्यान रखते हैं। मेरे पास इस समय बिल्कुल सही आंकड़े तो नहीं हैं, फिर भी यदि मुझे सही तौर से याद है, वे श्रमिक, जो वहां पर कार्य कर रहे थे, पूर्णतः स्थानीय श्रमिक ही नहीं थे, वे बाहर से आए और वहां पर कार्य कर रहे हैं ? परन्तु श्रमिकों की सुरक्षा के लिए हमने कदम उठाये हैं और श्रमिकों को रोजगार में सहायता देने के लिए हमने ग्राम विकास और शहरी आर० ई० पी० के अन्तर्गत 25 लाख रुपए अलग रख दिए हैं।

डा० कृपा सिन्धु भोई : जैसा कि प्रश्न सूची से विदित है प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है। देश में कोई चूना पत्थर की खान, चाहे वे चूना-पत्थर की खान हो या डोमोमाइट खान हो, नहीं है। मन्त्री महोदय ने उत्तर देकर बड़ी कृपा की है। इस विशेष क्षेत्र की आर्थिक प्रणाली किस प्रकार बनाए रखनी है, इस विशेष बात पर अध्यक्ष महोदय आपकी उपस्थिति में पिछली संसद में कई बार वाद-विवाद हो चुका है। क्या मन्त्री महोदय ने यह मामला श्रम मन्त्रालय के साथ उठाया है कि खान और खनिज विनियमन, अधिनियम, 1964 के खण्ड 4 के अन्तर्गत उपबन्धों को ऐसी खादानों को बन्द करने के लिए, जिससे उस क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था को हानि पहुंचती हो, लागू किया जा सकता है ?

श्री वीर सेन : सुप्रीम कोर्ट ने एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की है। वह समिति इस बात की रिपोर्ट और सिफारिश करेगी कि क्या किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट यह निर्णय लेगा कि क्या खानों को बन्द करना है या चालू रखा जाएगा।

डा० कृपा सिन्धु भोई : यदि खानों में सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, यदि उनसे लोगों को हानिकर पर्यावरण प्रदूषण होता हो तो सरकार जन-हित में जब चाहे किसी भी खान को अपने हाथ में ले सकती है। खान और खनिज विनियमन अधिनियम में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि खानों को हाथ में लिया जा सकता है।

श्री वीर सेन : मेरे विचार में हम कोई भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय लिए जाने के पश्चात् ही ले सकते हैं।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : इन खानों को बन्द करने सम्बन्धी इस प्रश्न पर देहरादून में काफी लम्बे समय तक वाद-विवाद हो चुका है, परन्तु इसमें सरकार द्वारा नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सहायता की गई तथा चूना-पत्थर की खानें बन्द कर दी गई थीं। अब यह क्या हो रहा है ? यहां पर खानें बन्द कर दी गई हैं, वहां पर कुछ सड़कें लगातार निकल रही हैं। परन्तु सड़कों के उद्गम स्थान से चूना-पत्थर गैर-कानूनी ढंग से हटाया जा रहा है। क्या सरकार इस पहलू की ओर भी ध्यान देगी ?

श्री वीर सेन : जी, हां, हम इसकी जांच-पड़ताल कर सकते हैं।

सरकारी नौकरियों में महिलाओं को रियायतें

*754. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** :
डा० जी० विजय रामाराव :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौकरियों में महिलाओं का हिस्सा, जो 1961 में 28 प्रतिशत था, 1981 में काफी घटकर 21 प्रतिशत रह गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सभी सरकारी विभागों में नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की तरह महिलाओं को भी कुछ रियायतें देने का है; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

1991 की जनगणना और 1981 की जनगणना के अनुसार नौकरियों में महिलाओं का अनुपात क्रमशः 27.91% और 19.76% था। 1981 की जनगणना में महिलाओं के अनुपात में जो कमी आई है उसका कारण यह था कि नौकरियों में महिलाओं के अनुपात में वस्तुतः कोई कमी आ गई थी बल्कि इसका कारण यह था कि 1961 की जनगणना में "वेतन भोगी" की परिभाषा बहुत उदार बना दी गई थी। जिस व्यक्ति को किसी व्यापार, व्यवसाय, सेवा या कारोबार में नियमित रोजगार प्राप्त था उसे वेतनभोगी मान लिया गया था भले ही जनगणना की तारीख से पहले के 15 दिनों के दौरान वह एक ही दिन के लिए रोजगार में रहा हो। एक गृहिणी जो सामान्यतः घरेलू कामकाज में लगी रहती है लेकिन यदि वह किसी भी प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप के साथ जुड़ जाती है तो इस बात की ओर ध्यान दिए बिना कि उसने कितने समय तक कार्य किया है, उसे भी एक वेतन भोगी मान लिया गया था। लेकिन 1981 की जनगणना में मुख्य वेतनभोगी उसको माना गया था जिसने जनगणना की तारीख से पहले के एक वर्ष के दौरान 183 दिन से अधिक काम किया हो। 1961 की जनगणना की तुलना में यह मापदण्ड कहीं अधिक कठोर था।

केन्द्र सरकार के अधीन समूह "ग" और समूह "घ" के पदों पर सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए विधवाओं, परित्यक्ताओं तथा कानूनी तौर पर पति से विलग हुई किन्तु जिन्होंने पुनर्विवाह न किया हो, ऐसी महिलाओं के मामले में अधिकतम आयु सीमा में 35 वर्ष तक की छूट दी जाती है (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए 40 वर्ष तक)।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : महोदय, इस देश जनसंख्या में 50% से अधिक महिलायें हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस प्रतिशतता की स्थिति का उल्लेख देश के संदर्भ में कह रहे हैं या संसद के संदर्भ में कह रहे हैं ?

श्री एम० रघुमा रेड्डी : जैसा कि विवरण में उल्लेखित है, यह 27% या 19% भाग भी बहुत कम है, हमारी आशा से बहुत कम है। आंध्र प्रदेश में राज्य सरकार ने 30% नौकरियां महिलाओं के लिए निश्चित कर दी हैं। क्या माननीय मंत्री हमें यह बतायेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा वह सिद्धांत, जो आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने अपनाया है, अपनाया जाने वाला है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कोटे में महिलाओं का कितना भाग है ?

श्री राम निवास मिर्धा : मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत नौकरियां आरक्षित की हैं। परन्तु हमने इस प्रश्न का अध्ययन किया है और

यह पाया है कि वैधानिक दृष्टि से ऐसा करना युक्तिसगत नहीं है क्योंकि लिंग के आधार पर यह भेदभाव होगा।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : मैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कोटे में महिलाओं के भाग के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री राम निवास मिर्धा : अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति महिला कर्मचारियों के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : मैं यह जानना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कोटे में कितनी महिला कर्मचारी हैं।

श्री रामनिवास मिर्धा : ये आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं। मैं केन्द्रीय सेवाओं और अन्य सेवाओं में भी महिलाओं की प्रतिशतता का पता लगाने का प्रयास कर रहा हूं। वास्तव में यह कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। इस तरह मेरे पास भारतीय प्रशासनिक सेवा के आंकड़े हैं। 1983 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में यह 10.9% था और 1984 में यह 11.2% है।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा में महिला शिक्षा नीति को क्या सरकार प्राथमिकता देगी, क्योंकि महिला एक अच्छी मां बन सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : उतने तक ही सन्तुष्ट हैं, बस ?

श्री राम निवास मिर्धा : वह सही है कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं, लड़कियों का अनुपात कुछ कम है और ज्यों-ज्यों शिक्षा आगे बढ़ती जाती है, काफी लड़कियां शिक्षा संस्थाओं को छोड़ देती हैं और उसी वजह से आगे बढ़ नहीं सकती हैं।

श्रीमती कृष्णा साही : क्यों छोड़ देती हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : उसके कई कारण हैं। देहाती क्षेत्र में लड़के भी जल्दी स्कूल छोड़ देते हैं। उसी हिसाब से सरकार की निश्चित नीति है कि प्राथमिक स्तर पर जो यह वेस्टेज है, उसे कैसे कम किया जाए और उसका अनुपात बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया जाए और सरकार की यह नीति है।

अध्यक्ष महोदय : वासुदेव आचार्य भी इसमें कुछ क्विएट करना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : महिलाओं की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और उनके लिए कार्य अवसरों में कमी आती जा रही है। इसी सत्र में इस सम्बन्ध में एक बार वाद-विवाद भी हुआ था। इसे ध्यान में रखते हुए क्या सरकार महिला उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी आने के सम्बन्ध में आयु सीमा बढ़ाने के बारे में विचार करेगी ?

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : महिलाओं के लिए आयु सीमा बढ़ाने के बारे में सामान्यता उस खण्ड के अन्तर्गत कुछ संवैधानिक समस्यायें हैं जिसमें यह कहा गया है कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, परन्तु हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि यह कार्य हम किस तरह कर सकते हैं और हम कुछ करेंगे।

श्रीमती गीता मुखर्जी : वह प्रश्न जिसे मैं पूछना चाहती थी, श्री बसुदेव आचार्य द्वारा उठा दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मुझे प्रसन्नता है कि एक पुरुष सदस्य ने यह प्रश्न पूछा और प्रधानमंत्री ने इसका उत्तर दिया । परन्तु मैं अन्य बातें जानना चाहती हूं । इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि आर्थिक कार्यकलापों में महिलाओं का योगदान, पुरुषों के योगदान से अभी बहुत कम है, क्या सरकार महिलाओं के लिए रोजगार के ऐसे क्षेत्रों का पता लगाने का एक विशेष मुद्दा बनाएगी जिसमें सरकार प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित है ताकि उनके बारे में विशेष लक्ष्य समूह के रूप में कार्रवाई की जा सके । और उस सम्बन्ध में क्या किया जाता है इसपर लगातार नजर रखी जानी चाहिए और उसकी सूचना सदन को प्रस्तुत की जानी चाहिए क्योंकि आंकड़े आमतौर पर उपलब्ध नहीं होते । इस सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है ?

श्री राम निवास मिर्धा : सरकार के अधीन अधिकांश पदों के लिए मेरे विचार में महिलायें पुरुषों के समान ही योग्य हैं और वास्तव में यही हो रहा है । जहां तक विशेष क्षेत्रों का सम्बन्ध है उदाहरणार्थ मेरे मंत्रालय में, हमारी कुछ टेलीफोन एक्सचेन्ज हैं जहां पर केवल महिलाएं ही कार्य करती हैं, (व्यवधान) परन्तु मैं इसे एक्सचेन्जों के कार्यकरण से सम्बद्ध नहीं कर रहा हूं । मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता था कि हम यह कार्य किस प्रकार कर रहे हैं ।

श्री राजीव गांधी : मैं इसमें एक शब्द जोड़ना चाहता हूं । माननीय सदस्य का प्रश्न बहुत युक्तिसंगत है और हम इस सम्बन्ध में कार्रवाई कर रहे हैं । जैसे कि मैंने पिछले प्रश्न के उत्तर में कहा है, हम यह देख रहे हैं कि हम इस मामले पर विशेष ध्यान कैसे दें ताकि महिलाओं को बेहतर कार्य करने के लिए और अधिक अवसर प्राप्त हो सकें । परन्तु जैसे माननीय मन्त्री ने अभी हाल ही में कहा है, मुख्य प्रश्न शिक्षा का है और जैसे माननीय सदस्य को यह जानकारी है, कि हमने इस सरकार के सत्ता में आने पर जो सबसे पहला कदम उठाया है, वह महिलाओं को बिना शुल्क शिक्षा देना है ।

डा० वत्सला सामन्त : महोदय, मैंने गुजरात और महाराष्ट्र में विशेष रूप से देखा है कि महिला कामगारों की संख्या कम हो रही है । इसका एक कारण यह है कि आप सूर्य छिपने के पश्चात् महिला कामगारों को कार्य पर नहीं रख सकते, दूसरी और तीसरी शिफ्टों के लिए महिला कामगार उपलब्ध नहीं हैं । बर्तानिया बिस्कुट और फार्मास्टिकल कम्पनियों में, उन्होंने यह सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी महिला कर्मचारी भर्ती न की जाए । सरकार ने महिला कामगारों को एक अन्य सुविधा दी है, वह प्रसूति सुविधा है । ये सभी सुविधाएं आपने महिला कामगारों को दी हैं । मैं इसकी आलोचना करता हूं ।

प्रो० मधु दण्डवते : ये सुविधायें पुरुषों को नहीं दी जा सकतीं ।

डा० वत्सला सामंत : परन्तु इस सुविधा का लाभ उठाते हुए, जहां तक कपड़ा उद्योग का संबंध है, मालिकों ने सख्त निर्देश दे रखे हैं कि महिलाओं को काम पर न रखा जाए । महाराष्ट्र और गुजरात में, पिछले वर्ष महिला कामगारों की संख्या में 75% कमी आई है । मेरे पास ब्यौरेवार आंकड़े उपलब्ध हैं । वहां पर महिला कामगारों को काम पर न रखने के सख्त निर्देश हैं ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपकी कोई मदद तो नहीं थी।

[अनुवाद]

डा० वसा सामन्त : जैसा कि मैंने कहा है कपड़ा मिलों में शिफ्ट कठिनाई के कारण तथा प्रसूति सुविधा जो कि महिलाओं को दी जानी आवश्यक है, के कारण इस बात के सख्त निर्देश हैं कि किसी महिला को काम पर न रखा जाए। तदनुसार, नियोक्ता महिला कामगारों को न रखने के बारे में काफी बुद्धिमान हैं। मैं आपको ऐसी फैक्ट्रियों के सैकड़ों नाम दे सकता हूं, जहां ऐसे निर्देश दिए गए हैं। वे मेरे संघ में हैं। इसको दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार इन नियोक्ताओं को, रचनात्मक उपाय करने के लिए निर्देश देने हेतु और यह देखने के लिए कि वहां पर महिला कामगारों के लिए पर्याप्त रोजगार हो, कोई कदम उठा रही है ? और प्रतिपूर्ति करने के लिए, क्या आप सरकारी तंत्र में या अन्य स्थानों पर महिला कामगारों के लिए एक निश्चित प्रतिशत अर्थात् 40 या 50 प्रतिशत तक स्थान आरक्षित कर रहे हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : कार्य कर रही कुल संख्या में महिला कामगारों की संख्या और उनकी प्रतिशतता बढ़ रही है। मैं कुछ आंकड़े दूंगा। 1962 में, संगठित क्षेत्र में यह प्रतिशतता 10.9 थी। 1984 में अन्तिम आंकड़ों से पता चलता है कि यह 12.6 प्रतिशत है। इस प्रकार यह कहना सम्भव नहीं है कि संगठित क्षेत्र में महिला कामगारों की संख्या में कमी हो रही है। दूसरी ओर इसमें वृद्धि हो रही है।

[हिन्दी]

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : महिलाओं की हर क्षेत्र में तरक्की के बारे में प्रधानमंत्री रुचि ले रहे हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं। लेकिन जो प्रश्न के उत्तर में आया है उससे पता लगता है कि 61 से लेकर 81 के बीच में सर्विसेज में उनकी संख्या 28 प्रतिशत ही घटकर 21 प्रतिशत रह गई है। यह दुख की बात है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने तो कहा कि यह बढ़ गया है।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : बढ़ गया है तो खुशी की बात है।

अध्यक्ष महोदय : बड़ी जल्दी कांठा बदला आपने।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : लेकिन इसके बावजूद भी सर्विसेज में बहुत-सी विधवाएं हैं, उनको जो संरक्षण मिलना चाहिए वह नहीं मिलता। उनके पति मर जाते हैं तो क्वालिफाइड होते हुए भी उनको काम करने का मौका नहीं मिलता। मैं उनके लिए कोई रिजर्वेशन या कोटा नहीं चाहती हूं लेकिन इतना जरूर चाहती हूं कि जो हमारी महिलायें योग्य हैं, क्वालिफाइड हैं, वह जिस पद के लायक हैं उस पद पर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने का मौका दिया जाय। क्या मन्त्री महोदय ऐसा कुछ सोच रहे हैं और इसके लिए वह क्या कदम उठाने जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री राम निवास मिर्धा : मैंने अपने प्रश्न के उत्तर में कहा है और आपकी अनुमति से मैं इसे दोहराऊंगा। केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने समूह 'ग' और 'घ' के पदों पर नियुक्ति करने के कार्य के लिए विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और उन महिलाओं के बारे में, जिन्हें उनके

पतियों से कानूनी तौर पर अलग कर दिया गया, परन्तु उन्होंने पुनः विवाह नहीं किया है, के मामलों में अधिक आयु सीमा में 35 वर्ष तक की छूट दी गई है और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए 40 वर्ष तक की छूट दी गई है। जहां तक पति की मृत्यु के पश्चात् उसके कार्य को प्राप्त करने का सम्बन्ध है इस सम्बन्ध में हमारे निश्चित नियम हैं, मृत्यु प्राप्त सरकारी कर्मचारी के आश्रित को किन हालात में कार्य मिल सकता है, हम उस तरह ही कार्य करते हैं। इस बारे में निश्चित नियम है कि क्या लड़का इसे प्राप्त कर सकता है या कितने लड़के काम कर रहे हैं और इसी तरह की अन्य बातों को ध्यान में रखा जाता है। हमारे पास नियम हैं और हम इन्हें कार्यान्वित करना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : नियम तो हैं पर उनका पालन नहीं होता।

रोबोट प्रौद्योगिकी

[अनुवाद]

*755. **श्री सिद्ध लाल मुरमू** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोबोट प्रौद्योगिकी का देश में ही विकास किया गया है अथवा उसका आयात किया गया है;

(ख) देश में इस समय किन-किन क्षेत्रों में और किन-किन स्थानों पर रोबोटों का प्रयोग किया जाता है;

(ग) क्या रोबोट प्रौद्योगिकी का कार्यकरण सन्तोषजनक है; और

(घ) क्या पश्चिम के रोबोटों की तरह भारतीय रोबोटों से भी घरेलू औद्योगिक क्षेत्रों और कार्यालयों में काम लिया जाता है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज पाटिल) : (क) देश में रोबोटों के प्रयोग के क्षेत्र में सीमित विशेषज्ञता उपलब्ध है तथा इसका देश में वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्तावों में कुछ प्रौद्योगिकी के आयात की अभिकल्पना होती है।

(ख) रोबोटों से इस समय महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पिक्चर ट्यूबों के विनिर्माण करने तथा उच्च परिशुद्धता से धातु को काटने/सुसज्जित करने के काम लिए जाते हैं।

(ग) अभी रोबोटों का प्रयोग आरम्भिक स्तर पर ही है और इसलिए समूचे कार्य निष्पादन का मूल्यांकन अभी से करना सम्भव नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

अध्यक्ष महोदय (श्री सिद्ध लाल मुरमू) : ठीक है। धन्यवाद। श्री माधव रेड्डी।

श्री सी० माधव रेड्डी : जैसा अभी हाल में मन्त्री महोदय ने कहा है हमारे देश में यह प्रौद्योगिकी नहीं है। हमें पता चला है कि प्रौद्योगिक निदेशों में उपलब्ध है तथा एक्सपो-85 जिसका

आयोजन टोकियो में किया जा रहा है, में इस प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने एक्सपो-85 में भाग क्यों नहीं लिया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पिक्चर ट्यूबों की उपलब्धता

[अनुवाद]

*756. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने एकक रंगीन तथा श्वेत और श्याम पिक्चर ट्यूबों का निर्माण कर रहे हैं और इन एककों द्वारा प्रतिवर्ष विभिन्न आकार की कितनी पिक्चर ट्यूबों का निर्माण किया जाता है;

(ख) उन एजेन्सियों की संख्या कितनी है जिनके माध्यम से ये पिक्चर ट्यूब टी० वी० निर्माताओं को बेची जाती हैं;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि नयी पिक्चर ट्यूब प्राप्त करने के लिए आम जनता को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में उपचारात्मक कार्यवाही करेगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) देश में इस समय रंगीन पिक्चर ट्यूबों का उत्पादन नहीं होता है। निम्नलिखित इकाइयों द्वारा श्याम तथा श्वेत ट्यूबों का विनिर्माण किया जाता है। इकाइयों के नाम तथा वर्ष 1984 के दौरान प्रत्येक इकाई द्वारा उत्पादित ट्यूबों की मात्रा/किस्म नीचे दिए अनुसार है :

क्र०सं०	कम्पनी का नाम	मात्रा
1	2	3
1.	मेसर्स भारत इलेक्ट्रानिकी लि०, बंगलौर।	244,000 (51 से० मी०)
2.	मेसर्स पंजाब डिस्प्ले डिवाइसिज लिमिटेड, चंडीगढ़।	23,836 (51 से० मी०)
3.	मेसर्स समटेल (आई०) लिमिटेड, भिवाड़ी।	(i) 37,673 (31 से० मी०) (ii) 27,918 (36 से० मी०) (iii) 266,176 (51 से० मी०)

1	2	3
4.	मेसर्स टेलीट्यूब प्रा० लि०, गाजियाबाद ।	189,826 (51 से० मी०)
5.	मेसर्स अप्ट्रॉन आनन्द, कानपुर ।	12,012 (51 से० मी०)
6.	मेसर्स वेबेल वीडियो डिवाइसिज लिमिटेड, कलकत्ता ।	(i) 12,246 (51 से० मी०) (ii) 845 (60 से० मी०)

(ख) इन कम्पनियों द्वारा दूरदर्शन विनिर्माताओं को श्याम तथा श्वेत पिक्चर ट्यूबें सीधे बेची जाती हैं । हाल ही में लागू किए गए वर्ष 1985-86 की आयात नीति के पहले श्याम तथा श्वेत पिक्चर ट्यूबों का आयात इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एण्ड टैक्नोलॉजी डेवलपमेंट कारपोरेशन (ई० टी० एण्ड टी०) के माध्यम से सरणीबद्ध रूप से किया जाता था । यद्यपि अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति स्वदेशी स्रोतों के माध्यम से तथा स्वदेशी उत्पादन के माध्यम से करने के प्रयास जारी रखे जायेंगे, तथापि इसमें जो भी कमी आएगी उसकी पूर्ति दूरदर्शन विनिर्माताओं द्वारा सीधे आयात करके की जाएगी ।

(ग) तथा (घ) ऐसी किसी खास कठिनाई के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है । दूरदर्शन सेट के विनिर्माता को अथवा ई० टी० एण्ड टी० को पुरानी पिक्चर ट्यूबें लौटाकर नई ट्यूबें सामान्यतया प्राप्त की जा सकती हैं ।

फ्रांस और अमेरिका में भारत-महोत्सव

*757. श्री जी० जी० स्वेल :
श्री आर० प्रभु :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फ्रांस और अमेरिका में भारत-महोत्सवों की तैयारियों का काम इस समय किस चरण में है;

(ख) उपरोक्त दोनों महोत्सवों के लिए क्रमशः कितनी धनराशि आबंटित की गयी है; और

(ग) प्रत्येक देश में होने वाले महोत्सव की मुख्य बातें क्या हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) भारत उत्सव का उद्घाटन फ्रांस में 7 जून को और अमेरिका में 13 जून, 1985 को किया जाएगा और इसकी तैयारियां पूरी होने वाली ही हैं ।

(ख) भारत सरकार अमेरिका में भारत उत्सव का लगभग 515 लाख रुपए और फ्रांस में भारत उत्सव पर लगभग 200 लाख रुपए खर्च करेगी ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(ग) संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्सव की विशेषताओं में निम्नलिखित 6 प्राचीन कला प्रदर्शनियां शामिल होंगी।

1. स्कल्पचर आफ इण्डिया : 2500 ई० पू० से 1300 ई० सन् : राष्ट्रीय कला गैलरी, वाशिंगटन डी० सी० में 3 मई से 2 सितम्बर, 1985 तक आयोजित की जाएगी।

2. "इण्डिया" : महानगरीय कला संग्रहालय, न्यूयार्क, 14 सितम्बर से 5 जनवरी, 1986

3. "लाईफ एट कोर्ट" : ललित कला संग्रहालय, बोस्टन, 20-11-1985 से 9-2-1986 तक और डल्लास कला संग्रहालय में 16-3-86 से 11-5-86 तक

4. "फ्राम इण्डियन अर्थ" : ब्रूकलिन संग्रहालय, न्यूयार्क, जनवरी से मार्च, 1986 तक।

5. "कृशान स्कल्पचर" क्लेवेलैंड कला संग्रहालय, 31-11-1985 से 5-1-86 तक, एशिया सोसायटी गैलरियां, न्यूयार्क, 13-2-86 से 6-4-86 तक और सिएटल कला संग्रहालय, 13-5-86 से 13-7-86 तक।

6. "फतेहपुर सीकरी एण्ड दि एज आफ अकबर" : एशिया सोसायटी गैलरियां, न्यूयार्क, 10-10-85 से 5-1-86 तक फग कला संग्रहालय, बोस्टन 10-2-86 से 30-3-86 तक और ललित कला संग्रहालय, हाउस्टन 2-5-86 से 29-6-86 तक।

उपरोक्त के अलावा, भारतीय ग्रामीण कलाओं और शिल्पों से सम्बन्धित दो प्रमुख प्रदर्शनियां आयोजित की जाएंगी अर्थात् अदिति 4 जून से 28 जुलाई, 1985 तक स्मिथसोनियन संस्थान, राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, वाशिंगटन डी० सी० और समकालीन भारतीय टेराकोटा कला से सम्बन्धित प्रदर्शनी, अमेरिकी शिल्प संग्रहालय, न्यूयार्क में 9 सितम्बर से 9 नवम्बर, 1985 तक। समकालीन भारत की प्रगति और विकास के सम्बन्ध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी प्रदर्शनी में बल दिया जाएगा, जो 12 जून से 2 सितम्बर, 1985 तक शिकागो विज्ञान संग्रहालय में लगाई जाएंगी और यह इसके बाद एन्जेल्स, मिनीएपोलिस, पोर्टलैंड (ओरेगोन) और सिएटल में ले जाई जाएगी। वन्य-जीवन, समकालीन कला, भारतीय वास्तु कला, वस्त्र, पोशाक तथा भारतीय कौशल तथा कच्चे माल का उपयोग करते हुए डिजाइन पर प्रदर्शनियां विशिष्टताएं होंगी। प्रदर्शन कला में केनेडी केन्द्र वाशिंगटन डी० सी० में 13 जून, 1985 को उद्घाटन समारोह और उसके बाद सितम्बर, 1985 में लिंकन केन्द्र न्यूयार्क में शास्त्रीय नृत्य और संगीत प्रदर्शनों की एक श्रृंखला तथा फोर्ड फाउन्डेशन द्वारा प्रायोजित शास्त्रीय व लोक स्वरूपों को सम्मिलित करते हुए प्रदर्शन कलाओं का कार्यक्रम, जो सितम्बर, 1985 से मई, 1986 तक 40 विश्वविद्यालयों में आयोजित किया जाएगा, विशिष्टताएं होंगी। अमेरिका में भारत उत्सव के दौरान सेमिनार तथा चर्चा गोष्ठियां और भारतीय फिल्मों का एक उत्सव भी आयोजित किया जाएगा। फ्रांस में, पेरिस में होने वाला 7 और 8 जून को उद्घाटन मेला जिसके बाद एविग्नोन उत्सव, जिसमें उच्च कोटि के 5 कलाकारों द्वारा हिन्दुस्तानी और कार्नेटिक शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत किया जाएगा और सितम्बर-अक्तूबर, 1985 में शरद् उत्सव जो शास्त्रीय संगीत तथा नृत्य की लगभग 67 संगीत समारोहों की एक श्रृंखला होगी, विशिष्टताएं होंगी। इसके अतिरिक्त हाऊस आफ कल्चर्स आफ दि वर्ल्ड द्वारा प्रायोजित प्रदर्शन कलाओं का एक वार्षिय कार्यक्रम पेरिस में तथा फ्रांस के दूसरे बहुत से शहरों में आयोजित किया जाएगा जिसमें अधिकतर लोक स्वरूपों, जैसे कि छाऊ शौर्य कलाएं, नागा-नृत्य, बैलेड व लोक-गीत,

कठपुतली तथा छाया थियेटर, रास लीला तथा ताल वाद्य संगीत समारोह प्रस्तुत किए जाएंगे। मार्च-जून, 1986 में ग्रैंड पैलेस, पेरिस में शास्त्रीय कला की एक प्रदर्शनी, नवम्बर, 1985 में इकोलेडेस म्युक्स कला पेरिस में भारतीय वास्तु कला की एक प्रदर्शनी, अक्तूबर, 1985 में भूसीडेस आर्ट्स, डेकोरेटिफस, पेरिस में एक वस्तु प्रदर्शनी समकालीन भारतीय कला की एक प्रदर्शनी तथा पाम्पीडोर केन्द्र में भारतीय फिल्मों का एक उत्सव और अनेक सेमिनारों का आयोजन भी फ्रांस में भारत उत्सव की अन्य विशिष्टताएं होंगी।

हवाई अड्डे के निकट भवन निर्माण पर प्रतिबन्ध

*758. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन विभाग अथवा भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों के निकट भवन निर्माण के सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध लगाए हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो भवनों के निर्माण के लिए क्या न्यूनतम दूरी निर्धारित की गई है;

(ग) क्या भवनों की ऊंचाई पर भी कोई प्रतिबन्ध लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां। केन्द्रीय सरकार ने, वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 9क के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 15 मार्च, 1979 की सरकारी राजपत्र अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 516 के जरिए अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों सहित हवाई अड्डों के 20 किलोमीटर के व्यास के भीतर कोई भवन अथवा संरचना का निर्माण करने या खड़ा करने पर कुछ रोक लगाई है।

(ख) हवाई अड्डा संदर्भ केन्द्र से 20 किलोमीटर की अधिकतम दूरी विनिर्दिष्ट की गई है जिसके भीतर निर्माण विनियमित किया जाता है। तथापि न्यूनतम दूरी अलग-अलग हवाई अड्डे पर धावनपथ और सम्बद्ध मार्ग निर्देशन साधनों की अव-स्थिति के सम्बन्ध में भवन स्थल, आदि की दिशा के आधार पर अलग-अलग होगी।

(ग) और (घ) जी, हां। अलग-अलग हवाई अड्डों पर ऊंचाई पर रोक सा० का० नि० 516 के उपबन्धों और रेडियो मार्ग निर्देशन साधनों के आधार पर अलग-अलग होगी।

उत्तर प्रदेश की खानाबदोश जातियों का उत्थान

[हिन्दी]

*759. **श्री कल्याण सिंह सोलंकी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की खानाबदोश जातियों के उत्थान के लिए कोई ठोस कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त जातियों के भविष्य के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है;

(ग) उत्तर प्रदेश की उक्त खानाबदोश जाति का सामाजिक, शैक्षणिक और राजनैतिक स्तर कितना है और क्या सरकार का विचार उक्त जातियों का विकास करने का है; और

(घ) क्या सरकार इन जातियों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) इसमें से कुछ समुदाय जो अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के लिए अपनाए गए मानदण्ड को पूरा करते हैं, वे पहले ही उत्तर प्रदेश राज्य की वर्तमान सूचियों में शामिल हैं, और वे उन सभी लाभों के लिए पात्र हैं जो विशेष कम्पोनेंट योजना और केन्द्रीय द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत भी राज्य में अन्य अनुसूचित जातियों के लिए स्वीकार्य हैं। संभवतः खानाबदोश/विमुक्त जनजातियों के ऐसे अन्य समुदाय हैं जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में नहीं हैं लेकिन राज्य सरकार उनमें से कुछ को अन्य पिछड़े वर्गों की तरह समझती है और राज्य क्षेत्रों में उनके विकास के लिए योजनाएं चलाती हैं।

(घ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में किसी समुदाय को शामिल करने के लिए पूर्ण निर्धारित प्रक्रिया है। राज्य सरकार के प्रस्ताव तथा अन्य ऐसे प्रस्तावों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों के प्रस्तावित व्यापक संशोधन के संदर्भ में विचार किया जा रहा है।

पाकिस्तान के लिए वीसा

[अनुवाद]

*760. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि आम जनता तथा विशिष्ट व्यक्तियों को भी थोड़े समय के लिए पाकिस्तान जाने और वहां से आने के हेतु वीसा प्राप्त करने में बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है; और

(ख) क्या पाकिस्तानी दूतावास दिल्ली में भारी भीड़ को कम करने के लिए बम्बई में एक कार्यालय खोलना चाहता है परन्तु बम्बई में किराए पर भूमि/भवन की अनुपलब्धता के कारण ऐसा करने में असमर्थ है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) पाकिस्तान स्थित भारतीय मिशन भारत की यात्रा करने के इच्छुक पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को तत्परतापूर्वक वीसा जारी करते रहे हैं।

तथापि, सरकार को यह मालूम है कि पाकिस्तान की यात्रा पर जाने वाले भारतीय लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस तथ्य को समय-समय पर पाकिस्तान प्राधिकारियों के ध्यान में लाया गया है।

(ख) बम्बई में अपना प्रधान कोंसलावास खोलने के लिए खोजकर जगह किराए पर लेना पाकिस्तान सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार इस सम्बन्ध में हर तरह का सहयोग देने के लिए

वाहक है। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान का राजदूतावास समय-समय पर बम्बई में एक अस्थायी वीसा कार्यालय खोलता रहा है।

बिहार में केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल बटैलियन तैनात करना

*761. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में कितने स्थानों पर केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल की बटैलियन तैनात की गई और क्या उनकी तैनाती से हिंसा की घटनाएं कम हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो हिंसा की घटनाओं के मामलों में कितने प्रतिशत कमी हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल की कम्पनियों की संख्या, जो 1-3-1982 से 28-2-1985 तक की अवधि के दौरान बिहार सरकार को उपलब्ध कराई गई थी, का विवरण संलग्न है। राज्य सरकार प्राथमिक रूप से विधि व व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। जब कभी बिहार में राज्य सरकार के अनुरोध पर अर्ध-सैनिक बल तैनात किए गए, उन स्थानों पर जहां ये बल तैनात किए गए, हिंसा को रोक दिया गया है। लेकिन सरकार के पास इस बात की सूचना नहीं है कि क्या बिहार में कुछ स्थानों में समय-समय पर अर्ध-सैनिक बलों की कुछ कम्पनियां तैनात किए जाने के कारण कुल मिलाकर हिंसा की घटनाओं में कमी आई है।

विवरण

1-3-1982 से 28-2-1985 तक की अवधि के दौरान बिहार में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनातगी

महीना और वर्ष	तैनात की गई कम्पनियों की संख्या	अवधि जिसके लिए तैनात किया गया
1	2	3
मार्च 1982	19	1-3-1982 से 7-3-1982
	9	8-3-82 से 31-3-82
अप्रैल 1982	21	1-4-82 से 30-4-82
मई 1982	21	1-5-82 से 3-5-82
जून 1982	21	1-6-82 से 6-6-82
	9	7-6-82 से 30-6-82
जुलाई 1982	27	1-7-82 से 31-7-82

1	2	3
अगस्त 1982	18	1-8-82 से 31-8-82
सितम्बर 1982	12	8-9-82 से 17-9-82
	12	19-9-82 से 30-9-82
अक्तूबर 1982	18	1-10-82 से 23-10-82
	13	24-10-82 से 31-10-82
नवम्बर 1982 से दिसम्बर 1982	7	1-11-82 से 31-12-82
जनवरी 1983	10	1-1-83 से 31-1-83
फरवरी से मई 1983	5	1-2-83 से 31-5-83
जून 1983	10	1-6-83 से 30-6-83
जुलाई 83 से सितम्बर 1983	5	1-7-83 से 30-9-83
अक्तूबर 83 से नवम्बर 1983	8	1-10-83 से 30-11-83
दिसम्बर 1983	14	19-12-83 से 31-12-1983
जनवरी 1984	3	1-1-84 से 31-1-84
फरवरी 1984	2	1-2-84 से 29-2-84
मार्च 1984	2	1-3-84 से 31-3-84
अप्रैल 1984	2	1-4-84 से 30-4-84
मई 84 से जून 1984	4	1-5-84 से 30-6-84
जुलाई 1984	2	1-7-84 से 31-7-84
अगस्त 84 से अक्तूबर 1984	4	1-8-84 से 31-10-84
नवम्बर 1984	6	1-11-84 से 30-11-84
दिसम्बर 1984	12	20-12-84 से 22-12-84
	15	23-12-84 से 24-12-84
	10	25-12-84 से 31-12-84
जनवरी 1985	10	1-1-85 से 4-1-85
फरवरी 1985	12	26-2-85 से 28-2-85

1-3-1982 से 28-2-1985 तक की अवधि के दौरान बिहार में सी० सु० बल की तैनाती

महीना और वर्ष	तैनात की गई कम्पनियों	अवधि जिसके लिए तैनात किया गया
मार्च 1982	3	28-3-82 से 8-4-82
	1	28-3-82 से 11-4-82
	1	28-3-82 से 16-4-82
अप्रैल 1983	3	20-4-83 से 27-4-83
दिसम्बर 1983	9	14-12-83 से 25-12-83
	4	15-12-83 से 26-12-83
	5	16-12-83 से 26-12-83
दिसम्बर 1984	6	18-12-84 से 31-12-84
	5	16-12-84 से 31-12-84
	5	18-12-84 से 31-12-84
	2	22-12-84 से 31-12-84
	14	19-12-84 से 31-12-84
फरवरी 1985	5	23-2-85 से 10-3-85
	18	25-2-85 से 10-3-85
	5	27-2-85 से 10-3-85
	10	28-2-85 से 10-3-85
	11	28-2-85 से 16-3-85

इलेक्ट्रोनिक्स सामान के उपभोक्ताओं को रियायतें

*762. **श्री आनन्द सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि सरकार द्वारा इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग को दी गई करों में रियायतें और नियन्त्रणों में छूट का लाभ उद्योग द्वारा उपभोक्ताओं तक नहीं दिया गया है;

(ख) यह देखने हेतु क्या कोई अध्ययन किया गया है कि उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से करों में दी गई रियायतें उद्योग द्वारा किस सीमा तक अपने पास रख ली गई हैं; यदि हां, तो इस अध्ययन का क्या निष्कर्ष निकला है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है कि ये रियायतें उपभोक्ताओं तक यथार्थ रूप से पहुंचाई जायें।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) दिल्ली में दिनांक 21 फरवरी, 1985 को ए० आई० एम० ओ० द्वारा "इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में पूंजीनिवेश के अवसर" विषय पर आयोजित संगोष्ठी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह बताया था कि उद्योग को दी गई कई रियायतें, जिनमें नियंत्रण में की गई कटौती भी शामिल है, उपभोक्ताओं को उस प्रकार उपलब्ध नहीं कराई गई, जिस प्रकार कराई जानी थी। 'इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के लिए अगस्त, 1983 में घोषित आर्थिक सुविधाओं के फलस्वरूप विभिन्न विनिर्माताओं द्वारा संघटक-पुर्जों तथा उपस्करों के मूल्यों में कमी की गई है, लेकिन सरकार ने यह महसूस किया कि 51 से० मी० पर्दे के आकार वाले रंगीन दूरदर्शन सेट लगभग 5000 रु० पर उपलब्ध होने चाहिए, जिसमें स्थानीय कर अलग से प्रभावित होंगे।

(ख) यद्यपि इलेक्ट्रॉनिकी के समूचे आयाम के सम्बन्ध में कोई विस्तृत अध्ययन नहीं किया गया है, तथापि सरकार ने रंगीन दूरदर्शन सेटों की कीमत कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सरकार के पास इस बात का पता लगाने के लिए कोई तंत्र नहीं है कि उद्योग के किसी क्षेत्र को जो रियायतें दी गई हैं उन सभी रियायतों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है अथवा नहीं। एक बार जब रियायतों की घोषणा कर दी जाती है, तब मूल्यों को कम करने के सम्बन्ध में बाजार को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। और रंगीन दूरदर्शन सेटों की कीमतें निरन्तर कम होते रहने के रुख में यही बातें देखी जा सकती हैं।

विवरण

रंगीन दूरदर्शन सेटों की कीमत कम करने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) उत्पादन क्षमताओं पर ऊपरी सीमा लगाए बिना औद्योगिक अनुमोदन उदारता से जारी करना ताकि उत्पादन के लिए आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य स्तर के लक्ष्य को हासिल किया जा सके और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिले।

(ii) आयातित कच्ची सामग्रियों/संघटक पुर्जों पर से सीमा-शुल्क, उत्पादन शुल्क में कमी आदि करके सरकारी कराधान में कटौती।

(iii) दूरदर्शन सेटों के विनिर्माण की समीक्षा करने तथा प्रगति पर निगरानी रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त दूरदर्शन समन्वय समिति का गठन किया है जिसमें भारतीय दूरदर्शन विनिर्माता संघ तथा इलेक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जा उद्योग संघ के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं। उक्त समिति की विभिन्न बैठकों में रंगीन दूरदर्शन सेटों के लिए ली जाने वाला अधिकतम कीमत के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया गया है। 16 अगस्त, 1984 को आयोजित इस समिति की बैठक में भारतीय दूरदर्शन विनिर्माता संघ ने यह वचन दिया था कि दिनांक 15 अक्तूबर, 1984 से ग्राहकों को प्राप्त होने वाले रंगीन दूरदर्शन सेटों की कीमत

इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनर सहित 7500 रु० तथा टैरेट ट्यूनर सहित 7000 रु० से अधिक नहीं होगी जिसमें दिल्ली में लगने वाले सभी कर तथा एक साल की गारन्टी शामिल होगी।

इसके अलावा, दिनांक 21 दिसम्बर, 1984 को आयोजित इस समिति की बैठक में भारतीय दूरदर्शन विनिर्माता संघ से अनुरोध किया गया था कि वे अपने सभी सदस्यों को सलाह दें कि वे भारत के सभी रंगीन दूरदर्शन विक्रेताओं की सूची तथा विभिन्न माडल के रंगीन दूरदर्शन सेटों की कीमतों की सूची, जिसमें ग्राहकों से लिए जाने वाले सभी कर तथा एक साल का समाश्वासन शामिल हो, उपलब्ध कराएं। भारतीय दूरदर्शन विनिर्माता संघ ऐसा करने के लिए राजी हो गया। ये सूचियां आम जनता के लिए प्रकाशित की जाएंगी।

(iv) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कारपोरेशन (ई० टी० एण्ड टी०) नामक सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम "सामग्री प्रौद्योगिकी तथा ब्राण्ड नाम (एम० टी० बी०)" नामक अपने कार्यक्रम के अन्तर्गत उचित लागत पर बढ़िया क्वालिटी की वस्तुओं का उत्पादन करने के उद्देश्य से उद्योग को थोक मात्रा में आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति करके और साथ-साथ आवश्यक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराके सहायता प्रदान करेगा। आशा की जाती है कि इस योजना के अन्तर्गत विनिर्मित रंगीन दूरदर्शन सेट बाजार में इस समय बेचे जा रहे रंगीन दूरदर्शन सेटों की कीमतों से कम कीमत पर उपलब्ध होंगे।

(v) ई० टी० एण्ड टी० रंगीन दूरदर्शन के विभिन्न विनिर्माताओं को पर्याप्त मात्रा में रंगीन पिक्चर ट्यूबों की आपूर्ति करेगा।

(vi) दिनांक 18 अगस्त, 1983 को संसद में की गई घोषणा के अनुसार।

(क) रंगीन दूरदर्शन ट्यूबों, एकीकृत परिपथों, प्रतिरोधकों, संधारित्रों आदि जैसे आयातित संघटक-पुर्जों पर लगने वाला सीमा शुल्क 158% से घटाकर 75% कर दिया गया है।

(ख) रंगीन दूरदर्शन रिसीवरों के विनिर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत उपस्करों पर लगने वाला सीमा शुल्क 35% से घटाकर 25% कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 51 से० मी० तक के पर्दे के आकार वाले रंगीन दूरदर्शन रिसीवर सेटों पर उत्पादन शुल्क 25% (+5% अधिभार) से घटाकर 15% कर दिया गया है। इसे हाल ही में प्रति सेट 900 रु० में परिवर्तित किया गया है।

आशा की जाती है कि उपर्युक्त कदम उठाए जाने के फलस्वरूप तथा बाजार में पड़ने वाले प्रभाव के कारण रंगीन दूरदर्शन सेट उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध होने लगेंगे।

उड़ीसा के आदिवासी जिलों का विकास

*763. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के आदिवासी जिलों के नाम क्या हैं;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इन जिलों के विकास के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई और इन जिलों के आदिवासी लोगों के विकास के लिए किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ये जिले अभी भी हर मामले में पिछड़े हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इन जिलों के विकास के लिए आबंटित की जाने वाली वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) उड़ीसा में कोरापुट, मयूरभंज और सुन्दरगढ़ के सम्पूर्ण जिले और (क) क्योंझर (ख) दक्षिण खोंडामल (ग) कलाहंडी (घ) गंजम (ङ) सम्बलपुर तथा (च) बलसौड़ के भाग अधिक आदिवासी जनसंख्या वाले जिले हैं।

(ख) राज्य में अनुसूचित जनजातियों और आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए छठी योजना का आबंटन 68607.70 लाख रुपये था।

(ग) छठी योजना के दौरान व्यय 66959.55 लाख रुपये था। शुरू किए गए कार्यक्रमों में (1) मूल संरचनात्मक (2) आय प्रजनन योजना (3) शैक्षिक विकास कार्यक्रम और (4) शोषण विरोधी उपाय शामिल थे।

(घ) यह कहा जा सकता है कि ये कई मामलों में अपेक्षाकृत पिछड़े हैं।

(ङ) योजना आयोग सातवीं योजना के दौरान आबंटित की जाने वाली राशि को अन्तिम रूप दे रहा है।

थुम्बा इक्वेटोरियल राकेट लांचिंग स्टेशन का विकास

764. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम में "थुम्बा इक्वेटोरियल राकेट लांचिंग सेन्टर" के विकास का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) 1960 दशाब्द के प्रारम्भ में स्थापित थुम्बा भूमध्य रेखीय राकेट प्रक्षेपण केन्द्र (टर्स) परिशापी राकेट परीक्षणों के आयोजन में बड़ी संख्या में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की सेवा कर रहा है। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की एक यूनिट के रूप में इन आवश्यकताओं की सेवा के लिए इसका पर्याप्त रूप में अनुरक्षण किया जाता है और राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों की सहायता के लिए समय-समय पर आवश्यकतानुसार इसका विस्तार किया जाता है।

अम्लयुक्त वर्षा

765. श्री बेज़वाड़ा पापी रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अम्ल-युक्त वर्षा की कोई घटनायें हुई हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अम्ल-युक्त वर्षा से अल्पकालीन और दीर्घकालीन क्या हानियां हुई; और

(ग) क्या निवारक वर्षा उपायों के किए जाने से अम्ल-युक्त वर्षा कम हुई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में एसिड वर्षा की घटनाओं की कोई निश्चित सूचनाएं नहीं हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

रस्सी से फांसी पर लटकाने की पद्धति

*766. **श्री एन० डेनिस** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रस्सी द्वारा फांसी देने की पद्धति का इस समय पालन किया जा रहा है;

(ख) क्या रस्सी द्वारा फांसी पर लटकाने की चालू प्रणाली को बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या परिवर्तन करने का विचार किया गया है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

निजी पार्टियों के लिए वायुयान का आयात

*767. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीसरे वर्ग की विमान सेवा चलाने के लिए निजी पार्टियों को विमानों के आयात की अनुमति देने का निर्णय किया है जिनमें बड़े व्यापारिक घरानों के उपयोग के लिए एक्सक्यूटिव विमान और प्राइवेट हवाई टैक्सी सेवाओं हेतु छोटे 6 सीटों वाले विमान होंगे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) सरकार ने तृतीय स्तरीय विमान परिवहन सेवाओं अथवा विमान टैक्सी सेवाओं को चलाने के लिए निजी पार्टियों को विमानों के आयात की अनुमति देने का कोई निर्णय नहीं किया है। देश में तृतीय स्तरीय विमान परिवहन सेवाओं की व्यवस्था वायुदूत द्वारा की जा रही है।

सरकार की नीति केवल बहुत ही विशिष्ट मामलों में व्यापारिक/औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा कार्यकारी विमानों का आयात की अनुमति देने की है तथा तदनुसार वर्ष 1983, 1984 और चालू वर्ष में किसी व्यापारिक/औद्योगिक प्रतिष्ठान को कोई आयात लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।

नई प्रशासनिक व्यवस्था का कार्यान्वयन

*768. श्री प्रताप भानु शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों और प्रशासन और प्रबन्ध से सम्बन्धित विभिन्न संस्थाओं से प्रशासनिक सुधारों के सम्बन्ध में सुझाव मांगे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने के लिए अस्थायी समयबद्ध कार्यक्रम क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) तथा (ख) जी, नहीं।

(ग) चूंकि प्रशासनिक सुधार एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है, अतः प्रशासनिक परिवर्तनों के कार्यान्वयन के लिए एक निश्चित समय-सूची तैयार नहीं की जा सकती। इस सम्बन्ध में पहले ही कुछ उपाय किए जा चुके हैं। मंत्रालयों से यह कहा गया है कि वे यथासम्भव कम से कम समय में अपनी-अपनी कार्य-पद्धति में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए कार्य-योजनायें तैयार करें।

राजस्थान में रेगिस्तानी क्षेत्रों का विकास करने हेतु गाडगिल फार्मूले का कार्यान्वयन

[हिन्दी]

*769. श्री विष्णु मोदी : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राज्य में रेगिस्तानी क्षेत्र का विकास करने हेतु केन्द्रीय सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके विकास के लिए कोई केन्द्रीय योजना बनाने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्य सरकार द्वारा भेजी गई गाडगिल फार्मूला रिपोर्ट के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नारायणन) : (क) जी, हां। राजस्थान सरकार ने रेगिस्तान विकास कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता के पैटर्न में परिवर्तन का सुझाव दिया है।

(ख) और (ग) सातवीं योजना को अन्तिम रूप देने के सन्दर्भ में राज्य सरकार के सुझाव पर गौर किया जाएगा।

(घ) और (ङ) राजस्थान सरकार ने राज्यों के लिए केन्द्रीय सहायता के परिशोधित गाडगिल फार्मूले में कुछ परिवर्तनों का भी सुझाव दिया है। परिशोधित गाडगिल फार्मूले में किसी परिवर्तन के बारे में निर्णय राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाएगा।

भारत और संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा संयुक्त अनुसंधान

[अनुवाद]

770. डा० कृपा सिंधु भोई : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और संयुक्त राज्य अमरीका ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में संयुक्त अनुसन्धान के लिए कई नए क्षेत्र चुने हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में हुए समझौतों का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) जी हां, सम्भव सहयोग के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भारत-अमरीकी उपयोग की हाल ही में समाप्त हुई बैठक में निम्नलिखित क्षेत्रों का अभिनिर्धारण किया गया—

(1) स्वास्थ्य, चिकित्सा और जीवन विज्ञान।

(2) भौतिक विज्ञान।

(3) वायुमण्डलीय, भूमि और समुद्री विज्ञान।

(4) ऊर्जा।

(5) पर्यावरण और परिस्थिति विज्ञान।

(6) सूचना विज्ञान और प्रौद्योगिकी।

दक्षिणी दिल्ली में स्टोन क्रशर्स द्वारा बजरी स्टोन (डस्ट) का उड़ना

5542. श्री सनत कुमार मंडल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में 100 से अधिक स्टोन क्रशर्स द्वारा पत्थरों की रोड़ी बनाये जाने के परिणामस्वरूप रात-दिन बजरी का गुब्बार छाये रहने से इस क्षेत्र के 20,000 से अधिक ग्रामवासियों को खतरा है;

(ख) क्या लम्बे अर्से तक सांस के साथ धूल के शरीर में जाने और साथ ही पानी साफ न होने तथा बेरोजगारी और निर्धनता के परिणामस्वरूप कुपोषण के कारण इस क्षेत्र में तपेदिक और फेफड़ों का कैंसर जैसे घातक रोगों का प्रकोप है;

(ग) क्या इस धूल के कारण ही नेहरू प्लेस, कालकाजी और ग्रैटर कैलाश जैसे आसपास के क्षेत्रों में लोगों को खारिश महसूस होती है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या उपाय करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिंहा) : (क) और (ख) यह सच है कि दक्षिणी दिल्ली के कुछ गांवों में स्टोन क्रशर्स द्वारा उत्पन्न धूल से धूल प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है जो मानव स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं समझा जाता।

(ग) इसके परस्पर सम्बन्ध की पुष्टि करने के लिए कोई स्पष्ट सबूत प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) दिल्ली नगर निगम ने स्टोन क्रशर्स के नजदीकी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधायें बढ़ा दी हैं। उन्होंने समस्या को नियंत्रित/कम करने की दृष्टि से धूल प्रदूषण के मामले को सलाह के लिए विशेषज्ञों को भी भेजा है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में विदेशी सामाजिक संगठनों का काम करना

5543. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समूचे देश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में विदेशों में कितने सामाजिक संगठन कार्य कर रहे हैं;

(ख) उक्त संगठनों और उनकी गतिविधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके वित्तीय स्रोत क्या हैं तथा गत पांच वर्षों के दौरान उन्होंने नकद और वस्तुओं के रूप में कितना धन खर्च किया है;

(घ) क्या सरकार द्वारा गतिविधियों और खर्च की जांच-पड़ताल की गई है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उन भारतीय संगठनों के नाम क्या हैं जिनके इन विदेशी संगठनों के साथ सम्बन्ध हैं; और

(च) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिंहा) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभापटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में पांचतारा होटलों में हुई मौतें

[हिन्दी]

5544. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले दो वर्षों के दौरान दिल्ली के पांचतारा होटलों में कितनी मौतें हुईं; और

(ख) पांचतारा होटलों में ठहरने वाले पर्यटकों की भविष्य में सुरक्षा के लिए सरकार का क्या सुरक्षा प्रबन्ध करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलौत) : (क) पर्यटन विभाग को होटलों में हुई मौतों के सम्बन्ध में आंकड़े प्राप्त नहीं होते अथवा वह उनका हिसाब नहीं रखता तथापि, होटलों/उनके निगमित कार्यालयों से एकत्र की गई सूचना के अनुसार पिछले दो वर्षों में दिल्ली के 5-स्टार होटलों में 6 मामलों में मौतें हुई हैं।

(ख) सभी 5-स्टार होटलों में, उनके यहां ठहरे पर्यटकों की सुरक्षा के लिए, उनके अपने विस्तृत सुरक्षा-प्रबन्ध हैं। विभाग की होटल व रेस्तरां अनुमोदन और वर्गीकरण समिति, अपने पूर्ववर्ती और परवर्ती निरीक्षणों के दौरान इन प्रबन्धों की जांच करती है।

भारतीय राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

[अनुवाद]

5545. **श्री अनादि चरण दास** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण विभाग में और इसके भुवनेश्वर स्थित कार्यालय में 1 मार्च, 1982 और 1 मार्च, 1985 को श्रेणी-वार कुल कितने कर्मचारी थे;

(ख) उपरोक्त कार्यालयों में उपरोक्त तिथियों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित-जनजातियों के श्रेणी-वार कितने कर्मचारी थे;

(ग) क्या वहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों से सम्बन्धित आरक्षण नियमों का अनुपालन किया जा रहा है और रोस्टर रखा जा रहा है;

(घ) यदि इसमें किसी प्रकार की कमी आई हो तो उसके क्या कारण हैं और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए आरक्षित कोटे को भरने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने आरक्षित पद निरस्त किए गए थे और क्या उक्त मामलों में पदों को आगे जाने सम्बन्धी नियमों को लागू किया गया था ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ङ) सूचना देश भर में फैले हुए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारत और बंगलादेश के बीच विवादग्रस्त मामले

5546. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अपनी ओर बंगलादेश के बीच विवादग्रस्त मामलों का बातचीत द्वारा हल ढूंढ़ने की इच्छा प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो विवादग्रस्त मामलों का स्वरूप क्या है;

(ग) भारत के सुझाव के प्रति बंगलादेश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) विवादग्रस्त मामलों का हल ढूंढ़ने के बातचीत के कब आरम्भ होने की सम्भावना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) अधिक महत्वपूर्ण मसले जिनका समाधान नहीं हुआ है—गंगा के प्रवाह में वृद्धि और उसके जल के बटवारे का सवाल, बंगलादेश से बड़े पैमाने पर और सतत अवैध आप्रवासन तथा

भारतीय राष्ट्रिकों की और उनके बंगलादेशी भागीदारों की बंगलादेश में सम्पत्ति के निपटारे का सवाल ।

जहां तक तीन बीघा का सवाल है सरकार इस गलियारे को पट्टे पर बंगलादेश को सौंपने के लिए वचनबद्ध है ।

इसके अतिरिक्त कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर दोनों पक्ष विचार-विमर्श करते रहते हैं, ये हैं : समुद्री सीमा का अंकन; दोनों देशों में बहने वाली सीमावर्ती नदियों की समस्यायें और तीस्ता के पानी का बटवारा आदि ।

(ग) बंगला देश के नेताओं ने, जिनमें राष्ट्रपति इरशाद शामिल हैं, बातचीत के द्वारा अनिर्णीत मसलों का समाधान करने के लिए सरकार की पहलकदमी की सराहना की है ।

(घ) कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथा अत्यावश्यक मसलों का समाधान करने के लिए शीघ्र बातचीत की जाएगी ।

वन्य भूमि पर खनन कार्य का प्रभाव

5547. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वन्य भूमि पर खनन कार्य के प्रभाव के सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो खनन कार्यों के परिणामस्वरूप राज्यों में वन सम्पत्ति का किस सीमा तक प्रयोग हुआ है; और

(ग) खनन कार्यों द्वारा होने वाले वनों के विनाश को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) से (ग) समूचे देश के लिए वन्य भूमि पर खनन कार्यों के गहन प्रभाव का मूल्यांकन उपलब्ध नहीं है। 25-10-1980 से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के बनने से किसी भी गैर-वानिकी कार्यों के लिए वन भूमि का उपयोग करने के लिए केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऐसी स्वीकृति देने से पहले प्रत्येक प्रस्ताव की ध्यानपूर्वक जांच की जाती है और वनों की क्षति को, अगर रोका नहीं गया, तो उसे कम से कम करने के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय निर्धारित किए जाते है । खनन परियोजनाओं के मामले में यह विनिर्दिष्ट है कि खनन कार्य पूरा होने के पश्चात् क्षेत्र को पुनःस्थापित और पुनःरोपित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, खनन परियोजना के नामे डालकर क्षति पूरक वन रोपण का निर्धारण किया जाता है ।

लद्दाख के मठों में तैलचित्र

5548. **श्री के० रामचंद्र रेड्डी** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख के मठों की दीवारों पर बहुत अधिक संख्या में भीतिचित्र हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास इन भीतिचित्रों की रंगीन फिल्में हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय संग्रहालय और अन्य संस्थानों के कर्मचारियों ने लद्दाख का दौरा किया है और इन तैलचित्रों को देखा है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या भारत में उपलब्ध चित्रों की तुलना में पश्चिम जर्मनी में कोलोन और अन्य पश्चिमी देशों के संग्रहालय में इन तैलचित्रों का बेहतर और पूर्ण संग्रह है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां, यहां असंख्य बौद्ध मठ हैं जिनमें होमेस, ऐल्ची एवं शेय जैसे प्रमुख मठ भी सम्मिलित हैं। इनमें सुन्दर भित्ति-चित्र बने हैं जिनमें बुद्ध के जीवन और बौद्धिस्तवों से सम्बन्धित दृश्यों का चित्रण किया गया है।

(ख) जी, हां। सर्वेक्षण ने रंगीन भित्ति-चित्रों का प्रलेखन किया है और कार्यालय के पास इन चित्रों की रंगीन ट्रांसपेरेंसी रंगीन निगेटिव और काले तथा सफेद फोटो भी हैं।

(ग) राष्ट्रीय संग्रहालय के स्टाफ ने लद्दाख का दौरा नहीं किया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों ने लद्दाख का दौरा किया है और हेमिस, ऐल्ची, शेय एवं अन्य मठों के चित्रों का प्रलेखन भी किया है।

(घ) प्रमाणित संदर्भों के अनुसार ऐल्ची के फोटो-संग्रह के चित्र, अभिलेखागार कोलोगोन संग्रहालय में हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने लद्दाख में भित्ति-चित्रों एवं स्मारकों का प्रलेखन पहले ही कर लिया है।

भूमि विकास बोर्ड

5549. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में एक राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस बोर्ड के गठन का ब्यौरा क्या है और उसके कृत्य क्या होंगे;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां।

(ख) ईंधन की लकड़ी और चारे के वृक्षारोपण के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष 50 लाख हैक्टार भूमि को लाने के उद्देश्य से बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड की संरचना और कार्यों के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण-एक सभापटल पर रख दिया गया है।

(ग) और (घ) विभिन्न भू-उपयोग सर्वेक्षणों से भूमि कटाव, अवक्रमण और अपर्याप्त उपयोग के अन्य आकारों के तहत भूमि की मात्रा के अनुमानों का पता चला है। ब्यौरा विवरण-दो के रूप में संलग्न है।

विवरण-एक

राष्ट्रीय अकृष्य भूमि विकास बोर्ड

संरचना

बोर्ड की संरचना निम्न होगी—

—	डा० (श्रीमती) कमला चौधरी	—	अध्यक्ष
—	अध्यक्ष, ऊर्जा सलाहकार बोर्ड	—	सदस्य
—	संसद के तीन सदस्य	—	सदस्य
—	कृषि और सहकारिता विभाग ग्रामीण विकास विभाग पर्यावरण विभाग, में भारत सरकार के सचिव		
—	सचिव वित्त, (व्यय)	—	सदस्य (वित्त)
—	सचिव, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग और महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्	—	सदस्य
—	विशेष सचिव (वन और वन्य प्राणि) वन महानिरीक्षक स्वैच्छिक एजेंसियों, सहकारी संस्थाओं आदि (छः से अधिक नहीं) के प्रतिनिधि, जिन्हें सम्बन्धित एजेंसी के परामर्श से अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाना है।	—	सदस्य
—	सचिव, वन और वन्य प्राणि विभाग	—	सदस्य-सचिव

बोर्ड आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों का सहयोजन करेगा।

भूमिका और कार्य :

बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य वन रोपण और वृक्षारोपण के एक वृहत कार्यक्रम के अन्तर्गत देश की अकृष्य भूमि का उत्पादनकारी उपयोग करना होगा। इस सम्बन्ध में यह बोर्ड निम्नलिखित मुख्य कार्य शुरू करेगा।

1. समग्र राष्ट्रीय नीति के भीतर देश में अकृष्य भूमि के प्रबन्ध और विकास के लिए सदर्श योजना और कार्यक्रम तैयार करना।

2. देश में उस अकृष्य भूमि का पता लगाना जिसे बोर्ड के कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जाना है।

3. सरकार के भीतर और बाहर विभिन्न एजेंसियों द्वारा अकृष्य भूमि के विकास के लिए कार्यक्रमों और योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करना।

4. सरकार और अन्य एजेंसियों के माध्यम से अकृष्य भूमि के विकास सम्बन्धी परियोजनाओं और योजनाओं को स्वीकृति देना ।

5. अकृष्य भूमि के विकास के लिए उपयुक्त एजेंसियों की परियोजनाओं और योजनाओं पर विचार करना और धनराशि वित्तीय सहायता देना ।

6. गैर-सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक एजेंसियों और जन समूह, जिसमें भूमिहर शामिल हैं, के सक्रिय सहयोग से देश में अकृष्य भूमि के विकास का सम्बर्धन, प्रोत्साहन और वित्त प्रदान करना ।

7. अकृष्य भूमि विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए आवश्यक जनशक्ति, निधि और अन्य आदानों को गतिशील बनाने की दृष्टि से केन्द्र और राज्य सरकार के विभागों, एजेंसियों, स्थानीय निकायों और स्वैच्छिक एजेंसियों के साथ सहयोग करना ।

8. अकृष्य भूमि के विकास के लिए प्रबन्ध पद्धतियों के सम्बन्ध में उपयुक्त प्रौद्योगिकी के विकास में सहायता देना ।

9. अकृष्य भूमि के विकास से सम्बद्ध पहलुओं पर एक विश्वसनीय आंकड़ा आधार और प्रलेखन केन्द्र का सृजन करना ।

10. बढ़िया प्रमाणीकृत रोपण सामग्री और बीजों की सप्लाई के लिए नर्सरियों और "बीज बैंकों" के कार्य तन्त्र का सम्वर्धन ।

11. अकृष्य भूमि के इष्टतम विकास और उपयोग के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रशिक्षण सामग्री का सम्वर्धन ।

12. बोर्ड और इसकी अकृष्य भूमि विकास योजनाओं के लिए बजट सम्बन्धी मांगें तैयार करना ।

13. अकृष्य भूमि विकास कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता देने के लिए वित्तीय संस्थाओं के साथ पारस्परिक कार्य करना ।

14. विशेष रूप से शिक्षा पद्धति के माध्यम से अकृष्य भूमि के विकास के पक्ष में सामान्य जागरूकता पैदा करना ।

15 विशिष्ट योजनाओं के सम्बन्ध में परियोजनायें/योजनायें/कागजात, रिपोर्टें आदि तैयार करने के प्रयोजन से अध्ययन कार्य करना अथवा विशेषज्ञों के दल का गठन करना ।

16. आम लोगों से मामलों के बारे में राष्ट्रीय भू-उपयोग और संरक्षण बोर्ड के साथ सहयोग करना ।

17. अकृष्य भूमि के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सभी अन्य उपायों पर विचार करना और उन्हें शुरू करना ।

विवरण दो

भूमि उपयोग का ब्यौरा (कृषि और सहकारिता विभाग के मृदा और जल संरक्षण प्रभाग के अनुसार) नीचे दिया गया है। 1980-81

	दस लाख हैक्टार	टिप्पणी
1. भौगोलिक क्षेत्र	328.778	—
2. भूमि उपयोग सम्बन्धी सांख्यिकी आंकड़ों के लिए क्षेत्र, जिसके सम्बन्ध में रिपोर्ट दी गई है।	304.167	
2.1 वन	67.421	वन और वन्य प्राणि विभाग के अनुसार 31-12-83 को सामंजस्य के तहत आंकड़े 75.062
2.2 खेती के लिए उपलब्ध नहीं		
2.2.1 गैर-कृषि कार्यों में उपयोग की गई भूमि	19.425	
2.2.2 बंजर और अकृष्य भूमि	20.167	
3. पतरी भूमि को छोड़कर अन्य अकृष्य भूमि		
3.1 स्थायी चरागाह	12.008	
3.2 विविध वृक्ष की फसलों और उपवन के अन्तर्गत भूमि, जिसे बोये गये निवल क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है।	3.494	
3.3 खेती योग्य कृष्य भूमि	16.728	
4. परती भूमि		
4.1 चालू परती भूमि के अलावा परती भूमि	9.817	
4.2 चालू परती भूमि	14.810	
5. बोया गया निवल क्षेत्र	140.270	

अवक्रमण के विभिन्न घटकों के अनुसार अनुमानित भूमि नीचे दी गई है :

क्रम संख्या	अवक्रमण व घटक	क्षेत्र (लाख हैक्टार में)
1.	जल और वात क्षरण (वात क्षरण और सूखे से प्रभावित 387.4 लाख हैक्टार क्षेत्र शामिल है, जिसमें 70.0 लाख हैक्टार बालू के टीला से भी प्रभावित हुआ है।)	150.00
2.	जल.लग्नता	6.00
3.	क्षारीयता	2.50
4.	लवणता (इसमें तटीय बालू क्षेत्र शामिल है)	5.50
5.	खो-खड्ड वाली भूमि और गली	4.00
6.	झूम खेती	4.33
7.	नदीय और प्रवाह	2.73
	कुल	175.06

इन अनुमानों को अद्यतन किया जा रहा है।

भूमिगत मिजो नेशनल फ्रंट और ट्राइबल नेशनल वालंटियरों द्वारा धनराशि एकत्रित किया जाना

5550. **श्री धर्मवीर सिंह त्यागी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचार के अनुसार जब से लालडेंगा और केन्द्र के बीच शांति वार्ता शुरू हुई है तब से पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भूमिगत मिजो नेशनल फ्रंट और ट्राइबल नेशनल वालंटियरों (टी० एन० बी०) द्वारा क्रमशः 50 लाख रुपये और 21 लाख रुपये का तथाकथित कर जबरदस्ती एकत्रित किया गया है;

(ख) क्या सरकार अब भी लालडेंगा से बातचीत जारी रखना चाहती है; और

(ग) क्या सरकार ट्राइबल नेशनल वालंटियरों के छिपकर बंगलादेश में प्रवेश करने सम्बन्धी मामले पर उस देश की सरकार के साथ बातचीत करेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिंहा) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार नवम्बर, 1984 में वार्ता प्रारम्भ होने के बाद से मिजो नेशनल फ्रंट ने 11 लाख रुपये का चन्दा (कर नहीं) एकत्र किया। मिजो नेशनल फ्रंट के साथ वार्ता प्रारम्भ होने के बाद से टी० एन० बी० ने कर के रूप में 1 लाख रुपये एकत्र किए।

(ख) श्री लालडेंगा के साथ वार्ता अभी जारी है।

(ग) बंगलादेश सरकार के साथ राजनयिक माध्यमों के जरिए मामला उठाया गया है।

अश्लील साहित्य के प्रकाशन के विरुद्ध कठोर कानून

[हिन्दी]

5551. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बलात्कार करने वाले तथा अश्लील साहित्य खरीदने, बेचने और इसके प्रकाशित करने वाले अपराधी देश में कठोर कानून न होने के कारण न्यातालयों में आसानी से बच जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप यह बुराई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार संविधान में संशोधन करके उक्त कानून को कठोर बनाने का है ताकि ऐसे अपराधियों को दंडित किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिंहा) : (क) से (ग) यह कहना सही नहीं है कि इन अपराधों के लिए जिन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जाता है, वे कठोर कानून न होने के कारण बच जाते हैं। किसी अपराधी को किसी न्यायालय द्वार दोषसिद्धी प्रत्येक मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर निर्भर करती है। संविधान में संशोधन करने का प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में बायोगैस को लोकप्रिय बनाने के लिए कदम

[अनुवाद]

5552. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में बायोगैस को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या उड़ीसा में बायोगैस सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत उपभोक्ताओं ने इसमें कम रुचि दिखाई है;

(ग) क्या प्रतिदिन बेकार हो रही गैस का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्षमता के पूर्ण उपयोग के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिव राज वी० पाटिल) : (क) और (ख) एक केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना "बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना" (एन० पी० बी० डी०) उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वयन के अधीन है। यह परियोजना केन्द्रीय राज-सहायता, टर्न-की जाब फीस, संवर्धनात्मक नकद प्रोत्साहन, स्टाफ सहायता, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम मरम्मत खर्च आदि प्रदान करती है। इसी प्रकार से सामुदायिक और संस्थागत बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए एक केन्द्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन के अधीन है। उड़ीसा राज्य सरकार, जोकि बायोगैस संयन्त्रों के संवर्धन के लिए एक नोडल एजेंसी है, ने हाल ही में उड़ीसा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी स्थापित की है। इन उपायों को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा में वर्ष 1984-85 के दौरान एन० पी० बी० डी० के लिए अनुक्रिया उत्साहवर्धक रही है।

(ग) और (घ) उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित पारिवारिक आकार के संयन्त्रों की प्रचालन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन सर्वेक्षण अध्ययन की स्वीकृति दे दी गई है। उड़ीसा में मूल्यांकन सर्वेक्षण अध्ययन प्रगति पर है। बायोगैस संयन्त्रों की स्थापना के बाद उनकी सर्विस और पूर्ण उपयोगिता के लिए उड़ीसा नवीकरणों ऊर्जा विकास एजेंसी उत्तरदायी है।

अंटार्कटिका अध्ययन केन्द्र

5553. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या प्रधान मंत्री अनुसन्धान गति विधियों के लिए अंटार्कटिका अध्ययन केन्द्र के बारे में 10 अप्रैल, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2386 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस केन्द्र के लिए अपेक्षित कुछ उपकरणों का आयात किया जाएगा;

(ख) क्या पश्चिम जर्मनी की एक नौवहन कम्पनी ने ऐसे कामों के लिए एम० वी० फिन मोलेरिस जहाजों की तुलना में अधिक आधुनिक और सुसज्जित जहाजों का विकास किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उपरोक्त अभियान के लिए पश्चिम जर्मनी स्थितउक्त नौवहन कम्पनी के कितने जहाज उपलब्ध हैं और बर्फ की चट्टानों को तोड़ने वाले यंत्र को संरचना के लिए आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) अंटार्कटिका अध्ययन केन्द्र के लिए अपेक्षित उपकरण के ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ख) चूंकि पश्चिम जर्मनी में किसी जहाज या नौवहन कम्पनी का नाम विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, इसलिए प्रश्न के इस भाग का उत्तर देना सम्भव नहीं है।

(ग) ऊपर भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन

5554. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1972 की योजना के अन्तर्गत स्वतन्त्रता सेनानियों और भूतपूर्व इंडियन नेशनल आर्मी के कर्मचारियों को 300 और 500 रुपये के हिसाब से दो पैमाने की पेंशन दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस तरह के भेदभाव का आधार क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय की गैर सरकारी सलाहकार समिति ने 21 जुलाई, 1984 की अपनी बैठक में सिफारिश की थी कि यह पेंशन 500 रुपये की एक समान दर से स्वीकृत की जानी चाहिए;

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) स्वतन्त्रता सेनानियों और भूतपूर्व इंडियन नेशनल आर्मी कर्मचारियों को पेंशन के अतिरिक्त अन्य क्या रियायतें दी जाती हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) इस समय जीवित स्वतन्त्रता सेनानियों (भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों सहित) के सम्बन्ध में स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना 1980 के अन्तर्गत पेंशन की राशि 300 रु० प्रतिमास है। किन्तु ऐसी स्वतन्त्रता सेनानी को जो 5 वर्ष अथवा अधिक समय के लिए जेल में रहा हो, को कुछ शर्तों के अन्तर्गत 500 रु० प्रति मास की बढ़ी हुई दर पर पेंशन स्वीकृत की जाती हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने गैर-सरकारी सलाहकार समिति द्वारा 21-7-1984 को हुई इसकी बैठक में, स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत 1-6-1985 से सम्मान पेंशन की मात्रा 500 रु० प्रतिमास तक बढ़ाने की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है।

(ङ) अधिकांश राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन स्वतन्त्रता सेनानी और उनके आश्रितों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं, छात्र-वृत्तियों, पुस्तकों और नकद अनुदान तथा मेडिकल तथा टेक्नीकल संस्थानों में आरक्षण के रूप में उनके बच्चों को शिक्षा सुविधाएं दे रहे हैं। कुछ राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन भूमि, आवास बोर्ड के मकानों और उचित दर दुकानों आदि के आवंटन में भी स्वतन्त्रता सेनानियों को अग्रता दे रहे हैं।

पुलिस हिरासत के दौरान बलात्संग के मामलों पर पुलिस सेमिनार

5555. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 अप्रैल, 1985 के टेलिग्राफ (कलकत्ता) में "बिद एवरी प्रोमोशन बी सुज ए लिटिल आफ अवर स्पाइन" शीर्षक से प्रकाशित एक प्रमुख लेख की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो "पुलिस सेमिनार" और विशेषकर पुलिस हिरासत के दौरान बलात्संग के मामलों के बारे में रिपोर्ट की विषयवस्तु के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) पुलिस के कार्यकरण को सुचारू बनाने और पुलिस अधिकारियों के बीच विश्वास की भावना पैदा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लेख पुलिस-समुदाय सम्बन्धों पर सेमीनार के संदर्भ में हैं जो जनवरी, 1985 में पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा आयोजित किया गया था।

(ख) उक्त सेमीनार में हिरासत के दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा औरतों के साथ बलात्कार के विषय पर कोई बातचीत नहीं हुई।

(ग) "पुलिस" राज्य का विषय होने के कारण, इस मामले में राज्य सरकारों को कदम उठाना है। इस बारे में राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने सिफारिशें की थीं और इसकी रिपोर्टें राज्य सरकारों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गयी हैं। भारत सरकार राज्य पुलिस बलों को आधुनिक बनाने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान कर रही है।

फर और खाल जैसी प्रतिबन्धित वस्तुओं का चोरी छिपे व्यापार

5556. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि श्रीनगर और भारत के अन्य भागों में, बर्फीले क्षेत्रों में पाये जाने वाले चीते सहित जो लुप्त प्रायः हो गया है, संकटापन्न जन्तुओं की फर और खालों जैसी प्रतिबन्धित वस्तुओं के चोरी छिपे व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस प्रकार के व्यापार को अब तक न रोके जा सकने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस प्रकार की अवैध वस्तुओं का व्यापार करने वाले बेईमान व्यापारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

पेड़ों की कटाई और लकड़ी की चोरी रोकने के लिए कदम

[हिन्दी]

5557. **श्री लाला राम केन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में, विशेषकर भरतपुर जिले में, देश के अन्य भागों की तरह पेड़ों की कटाई और लकड़ी की चोरी के मामलों में निरन्तर वृद्धि हो रही है जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण बिल्कुल बदल गया है, पहले की तुलना में कम वर्षा हो रही है और कुओं में पानी का स्तर नीचे चला गया है जिसके कारण पीने के पानी की समस्या दिन प्रतिदिन विकट होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो पेड़ों की कटाई और लकड़ी की चोरी रोकने के लिए क्या व्यवस्था की गई है; और

(ग) सघन वन विकास योजना के अन्तर्गत इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष कितने हजार वृक्ष लगाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) से (ग) राजस्थान राज्य सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

ऐतिहासिक तथा वाणिज्यिक रुचि के स्थानों के लिए वायुदूत सेवाएं

[अनुवाद]

5558. **श्री पी० पेंचालैया** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आर्थिक रूप से व्यवहारिक होने के दृष्टिकोण को छोड़कर दूरदराज के ऐतिहासिक तथा वाणिज्यिक रुचि के स्थानों के लिए वायुदूत सेवाओं मे वृद्धि करने और उनमें सुधार करने का है; और

(ख) क्या सरकार सड़क/रेल से न जुड़े हुए दूरदराज के स्थानों के लिए रियायती सेवाएं उपलब्ध करने पर भी विचार करेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलौत) : (क) और (ख) जी, नहीं ।

मथुरा तथा उसके ऐतिहासिक महत्व के अन्य स्थानों को सुन्दर बनाना

[हिन्दी]

5559. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिवर्ष समूचे देश और विदेशों से बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तर प्रदेश में भगवान कृष्ण की जन्म भूमि, मथुरा तथा वृंदावन और बरसाना जैसे उसके निकटवर्ती स्थानों को देखने आते हैं;

(ख) यदि हां, तो इन स्थानों के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए तथा पर्यटकों को प्रोत्साहन देने के लिए इन क्षेत्रों की प्रगति सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) मथुरा तथा ऐतिहासिक महत्व के उसके निकटवर्ती अन्य स्थानों को सुन्दर बनाने तथा ऐतिहासिक महत्व के प्राचीन मन्दिरों और वहां अन्य दर्शनीय स्थलों के विकास और जीर्णोद्धार के लिए सरकार द्वारा आगामी वर्षों में उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलौत) : (क) विदेशी और स्वदेशी पर्यटक एक बड़ी संख्या में मथुरा और वृन्दावन की यात्रा करते हैं । इन केन्द्रों की प्रति वर्ष यात्रा करने वाले पर्यटकों के विश्वस्त आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) और (ग) बृजभूमि की कला, संस्कृति, साहित्य और परम्पराओं का संरक्षण एवं विकास करने के लिए केन्द्रीय सरकार के अनुरोध पर राज्य सरकार ने बृजभूमि संरक्षण और विकास समिति नामक एक पंजीकृत सोसाइटी स्थापित की है । सोसाइटी इस क्षेत्र में पर्यटन का विकास करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं का अभिनिर्धारण करने और उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए भी जिम्मेदार है ।

1984-85 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने गोवर्धन परिक्रमा पर 1.15 लाख रु० की कुल लागत पर एक रास-लीला मंच के निर्माण के लिए अपनी मंजूरी दे दी थी और पेशगी के रूप में 1.00 लाख रु० राज्य सरकार को रिलीज किए गए थे ।

बृजभूमि परिक्रमा के विकास के लिए एक मास्टर प्लान तैयार की गई है और विकास योजना की रूपरेखा के अन्तर्गत सातवीं योजनावधि के दौरान प्रस्तावों पर राज्य सरकार से परामर्श करते हुए कार्रवाई की जाएगी ।

होटल प्रबन्ध में प्रशिक्षण की सुविधाएं

[अनुवाद]

5560. श्री पी० के० थुंगन : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों को होटल प्रबन्ध में प्रशिक्षण देने के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने सरकारी और मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी संस्थान हैं और उनके नाम क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) कुछ होटल शृंखलाओं द्वारा, उनके अपने कर्मचारियों के लिए, होटल प्रबन्ध में प्रशिक्षण के लिए विद्यमान सुविधाओं के अलावा केन्द्रीय सरकार ने, होटल प्रबन्ध, केटरिंग तकनॉलाजी और अनुप्रयुक्त पोषाहार के 11 संस्थानों और 12 भोजनकला संस्थानों को निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित किया है :—

होटल प्रबन्ध संस्थान

1. नई दिल्ली 2. बम्बई 3. मद्रास 4. कलकत्ता 5. श्रीनगर 6. अहमदाबाद 7. हैदराबाद 8. भुवनेश्वर 9. बंगलौर 10. लखनऊ और 11. गोआ

भोजनकला संस्थान

1. कलामास्सेरी 2. पुणे 3. चण्डीगढ़ 4. भोपाल 5. तिरुचिरापल्ली 6. जयपुर 7. पटना 8. दिल्ली 9. अलीगढ़ 10. शिमला 11. विशाखापत्तनम और 12. गुवाहाटी

भविष्य में होटल आवास की विभिन्न श्रेणियों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए ऐसे संस्थानों की संख्या को बढ़ाने और विद्यमान संस्थानों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। सातवीं योजना में 5 अतिरिक्त होटल प्रबन्ध संस्थानों तथा 10 अतिरिक्त क्राफ्ट-संस्थानों की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। केन्द्रीय सरकार ने होटल-प्रबन्ध के क्षेत्र में पाठ्यक्रम चलाने वाले किसी भी प्राइवेट संस्थान को मान्यता नहीं दी है।

वन विकास

5561. श्री अमर सिंह राठवा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की अधिक पेड़ उगाओ सम्बन्धी नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में वन विकास कार्यक्रम चलाया है;

(ग) क्या गांवों की अधिकांश आबादी विशेषकर आदिवासी आबादी केवल वन पर ही निर्भर करती है और वह वन से अपना जीविकोपार्जन करती है;

(घ) क्या देश में कृषि योग्य भूमि में वृद्धि करने हेतु वन साफ किये जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो देश में वनों की सुरक्षा और विकास के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) वनों के रूप में घोषित और उनसे बाहर के क्षेत्रों में अधिक पेड़ उगाना सरकार की वन नीति का एक भाग है। वनरोपण

सम्बन्धी प्रयासों को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। प्रस्ताव है कि ईंधन तथा चारा पौध रोपण के तहत प्रति वर्ष 50 लाख हैक्टार भूमि लाई जाए, वनरोपण के लिए एक जन-आन्दोलन शुरू करना होगा।

(ख) जी हां।

(ग) वनों में अथवा उनके निकट रहने वाले आदिवासियों सहित ग्रामीण आबादी का काफी बड़ा हिस्सा अपने जीविकोपार्जन के लिए वनों पर निर्भर करता है।

(घ) और (ङ) कृषि योग्य भूमि बढ़ाने के लिए वनों को काटना सरकार की नीति नहीं है। खेती करने के लिए कुछ वन भूमि का अतिक्रमण किया जा रहा है, विभिन्न कानूनों के तहत वनों की सुरक्षा के लिए हरसंभव उपाय किए जा रहे हैं। सातवीं योजना के एक भाग के रूप में कई वनरोपण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। हर साल 50 लाख हैक्टार क्षेत्र में ईंधन और चारा पौधरोपण सहित बृहत्त वनरोपण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है।

दिल्ली पुलिस में की पंच आपरेटरों को पदोन्नति देना

5562. **श्री राधाकांत डिगाल :** क्या गृह मंत्री दिल्ली पुलिस मे की पंच आपरेटरों को पदोन्नति देने सम्बन्धी भर्ती नियमों के बारे में 8 अगस्त, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2464 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस में की पंच आपरेटरों के पद पर काफी समय से कार्य करने वाले कर्मचारियों को पदोन्नति देने के लिए भर्ती नियम बना लिए गए हैं जिसके लिए काफी समय पहले अर्थात् 2 मई, 1984 को आश्वासन दिया गया था;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन आपरेटरों को कब तक पदोन्नति दिए जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) दिल्ली पुलिस द्वारा मसौदा भर्ती नियम तैयार कर लिए गए हैं और आगे संसाधित करने तथा प्रशासकी दिल्ली का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए दिल्ली के प्रशासक को भेजे गए हैं।

भर्ती नियमों को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद और अनुमोदित भर्ती नियमों के अनुसार ही की पंच आपरेटरों की पदोन्नति पर विचार किया जा सकता है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा खादी ग्रामोद्योग भवन नई दिल्ली में जाली प्रमाण-पत्र का एक मामला दर्ज होना

[हिन्दी]

5563. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जाली प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में खादी ग्रामोद्योग, भवन नई दिल्ली का एक मामला दर्ज किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इस मामले की कब तक जांच पूरी कर लिए जाने तथा इसे आगे कार्यवाही के लिए प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) यह जांच छः महीने के अन्दर पूरी हो सकती है बशर्ते कि दस्तावेज उपलब्ध हो जाएं।

एशियाई खेलों के लिए बनाए गए फ्लैट, होटल और स्टेडियम

[अनुवाद]

5564. श्री ए० सोभनाद्रीसवरा राव : क्या युवा कार्य और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवें एशियाई खेलों के लिए कितने स्टेडियम बनाए गए थे और प्रत्येक पर कितनी धनराशि खर्च हुई थी;

(ख) एशियाई खेलों के दौरान अपेक्षित मांग पूरी करने हेतु कितने होटलों का निर्माण किया गया था और उन पर कितनी धनराशि खर्च हुई थी; और

(ग) एशियाई खेलों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कितने फ्लैटों का निर्माण किया गया था और उन पर कितनी धनराशि खर्च हुई थी ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) नए स्टेडियमों के निर्माण पर हुई लागत को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) एशियाई खेल गांव आदि के रूप में प्रयोग किए गए होटलों, रिहायशी फ्लैट्स परिसर का निर्माण सम्बन्धित एजेंसियों के सामान्य विकास कार्यों में से एक भाग के रूप में कार्य था, जिनमें से कुछ को एशियाई खेल 1982 के दौरान प्रयोग करने को ध्यान में रखकर आगे बढ़ाया गया था।

विवरण

क्रम संख्या	मद	प्रत्याशित व्यय
		(रुपये करोड़ में)
1.	लोधी रोड़ में स्टेडियम, हौज खास में लॉन टेनिस स्टेडियम का निर्माण और नेशनल स्टेडियम का नवीकरण	23.95
2.	राजघाट खेल परिसर में इन्डोर स्टेडियम के लिए सरकार का हिस्सा	9.82
3.	राजघाट खेल परिसर में साइकिल वेलोड्रोम का निर्माण।	1.43
4.	शूटिंग रेंजिज का निर्माण।	1.61
5.	ताल कटोरा गार्डन में तरणताल के लिए सरकार का अंशदान।	6.27
		43.08

बांसवाड़ा में एक खेल स्टेडियम का निर्माण

[हिन्दी]

5565. श्री प्रभु लाल रावत : क्या युवा कार्य और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांसवाड़ा में एक खेल स्टेडियम का निर्माण करने का विचार है;

(ख) क्या आदिवासी जनसंख्या बहुल वाले खेलों में पिछड़े क्षेत्रों में युवकों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) बांसवाड़ा में खेल स्टेडियम के निर्माण के लिए राज्य सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) राज्य खेल परिषदों को अनुदान देने की योजना के अन्तर्गत, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से पहले ही अनुरोध किया गया है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि आदिवासी क्षेत्रों में आबंटित खेल सुविधाओं की प्रतिशतता, जहां तक सम्भव हो सके, राज्य/संघ शासित क्षेत्र की आदिवासी जनसंख्या से कम नहीं होनी चाहिए। आदिवासी जनता भी अखिल भारतीय ग्रामीण खेल टूर्नामेन्ट्स और खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति की योजनाओं के अन्तर्गत शामिल है। दूरस्थ क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने की एक नयी योजना का भी प्रस्ताव है।

अखिल भारतीय सेवा काडर में पदोन्नति के अवसर

[अनुवाद]

5566. श्रीमती फूलरेणु गुहा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय सेवाओं के विभिन्न काडरों के बीच पदोन्नति के अवसरों के मामले में असन्तुलन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सन्तुलन को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है, करने का विचार है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) सरकार को अखिल भारतीय सेवाओं के विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति के अवसरों में व्याप्त असन्तुलन की जानकारी है। सातवीं लोक सभा की प्राक्कलन समिति (1983-84) ने इस समस्या पर विचार किया था। समिति ने अपनी 77वीं रिपोर्ट के अध्याय में यह सिफारिश की है कि इस विभाग को अखिल भारतीय सेवा संवर्गों में पदोन्नति के अवसरों में व्याप्त असन्तुलन की समस्या का गहराई से अध्ययन करना चाहिए और इन्हें दूर करने के लिए प्रभावी तरीके और उपाय ढूंढने चाहिए। इस सिफारिश के अनुसरण में इस विभाग ने अन्य बातों के साथ-साथ अखिल भारतीय सेवाओं के विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति के अवसरों में असन्तुलन की समस्या का अध्ययन करने तथा इन असन्तुलनों को दूर करने के लिए की

जाने वाली कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करने का निर्णय किया गया है। इस समिति में भारत सरकार के कुछ सचिव और राज्य सरकारों के कुछ मुख्य सचिव शामिल होंगे।

"कारट्रिजिस हाल फ्राम इल्लिगल यूनिट" शीर्षक से समाचार

5567. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 अप्रैल, 1985 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "कारट्रिजिस हाल फ्राम इल्लिगल यूनिट" शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें उत्तरी दिल्ली के अलीपुर क्षेत्र में चोरी छिपे गोला बारूद बनाने वाली फैक्टरी चलाने, जीवित कारतूसों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के भारी मात्रा में पकड़े जाने, बिजली का अनधिकृत कनेक्शन आदि लेने के मामले को उजागर किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की अन्य छिपी फैक्टरियों के अस्तित्व, कच्चे माल की सप्लाई, बिक्री केन्द्रों तथा विद्युत विभाग के लोगों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(ग) फिल्मिस्तान क्षेत्र में गन हाउस के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) राज्य सरकारों से समय-समय पर यह अनुरोध किया गया है कि वे बिना लाइसेंस के हथियारों का पता लगाने और उनके अवैध निर्माण को रोकने के लिए निश्चित तथा प्रभावकारी उपाय करें। शस्त्र अधिनियम, 1959 में शस्त्र (संशोधन) अधिनियम, 1983 द्वारा संशोधन भी किया गया था। अधिनियम के संशोधित उपबन्धों के अधीन अवैध हथियारों के निर्माण, बिक्री और उनको रखने से सम्बन्धित अपराधों के लिए दन्ड में वृद्धि कर दी गई है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

एक गैर सरकारी पार्टी को अशोक होटल के रेस्टोरेन्ट का ठेका दिया जाना

5568. **श्री नारायण चौबे** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोक होटल, नई दिल्ली के रेस्टोरेन्टों, में से एक रेस्टोरेन्ट का ठेका एक गैर-सरकारी पार्टी को दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रबन्धकों और ठेकेदार के बीच हस्ताक्षर किये गये अनुबन्धों की शर्तें क्या हैं;

(ग) अनुबन्ध दिये जाने के बाद रेस्टोरेन्ट की कुल बिक्री कितनी है;

(घ) ठेकेदार द्वारा कुल कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं और कर्मचारियों पर लागू होने वाली सेवा शर्तें क्या हैं; और

(ङ) एक गैर सरकारी पार्टी को रेस्टोरेन्ट का ठेका देने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ङ) अशोक होटल के व्यावसायिक हितों को ध्यान में रखते हुए, भारत पर्यटन विकास निगम ने प्रॉफिट-शेयरिंग आधार पर चायनीज भोजन परोसने वाले अपने रेस्तराओं में से एक रेस्तरां 15-1-84 से 5 साल के लिए भारतीय राष्ट्रिकों की एक फर्म को सौंप दिया है। कन्ट्रेक्टर्स को बिक्री का 65% मिलेगा और वे कच्चे माल/रसोई में प्रयुक्त गैस की लागत और स्टाफ के वेतन तथा मजदूरी वहन करेंगे। बिक्री का 35% अशोक होटल को मिलेगा।

अपने प्रारम्भ से लेकर 31-3-85 तक उक्त रेस्तरां की बिक्री 27 लाख रुपये की है।

कन्ट्रेक्टर्स ने रेस्तरां में 35 व्यक्तियों को नियुक्त किया है। चूंकि रेस्तरां का परिचालन प्राइवेट पार्टी द्वारा किया जाता है, इसलिए कर्मचारियों की सेवा शर्तें कन्ट्रेक्टर द्वारा विनियमित की जाती हैं।

राज्यों में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को तैनात किया जाना

5569. **श्री देवी धोवाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में कितने लोग हैं;

(ख) वे अपराध प्रवण क्षेत्र कौन से हैं जिनमें केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को बड़े पैमाने पर तैनात किया गया है; और

(ग) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की इस समय तैनाती के राज्यवार आंकड़े क्या हैं?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) दिनांक 1-4-1985 को 42.077।

(ख) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तैनाती सार्वजनिक क्षेत्र औद्योगिक संस्थानों के सर्वेक्षण करने के पश्चात की जाती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आपराधिक कार्रवाइयां भी शामिल हैं। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार संस्थानों की बेहतर सुरक्षा और बचाव के लिए लगाया जाता है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को प्रत्येक संस्थान में आवश्यकता-आधार प्रतिमान पर तैनात किया जाता है।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी जाती है।

विवरण

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की वर्तमान तैनाती के राज्यवार ब्यौरे

राज्य	वर्तमान तैनाती
1	2
आन्ध्र प्रदेश	2462
असम	924

1	2
बिहार	8933
दिल्ली	673
गुजरात	984
हरियाणा	631
जम्मू और काश्मीर	291
केरल	1733
कर्नाटक	578
महाराष्ट्र	1071
गोवा	255
मध्य प्रदेश	5570
नागालैंड	132
उड़ीसा	2785
पंजाब	421
राजस्थान	1467
तमिलनाडु	1768
उत्तर प्रदेश	3678
पश्चिम बंगाल	7741
कुल	42077

टिप्पणी :—उक्त आंकड़ों में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मुख्यालयों, क्षेत्रीय मुख्यालयों, ग्रुप मुख्यालयों, प्रशिक्षण संस्थानों तथा रिजर्वों में तैनात कार्मिक शामिल हैं।

भारतीयों द्वारा खाड़ी के देशों में आप्रवासी नियमों का उल्लंघन

5570. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि खाड़ी के देशों में काफी संख्या में भारतीय लोगों द्वारा आप्रवासी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामलों की सरकार को सूचना दी गई ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

पासपोर्ट जारी करना और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में अधिक पदों की मांग

5571. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम, कोचीन और कालीकट स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा 1982 से वर्ष-वार कुल कितने पासपोर्ट जारी किए गए हैं;

(ख) इन कार्यालयों में कर्मचारियों की मंजूरशुदा संख्या कितनी है और कितने रिक्त स्थान भरे नहीं गये हैं; और

(ग) क्या और अधिक पद मंजूर किए जाने की मांग की जा रही है?,

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) :

(क)

कार्यालय	वर्ष 1982	1983	1984
(1) कोचीन (सम्पर्क कार्यालय, त्रिवेन्द्रम शामिल है)	1,49,043	1,49,789	1,20,668
(2) कालीकट	96,754	91,829	65,340

(ख)

पदों की श्रेणी	कोचीन (त्रिवेन्द्रम स्थित सम्पर्क कार्यालय शामिल हैं)		कालीकट (कोजीकोड)	
	संस्वीकृत	रिक्त अतिरिक्त	संस्वीकृत	रिक्त/ अतिरिक्त
1. पासपोर्ट अधिकारी/सहायक पासपोर्ट अधिकारी	4	2	1	—
2. जन सम्पर्क अधिकारी/अधीक्षक	6	1	4	1
3. सहायक/उच्च श्रेणी लिपिक/ अवर श्रेणी लिपिक	97 अतिरिक्त	9	49 अतिरिक्त	26
4. चपरासी आदि	11	1	6	कोई नहीं

टिप्पणी—1984 के कार्य के आंकड़ों की तुलना में निर्धारित मानदण्डों के आधार पर समूचे भारत में विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों की अमला सम्बन्धी आवश्यकता की हाल ही में की गई जांच के परिणामस्वरूप यह देखा गया है कि कोचीन और कोजीकोड (कालीकट) स्थित हमारे पासपोर्ट कार्यालयों में लिपिकों के क्रमशः 9 और 26 पद अतिरिक्त हैं। अधिकांश रिक्तियों को भरने के लिए कार्मिक भेजने और इन कार्यालयों से अतिरिक्त कार्मिक दूसरे ऐसे कार्यालयों में, जहां लिपिक कार्मिकों की कमी है, स्थानांतरित करने के आवश्यक सरकारी आदेश जारी किए जा रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

चण्डीगढ़ और पंजाब में मारे गए/कत्ल किए गए व्यक्ति

5572. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**
श्री उत्तम राठौड़ :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1984 से फरवरी, 1985 तक के चार महीनों के दौरान चण्डीगढ़ और पंजाब राज्य में कितने लोग मारे गये/लोगों की हत्यायें हुई, (जिला वार आंकड़े) और

(ख) हत्याओं/मारे जाने की कितनी घटनाओं के लिए जिम्मेवार कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ में इस अवधि के दौरान चार व्यक्तियों को मारा गया और तीन मामलों में तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि इस अवधि के दौरान राज्य में 192 व्यक्ति मारे गये। जिलेवार ब्यौरे इस प्रकार हैं :

जिले का नाम	मारे गये/कत्ल किये गये व्यक्तियों की संख्या
1. जालन्धर	21
2. अमृतसर	27
3. गुरदासपुर	14
4. होशियारपुर	12
5. कपूरथला	5
6. पटियाला	19
7. संगरूर	20
8. लुधियाना	10
9. रोपड़	7
10. फिरोजपुर	21
11. भटिंडा	26
12. फरीदकोट	10
कुल	192

राज्यों में कत्लों/हत्याओं के सम्बन्ध में दायर 156 मामलों में 342 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

दक्षिण एशियाई विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेना

5573. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मई, 1985 में थिम्पू दक्षिण एशियाई विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भाग ले रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक की कार्यसूची क्या है; और

(ग) दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के बीच बेहतर आर्थिक और सामाजिक सहयोग के लिए अन्य देशों को राजी करने हेतु भारत का क्या-क्या विशेष मुद्दे उठाने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां। भारत सरकार दक्षिण एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों की मई, 1985 में थिम्पू में होने वाली तीसरी बैठक में भाग ले रही है।

(ख) बैठक की कार्यसूची के मुख्य मसलों में शामिल हैं; एकीकृत कार्ययोजना के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग के पहले शिखर सम्मेलन की तैयारियां और विश्व आर्थिक स्थिति की समीक्षा।

(ग) दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में भारत सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इसने अगस्त, 1983 में नई दिल्ली में विदेश मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी की जिसमें दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे तथा एकीकृत कार्ययोजना का शुभारम्भ किया गया था। इसने पहले नाजुक वर्ष में अध्यक्षता संभाली तथा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग की स्थाई समिति की पहली बैठक की मेजबानी भी की। भारत मौसम तथा खेलकूद, कला और संस्कृति सम्बन्धी तकनीकी समितियों का अध्यक्ष है। इसने तकनीकी समितियों की सभी बैठकों में भाग लिया है तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के कार्यक्रमों को तैयार करने तथा उन्हें कियान्वित करने में सक्रिय योगदान दिया है। हमारा विचार दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग की सभी गतिविधियों में अपनी सक्रिय भागीदारी को जारी रखने का है। हम सहयोग के सहमत क्षेत्रों में ठोस क्षेत्रीय परियोजनाओं को तैयार करने की आवश्यकता पर विशेष बल दे रहे हैं। भविष्य में जिन विशिष्ट विषयों पर हम पहलकदमी करना चाहते हैं, वे हैं : अक्तूबर, 1985 में दक्षिण एशियाई भू-सर्वेक्षण कांग्रेस का आयोजन तथा भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के अवसर पर नवम्बर, 1985 में दक्षिण एशियाई सांस्कृतिक समारोह का आयोजन।

कर्नाटक में केन्द्रीय संरक्षण प्राप्त स्मारकों का रख-रखाव

5574. **श्री एच० जी० रामुलु** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में छठी योजना अवधि में केन्द्रीय संरक्षण प्राप्त स्मारकों के रख-रखाव पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई थी; और

(ख) उक्त स्मारकों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) छठी योजना अवधि के दौरान कर्नाटक में संरक्षित स्मारकों के रखरखाव पर व्यय की गई राशि 1,00,06,531 रु० है।

(ख) सूची सभापटल पर रख दी गई है। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1106/85]

आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में चक्रवात की सूचना देने वाला राडार

5575. **श्री सी० सम्बु** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के चिराला तथा तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रपात राडार चेतावनी केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) 1983 से अब तक इस प्रकार के कितने राडार केन्द्र पहले ही स्थापित कर दिए गए हैं; और

(ग) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित समूचे देश के समुद्र तट के किनारे इस प्रकार के कुल कितने केन्द्र हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं, चिराला में चक्रवात राडार केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। चिराला क्षेत्र सहित आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों को पहले से ही चक्रवात का पता लगाने के लिए यथेष्ट राडार व्यवस्था प्रदान की जा चुकी है।

(ख) शून्य। पूर्वी तट को शामिल करते हुए चक्रवात संसूचना राडारों के पूरा नेटवर्क लगाने का कार्य 1983 से पहले पूरा कर लिया गया था।

(ग) पूर्वी तट पर कलकत्ता, पाराद्वीप, विशाखापट्टनम मछली पट्टनन, मद्रास और काराईकल और पश्चिमी तट पर गोवा तथा बम्बई में ऐसे आठ केन्द्र हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समहों में कोई चक्रवात संसूचन केन्द्र नहीं है क्योंकि अधिकांश चक्रवात अंडमान और भारत के पूर्वी तट के बीच में शुरू होते हैं और वे अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों से दूर चले जाते हैं; और अंडमान द्वीप समूह और उसके आसपास की बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र इन्सेट मौसम निगरानी के अन्तर्गत अच्छी प्रकार से आते हैं।

हवाई अड्डों पर कम्प्यूटरों द्वारा आरक्षण व्यवस्था

5576. **श्री हरिहर सोरन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) उन हवाई अड्डों के नाम क्या हैं जहां पर कम्प्यूटरों द्वारा आरक्षण व्यवस्था आरम्भ कर दी गई है;

(ख) क्या कुछ हवाई अड्डों पर कम्प्यूटरों द्वारा आरक्षण व्यवस्था बार-बार खराब होती रही है;

(ग) यदि हां, तो उन हवाई अड्डों के नाम क्या हैं, जहां इस प्रकार की व्यवस्था ठीक नहीं रही है; और

(घ) त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) इंडियन एयर लाइन्स ने बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास हवाई अड्डों पर अभिकलित आरक्षण प्रणाली चालू की है।

(ख) से (घ) जी, नहीं। तथापि दिनांक 15-4-1985 को बम्बई हवाई अड्डे पर इस प्रणाली में खराबी होने की एक मात्र घटना उस समय हुई थी जब 0025 बजे और 1345 बजे के बीच बम्बई और पालम में कम्प्यूटर केन्द्र के बीच दो दत्त परिपथ खराब हो गए थे। भविष्य में ऐसी स्थिति पर काबू पाने के लिए डाक-तार विभाग से एक और दत्त परिपथ प्राप्त किया जा रहा है जो संचार सम्पर्क व्यवस्था के बिल्कुल खराब होने की स्थिति कम से कम आने देगा।

दावानल (वनों में आग लगने) की समस्या

[हिन्दी]

5577. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दावानल (वनों में आग लगने) की समस्या पर बहुत गम्भीरता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इसे रोकने के लिए कोई संयुक्त परियोजना तैयार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त परियोजना कब तक तैयार हो जाएगी और उस पर कितना वार्षिक खर्च होगा ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) जी हां।

(ख) 12.7 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर, जिसमें 41.1 लाख अमेरिकी डालर की संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता शामिल है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के लिए "आधुनिक वन अग्नि शमन" नामक एक परियोजना तैयार की गई है।

(ग) यह परियोजना चालू हो गई है और 1985-86 के लिए कुल परिव्यय 163.58 लाख रुपए है।

पश्चिम बंगाल के लिए सीमा सुरक्षा बल के अतिरिक्त बटालियन मंजूर करना

[अनुवाद]

5578. **श्रीमती इन्द्रमति भट्टाचार्य** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के लिए सीमा सुरक्षा बल के अतिरिक्त बटालियन मन्जूर करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) मामले की वर्तमान स्थिति क्या है और मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिंहा) : (क) से (घ) घुसपैठ विरोधी उपायों और सीमा सुरक्षा बल की संख्या की सरकार द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है। सरकार द्वारा 1983 में सीमा सुरक्षा बल की 5 अतिरिक्त बटालियनों की स्वीकृति दी गई थी और वे अब पश्चिम बंगाल-बंगलादेश पर कार्यरत हैं। सीमा पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा लगातार निगरानी रखी जाती है। अधिक बाह्य सीमा चौकियां स्थापित की गई हैं और अतिरिक्त बटालियनें लगाई गई हैं। अधिक निगरानी बुर्ज बनाए गए हैं और भूमि तथा नदी तटीय मार्गों पर गश्त कड़ी कर दी गई है। पश्चिम बंगाल के लिए सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त बटालियन स्वीकृत करने के लिए इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

मुख्य मेट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट, दिल्ली को धमकी

5579. **श्री शान्ती राम पोतदुखे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीमती इंदिरा गांधी हत्याकांड की जांच करने वाले मुख्य मेट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट को धमकी दी गई है और यदि हां, तो किस प्रकार की धमकी दी गई है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान। श्री एस० एल० खन्ना, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली को एक गुमनाम पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उनके और उनके परिवार के सदस्यों के जीवन को खतरे की धमकी दी गई थी।

(ख) श्री एस० एल० खन्ना के निवास स्थान पर एक सशस्त्र गार्ड नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त, उनको दो सशस्त्र निजी सुरक्षा अधिकारी भी दिए गए हैं।

कानपुर के निकट अमृतसर टाटा एक्सप्रेस में पड़ी डकैती

5580. **श्री सी० माधव रेड्डी** :

श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 मार्च, 1985 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि कानपुर के निकट अमृतसर टाटा एक्सप्रेस में पड़ी डकैती में कई हजार रुपये का सामान और नकदी लूटी गई थी और उसमें एक पुलिस कांस्टेबल सहित तीन व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या पीड़ितों को कोई मुआवजा अदा किया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) अपराधों से सम्बन्धित कानूनों को लागू करने के लिए राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन जिम्मेवार हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, 28-3-1985 को श्री बी० मोहसिस 162 डा० टाटा एक्सप्रैस से दिल्ली से धनबाद के लिए प्रथम दर्जे से यात्रा कर रहे थे। वह इटावा रेलवे स्टेशन पर अपने लिए कुछ चाय आदि लेने के लिए उतरे। कम्पार्टमैंट में वापस आने पर, 3-4 युवा भी उसी कम्पार्टमैंट में चढ़े। कम्पार्टमैंट में कोई परिचारक या कंडक्टर नहीं था। युवाओं ने उसी कम्पार्टमैंट पर कब्जा करने का प्रयत्न किया जिसमें श्री मोहसिस यात्रा कर रहे थे, जिस पर उसने आपत्ति की। परिणामस्वरूप उन्होंने उस पर चाकुओं से हमला किया। उन्होंने, श्री मोहसिस से 1000 रु० और एक छोटा ट्रांजिस्टर भी ले लिया। ट्रेन, जंजीर खींचने के कारण इकदिल के नजदीक रुकी जब युवा भाग गए। जी० आर० पी० इटावा में भा० दं० सं० की धारा 394/397 और भारतीय रेलवे अधिनियम के 108 के तहत एक मामला दर्ज किया गया। एक अपराधी गिरफ्तार किया गया और अन्य को पकड़ने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ग) पीड़ित यात्रियों को उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति और सामान की चोरी के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है।

यूरेनियम की नई खानें खोलना

5581. **श्री के० प्रधानी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग ने यूरेनियम की नई खानें खोलने के लिए कार्यक्रम तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो यूरेनियम की ये नई खानें कब खोली जाएंगी;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए कोई दीर्घावधि योजना तैयार की गई है; और

(घ) उक्त कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) परमाणु ऊर्जा विभाग के नियन्त्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रम यूरेनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड ने नरवा पहाड़ और तुरुमडीह में, जो दोनों ही स्थान बिहार के सिंहभूम जिले मे स्थित हैं, यूरेनियम की दो नई खानें खोलने की योजना तैयार की है। इस बारे में ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है और उस योजना पर प्रशासनिक/वित्तीय अनुमोदन जारी करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। आशा है कि इन खानों पर काम वर्ष 1985-86 में शुरू कर दिया जाएगा। इस विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग ने देश के विभिन्न भागों में यूरेनियम के कई नए निक्षेपों का पता लगाया है तथा नई खानें खोलकर इन निक्षेपों से खनिज निकालने का काम संभाव्यता सम्बन्धी अध्ययन पूरे कर लेने के बाद चरणबद्ध रूप से चालू किया जाएगा।

विकास योजनाओं के लिए धन का आबंटन

5582. **श्री मोहर सिंह राठौर** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कल्याण कार्यक्रम तैयार करना और विकास योजनाओं के लिए धन का आबंटन, जनसंख्या के आधार पर किया जाता है;

(ख) क्या उक्त फार्मूले के परिणामस्वरूप ऐसे क्षेत्रों की कम मात्रा में विकास आबंटन प्राप्त होता है, जो जनसंख्या नियन्त्रण में आगे रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस असंगति को किस प्रकार दूर करने का है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग) राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में आबंटित की जाती है न कि अलग-अलग विकास स्कीमों के लिए। परन्तु, उत्तर पूर्वी राज्यों, जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश को छोड़कर अन्य राज्यों को केन्द्रीय सहायता के समग्र आबंटन का निर्धारण करने के लिए वर्तमान फार्मूले में 60 प्रतिशत तरजीह जनसंख्या को दी जाती है। 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों का परिकलन के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा रहा है। अतः जो राज्य जनसंख्या नियन्त्रण सम्बन्धी उपाय लागू कर रहे हैं उनके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वे हानि उठा रहे हैं।

वेश्यावृत्ति करने हेतु बाध्य की गई महिलाओं का बचाव

5583. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 मार्च, 1985 के "स्टेट्समैन" में वेश्यावृत्ति करने हेतु बाध्य की गई तीन महिलाओं को पुलिस द्वारा बचाए जाने के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान वर्षवार कितने मामलों में ऐसी महिलाओं को बचाया गया;

(ग) इस प्रकार की गतिविधियों के दौरान वर्ष-वार की गई गिरफ्तारियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन गिरफ्तारियों के परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष कितने लोगों को कैद की सजा दी गई;

(ङ) यदि कोई सजा नहीं दी गई है तो उसके क्या कारण हैं;

(च) कर्तव्य की अवहेलना के लिए उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गई; और

(छ) इन वर्षों के दौरान कमला मार्किट पुलिस स्टेशन के पदस्थ थानाध्यक्ष (एस० एच० ओ०) कौन थे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) बचाई गई लड़कियों की संख्या इस प्रकार है :—

1980-81	7
1981-82.	16
1982-83	8
1983-84	6
1984-85	17

(ग) और (घ) गिरफ्तार किए गए तथा दोषसिद्ध पाए गए व्यक्तियों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	गिरफ्तार किए गए	दोष सिद्ध पाए गए
1980-81	13	—
1981-82	19	2
1982-83	8	—
1983-84	11	—
1984-85	18	—

(ङ) और (च) कुछ कारण जिनकी वजह से अभियुक्तों को न्यायालयों द्वारा दंडित नहीं किया जाता, इस प्रकार हैं :—

(I) अभियोजनाएं विचारण के दौरान न्यायालयों में तथ्यात्मक रूप से घटनाओं को ब्यान करने के लिए नहीं आतीं ।

(II) गवाह अभियुक्तों के दबाव के कारण अथवा कुछ अन्य विचारों से अभियोजन कार्यवाही के समर्थन में या तो विचारण के दौरान न्यायालय में उपस्थित ही नहीं होते अथवा प्रतिकूल रुख अपना लेते हैं ।

(छ) कमला मार्किट पुलिस स्टेशन में थाना अध्यक्षों के रूप में निम्नलिखित निरीक्षक इनके सामने लिखित अवधि के दौरान तैनात रहे :—

1. श्री दर्शन सिंह, निरीक्षक 16-2-1980 से 30-6-1982 तक
2. श्री बिरेन्द्र सिंह, निरीक्षक 1-7-1982 से 18-2-85 तक
3. श्री केवल कृष्ण, निरीक्षक 18-2-1985 से आज तक

महानगरों के साधन

5584. **श्री हुसेन दलवाई** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि स्थानीय निगमों के साधन, जिन्हें बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे महानगरों के प्रशासन का भार सौंपा गया है, इन नगरों की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए बहुत अपर्याप्त हैं;

(ख) इन महानगरों की लम्बी समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने के लिए योजना आयोग का क्या कारगर कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) शहरी विकास राज्य का विषय है और सम्बन्धित राज्य सरकारें ही बम्बई,

कलकत्ता और मद्रास जैसे महानगरों सहित शहरी विकास के लिए स्कीमें और कार्यक्रम तैयार करती हैं। तथापि, केन्द्र सरकार गाडगिल फार्मूले के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्यों को ब्लाक अनुदान और ऋण देती है।

बैंकों में डकैतियां

5585. श्री राम बहादुर सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में बैंकों में हुई ऐसी डकैतियों की संख्या कितनी है जिनसे सम्बन्धित मामले 31 मार्च, 1985 तक सुलझाए जा सके हैं;

(ख) इन बैंक डकैतियों के सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं;

(ग) बैंक डकैतियों में अब तक अन्तर्ग्रस्त कुल धनराशि कितनी है और गिरफ्तार व्यक्तियों से अब तक कितनी धनराशि बरामद की गई है;

(घ) बैंक डकैतियों से सम्बन्धित मामलों को सुलझाने और डाकुओं को गिरफ्तार करने में दिल्ली पुलिस के असफल होने के क्या कारण हैं;

(ङ) भविष्य में बैंक डकैतियां रोकने हेतु क्या विशेष सुरक्षा प्रबन्ध किए गए हैं; और

(च) क्या बैंक डकैतियों से निबटने के लिए दिल्ली पुलिस में ईमानदार और कार्यकुशल लोगों को लेकर एक विशेष सैल गठित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) 31-3-1985 तक सुलझाए गए बैंक डकैतियों और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	सूचित किए गए मामले	हल किए गए मामले	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति
1984	4	1	3
1985 (31-3-1985 तक)	2	—	—

(ग) बैंक डकैतियों में अन्तर्ग्रस्त कुल धनराशि और बरामद की गयी राशि निम्न प्रकार से है :—

वर्ष	अन्तर्ग्रस्त राशि	बरामद की गयी राशि
1984	987413 रु०	—
1985 (31-3-1985 तक)	476250 रु०	—

(घ) अपराधों की प्रकृति के कारण उनकी जांच करने में समय लगता है। इन मामलों की जांच को जल्दी पूरा करने के लिए हर संभव प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ङ) और (च) बैंक डकैतियों को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) दिल्ली पुलिस में एक विशेष एकक का गठन किया गया है जिसमें विशेष रूप से वे चुने हुए अधिकारी काम करते हैं जो न केवल अनुभवी ही हैं अपितु अपनी अन्वेषणात्मक योग्यताओं के कारण जाने जाते हैं।

(2) पुलिस द्वारा कम समय में कार्रवाई करने के लिए एक आकस्मिक योजना बनाई जा रही है।

(3) बैंकों को सलाह दी गयी है कि शाखाओं के बाहर एक अलार्म प्रणाली शुरू करें ताकि पड़ोसियों और आने जाने वालों को किसी अपराध के होने के बारे में सचेत किया जा सके जिससे पुलिस को समय रहते सूचित किया जा सके।

(4) एक ऐसी पद्धति अपनाई गई है जिसके अन्तर्गत शहर के किसी भी भाग से ऐसे किसी अपराध होने की सूचना मिलने पर सीमाएं बन्द कर दी जाती हैं और गुजरने वाले सभी वाहनों की जांच की जाती है।

(5) बैंकों को यह सलाह दी गई है कि उन शाखाओं के लिए विशेष प्रबन्ध करें जो सूर्य अस्त होने के बाद खुली रहती हैं।

(6) संवेदनशील स्थानों पर शस्त्र और वायरलैस सैट से लैस स्थायी टुकड़ियों (पिकेट्स) तैनात की गई हैं। दिन और रात की गश्त में वृद्धि की गई है और इसमें लगाए गए कर्मचारियों को उचित रूप से समझाया जाता है।

(7) अपराधियों की गतिविधियों के बारे में खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान करके पड़ोसी जिलों से बेहतर समन्वय कायम करने के उपाय किए जाते हैं।

नेपाल में खेल-कूद को बढ़ावा देने में भारत की भूमिका

5586. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या खेल और युवा कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत, नेपाल में खेल-कूद को बढ़ावा देने के लिए सहायता देने हेतु सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) यद्यपि नेपाल सरकार के साथ कोई खेल समझौता नहीं है। तथापि भारत सरकार खेलों को बढ़ावा देने में नेपाल की सहायता कर रही है।

(ख) ऐसे प्रमुख क्षेत्र जिनमें भारत नेपाल की सहायता कर रहा है, वे निम्नलिखित हैं :—

(i) नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान में प्रशिक्षण में डिप्लोमा पाठ्यक्रम में भाग लेने में नेपाली प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था;

(ii) राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं, सेमिनारों तथा औषधालयों आदि के आयोजन में सहायता हेतु नेपाल के लिए प्रशिक्षकों की प्रतिनियुक्ति;

(iii) चुने हुए नेपाली जिम्नास्टिकों के लिए पटियाला में एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था;

(iv) दक्षिण एशियाई संघ खेलों के आयोजन के लिए उपस्करों को वापस करने के आधार पर सप्लाई;

(v) नेपाल और अन्य देश, जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग (एस० ए० आर० सी०) के सदस्य हैं, को प्रशिक्षण शिविर/औषधालयों के आयोजन के लिए सुविधाएं प्रदान करना;

(vi) पोखरा में एक खेल कम्प्लैक्स के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

रबिताए-अलामी-ए-इस्लामी के एक सदस्य के रूप में मौलवी मोहम्मद फारूक का चुनाव

5587. **श्री जनक राज गुप्ता** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने कुछ समाचार पत्रों में रबिताए-ए-अलामी-ए-इस्लामी, जिसका मुख्यालय जद्दाह, सऊदी अरब में है, के एक सदस्य के रूप में मौलवी मोहम्मद फारूक के चुनाव का समाचार देखा है; और

(ख) क्या यह सच है कि उनके नाम का प्रस्ताव तथा कथित आजाद कश्मीर सरकार (पाक अधिकृत क्षेत्र) के भूतपूर्व प्रेजीडेंट सरदार मोहम्मद इब्राहीम खां द्वारा किया गया था?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) सरकार के पास उपलब्ध वर्तमान सूचना के अनुसार मौलवी मोहम्मद फारूक रबीताए-अलामी-ए-इस्लामी का सदस्य नहीं है जिसका मुख्यालय जेद्दाह, सऊदी अरब में है। तथापि ऐसी खबर है कि उसका नाम विचाराधीन है। हमें इस बात की सूचना नहीं है कि उसके नाम का प्रस्ताव किसने किया।

कम्प्यूटर बनाने वाली कम्पनियों द्वारा शोषण

5588. **श्री महावीर प्रसाद यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कम्प्यूटर बनाने वाली कुछ कम्पनियां निबन्धनकारी शर्तों का प्रयोग कर रही हैं, जिनका तात्पर्य देश का शोषण करना है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां। सरकार को इस बात की जानकारी है कि विगत वर्षों में कम्प्यूटरों का विनिर्माण करने वाली कम्पनियां/आयात पर लगे प्रतिबन्ध का लाभ उठाते हुए भारतीय कम्प्यूटरों का अधिक मूल्य लेती थीं।

(ख) कुछ कम्प्यूटरों का खुले सामान्य लाइसेंस पर आयात करने की अनुमति देने के माध्यम से ऐसे प्रतिबन्ध हटा लिए गए हैं। किन्तु, 200% आयात शुल्क लगने के माध्यम से स्वदेशी विनिर्माताओं के हितों की सुरक्षा की गई है। भविष्य में आयात शुल्क धीरे-धीरे और कम कर देने से भारतीय विनिर्माताओं को अपनी गुणवत्ता में सुधार लाने तथा मूल्यों को और अधिक कम करने में प्रोत्साहन मिलेगा।

त्रि-आयामी टी० वी० सेटों का निर्माण

5589. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :**
श्री राधा कांत डिगाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शीघ्र ही त्रि-आयामी (थ्री डाइमैंशनल) टेलीविजन सेटों का निर्माण प्रारम्भ किया जाएगा और यदि हां, तो ये सेट बाजार में कब तक मिलने लगेंगे और उनका मूल्य क्या होगा;

(ख) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं, जिन्हें त्रि-आयामी टेलीविजन सेटों का निर्माण करने हेतु लाइसेंस दिये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या उन्होंने तकनीकी जानकारी के हस्तांतरण हेतु किसी दूसरे देश का तकनीकी सहयोग लिया है; और

(घ) क्या ऐसे टी० वी० सेट बच्चों के ज्ञानवर्धन हेतु कुछ चुनिंदा स्कूलों को दिये जाएंगे ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी मिली है कि निजी कम्पनी ने 3 डाइमैंशन रंगीन दूरदर्शन सेट बना लिया है। इस सेट की कीमत लगभग 9300 रु० है।

(ख) 3-डाइमैंशन रंगीन दूरदर्शन सेट का विनिर्माण करने के लिए अलग से लाइसेंस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। पार्टी रंगीन दूरदर्शन का विनिर्माण करने के लिए प्राप्त औद्योगिक अनुमोदन के अन्तर्गत ही इस वस्तु का विनिर्माण कर सकती है।

(ग) रंगीन दूरदर्शन से सम्बन्धित वर्तमान नीति के अन्तर्गत विदेशी सहयोग की अनुमति नहीं दी जाती है।

(घ) अब उत्पादित किए गए 3-डाइमैंशन रंगीन दूरदर्शन की उपयोगिता का अभी पता लगाया जाना है। 3-डाइमैंशन रंगीन दूरदर्शन विद्यालयों को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में इस समय सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

लाख का उत्पादन

5590. **श्री राम भगत पासवान** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार तथा मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में, लाख के पेड़ों की संख्या और उनकी खेती के अन्तर्गत क्षेत्रफल में खेती करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि लाख के उत्पादन में हाल ही में काफी कमी आई है; और

(ख) क्या सरकार का विचार विभिन्न लाख कारखानों को वन प्लाट पट्टे पर देने का है ताकि वे अपने हित में तथा साथ ही साथ देश की निर्यात आय बढ़ाने के लिए उचित कदम उठा सकें ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) लाख विकास निदेशालय, रांची में स्थापित किया गया है। लाख उगाने वाले प्रमुख राज्यों में लाख का विकास करने की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत निम्नलिखित कार्यकलाप शुरू किए जा रहे हैं :

(1) लाख की खेती करने की उन्नत पद्धतियां अपनाने के लिए लाख उत्पादन करने वालों को प्रेरित किया गया है।

(2) प्रदर्शन तथा प्रोत्साहनों के माध्यम से काट-छांट, कटाई, संचारण, कच्ची लाख संरक्षण आदि की सही प्रणाली में लाख के उत्पादकों को तकनीकी मार्गदर्शन तथा सहायता की गई है।

(3) बढ़िया किस्म की लाख का उत्पादन बढ़ाने के लिए लाख की खेती के तहत अच्छे परपोष वृक्ष लाये जा रहे हैं।

(4) इस प्रयोजन के लिए बनाए गए फार्मों से लाख उत्पादकों को कच्ची लाख उपलब्ध कराई जाती है।

(ख) जी नहीं।

पंजाब में मजदूरों की गिरफ्तारी

5591. **श्री चम्पन थामस** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में पिछले दो महीनों के दौरान अपनी मांगों की पूर्ति हेतु आन्दोलन करने वाले कई मजदूरों को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमे चलाये गए हैं :

(ख) यदि हां, तो कितने मजदूरों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें गिरफ्तार करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या गिरफ्तार किये गये इन मजदूरों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अन्तर्गत मुकदमे चलाये जा रहे हैं जो विशेष न्यायालय अधिनियम के विचारण क्षेत्र में हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) पंजाब सरकार द्वारा भेजी गयी सूचना के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन लागू निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत 1275 मजदूरों को गिरफ्तार किया गया था।

इसके अतिरिक्त पंजाब डिस्पले एण्ड डिवाइसेंज लिमिटेड, मोहाली की कुछ सामग्री को क्षति पहुंचाने तथा उत्पादन प्रबन्धक को गम्भीर रूप से घायल करने तथा महाप्रबन्धक पर हमला करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 452/323/148/149/506 के अधीन कारखाने के 11 मजदूरों के खिलाफ थाना गोहाली (रोपड़) में एक मामला प्र० सू० रिपोर्ट संख्या 20 दिनांक 22 फरवरी, 1985 को दर्ज किया गया था। यह मामला अधिनियम के क्षेत्राधिकार में आता है क्योंकि अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित अपराध इसमें शामिल हैं।

प्राचीन मूर्तियों की चोरी

5592. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस जनवरी, 1985 के अन्तिम सप्ताह में करोड़ों रुपये मूल्य की 1500 वर्ष पुरानी मूर्तियों को चुराने के दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर पायी है;

(ख) कितने मुजरिमों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या भारतीय पुरातत्व अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत पुलिस के इस प्रकार के मामलों में कार्रवाई करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) अपराध के विषय में घटना घटित होने के किसी विशेष स्थान का उल्लेख नहीं किया गया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि प्रश्न में उल्लिखित चोरी 22 जनवरी, 1985 को थाना रिकाबगंज आगरा में सूचित किए गए अपराध से सम्बन्धित है। 22 जनवरी, 1985 को थाना रिकाब गंज, जिला आगरा में भा० दं० सं० की धारा 379/411 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 38 से 40 तक दर्ज की गई थी। उपरोक्त मामले की जांच-पड़ताल के दौरान थाना रिकाबगंज, आगरा में कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

(ख) उपरोक्त चोरी के सम्बन्ध में दो अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

(ग) पुलिस, पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत कार्रवाई करने में कुछ कठिनाइयां महसूस कर रही हैं। कठिनाइयों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के ध्यान में लाया गया है।

ई० सी० टी० वी० सैटों पर वारन्टी शुल्क

5593. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ई० सी० आई० एल० द्वारा बेचे जाने वाले ई० सी० ई० टी० वी० सैटों की कीमतों में 1-1-1985 से वृद्धि कर दिए जाने के क्या कारण हैं जबकि उत्पाद-शुल्क और आयातित पुर्जों पर सीमा शुल्क कम कर दिया गया है;

(ख) ई० सी० आई० एल० द्वारा बेचे जाने वाले ब्लैक एण्ड व्हाइट तथा रंगीन टी० वी० सैटों के लिए निःशुल्क वारण्टी अवधि कितनी है;

(ग) टी० वी० सैट खरीदते समय वारण्टी अवधि के दौरान बिक्री उपरान्त सर्विस के लिए वारण्टी शुल्क के रूप में प्रति वर्ष 400 से 600 रु० की धनराशि वसूल करने के क्या कारण हैं; और

(घ) टी० वी० सैटों की खरीद के समय वारण्टी/सर्विस सम्बन्धी अनिवार्य भुगतान किए जाने के आरोप के सम्बन्ध में "बायस" जैसी उपभोक्ता एसोसिएशनों को प्राप्त हुई अनेक शिकायतों पर कम्पनी का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) ई० सी० टेलीविजन सेटों के मूल्य 1-1-85 से इस वजह से बढ़ाए गए हैं कि सामान्य मूल्य-वृद्धि के कारण और डालर की विनिमय दर बढ़ जाने के कारण निवेश-सामग्री के मूल्यों में वृद्धि हो गई है। हाल ही के बजट के परिणामस्वरूप ई० सी० रंगीन टेलीविजन सैटों पर उत्पादन-शुल्क में जो रु० 112.50 की वृद्धि हुई है उसका बोझ इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड ने उपभोक्ता पर न डालकर स्वयं ही वहन किया है। रंगीन टेलीविजन सैटों के संघटकों की लागत में कोई कमी नहीं आई है

(ख) इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बेचे जाने वाले ब्लैक एण्ड व्हाइट तथा रंगीन टी० वी० सैटों के लिए निःशुल्क सेवा के आश्वासन की अवधि तीन महीने है।

(ग) वारण्टी शुल्क के रूप में 400 रुपए की राशि ली जाती है। यह राशि 3 महीने की निःशुल्क सेवा की अवधि के बाद के 9 महीने की अवधि के लिए भी होती है।

(घ) उपभोक्ता संघों से प्राप्त शिकायतों की जांच कम्पनी द्वारा की जा रही है।

श्री राजेन्द्र सेठिया को परिपत्र जारी करने के मामले की जांच

5594. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री राजेन्द्र सेठिया की गिरफ्तारी के समय उनके पास 7 पारपत्र मिले थे जिनमें से एक श्री डुग्गट के नाम पर थी और एक पुष्टि प्राप्त वायुयान टिकट बरामद हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात की जांच की गई है कि उसे जाली नाम पर पारपत्र कैसे प्राप्त हुए; और

(ग) यदि हां, तो इस जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) श्री राजेन्द्र सिंह सेठिया को केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 1 मार्च, 1985 को गिरफ्तार किया था। उस समय उनके पास केवल एक पासपोर्ट नं० डब्ल्यू०-900509 था जो 13-2-85 को कलकत्ता से श्री राजकुमार डुग्गर के नाम जारी था। पासपोर्ट पर श्री सेठिया का फोटो लगा था। बाद में 2-3-85 को श्री भगत राम थापर, निदेशक मैसर्स आर० के० एजेन्सी लिमिटेड, 23-ए० एन० एस० रोड, कलकत्ता के दफ्तर की तलाशी लेते समय केन्द्रीय जांच ब्यूरो को पासपोर्ट नं० यू-553384 जो 12-8-83 को लन्दन से जारी किया गया था और यू०-716884 जो न्यूयार्क से 17-2-1984 को जारी हुआ था और जो 11-8-88 तक वैध था, मिले। इन दो पासपोर्टों में से पासपोर्ट धारक की शक्ल में परिवर्तन था

जाने के कारण पासपोर्ट नं० यू०-553384 को रद्द किया गया था और एक नया पासपोर्ट नं० यू०-716884 जारी किया गया था।

पासपोर्ट नं० यू०-553384 की प्रविष्टियों से यह पता चलता है कि श्री राजेन्द्र सिंह सेठिया ने इससे पहले पांच पासपोर्टों पर यात्रा की है। इन्हें रद्द कर दिया गया है और उन्हें लौटा दिया गया है।

श्री सेठिया के पास कलकत्ता-दिल्ली-बम्बई-काहिरा-जेनेवा-बम्बई-कलकत्ता सैक्टरों का एक खुला अन्तर्राष्ट्रीय विमान-टिकट भी था जो 3-3-85 को अनुरोध (आर० क्यू०) दर्जे पर बम्बई-काहिरा सैक्टर में यात्रा के लिए था।

(ख) जी, हां।

(ग) जांच-पड़ताल से पता चला है कि श्री राजेन्द्र सिंह सेठिया ने कलकत्ता के दो अन्य व्यक्तियों, श्री भगत राम थापर, और श्री सी० एल० शर्मा की मदद से जो श्री सेठिया से अच्छी तरह परिचित थे, राजकुमार दुग्गर के नकली नाम से पासपोर्ट हासिल करने की जुगाड़ कर ली थी। पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12 (1) (ख) के अधीन गलत सूचना देना एक अपराध है। अतः केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 12-3-85 को श्री राजेन्द्र सिंह सेठिया के खिलाफ छद्मव्यक्तिता और पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारियों को गलत सूचना देने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया। इन तीनों व्यक्तियों को कलकत्ता के मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय में ऐसे अपराधों के लिए चार्ज-शीट किया गया है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 120-(ख)/419/420/468/471 तथा पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12 के अधीन दंडनीय है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा ली गई भूमि के बारे में विवाद

5595. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वे स्थान और क्षेत्र कौन से हैं जहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के भू-स्वामित्व के बारे में विवाद है;

(ख) सरकार ने उनमें से कितने स्थानों पर अनाधिकृत कब्जा किए जाने के मामले पंजीकृत किए हैं; और

(ग) उनमें से कितने मामलों में स्थान खाली करा लिए गए ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

वन्य जीवन सम्बन्धी प्रशिक्षण विभाग और बैठकों में भाग लेने के लिए विदेश यात्रा पर गए सरकारी अधिकारियों/गैर-सरकारी व्यक्तियों का ब्यौरा

5596. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1981 से अब तक वन्य जीवन सम्बन्धी प्रशिक्षण और बैठकों में भाग लेने हेतु विदेश यात्रा पर गए सरकारी अधिकारियों/गैर-सरकारी व्यक्तियों के नाम और पदनाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक सरकारी, प्राधिकारी/गैर-सरकारी व्यक्ति ने किन-किन तारीखों को, कितने समय तक, किस प्रयोजन के लिए तथा किस-किस देश की यात्रा की; और

(ग) क्या दूसरे देशों की यात्रा पर जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को रिपोर्ट देनी होती है और यदि हां, तो ऐसी रिपर्टों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीर सेन) : (क) और (ख) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है। [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1107/85]

(ग) जो अधिकारी विदेश दौरे पर भेजे जाते हैं उन्हें वापस आने पर रिपोर्टें प्रस्तुत करनी होती हैं और जहां आवश्यक होता है वहां अनुवर्ती कार्यवाही की जाती है ।

निर्गम बीसा की आवश्यकता

5597. **श्री के० मोहन दास** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में देश छोड़कर जाने वाले राजनयिकों अथवा विदेशी यात्रियों को निर्गम "बीसा" लेने की आवश्यकता नहीं है;

(ख) क्या इससे सरकार के लिए कोई समस्या उत्पन्न हुई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस स्थिति की पुनरीक्षा करने का है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं । अपने कार्यकाल की समाप्ति पर भारत से आने वाले प्रत्याशी विदेशी राजनयिज्ञों को निर्गम बीमा की आवश्यकता नहीं होती । लेकिन केवल एक देश ऐसा है जहां राजनयिज्ञों को यह देश छोड़ने से पहले अनुमति लेने की आवश्यकता होती है ।

जहां तक विदेशी यात्रियों का सम्बन्ध है, यदि वे एक निश्चित अवधि से अधिक भारत में रहते हैं तभी उन्हें अपना नाम विदेशी पंजीकरण कार्यालय में पंजीकृत कराने की आवश्यकता होती है । इस प्रकार पंजीकृत प्रत्येक व्यक्ति को अपने वापस जाने के बारे में उसी विदेशी पंजीकरण कार्यालय को बताना होता है जिसमें वह पंजीकृत है ।

(ख) जी, नहीं

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा भूमि का अधिग्रहण

5598. **श्री ललितेश्वर शाही** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वैशाली में राजा विशाल का गढ़ नामक टीले के आसपास, जिसमें भगवान बुद्ध का अस्थि कलश रखा है, 25 वर्ष पूर्व 9 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था; और

(ख) विभाग की इस 9 एकड़ के भूखण्ड का इस्तेमाल करने की यदि कोई योजना है तो क्या ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सन् 1964 में उत्खनित स्तूप के आसपास लगभग 6.85 एकड़ भूमि क्षेत्र का उपयुक्त संरक्षण और विकास के लिए अधिग्रहण किया था।

इस क्षेत्र पर भू-दृश्य निर्माण की योजना है, जिसका कार्य चल रहा है?

चलती गाड़ियों में अंधेरा होने के कारण अपराध

5599. श्री एस० एम० भट्टम : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, 1984 से फरवरी, 1985 के बीच रेलगाड़ियों में अंधेरा होने के कारण मण्डल-वार कितने अपराध मामले हुए ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिंहा) : अपराधों से सम्बन्धित कानूनों को लागू करने के लिए राज्य सरकारें तथा संघ शासित क्षेत्र उत्तरदायी हैं। चलती रेलयाड़ियों में रेलवे मण्डल-वार कोई आंकड़े संकलित नहीं किए जाते हैं। रेलगाड़ियों में अंधेरे के समय अर्थात् सायं 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक फरवरी, 1984 तथा फरवरी, 1985 के बीच राज्यवार अपराधों के मामलों से सम्बन्धित उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	अपराधों के मामलों की संख्या			
		चलती रेलगाड़ी में लूटमार	चलती रेलगाड़ी में डकैती	चलती रेलगाड़ी में कत्ल	चलती रेलगाड़ी में पेशेवर विघटितकरण
1.	असम	8	—	—	—
2.	बिहार	3	—	—	—
3.	गुजरात	1	—	—	—
4.	केरल	1	—	—	—
5.	कर्नाटक	—	2	—	—
6.	महाराष्ट्र	28	3	—	3
7.	उड़ीसा	10	3	—	1
8.	राजस्थान	2	3	—	—
9.	उत्तर प्रदेश	2	2	1	—
		55	13	1	4

जलमग्न हड़प्पा शहर

5600. डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हड़प्पा शहर के अवशेष गुजरात समुद्र-तट के बेट द्वारका द्वीप में जलमग्न पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इतिहास की कड़ी जोड़ने में यह कहां तक सहायक सिद्ध होगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) गुजरात समुद्र-तट के बेट द्वारिका क्षेत्र में अन्वेषण से हड़प्पा के अन्तिम और बाद के काल के पुरातत्व अवशेष की उपस्थिति की सूचना प्राप्त हुई है।

(ख) बेट द्वारिका में हड़प्पा काल के बाद के पाए गए पदार्थ, जो सूचित किए गए हैं, ये हैं :—

(1) मुद्रा (मोहर)—एक तीन मुख वाला पशु चिन्ह जिसमें सांढ़, अरना, घोड़ा, (एक शृंगीय अश्व) और बकरा दिखाया गया है; और

(2) मिट्टी के बर्तन, चूड़ियां, शंख आदि ये 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व की निकटवर्ती तिथि का संकेत करती हैं।

ज्वार भाटे वाले क्षेत्र में समुद्र तलवेदी पर बनी पत्थरों की बृहत दीवार से इस क्षेत्र के इनमें डूबने का संकेत मिलता है।

(ग) हड़प्पा और सिन्धु घाटी सभ्यता के बारे में ये अन्वेषण सूचना प्रदान कर सकते हैं कि इन उपलब्धियों पर आगे अध्ययन करने से भारतीय इतिहास के प्राचीन नौकायन इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायता मिल सके। ये अध्ययन समुद्र तल के परिवर्तनों और क्षेत्र की जलवायु के बारे में भी सूचना प्रदान कर सकते हैं।

त्यौहारों की तारीखें तय करने के लिए ज्योतिषियों और वैज्ञानिकों का सम्मेलन

5601. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में कुछ प्रमुख ज्योतिषियों और संस्कृत विद्वानों ने त्यौहारों की तारीखों में समानता लाने के लिए सरकार से ज्योतिषियों और वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन बुलाने का अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में गृह कर में छूट

5602. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली और अन्य स्थानों पर गृह कर के ऐसे मामलों में छूट देने का निर्णय लिया है जिनमें यह निर्धारित समय के भीतर जमा करा दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि की छूट प्रस्तावित की गई है और यह छूट किस अवधि के दौरान दी जाएगी; और

(ग) गृह स्वामियों को यह सुविधायें किस तारीख तक दी जायेंगी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिंहा) : (क) दिल्ली नगर निगम ने वर्ष 1985-86 के सम्पत्ति कर बिलों में निर्धारित समय में की गइ सम्पत्ति कर की अदायगियों पर छूट की अनुमति देने का निर्णय किया है बशर्ते 31-3-1985 को समाप्त अवधि के लिए कोई राशि बकाया न हो ।

(ख) चालू वर्ष के लिए देय राशि पर 1% की दर से छूट की अनुमति होगी । यह छूट सम्पत्ति कर के बिल में उल्लिखित अदायगी के लिए अन्तिम तारीख तक उपलब्ध होगी ।

(ग) छूट पहले ही 1-4-1985 से लागू हो चुकी है ।

राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने के ढांचे में परिवर्तन

5603. **श्री बी० बी० देसाई** :
श्री सोमनाथ रथ :

क्या योजना मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने के ढांचे में परिवर्तन करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने यह मत व्यक्त किया है कि राज्यों में विशाल परियोजनाओं का केन्द्रीय सहायता से वित्तपोषण किया जाना चाहिए;

(ग) यदि हां, तो किन अन्य परिवर्तनों पर विचार किये जाने की सम्भावना है; और

(घ) इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

गैर-सरकारी क्षेत्र में टेलीफोन-उपकरणों और टेलीप्रिन्टरों का निर्माण

5604. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र में टेलीफोन-उपकरणों और टेलीप्रिन्टरों जैसे क्षेत्रों में क्षमता बढ़ाने पर पाबन्दियां लगाई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की पाबन्दियां लगाने के क्या कारण हैं;

(ग) अन्य कौन-कौन-सी दूरसंचार सामग्री की नई क्षमता स्थापित किए जाने पर पाबन्दी लगाई गई हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) टेलीफोन उपकरणों के लिए वर्ष 1989-90 तक जिस कुल विनिर्माण क्षमता की पहले ही सिफारिश की गई है, वह अनुमानित मांग से तीन गुना अधिक है।

दूरमुद्रकों के सम्बन्ध में, जिस विनिर्माण क्षमता की पहले ही सिफारिश की गई है वह सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुमानित मांग से कहीं अधिक है। दूरमुद्रक की उपयोगिता काफी हद तक दूरमुद्रक (टेलेक्स) एक्सचेंज उपस्करों की उपलब्धता के साथ जुड़ी हुई है। अतः इस समय विनिर्माण क्षमता को और बढ़ाना आवश्यक नहीं समझा गया है।

(ग) अन्य वस्तु जिस पर क्षमता सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाया गया है, वह है ई० पी० ए० बी० एक्स०/ई० पी० ए० एक्स०; यह दूरसंचार की वह मद है, जिसे उपभोक्ताओं के परिसर में प्रतिष्ठापित किया जाता है, जिसके विनिर्माण की इजाजत निजी क्षेत्र को दी गई है।

अन्तिम उपस्करों की श्रेणी में आने वाली शेष वस्तुओं के सम्बन्ध में, गुण-दोषों पर विचार करने के बाद प्रस्तावों पर विचार किया जाता है।

(घ) ई० पी० ए० बी० एक्स०/ई० पी० ए० एक्स० की कुल विनिर्माण क्षमता के लिए पहले ही जो सिफारिश की गई है, वह वर्ष 1989-90 तक की अनुमानित मांग से तीन गुना अधिक है।

ट्रांसमिशन (सम्प्रेषण) रेडियो तथा ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंजों, उपस्करों का विनिर्माण इस समय निजी क्षेत्र की कम्पनियों को ऐसी केन्द्रीय/राज्य क्षेत्र की इकाइयों के साथ संयुक्त रूप से करने की इजाजत दी गई है, जिसके पास औद्योगिक लाइसेंस/आशय-पत्र मौजूद हैं, परन्तु शर्त यह है कि कम से कम 51% शेयर केन्द्रीय/राज्य सरकार के होंगे। किन्तु, तृतीय इलेक्ट्रॉनिक स्विचन प्रणाली फैक्टरी के लिए सरकार का पूंजीनिवेश 20% तक सीमित रहेगा तथा इसमें टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र द्वारा विकसित की जा रही प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वर्ष 1984-85 के दौरान आदिवासी परिवारों को दी गई आर्थिक सहायता

5605. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आदिवासी परिवारों को आर्थिक सहायता देने हेतु वर्ष 1984-85 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(ख) उन्हें किस किस्म की सहायता दी गई और उक्त सहायता के रूप में कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या निर्धारित लक्ष्य उपलब्ध कर लिए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1984-85 के दौरान 675 आदिवासी परिवारों को आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य रखा गया था।

(ख) इन परिवारों को ऐसे कार्यक्रमों के अन्तर्गत सहायता दी गई थी जो बागवानी, पशु-पालन, कृषि निवेश, ग्राम तथा लघु उद्योग, वानिकी भूमि संरक्षण और मत्स्य पालन के क्षेत्रों में शामिल हैं। अनुमान है कि 1984-85 के दौरान सामाजिक सेवाओं के व्यय सहित कुल 289.35 लाख रु० की राशि खर्च की गई थी।

(ग) वर्ष के दौरान वास्तविक रूप से 896 परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई थी।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

असम में शरणार्थियों को बसाया जाना

5606. श्री अजय बिश्वास : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के विभाजन के समय से भारी संख्या में शरणार्थी असम में पांडु और मालीगोंग में रेलवे भूमि पर रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें पांडु कालेज के समीप बसाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो कितने शरणार्थियों को वहां भूमि दी गई हैं; और

(घ) इन सभी को अनुमानतः कब तक बसा दिया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) स्थानीय तथा विस्थापित व्यक्तियों द्वारा रेलवे की भूमि का अतिक्रमण किया गया है।

(ख) से (घ) अतिक्रमण करने वालों के पुनर्वास के लिए रेलवे ने पांडू में लागत कीमत पर भूमि देने का प्रस्ताव किया था परन्तु राज्य सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया।

महिलाओं और पुरुषों की जनसंख्या अनुपात

5607. श्री बृजमोहन महन्ती : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अद्यतन जनसंख्या प्रतिवेदन के अनुसार नर शिशुओं और बालकों की तुलना में मादा शिशुओं एवं बालिकाओं की मृत्यु दर अधिक है;

(ख) क्या प्रतिवेदन के अनुसार महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात पुरुषों की तुलना में कम है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) 1981 की जनगणना से

शिशुओं और बालकों की मृत्यु दर का हिसाब नहीं लगाया गया है। परन्तु नमूना पंजीकरण पद्धति के अनुसार नर शिशुओं और बालकों की मृत्यु दर अधिक है।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन समुदाय के लिए प्रसूति स्वास्थ्य देखभाल के कार्यान्वयन में कोई लिंग भेद नहीं बरता जाता है। सरकार को दहेज प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, महिलाओं के प्रति अत्याचार इत्यादि जैसी विभिन्न सामाजिक बुराइयों पर गंभीर चिंता है। एक बहुजन संचार अभियान शुरू किया गया था। महिलाओं और उनकी समस्याओं के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण के लिए लोगों के दिलों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए रेडियो कार्यक्रम और अन्य प्रचार उपाय किए जा रहे हैं। विभिन्न विषयों जैसे दहेज, बाल विवाह, महिलाओं के प्रति अत्याचार, महिलाओं की भूमिका में परिवर्तन आदि पर कई फिल्मों का निर्माण किया गया है अथवा निर्माण की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में हैं।

रंगीन टी० वी० सेट का मूल्य

5608. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रंगीन टी० वी० सेट के मूल्यों में कमी आने की संभावना नहीं है क्योंकि आयातित किटों पर निर्भरता के कारण उत्पादन में भारी कमी हुई है;

(ख) क्या जनता को रंगीन टी० वी० सेटों हेतु पंजीकरण के लिए 1,000 रुपए जमा कराने पड़ते हैं और 9 महीनों से अधिक समय के लिए प्रतीक्षा करनी होती है;

(ग) क्या सरकार ने रंगीन टी० वी० दूरदर्शन ग्लास शैल प्लांट लगाने की कोई योजना बनाई है; और

(घ) सरकार किटों के आयात पर निर्भरता और एकाधिकारवाद की उक्त स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी, नहीं। रंगीन दूरदर्शन सेटों की कीमतों में पहले ही गिरावट आनी शुरू हो गई है। अधिकांश रंगीन दूरदर्शन सेटों के ब्रांड बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं। किन्तु, एक या दो विशेष प्रकार के ब्रांडों के विषय में प्रतीक्षा सूची है; और ऐसे मामलों में राशि जमा करानी होती है।

(ग) अब तक सरकार की रंगीन दूरदर्शन ग्लास शील संयन्त्र की स्थापना करने की कोई योजना नहीं है।

(घ) देश में इस समय संयोजित किए जा रहे रंगीन दूरदर्शन सेटों के लिए आवश्यक आयात किए जाने वाले पुर्जों की मात्रा को कम करने के लिए सरकार ने रंगीन दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों के विनिर्माण के लिए तीन आशय पत्र जारी किए हैं तथा महत्वपूर्ण श्रेणी के रंगीन दूरदर्शन संघटक-पुर्जे जैसे ट्यूनर, ई० एच० टी० विक्षेपण योजक आदि के विनिर्माण के लिए कई पार्टियों को अनुमोदन प्रदान किया है।

बिहार के शरणार्थी परिवारों को भूमि का आबंटन

5609. **श्री आनन्द पाठक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1951-52 में बिहार के श्रीकृष्णपुर और अन्य कालोनियों में लगभग 300 शरणार्थी परिवारों को करीब 865 एकड़ भूमि का आबंटन किया था और वहां पर उनका पुनर्वास किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1956 में बिहार का कुछ प्रादेशिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में अन्तरित हो जाने के पश्चात् उक्त पुनर्वासित व्यक्तियों की कृषि भूमि बिहार में रह गई और उनकी निवास भूमि का लघु भाग जहां पर वे अब भी रह रहे हैं, पश्चिम बंगाल के पश्चिम दीनाजपुर जिले में चला गया;

(ग) क्या बिहार के कुछ आदिवासी और अन्य व्यक्तियों ने उनकी भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है और उनको वहां से हटा दिया है और भूमि पर उनके अधिकार को समाप्त करने से उत्पन्न विवाद अभी भी चल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) इस्लामपुर उप-मण्डल में 4110 एकड़ भूमि पर 580 परिवारों (2772 व्यक्ति) को बसाया गया था ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) और (घ) बिहार सरकार ने 1981 में भारत सरकार को सूचित किया था कि इस भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटा दिया गया है तथा विस्थापित व्यक्तियों को भूमि का कब्जा बहाल कर दिया गया है ।

बम्बई और शिर्डी को जोड़ने के लिए वायुदूत सेवा

5610. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में शिर्डी में पूजास्थल होने के कारण साल भर बड़ी संख्या में भक्तगण वहां आते रहते हैं;

(ख) क्या वहां पर्याप्त रेल सम्पर्क न होने के कारण भक्तगणों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(ग) क्या सरकार को बम्बई और शिर्डी को जोड़ने के लिए वायुदूत सेवा प्रारम्भ करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) शिर्डी नासिक से 20 किलोमीटर की दूरी पर है जो सड़क, रेल और विमान सेवा से भली प्रकार से जुड़ा हुआ है ।

राज्यों में सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल

5611. **श्री अमल दत्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विभिन्न राज्यों और संघशासी क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल की कितनी बटालियनें तैनात हैं;

(ख) सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल की बटालियनें उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों की मांग क्या है; और

(ग) इन मांगों को किस सीमा तक पूरा नहीं किया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल मुख्यत: राज्य सरकारों की विधि और व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करने के लिए है। राज्य सरकारें समय-समय पर केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल को तैनात करने का अनुरोध करती हैं जब राज्य की सशस्त्र पुलिस की यूनिटें अपर्याप्त साबित हो जाती हैं। जब कभी ऐसे अनुरोध प्राप्त होते हैं केन्द्रीय सरकार बल की अपेक्षित संख्या स्थिति की गम्भीरता व आवश्यकता, अवधि जिसके लिए बल की आवश्यकता है, का विश्लेषण करती है और प्राप्त मांग तथा उस समय उपलब्ध रिजर्व बल को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल को भेजती हैं। सीमा सुरक्षा बल मुख्यत: सीमा की सुरक्षा के लिए है और जब केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल उपलब्ध नहीं होता है, सीमा सुरक्षा बल की रिजर्व कम्पनियों को विधि और व्यवस्था कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है। दिनांक 30 अप्रैल, 1985 को विधि और व्यवस्था कार्यों के सम्बन्ध में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बलों और सीमा सुरक्षा बलों की तैनाती का विवरण संलग्न है।

विवरण

दिनांक 30-4-1985 को राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में विधि और व्यवस्था कार्यों के लिए तैनात केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल तथा सीमा सुरक्षा बल तैनात कम्पनियों की संख्या

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	नियमित	सहायक
1	2	3	4
	आंध्र प्रदेश	—	10
	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	—
	अरुणाचल प्रदेश	25	—
	असम	60	6

1	2	3	4
	चण्डीगढ़	15	—
	दिल्ली	29	2
	गुजरात	8	4
	जम्मू तथा कश्मीर	22	6
	मणिपुर	22+1 प्लाटून	6
	मेघालय	6	—
	मिजोरम	36	—
	नागालैंड	12+2 प्लाटून्स	—
	पंजाब	129	—
	पांडिचेरी	2	—
	राजस्थान	6	—
	सिक्किम	4	—
	त्रिपुरा	36	—
	उत्तर प्रदेश	1	—
	पश्चिमी बंगाल	10	—
सीमा सुरक्षा बल			
	पंजाब	57	—
	चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र	4	—
	गुजरात	4	—
	त्रिपुरा	5	—

आगरा-फोर्ट और ताजमहल में ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम

5612. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा फोर्ट और ताजमहल में ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) ऐतिहासिक स्मारकों पर प्रकाश-पुंज व्यवस्था करने और ऐतिहासिक अभिरुचि के स्थानों पर ध्वनि-व-प्रकाश शो भी प्रारम्भ करने के लिए पर्यटन विभाग ने वर्ष 1985-86 के वास्ते 30 लाख रुपये का प्रावधान किया है। वर्तमान वर्ष के दौरान जिन स्थानों पर इनकी व्यवस्था की जानी है उन्हें अभी राज्य सरकारों के परामर्श से अभिनिर्धारित किया जाना है।

नेहरु युवक केन्द्रों पर हुआ व्यय

[हिन्दी]

5613. **श्री निर्मल खत्री** : क्या युवा कार्य और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में नेहरु युवक केन्द्रों को चलाने के लिए सरकार को प्रतिवर्ष कितना व्यय वहन करना पड़ता है ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : देश में नेहरु युवक केन्द्रों को चलाने के लिए सरकार द्वारा क्रमशः 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के वर्षों में किया गया खर्च 2.16 करोड़ रुपये, 2.31 करोड़ रुपये और 2.75 करोड़ रुपये था।

पर्यटन स्थलों को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु कदम

[अनुवाद]

5614. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता के आधार पर प्रदूषण से मुक्त रखने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का जम्मू तथा काश्मीर राज्य में श्रीनगर गुलमर्ग और पहलगांव को प्रदूषण मुक्त रखने हेतु क्या उपाय करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) और (ख) अन्य क्षेत्रों की तरह, पर्यटन स्थलों को प्रदूषण से मुक्त होने की आवश्यकता है, बहरहाल, श्रीनगर, गुलमर्ग तथा पहलगांव को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए केन्द्र सरकार के पास कोई विशेष प्रस्ताव नहीं हैं।

सिंखेड्राजा का एक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

5615. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला बुलडाना में छत्रपति शिवाजी महाराज की मां, जीजामाता के जन्म स्थान सिंखेड्राजा को एक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सरकार से परामर्श करते हुए केन्द्र, राज्य या प्राइवेट सैक्टर में अवस्थानुसार विकास के लिए अभिनिर्धारित किए गए केन्द्रों में बुलडाना जिले में सिखेद्रजा शामिल नहीं है।

तथापि, राज्य सरकार ने बुलडाना जिले में सिखेद्रजा का विकास करने के लिए श्री बालकृष्ण रामचन्द्र वासनिक की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। समिति की सिफारिशों की फिलहाल राज्य सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

दून घाटी में पर्यावरण प्रदूषण

5616. **श्री गंगाराम : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दून घाटी विशेषतः देहरादून के उपनगरों तथा राजापुर टाऊनशिप में काफी संख्या में कारखानों के स्थापित हो जाने के कारण अत्यधिक प्रदूषण हो गया है जिसके कारण उस क्षेत्र की वनस्पति, पशुओं और मनुष्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और उनमें से बहुतों को खांसी और फेफड़े में तपेदिक रोग हो गया है;

(ख) क्या विशेषज्ञों के अनुसार जल सप्लाई में इतनी अधिक कटौती की जायेगी कि वर्ष 1995 तक दो घंटे की जल सप्लाई भी सम्भव नहीं हो सकेगी;

(ग) क्या दून घाटी में पर्यावरण प्रदूषण के कारण और अंधाधुंध पेड़ों को काटने और खनन के कारण वार्षिक वर्षा 80" से घटकर 30"-40" तक हो गई है और अधिकतम तापमान 250 सेल्सियस (सात दशक के प्रारम्भ में रिकार्ड किया गया) से बढकर 32.50 सेल्सियस (आठवें दशक के प्रारम्भ में रिकार्ड किया गया) तक पहुंच गया है; और

(घ) सरकार का विचार दून घाटी में पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए क्या उपाय करने का है ?

पर्यावरण और वन मत्रालय में राज्य मत्री (श्री वीर सेन) : (क) देहरादून में तथा इसके आसपास अधिसंख्य चूना भट्टों तथा सीमेंट संयन्त्रों जैसे अन्य प्रदूषक इकाइयों द्वारा किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण ने वायु प्रदूषण कर दिया है जो वनस्पति तथा जीवित प्राणियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। बहरहाल, खांसी तथा फेफड़े के तपेदिक रोग की घटनाओं का (होने का) अभी तक विस्तार से अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न परिकल्पित है तथा निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि 10 वर्षों में क्या होगा।

(ग) यद्यपि यह सही है कि सूक्ष्म जलवायवी परिवर्तन हुए हैं जिसके परिणामस्वरूप तापमान में वृद्धि और वार्षिक वर्षा में गिरावट आई है, अतः जब तक आंकड़ों का एक व्यापक समय अनुक्रम का विश्लेषण नहीं किया जाता है, तब तक इन परिवर्तनों का निर्धारण करना कठिन है।

(घ) घाटी में वन-विनाश तथा खनन कार्यों के कारण प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव से पूर्ण रूप से अभिज्ञ रहने से निम्नलिखित उपचारी उपाय किए जा रहे हैं :—

(1) घाटी में खनन कार्य काफी नियंत्रित किए गए हैं,

(2) देहरादून तथा इसके आसपास के प्रदूषक उद्योगों को छितराव किया जा रहा है ताकि विविक्त सांद्रता को कम किया जा सके । वृहद वायु प्रदूषक उद्योगों की स्थापना पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

(3) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड दून घाटी में प्रदूषण की मात्रा के मूल्यांकन के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता का प्रबोधन कर रहा है,

(4) घाटी में प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक क्षेत्रीय मास्टर योजना तैयार की जा रही है ।

बस्तर (मध्य प्रदेश) में विदेशियों की गतिविधियां

5617. **श्री महेन्द्र सिंह :**
श्री सरफराज अहमद :

क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में आदिवासी बाहुल्य वाले जिले बस्तर में विदेशियों की गतिविधियां फिर से बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उनकी यात्राओं के गुप्त उद्देश्य की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

कृत्रिम वर्षा

5618. **श्री राम रतन राम :**
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृत्रिम वर्षा कहां तक सफल रही है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कौन-कौन से स्थानों पर कृत्रिम वर्षा के परीक्षण किए गए हैं;

(ग) उस सम्बन्ध में क्या भावी कार्यक्रम तैयार किए गए हैं; और

(घ) वर्ष 1985-86 के लिए इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) अभी तक किए गए कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने वाले प्रयोगों से सफलता की प्रवृत्ति के संकेत मिले हैं ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रयोग किए गए हैं :—

(1) महाराष्ट्र राज्य के सिरूर और बारामती (अर्धशुल्क) क्षेत्र

(2) मद्रास नगर के आसपास

(3) लिंगनमक्की जल ग्रहण क्षेत्र (कर्नाटक)

(ग) महाराष्ट्र में लवण बीजारोपण तकनीकी का उपयोग करते हुए चल रहे प्रयोगों के अलावा, दक्षिण भारत में सिल्वर आयोडायड तकनीकी का उपयोग करते हुए, नए प्रयोग आयोजित किए जा रहे हैं।

(घ) चौदह लाख रुपए।

कतिपय परमाणु संयन्त्रों को बन्द करने की योजना

5619. **श्री एस० एम० गुरुडी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे परमाणु संयन्त्र जिनको चलाने में कठिनाई आ रही है और जो दोषपूर्ण हैं, उनको बन्द कर देने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं। परमाणु बिजली-घरों के पांचों यूनिट इस समय सन्तोषजनक रूप से काम कर रहे हैं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्तर्राज्यीय सीमा विवाद

5620. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र के पास अन्तर्राज्यीय सीमा विवाद के बारे में कितने मामले लम्बित पड़े हैं;

(ख) इन विवादों के कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार का विचार इन विवादों को कब तक निपटाने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) निम्नलिखित राज्यों के बीच सीमा विवाद हैं जिनमें सीमा सम्बन्धी दावे/प्रतिदावे लम्बित हैं :—

(i) असम तथा नागालैंड,

(ii) महाराष्ट्र तथा कर्नाटक,

(iii) कर्नाटक तथा केरल, और

(iv) पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश।

इन विवादों को सम्बन्धित राज्य सरकारों के स्वैच्छिक सहयोग से ही हल किया जा सकता है और इसके लिए उनको सब प्रकार की सहायता देने में केन्द्रीय सरकार को हर्ष होगा। इन मामलों को हल करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

उत्तर प्रदेश में वनरोपण के लिए खर्च की जाने वाली राशि

[हिन्दी]

5622. **श्री हरीश रावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में वनरोपण के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य तथा केन्द्र शीर्षों के अन्तर्गत कुल कितना खर्च किए जाने की सम्भावना है;

(ख) क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों तथा विदेशी सहायता से इस क्षेत्र में कुछ योजनाएं प्रारम्भ करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में वनरोपण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से सहायता मांगने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

नागपुर-अकोला, चन्द्रपुर वायुदूत सेवा

[अनुवाद]

5623. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर-अकोला-चन्द्रपुर (महाराष्ट्र) में वायुदूत सेवा प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से नागपुर-अकोला-चन्द्रपुर वायुदूत सेवा प्रारम्भ करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में प्राधिकारियों ने कोई अन्तिम निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त वायुदूत सेवा कब से प्रारम्भ होगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) इस मार्ग पर प्रचालन करने के प्रस्ताव को साध्य नहीं पाया गया था।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं है।

उड़ीसा में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक

5624. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में स्थित केन्द्र संरक्षित स्मारकों के समुचित परिरक्षण, संरक्षण और अनुरक्षण के लिए मास्टर प्लान तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र द्वारा संरक्षित वे स्मारक कौन से हैं जिनके लिए मास्टर प्लान तैयार किए गए हैं; और

(ग) उक्त मास्टर प्लानों को कार्यान्वित करने के लिए 1985-86 में कितनी धनराशि निश्चित की गई है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार ने कोणार्क के लिए अभी मास्टर प्लान तैयार किया है, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के परीक्षणाधीन हैं।

(ग) कोणार्क सहित विभिन्न संरक्षित स्मारकों के रखरखाव के लिए वर्ष 1985-86 में भुवनेश्वर पुरातत्वीय मंडल के लिए 10 लाख रुपए तक की राशि आबंटित की गई है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के विरुद्ध जांच

[हिन्दी]

5625. **श्री सरफराज अहमद** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा राज्यवार कितने भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के विरुद्ध जांच की गई और कितने प्राधिकारी दोषी पाये गये;

(ख) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो उत्तर प्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध भी जांच कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेन्शन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा के जिन अधिकारियों के विरुद्ध गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने जांच की है उनके राज्यवार और वर्षवार ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

राज्य का नाम	1982	1983	1984
1	2	3	4
हरियाणा	2	—	—
मणिपुर	1	—	—
महाराष्ट्र	1	—	—
मध्य प्रदेश	2	—	—
बिहार	—	—	2

1		2	3	4
पंजाब		—	—	1
पश्चिम बंगाल		1	—	—
संघ राज्य क्षेत्र		4	1	—
	योग	11	1	3

13 मामलों में जांच कार्य पूरा हो चुका है 17 मामले अर्थात् हरियाणा के 2, मध्य प्रदेश का 1, संघ राज्य क्षेत्रों के 3, पश्चिम बंगाल का 1 पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में समाप्त कर दिए गए हैं। मणिपुर के 1 अधिकारी के विरुद्ध जांच और साथ ही विभागीय कार्यवाही की जा रही है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने मध्य प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्रों के 1, 1 अधिकारी के विरुद्ध अभियोग चलाए जाने की और महाराष्ट्र के 1 अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किए जाने और बिहार और संघ राज्य क्षेत्रों के 1, 1 अधिकारी के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करने की सिफारिश की है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

कुछ टी० आई०-68 मदों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट

[अनुवाद]

5626. **डा० सी० एस० वर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ टी० आई०-68 मदों को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क से छूट देने के लिए भारतीय टी० वी० निर्माता संघ नई दिल्ली से इलेक्ट्रॉनिकी विभाग को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके विभाग द्वारा इस विषय पर वित्त मंत्रालय से विचार-विमर्श किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या वित्त मंत्रालय ने अपनी सहमति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कुछ टी० आई०-68 मदों को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क से छूट देने का कब तक अन्तिम निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

तमिलनाडु में विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले संगठन

5627. **श्री एम० अरुणाचलम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में विशेष रूप से तिरुनेलवेली में विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले कितने संस्थान/संगठन हैं; और

(ख) क्या विदेशों से जिस प्रयोजन के लिए उक्त अंशदान मिलते हैं इनका उपयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जाता है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) 1982 में जिसके लिए संगणकीकृत आंकड़े उपलब्ध हैं, तमिलनाडु में एक निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम वाले 592 संस्थानों/संगठनों (राजनीतिक प्रकृति के संगठन नहीं तथा राजनीतिक दल नहीं) ने विदेशी अंशदान प्राप्त करने के बारे में सूचना भेजी। 40 ऐसे संस्थान/संगठन तिरुनेलवेली जिले से सम्बन्धित हैं।

(ख) विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 में ये अपेक्षित है कि प्राप्तकर्ता संगठन अर्द्धवार्षिक आधार पर विदेशी अंशदान की प्राप्ति की सूचना भेजें और कैलेन्डर वर्ष के आधार पर प्राप्त और उपयोग किये गये विदेशी अंशदान के लेखे और विवरण को अलग-अलग बनाये रखें तथा किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखा गृह मंत्रालय को भेजें।

चलती गाड़ी में डकैती

[हिन्दी]

5628. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 14 फरवरी, 1985 के "जनसत्ता" के मुख पृष्ठ में "डकैतों ने महिला को चलती ट्रेन से फैंका" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली पुलिस को इस घटना की खबर कब मिली और दोषी व्यक्तियों को पकड़ने हेतु क्या कदम उठाये गये; और

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली में अपराधों की बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने हेतु कोई प्रभावकारी कदम उठाने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) घटना के बारे में सूचना दिल्ली पुलिस को 10-2-1985 को 10.58 सायं को पुलिस नियंत्रण कक्ष से प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के थानाध्यक्ष और उसके कर्मचारी तुरन्त घटनास्थल पर गए। भा० दं० सं० की धारा 395/397 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है।

(ग) दिल्ली रेलवे पुलिस, प्लेटफार्मों पर गश्त लगाकर और चलती गाड़ियों में बचाव दल भेज कर, यात्रियों को संरक्षण प्रदान कर रही है।

परियोजनाओं की प्रगति की सूचना एकत्र करने का नया तरीका

[अनुवाद]

5629. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए प्रभारी कुछ सरकारी एजेन्सियां/विभाग विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति के बारे में राष्ट्रीय सूचना केन्द्र और योजना आयोग को अपेक्षित जानकारी भिजवाने में अत्याधिक विलम्ब कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की एजेंसियों/विभागों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या केन्द्र का विचार विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में अद्यतन जानकारी एकत्र करने के लिए नया तरीका अपनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायन) : (क) जी, नहीं । परियोजनाओं के कार्यान्वयन के प्रभारी, विभिन्न सरकारी एजेंसियों/विभागों द्वारा योजना आयोग को आवश्यक सूचना देने में अत्यधिक विलम्ब नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) और (घ) हाल ही में 100 करोड़ रु० से अधिक लागत वाली कुछ केन्द्रीय क्षेत्रक परियोजनाओं के लिए नई निगरानी व्यवस्था की शुरुआत की गई है । इस योजना के अन्तर्गत मास की समाप्ति के 3 दिन के अन्दर सम्बन्धित परियोजना प्राधिकारियों द्वारा एक टेलैक्स/टेलीग्राम के जरिए एक संक्षिप्त समाचार (फ्लैश) रिपोर्ट भेजी जाती है। योजना आयोग में विश्लेषण के पश्चात् राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के कम्प्यूटर पर एक उत्पादन समाचार आउटपुट (फ्लैश) रिपोर्ट तैयार की जाती है। अन्य स्थानों के अलावा, योजना आयोग में स्थित राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के कम्प्यूटरों के टर्मिनल पर उत्पादन रिपोर्ट का मूल्यांकन किया जा सकता है।

एयर इण्डिया द्वारा लिया जा रहा अधिक किराया

5630. श्री टी० वशीर : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इण्डिया को पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितना मुनाफा हुआ;

(ख) प्रत्येक वर्ष क्षेत्र-वार कितना मुनाफा हुआ;

(ग) क्या एयर इण्डिया के किराए को युक्तिसंगत बनाने का कोई प्रस्ताव है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या एयर इण्डिया द्वारा किसी क्षेत्र में लिए जा रहे अधिक किराए के सम्बन्ध में अतीत में कोई शिकायत मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) पिछले तीन वर्षों में अर्थात् 1982-83, 1983-84 और 1984-85 में एयर इण्डिया का निवल लाभ क्रमशः 38.04 करोड़ रुपए, 57.30 करोड़ रुपए और 34.00 करोड़ रुपए (अनन्तिम) था ।

(ख) एयर इण्डिया में क्षेत्रक-वार लाभ का लेखा-जोखा नहीं रखा जाता है। मार्ग-वार परिणामों का हिसाब-किताब रखा जाता है। पिछले तीन वर्षों में अर्थात् 1982-83, 1983-84 और 1984-85 में मार्ग-वार प्रचालन लाभ/(हानि) का विवरण संलग्न है।

(ग) किरायों का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है :—

(1) पूरे विश्व में, अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन सगठन (इआटा) फोरम में, सभी आई० ए० टी० ए० सदस्य विमान कम्पनियों द्वारा लागू किए गए किरायों के लिए।

(2) सरकार द्वारा निदेशित द्विपक्षीय रूप से/द्विपक्षीय किराए जो दो सम्बन्धित देशों के बीच करार पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए वाईई 120 यू० एस० ए०/भारत/यू० एस० ए०।

इन दोनों मामलों में, विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखकर मांगों को युक्तिसंगत बनाया जाता है :—

(1) एयर इण्डिया के राजस्व और मार्केट अंश को संरक्षित रखने की आवश्यकता।

(2) एयर इण्डिया की लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त अधिक राजस्व/परिणाम प्राप्त करने की आवश्यकता।

(3) अधिक/कम यात्रियों के मौसम जैसी विशेष आवश्यकताओं विद्यार्थी, वास्तविक पर्यटक, व्यापारी, आदि जैसी यातायात की विभिन्न श्रेणियों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता।

(4) इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता कि किरायों का निर्धारण इस प्रकार किया जाए कि वे अन्य संयोजनों से कम न हों।

एयर इण्डिया के किरायों को युक्तिसंगत करने का कोई विशेष प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि आर्थिक जैसे विभिन्न कारणों, मार्केट की प्रतियोगिता, प्रचालन लागत, आदि जैसे विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, योक्तिकरण निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

(घ) और (ङ) पिछले समय में खाड़ी और भारत के बीच किराये के सम्बन्ध में भारत में या विदेशों में रहने वाले केरल निवासियों से उनके व्यक्तिगत रूप में या उनके संगठनों/यूनियनों के माध्यम से काफी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया था। भारत-खाड़ी क्षेत्रक पर विमान किराए अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संगठन (इआटा) फोरम पर बहुपक्षीय रूप से निश्चित किए गए हैं तथा इनकी सम्बन्धित सरकारों द्वारा संपुष्टि की गई है तथा इन्हें युक्ति-संगत माना जाता है और एयर इण्डिया अपनी ओर से कम किराए वसूल नहीं कर सकता।

विवरण

वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 में एयर इण्डिया के मार्ग-वार प्रचालन लाभ/(हानि)

मार्ग	लाभ/(हानि) करोड़ रुपए में		
	1982-83 वास्तविक	1983-84 वास्तविक	1984-85 अनुमानित
भारत-अमेरिका	0.52	0.67	4.43
भारत-कनाडा	5.50	9.67	6.02
भारत-इंग्लैंड	4.03	4.92	7.00
भारत-यूरोप	9.09	10.08	11.83
भारत-जापान	5.92	0.68	3.37
भारत-आस्ट्रेलिया	7.59	7.28	6.11
भारत-खाड़ी	94.96	119.68	96.86
भारत-सोवियत संघ	0.37	0.62	2.17
भारत-सिंगापुर	4.34	1.71	2.47
भारत-पूर्वी अफ्रीका	0.52	2.11	2.31
भारत-पश्चिमी अफ्रीका	0.38	1.32	2.31
भारत-मारीशस	0.50	0.73	0.60
भारत-जिम्बावे	1.69	0.82	1.36
भारत-जाम्बिया	0.84	0.98	0.87
भारत-बंगलादेश	0.62	0.97	0.62
मालवाहक			
भारत-जापान	1.11	1.73	3.36
भारत-अमरीका	0.23	1.48	0.29
भारत-यूरोप	0.88	0.42	0.45
भारत-इंग्लैंड	1.32	0.06	0.54
भारत-ज्यूरिख	0.36	0.42	1.35
कुल	55.73	82.97	57.08

पर्यटन स्थलों के लिए वायुदूत सेवाएं

5631. **श्री जयप्रकाश अग्रवाल :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विदेशी पर्यटकों की रुचि के किन-किन स्थानों के लिए वायुदूत सेवा प्रारम्भ की गई है;

(ख) उनमें से कौन-कौन से स्थान आपस में जुड़े नहीं हैं;

(ग) ऐसा कब तक किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) क्या उन्हें मालूम है कि इस मामले में समय बर्बाद करके सरकार की मूल्यवान विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ) वायुदूत उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के अगम्य स्थान को जोड़ने तथा उन स्टेशनों को जोड़ने के उद्देश्य से बनाई गई थी जहां इण्डियन एयरलाइन्स प्रचालन नहीं करती तथा जो व्यापार और वाणिज्य के केन्द्रों रूप में या पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इस कम्पनी ने अब तक देश भर 51 स्टेशनों को विमान सेवा से जोड़ दिया है जिनमें पर्यटन की दृष्टि से पूर्ण स्टेशन भी शामिल हैं। इसके अलावा वायुदूत भारत के अन्दर पर्यटक के स्थानों के लिए चार्टर उड़ानों की सुविधाएं भी उपलब्ध कराती है यह अवतरण पट्टियां मौजूद हैं।

बेलगांव और बंगलौर के बीच विमान सेवा बहाली करना

5632. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेलगाम और बंगलौर के बीच विमान सेवा रद्द कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे;

(ग) क्या सरकार का बेलगाम और बंगलौर के बीच विमान सेवा बहाल करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) कम यात्री मांग होने के कारण बेलगाम और बंगलौर के बीच विमान सम्पर्क सेवा बन्द कर दी गई थी।

(ग) और (घ) इण्डियन एयरलाइन्स का इस विमान सेवा को फिर से शुरू करने का विचार नहीं है क्योंकि वर्तमान यातायात से इस समय ऐसी सेवा का औचित्य सिद्ध नहीं होता।

दिल्ली के न्यायालयों में यातायात नियम के उल्लंघन के मामले

5633. **डा० गौरी शंकर राजहंस :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटर वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए पुलिस चालानों से सम्बद्ध बड़ी संख्या में मामले निपटाने हेतु दिल्ली के निचले न्यायालयों में लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मौजूदा स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन मामलों की बढ़ती हुई संख्या को निपटाने के लिए आनरेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का सरकार का विचार है जैसा कि विगत में किया जाता था; और

(घ) यदि नहीं, तो निचले न्यायालयों में इन मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) 15-4-1985 को दिल्ली में विभिन्न न्यायालयों में यातायात उल्लंघनों के लिए कुल 1,72,707 चालान लम्बित थे।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) दिल्ली पुलिस ने ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान के लिए इस मामले पर न्यायिक प्राधिकारियों से विचार-विमर्श किया है।

पारपत्र आवेदनों के निपटान की प्रक्रिया

5634. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या **विदेश मंत्री** पारपत्र आवेदनों के निपटान की प्रक्रिया के बारे में 20 मार्च, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 652 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय पारपत्र अधिकारी, अहमदाबाद को 1985 के पहले तीन महीनों अर्थात जनवरी, फरवरी और मार्च, 1985 के दौरान पारपत्र के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) पारपत्र के लिए उनको प्राप्त कुल आवेदनों में से कितने आवेदकों को आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 7 दिन, 15 दिन, एक महीने के भीतर और एक महीने से अधिक समय में पारपत्र जारी किए गए;

(ग) उपर्युक्त आवेदनों में से कितने आवेदन अधूरे पाए गए और कितनों को अपेक्षाओं का पालन करने के लिए सूचित किया गया और कितनी अवधि के भीतर सूचित किया गया; और

(घ) क्या पारपत्र आवेदकों को आवेदन पत्र स्वीकार करने से पूर्व पारपात्र कार्यालय के फलक पर पूर्ण जानकारी दी जाती है ताकि वे सभी औपचारिकताएं पूरी कर सकें ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) अहमदाबाद स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में प्राप्त पासपोर्ट आवेदन-पत्रों की संख्या नीचे लिखे अनुसार है :—

जनवरी, 1985	7481
फरवरी, 1985	7580
मार्च, 1985	4709

(ख) जनवरी से मार्च, 1985 के दौरान जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या इस प्रकार है :—

1. 7 दिन के अन्दर	45
2. 15 दिन के अन्दर	160
3. 1 महीने के अन्दर	149
4. 1 महीने से ज्यादा	6811

(ग) 124 मामले।

1. उसी दिन यदि आवेदन पत्र व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया गया हो।

2. 7 दिन के अन्दर यदि डाक द्वारा प्राप्त किया गया हो।

(घ) जी, हां।

जनता माडल रंगीन टी० वी० सेटों का उत्पादन

[हिन्दी]

5635. **श्री सत्य नारायण पंवार** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनता माडल रंगीन टी० वी० सेटों के उत्पादन के लिए एक योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो जनता को ये टी० वी० सेट कब तक उपलब्ध हो जायेंगे ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिकी विभागों के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इलेक्ट्रोनिकी विभाग के अन्तर्गत आने वाले ई० टी० एण्ड टी० नामक सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम ने अपनी एम० टी० बी० योजना के अन्तर्गत सामग्री प्रौद्योगिकी तथा ब्रांड नाम उपलब्ध कराने की एक योजना बनाई है ताकि गुणवत्ता में किसी प्रकार के परिवर्तन के बिना ही कम कीमत वाले दूरदर्शन सेट उपलब्ध हो सकें।

(ख) ई० टी० एण्ड टी० ने इन सेटों का परीक्षण के तौर पर विपणन शुरू कर दिया है और वे धीरे-धीरे जनता को उपलब्ध करवाए जायेंगे।

देश में सामाजिक वानिकी

[अनुवाद]

5636. **श्रीमती फूलरेणु गुहा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में सामाजिक वानिकी से, जिस पर भारी धनराशि लगाई गई है, ईंधन और चारे के रूप में ग्रामीण जनता कितनी लाभान्वित हुई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : उन क्षेत्रों में जहां सामाजिक

बानिकी शुरू की गई है, ईंधन की लकड़ी तथा चारे की उपलब्धि में वृद्धि हुई है; तथापि, मांग अब भी उपलब्धि की तुलना में बहुत अधिक है।

द्वारिका के आसपास समुद्र जल का सर्वेक्षण

[हिन्दी]

5637. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या प्रधान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुरातत्व विभाग और समुद्र-विज्ञान संस्थान द्वारा द्वारिका के आसपास किए गए अन्वेषणों के क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) यह कार्य कब आरंभ हुआ और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है और अनुमानत: कितना कार्य शेष है; और

(ग) अब तक कितना व्यय हुआ है; और भविष्य में कितना व्यय होने की सम्भावना है और क्या सरकार को इस सम्बन्ध में पूरी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) पुरातत्व विभाग ने समुद्र की सतह का जल सर्वेक्षण का कोई भी कार्य हाथ में नहीं लिया है। डा० एस० आर० राव, सेवानिवृत अधीक्षक पुरातत्ववेत्ता, भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा द्वारा प्रदान की गई यातायात प्रबन्ध सहायता से अन्वेषण हाथ में लिया। गुजरात के समुद्र में बेट द्वारिका क्षेत्र में किए गए कार्य से पुरातत्वीय प्रमाण का पता है। इन्हें हड़प्पा काल के अन्तिम चरण और पश्चात का बताया गया है।

(ख) द्वारिका क्षेत्र में अन्वेषण जून, 1981 में प्रारम्भ किया गया था। इस अवस्था में, इस कार्य के पूरा होने की संभावित तिथि बताना सम्भव नहीं है। डॉ एस० आर० राव के अनुसार प्रस्तावित कार्य का 3/4 भाग अभी पूरा किया जाना है।

(ग) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (आई० एन० एस० ए०) ने जुलाई, 1981 में इस विस्तृत परियोजना के लिए 2.095 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की थी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने अक्तूबर, 1984 में तीन वर्ष के लिए भारतीय जल क्षेत्र में समुद्री पुरातत्वीय अध्ययन पर व्यापक परियोजना के लिए रु० 11.27 लाख स्वीकृत किए हैं। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, (एन० आई० ओ०) ने इस परियोजना पर अभी तक 5.30 लाख रुपये खर्च किए हैं। द्वारिका में कार्यकलापों को पूरा करने सम्बन्धी अनुमानित व्यय का विवरण उपलब्ध नहीं है। डॉ० एस० आर० राव द्वारा 1982 तक प्राप्त की गई उपलब्धियों का प्रतिवेदन आई० एन० एस० ए० को प्रस्तुत किया गया है।

परमाणु बिजलीघरों पर व्यय किया गया धन

[अनुवाद]

5638. **श्री ई० एस० एम० पकीर मोहम्मद** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में परमाणु बिजलीघरों के निर्माण पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : परमाणु बिजलीघरों के जो पांच यूनिट इस समय काम कर रहे हैं उन पर कुल मिलाकर लगभग 390 करोड़ रुपए का और निर्माणाधीन यूनिटों पर लगभग 559 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय मार्च, 1985 तक किया गया है।

भारत न्यूजीलैंड सहयोग

5639. **श्री सी० पी० ठाकुर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूजीलैण्ड के प्रधानमंत्री के हाल ही में भारत दौरे के बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार, वाणिज्य और राजनीतिक सम्बन्धों के क्षेत्र में सहयोग के नए आधार सामने आए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) न्यूजीलैंड के प्रधान मंत्री की हाल की भारत यात्रा के अनुसरण में यह फैसला किया गया है कि व्यापार, आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग, संस्कृति आदि विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत बनाया जाए। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने भारत से मशीनरी, टैक्सटाइल इत्यादि का आयात करने की अपनी इच्छा व्यक्त की जबकि भारत ने कागज, ऊन जैसी वस्तुओं का आयात करने में दिलचस्पी दिखाई। न्यूजीलैण्ड सरकार ने हाल ही में नई दिल्ली में अपने आवासीय राजनयिक मिशन को फिर खोल दिया है और एक प्रख्यात व्यक्ति को हाई कमीश्नर नियुक्त किया है और साथ ही व्यापार कमीश्नर और अन्य सहायक कर्मचारी भी नियुक्त किए हैं।

इस यात्रा के दौरान दोनों प्रधान मंत्रियों ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर विचारों का आदान-प्रदान किया, जिससे दोनों देश एक-दूसरे को बेहतर ढंग से समझ सकें। न्यूजीलैंड में हमारे हाई कमीश्नर का, जिसकी अध्यक्षता एक कार्यकारी हाई कमीश्नर कर रहा था, दर्जा बढ़ाया जा रहा है और उम्मीद है कि नया हाई कमीश्नर जल्दी ही कार्य-भार संभाल लेगा।

भारत के साथ सम्बन्धों को घनिष्ठ बनाने की न्यूजीलैण्ड की घोषित इच्छा को देखते हुए हमें आशा है कि न्यूजीलैण्ड के साथ हमारे सम्बन्धों में और सुधार आएगा।

पांडिचेरी में हवाई अड्डा

5640. **डा० बल्लभ पेडमन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में कोई हवाई अड्डा नहीं है;

(ख) क्या वहां हवाई अड्डे का निर्माण करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इसका निर्माण कब किया जाएगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) पांडिचेरी में हवाई अड्डे का निर्माण किए जाने की तत्काल योजनायें नहीं हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी कर्मचारियों की गोपनीयता रिपोर्टों का रखरखाव

5641. **श्री शांता राम नायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी कर्मचारियों की चरित्र पंजिकाओं अथवा गोपनीयता रिपोर्टों के रखरखाव के बारे में निर्देशों की पुनरीक्षा करने का है; और

(ख) क्या उच्च अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों की गोपनीयता रिपोर्ट लिखने में शक्तियों का दुरुपयोग किए जाने के कोई उदाहरण सरकार के ध्यान में आए हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) सरकार ने कार्य निष्पादन मूल्यांकन पद्धति की पुनरीक्षा का काम हाथ में ले लिया है।

(ख) व्यक्तिपरक मानवीय तत्व तथा जाने-अनजाने में पक्षपात को न्यूनतम करने की दृष्टि से गोपनीय रिपोर्टों को तैयार करने तथा उनके रखरखाव से संबंधित अनुदेशों में दो स्तरों पर मूल्यांकन किए जाने की व्यवस्था है। इसके अलावा प्रतिकूल टिप्पणियां, यदि कोई हों तो संबंधित सरकारी को भी सूचित की जानी होती हैं ताकि उसे उनके विरुद्ध अभ्यावेदन देने का अवसर मिल सके। इस प्रक्रिया में पहले से ही निहित इन सुरक्षात्मक उपायों को देखते हुए गोपनीय रिपोर्टों के लिखने में शक्तियों के दुरुपयोग की बहुत कम संभावना रहती है।

तमिलनाडु के स्वतंत्रता सेनानियों के मामलों का निपटारा

5642. **श्री पी० चिदम्बरम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग में सेनानी पेंशन के लिए आवेदन-पत्र काफी समय से, और कुछ मामलों में तो अनेक वर्षों से, लम्बित पड़े हैं;

(ख) क्या लम्बित पड़े इन मामलों में कुछ ऐसे मामले भी हैं, जिनमें सम्बन्धित राज्य सरकार ने पेंशन मंजूर कर दी है और केन्द्रीय सरकार ने स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन मन्जूर किए जाने की सिफारिश की है;

(ग) उक्त भाग (क) और (ख) के अन्तर्गत तमिलनाडु के स्वतन्त्रता सेनानियों के लंबित पड़े आवेदनों/मामलों की संख्या कितनी है; और

(घ) क्या सरकार का लंबित पड़े प्रत्येक मामले में अन्तिम आदेश पारित करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) 1972 तथा 1980 की दोनों योजनाओं के अधीन अब तक प्राप्त कुल 430,414 आवेदन पत्रों में से 31-3-1985 तक 1,32,859 स्वतन्त्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है। 1,91,187 मामलों को नामंजूर कर दिया गया है और 1,06,368 मामले मुख्यत: राज्य सरकारों से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण लम्बित हैं।

(ख) राज्य योजना के अन्तर्गत पेंशन प्रदान करने से स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अधीन केन्द्रीय पेन्शन के लिए स्वत: पात्रता प्राप्त नहीं होती क्योंकि राज्य योजना और केन्द्रीय

योजना के अधीन पात्रता के मानदण्ड बिल्कुल भिन्न-भिन्न हैं। फिर भी विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सिफारिश किए गए कुछेक मामले विचाराधीन हैं।

(ग) तमिलनाडु सरकार से सत्यापन रिपोर्टें प्राप्त न होने के कारण 374 मामले लंबित हैं जिनमें से 17 मामले, जिनमें राज्य सरकार की रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं, सरकार के विचाराधीन हैं।

(घ) चूंकि सम्बन्धित राज्य सरकारों की सत्यापन रिपोर्टों के आधार पर मामलों को अन्तिम रूप दिया जाता है इसलिए सभी आवेदनों का निर्णय करने के लिए कोई निश्चित तिथि निर्धारित करना सम्भव नहीं है। फिर भी लंबित आवेदनों को शीघ्रता से निपटाने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है। इनका शीघ्रता से निर्णय करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) गृह मन्त्रालय के अनुदेशों पर राज्य सरकारों ने आवेदनों को निपटाने के लिए विशेष कक्ष स्थापित किए हैं।

(ii) राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार की सलाह पर दावों के सत्यापन तथा छंटनी के लिए सलाह देने हेतु जिला/राज्य स्तर पर समितियां भी स्थापित की हैं।

(iii) सरकार ने सम्मान पेन्शन योजना को कार्यान्वित करने में आने वाली मुख्य समस्याओं पर विचार करने और सरकार को सलाह देने के लिए केन्द्रीय स्तर पर एक गैर सरकारी सलाहकार समिति भी स्थापित की है।

सिखों के धार्मिक स्थानों पर हथियारों में प्रशिक्षण देने हेतु शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के बजट में प्रावधान

5643. **श्री भोलानाथ सेन :**
श्री शान्ताराम पोतदुबे :
श्री लक्ष्मण मलिक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के 1985-86 के बजट में सिखों धार्मिक स्थानों में हथियारों में प्रशिक्षण देने हेतु विशेष व्यवस्था करने के प्रावधान किए जाने संबंधी जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1984-85 के दौरान ऐसे प्रशिक्षण के लिए कितनी धनराशि नियत की गई थी;

(घ) सिखों के धार्मिक स्थानों में किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाएगा;

(ङ) सिखों के कौन-कौन से धार्मिक स्थानों का ऐसे प्रशिक्षण के लिए उपयोग करने का प्रस्ताव है; और

(च) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (च) उपलब्ध सूचना के अनुसार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी ने वर्ष 1985-86 के लिए बजट प्राक्कलन में 2.50 लाख रुपये का प्रावधान

रखा है और वर्ष 1984-85 के लिए सशस्त्र विद्या देने के लिए 35,000 रु० का प्रावधान रखा गया था जो कि सिखों के निम्नलिखित धार्मिक स्थानों में दी जानी है :—

1. श्री दरबार साहिब, अमृतसर ।
2. गुरुद्वारा दुःख निवारण साहिब, पटियाला ।
3. श्री दरबार साहिब, तरनतारन ।
4. गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब, सरहिन्द ।
5. गुरुद्वारा श्री तेग बहादुर साहिब, जीन्द ।
6. श्री दरबार साहिब, मुक्तसर ।
7. गुरुद्वारा श्री बेर साहिब सुल्तान लोधी, कपूरथला ।
8. गुरुद्वारा बाबा गन्धा सिंह, बरनाला ।
9. गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब, धमतान साहिब ।
10. तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवन्डी ।
11. तख्त श्री केशगढ़ साहिब, आनन्दपुर साहिब ।

2. प्राधिकारी सतर्क हैं और इस मामले में कड़ी निगरानी रखी जा रही है । गैर कानूनी गतिविधियों में ग्रस्त लोगों के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई की जाएगी ।

वर्ष 1985-86 के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कार्यक्रमों हेतु धनराशि

5644. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1985-86 की केन्द्रीय योजना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थ विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 209 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा ये धनराशियां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कार्यक्रमों के लिए राज्यों को दी जाएंगी; और

(घ) यदि हां, तो राज्यों को राज्यवार कितनी धनराशि वितरित किए जाने का विचार है और उक्त केन्द्रीय योजना में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितना धन दिया गया ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) जी हां, श्रीमान् । 1985-86 के दौरान 207 करोड़ रुपये में से केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए 42 करोड़ रुपए, जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं, और अनुसूचित जातियो के लिए विशेष कम्पोनेंट योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 165 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है :—

(करोड़ रुपए में)

1. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	10.00
2. अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्तियां	2.50
3. अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए कन्या छात्रावासों का निर्माण और	5.00
4. मैडिकल तथा इंजीनियरिंग कालेजों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए पुस्तक बैंक	0.55
5. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र	0.70
6. सफाई कर्मचारियों की मुक्ति सहित नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम का कार्यान्वयन	5.50
7. अनुसूचित जाति विकास निगम	15 00
8. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुसंधान तथा प्रशिक्षण	1.00
9. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण में लगे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	1.75
जोड़	42.00

इसके अतिरिक्त, जनजातीय उप-योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता देने के लिए 140 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

(ग) तथा (घ) इन योजनाओं के लिए आवश्यक निधियां गृह मन्त्रालय द्वारा राज्य सरकारों को उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर दी जाती है। इन प्रस्तावों में राज्य के बजट में किए गए बराबर के प्रावधान दिखाये जाते हैं। भिन्न-भिन्न राज्यों को निधियां देते समय उनको गत वर्षों के दौरान दिये गये अनुदान में से किये गये व्यय और प्राप्त किये गये वास्तविक लक्ष्यों की सूचना को भी ध्यान में रखा जाता है। वर्ष के आरम्भ में राज्यवार कोई आवंटन नहीं किया जाता है।

वनों की दुर्दशा

5645. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे वनों की हालत बहुत खराब है;

(ख) यदि हां, तो उपग्रह से लिए गए चित्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वन क्षेत्र में हुई वास्तविक कमी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपग्रह के माध्यम से वनों सम्बन्धी आंकड़े, जो देहरादून स्थित केन्द्र सरकार के अधिकारियों के पास उपलब्ध हैं, उनकी जानकारी संसद सदस्यों को नहीं दी गई है हालांकि पिछले वर्षों से वे इनके बारे में पूछते आ रहे हैं और यदि हां, तो इस दिशा में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है;

(घ) राष्ट्रीय वन योजना के अनुसार वास्तव में 30 प्रतिशत वन क्षेत्र में लक्ष्य उपलब्ध करने हेतु क्या ठोस और रचनात्मक योजना बनाई गई है; और

(ङ) इस काम के लिए कितने समय और धन की जरूरत है और सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जैविक दवाब के कारण हमारा बहु-सा वन क्षेत्र आक्रमण स्थिति में है।

(ख) उपग्रह के चित्र के आधार पर राष्ट्रीय सुदूर संवेदनशील एजेन्सी ने अनुमान लगाया है कि 1972-75 और 1980-82 के बीच वन के तहत क्षेत्र निम्न रूप में घट गया है :—

वर्ष	दस लाख हैक्टार में वन के तहत क्षेत्र सीमा	भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में वन के तहत क्षेत्र की प्रतिशतता
1972-75	55.52	16.89
1980-82 (अनुमानित कमी)	46.35	14.10
	9.17	2.79

इस अनुमान में निम्नलिखित बातों के कारण कुछ संशोधन करने की आवश्यकता हो सकती है :—

(1) कुछ चित्र शरत के दौरान की अवधि से, जब वृक्ष पत्ते से रहित होते हैं, सम्बन्धित होते हैं, जिसमें वनस्पति का परावर्तन कमजोर प्रतिलम्बित हुआ है।

(2) कुछ वन क्षेत्र बादलों से ढके होने से छाया और प्रतिरोधन की वजह से चित्र में नहीं आये हैं।

(3) युवा तथा अपूर्ण पौधरोपण जिसकी छतरी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी, उपग्रह चित्र में उन्हें वन क्षेत्र के रूप में अभिज्ञान नहीं किया जा सका।

(4) चित्र का पैमाना बहुत ही छोटा होने की वजह से उसमें वन क्षेत्रों के छोटे टुकड़े नहीं आए जिसके कारण संचयी त्रुटि हुई।

राष्ट्रीय सुदूर संवेदनशील एजेन्सी द्वारा चित्र के माध्यम से प्राप्त आंकड़े को भूमि की सत्यता के आधार पर जांच की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत वानिकी सम्बन्धी परिव्यय को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। एक राष्ट्रीय अकृष्ट भूमि विकास बोर्ड स्थापित किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य, ईंधन तथा चारा वृक्षारोपण के तहत सालाना 50 लाख हैक्टार भूमि लाना है। इस कार्य के लिए अपेक्षित धनराशि, कवर किया जाने वाला क्षेत्र, कार्यक्रम बनाने तथा लोगों की भागीदारी की सीमा पर निर्भर करती हैं। ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

उड़ीसा में उद्योगों के कारण होने वाले प्रदूषण का ब्यौरा

5646. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उड़ीसा सरकार से, उस राज्य में मध्यम तथा बड़े उद्योगों की स्थापना से होने वाले वायु और जल प्रदूषण के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी एकत्र करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो वहां पर इन उद्योगों से उद्योगवार कुल कितने ग्राम, जनसंख्या और नदियां प्रभावित हुई हैं; और

(ग) यदि उस राज्य द्वारा यह जानकारी अभी तक एकत्र नहीं की गई है तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं यद्यपि केन्द्र सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उड़ीसा सहित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को अपने प्रदूषण नियंत्रण स्तरों सहित (बड़े तथा मझौले क्षेत्र के) उद्योगों की एक सूची तैयार करने के लिए कहा था।

(ख) राज्य बोर्ड द्वारा वायु तथा जल प्रदूषण से प्रभावित कुल जनसंख्या तथा गांवों का अभी सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) उपर्युक्त औद्योगिक सर्वेक्षण में प्रभावित गांवों तथा जनसंख्या के बारे में आंकड़े एकत्र करने हेतु कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी नहीं किए गए थे। बहरहाल, उड़ीसा राज्य सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नदियों में सार्थक प्रदूषण तथा प्रभावित जनसंख्या और गांवों के मूल्यांकन के लिए कार्यक्रम आरम्भ किए हैं।

विदेशों में भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आरम्भ की गई परियोजनाओं में कार्यरत जन-बल

5647. **श्री अनादि चरण दास** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विदेशों में कौन-कौन-सी परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं;

(ख) प्रत्येक परियोजना पर कितने भारतीय जन-बल कार्यरत हैं;

(ग) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कार्यालयों में कुल कितने कर्मचारी हैं और क्या प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की नियुक्ति के लिए आरक्षण नीति क्रियान्वित की जा रही है अथवा नहीं; और

(घ) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के कार्यालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने कर्मचारी हैं और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने श्रमिक विदेश भेजे गए ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने विदेशों में निम्नलिखित परियोजनाएं आरम्भ की हैं :—

(1) निर्माण परियोजनाएं :

1. लीबिया में अंतस्थ भवन, विमान क्षेत्र प्रकाश-व्यवस्था और वायु सेना शिविर सहित नई घाट विमान क्षेत्र परियोजना (पूरी हो गई है)।

2. लीबिया में ब्राक विमान क्षेत्र परियोजना (परियोजना की प्रावस्था-I पूरी हो चुकी है और प्रावस्था 2 का काम चल रहा है)।

3. यमन गणराज्य में रियान विमान क्षेत्र (पूरी हो गई है)।

4. यमन गणराज्य में अल-गैंधा विमान क्षेत्र (काम चल रहा है)।

5. मालदीव में विमान क्षेत्र (पूरा हो गया है)।

(2) परामर्शी परियोजनाएं :

1. अत्तूतकी कूक्स द्वीप समूह पर विमान क्षेत्र का मूल्यांकन (पूरा हो गया)।

2. नैरो में विमान क्षेत्र का विकास (पूरा हो गया है)।

3. तंजानिया में माफिया में विमान क्षेत्र का विकास (पूरा हो गया है)।

4. अल्जीरिया में बतना और सैतिफ में विमान क्षेत्रों का विकास (काम चल रहा है)।

(ङ) इस समय विदेशों में चल रही परियोजनाओं में नियुक्त भारतीयों की संख्या इस प्रकार है :—

लीबिया में ब्राक विमान क्षेत्र परियोजना	124
दक्षिण यमन में अल-गैंधा विमान क्षेत्र परियोजना	40
अल्जीरिया में बतना और सैतिफ विमान क्षेत्र परियोजना	8
कुल :	172

(ग) दिनांक 1-1-1985 को भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण में 4981 कर्मचारी हैं।

भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के सम्बन्ध में सरकार की विद्यमान नीति और निदेशों का कड़ाई से पालन कर रही है।

(घ) दिनांक 1-1-1985 को भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण में नियुक्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संख्या क्रमशः 1255 और 162 है। चल रही परियोजनाओं में नियुक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या इस प्रकार है :—

क्र० सं०	परियोजना	नियमित कर्मचारी		ठेके पर नियुक्त कर्मचारी		कुल	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1.	लीबिया में ब्राक परियोजना	13	—	8	1	21	1
2.	दक्षिण यमन में अल-गैंधा परियोजना	4	—	2	—	6	—
3.	अल्जीरिया में बतना और सैतिफ परियोजना	1	—	—	—	1	—
	कुल :	18	—	10	1	28	1

कम्प्यूटर रख-रखाव निगम

[हिन्दी]

5648. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1975 में एक कम्प्यूटर रख-रखाव निगम की स्थापना की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसके कृत्य क्या हैं; और

(ग) उक्त निगम द्वारा 1975 से अब तक की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां। अगस्त, 1984 में निगम का नाम बदल कर सी० एम० सी० लिमिटेड रखा गया है।

(ख) इसके कार्य क्षेत्र में कम्प्यूटर से सम्बन्धित समूची सहायक सेवाएं आती हैं जिसमें अनुरक्षण, प्रणाली-इंजीनियरी, उपस्करों की आपूर्ति, साफ्टवेयर विकास, प्रणाली परामर्श विषयक सेवाएं, कम्प्यूटर के स्थल की तैयारी, शिक्षण तथा प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा विकास कार्य, आदि शामिल हैं और साथ ही विदेशों में तकनीकी सेवाएं प्रदान करना और साफ्टवैयर का निर्यात कार्य भी इसमें शामिल है।

(ग) इसके द्वारा की गई प्रगति नीचे दिए अनुसार है :—

1. शुरू-शुरू में अनुरक्षण सेवाएं प्रदान करने पर अधिक जोर दिया गया था। जून, 1978 में जब आई० बी० एम० ने धीरे-धीरे अपना कारोबार भारत से समाप्त कर दिया, तब सी० एम० सी० ने भारत में आई० बी० एम० उपस्कर के प्रयोगकर्ताओं को इस बात का विचार किए बिना सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया कि मशीनों की किस्म क्या है, वे कितनी पुरानी हैं, उनका आकार क्या है या वे कहां प्रतिष्ठापित हैं। सी० एम० सी० इस समय पंच/वेरीफायरों तथा यूनिट रिकार्ड उपस्करों के अलावा, भारत में 80 स्थानों पर प्रतिष्ठापित 30 अग्रणी विदेशी विनिर्माताओं के 386 मेनफ्रेम-कम्प्यूटरों (बड़ी प्रणालियां) को अनुरक्षण सेवाएं प्रदान कर रहा है। सी० एम० सी० प्रयोक्ता-संगठनों को स्थल की तैयारी के सम्बन्ध में भी सहायता प्रदान करता है। सी० एम० सी० अनेक साफ्टवेयर तथा प्रणाली-इंजीनियरी परियोजनाएं भी चला रहा है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

(क) विकासशील देशों में वास्तविक-समय (रियल टाइम) कम्प्यूटरों के अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्र संघ की सहायता से "इन्टरऐक्ट" परियोजना;

(ख) "क्लास" (विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता तथा अध्ययन) परियोजना को इंजीनियरी सम्बन्धी सहायता देना;

(ग) व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए "इन्डोनेट" नामक एक अखिल भारतीय कम्प्यूटर नेटवर्क का विकास करना, जिसे प्रतिष्ठापित करने का कार्य 1985/86 में शुरू कर दिया जाएगा;

(घ) संदेश स्विचन प्रणाली साफ्टवेयर, विद्युत प्रणाली प्रबन्ध के लिए पर्यवेक्षी नियन्त्रण तथा आंकड़ा अभिग्रहण साफ्टवेयर, सुबाह्य सम्बन्धात्मक आंकड़ा बैंक साफ्टवेयर आदि जैसे विशिष्ट साफ्टवेयर का विकास करना;

(ङ) "लिपि" नामक एक बहुभाषी शब्द संसाधक का विकास;

(च) "ग्राफिक्स" का विकास, जो ग्राफिक्स के अनुप्रयोग का विकास करने वालों के लिए एक अमूल्य औजार है; तथा नेटवर्क पर आधारित "ऐडमिन" नामक आंकड़ा बैंक प्रबन्ध का विकास।

2. सी० एम० सी० के अन्य कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(क) शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना;

(ख) उपान्त-उपस्करों (पेरीफरल) के फ्लॉपी ड्राइवों, मैट्रिक्स तथा लाइन मुद्रकों और विंचेस्टर ड्राइवों के लिए सरणीबद्ध अभिकरण के रूप में काम करना, (जिसे अब गैर-सरणीबद्ध कर दिया गया है);

(ग) सी० एम० सी० ने उत्तर रेलवे के लिए एक ऑन-लाइन यात्री आरक्षण प्रणाली को भी शुरू से लेकर आखिर तक अंजाम दिया है।

3. सी० एम० सी० का कारोबार बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। वर्ष 1978-79 में हुए 5.5 करोड़ रु० के कारोबार की तुलना में वर्ष 1984-85 में इसका अनुमानित कारोबार 22 करोड़ रु० का हुआ है।

इलेक्ट्रोनिक्स की तरक्की के लिए धनराशि का आवंटन

5649. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने इलेक्ट्रोनिक्स की तरक्की के लिए 1985-86 में कितनी धनराशि आवंटित की है;

(ख) वार्षिक योजना के अन्तर्गत उक्त धनराशि किन-किन मदों पर खर्च किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) वर्ष 1984-85 में विभिन्न मदों पर खर्च की गई धनराशि का मद-वार ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) संलग्न विवरण में ब्यौरे दिए गए हैं ।

विवरण

इलेक्ट्रोनिकी विभाग की योजनागत परियोजनायें

(लाख रु० में)

योजना का नाम	वर्ष 1985-86 के लिए निर्धारित राशि	वर्ष 1984-85 के दौरान खर्च की गई राशि
1	2	3
(क) निगम		
1. इलेक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कारपोरेशन (ई० टी० एण्ड टी०)	100.00	150.00
2. कम्प्यूटर मेंटेनेंस कारपोरेशन (सी० एम० सी०)	500.00	175.00
3. सेमीकण्डक्टर कॉम्प्लेक्स लि० (एस० सी० एल०)	960.00	743.00
(ख) संस्था		
4. प्रायोगिक सूक्ष्मतरंग इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी तथा अनुसंधान संस्था (समीर)	230.00	96.89
5. टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सी० डी० ओ० टी०)	720.00	50.00
(ग) विभागीय परियोजनायें		
चली आ रही योजनायें		
6. रेडारों तथा आदेश, नियंत्रण, संचार तथा सूचना	50.00	—

1	2	3
(सी[3] आई०) प्रणालियों के क्षेत्र में प्रणाली इंजीनियरी तथा परामर्श-सेवायें		
7. इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में उन्नत अध्ययन केन्द्र	200.00	132.69
8. विद्युत चुम्बकीय व्यतिकरण/विद्युत चुम्बकीय संगतता (ई० एम० आई०/ई० एम० सी०) अध्ययन कार्यक्रम	120.00	80.00
9. विश्वसनीयता अध्ययन कार्यक्रम	80.00	30.68
10. मुख्यालय	150.00	29.57
11. विशेष संघटक-पुर्जे तथा सामग्री कार्यक्रम	80.00	36.54
12. राष्ट्रीय सिलिकन सुविधा	545.00	136.42
13. मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता नियन्त्रण (एस० टी० क्यू० सी०)	450.00	385.19
14. जनशक्ति विकास तथा सामाजिक इलेक्ट्रोनिकी	33.80	473.22
15. उत्तमता तथा क्षेत्रीय विकास केन्द्र	166.20	7.54
16. इलेक्ट्रोनिकी डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी० ई० डी० टी०)	200.00	47.00
17. विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता तथा अध्ययन (क्लास)	400.00	*
18. रेडियो सम्बन्धी अव्यवसायी कार्यकलापों का विकास	5.00	25.00
नई योजनायें		
19. इलेक्ट्रॉनिकी संघटक-पुर्जा विकास निधि	10.00	—
20. अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र और विद्युत सेमी-कण्डक्टर युक्तियों का उत्पादन केन्द्र	10.00	—
(घ) कम्प्यूटर, नियन्त्रण तथा यन्त्रीकरण पक्ष के अन्तर्गत आने वाली योजनायें		
चली आ रही योजनायें		
21. राष्ट्रीय साफ्टवेयर विकास तथा अभिकलन तकनीक केन्द्र (एन० सी० एस० डी० सी० टी०)	250.00	267.00
22. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन० आई० सी०)	1800.00	2542.25

1	2	3
23. कम्प्यूटर केन्द्र कार्यक्रम	200.00	35.00
24. साफ्टवेयर विकास कार्यक्रम (सी० ए० डी०, सी० ए० एम०, सी० ए० आई० आदि)	200.00	173.32
25. कम्प्यूटरों के मेनफ्रेम के विकास तथा उत्पादन के लिए केन्द्र	1000.00	18.63
26. तन्तु प्रकाशिकी अनुप्रयोग संवर्धन कार्यक्रम (एफ० ओ० एस० ए० पी० पी०)	100.00	—
27. कम्प्यूटरों के लिए विशिष्ट जनशक्ति का निर्माण	350.00	*
28. समुचित स्वचालन संवर्धन केन्द्र)		
29. सूक्ष्म संसाधित्र (माइक्रोप्रोसेसर) अनुप्रयोग) विकास कार्यक्रम)	400.00	101.12
30. खनन इलेक्ट्रोनिकी उपस्कर विकास)		
31. लचीली विनिर्माण-प्रौद्योगिकी के लिए केन्द्र	100.00	—
32. राष्ट्रीय एच० वी० डी० सी० प्रयोगात्मक लाइन परियोजना	250.00	87.73
नई योजनाएं		
33. टेलीमैट्रिक्स विकास तथा संवर्धन कार्यक्रम	100.00	—
34. पांचवें जापान का सुपर मिनी कम्प्यूटर डिजाइन कार्यक्रम	30.00	—
35. कम्प्यूटर नेटवर्किंग में उन्नत प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	50.00	—
36. साफ्टवेयर निर्यात संवर्धन कार्यक्रम	10.00	—
37. उपकरण अनुरक्षण कार्यक्रम	10.00	—
(ङ) वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्यक्रम		
38. प्रौद्योगिकी विकास परिषद् की परियोजनायें	300.00	223.70
39. राष्ट्रीय रेडार परिषद् की परियोजनायें	200.00	258.57
40. राष्ट्रीय सूक्ष्म-इलेक्ट्रोनिकी परिषद्	200.00	—
योग	10560 00	6307.16

*वर्ष 1984-85 के दौरान इन परियोजनाओं पर हुए व्यय को जनशक्ति विकास के अंतर्गत योजना संख्या 14 में शामिल किया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम के साथ विदेशी व्यापार

5650. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम की स्थापना के बाद वर्ष 1974 से आज तक विदेशी व्यापार में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ख) कितने व्यक्तियों को परीक्षण और नापतोल मशीनें सस्ती दरों पर उपलब्ध की गई हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एण्ड टैक्नोलॉजी डेवलपमेंट कार्पोरेशन (ई० टी० एण्ड टी०) के कार्यकलापों के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्रों में आयात तथा निर्यात दोनों ही दिशाओं में विदेशी व्यापार बढ़ाने में असाधारण योगदान मिला है जैसाकि वर्ष 1974 में इसकी स्थापना काल से ही इसके व्यवसाय में हुई वृद्धि से देखा जा सकता है :—

वर्ष	कुल व्यवसाय (लाख रुपयों में)	निर्यात (लाख रुपयों में)
1974-75	87.63	5.00
1975-76	179.10	3.84
1976-77	649.12	50.99
1977-78	1154.49	128.19
1978-79	1218.65	86.77
1979-80	1086.05	80.94
1980-81	1451.79	151.25
1981-82	2160.66	111.80
1982-83	6362.24	108.85
1983-84	3123.98	125.92
1984-85	7396.99 (अनन्तिम)	154.90 (अनन्तिम)

(ख) इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एण्ड टैक्नोलॉजी डेवलपमेंट कार्पोरेशन (ई० टी० एण्ड टी०) विभिन्न संगठनों और प्रयोगकर्ताओं को परीक्षण तथा परिमापन उपस्करों का आयात करके उनकी आपूर्ति कर रहा है। अब तक, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एण्ड टैक्नोलॉजी डेवलपमेंट कार्पोरेशन (ई० टी० एण्ड टी०) ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय स्रोतों से प्रतियोगी कीमतों पर इन उपस्करों की थोक खरीद करके इन उपस्करों की आपूर्ति 350 से अधिक पार्टियों को की है।

देश में विभिन्न पर्यटन स्थलों के विकास के लिए विदेशी पूंजी निवेश

[अनुवाद]

5651. श्री पीयूष तिरकी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों के विकास के लिए भारत में पूंजी निवेश करने हेतु अनेक देशों से अनुरोध किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) विदेशी पूंजी निवेशकों को दी जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जापान सरकार ने बौद्धगया और अन्य बौद्ध तीर्थ स्थानों के विकास के लिए पूंजी निवेश करने की इच्छा प्रकट की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार विदेशी पूंजी निवेशकों को भारत में होटलों आदि पर पूंजी निवेश करने की मंजूरी देने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (घ) जी, नहीं।

(ख) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

(ग), (च) और (छ) विदेशी पर्यटकों के लिए होटल आवास का अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर विकास करने के वास्ते सरकार आयोजना, डिजाइनिंग एवं होटल की साज-सज्जा (इक्विपिंग) और उनकी अन्तर्राष्ट्रीय मार्किटिंग जैसी कुछ विशिष्ट तकनीकी सेवाओं के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय श्रृंखलाओं के साथ विदेशी निवेश और सहयोग करने की अनुमति देती रही है। विदेशी सहयोगकर्ता इक्विटी में कुल इक्विटी पूंजी के 30% तक विदेशी मुद्रा में निवेश कर सकते हैं और भारतीय करों के भुगतान के पश्चात् लाभांश या अन्य कोई उनकी ओर देय अदायगियों को रिपैट्रिएट कर सकते हैं।

अलिपुरद्वार में स्टेडियम का निर्माण

5652. श्री पीयूष तिरकी : क्या युवा कार्य और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण एथलिटों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार का पश्चिम बंगाल के जलपाइगुडी जिले में अलिपुर में एक स्टेडियम का निर्माण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक बनकर पूरा हो जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) जलपाइगुडी जिले में अलिपुरद्वार में स्टेडियम के निर्माण के लिए, पश्चिम बंगाल सरकार से, कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

पर्यटन विभाग द्वारा अपंग व्यक्तियों/शिशुओं को सुविधाएं

5653. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन विभाग द्वारा राज्यों में विभिन्न स्थानों पर होटल सम्बन्धी क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं;

(ख) क्या अपंग व्यक्तियों/शिशुओं के लिए कोई विशेष सुविधाएं अथवा रियायतें उपलब्ध कराई गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार अपंग व्यक्तियों/शिशुओं को भी ऐसी सुविधाएं और रियायतें उपलब्ध कराने का है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) पर्यटन विभाग स्वयमेव कोई होटल सुविधाएं प्रदान नहीं करता।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

कुड़म्मा जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया जाना

5654. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार और उस राज्य के कुछ संसद सदस्यों ने केन्द्रीय सरकार को सुझाव दिया है कि उड़ीसा राज्य की "कुडुमा" जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया जाए और यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि कुडुमा जाति कंकडपा जाति का ही एक अंग है जिसे अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया गया है और यदि हां, तो कुडुमा जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का इस जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) "कुडुम्मा" समुदाय को कन्द्रा के पर्याय के रूप में मानने के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, "कन्द्रा" जिसे उड़ीसा राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, न कि "कन्डपा" जिसे उड़ीसा में अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। उड़ीसा सरकार से प्राप्त टिप्पणियों को लोक हित में प्रकट नहीं किया जा सकता।

(ग) उपर्युक्त प्रस्ताव पर ऐसे अन्य प्रस्तावों के साथ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में प्रस्तावित व्यापक संशोधन के संदर्भ में विचार किया जा रहा है क्योंकि

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की विद्यमान सूचियों में कोई संशोधन संविधान के अनुच्छेदों 341(2) और 342(2) को ध्यान में रखकर संसद के किसी अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है।

जनगणना के आंकड़ों का प्रकाशन

5655. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जनगणना के महापंजीकार द्वारा विभिन्न बोलियों, भाषाओं को बोलने वाले और धार्मिक समूहों और लोगों की अन्य श्रेणियों के सम्बन्ध में जनगणना के आंकड़ों के प्रकाशन में असाधारण विलम्ब की जानकारी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं और यह आंकड़े कब तक प्रकाशित करने की सम्भावना है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त द्वारा जनगणना के आंकड़ों के प्रकाशन में कोई असाधारण विलम्ब नहीं किया गया है। उन्होंने 1981 की जनगणना में घरानों की अनुसूचियों मे एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित धार्मिक समूहों से सम्बन्धित आंकड़े, सामान्य जनसंख्या, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आंकड़े पहले ही प्रकाशित कर दिए हैं। भाषा/मातृभाषा से सम्बन्धित आंकड़ों का सारणीकरण किया जा रहा है और अन्तर्ग्रस्त कार्य की मात्रा को देखते हुए भी इस मामले में कोई असाधारण विलम्ब नहीं हुआ है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केन्द्र की स्थापना

5656. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश में एक परमाणु ऊर्जा केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में उस राज्य की सरकार के अनुरोध पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार उस पर विचार करेगी और उक्त केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लेगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) यह अनुमोदित कर दिया गया है कि राजस्थान में रावतभाटा में, जो कि उत्तरी विद्युत क्षेत्र में शामिल है, स्थित वर्तमान बिजली घर का विस्तार निकट भविष्य में किया जाए। कई अन्य स्थलों के बारे में इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है कि उत्तरी विद्युत क्षेत्र में, जिसमें हिमाचल प्रदेश भी शामिल है, भविष्य में परमाणु बिजलीघर कहां-कहां लगाए जाएं।

केन्द्रीय संस्कृति के सम्वर्धन हेतु क्षेत्रीय परिषदें

5657. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय संस्कृति के सम्वर्धन और समेकन हेतु क्षेत्रीय परिषदें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) इस मामले में सरकार द्वारा उठाये गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां। देश में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र सांस्कृतिक कार्यकलापों में लोगों की सहभागिता पर विशेष बल देंगे तथा यह उस क्षेत्र की संस्कृति की भिन्नताओं और समानताओं को बनाए रखेंगे और इस प्रकार से यह विविधता में एकता का प्रतीक होगा। इन्हें विभिन्न कलात्मक स्वरूपों, जैसे कि संगीत, लोक नृत्य, लोक शिल्पों तथा जनजातीय कलाओं के रूप में उपयुक्त ढंग से प्रदर्शित किया जाएगा। उत्तरी क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय केन्द्र पटियाला में स्थापित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा राजस्थान राज्य शामिल होंगे। ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं। पूर्वी क्षेत्र के लिए इसी प्रकार का एक अन्य केन्द्र शान्तिनिकेतन में शीघ्र ही स्थापित किया जाएगा।

अरुणाचल प्रदेश में पर्यटन का विकास

5658. **श्री पी० के० चुंगन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरुणाचल प्रदेश में पर्यटन की अच्छी सम्भावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, अरुणाचल प्रदेश को वार्षिक बजट में योजना और गैर-योजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) केन्द्र ने गत तीन वर्षों के दौरान अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वार्षिक बजट में योजना और गैर-योजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की; और

(घ) उक्त अवधि के लिए वर्ष-वार राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों का अंशदान/हिस्सा कितना था ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों के लिए राज्य का वार्षिक बजट इस प्रकार है :—

(लाख रू० में)

वर्ष	योजनेतर	योजनागत
1982-83	8.80	0.53
1983-84	8.73	0.58
1984-85	9.00	0.66

(ग) और (घ) विभाग के पास राज्य-वार बजट आबंटन नहीं हैं। इसके बजाए, जब कभी भी राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र उपयुक्त पर्यटन परियोजनाएं प्रस्तावित करते हैं तब विभाग वित्तीय सहायता देता है । विभाग इन परियोजनाओं पर धनराशियों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए ही विचार करता है। फिलहाल अरुणाचल प्रदेश से प्राप्त कोई भी प्रस्ताव विभाग के पास लम्बित नहीं है ।

गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों का पता लगाने के लिए अंतिम सीमा रेखा की पुनरीक्षा

5659. **श्री सिद्ध लाल मुरमू** : क्या योजना मंत्री गरीबी रेखा के नीचे के लोगों का पता लगाने के लिए अन्तिम सीमा रेखा की पुनरीक्षा के बारे में 22 अगस्त, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4308 के भाग (ग) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अध्ययन दल का विचार-विमर्श पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में गरीबी की रेखा की परिकल्पनाओं और अनुमानों के बारे में योजना आयोग द्वारा गठित अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसकी योजना आयोग में जांच की जा रही है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के पद को भरना

5660. **श्री सिद्ध लाल मुरमू** : क्या गृह मंत्री अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आयुक्तों के पद को भरने के बारे में 22 अगस्त, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4280 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त का पद इस बीच भर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो पदासीन अधिकारी का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उपरोक्त पद को अब तक न भरने के क्या कारण हैं और उक्त पद पर एक योग्य व्यक्ति को कब तक नियुक्त कर दिए जाने की सम्भावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) पद के लिए चुने गए अधिकारी को नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा है। उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। उनसे तुरन्त कार्यभार संभालने के लिए कहा गया है।

दिल्ली में डा० अम्बेडकर स्मारक संग्रहालय की स्थापना

5661. **श्री सिद्ध लाल मुरमू** : क्या गृह मंत्री दिल्ली में डा० अम्बेडकर स्मारक संग्रहालय की स्थापना के बारे में दिनांक 22.8.1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4306 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में अन्तिम रूप से कोई निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में उपरोक्त संग्रहालय कब स्थापित किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो उस मामले में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिंहा) : (क) से (ग) प्रश्न में पहले के एक अतारांकित प्रश्न (सं० 4106 जिसका उत्तर 22-8-84 को दिया गया था) में दिया गया संदर्भ दिल्ली में 26 अलीपुर रोड पर डा० अम्बेडकर स्मारक संग्रहालय की स्थापना के लिए व्यक्तियों सहित स्वैच्छिक सामाजिक संगठनों और दिल्ली अनुसूचित जाति कल्याण संघ (पंजीकृत), अम्बेडकर भवन नई दिल्ली से प्राप्त एक अभ्यावेदन से सम्बन्धित है। इस प्रश्न में अभ्यावेदन पर सरकार की प्रतिक्रिया और सरकार की प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में आगे सूचना मांगी गई है। 22-8-1984 को दिए गए उत्तर में सदन को सूचित किया गया था कि अभ्यावेदन दिल्ली प्रशासन को भेज दिया गया है और मामला उनके विचाराधीन है।

दिल्ली प्रशासन से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार उक्त भवन, जो एक निजी सम्पत्ति है, को गिराया जा चुका है और स्थल को एक आधुनिक वाणिज्यिक परिसर में परिवर्तित कर दिया गया है। दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि इस समय डा० अम्बेडकर संग्रहालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विदेशों में अधिक पर्यटन कार्यालय खोलने का प्रस्ताव

5662. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में कार्यरत भारतीय पर्यटन कार्यालयों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या विदेशों में और अधिक पर्यटन कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो इन्हें किन-किन देशों में और कब तक खोले जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

(क) यू० एस० ए०

1. न्यूयार्क	एक व्यक्ति वाले	
2. शिकागो	कार्यालय	
3. लास एंजेल्स	1. वाशिंगटन	ये एक व्यक्ति वाले कार्यालय 31-3-85 से बन्द कर दिए गए हैं।
कनाडा	2. सनफ्रांस्सिको	
4. टोरंटो	3. मियानी	
यू० के०	4. डैलास	
5. लंदन		
स्विटजरलैंड		
6. जनेवा		
फ्रांस		
7. पैरिस		
पश्चिम जर्मनी		
8. फ्रैंकफर्ट		
बेल्जियम		
9. ब्रुशल्ज		
स्वीडन		
10. स्टाकहोम		
इटली		
11. मिलान		
आस्ट्रिया		
12. वीयाना		
आस्ट्रेलिया	5. मेल बोर्न	एक व्यक्ति वाले ये कार्यालय भी बन्द किए जा रहे हैं।
13. सिडनी	6. ओसाका	
14. सिंगापुर	7. दुबई	
जापान	8. काठमांडु (नेपाल)	

15. टोकियो

16. कुवैत

थाईलैंड

17. बैंकाक

मलेशिया

18. कुआलालामपुर

श्रीलंका

19. कोलम्बो — जैसे ही अधिकारी को तैनात कर दिया जाएगा, कार्यालय कार्य करना प्रारम्भ कर देगा ।

पश्चिम बंगाल में 20-सूत्री कार्यक्रम

5663. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पश्चिम बंगाल में छठी योजना अवधि 1980-85 के दौरान केन्द्र के बीस सूत्री की प्रगति पर निगरानी रखी थी और/अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और उससे क्या परिणाम प्राप्त हुए;

(ग) बीस-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के मामले में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, असम, मध्य प्रदेश की तुलना में पश्चिम बंगाल में क्या प्रगति हुई है;

(घ) क्या इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करते समय पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र द्वारा जारी दिशा निदेशों का पालन किया है;

(ङ) वर्ष 1980-84 के दौरान पश्चिम बंगाल में 20-सूत्री कार्यक्रमों पर खर्च करने हेतु केन्द्र द्वारा कुल कितने परिव्यय का अनुमोदन किया गया था और उन पर वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(च) पश्चिम बंगाल किन कार्यक्रमों में पीछे रह रहा है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) योजना आयोग 1982-83 से, जब इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन शुरू हुआ, पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्यों में 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी कर रहा है । उक्त राज्य में कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बारे में अलग से कोई अध्ययन नहीं किए गए हैं ।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार, मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार निर्धारित प्रोफार्मों में नियमित रूप से कार्यक्रम के कार्यान्वयन से सम्बन्धित मासिक और तिमाही प्रगति रिपोर्टें भेज रहा है । वर्ष

1982-83, 1983-84 और 1984-85 के लिए 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में राज्य सरकार के लक्ष्य और निष्पादन से सम्बन्धित सारणी संलग्न है।

(ग) महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, असम और मध्य प्रदेश की तुलना में पश्चिम बंगाल में 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन से सम्बन्धित निष्पादन नीचे सारणी में दिखाया गया है।

राज्य	निष्पादन में रैंक		
	1982-83	1983-84	1984-85
पश्चिम बंगाल	16	19	19
महाराष्ट्र	10	2	1
उत्तर प्रदेश	13	10	6
उड़ीसा	7	8	13
बिहार	17	17	15
असम	22	13	14
मध्य प्रदेश	6	4	16

(घ) जी, हां।

(ङ) 20-सूत्री कार्यक्रम की घोषणा 14 जनवरी, 1982 को की गई थी और 1982-83 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत इसका कार्यान्वयन शुरू हुआ था। 20-सूत्री कार्यक्रम के लिए परिव्यय विशिष्ट रूप से निर्धारित नहीं किए गए हैं। ये परिव्यय विभिन्न विकासात्मक क्षेत्रों के लिए परिव्ययों से प्राप्त किए जाते हैं क्योंकि 20-सूत्री कार्यक्रम वार्षिक योजनाओं का एक अभिन्न अंग है। वर्ष 1982-83 से पश्चिम बंगाल में 20-सूत्री कार्यक्रम से सम्बन्धित प्राप्त किए गए परिव्यय और व्यय नीचे सारणी में दिए गए हैं।

(करोड़ रु०)

वर्ष	परिव्यय	व्यय
1982-83	299.40	294.10
1983-84	289.45	269.97
1984-85	235.25	364.57 (संभावित)

(च) पश्चिम बंगाल में प्रत्येक पद के बारे में निष्पादन और राष्ट्रीय औसत का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। राज्यों को उन मदों में माना जाएगा जिनमें उसके निष्पादन राष्ट्रीय औसत से कम है।

विवरण

20-सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन : पश्चिमी बंगाल

सूत्र संख्या तथा मद	इकाई	1982-83				1983-84				1984-85			
		लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	राष्ट्रीय औसत प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	राष्ट्रीय औसत प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	राष्ट्रीय औसत प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1क सिंचाई क्षमता	000 हैक्टेयर	123.5	78.2	63.3	98.7	63.0	76.7	121.7	98.0	83.0	उ०न०	—	—
2क दालों का उत्पादन	000 टन	425	उ०न०	—	—	178	202	113.4	97.4	198	उ०न०	—	—
2ख तिलहनों का उत्पादन	000 टन	185	उ०न०	—	—	150	176	117.3	101.5	105	उ०न०	—	—
3क एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	परिवारों की संख्या	200000	69910	34.5	102.5	201000	203568	101.3	114.1	20100	268060	133.4	124.7

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3ख	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	लाख श्रमदिवस	237.0	329.4	139.0	93.9	311.0	285.0	91.6	89.5	332.5	211.9	63.7	111.1
3ग	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	-वही-	—	—	—	—	—	—	—	—	301.0	80.0	26.6	84.0
4.	बेशी भूमि	एकड़	38900	26070	67.0	47.7	38900	24888	56.3	67.7	35000	17764	50.8	79.6
7क	अनुसूचित जातियों के परिवार	संख्या	227200	266294	117.2	85.8	278470	249193	89.5	108.2	306000	271217	88.6	102.2
7ख	अनुसूचित जन-जातियों के परिवार	संख्या	57364	85260	148.6	91.0	70980	69425	97.8	121.2	75000	68530	91.4	110.2
8.	ग्रामीण जलपूर्ति	गांवों की संख्या	2918	3310	113.4	159.2	2400	2300	95.8	113.8	4262	3339	78.3	135.0
9क	आवंटित किए आवास स्थल	संख्या	15000	3886	25.9	96.5	7281	20157	116.6	134.8	20000	16358	81.8	129.3
9ख	निर्माण सहायता	संख्या	15000	16115	107.4	51.0	9000	11018	122.4	65.4	12000	5500	45.8	91.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10क गंदी बस्तियों का सुधार	संख्या	200000	80000	40.0	93.3	193000	113000	58.6	110.6	180000	905000	50.3	132.0
10ख आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मकान	संख्या	3000	शून्य	—	78.5	3000	116	5.5	36.3	3000	2910	97.0	109.4
11क ग्रामीण विद्युतीकरण	संख्या	2000	1264	63.2	86.1	1830	1100	60.1	99.9	1950	415	21.3	91.5
11ख बिजली चालित पम्प सेट	संख्या	3000	1840	61.3	84.4	9450	6200	65.6	91.8	10000	7767	77.7	100.2
12क पेड़ लगाना	लाख संख्या	650	677	104.2	107.9	750	734	97.9	109.0	1100	1001	91.0	106.6
12ख बायो गैस संयंत्र	संख्या	3000	1315	43.8	70.9	1100	1365	124.1	157.2	3500	2639	75.4	133.6
13. नसबंदी	संख्या	357000	269000	75.4	88.5	488000	355358	72.8	75.2	488000	261078	53.5	68.8
14क प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	12	3	25.0	—	3	2	66.7	303.5	5	1	20.0	135.1
— — —	संख्या	1500	1004	66.9	98.1	1000	313	31.3	73.6	1700	1489	87.6	95.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15. एकीकृत बाल विकास स्कीम खंड (आई० सी० डी० एस० ब्लाक्स)	संख्या	24	24	100.0	100.0	8	8	100.0	100.0	20	20	100.0	100.0
16क प्रारंभिक शिक्षा	000 संख्या	577	454	78.7	99.4	396	637	160.3	88.1	580	उ०न०	—	—
16ख प्रौढ़ साक्षरता	000 संख्या	820	388	47.3	77.2	456	300	65.8	96.8	478	उ०न०	—	—
18. स्थापित की गई ग्राम लघु उद्योग इकाइयां	संख्या	4730	12091	255.6	—	4000	4079	102.9	—	5000	11402	228.0	—

हरियाणा में लघु सीमेन्ट संयन्त्र स्थापित करने के लिए एन० आर० डी० सी० के साथ समझौते

5664. **श्री लाला राम केन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ फर्मों ने हरियाणा में लघु सीमेन्ट संयन्त्र स्थापित करने के लिए एन० आर० डी० सी० के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो उन फर्मों के नाम क्या हैं; और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन पार्टियों ने एन० आर० डी० सी० के साथ समझौता होने के बाद उपरोक्त संयन्त्रों के लिए भवनों का निर्माण, मशीनरी, बुनियादी कार्य आदि पर पहले ही भारी धनराशि खर्च कर दी है;

(घ) क्या एन० आर० डी० सी० इन पार्टियों को ऋण सहायता आदि दिलाने में मदद देने के लिए कोई पहल नहीं कर रहा है;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) ऐसी पार्टियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां। दो फर्मों ने हरियाणा में लघु सीमेन्ट संयन्त्र स्थापित करने के लिए नेशनल रिसर्च डिवेलपमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया से करार किए हैं।

(ख) (1) मैसर्ज अरावली सीमेन्ट प्राइवेट लि०

(2) मैसर्ज स्वराज्य (नारनौल) सीमेन्ट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लि० सोना

(ग) मैसर्ज अरावली सीमेन्ट प्राइवेट लि० ने एन० आर० डी० सी० द्वारा अनुमोदित फ्रैब्रीकेटरों को 9.8 लाख रुपये की मशीनरी के आर्डर दिये हैं। मैसर्ज स्वराज्य सीमेन्ट इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लि० की परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है।

(घ) से (च) एन० आर० डी० सी० वित्तीय संस्थाओं को किए गए उनके आवेदनों के सम्बन्ध में इन फर्मों को हरसंभव सहायता प्रदान कर रही है। मैसर्ज अरावली सीमेन्ट ने बैंकों से वित्तीय सहायता की अपेक्षा की है और एन० आर० डी० सी० ने उनके अनुरोध का समर्थन किया है। मैसर्ज स्वराज्य सीमेन्ट इन्डस्ट्रीज का हरियाणा स्टेट फिनेन्शल कार्पोरेशन द्वारा वित्तीयन किया गया है और यह परियोजना प्रगति पर है।

इण्डियन एयरलाइन्स के विमानों की उड़ानों का रद्द किया जाना और उनमें विलम्ब होना

5665. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 16 जून, 1984 को इण्डियन एयरलाइन्स के विमान 273 की उड़ान रद्द कर दी गयी थी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या 1 और 2 जून, 1984 को उड़ान संख्या 184 की उड़ान में उसी तरह के विलम्ब हुए थे; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और सागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) जी, नहीं। 16 जून, 1984 की इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ान संख्या आई० सी०-273 अनुसूची के अनुसार प्रचालित की गई थी। तथापि विमान के देरी से उपलब्ध होने और उसके बाद कर्मीदल के उपलब्ध न होने के कारण उड़ान संख्या आई० सी०-273 को 15 जून, 1984 को प्रचालन करने के लिए स्थगित करके दिनांक 16 जून, 1984 के लिए कर दिया गया था।

(ग) और (घ) इण्डियन एयरलाइन्स उड़ान आई० सी०-184 दिल्ली-बम्बई का प्रचालन कलकत्ता से आने वाली आई० सी०-402 की उड़ान के कर्मीदल से किया जाता है। एक एयरबस विमान के भूमि पर खड़े रहने के कारण दिनांक 1-6-84 को कलकत्ता से आई० सी०-402 को प्रस्थान देरी से हुआ था, इस कारण दिल्ली से उड़ान संख्या आई० सी०-184 के प्रचालन में भी देरी हो गई थी।

सती प्रथा

5666. **श्री अमर सिंह राठवा :**
श्री नवीन रावजी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश के कुछ भागों में सती प्रथा अभी भी जारी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले आये हैं; और

(ग) देश में इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना या रिपोर्ट नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जाए कि देश के कुछ भागों में सती प्रथा अभी भी जारी है। सती होने वाली स्त्रियों की संख्या के सम्बन्ध में आंकड़े अखिल भारतीय स्तर पर एकत्र नहीं किये जाते हैं क्योंकि इस अपराध सहित विधि तथा व्यवस्था राज्य का विषय है। अपराधों से सम्बन्धित कानून को लागू करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों का है।

ई० सी० आई० एल० से श्वेत श्याम और रंगीन टी० वी० सैटों की खरीद

5667. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड (ई० सी० आई० एल०) के प्रत्येक बिक्री केन्द्र पर रंगीन और (ब्लैक एण्ड व्हाइट) टेलीविजन सेटों की खरीद के लिए अद्यतन कितने

उपभोक्ता पंजीकृत हैं और रंगीन और श्वेत श्याम टी० वी० सेटों के निर्माण को ध्यान में रखते हुए वर्तमान प्रतीक्षा सूची कब तक पूरी हो जायेगी;

(ख) पिछले वर्ष कितने उपभोक्ताओं को रंगीन और "ब्लैक एण्ड व्हाइट" टी० वी० सेट बिना बारी के आबंटित किए गए;

(ग) उपभोक्ताओं को ई० सी० टी० वी० सेटों की बिना बारी आबंटन करने के लिए कौन-कौन सी श्रेणियां बनायी गई हैं और इस सम्बन्ध में क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं; और

(घ) इस कम्पनी के पास बिना बारी के आबंटन करने के लिए आज तक कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के प्रत्येक डिलीवरी केन्द्र में ब्लैक एण्ड व्हाइट तथा रंगीन टेलीविजन सेटों की खरीद के लिए 31-3-1985 को पंजीकृत उपभोक्ताओं की संख्या निम्नलिखित है :—

डिलीवरी केन्द्र	पंजीकृत उपभोक्ताओं की संख्या	
	ब्लैक एण्ड व्हाइट टेलीविजन	रंगीन टेलीविजन
1	2	3
अहमदाबाद	600	1,887
बंगलौर	52	1,775
बम्बई	2,000	7,624
कलकत्ता	700	3,028
चंडीगढ़	150	971
दिल्ली	415	5,874
हैदराबाद	शून्य	3,049
इन्दौर	शून्य	441
जयपुर	शून्य	1,855
काकिनाडा	शून्य	102
लखनऊ	शून्य	1,980
मद्रास	52	1,679
नागपुर	250	356
पानीपत	शून्य	324

1	2	3
पुणे	1,200	897
रायपुर	शून्य	394
तिरुपति	शून्य	73
विजयवाड़ा	शून्य	264
कुल	5,419	32,573

आशा है कि ब्लैक एण्ड व्हाइट सेटों की वर्तमान प्रतीक्षा सूची में जिन लोगों के नाम हैं उन्हें लगभग तीन महीनों में और रंगीन सेटों की वर्तमान प्रतीक्षा सूची में जिन लोगों के नाम हैं उन्हें इस वर्ष के समाप्त होने से पहले ही टेलीविजन सेट दे दिए जाएंगे।

(ख) 1-4-84 से 31-3-85 तक लोगों को उनकी बारी आए बिना दिए गए सेटों की संख्या निम्नलिखित है :—

ब्लैक एण्ड व्हाइट	...	कोई नहीं
रंगीन	...	976

(ग) तैयार हुए रंगीन टी० वी० सेटों में से पांच प्रतिशत सेट बिना बारी के दिए जाते हैं। बिना बारी के दिए जाने वाले कुल टी० वी० सेटों में से 70 प्रतिशत सेट इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के विभिन्न व्यावसायिक वर्गों को दिए जाते हैं ताकि वे अपने व्यवसाय को बढ़ाने और विपणन सम्बन्धी हितों को ध्यान में रखते हुए वे सेट अपने ग्राहकों को दे सकें। शेष 30 प्रतिशत सेट अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों तथा शैक्षिक संस्थानों को और सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर दिए जाते हैं।

(घ) बिना बारी सेट देने सम्बन्धी लगभग 500 आवेदन-पत्र अभी बकाया हैं।

परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का कार्यकरण

[हिन्दी]

5668. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा, तारापुर, कलपाक्कम और नरोरा में परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों के कार्य से सम्बन्धित प्रगति संतोषजनक है;

(ख) क्या ये केन्द्र अपनी अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार कार्य कर रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो ये केन्द्र अपनी पूरी क्षमता पर कब से कार्य करना प्रारम्भ करेंगे?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां। परमाणु बिजलीघरों के सभी पांच यूनिट इस समय संतोषजनक रूप से काम कर रहे हैं। आशा है कि

कलपाक्कम में दूसरा यूनिट इस वर्ष चालू कर दिया जाएगा और नरोरा में दो यूनिट क्रमशः वर्ष 1987-88 और 1988-89 में चालू कर दिये जाएंगे।

(ग) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

गैंडों को पकड़ने और उनके परिवहन पर व्यय

[अनुवाद]

5669. **श्री बाई० एस० महाजन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में कितने गैंडे पकड़े गए और उत्तर प्रदेश लाए गए;

(ख) इनमें से कितने गैंडे मर गए, कहां और क्यों मरे;

(ग) प्रत्येक गैंडे के लिए कितना मूल्य दिया गया और उन्हें पकड़ने और लाने पर कितना अन्य व्यय हुआ तथा उन्हें लाने के लिए परिवहन के किस साधन का उपयोग किया गया;

(घ) क्या सरकार का विचार असम से अथवा किसी अन्य स्थान से और गैंडे खरीदने का है;

(ङ) यदि हां, तो इस कार्य से क्या आर्थिक लाभ है;

(च) क्या इस काम के लिए कोई विदेशी विशेषज्ञ नियुक्त किए गए हैं; और

(छ) यदि हां, तो गैंडों या किसी अन्य भारतीय जन्तुओं के बारे में इन विशेषज्ञों का पूर्व अनुभव क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) और (ख) मार्च, अप्रैल, 1984 में असम में पांच गैंडे पकड़े गए थे और उन्हें उत्तर प्रदेश में लाया गया था ताकि उन्हें प्रजातियों के पुनः प्रतिस्थापन कार्यक्रम के एक भाग के रूप में दुधवा राष्ट्रीय पार्क में छोड़ा जा सके। इनमें से दो गैंडे मर गए थे—एक की मौत गर्भपात के पश्चात् संक्रमण के कारण तथा दूसरे की मौत सम्भवतः बहिः प्रकोष्ठिक स्नायु की क्षति के कारण हुई थी।

(ग) प्रत्येक पशु के लिए असम सरकार को 3.18 लाख रुपये दिए गए थे। गैंडों को पकड़ने, क्रेटिंग और परिवहन पर कुल व्यय 3.78 लाख रुपये हुआ।

(घ) और (ङ) मार्च-अप्रैल, 1985 के दौरान नेपाल में चार गैंडे पकड़े गए थे और उन्हें दुधवा राष्ट्रीय पार्क में ले जाया गया जहां उन्हें छोड़ दिया गया है। इसके बदले में उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल को पालतू हाथी देगी।

(च) और (छ) भारतीय वन्य प्राणि संस्थान, देहरादून में विश्व खाद्य संगठन का एक प्रमुख तकनीकी सलाहकार इस परियोजना से सम्बद्ध था। उसे असम और बिहार में गैंडों को पकड़ने का पूर्व अनुभव है और उसने कुल 20 भारतीय गैंडे पकड़े हैं। उसे अफ्रीकन गैंडों और मृगों और हिरणों सहित अफ्रीकन और एशिया के हाथियों और विभिन्न खुरदारों को दवा देकर निष्क्रिय बना देने का भी अनुभव है।

कम्प्यूटर सॉफ्ट वेयर का निर्यात

5670. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बाजार में कम्प्यूटर सॉफ्ट वेयर के निर्यात में भारत का क्या हिस्सा है; और

(ख) निर्यात किए गए सॉफ्ट वेयर का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) वर्ष 1983 में विश्व संघटक पुर्जा बाजार में अमेरिका के 110 अजर पौंड के निर्यात की तुलना में भारत ने उसी वर्ष में 17 करोड़ रुपये के मूल्य के कम्प्यूटरों के संघटक-पुर्जों का निर्यात किया।

(ख) विगत कुछ वर्षों के दौरान जिस यंत्रेतर सामग्रियों (सॉफ्ट वेयर) का निर्यात किया गया उनके ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं।

1981	—	10.2 करोड़ रुपये
1982	—	13.5 करोड़ रुपये
1983	—	17.0 करोड़ रुपये
1984	—	24.0 करोड़ रुपये

भारत से यूरोप के देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, मध्य पूर्व तथा जापान को जिन संघटक पुर्जों (सॉफ्ट वेयर) का निर्यात किया गया, उनमें व्यापार, इंजीनियरी, प्रबन्ध व्यवस्था, ऑन-लाइन संव्यवहार, बैंकिंग, परामर्श सेवाएं, व्यवहार्यता रिपोर्टें, प्रणाली रूपान्तरण आदि के क्षेत्रों में सॉफ्ट वेयर विषयक अनुप्रयोग शामिल हैं।

बीस सूत्री कार्यक्रम के लिए आबंटन

5671. **श्री सुरेश कुरूप :**

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1984-85 में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को बीस सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कितनी धनराशि आबंटित की और उसमें उनका अपना अंशदान कितना था; और

(ख) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उपयोग की गई धनराशि के आंकड़े क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) चूंकि 20-सूत्री कार्यक्रम राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं का एक अभिन्न अंग है इसलिए 20-सूत्री कार्यक्रम के लिए परिव्यय अलग से निर्धारित नहीं किए जाते हैं। 20-सूत्री कार्यक्रम के लिए परिव्यय योजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय परिव्ययों से प्राप्त किए जाते हैं। 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार के अपने अंशदान के अलग से कोई आंकड़े नहीं हैं। राज्य योजनाओं के लिए

केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है न कि अलग स्कीमों/कार्यक्रमों के लिए। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 20-सूत्री कार्यक्रम से सम्बन्धित वर्ष 1984-85 में प्राप्त परिव्ययों और संभावित व्यय सम्बन्धी विवरण संलग्न है।

विवरण

20-सूत्री कार्यक्रम—परिव्यय और व्यय—1984-85

(करोड़ रु०)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिव्यय	संभावित व्यय
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	659.77	771.52
2. असम	233.97	262.88
3. बिहार	529.91	552.10
4. गुजरात	626.41	588.26
5. हरियाणा	281.60	301.52
6. हिमाचल प्रदेश	97.84	98.27
7. जम्मू और कश्मीर	96.89	99.40
8. कर्नाटक	439.48	453.81
9. केरल	210.22	210.22
10. मध्य प्रदेश	814.30	814.08
11. महाराष्ट्र	964.43	863.99
12. मणिपुर	30.66	30.80
13. मेघालय	24.31	24.31
14. नागालैण्ड	16.99	20.51
15. उड़ीसा	262.02	274.77
16. पंजाब	305.85	285.67
17. राजस्थान	270.54	278.23
18. सिक्किम	12.57	12.60
19. तमिलनाडु	458.22	479.47
20. त्रिपुरा	31.89	45.86

1	2	3
21. उत्तर प्रदेश	1068.68	1129.57
22. पश्चिम बंगाल	235.25	364.57
1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7.57	7.57
2. अरुणाचल प्रदेश	25.12	25.12
3. चण्डीगढ़	7.58	7.65
4. दादर और नगर हवेली	4.91	4.80
5. दिल्ली	88.98	88.77
6. गोवा, दमन और दीव	25.55	27.59
7. लक्षद्वीप	1.09	1.10
8. मिजोरम	14.53	14.91
9. पांडिचेरी	9.98	10.37

ताजमहल में दरार

5672. **श्री एम० रघुमा रेड्डी :**
श्री राम रतन राम :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि गत पांच वर्षों से आगरा स्थित ताजमहल में भारी दरारें आ रही हैं तथा उसमें कैंसर हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन दरारों और कैंसर को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं जिससे इस स्मारक की मौलिकता बनायी रखी जा सके ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान ताजमहल में कोई गंभीर स्वरूप की दरार अथवा कैन्सर विकसित नहीं हुई है। ताजमहल में जो दरारें देखी गई थीं वो दशकों पुरानी हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1943 में लगाए गए संकेतकों से यह पता चला है कि दरारों में और वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) और (ग) ये दरारें मुख्यतया लोह मेखों तथा शिकंजों को जंग लग जाने के कारण हैं। इनके स्थान पर गैर-क्षयकारी प्लास्टिक मेख और शिकंजे लगाए जा रहे हैं। ताजमहल के संरक्षण और परिरक्षण से सम्बन्धित सभी समस्याओं की जांच करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति स्थापित की गई है।

राजभाषा की क्रियान्विति

5673. **श्री हुसेन दलवाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजभाषा की प्रभावी क्रियान्विति के सम्बन्ध में कोई फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो देश भर में एक राष्ट्रीय राजभाषा कब तक होने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां ।

(ख) अपेक्षित जानकारी का विवरण संलग्न है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

संविधान, राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा नियम, 1976 में राजभाषा सम्बन्ध किए गए उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं :—

(1) केन्द्रीय सरकार के कामकाज में हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों का समन्वय करने के लिए प्रधान मंत्री जी की अध्यक्ष में केन्द्रीय हिन्दी समिति का गठन किया गया है । इस समिति में कुछ प्रमुख केन्द्रीय मंत्री, मुख्य मंत्री, संसद सदस्य तथा गैर-सरकारी विशिष्ट व्यक्ति भी सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं ।

(2) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के बारे में सलाह देने के लिए हिन्दी सलाहकार समितियों का गठन किया गया है ।

(3) भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार एवं सचिव राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में राजभाषा सम्बन्धी अनुदेशों के कार्यान्वयन के पुनरीक्षण करने के लिए केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गयी है ।

(4) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है । मंत्रालयों/विभागों के अलावा सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, निगमों और कंपनियों के उन कार्यालयों में जहां 25 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं वहां राजभाषा कार्यान्वयन समितियां बनाई गई हैं ।

(5) देश के 65 नगरों में केन्द्रीय सरकार के स्थानीय कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग की प्रगति का पुनरीक्षण और समन्वय करने के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की गयी हैं ।

(6) राजभाषा विभाग प्रति वर्ष राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम बनाकर केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि को भेजता है । इस वार्षिक कार्यक्रम द्वारा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है ।

(7) राजभाषा हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई प्रोत्साहन योजनाएं चालू की गयी हैं जो निम्नलिखित हैं:—

(क) राजभाषी शील्ड, ट्राफी तथा पदक प्रदान करने की योजना।

(ख) टाइपिस्टों/आशुलिपिकों को अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी में भी टाइप लेखन और आशुलिपि कार्य करने के लिए प्रोत्साहन भत्ता दिया जाना।

(ग) सरकारी कामकाज में मूल हिन्दी टिप्पण/आलेखन के लिए प्रोत्साहन योजना।

(घ) हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन हिन्दी परीक्षाएं पास करने पर आर्थिक प्रोत्साहन की योजना।

(ङ) हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन हिन्दी टंकण/हिन्दी आशुलिपि की परीक्षाएं पास करने पर आर्थिक प्रोत्साहन की योजना।

नवें एशियाई खेलों की विशेष आयोजन समिति द्वारा बट्टे खाते में डाली गई राशि

5674. **श्री सुरेश कुरुप:** क्या युवा कार्य और खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवें एशियाई खेलों की विशेष आयोजन समिति द्वारा बट्टे खाते में डाली गई 412576.11 रुपये की धनराशि बट्टे खाते में डाल दी गई है और उसे 1983-84 की धनराशि में समायोजित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह): (क) जी, हां।

(ख) विशेष आयोजन समिति ने सूचित किया है कि लेखों का समायोजन इस तथ्य को ध्यान में रखकर अपेक्षित था कि कुछ भण्डार की उपभोगी वस्तुएं विभिन्न क्षेत्रीय एजेन्सियों को जारी की गई थीं और इनकी वर्ष 1982-83 के दौरान खपत मान कर, कीमत ली गई थी, बाद में उनके द्वारा ये वस्तुएं वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद लौटाई गई थी। भण्डार के रिकार्डों और तदनुरूपी वित्तीय खेलों के समायोजन पर इन्हें दुबारा खाते में डाला गया था और इन्हें पूर्व अवधि के खर्चे में समायोजित किया गया था।

मद्रास बन्दरगाह में हथियार मिलना

5675. **श्री सी० माधव रेड्डी:**
श्री एम० रघुमा रेड्डी।

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 अप्रैल, 1985 के "इंडियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि मद्रास बन्दरगाह में एक कन्टेनर से, जो सिंगापुर से बुक किया गया था, बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद जब्त किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में इस बीच कोई जांच की गई है और यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिंहा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) दिनांक 15-3-85 को मद्रास बन्दरगाह पर एम० वी० सी० एक्सप्रैस जहाज पहुंचा जिसमें अन्य मदों के साथ एक कन्टेनर भी था, कहा गया कि इसमें रद्दी कागज थे । जब कन्टेनर को दिनांक 2-4-85 को सीमा-शुल्क अधिकारियों की उपस्थिति में खोला गया तो पता चला कि इसमें हथियार तथा गोला-बारूद, गैस-सिलिण्डर्स, प्रसारण सैट्स इत्यादि थे । कन्टेनर में पाई गई मदों की विस्तृत सूची विवरण के रूप में संलग्न है ।

(ग) मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है ।

विवरण

कन्टेनर में पाई मदों की सूची

1. 20 डिब्बे जिनमें प्रत्येक में स्टेनगनों के 15 सैट्स अर्थात कुल 300 स्टेनगनें ।
2. टाट में लिपटे 70 बंडल जिनमें प्रत्येक में 10 राइफलें थीं अर्थात कुल 700 राइफलें ।
3. 241 पैकेज (डिब्बे) जिनमें गोलियां थीं ।
4. उच्च दाब के गैस सिलिन्डर-15 ।
5. एक कार्टन सिलिन्डर के लिए बेल्ट-15
6. एक बंडल सिलिन्डर वाल्व्स-15 ।
7. 51 कपड़े के बंडल ।
8. 21 कार्टन-फोटो कापिंग मशीन तथा एक पावर ट्रांसफार्मर ।
9. 2 कार्टन-ट्रांस-रिसीवर ।
10. 3 कार्टन जिनमें 4 संचार रिसीवर थे ।
11. 2 कार्टन-हैम्मोक-120 ।
12. एक कार्टन-एम्पलीफायर्स ।
13. एक कार्टन-रिटेंडर रेगुलेटर ।
14. एक बंडल सफेद कागज ।
15. एन्टीना-5 ।
16. 3 कनेक्टर और 2 पीसस कनेक्शन तारे ।
17. क्राफ्ट रद्दी कागज की छः गांठें ।

एशियाटिक सोसायटी द्वारा भवन का निर्माण

5676. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाटिक सोसायटी के आयोजना बोर्ड ने सोसायटी के द्विशताब्दी भवन के निर्माण के लिए 1984-85 के दौरान 34 लाख रुपये की जो धनराशि मंजूर की थी वह राशि अप्रयुक्त रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) एशियाटिक सोसायटी का आयोजना बोर्ड, जो एक सलाहकार बोर्ड है, ने सोसायटी के विद्यमान भवन में दो और अतिरिक्त तलों के निर्माण के लिग 1984-85 के दौरान 33 लाख रुपये के आबंटन की सिफारिश की थी। तथापि, सोसायटी ने इस उद्देश्य के लिए उक्त वर्ष हेतु 12 लाख रुपए पहले ही निर्धारित किए।

(ख) यह राशि खर्च नहीं की जा सकी, क्योंकि प्रस्तावित निर्माण-कार्य की योजनाएं और प्राक्कलन स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा कलकत्ता निगम के हाल ही में संशोधित भवन निर्माण सम्बन्धी उप-नियमों के अन्तर्गत लगाए गए प्रतिबन्ध के कारण अनुमोदन नहीं किए जा सके। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा इस कार्य को कराने की सम्भावनाओं की जांच की जा रही है।

ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की कटाई को रोकना

5677. **श्री लक्ष्मण मलिकक्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस, मिट्टी का तेल और सीमेंट आदि की कमी के कारण ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की कटाई एक समस्या बन गई है;

(ख) ग्रामीण ओर पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की कटाई को रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार का वनों की रक्षा और लोगों को नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस प्रकार के क्षेत्रों में इन वस्तुओं के सस्ती दरों पर नियमित विपणन के बारे में विचार करने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में गैस और मिट्टी के तेल की खपत नगण्य है, अत: उनकी कमी से वनों की कटाई की अधिक समस्या पैदा नहीं होती। तथापि, सीमेंट की कमी से पर्वतीय क्षेत्र में वनों का संरक्षण करने में कोई गम्भीर समस्या खड़ी नहीं होती।

(ख) वनों की कटाई को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

— गैर वानिकी कार्यों के लिए वन भूमि के अंधाधुन्ध उपयोग को रोकने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 बनाया गया है।

— कार्यकारी (प्रबन्ध) योजनाओं और वनों की कार्य पद्धति तैयार करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं।

— राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे क्षेत्रीय स्तर पर प्रवर्तन मशीनरी को सुदृढ़ बनाये ।

— राष्ट्रीय वन नीति की समीक्षा की जा रही है ताकि वन संरक्षण के पक्ष में आवश्यक बल दिया जा सके और इस प्रयोजन के लिए एक बड़ा जन-आन्दोलन शुरू किया जा सके ।

— वनरोपण का एक वृहत कार्यक्रम शुरू किये जाने का प्रस्ताव है ।

— वनों पर दबाव को कम करने, विशेषकर स्थानाप सामग्री के उपयोग को बढ़ावा देकर एक पद्धति तैयार करने की दृष्टि से एक गहन अध्ययन किया जा रहा है ।

(ग) गैस और मिट्टी के तेल जैसी जिन्सों के लिए एक नितमित विपणन पद्धति विद्यमान है और मिट्टी के तेल और खाना पकाने वाली गैस के मूल्य सम्बन्ध में सरकार द्वारा सहायता दी जाती है । सीमेंट के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं के पास दो प्रकार अर्थात लेवी और गैर लेवी का सीमेंट उपलब्ध है । लेवी के सीमेंट को नियंत्रित दरों पर बिक्री की जाती है और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा विनियमित विभिन्न कार्यों के लिए आवंटित किया जाता है ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए जाने वाले वन पर आधारित उद्योग

5678. **श्री एन० डेनिस :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में वन पर आधारित उद्योग स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में वन पर आधारित ऐसे कितने उद्योग स्थापित किये गये हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान वन पर आधारित उद्योगों की संख्या बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तमिलनाडु में वन पर आधारित ऐसे कितने उद्योग स्थापित करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) से (घ) विभिन्न राज्यों से अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

भारत और अर्जेन्टीना का संयुक्त आयोग

5679. **श्री बी० बी० देसाई :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अर्जेन्टीना ने द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग सम्बन्धी एक करार किया है और इस सहयोग को संस्थागत बनाने के लिए एक संयुक्त आयोग की स्थापना का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले सितम्बर माह में भारत और अर्जेन्टीना के बीच किन-किन करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ग) भारत और अर्जेन्टीना को किस सीमा तक लाभ होगा और दोनो देशों के बीच संबंध और सुधरेंगे ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) भारत-अर्जेन्टीना संयुक्त व्यापार समिति के सहमत कार्यवृत पर सितम्बर, 1984 में हस्ताक्षर किए गए थे;

(ग) उम्मीद की जाती है कि इस करार से व्यापक पारस्परिकता और विभिन्न क्षेत्रों में स्थायी सहयोग के माध्यम से दोनों देशों के बीच आर्थिक सम्बन्ध मजबूत और विकसित होंगे तथा उनमें विविधता आएगी।

मानव विज्ञान के उन्नत अध्ययन के लिए केन्द्र

5680. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानव-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग का विचार सातवीं योजना के दौरान मानव-विज्ञान के उन्नत अध्ययन के लिए एक केन्द्र की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस केन्द्र के कब तक स्थापित हो जाने की सम्भावना है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) इस समय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

अमरावती में वन पर आधारित उद्योगों की स्थापना करना

5681 **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में अमरावती जिले में वन पर आधारित उद्योगों की स्थापना करने की सम्भावनाओं का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र में अमरावती जिले में वन पर आधारित उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में क्या सम्भावनायें हैं;

(ग) अमरावती जिले में मेलघाट डिवीजन (मंडल) में वन पर आधारित उद्योग स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा क्या विशेष कदम उठाए गए हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय महाराष्ट्र के अमरावती जिले में बड़े पैमाने पर वनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना करने की कोई गुंजाइश नहीं है। दरवाजों और खिड़कियों, बैलगाड़ी, कृषि उपकरण, औजारों के हैंडल, फर्नीचर, खिलौने, चौखटे आदि के निर्माण और तेल निकालने वाले एकक जैसे अन्य उद्योग लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और शिल्पी क्षेत्रों में विद्यमान हैं।

(ग) और (घ) अक्तूबर, 1983 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा वनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना करने सम्बन्धी सम्भावना की जांच करने के लिए एक विशेष अध्ययन दल की नियुक्ति की गई है। उसके ब्यौरे की अभी प्रतीक्षा है।

कम्प्यूटरों का उत्पादन

5682. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कम्प्यूटरों का उत्पादन बढ़ाने की काफी आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो कम्प्यूटरों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान इस प्रयोजन के लिए क्या प्रोत्साहन दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) 1985-86 के लिए कम्प्यूटरों के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने 19 नवम्बर, 1984 को एक नई कम्प्यूटर नीति की घोषणा की है ताकि देश में ही कम्प्यूटरों का विनिर्माण अद्यतन प्रौद्योगिकी के आधार पर किया जा सके, जिनका मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के आस-पास हो, तथा आर्थिक संभाव्यता के साथ ताल-मेल रखते हुए स्वदेशीकरण की प्रक्रिया को धीरे-धीरे बढ़ाया जा सके। नई कम्प्यूटर नीति के अनुसार लघु कम्प्यूटरों/सूक्ष्म कम्प्यूटरों, जिनमें वैयक्तिक कम्प्यूटर भी शामिल हैं, का विनिर्माण पूर्ण स्वामित्व वाली किसी भी भारतीय कम्पनी द्वारा और निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की किसी ऐसी कम्पनी द्वारा किया जाएगा जिसकी विदेशी साम्यापूंजी 40 प्रतिशत से अधिक नहीं हैं। नई नीति के द्वारा कम कीमत वाली प्रणालियों (3 लाख रु० से कम) का संगठित क्षेत्र की इकाइयों द्वारा विनिर्माण तथा क्षमता सम्बन्धी प्रतिबन्ध हटा लिया गया है।

(ग) सरकार ने कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर उपान्त उपस्करों (पेरीफरल) के विनिर्माण के लिए आवश्यक संघटक-पुर्जों/कत्ल-पुर्जों पर सीमा शुल्क की घटी हुई दरों की घोषणा की है। सरकार ने स्वदेश में ही उत्पादित संघटक-पुर्जों तथा उपान्त उपस्करों पर लगने वाले उत्पादन शुल्क को भी पूरी तरह हटा लिया है।

(घ) वर्ष 1985-86 के लिए कुल 150 करोड़ रु० के कम्प्यूटरों के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कलाकारों को अनुदान और सहायता

5683. **श्रीमती वैजयन्ती माला बाली** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 1981 से 1984 की अवधि में किसी कलाकार, कला से सम्बन्धित सरकारी और गैर-सरकारी संस्थान को कोई वित्तीय सहायता या अनुदान अथवा भूमि, भवन जैसी कोई अन्य सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो कलाकार और संस्थान के नाम क्या हैं और ये किस राज्य से सम्बन्धित हैं और ऐसी सहायता और अनुदान देने का मानदण्ड क्या है और इसके उपयोग सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना संकलित की जा रही है और यथा समय सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

नागार्जुन सागर नहर प्रणाली के अन्तर्गत कृष्णा जिले में वन विभाग द्वारा भूमि को मंजूरी देना

5684. **श्री वी० सोभनाद्रीसवरा राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन विभाग को नागार्जुन सागर नहर प्रणाली के अन्तर्गत (एक) तिरुवेनु तालुक में काकारला मेजर, (दो) माइलावरम तालुम में वेलवाडम मेजर, (तीन) तुजवीद तालुक में मारू-सुमल्ली माइनर आदि, जो सभी कृष्णा जिले में है, को मंजूरी देने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या यह सच है कि सम्बन्धित स्थानों पर कोई वन नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो वन विभाग द्वारा इन नहरों की खुदाई करने सम्बन्धी प्रस्ताव को कब मंजूरी दी जाएगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) कृष्णा जिले में काकारला बड़ी नहर, वेलवाडम बड़ी नहर, तथा मारूसुमल्ली छोटी नहर का निर्माण करने के लिए वन भूमि निर्मुक्त करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबन्धों के तहत आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से दो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

(ख) जी नहीं।

(ग) राज्य सरकार के उपरोक्त प्रस्तावों में कुछ अनिवार्य ब्यौरों की कमी है और इसलिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि इस मामले में शीघ्र निर्णय लेने के लिए इस प्रकार की अतिरिक्त जानकारी भेज दें। राज्य सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

"औरिएन्टेशन आफ फारेस्ट एजुकेशन इन इण्डिया" समिति की सिफारिशें

5685. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "औरिएन्टेशन आफ फारेस्ट एजुकेशन इन इण्डिया" समिति ने सरकार को प्रस्तुत अपनी अन्तिम रिपोर्ट में क्या मुख्य सिफारिशें की हैं;

(ख) क्या सरकार ने सिफारिशों की जांच की है और सम्बन्धित मन्त्रालयों/विभागों के साथ उन्हें कार्यान्वयन हेतु स्वीकार करने के लिए उन पर चर्चा की है;

(ग) यदि हां, तो उन्होंने अभी तक सिफारिशों पर किस सीमा तक कार्यान्वयन किया है;

(घ) क्या राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने भी रिपोर्ट पर चर्चा की है और यदि हां, तो उन पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) ओरिएन्टेशन आफ फारेस्ट एजुकेशन इन इण्डिया समिति की मुख्य सिफारिशों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) वन कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए पाठ्यक्रम का उपयुक्त संशोधन ताकि जनजातीय समस्याओं के सम्बन्ध में उनके लिए पर्याप्त परिप्रेक्ष्य की व्यवस्था की जा सके ।

(2) वन कर्मचारियों के जनजातीय विकास अभिमुखीकरण कार्यक्रमों का प्रबोधन करने तथा स्थानान्तरित कृषि, वन ग्राम विकास आदि से सम्बन्धित अनुसंधान कार्यक्रमों का समन्वय करने के लिए वन अनुसंधान संस्थान तथा कालेज;

(3) नियोजन तथा विकास अधिकारियों और वानिकी में जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत कार्मिकों का प्रशिक्षण;

(4) वानिकी में स्कूल तथा उच्च शिक्षा के भिन्न-भिन्न स्तरों पर उचित पाठ्यक्रम की व्यवस्था; और

(5) वन अनुसंधान तथा शिक्षा परिषद बनाने तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में वैकल्पिक विषय के रूप में वानिकी को शामिल करने की आवश्यकता ।

(ख) से (ङ) रिपोर्ट में की गई सिफारिशें सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों और सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों के ध्यान में लाई गई हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न संकायों में पाठ्यक्रमों को पुनः तैयार करने के लिए संशोधित दिशा निदेश पहले ही परिचालित कर दिए हैं । राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक ने समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए बैंक के कार्मिकों के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया है। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों ने सिफारिशों के पक्ष में अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की है और उन रूपरेखाओं पर कार्रवाई कर रही है जिनका सुझाव दिया गया है ।

देश के दक्षिणी भाग में वायुयान सेवाएं

5686. **श्री जी० विजयराम राव :**
श्री सी० माधव रेड्डी :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के दक्षिणी भाग में वायुयान उड़ानें आरम्भ करने हेतु प्रस्ताव को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सेवा से किन-किन शहरों के लाभान्वित होने की सम्भावना है; और

(ग) उड़ानें कब से आरम्भ की जायेंगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) वायुदूत ने दिनांक 6-4-1985 से देश के दक्षिण भाग में प्रचालन आरम्भ कर दिए हैं। इस समय यह हैदराबाद, कुडप्पा, राजामुन्द्री, तिरुपति, मैसूर और बंगलौर स्टेशनों को प्रचालन कर रही है। वारंगल को शीघ्र ही विमान सेवा से जोड़ दिए जाने का प्रस्ताव है।

लालडेंगा के साथ वार्ता में प्रगति

5687. **श्री जी० जी० स्वैल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिजो समस्या के समाधान के लिए मिजो नेता, लालडेंगा के साथ वार्ता में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस वार्ता के चलते हुए उनके अनुयायिओं ने मिजोरम में एक शान्ति दल का गठन किया है; और

(ग) इस शान्ति दल के गठन के उद्देश्य क्या हैं और सरकार ने इस कार्यवाही के पीछे छिपे उद्देश्य का कोई अनुमान लगाया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) श्री लालडेंगा के साथ अभी वार्ता चल रही है।

(ख) और (ग) श्री लालडेंगा के अनुयायियों द्वारा किसी ऐसे शान्ति दल का अभी गठन नहीं किया गया है।

राज्यों को केन्द्रीय सहायता की रूप रेखा

5688. **श्री जी० जी० स्वैल** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने केन्द्रीय सहायता देने की पद्धति में परिवर्तन करने का अनुरोध किया है;

(ख) उक्त अनुरोध किस किस्म का है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) जी, हां। असम सरकार ने राज्य की योजना के लिए 30 प्रतिशत अनुदान और 70 प्रतिशत ऋण के केन्द्रीय सहायता के वर्तमान पैटर्न के स्थान पर 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण के रूप में केन्द्रीय सहायता देने के लिए पद्धति में परिवर्तन करने के लिए अनुरोध किया है।

(ग) जैसा कि अब असम सरकार द्वारा अनुरोध किया गया है, उसे असम में पहाड़ी क्षेत्रों की विकास योजनाओं के लिए 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण के रूप में केन्द्रीय सहायता पहले ही दी जा रही है। असम सरकार के वर्तमान अनुरोध का तात्पर्य सहायता के इस पैटर्न का समूचे राज्य में विस्तार करना है जिसकी सभी राज्यों के लिए लागू केन्द्रीय सहायता की समग्र पैटर्न के सन्दर्भ में जांच करने की आवश्यकता है।

त्रिपुरा में सीमा सुरक्षा बल को सतर्क करना

5689. **श्री जी० जी० स्वैल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3-4 अप्रैल, 1985 को बंगलादेश के साथ त्रिपुरा की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के अमजद नगर, बेलोनिया पर सीमा सुरक्षा बल को सतर्क किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। त्रिपुरा सरकार ने सीमा सुरक्षा बल से नागरिक मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध किया था ताकि अमजद नगर के पास अथाई नाले के भारतीय किनारे पर बांध के निर्माण कार्य को पूरा किया जा सके। सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियों को यह सुनिश्चित करने के लिए सावधान कर दिया गया था कि यह कार्य बिना किसी बाधा के पूरा किया जाए।

संयुक्त राष्ट्र संघ औद्योगिक विकास संगठन के अन्तर्गत आनुवंशिक इंजीनियरी केन्द्र

5690. **श्री जी० जी० स्वैल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ औद्योगिक विकास संगठन के अन्तर्गत चलने वाले आनुवंशिक इंजीनियरी केन्द्र के लिए स्थान चुन लिया गया है;

(ख) क्या केन्द्र के निदेशक की नियुक्ति कर ली गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिकी विभागों के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां, अन्तर्राष्ट्रीय आनुवंशिक इंजीनियरी और जैव-प्रौद्योगिकी केन्द्र के नई दिल्ली संघटक के लिए स्थल का चयन कर लिया गया है।

(ख) और (ग) जी हां। केन्द्र के लिए अभी तक निदेशक नियुक्त नहीं किया गया है। केन्द्र की संविधियों के अनुसार निदेशक की नियुक्ति गवर्नरों के एक मण्डल द्वारा की जानी होती है जिसमें आई० सी० जी० ई० बी० के सभी सदस्य देश शामिल होते हैं। जब तक कम से कम चौबीस देशों द्वारा संविधियों का अनुसमर्थन नहीं कर दिया जाता तब तक न तो यह केन्द्र अस्तित्व में आ सकता है और न ही गवर्नरों के मण्डल की नियुक्ति की जा सकती है। अनुसमर्थन में अब प्रगति हो रही है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में 5 दिन का सप्ताह

5691. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैकल्पिक छुट्टियों और पांच दिवसीय सप्ताह सम्बन्धी जो आदेश भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र में एक वर्ष पहले लागू किया गया था और उसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसन्धान संगठन में लागू करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) यह मामला विचाराधीन है ।

विशेष आयोजना समिति द्वारा पदकों, वर्दियों, किटों, आदि पर किया गया खर्च

5692. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या युवा कार्य और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष आयोजन समिति द्वारा नवें एशियाई खेलों के पदकों, वर्दियों और प्रेस किटों पर कितनी धनराशि खर्च की गयी थी; और

(ख) उपरोक्त सामान में से कितना सामान अप्रयुक्त रह गया था और उसके क्या कारण थे ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) विशेष आयोजन समिति द्वारा किए गए खर्च के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

	लाखों में
(1) पदक	21.20 रुपये
(2) वर्दियां	66.06 रुपये*
(3) प्रेस किट्स	3.30 रुपये
	90.56 रुपये

(* इसके अतिरिक्त, लगभग 20 लाख रुपए के मूल्य की वर्दियों का सामान सरकारी स्तर के सप्लायरों की ओर से निःशुल्क प्राप्त किया गया था।)

(ख) अभी तक बिना प्रयोग पड़ी हुई वस्तुओं का मूल्य निम्नलिखित है :

	लाखों में
(1) पदक	2.75 रुपये
(2) वर्दियां	7.83 रुपये
(3) प्रेस किट्स	0.63 रुपये
	11.21 रुपये

फालतू सामान के कुछ निम्नलिखित कारण हैं :

(1) पदकों को कुछ अतिरिक्त मात्रा में इसलिए बनवाना पड़ा था क्योंकि इनके विभिन्न खेलों में लगाने की सम्भावनायें थी ।

(2) वर्दियां अखिल भारतीय पद्धति के आकार पर बनवाई गयी थीं, और कुछ अधिकता होनी अपरिहार्य थी ।

भारत में डकैतियां

[हिन्दी]

5693. श्री कल्याण सिंह सोलंकी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में 1985-86 के दौरान कुल कितनी डकैतियां पड़ीं तथा इनकी संख्या विश्व के अन्य प्रमुख देशों की इस प्रकार की घटनाओं से किस प्रकार तुलनीय है;

(ख) क्या सरकार ने इस आपराधिक प्रवृत्ति को रोकने के लिए कोई राष्ट्रीय स्तर की योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तत्संम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) अपराधों से सम्बन्धित कानूनों को लागू करने के लिए राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन जिम्मेवार है। देश में 1985-86 में हुई डकैतियों की संख्यां उपलब्ध नहीं हैं। विश्व के प्रमुख देशों में हुई डकैतियों की कुल संख्या के विषय में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। अपराध सहित "लोक व्यवस्था" राज्य का विषय होने के कारण राष्ट्रीय स्तर पर कोई विशिष्ट योजना विचाराधीन नहीं है। तथापि, योजना आयोग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के डकैती प्रणत क्षेत्रों के विकास के लिए एक कार्यकारी दल गठित किया है। कार्यकारी दल के विचार-विमर्श के लिए राज्य सरकारों से उनके राज्यों में डकैती प्रणत क्षेत्रों के विकास के लिए अपने प्रस्ताव देने के लिए कहा गया था। राज्यों से प्राप्त विकास परियोजनाओं के ब्यौरे कार्यकारी दल को प्रस्तुत कर दिए गए हैं ?

इंडियन एयरलाइन्स उड़ान संख्या 497 और 498 में विलम्ब

[अनुवाद]

5694. श्री चिन्तामणि जेना : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स की उड़ान संख्या 497 और 498 में प्रस्थान और वापसी में प्रतिदिन विलम्ब होता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या संसद सदस्यों सहित कई यात्रियों ने इंडियन एयरलाइन्स की शिकायत पुस्तकों में बार-बार विलम्ब के बारे में कई बार शिकायतें दर्ज की हैं;

(घ) यदि हां, तो यह शिकायतें किन-किन तारीखों को दर्ज की गई थीं; और

(ङ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जनवरी, फरवरी, और मार्च, 1985 के महीनों में आई० सी० 497/498 उड़ानों में क्रमशः ग्यारह, तेरह और पन्द्रह बार देरी हुई थी।

(ख) ये देरियां अधिकतर खराब मौसम और उसके फलस्वरूप देरी के कारण हुई थीं क्योंकि उसी विमान से प्रचलित की गई उससे पहले की उड़ानों में भी देरी हो गई थी।

(ग) जी, हां।

(घ) ये शिकायतें दिनांक 17 फरवरी, 21 फरवरी, 29 फरवरी, 9 अप्रैल, 13 अप्रैल और 15 अप्रैल, 1983 को की गई थीं।

(ङ) दिनांक 8 फरवरी, 1985 को कलकत्ता में एक बी-737 विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण, आई० सी-498 उड़ान को आई० सी-492 की आने वाली उड़ान का प्रचालन करने वाले विमान द्वारा प्रचालित करना पड़ा था। उड़ान के पुनः समय निर्धारण किए जाने के परिणामस्वरूप आई० सी-497 उड़ान में विलम्ब हुआ। इंडियन एयरलाइन्स का इस समस्या को ग्रीष्मकालीन अनुसूची में हल करने का विचार है।

त्रिपुरा में सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल की बटालियनों की संख्या में वृद्धि करना

5695. **श्री अमल दत्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से आग्रह किया है कि राज्य में सीमा-सुरक्षा बल और केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल की संख्या बढ़ाई जाये;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस आग्रह पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) त्रिपुरा सरकार ने सीमा को मजबूत करने के लिए सीमा सुरक्षा बल की एक बटालियन तैनात करने तथा उग्रवादियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के दो असम राइफल्स की बटालियनें तैनात करने के लिए भी अनुरोध किया गया था। सीमा सुरक्षा बल की एक बटालियन जुलाई, 1984 में त्रिपुरा को दी गई जो अब भी वहीं पर कार्यरत है। चूंकि असम राइफल्स की बटालियनें त्रिपुरा को नहीं दी जा सकीं फिर भी केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल की एक अतिरिक्त बटालियन अप्रैल, 1985 में भेजी गयी थी।

पश्चिम बंगाल में दिघा, मिदनापुर में पर्यटन विकास

5696. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा दिघा में पर्यटन विकास हेतु छठी योजनावधि के दौरान क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) सरकार का सातवीं योजनावधि के दौरान पश्चिम बंगाल में दिघा और मिदनापुर में पर्यटन विकास के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) छठी योजना में विभाग 40.17 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर दिघा में एक पर्यटक गृह और कुटीरों के निर्माण के लिए निधियों की व्यवस्था करने पर, सिद्धांत रूप में, सहमत हो गया है। सातवीं योजनावधि के दौरान इस स्कीम का निष्पादन किया जाएगा।

आदिवासियों के बीच खेलों का विकास

5697. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या युवा कार्य और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा हमारे देश के आदिवासी लोगों के बीच खेल की गतिविधियों का विकास करने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई है अथवा निकट भविष्य में करने का विचार है; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

युवा कार्य और खेल विभागों मे राज्य मंत्री (श्री आर० के अयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) देश में, आदिवासी लोगों में भी खेल कार्यकलापों को प्रोत्साहन देने को ध्यान में रखकर, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों की सहमति में कई योजनायें चला रही है, जिसमें (i) अखिल भारतीय ग्रामीण खेल टूर्नामेंट्स (ii) खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना (iii) राज्य खेल परिषदों आदि को अनुदान देने की योजना, शामिल है। राज्य खेल परिषदों/अन्य स्वैच्छिक निकायों को अनुदान देने की योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे बात को सुनिश्चित करें कि जहां तक सम्भव हो सके, आदिवासी क्षेत्रों में आवंटित खेल कार्यकलापों/सुविधाओं की प्रतिशतता, उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में आदिवासी जनसंख्या की प्रतिशतता से कम नहीं होनी चाहिए। उपर्युक्त चल रहे कार्यक्रम, 1985-86 में बढ़े हुए परिव्यय से जारी रहेंगे। दूरस्थ क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने की एक नई योजना का भी प्रस्ताव है।

इलेक्ट्रोनिक्स व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम लिमिटेड का लास एंजिलेस में कार्यालय

5698. श्री मूल चन्द डागा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलेक्ट्रोनिक्स व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम का लॉस एंजिलेस में कार्यालय कब से है और अन्य कौन से देशों में इस निगम के कार्यालय हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक देश में उन पर वार्षिक खर्च कितना हुआ है और उनकी आय का देश वर्ष/वार ब्यौरा क्या है;

(ग) वहां कर्मचारियों/अधिकारियों की भर्ती का तरीका क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्मचारियों/अधिकारियों की वर्षवार संख्या कितनी रही है;

(घ) क्या इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम द्वारा निर्यात के लिए निर्माताओं से सेवा प्रभार लिया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) लॉस एंजेलिस विदेश कार्यालय ने दिनांक 28 दिसम्बर, 1978 से कार्य शुरू कर दिया है। इसे सितम्बर, 1979 में एक व्यापार कार्यालय के रूप में परिवर्तित किया गया। निगम के दो और कार्यालय थे, जिनमें से एक वारसा में तथा दूसरा मास्को में था। किन्तु इन कार्यालयों में तैनात कार्यकारी अधिकारियों को मार्च, 1982/मई, 1982 में वापिस बुला लिया गया है और उनके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी को अभी तक तैनात नहीं किया गया है।

(ख) इन कार्यालयों की वार्षिक आय तथा व्यय के आंकड़े नीचे दिए अनुसार हैं :

(लाख रु० में)

वर्ष	लॉस एंजेलिस कार्यालय		वारसा कार्यालय		मास्को कार्यालय	
	आय	व्यय	आय	व्यय	आय	व्यय
1981-82	6.05	6.23	—	3.03	—	1.62
1982-83	8.62	8.56	—	0.76	—	—
1983-84	5.46	8.56	—	—	—	—

टिप्पणी :—वारसा तथा मास्को स्थित कार्यालय सम्पर्क कार्यालयों के रूप में कार्य करते हैं अतः इन कार्यालयों में होने वाली आय को कम्पनी की आय में जोड़ा जाता है। इन कार्यालयों में वर्ष 1983-84 के दौरान व्यय "शून्य" है क्योंकि वहां तैनात कार्यकारी अधिकारियों को वर्ष 1982 के पहले भाग में वापस बुला दिया गया था और उनके स्थान पर अन्य अधिकारी तैनात नहीं किए गए।

(ग) जो पद रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की आवश्यक सूचना) अधिनियम के कार्यक्षेत्र में आते हैं उनके मामले में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए सम्बन्धित रोजगार कार्यालयों को रिक्तियां अधिसूचित की जाती हैं; या प्रशिक्षित शिक्षुओं को शिक्षुता अधिनियम के अन्तर्गत नियमित रूप से कार्य पर ले लिया जाता है, तथा अन्य मामलों में प्रेस विज्ञापन के माध्यम से भी नियुक्तियां की जाती हैं। जहां तक निगम के अधिकारियों की नियुक्ति का प्रश्न है, योग्य तथा पात्र कर्मचारियों की नियमानुसार पदोन्नति के अलावा प्रेस विज्ञापन के माध्यम से और विख्यात शैक्षणिक/प्रशिक्षण संस्थाओं के परिसर में जाकर मौकेपर चयन करने के माध्यम से की जाती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान अधिकारियों तथा कर्मचारियों की वर्ष-वार स्थिति।

वर्ष	अधिकारी	कर्मचारी (गैर-कार्यकारी अधिकारी)	कुल
1981-82	96	116	212
1982-83	79	128	207
1983-84	90	148	238

(घ) तथा (ङ) जी, हां। बाजार का पता लगाने, विदेशी क्रेताओं के साथ बातचीत करने, भारतीय उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए प्रदर्शनियों में भाग लेने, आदि जैसी सेवायें प्रदान करने के लिए ई० टी० एण्ड टी० मामूली सेवा प्रभार वसूल करता है। एक व्यावसायिक संगठन होने के नाते, खर्च के आधार पर ही बहुत ही कम तथा यथोचित मात्रा में सेवा सम्बन्धी प्रभार लिए जाते हैं।

जांच आयोग

5699. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने जांच आयोगों का गठन किया गया और इनका गठन किस उद्देश्य हेतु किया गया है;

(ख) उनमें से कितनों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं;

(ग) कितने आयोग अभी काम कर रहे हैं और कितने समाप्त हो गए हैं; और

(घ) उन पर अब तक कितना व्यय किया जा चुका है और उक्त अवधि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स की क्षमता का उपयोग

5700. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स के अधीन बेड़ों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक की क्षमता क्या है;

(ख) क्या दोनों एयरलाइनों में पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक एयरलाइन में कितनी प्रतिशत क्षमता का उपयोग नहीं किया गया है और उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उपलब्ध क्षमता के बेहतर उपयोग हेतु राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए दोनों एयरलाइनों के विलय का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के विमानों की संख्या का ब्यौरा इस प्रकार है :—

एयर इंडिया

विमान का प्रकार	संख्या	सीट क्षमता
बोइंग 607	5	144
बोइंग 747	10	377
ए300 बी4	3	238

इंडियन एयरलाइन्स :

विमान का प्रकार	संख्या	सीट क्षमता
ए300 बी2/बी4	10	273/271
बी737	25	126
एफ27	8	44
एच. एस.748	11	48

(ख) और (ग) इन दोनों एयरलाइनों के विमानों का परिचालन के समय को ध्यान में रखकर इष्टतम प्रयोग किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) इन दोनों एयरलाइनों को मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया मिलकर इस बात का अध्ययन कर रही हैं कि यदि कोई अतिरिक्त क्षमता है तो उसका निर्धारण किया जाए और उसका किस तरह से सबसे अच्छा उपयोग किया जाए।

राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड

[हिन्दी]

5701. **श्री मूल चन्द डागा :**
श्री सी० गंगा रेड्डी :
डा० ए० के० पटेल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 5 जनवरी, 1985 को यह घोषणा की थी कि प्रतिवर्ष 50 लाख हैक्टेयर भूमि घास लगाने और जलाने की लकड़ी हेतु पेड़ लगाने हेतु उपयोग में लाई जाएगी और इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम घोषित करने के लिए एक राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड गठित किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) राज्यवार कितनी राष्ट्रीय परती भूमि को जलाने की लकड़ी के लिए पेड़ लगाने और पशुओं के लिए घास उगाने हेतु उपयोग किया जा रहा है अथवा उपयोग करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

1. राष्ट्रीय अकृष्य भूमि विकास बोर्ड स्थापित किया गया है।

2. राज्यों तथा संघ क्षेत्रों की सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे 1985-86 के दौरान वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त क्षेत्रों का पता लगायें और प्रारम्भिक कार्य शुरू करें।

3. सभी राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत रूप में विचार-विमर्श किया गया।

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्बन्धी कार्य से जुड़े गैर-सरकारी संगठनों के साथ भी विस्तृत रूप में विचार-विमर्श किया गया।

(ग) सातवीं योजना सम्बन्धी परिव्यय को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(घ) कुल उपलब्ध क्षेत्र की सीमा राज्यों द्वारा निर्धारित की जानी है।

बदरपुर विद्युत संयंत्र में प्रदूषण

[अनुवाद]

5702. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एक पर्यावरणीय कार्य दल, "कल्पवृक्ष" द्वारा बदरपुर विद्युत संयंत्र से लगातार निकलने वाली कोयले की धूल के बैठने के कारण मोलन्द बन्द, बदरपुर क्षेत्र की जनसंख्या और विद्युत संयंत्र के कर्मचारियों के स्वास्थ्य को गम्भीर खतरों के बारे में किए गए अध्ययन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा की गई मांगों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या बदरपुर विद्युत संयंत्र के प्राधिकारी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्रदूषण की रोकथाम सम्बन्धी बोर्ड

5703. **श्री आर० प्रभु** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदावरी, नर्मदा, कावेरी आदि प्रमुख नदी घाटियों के सम्बन्ध में प्रदूषण की रोकथाम के लिए बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रदूषण की रोकथाम सम्बन्धी इन बोर्डों द्वारा कब तक कार्य प्रारम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

सल्फर डाई ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन

5704. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उत्सर्जित सल्फर डाई आक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की कुल मात्रा के सम्बन्ध में कोई ठोस अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के सम्बन्ध में तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन उत्सर्जनों का स्तर क्षेत्र-वार, स्वीडन जैसे पश्चिमी देश देश से तुलनीय है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पर्यावरण विभाग के व्यापक प्रयासो के कारण इन उत्सर्जनों की मात्रा कम हो गई है;

(च) कुल उत्सर्जनों में से सड़क यातायात से होने वाले उत्सर्जन की प्रतिशतता क्या है; और

(छ) क्या पेट्रोल से लीड समाप्त करके और उसके स्थान पर अल्कोहल का उपयोग करके इसे कम किया जा सकता है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) और (ख) देश में सल्फर डाई आक्साइड एवं नाइट्रोजन आक्साइड के कुल उत्सर्जनों का कोई अध्ययन नहीं किया गया है। बहरहाल, देश के 13 नगरों में किए गए अध्ययनों से पता लगा है कि सल्फर डाई आक्साइड एवं नाइट्रोजन आक्साइड का परिवेशी स्तर निर्धारित सीमाओं से नीचे है तथा पश्चिमी देशों से कम है।

(ग) व (घ) अभी तक कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(ङ) से (छ) कुल उत्सर्जनों में सड़क यातायात से होने वाले अंशदान का देशव्यापी स्तर उपलब्ध नहीं है। दिल्ली में यातायात से उत्सर्जनों का अंशदान 40 प्रतिशत के बराबर है।

पेट्रोल से सीसे को निकाल देने से सल्फर डाई आक्साइड एवं नाइट्रोजन आक्साइड के उत्सर्जन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अल्कोहल के प्रतिस्थापन से इस पर असर होगा।

विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों की वापसी

5705. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में बसे भारत मूल के उन लोगों की संख्या (पाकिस्तान और बंगलादेश को छोड़कर) कितनी है जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान भारत में रहने के लिए विदेशों से भाग कर आना पड़ा था; और

(ख) इस समस्या से निबटने के लिए भारत सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) गत 20 वर्षों के दौरान बर्मा, यूगांडा, वियतनाम तथा जैरे से भारत मूल के लगभग 2.17 लाख व्यक्ति भारत में आए हैं।

गत 2 वर्षों में जुलाई, 1983 से श्रीलंका में जातीय हिंसा के फलस्वरूप 1-5-1985 तक कुल 87, 763 व्यक्ति भारत आये हैं।

(ख) बर्मा से आये व्यक्ति जिन्होंने निर्धारित समय सीमाओं में पुनर्वास सहायता के लिए आवेदन दिया था, को आवश्यक राहत तथा पुनर्वास सहायता कृषि तथा लघु व्यापार/व्यवसाय में पुनर्वास के लिए अनुमोदित प्रतिमान के अनुसार दी गई थी। इनमें से कुछ व्यक्तियों को रोजगार भी

दिया गया था। बर्मा से आये व्यक्तियों के सम्बन्ध में अवशिष्ट कार्य 7वीं योजना अवधि में पूरा किया जाएगा।

यूगांडा, वियतनाम तथा जैरे से आए व्यक्ति भिन्न-भिन्न राज्यों में रहने लगे हैं।

श्रीलंका के शरणार्थी जिन्होंने हमारे राहत शिविरों में प्रवेश के लिए अनुरोध किया है, को पूरी राहत सहायता दी जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि श्रीलंका में स्थिति में सुधार हो जाएगा। जिससे भारत में आए शरणार्थी अपने घरों को सुरक्षित तथा प्रतिष्ठा सहित वापिस जा सकें।

कश्मीर में विदेशी और स्वदेशी पर्यटकों में कमी

5706. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1985 तक के गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने विदेशी और स्वदेशी पर्यटकों ने कश्मीर घाटी की यात्रा की;

(ख) क्या दोनों श्रेणियों के पर्यटकों की संख्या में कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान कश्मीर घाटी की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या निम्नलिखित थी :—

	विदेशी	भारतीय	जोड़
1982	42,851	560,987	603,838
1983	41,101	398,428	439,529
1984	35,575	189,157	224,732

(ख) जी, हां।

(ग) कश्मीर घाटी में पर्यटन को जो धक्का पहुंचा, उसके प्रमुख कारण थे—जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब में आन्तरिक गड़बड़ और विदेश में प्रतिकूल मिडिया प्रचार।

उड़ीसा में आदिवासी कल्याण कार्यक्रम

5707. **श्री राधा कान्त डिगाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय केन्द्र सरकार द्वारा प्रयोजित आदिवासी कल्याण से सम्बन्धित कौन से कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं;

(ख) फूलवाणी जिले में यह कार्यक्रम कब से आरम्भ किए गए हैं;

(ग) उक्त राज्य में फूलबाणी और अन्य जिलों में इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने लोग इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) राज्य सरकारों से मांगी गई सूचना प्रत्याशित है और बाद में सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्वास्थ्य और पर्यावरण को क्षति से बचाने हेतु कीटनाशी औषधियों का उपयोग

5708. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक द्वारा स्वास्थ्य और पर्यावरण की क्षति को रोकने के लिए कीटनाशी औषधियों के उपयोग के सम्बन्ध में कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) दिशा-निर्देशों की प्रमुख बातें क्या-क्या हैं; और

(ग) क्या इन दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी हां, विश्व बैंक ने बैंक द्वारा वित्त व्यवस्थित परियोजना में, नाशीकीटमार, (पेस्टीसाइड्स) के चयन, प्राप्त करने तथा उपयोग के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं।

(ख) मार्गदर्शी सिद्धान्तों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) अधिकांश मार्गदर्शी सिद्धान्त कीटनाशी औषधि अधिनियम 1968 के अनुसार हैं और इसलिए पहले ही लागू किए गए हैं। शेष मार्गदर्शी सिद्धान्तों का सिद्धान्त रूप से अनुसरण किया जा रहा है।

विवरण

मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं :—

(क) **नाशीकीट और नाशीकीटमार प्रबन्ध पद्धतियां** :

यद्यपि, नाशीकीट प्रबन्ध में नाशी कीटमार महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहेगा फिर भी प्रतिरोधी किस्में, जैविक नियन्त्रण तकनीकें तथा जहां उपयुक्त हो, संशोधित संवर्धन व्यवहार के साथ रसायनिक नाशीकीटमार का न्यायसंगत प्रयोग के एक समन्वित दृष्टिकोण से नियंत्रण उपायों के लाभों और लागतों के बीच की बढ़ती हुई सीमा के लिए दीर्घावधि नियंत्रण और कम हुई पर्यावरणीय क्षति के लिए उत्तम हो सकती है।

नाशीकीटमारों तथा अन्य नियन्त्रण उपायों का प्रयोग सदैव एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन का परिणाम होना चाहिए कि प्राप्त किए जाने वाले लाभ जहां तक इसका आंकलन किया जा सकता है, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लागत से अधिक हो।

समन्वित नाशीकीट प्रबन्ध धारणा को बढ़ावा देने के लिए हरसम्भव प्रयास किए जाने चाहिए। नाशीकीटमारकों का निरीक्षण अल्पकालीन हल के रूप में किया जाना चाहिए। नाशीकीटों

की आबादी पर समग्र नियन्त्रण अन्य तरीकों जैसे, फसल के किस्मों का प्रयोग जो नाशीकीट की प्रतिरोधी या सहनशील होती हैं, जैविक नियन्त्रण, तथा संवर्धन पद्धतियों आदि के द्वारा किया जाना चाहिए।

जहां सम्भव हो, पतले-स्पेक्ट्रम नाशीकीटमार सामग्रियों का चयन किया जाना चाहिए जो कि नाशीकीट प्रजातियों के विरुद्ध प्रभावी होती हैं लेकिन अन्य उपयोगी कीटों अर्थात् प्राकृतिक शत्रुओं को कम हानि करती है। इन प्राकृतिक शत्रुओं के क्षति के जोखिम को कम करने के लिए व्यावहारिक पद्धतियां और समय का लक्ष्य होना चाहिए।

नाशीकीटमारकों की प्रतिरोध क्षमता के विकास को कम करने हेतु यथासम्भव कुछ रासायनिक नाशीकीटमार अनुप्रयोगों का प्रयोग करना चाहिए। कृषि नाशीकीट के नियन्त्रण के लिए केवल उन्हीं रसायनों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिनका जन स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव बीमारियों के नियंत्रण के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है।

(ख) संचालन, भण्डारण तथा उपयोग सुरक्षा :

यह अनिवार्य है कि नाशीकीटमारकों के पैकेजिंग, ढुलाई, भण्डारण तथा निपटान में उचित और फालतू नाशीकीटमार डिब्बों के बारे में उचित सावधानी बरती जाए और उपयोगकर्ताओं को इसके उपयोग की तकनीकों में अनिवार्य उपकरण और उचित प्रशिक्षण दिया जाए।

नाशीकीटमारों के पैकेजिंग के मानक विनिर्दिष्ट किए जाने चाहिए। सभी खतरनाक स्वरूप के पैकेजेज में स्पष्ट और स्थायी लेबल चिपके होने चाहिए। लेबल उपयुक्त भाषा में होने चाहिए। नाशीकीटमार डिब्बों के पुनः प्रयोग के खतरे से बचने के लिए उत्पादकों को ऐसे पुनः प्रयोग में आने वाले डिब्बों को बनाने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए और ऐसे डिब्बों को अपनाना चाहिए जिनका उपयुक्त डिजायन पहले ही से मौजूद हो। एक स्थिति, जहां दुर्घटना हो सकती है, कर्मचारियों इसके आसपास के लोगों को खतरा होने पर, निम्नलिखित आंकलन निर्धारण किए जाएं :

(क) चेतावनी प्रणाली स्थापित की जाए जिससे कर्मचारियों तथा जनता को आपातकाल की स्थिति में चेतावनी प्राप्त हो सके।

(ख) ऐसी आपात-स्थिति जिसमें लोगों को हटाया जाना, आदि अनिवार्य हो, से निपटने के लिए प्रक्रियाएं स्थापित करना;

(ग) आपात-स्थिति उपकरणों की उपलब्धता और उनकी सही स्थिति में होना; और

(घ) कर्मचारियों का प्रशिक्षण और आपातकालीन ड्रिल का नियमित अभ्यास।

नाशीकीटमार संवितरण प्रक्रिया में संदूषण बचाव के लिए, खाद्य पदार्थों को नाशीकीटमार के साथ-साथ नहीं ले जाया जाना चाहिए।

सांद्र पदार्थों की देखरेख करने वाले व्यक्तियों को बचाव के लिए मुंह पर लगाने के लिए शील्ड अथवा चश्मे, दस्ताने, अप्रन एवं जूते पहने होने चाहिए तथा समुचित देखभाल की जानी चाहिए।

नियमित छिड़काव कार्यों में लगे हुए संचालकों तथा पर्यवेक्षी कर्मचारियों को प्रयोग में लाये जा रहे पदार्थों से सम्बन्धित जहर पैदा होने पर विशेष प्राथमिक उपचार प्रक्रियों में प्रशिक्षित होना चाहिए।

जहां नाशीकीटमार किसानों को भेज दिए जाते हैं, वहां यह आवश्यक है कि पदार्थों का चयन किया जाए जिन्हें बिना अधिक पर्यवेक्षण के सुरक्षित तथा प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके तथा कि पदार्थों के उपयोग में विस्तार सेवाओं को समुचित रूप से बढ़ावा तथा इसमें प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे सही तकनीक का प्रदर्शन कर सकें तथा समुचित सलाह दी जा सकें जिसमें सान्द्रों के आन-फार्म भण्डारण के लिए सलाह, तथा बकाया नाशीकीटमार के निपटान तथा खाली बर्तनों तथा जब समस्या आए तो नाशीकीट नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों को बुलाना शामिल है। इस प्रशिक्षण में सांद्रों का भण्डार तथा रख-रखाव, डायल्यूट करना तथा समिश्रित करना, तकनीकों को लागू करना तथा उचित औजारों, क्लीनसिंग तथा छिड़काव औजार का रख-रखाव तथा नदियों अथवा भूमि जल में विक्षालन के छिड़काव संवहन के माध्यम से पर्यावरणीय क्षति के बचाव के लिए सावधानियां शामिल हैं।

(ग) नाशीकीटमार पदार्थों का चयन तथा नाशीकीटमार का निर्माण :

इसमें स्थानीय जलवायु तथा पर्यावरणीय दशाओं के अन्तर्गत, उनकी समाकलित नाशीकीट प्रबन्ध इत्यादि से संगति के वैकल्पिकों की सुरक्षा तथा प्रभावशीलता को भी ध्यान में रखना चाहिए।

क्लोरोनेटेड हाइड्रोकार्बन कीटनाशियों का पर्यावरण में अत्यधिक अवस्थिति की विशिष्टताएं, ऊतकों में बायोअकुमेलेशन, खाद्य में बायोमैगनिफिकेशन तथा कुछ मामलों में आनुवंशिकीय असमान-ताओं की कैन्सरजनीकता है। कृषि उद्देश्यों के लिए इनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए परन्तु जन स्वास्थ्य के उपयोग में विचार-विमर्श किया जाए।

जब नाशीकीटमार खाद्य फसलों पर प्रयोग किया जाए तो जहां तक सम्भव हो यह सुनिश्चित किया जाए कि एफ० ए० ओ०/डब्ल्यू० एच० ओ० के अधिकतम अवशेष सीमा सिफारिशों से अधिक न होगा। जहां ऐसे पदार्थों का उपयोग निर्यात के लिए खाद्य फसलों पर किया जाए, आयात करने वाले देश के द्वारा बनाये गये ऐसे स्वीकृत अवशेष सीमाओं का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नाशीकीटमारों का चयन पर्यावरण के संभव खतरे के एक सावधानीपूर्वक मूल्यांकन पर तथा महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होना चाहिए।

(घ) नाशीकीटमारों की उपलब्धि :

नाशीकीटमारों को प्राप्त करने में पदार्थों की प्रभावोत्पादकता तथा प्रति इकाई क्षेत्र की कीमत पर ध्यान देना चाहिए। निविदा के विवरण में पैक करने तथा लेबल लगाने के कोई विशेष अंशों को दर्शाना चाहिए जो हैंडलिंग तथा भण्डारण के दौरान उत्पाद बचाव तथा प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। अन्तर्राष्ट्रीय तौर पर स्वीकृत पैक करने तथा लेबल करने के मानकों, जैसा कि एफ० ए० ओ० प्लान्ट प्रोटेक्सन बुलेटिन सं० 21983 खण्ड 13 में वर्णित है, का संदर्भ किया जाए।

विदेश सचिव की पड़ौसी देशों की यात्रा

5709. **श्री बी० वी० देसाई :**
श्री अमर राय प्रधान :
श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी :
श्री महेन्द्र सिंह :
श्री जगन्नाथ पटनायक :
श्री बालासाहिब विखे पाटिल :
श्री आनन्द सिंह :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्विपक्षीय समस्याओं पर विचार-विमर्श के लिए विदेश सचिव ने अप्रैल, 1985 के दौरान प्रधान मंत्री के विशेष दूत के रूप में विभिन्न पड़ौसी देशों की यात्रा की थी;

(ख) विदेश सचिव ने किन-किन देशों की यात्रा की;

(ग) यदि हां, तो किये गये विचार-विमर्श के क्या परिणाम निकले; और

(घ) क्या इन देशों के साथ सम्बन्ध सुधारने और इस उद्देश्य से कुछ कदम उठाने हेतु कोई ठोस फार्मूला तैयार किया गया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) विदेश सचिव की पड़ौसी देशों की यात्रा प्रधान मंत्री की इस पहल के अनुसरण में की गई थी कि इन देशों के साथ सम्बन्धों में और सुधार लाया जाए और ऐसा वातावरण पैदा किया जाए जिसमें विशिष्ट मुद्दों को सुलझाया जा सके। अप्रैल, 1985 में जिन देशों की यात्राएं की गईं, वे हैं नेपाल (1-2 अप्रैल), पाकिस्तान (4-6 अप्रैल), अफगानिस्तान (12-13 अप्रैल) और बंगलादेश (15-16 अप्रैल)।

(ग) और (घ) इस यात्रा का उद्देश्य पड़ौसी देशों के साथ अपने सम्बन्धों में और सुधार लाने के लिए उचित वातावरण तैयार करना और विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय हित सभी मसलों पर विचार-विमर्श करना था।

सरकारिया आयोग पर हुआ खर्च

5710. **श्री हुसेन दलवाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारिया आयोग पर अब तक कितना खर्च किया गया है;

(ख) सरकारिया आयोग के कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ग) सरकारिया आयोग के सदस्यों का ब्यौरा क्या है और आयोग में उनके पदनाम क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राममुलारी सिंहा) : (क) सरकारिया आयोग पर 31-3-1985 तक किया गया कुल खर्च 45.85 लाख रुपये हैं।

(ख) आयोग के कर्मचारियों की कुल स्वीकृत संख्या 123 है।

(ग) आयोग के सदस्यों का ब्यौरा इस प्रकार है :

1. न्यायमूर्ति आर० एस० सरकारिया उच्चतम न्यायालय के सेवा-निवृत्त न्याताधीश —अध्यक्ष

2. श्री बी० सिवरमन, भारत सरकार के पूर्व मंत्रिमण्डल सचिव और सदस्य, योजना आयोग —सदस्य

3. डा० एस० आर० सेन, विश्व बैंक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व कार्यकारी निदेशक और इस समय निदेशक बोर्ड, भारतीत रिजर्व बैंक के निदेशक —सदस्य

अनुसूचित जाति विकास निगम

5711. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य के अब तक कितने अनुसूचित जाति विकास निगम गठित किए गए हैं; और

(ख) प्रत्येक राज्य में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जातियों के कितने परिवारों को पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति विकास निगमों से लाभ हुआ है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) राज्यों में 17 तथा संघ शासित क्षेत्रों में 2 अनुसूचित जाति विकास निगम स्थापित किये गये हैं।

(ख) राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त सूचना पर आधारित विवरण संलग्न है।

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नाम जिन्होंने अनुसूचित जाति विकास निगम स्थापित किये हैं	पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभान्वित अनुसूचित जाति परिवारों की संख्या जो गरीबी की रेखा से नीचे थे
1	2
1. हरियाणा	56916
2. हिमाचल प्रदेश	28943 (30-9-84 तक)
3. पंजाब	36320
4. उत्तर प्रदेश	228665
5. आंध्र प्रदेश	536450
6. कर्नाटक	80507
7. केरल	15259 (नवम्बर, 1984 तक)
8. राजस्थान	4657 (1984 तक)
9. तमिलनाडु	9151

1	2
10. बिहार	44322
11. उड़ीसा	47274
12. त्रिपुरा	1680 (1-3-82 से 30-9-84)
13. पश्चिमी बंगाल	722611
14. गुजरात	123552
15. मध्य प्रदेश	27732 (1984 तक)
16. महाराष्ट्र	112850
17. असम	2863 (1984 तक)
18. दिल्ली	2902
19. चंडीगढ़	1705

अस्पृश्यता सम्बन्धी अपराधों को रोकने हेतु साम्प्रदायिक जुर्माना

5712. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान कानूनों में अस्पृश्यता सम्बन्धी अपराधों के लिए सामुदायिक जुर्माना करने का कोई प्रावधान है;

(ख) क्या इस प्रकार के सामुदायिक जुर्माने का वहन दोषकर्ताओं द्वारा किया जाता है और उक्त राशि पीड़ितों को दी जाती है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में किसी कानूनी कदम के उठाये जाने की कोई सम्भावना है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान्, नागरिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 10-क के अधीन अस्पृश्यता सम्बन्धी अपराधों के लिए सामूहिक जुर्माना करने का प्रावधान है ।

(ख) और (ग) सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा इस तथ्य को ध्यान किये बिना कि क्या ऐसे जुर्माने की एकत्र की गई राशि सरकार को दी जाती है अथवा पीड़ितों को, अस्पृश्यता सम्बन्धी अपराधों के पीड़ित/शिकार व्यक्तियों के लिए पुनर्वास उपाय किए जाते हैं ।

राज्यों द्वारा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की सहायता मांगा जाना

5713. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों द्वारा 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की कितनी बार सहायता मांगी गई;

(ख) यह सहायता किस प्रकार की घटनाओं के लिए मांगी गई थीं; और

(ग) सरकार ने कितने मामलों में राज्य सरकार का अनुरोध स्वीकार किया ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल प्राथमिक रूप से विधि व व्यवस्था बनाये रखने में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए होता है। जब राज्य सशस्त्र पुलिस टुकड़ियां अपर्याप्त समझी जाती हैं तो राज्य सरकारें केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनातगी के लिए समय-समय पर अनुरोध करती हैं। जब कभी ऐसे अनुरोध प्राप्त होते हैं, तो केन्द्र सरकार अपेक्षित बल, स्थिति की गम्भीरता तथा आवश्यकता, अवधि जिसके लिए बल की आवश्यकता है, इत्यादि का विश्लेषण करती है और प्राप्त हुई मांगों और उपलब्ध रिजर्व को ध्यान में रखकर राज्य सरकारों को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल भेजती है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की कम्पनियों की संख्या जो, मार्च, 1982 से फरवरी, 1985 तक की अवधि के दौरान विधि व व्यवस्था की ड्यूटियों के लिए विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को उपलब्ध कराई गई थीं, संलग्न विवरण में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1109/85]**

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना

5714. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश नीति के उद्देश्यों को प्रौद्योगिकी, हथियारों, व्यापार और वित्त के अन्य लक्ष्यों के साथ जोड़ने के लिए संगठनात्मक ढांचा उपलब्ध कराने हेतु एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद स्थापित करने के सुझाव पर सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रकार की कोई परिषद गठित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना के सिलसिले में सुझाव दिए गए हैं। अभी इस प्रकार की परिषद की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन सरकार भारत की सुरक्षा के सम्बन्ध में समन्वित दृष्टिकोण के महत्व को समझती है जिसमें विदेश नीति भी शामिल है तथा वह समय-समय पर वर्तमान संस्थागत तंत्र की क्षमता की समीक्षा करती रहेगी।

रेडियो रिसीवर्स का उत्पादन

5715. **श्री राम रतन राम** :
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा देश में रेडियो रिसीवर्स का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रोनिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : सरकार ने देश मे रेडियो रिसीवरों का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

1. औद्योगिक लाइसेंसों को एक ही व्यापक लाइसेंस के अंतर्गत जारी करना :

पूंजी निवेश के उपयोग का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए मनोरंजन इलेक्ट्रोनिकी के क्षेत्र में विभिन्न किस्म के उत्पादों के लिए एक ही व्यापक लाइसेंस जारी किया जाएगा, इसके अंतर्गत रेडियो रिसीवर, टेप रिकार्डर, टू-इन-वन, ध्वनिप्रवर्धक, रिकार्ड प्लेयर, रिकार्ड चेन्जर, दूरदर्शन सेट (श्याम तथा श्वेत और रंगीन), बन्द परिपथ (क्लोज सर्किट) दूरदर्शन प्रणालियां तो शामिल हैं, लेकिन ऐसे उत्पाद शामिल नहीं हैं जो लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं।

2. स्वदेशी संघटक-पुर्जों की उचित मूल्य पर उपलब्धता :

जो संघटक पुर्जे लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं उन्हें गैर-आरक्षित करने का प्रस्ताव है ताकि संगठित क्षेत्र में उनका अधिक मात्रा में उत्पादन किया जा सके, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे संघटक-पुर्जों की लागत कम हो जाएगी।

3. रेडियो लाइसेंस शुल्क समाप्त करना :

सरकार ने प्रसारण रेडियो लाइसेंस तथा विक्रेताओं के स्वामित्व का लाइसेंस समाप्त कर दिया है जिससे खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बाजारों की नई श्रृंखला खोलने में काफी सहायता मिलेगी।

4. लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयों द्वारा विनिर्मित किए जाने वाले 165 रु० तक की कीमत वाले रेडियो रिसीवरों को उत्पादन शुल्क से छूट दी गई है।

इलेक्ट्रोनिक्स के लिए आयात नीति

5716. **श्री बी० बी० रमैया :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रोनिक्स के लिए बेरोक-टोक आयात नीति से स्वदेशी हितों पर कुप्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो नीति में इस परिवर्तन के क्या कारण हैं;

(ग) क्या तस्करी की क्वार्टज डिजिटल घड़ियां 30-40 रु० प्रति घड़ी के हिसाब से बिक रही हैं और यदि हां, तो क्या सरकार बड़ी मात्रा में इन घड़ियों का आयात करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा उस समय तक इन्हें बेचेगा जब तक देश में उनका निर्माण शुरू नहीं हो जाता है; और

(घ) क्या सरकार वी० सी० आर० और रंगीन टेलीविजन सेटों और डाक्टरों तथा व्यावसायिकों के लिए इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के सम्बन्ध में भी इसी तरह की व्यावहारिक नीति अपनाएगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। किन्तु इलेक्ट्रोनिकी के क्षेत्र में हो रही प्रगति का लाभ उठाने के लिए प्रौद्योगिकी के आयात की अनुमति मुक्त रूप से दी जाएगी ताकि देश में ही इलेक्ट्रोनिकी का समुचित आधार विकसित हो सके। किन्तु, साथ ही उद्योगों को स्वयं अपने ही संगठनों में प्रौद्योगिकी का आधार

स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि प्रौद्योगिकियों का बारम्बार आयात करने की जरूरत न हो।

(ख) जी, हां। जहां तक ऐसी घड़ियों का आयात तथा विपणन का सम्बन्ध है, यह मामला विचाराधीन है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। सरकार वी० सी० आर० तथा रंगीन दूरदर्शन आदि के आयात की कोई योजना नहीं है।

भोपाल में पर्यावरण सम्बन्धी अनुसंधान और अध्ययन के लिए एक संस्थान

5717. **श्री प्रताप सिंह भानु :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश में भोपाल में पर्यावरण सम्बन्धी अनुसंधान और अध्ययन के लिए एक संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा वर्ष 1982 में उसकी आधारशिला रखी गई थी; और

(घ) यदि हां, तो अब तक इस परियोजना में क्या प्रगति हुई है?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण कार्यों के प्रयोग सम्बन्धी समिति की सिफारिशें

5718. **श्री एन० बी० रत्नम् :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 39वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण कार्यों के प्रयोग सम्बन्धी समिति की सिफारिशों पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं; और

(ग) इस विषय पर अमेरिका और अन्य पश्चिमी ग्रुप ने क्या रुख अपनाया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) महासभा ने मतदान के बिना संकल्प 39/96 स्वीकार किया जिसमें उसने बाह्य अन्तरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग से सम्बन्धित समिति की रिपोर्ट का समर्थन किया।

(ग) अमरीका और अन्य पश्चिमी देशों का यह मत है कि बाह्य अन्तरिक्ष के सैन्यकरण पर विचार-विमर्श करने का उपयुक्त मंच निरस्त्रीकरण सम्बन्धी समिति है।

"काराकस" कार्यक्रम

5719. **श्री एन० वेंकट रत्नम :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "काराकस प्रोग्राम आफ एक्शन" क्या है और अपने उद्देश्य की प्राप्ति में इसे कितनी सफलता मिली है;

(ख) "काराकस" कार्यक्रम की सफलता में भारत की भूमिका क्या है; और

(ग) यदि कोई सफलता नहीं मिली है तो इसके क्या कारण हैं और विनाश को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) 77 विकासशील देशों के समूह का काराकस सक्रिय कार्यक्रम वस्तुत: विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक व्यापक कार्यक्रम है जो मई, 1984 में काराकस में विकासशील देशों के आर्थिक सहयोग के विषय पर आयोजित एक उच्च-स्तरीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस कार्यक्रम के उद्देश्य हैं— पारस्परिक हित के आधार पर विकासशील देशों के बीच एकजुटता और सहयोग को मजबूत करना और अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों की पुनर्संरचना के एक अभिन्न अंग के रूप में सामूहिक आत्म-निर्भरता को सवर्धित करना तथा एक नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना। इस कार्यक्रम की परिधि में व्यापार, प्रौद्योगिकी, खाद्य एवं कृषि, ऊर्जा, कच्ची सामग्री, वित्त, औद्योगीकरण और तकनीकी क्षेत्रों में इन देशों के बीच पारस्परिक सहयोग आता है। इसमें इस कार्यक्रम को प्रभावकारी ढंग से समन्वित करने, उसकी प्रगति पर निगाह रखने तथा अनुवर्ती कार्रवाई और मूल्यांकन करने की भी व्यवस्था है। इस कार्यक्रम की क्रियान्विति में काफी प्रगति हुई है। इस कार्यक्रम के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक बैठकें हो चुकी हैं तथा इनकी समीक्षा, समन्वय और अनुवर्ती कार्रवाई के सम्बन्ध में भी बैठकें हुई हैं। विकासशील देशों के बीच व्यापारिक वरीयता की सार्वभौम व्यवस्था की स्थापना की दिशा मे हुई प्रगति, फॉसिल ईंधन के सम्बन्ध में एक कार्यवाही समिति की स्थापना, एक बहुक्षेत्रीय सूचना नेटवर्क की स्थापना और विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग की दिशा में प्रगति का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है।

(ख) काराकस सक्रिय कार्यक्रम को तैयार करने में और इसकी क्रियान्विति की दिशा में भी भारत ने एक रचनात्मक और सक्रिय भूमिका निभाई है। हमने विभिन्न कार्यक्रम और अन्त: सरकारी बैठकों में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया है। भारत ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के राष्ट्रीय अभिकरणों के प्रमुखों की मई, 1982 में नई दिल्ली में आयोजित बैठक और सितम्बर, 1984 में विद्युत उद्योग के सम्बन्ध में 77 देशों के समूह का सेमिनार जैसी क्षेत्रीय बैठकों की मेजवानी की है। हमने काराकस सक्रिय कार्यक्रम द्वारा स्थापित 77 देशों के समूह के लेखे में 60 हजार अमरीकी डालर का अंशदान दिया है। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के अध्यक्ष की हैसियत से, जिसका एक प्रमुख उद्देश्य विकासशील देशों के बीच सामूहिक आत्म-निर्भरता विकसित करना है, भारत ने गुट-निरपेक्ष देशों के आन्दोलन के आर्थिक सहयोग के सक्रिय कार्यक्रम को काराकस सक्रिय कार्यक्रम के साथ एकरस करने की दिशा में प्रयत्न किया है और इस तरह काराकस कार्यक्रम को मजबूत बनाया है।

(ग) काराकस सक्रिय कार्यक्रम के माध्यम से विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग को संवर्धित करने की दिशा में प्रगति तो हुई है लेकिन इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक दीर्घ-कालिक भावी योजना का होना बहुत जरूरी है। जिन बाधाओं को दूर करना है, उनमें संसाधनों की अपर्याप्तता सर्वप्रमुख है। इस बाधा को दूर करने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार किया जा रहा है जिनमें विकासशील देशों के एक बैंक की स्थापना की व्यवहार्यता भी शामिल है। भारत इस

कार्यक्रम के और प्रभावकारी क्रियान्वयन का सुनिश्चय करने के लिए अन्य विकासशील देशों के निकट सहयोग से काम कर रहा है।

आर्थिक सहयोग के सम्बन्ध में निरपेक्ष देशों का कार्यक्रम

5720. **श्री एन० वेंकट रत्नम** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में गुट-निरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन में आर्थिक सहयोग के सम्बन्ध में अपनाई गई कार्य नीति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उससे अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) सातवें गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन ने गुट-निरपेक्ष और अन्य विकासशील देशों में सामूहिक आत्म-निर्भरता संवर्धित करने के उद्देश्य से आर्थिक सहयोग का एक व्यापक सक्रिय कार्यक्रम स्वीकार किया था। इस सक्रिय कार्यक्रम में 23 विभिन्न विशिष्ट विषयों के अन्तर्गत सहयोग के कई क्षेत्र तय किए थे। विशिष्ट क्षेत्रों में गुट-निरपेक्ष देशों के बीच भावी कार्यक्रम को समन्वित करने के लिए समन्वयक देश भी तय किए गए थे। आर्थिक सहयोग के सक्रिय कार्यक्रम का ब्यौरा सातवें गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के अन्तिम दस्तावेजों में दिया गया है जो संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) गुट-निरपेक्ष देशों ने सातवें शिखर सम्मेलन में निर्धारित मार्ग निर्देशों के अनुसार आपस में आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए सक्रिय प्रयत्न किए हैं। खाद्य और कृषि, स्वास्थ्य खेल-कूद, विकास में नारी की भूमिका, भवन निर्माण, शिक्षा एवं संस्कृति, मानकीकरण, माप तोल एवं किस्म नियंत्रण आदि जैसे विविध क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग को सघन करने और ठोस कार्रवाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेषज्ञों, अधिकारियों और मंत्रियों के स्तर पर बहुत-सी बैठकें हुई हैं। इन क्षेत्रों में और अन्य क्षेत्रों में भी अनुवर्ती कार्रवाई चल रही है और यह कार्रवाई गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के कार्य-कलापों का ही एक अभिन्न अंग है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली के लिए उत्तरी और दक्षिणी देशों के बीच बातचीत

5721. **श्री एन० वेंकट रत्नम** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा लन्दन सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय प्रणाली में सुधार के लिए उत्तरी तथा दक्षिणी देशों के बीच बातचीत प्रारम्भ करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(ख) इस उद्देश्य को प्राप्त करने में भारत को कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(ग) यदि सफलता प्राप्त नहीं हुई है तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) रुकावटों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) गुट-निरपेक्ष देशों के आन्दोलन के अध्यक्ष की हैसियत से भारत ने उत्तर और दक्षिण के बीच बातचीत को संवर्धित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ताकि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय प्रणाली में सुधार लाया जा

सके। स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जून, 1984 में लन्दन शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख औद्योगीकृत देशों के शासनाध्यक्षों को संदेश भेजे जिनमें मुद्रा और वित्त के प्रश्न पर नई पहल पर विचार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया था; विकास के लिए मुद्रा और वित्त सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने के लिए सातवें गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के प्रस्ताव को दोहराया गया था; तथा उत्तर-दक्षिण बातचीत में उत्पन्न मौजूदा गतिरोध को दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया गया था। प्रधान मंत्री के निजी दूतों ने लन्दन शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों की राजधानियों की यात्रा की ताकि उत्तर-दक्षिण मसलों पर विशेषकर मुद्रा और वित्त के क्षेत्र में, हमारे दृष्टिकोण को स्पष्ट किया जा सके और इन मसलों पर किसी बातचीत की शुरुआत करने की संभावना का पता लगाया जा सके।

(ख) और (ग) हमने जो सुझाव दिए थे उन पर लन्दन शिखर सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया तथा शिखर सम्मेलन के बाद इनका उत्तर देने के लिए ब्रिटेन की प्रधान मंत्री के निजी दूत ने दिल्ली की यात्रा की लेकिन लन्दन शिखर सम्मेलन के परिणाम कुछ निराशाजनक रहे। शिखर सम्मेलन द्वारा जारी की गई आर्थिक घोषणा में विकासशील देशों की चिन्ता पर ध्यान दिया गया किन्तु मुद्रा वित्त और विकास से सम्बन्धित मसलों पर बराबर बातचीत करने की ब्रेटन वुड्स की मौजूदा संस्थाओं की प्राथमिक भूमिका की पुनः पुष्टि की गई और इसमें उत्तर दक्षिण बातचीत के लिए नए प्रोत्साहन की अधिक आशा नहीं दिखाई दी। मुद्रा और वित्त प्रणाली में सुधार करने के लिए अभी तक किए गए प्रयासों से अधिक सफलता नहीं मिल पाई है। इसका मुख्य कारण यह है कि मुख्य औद्योगीकृत देश ब्रेटन वुड्स संस्थानों से, जहां पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनका आधिपत्य है, बाहर संगत मसलों पर बातचीत करने के इच्छुक नहीं हैं।

(घ) भारत गुट-निरपेक्ष देशों के आन्दोलन के अध्यक्ष के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मसलों पर सार्थक बातचीत संबंधित करने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखे हुए है स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने मुद्रा और वित्त सम्बन्धी एक उच्च स्तरीय दल का गठन किया था। उन्होंने इस दल की रिपोर्ट को सभी विकसित और विकासशील देशों के राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों को भेजा था। गुट-निरपेक्ष देशों के आन्दोलन द्वारा की गई पहल कदमी के अनुसरण में संयुक्त राष्ट्र इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा की 40वीं वर्ष गांठ मनाएगा। उम्मीद है कि काफी राज्याध्यक्ष/शासनाध्यक्ष इस समारोह में भाग लेंगे। आशा है कि इस समारोह के मौके पर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को बहु-पक्षीय सहयोग तथा संयुक्त राष्ट्र तन्त्र को सुदृढ़ करने की अपनी वचनबद्धता की पुष्टि करने का एक महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा।

उत्तर प्रदेश में गैर-परम्परागत ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना

5722. **श्री हरीश रावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में समेकित ग्रामीण ऊर्जा योजना के अन्तर्गत 1985-86 के दौरान कितनी गैर-परम्परागत ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का विचार है;

(ख) इन परियोजनाओं से कितने जिले लाभान्वित होंगे; और

(ग) उत्तर प्रदेश में 1985-86 के दौरान इस कार्यक्रम पर कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) 1985-86 में उत्तर प्रदेश के 14 गांवों में समेकित ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग ने स्वीकृति प्रदान की तथा इन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की है। इन परियोजनाओं में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सामुदायिक बायोगैस संयन्त्र, ऊर्जा बागवानी आदि पर आधारित विभिन्न अपरंपरागत ऊर्जा युक्तियां और प्रणालियां शामिल हैं। ये परियोजनाएं राज्य सरकार की अपारंपरिक ऊर्जा विकास एजेन्सी द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। ये परियोजनाएं पारिवारिक आकार के बायोगैस संयन्त्रों के व्यापक कार्यक्रमों के अलावा उत्तर प्रदेश में कुशल चूल्हों और सौर तापीय युक्तियों के लिए कार्यक्रमों की हैं।

उत्तर प्रदेश में योजना आयोग द्वारा एक समेकित ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम भी प्रायोजित किया गया है, जिसमें ऊर्जा के सभी स्रोत, पारंपरिक और अपारंपरिक, वाणिज्यिक और अवाणिज्यिक, शामिल हैं। इस कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता राज्य के बजट से प्राप्त होगी तथा इस कार्यक्रम के लिए कोई अन्य केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाएगी।

(ख) और (ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा स्वीकृत समेकित ऊर्जा परियोजनाएं राज्य के 13 जिलों में हैं तथा इसमें केन्द्र द्वारा 74.36 लाख रुपए का परिव्यय शामिल है। चूंकि उत्तर प्रदेश की 1985-86 के लिए वार्षिक योजना को अभी अन्तिम रूप देना है, इसलिए 1985-86 के दौरान राज्य के बजट से व्यय की जाने वाली प्रस्तावित राशि की अभी तक जानकारी नहीं है।

पर्यावरण के सम्बन्ध में परिषदों का गठन

5723. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों को पर्यावरण के सम्बन्ध में परिषदों के गठन हेतु केन्द्र द्वारा मार्ग-निदेश दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में ऐसी परिषदों का गठन किया गया है;

(ग) क्या उड़ीसा में पर्यावरण पर इस प्रकार की परिषदों का गठन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो कब से और पर्यावरण सम्बन्धी उड़ीसा राज्य परिषद ने पर्यावरण के सुधार हेतु अब तक क्या विभिन्न उपाय किए हैं?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है, तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भुवनेश्वर और पोर्ट ब्लेयर के बीच सीधा वायु सम्पर्क

5724. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास भुवनेश्वर और पोर्ट ब्लेयर के बीच सीधा वायु सम्पर्क शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या उक्त प्रस्ताव चालू वित्त वर्ष के दौरान क्रियान्वित होने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

राष्ट्रीय नागर विमानन प्राधिकरण की स्थापना

5725. श्री सोमनाथ रथ : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में सिविल हवाई अड्डों की देख-रेख के लिए एक राष्ट्रीय नागर विमानन प्राधिकरण स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई समिति नियुक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो इसने क्या सिफारिशें की हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) नागर विमानन प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है जो अन्य बातों के साथ-साथ अन्तर्देशीय हवाई अड्डों के विकास, प्रबन्ध और रख-रखाव के लिए जिम्मेदार होगा ।

(ग) और (घ) जी, हां । समिति ने एक सांविधिक नागर विमानन प्राधिकरण के बनाए जाने की सिफारिश की है ।

भुवनेश्वर और बम्बई तथा बम्बई और भुवनेश्वर के बीच सीधी विमान सेवा

5726. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भुवनेश्वर और बम्बई तथा बम्बई और भुवनेश्वर के बीच सीधी विमान सेवा आरम्भ करने के प्रस्ताव की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब से कार्यान्वित किए जाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) इंडियन एयरलाइन्स की भुवनेश्वर और बम्बई के बीच सीधी उड़ान आरम्भ करने की कोई योजनाएं नहीं हैं । तथापि इंडियन एयरलाइन्स कलकत्ता-भुवनेश्वर-हैदराबाद मार्ग पर सप्ताह में चार बी०-737 उड़ानें प्रचालित करती है । बम्बई और भुवनेश्वर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए हैदराबाद में दोनों दिशाओं में सुविधाजनक संयोगी उड़ानों की व्यवस्था है ।

वायुदूत सेवाओं के लिए "टर्बो प्रोपेल्ड" वायुयान

5727. **श्री शांताराम पोतदुखे** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वायुदूत सेवा के लिए "टर्बो प्रोपेल्ड" वायुयानों का उपयोग करने का है; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए यदि कोई वायुयान मंगाए गए हैं तो उनकी संख्या क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) वायुदूत सेवाओं का प्रचालन इंडियन एयरलाइन्स से पट्टे पर लिए गए टर्बो प्रॉप विमान एफ०-2 और एच० एस०-748 से करती रही है। इस समय कम्पनी के पास पट्टे पर प्राप्त क्षमता 4 टर्बो प्रॉप विमान के बराबर है।

बटेर चिड़िया का परिरक्षण

5728. **श्री शांताराम पोतदुखे** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बटेर चिड़िया हिमालय पर्वत माला में प्रायः विलुप्त हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिरक्षण के लिए सरकार का विचार क्या प्रयास करने का है; और

(ग) पक्षियों की और कौन-सी जातियों के विलुप्त हो जाने की आशंका है और उनके संरक्षण के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) और (ख) इस समय बटेर की पांच प्रजातियां हैं, जो हिमालयी क्षेत्रों में पायी जाती हैं। इनमें से पहाड़ी बटेर के विलुप्त होने की सूचना मिली है। अन्य चार प्रजातियां खतरे में पड़ी हुई अथवा विलुप्त होने के खतरे में पड़ी हुई प्रजातियां नहीं हैं। इन प्रजातियां को वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षण प्रयास किया गया है।

(ग) इस समय पक्षियों की 38 प्रजातियां और उप-प्रजातियां हैं, जिन्हें वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। इनमें से पहाड़ी बटेर, जरेडन की नुकरी, गुलाबी सिर वाली बत्तख, चित्तीदार खूसट के विलुप्त हो जाने की सूचना मिली है। तथापि, हाल ही के वर्षों में की गई संरक्षण सम्बन्धी कार्यवाही के परिणामस्वरूप उनके विलुप्त होने का खतरा नहीं है।

डाक लिफाफों पर "निलम्बनाधीन" शब्द अंकित किया जाना

5729. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक सरकारी कर्मचारी जिसे निलम्बित किया गया है, को पत्र प्रेषित करते समय डाक लिफाफे पर "निलम्बनाधीन" शब्द अंकित किया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार को मालूम है कि कुछ कार्यालय डाक लिफाफों पर "निलम्बनाधीन" शब्द लिख रहे हैं जिससे स्थानीय लोगों के बीच उस व्यक्ति की छवि बिगड़ने के अलावा उसकी भावनाओं को चोट भी पहुंचती है; और

(ग) यदि हां, तो भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेन्शन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) सरकार ने न तो इस आशय के कोई अनुदेश ही जारी किए हैं कि "निलम्बनाधीन" सरकारी कर्मचारी को भेजे जाने वाले डाक लिफाफे पर "निलम्बनाधीन" शब्द अंकित किए जाने चाहिए और न ऐसे किन्हीं अनुदेशों के जारी किए जाने पर विचार ही किया जा रहा है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति की वित्तीय स्थिति

5730. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली की 1 जनवरी, 1985 और 1 जनवरी, 1980 की वित्तीय स्थिति क्या थी;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान समिति के कार्यकरण में सुधार हुआ है, यदि हां, तो किस दृष्टि से;

(ग) यदि हां, तो इसे अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ताकि यह सरकारी कर्मचारियों की और अधिक सेवा कर सके;

(घ) क्या इसके लेखाओं की विशेष लेखा-परीक्षा करने के आदेश दिए गए हैं और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं;

(ङ) क्या इस समय लेखन सामग्री काउण्टर के कार्यकरण में वांछित सुधार लाने के लिए उसे अलग-अलग व्यक्तियों के अधीन तीन-चार काउण्टरों में विभाजित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो कब तक और इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यकाल अवधि निश्चित की गई है तो वह क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां। उपभोक्ताओं के लिए बेहतर सेवाएं जुटाने और सोसाइटी की समग्र आर्थिक स्थिति में बेहतरी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 1980 से आगे सोसाइटी के विभिन्न प्रशासनिक कार्यचालन सम्बन्धी और कार्यात्मक पहलुओं को सुचारू रूप दे दिया गया है।

(ग) अपनी प्रशासनिक कार्यकुशलता में सुधार लाने के साथ साथ सोसाइटी जहां कहीं सम्भव हो वहां आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित स्वयंसेवी शाखाओं सहित और अधिक शाखाएं खोल कर अपना कारोबार बढ़ाने का विचार रखती है। अधिक शाखाएं खोलने के लिए आवास की व्यवस्था करने से सम्बन्धित प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

(घ) जी, हां। रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति की आर्थिक स्थिति

(रुपये लाखों में)

वर्ष	कितनी बिक्री हुई	लाभ (+)	हानि (—)	आरक्षित निधि	संचित हानि
30-6-80	140.46	—	9.10	5.51	48.53
30-6-84	946.54	3153	—	25.40	22.42

* ये आंकड़े जून, 1980 और जून, 1984 को समाप्त होने वाली अवधियों के सम्बन्ध में दिए गए हैं क्योंकि सोसाइटी का सहकारिता वर्ष जुलाई से जून तक होता है।

** 30-6-1980 की स्थिति के अनुसार दिए गए आंकड़े सोसाइटी के लेखा परिक्षित और सोसाइटी की महासभा द्वारा अनुमोदित लेखों के अनुरूप है। 30-6-84 की स्थिति के आंकड़ों को अभी महासभा का अनुमोदन प्राप्त होना बाकी है।

एसोशिएटेड-प्रैस के संवाददाता के विरुद्ध मामला

5731. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमृतसर के स्वर्ण मन्दिर में सैनिक कार्यवाही के बाद सरकार द्वारा "एसोशिएटेड-प्रैस" के एक संवाददाता को, उसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं को स्पष्टवादी और वस्तुनिष्ठ समाचार भेजने के लिए उत्पीड़ित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उत्पीड़न के परिणामस्वरूप इस संवाददाता ने गिरफ्तारी से बचने के लिए उच्चतम न्यायालय से पूर्वानुमानी जमानत कराई थी;

(ग) क्या इस संवाददाता ने उच्चतम न्यायालय में आतंकवादी प्रभावित क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम और समाचारों के सेन्सर करने सम्बन्धी राष्ट्रपति की अधिसूचना की संवैधानिकता को चुनौती दी थी;

(घ) क्या सरकार ने संवाददाता का पासपोर्ट जब्त कर लिया तथा उसके प्रैस एक्रीडिशन कार्ड का 1985 के लिए नवीकरण करने से इन्कार कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी नहीं श्रीमान्।

(ख) एसोशिएटेड-प्रैस के संवाददाता श्री ब्रह्मचेलानी द्वारा 13 जून, 1984 को अमृतसर

से डाक भेजने के बारे में थाना सिविल लाईन अमृतसर में भारतीय दण्ड संहिता के धारा 153-क, 295-क और पंजाब विशेष शक्तियां (प्रैस) अधिनियम, 1956 के अधीन एक मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 267 दिनांक 30 जुलाई, 1984 दर्ज किया गया था। श्री चेलानी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में 18 अक्तूबर 1984 को एक याचिका दायर की थी कि याचिका दायरकर्ता के गिरफ्तार होने पर उसको जमानत पर रिहा किया जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 19 अक्तूबर, 1984 को अपने अन्तरिम आदेश में निदेश दिया था कि याचिका-कर्ता को गिरफ्तार नहीं किया जाना था, अपने 7 नवम्बर, 1984 को पारित अपने अन्तिम आदेश में उन्होंने उसके आवेदन को खारिज कर दिया और कहा कि समाचार प्रथमदृष्टया गम्भीर रूप से पक्षपातपूर्ण है। श्री चेलानी अग्रिम जमानत के लिए 29 अक्तूबर, 1984 को उच्चतम न्यायालय में भी गए। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने 30 अक्तूबर, 6 नवम्बर, 20 नवम्बर और 20 दिसम्बर, 1984 के अपने आदेशों में आदेश दिया कि उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उन्होंने अपने अन्तिम आदेश में यह टिप्पणी भी की कि यह सुविधा इस विशेष शर्त पर प्रदान की गई कि वह जांच करने वाले अधिकारियों को पूरा सहयोग देगा और यदि वह ऐसा सहयोग देने में असफल रहता है तो अन्तरिम आदेश को रद्द किया जा सकता है।

(ग) जी हां श्रीमान्।

(घ) तथा (ङ) दिल्ली के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने 27 दिसम्बर, 1984 के अपने आदेश में पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 10(3) (ग) के अधीन उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया था। 1985 के लिए एक्रीडिशन कार्ड के नवीनीकरण का प्रश्न विचाराधीन है।

राजस्थान में बूंदी के तारागढ़ महल की बिक्री

5732. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बूंदी (राजस्थान) के 600 वर्ष पुराने तारागढ़ महल के पुरातत्वीय और सांस्कृतिक महत्व की उपेक्षा करते हुए इसे होटल प्रयोजनों के लिए एक बड़े होटल व्यवसायी को बेचा जा रहा है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राजस्थान के ऐतिहासिक और पुरातत्वीय महत्व के अनेक किलों और महलों का हस्तांतरण किया जा रहा है तथा ये गैर-सरकारी लोगों को हस्तांतरित किए जा रहे हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने ऐतिहासिक और पुरातत्वीय महत्व के स्थानों, महलों और किलों को वाणिज्यिक अथवा अन्य प्रयोजनों के लिए गैर-सरकारी हाथों में हस्तांतरित न करने के निर्देश देने सम्बन्धी कोई नीति तैयार की है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां। तारागढ़ किला और महल जिसे अभी संरक्षित स्मारक घोषित नहीं किया गया है, की तथाकथित बिक्री को न्यायालय आदेश द्वारा स्थगित कर दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं। तथापि, जो किले और महल सांविधिक रूप से संरक्षित नहीं हैं उनका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। उनकी सुरक्षा पर पुरातत्वीय मानदण्डों के अनुसार विचार किया जाएगा।

आदिवासी क्षेत्रों में वन सम्पदा का राज्यवार ब्यौरा

[हिन्दी]

5733. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिवासियों की बहुलता वाले क्षेत्रों में वन सम्पदा से सम्बन्धित राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन क्षेत्रों का पिछले तीन वर्षों के लिए वन सम्पदा और वन उत्पादों के उत्पादन का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) कौन-कौन से वन उत्पाद आदिवासी क्षेत्रों से खरीदे जाते हैं और शहरी क्षेत्रों को भेजे जाते हैं;

(घ) क्या वन उत्पादों का निर्यात भी किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वन उत्पादों के निर्यात से अर्जित आय का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीर सेन) : (क) से (ग) वन सम्पदा, उत्पाद और वाणिज्यिक उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े समग्र वन क्षेत्र आधार पर उपलब्ध हैं। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों का न तो सीमांकन किया जाता है और न ही वन सम्पदा और उत्पाद विषयक आंकड़े विशेष रूप से अभिलिखित किए जाते हैं।

(घ) जी, नहीं ?

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

तीन विमान कम्पनियों की सेवाओं को युक्तिसंगत बनाना

[अनुवाद]

5734. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन विमान कम्पनियों को अपनी सेवाओं को युक्तिसंगत बनाने को कहा गया है ताकि प्रत्येक विमान का अधिकतम उपयोग किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो उस पर तीनों विमान कम्पनियों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उससे उनके कुल व्यापार में कितनी वृद्धि होगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलौत) : (क) से (ग) तीन एयरलाइनों, अर्थात् एयर इण्डिया, इण्डियन एयरलाइन्स और वायुदूत की सेवाओं के मार्गों को

युक्तिसंगत बनाए जाने का अध्ययन करने और सिफारिश करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है। इस समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

गिरिवन का विकास

5735. श्री रणजीत गायकवाड़ : क्या प्रधान मंत्री गिरिवन के विकास के बारे में 27 मार्च, 1985 के तारांकित प्रश्न संख्या 201 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य सरकार द्वारा 1984-85 के दौरान गिरिवन में एक सरकारी पार्क विकसित करने के प्रयोजन से उपलब्ध करायी गई 12.52 लाख रुपए की राशि में से वर्ष के दौरान कितनी राशि व्यय की गई है;

(ख) उन कार्यों का ब्यौरा क्या है जिन पर वह राशि व्यय की गई;

(ग) क्या राज्य सरकार का इस प्रयोजन के लिए 1985-86 के दौरान और प्रावधान करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र द्वारा कितनी राशि उपलब्ध कराए जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सैन) : (क) और (ख) जानकारी गुजरात राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) राज्य सरकार ने 1985-86 में गिर शेर सफारी, पार्क के लिए 5.60 लाख रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया है।

(घ) 1985-86 के दौरान योजना के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गुजरात में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का विकास

5736. श्री अमर सिंह राठवा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु वर्ष 1984-85 के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई थी;

(ख) क्या राज्य सरकार ने आबंटित धनराशि का पूरा उपयोग किया था;

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में किये गये कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु वर्ष 1985-86 के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) गुजरात में वर्ष 1984-85 के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए एक सौ छप्पन करोड़, छयानवें लाख तथा ग्यारह हजार रुपए की राशि निर्धारित की गयी।

(ख) से (घ) अभी तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए बनाई

की विभिन्न योजनाओं पर वर्ष के दौरान हुए वास्तविक व्यय की सूचना तथा किये गये कार्यों के ब्यौरे अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) योजना आयोग द्वारा वर्ष 1985-86 के दौरान गुजरात में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए आवंटित की जाने वाली राशि के बारे में अभी तक फैसला नहीं किया गया है।

कुवैत में भारतीयों को पासपोर्ट देने से इंकार किया जाना

5737. **श्री एम० अरुणाचलम** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुवैत में जिन भारतीय नागरिकों के मूल पासपोर्ट गुम हो गये हैं उन्हें कुवैत में भारतीय दूतावास द्वारा पासपोर्ट नहीं दिए जा रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन लोगों को कुवैत पुलिस ने बन्दी बना रखा है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी है; और कुवैत पुलिस ने इन्हें किस स्थान पर बन्दी बनाया हुआ है; और

(घ) कुवैत में भारतीयों की तकलीफों को दूर करने के लिए भारत सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) कुवैत स्थित भारत का राजदूतावास पासपोर्ट खो जाने के मामलों में, जहां आवश्यक होता है, डुप्लीकेट पासपोर्ट अथवा आपात प्रमाण-पत्र जारी करता है। वे अवेक्षित निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप जारी किए जाते हैं।

(ख) जी, नहीं। कुवैत की पुलिस केवल उन्हीं लोगों को उद्वासन केन्द्र में नजरबन्द करती है जो अपनी पासपोर्ट अथवा बिना यात्रा प्रलेख के आधार पर अवैध रूप से कुवैत में प्रवेश करते हैं।

(ग) 28-4-1985 तक केवल दो व्यक्ति उद्वासन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिनके मामले राजदूतावास की जानकारी में लाए गए थे।

(घ) कुवैत पुलिस से सूचना प्राप्त होते ही राजदूतावास का एक प्रतिनिधि नजरबन्द/नजरबन्दियों के कुशल क्षेत्र का पता लगाने और उनके पासपोर्ट आदि के विवरणों की जांच करने के लिए उद्वासन सैल जाता है। जिस मामले में नजरबन्द अपने यात्रा प्रलेख का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं कर सकता उस मामले को उस व्यक्ति की राष्ट्रीय हैसियत का सत्यापन करने के लिए टैलेक्स द्वारा तत्काल भारत में सम्बद्ध प्राधिकरणों को भेजा जाता है। पुष्टि होने पर उसे तत्काल आपात प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

तारापुर परमाणु ऊर्जा केन्द्र का कार्यकरण

5738. **श्री एम० अरुणाचलम** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तारापुर परमाणु ऊर्जा केन्द्र वाणिज्यिक प्रतिष्ठान है अथवा विकास प्रधान है;

(ख) तारापुर परमाणु ऊर्जा केन्द्र की स्थापना से अब तक इसके समग्र कार्यकरण को ध्यान में रखते हुए 31-10-1984 तक कितना लाभ हुआ है;

(ग) क्या ताप अथवा पन-बिजली केन्द्रों की तुलना में परमाणु ऊर्जा केन्द्र अधिक बचतपूर्ण है; और

(घ) क्या ऊर्जा शुल्क बिजली केन्द्र के प्रकार के आधार पर निर्धारित किया जाता है अथवा यह उत्पादन के साधन को ध्यान में रखे बिना समान रूप से लिया जाता है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तारापुर परमाणु बिजलीघर को वाणिज्यिक स्तर पर सफलतापूर्वक काम करते हुए 15 वर्ष की अवधि 1 नवम्बर, 1984 को पूरी हो गई है तथा यह बिजलीघर सफलतापूर्वक काम कर रहा है। इस बिजलीघर ने महाराष्ट्र और गुजरात में से प्रत्येक को लगभग 13,000 मिलियन यूनिट बिजली दी है। इस बिजलीघर में पैदा हुई बिजली इस क्षेत्र में पन-बिजलीघरों को छोड़कर अन्य सभी बिजलीघरों में पैदा हुई बिजली से सस्ती है।

(ख) इस बिजलीघर को 31-3-85 तक प्रचालन तथा रख-रखाव सम्बन्धी व्यय, मूल्य ह्रास तथा पूंजी पर देय ब्याज की व्यवस्था करने के बाद लगभग 54 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है।

(ग) सन् 1984 में गठित की गई तकनीकी और वित्तीय मामलों के विशेषज्ञों की एक समिति ने यह अनुमान लगाया है कि सन् 1992 के आसपास चालू किए जाने वाले यूनिटों के मामले में परमाणु बिजली की लागत लगभग 85 पैसे प्रति किलोवाट घण्टा होगी। ताप बिजलीघरों के मामले में यह लागत कोयले की खानों के मुहानों के पास स्थित यूनिटों के मामले में 91 पैसे प्रति किलोवाट घण्टा और कोयले की खानों से 800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यूनिटों के मामले में 109 पैसे प्रति किलोवाट घण्टा होगी।

(घ) प्रत्येक बिजलीघर के मामले में दर का निर्धारण केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और सम्बन्धित राज्य विद्युत बोर्ड के परामर्श से अलग-अलग किया जाता है।

तारापुर परमाणु बिजलीघर का जीवन काल

5739. **श्री एम० अरुणाचलम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तारापुर परमाणु बिजलीघर का जीवन काल 1994 में समाप्त हो जाएगा;

(ख) यदि हां, तो इस बिजलीघर के बदले किस वैकल्पिक स्रोत की योजना तैयार की गई है; और

(ग) क्या तारापुर परमाणु बिजलीघर के 1994 में बन्द होने से पहले उक्त वैकल्पिक स्रोत बनकर तैयार हो जाएगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) ऐसी सम्भावना है कि तारापुर परमाणु बिजलीघर को सन् 1994 के बाद बन्द कर दिया जाएगा।

(ख) तथा (ग) सरकार ने परमाणु बिजली सम्बन्धी पन्द्रह वर्षीय कार्यक्रम की जो रूपरेखा अनुमोदित की है उसमें तारापुर परमाणु बिजलीघर को बन्द करने की बात सिद्धांततः ध्यान में रखी

गई है। इस बारे में अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है कि भविष्य में पश्चिमी विद्युत क्षेत्र में बिजली-घर किस-किस स्थल पर लगाए जाएं और क्या इस क्षेत्र के मौजूदा बिजलीघरों का विस्तार किया जाए।

खाड़ी के देशों और त्रिवेन्द्रम के बीच यात्री यातायात की क्षमताएं

5740. **श्री टी० बशीर :**
श्री के० मोहनदास :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया द्वारा खाड़ी के देशों और त्रिवेन्द्रम के बीच यात्री यातायात की क्षमताओं के सम्बन्ध में पहले कोई सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) तत्सम्बन्धी निष्कर्ष/सिफारिशें क्या हैं;

(ग) उक्त सिफारिशें/निष्कर्षों पर इस बीच क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या खाड़ी के देशों और त्रिवेन्द्रम के बीच उड़ानों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई ज्ञापन मिला है; और

(च) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां। खाड़ी के देशों और त्रिवेन्द्रम के बीच यात्रियों के यातायात की क्षमता का अनुमान लगाने के उद्देश्य से एयर इण्डिया द्वारा वर्ष 1978 में एक मार्किट सर्वेक्षण किया गया था।

(ख) सर्वेक्षण से यह दिखाई दिया कि खाड़ी के देशों में केरल के लोगों की संख्या 1,12,000 से अधिक है। खाड़ी के देशों और त्रिवेन्द्रम के बीच प्रति सप्ताह इकतरफा यात्री यातायात क्षमता/संभाव्यता 606 आंकी गई थी।

सर्वेक्षण दल ने यह सिफारिश की थी कि त्रिवेन्द्रम और आबूधाबी/बहरीन/कुवैत/मस्कट को सेवाओं सहित सप्ताह में 2 बी०-707 सेवाओं को बढ़ाकर प्रति सप्ताह 5 बी०-707 सेवाएं कर दी जाएं।

(ग) एयर इण्डिया ने संलग्न विवरण के अनुसार खाड़ी के चुने हुए स्थानों और त्रिवेन्द्रम के बीच वर्ष 1979 से अपनी सेवाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि की है। वर्ष 1978 और अप्रैल, 1985 के बीच एयर इण्डिया की सीट क्षमता में वृद्धि 630% रही है।

(घ) जी नहीं। त्रिवेन्द्रम और खाड़ी के देशों के बीच उड़ानों की संख्या बढ़ाने का इस समय कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है। तथापि एयरइण्डिया ने हाल ही में दि० 1 अप्रैल, 1985 से त्रिवेन्द्रम और दुबई के बीच एक अतिरिक्त बी०-707 उड़ान की व्यवस्था की है। एयर इण्डिया द्वारा खाड़ी के देशों और त्रिवेन्द्रम के बीच उपलब्ध कराई गई वर्तमान क्षमता इस मार्किट की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी जाती है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

खाड़ी के देशों-त्रिवेन्द्रम मार्ग पर एयर इण्डिया की क्षमता

तारीख	क्षमता	मार्ग
1	2	3
अप्रैल, 1978	2 बी०-707	दुबई/त्रिवेन्द्रम/दुबई
अप्रैल, 1979	2 बी०-707	दुबई/त्रिवेन्द्रम/दुबई
	1 बी०-707	आबू धाबी/त्रिवेन्द्रम/आबू धाबी
	1 बी०-707	कुवैत/आबू धाबी/त्रिवेन्द्रम/आबू धाबी/कुवैत/दहरान
अप्रैल, 1980	2 बी०-707	दुबई/त्रिवेन्द्रम/दुबई
	1 बी०-707	आबू धाबी/त्रिवेन्द्रम/आबू धाबी/कुवैत/बेहरीन
	1 बी०-707	कुवैत/आबू धाबी/त्रिवेन्द्रम/आबू धाबी
अप्रैल, 1981	1 बी०-707	दुबई/त्रिवेन्द्रम/दुबई/कुवैत/बेहरीन
	2 बी०-707	आबू धाबी/त्रिवेन्द्रम/आबू धाबी
	1 बी०-707	शारजाह/त्रिवेन्द्रम/शारजाह
	1 बी०-707	कुवैत/दुबई/त्रिवेन्द्रम/दुबई
	1 बी०-707	आबू धाबी/रास-अल-खामाह/त्रिवेन्द्रम/रास-अल-खामाह/आबू धाबी
	1 बी०-707	दुबई/त्रिवेन्द्रम/आदू धाबी
अप्रैल, 1982	3 बी०-707	आबू धाबी/त्रिवेन्द्रम/आबू धाबी
	1 बी०-707	दुबई/त्रिवेन्द्रम/दुबई
	1 बी०-707	रास-अल-खामाह/शारजाह/त्रिवेन्द्रम/शारजाह/रास-अल-खामाह
	1 बी०-707	कुवैत/दुबई/त्रिवेन्द्रम/दुबई
	1 बी०-707	दुबई/त्रिवेन्द्रम/दुबई/कुवैत/बेहरीन
अप्रैल, 1983	4 एयरबस	दुबई/आबू धाबी/त्रिवेन्द्रम/दुबई/आबू धाबी
	1 एयरबस	रास-अल-खामाह/शारजाह/त्रिवेन्द्रम/शारजाह/रास-अल-खामाह

1	2	3
	1 एयरबस	आबू धाबी/शारजाह/त्रिवेन्द्रम/शारजाह/आबू धाबी
	1 एयरबस	कुवैत/दुबई/त्रिवेन्द्रम/दुबई/आबू धाबी
अप्रैल, 1984	3 एयरबस	आबू धाबी/दुबई/त्रिवेन्द्रम/आबू धाबी/दुबई
	1 एयरबस	देहरान/त्रिवेन्द्रम/देहरान
	1 एयरबस	रास-अल-खामाह/शारजाह/त्रिवेन्द्रम/आबू धाबी
	1 एयरबस	आबू धाबी/शारजाह/त्रिवेन्द्रम/आबू धाबी/रास-अल-खामाह
	1 एयरबस	कुवैत/दुबई/त्रिवेन्द्रम/आबू धाबी/दुबई
अप्रैल, 1985	2 एयरबस	आबू धाबी/दुबई/त्रिवेन्द्रम/दुबई/आबू धाबी
	1 एयरबस	दुबई/आबू धाबी/त्रिवेन्द्रम/दुबई/कुवैत/आबू धाबी
	1 एयरबस	देहरान/त्रिवेन्द्रम/देहरान
	1 एयरबस	रास-अल-खामाह/शारजाह/त्रिवेन्द्रम/शारजाह/आबू धाबी
	1 एयरबस	आबू धाबी/शारजाह/त्रिवेन्द्रम/आबू धाबी/रास-अल-खामाह
	1 एयरबस	कुवैत/दुबई/त्रिवेन्द्रम/आबू धाबी/दुबई
	1 बी०-707	दुबई/त्रिवेन्द्रम/दुबई

त्रिवेन्द्रम और लक्ष्यद्वीप को वायुसेवा से जोड़ने का प्रस्ताव

5741. **श्री टी० बशीर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम को लक्ष्यद्वीप से वायु सेवा द्वारा जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) हवाई पट्टी का विकास हो जाने पर, आधार संरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था हो जाने पर और पर्याप्त यातायात उपलब्ध हो जाने पर, वायुदूत वर्तमान योजना की अवधि में लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्र को विमान सेवा से जोड़ने के बारे में विचार करेगी।

बोध गया और पटना/कलकत्ता के बीच विमान सेवा को बहाल करना

5742. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बोध गया और पटना/कलकत्ता के बीच विमान सेवा बहाल करने के सम्बन्ध में कोई मांग की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया; और

(ग) यदि नहीं तो निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आधार संरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता और प्रचालनों की आर्थिक साध्यता के आधार पर, वायुदूत की बोद्ध/गया को पटना और कलकत्ता से वर्ष 1986-87 में विमान सेवा से जोड़ने की योजनाएं हैं।

एशियाई पर्यटन को बढ़ावा देना

5743. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एशियाई पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की है जिसमें सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एशिया के विभिन्न देशों से सुन्दर दृश्य वाले स्थानों और भारत में बौद्धों, हिन्दुओं, मुसलमानों और ईसाइयों के ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से पवित्र महत्वपूर्ण स्थानों का दौरा करने के इच्छुक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) पर्यटन का विकास और संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है। एशियाई और दक्षिण एशियाई क्षेत्र के देशों को शामिल करते हुए सभी देशों से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सांस्कृतिक/पुरातात्विक/ऐतिहासिक और बौध अभिरुचि के स्थानों सहित धार्मिक स्थानों पर आधार-संरचना सम्बन्धी सुविधाओं का विकास-कार्य विभाग सातवीं-पंचवर्षीय योजना के दौरान हाथ में लेगा। एशियाई देशों से सामान्य रूप से पर्यटक यातायात का संवर्धन करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) कुवैत, दुबई, टोकियो, ओसाका, बैंकाक, सिंगापुर और कुआलालामपुर स्थित हमारे कार्यालयों द्वारा संवर्धनात्मक प्रयासों को गति प्रदान करना।

(2) स्थानीत अपेक्षाओं के अनुरूप, अरबी, जापानी, थाई, सिंघली, कोरियाई जैसी भाषाओं में अतिरिक्त पर्यटक प्रचार सामग्री तैयार कराना और उसका संवितरण करना।

(3) संवर्धनात्मक मेलों, खाद्य पर्वों और प्रदर्शनियों में भाग लेना ।

(4) भारत से सांस्कृतिक मंडलियों द्वारा आयोजन कराना ।

(5) दूरदर्शन, रेडियो और प्रेस के जरिए अधिक विज्ञापन ।

(6) एयरलाइनों/यात्रा व्यवसाय के साथ संयुक्त संवर्धन ।

(7) दिसम्बर, 1984 में भारत के उच्च-स्तरीय संवर्धनात्मक पर्यटन प्रतिनिधि-मंडल द्वारा पश्चिम एशिया की यात्रा ।

(8) इंडियन एथनिक ट्रैफिक का संवर्धन करने के लिए प्रयास ।

(9) एशिया की पर्यटक भेजने वाली महत्वपूर्ण मार्केटों में विदेशी यात्रा व्यवसाय और प्रेस के लिए कार्यशालाओं का आयोजन ।

(10) महत्वपूर्ण पत्रकारों, यात्रा अभिकर्ताओं/यात्रा प्रचालकों, दूरदर्शन-दलों और फोटोग्राफरों को परिचायक यात्राओं पर आमंत्रित किया जाता है ताकि वे वापिस जाकर भारत के पर्यटक आकर्षणों का प्रदर्शन कर सकें ।

पूर्वी एशिया से यातायात को आकर्षित करने के लिए अपनाए गए विशिष्ट उपाय ये हैं— बौध यातायात, हनिमून युगलों का संवर्धन, बुद्ध के जीवन पर फोटो प्रदर्शनी लगाना । भारतीय होटल निगम होक्के क्लब आफ जापान के सहयोग से विदेशों से आने वाले बौध तीर्थ-यात्रियों के लिए राजगीर, कुशीनगर में होटलों का निर्माण कर रहा है । दक्षिण एशिया से विशेष "परिवार अवकाश संकल्पना" के संवर्धन द्वारा लाभ उठाया जा रहा है । इसके अलावा, इस्लाम-संस्कृति से जुड़े स्थानों और उस क्षेत्र के लोगों में अधिक लोकप्रिय कश्मीर, बम्बई, लखनऊ, अजमेर, आगरा आदि जैसे पर्यटक विहार-स्थलों का उचित प्रचार किया जाता है ।

भारत पर्यटन विकास निगम के अशोक ट्रैवल्स एंड टूअर्स ने इस क्षेत्र को शामिल करने वाले अनेक यात्रावृत्तों के संवर्धन द्वारा अन्तः-क्षेत्रीय पर्यटन को उच्च प्राथमिकता दी है । डिस्कवरी आफ इंडिया टूअर्स जिनमें पूरे देश को शामिल करने की कोशिश की गई है, तैयार करके मारीशस, मलेशिया, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया, जापान, हांगकांग और थाईलैंड आदि को भेजे गए ।

द्विपक्षीय प्रबंध, यथा भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षर किए गए समूह पर्यटन के प्रोटोकोल के समूह यात्राओं को प्रोत्साहन मिला है; इसका प्रबन्ध भारत पर्यटन विकास निगम और पाकिस्तान पर्यटन विकास निगम द्वारा पारस्परिक आधार पर किया जाता है ।

एक संयुक्त संवर्धनात्मक उद्यम के रूप में दक्षिण एशिया के विश्व पर्यटन संगठन आयोग ने एक ब्रोशर और एक पोस्टर तैयार किया है जिसके लिए पर्यटन विभाग ने वित्तीय योगदान दिया है ।

भाड़ा समानीकरण नीति

5744. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या योजना मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती वस्त्र उद्योग और अन्य सहायक उद्योग पूर्वी भारत में पिछले दो दशकों से समानीकरण न होने के कारण संकट का सामना कर रहे हैं;

(ख) क्या इससे भेदभाव को बढ़ावा और असन्तुलन को प्रोत्साहन मिल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) किसी विशेष राज्य में भाड़ा समीकरण को एक उद्योग के विकास अथवा गिरावट का कारण मानना कठिन है ।

राष्ट्रीय परिवहन नीति से सम्बन्धित (पांडे समिति) द्वारा कुछ समय पूर्व भाड़ा समीकरण नीति की समीक्षा की गई थी । इस समिति का मत था कि भाड़ा समीकरण स्कीम को अन्य वस्तुओं पर लागू न किया जाए और इससे यह सिफारिश की कि इस्पात और सीमेंट जैसी औद्योगिक वस्तुओं पर भाड़ा समीकरण सम्बन्धी वर्तमान स्कीम को सरकार ने दूरवर्ती, अगम्य तथा अलग-थलग क्षेत्रों के लिए परिवहन राजसहायता देना स्वीकार करते हुए इन सिफारिशों को पहले ही मान लिया है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मारीशस के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा

5745. श्रीमती ऊषा चौधरी :
डा० कृपा सिंधु भोई :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मारीशस के प्रधानमन्त्री की हाल की भारत यात्रा के दौरान द्विपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर हुई बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : मारीशस के प्रधानमन्त्री माननीय अविरुद्ध जगन्नाथ ने अपनी पत्नी और स्थाई सचिव के साथ 2 से 5 अप्रैल, 1985 तक भारत की राजकीय यात्रा की । अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने हमारे राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति से मुलाकात की और प्रधानमन्त्री तथा भारत सरकार के विभिन्न अन्य मंत्रियों से विचार-विमर्श किया । बातचीत के दौरान हिन्द महासागर, निस्त्रीकरण, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर विचार-विमर्श किया गया । द्विपक्षीय मामलों के बारे में विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप मारीशस को 10 करोड़ रु० का मिश्रित ऋण और 10,000 टन गेहूं का आटा तथा कुछ दालें देने का निर्णय लिया गया । भारत भविष्य में मारीशस को 100 छात्रवृत्तियां देगा और भारत-मारीशस संयुक्त आयोग के अन्तर्गत जवाहरलाल नेहरू अस्पताल जैसी कतिपय परियोजनाओं में अपनी सहायता भी बढ़ा देगा । संयुक्त आयोग की तीसरी बैठक इस वर्ष जून में होने की उम्मीद है ।

शरणार्थियों का भारी संख्या में आगमन

5746. श्री चित्त महाता : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शरणार्थियों के भारी संख्या में आगमन के मुख्य कारण क्या हैं और वर्ष 1983 से कितने शरणार्थी देश में आए हैं; और

(ख) सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) 1983 से केवल श्रीलंका से भारी संख्या में शरणार्थी आ रहे हैं । शरणार्थियों का भारी संख्या में आगमन जुलाई-अगस्त, 1983 की जातीय हिंसा के कारण श्रीलंका के तमिलों के बीच असुरक्षा और भय की भावना उत्पन्न होने के फलस्वरूप शुरू हुआ । श्रीलंका में विशेषतः उत्तर और पूर्व के सुरक्षा की स्थिति तनावपूर्ण

बनी हुई है। इसके कारण इस वर्ष फरवरी से शरणार्थियों के आगमन में और अधिक संख्या में वृद्धि हुई है। तमिलनाडु की राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार जुलाई, 1983 से 27-4-85 तक की अवधि के दौरान श्रीलंका से 87,772 शरणार्थियों ने भारत में प्रवेश किया।

(ख) भारत सरकार को विश्वास है कि श्रीलंका में जातीय समस्या का राजनीतिक समाधान किया जाना है और हम इस सम्बन्ध में श्रीलंका सरकार के साथ सम्पर्क बनाए हुए हैं। सरकार को उम्मीद है कि श्रीलंका की परिस्थितियों में सुधार होगा जिससे कि भारत में आये शरणार्थी अपने घर सुरक्षित और प्रतिष्ठा के साथ वापस जा सकेंगे।

सागर के जनगणना विभाग में दैनिक मजदूरी पर काम कर रहे कर्मचारियों को रोजगार दिया जाना

[हिन्दी]

5747. **श्री डालचन्द्र जैन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सागर डिवीजन, सागर के जनगणना विभाग के बन्द किए जाने के परिणामस्वरूप उसमें गत 2½ वर्षों से दैनिक मजूरी पर कार्यरत 62 कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उन्हें रोजगार देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) ये कर्मचारी विशिष्ट समयबद्ध जनगणना कार्य के लिए बिल्कुल अनियमित आधार पर भरती किए गए थे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इन अनियमित कर्मचारियों को इस शर्त पर भरती किया गया था कि जिस कार्य के लिए उन्हें भर्ती किया गया उसके पूरा होने पर उन्हें सेवा में नहीं रखा जाएगा। लेकिन, बिल्कुल मानवीय विचार पर मध्य प्रदेश सरकार से वैकल्पिक रोजगार में उन्हें खपाने के मामले पर विशेष विचार करने का अनुरोध किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने इस अनुरोध को मानना व्यवहार्य नहीं समझा क्योंकि उनके रजिस्टरों में दैनिक मजदूरी पर कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक थी, जिनके लिए कोई रिआयत देना अथवा विशेष रूप से विचार करना सम्भव नहीं था।

संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत भारतीय वन सेवा के अधिकारी

[अनुवाद]

5748. **श्री गिरिधर गोमागो** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत भारतीय वन सेवा अधिकारियों की संख्या क्या है;

(ख) क्या संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्ति के लिए अन्य अखिल भारतीय सेवाओं की भांति भारतीय वन सेवा अधिकारियों की नियमित रूप से तालिका तैयार की जाती है; और

(ग) वन और वन्यजीवन विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में किसी भारतीय वन सेवा अधिकारी को नियुक्त न करने के क्या कारण हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) इस समय केन्द्रीय सरकार में भारतीय वन सेवा का कोई भी अधिकारी संयुक्त सचिव के पद पर कार्य नहीं कर रहा है। फिर भी, उक्त सेवा के 5 अधिकारी इस समय केन्द्रीय सरकार के अधीन संयुक्त सचिव अथवा उससे ऊपर के स्तर पर कार्यरत हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) केन्द्रीय सरकार के अधीन संयुक्त सचिव परिषद के पद जिनमें वन तथा वन्यजीवन विभाग के पद भी शामिल हैं, सीनियर स्टाफिंग स्कीम के अन्तर्गत भरे जाते हैं। वन तथा वन्यजीवन विभाग में भारतीय वन सेवा के किसी अधिकारी के संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किए जाने के प्रश्न पर, अपेक्षित अनुभव तथा अर्हतायें रखने वाले तथा ऐसे पदों की कार्य अपेक्षाओं को पूरा करने वाले मात्र अधिकारी के उपलब्ध होते ही विधिवत विचार किया जाएगा।

सिख और जम्मू और कश्मीर के उग्रवादियों की संयुक्त कार्यवाही करने की योजना

5749. **श्री बी० बी० देसाई :**
श्री बृज मोहन महन्ती :

क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 फरवरी, 1985 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि सिख और जम्मू और काश्मीर के उग्रवादी संयुक्त कार्यवाही की योजना बना रहे हैं;

(ख) क्या इन रिपोर्टों के अनुसार सिख और कुछ काश्तीर उग्रवादी भारत में और भारत के बाहर लोगों को लक्ष्य बनाकर उग्रवादी गतिविधियों को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं;

(ग) यदि हां; तो क्या भारतीय आसूचना रिपोर्टों से भी इस तथ्य का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि हां, तो ब्रिटिश सरकार को इन उग्रवादी तत्वों को लन्दन में बढ़ती हुई गतिविधियों या प्रस्तावित गतिविधियों के बारे में चौकस कर दिया गया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) उग्रवादियों की अवांछनीय कार्रवाइयों की रिपोर्टें सरकार की जानकारी में आई हैं। प्राधिकारीगण, इस सिलसिले में सख्त चौकसी बरत रहे हैं। इस मामले को ब्रिटेन की सरकार के साथ भी बराबर उठाया गया है।

भारत द्वारा कुछ देशों को वीसा देने से इंकार

5750. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने किन-किन देशों को वीसा देने से इन्कार किया है और किस-किस प्रकार की वीसा देने से इन्कार किया गया है;

(ख) क्या भारत द्वारा विदेशी पर्यटकों से भारत में उनके प्रवास के दौरान अपने दैनिक जीवन और पहरावे में शालीनता बरतने को कहा जाता है;

(ग) क्या हमारे सुन्दर समुद्री तटों का भ्रमण करने वाले कुछ पर्यटक भारतीयों की भावनाओं का ध्यान नहीं करते हैं और मनमानी करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस प्रकार की अभद्रता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) वीसा प्रदान करने के लिए विदेशियों के आवेदन पत्रों पर प्रत्येक मामले के गुणदोष के आधार पर विचार किया जाता है, जिसमें उद्देश्य पर उचित ध्यान दिया जाता है चाहे वह किसी भी देश का हो।

(ख) से (घ) विदेशी पर्यटकों द्वारा इस प्रकार से व्यवहार किए जाने की उम्मीद की जाती है जिससे भारत में प्रथाओं और परम्पराओं का अनादर न हो। राज्य प्राधिकारी, उपयुक्त सतर्कता रखते हैं और जहां कहीं आवश्यक हो, उपयुक्त कार्रवाई करते हैं।

निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाले लोग

5751. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है और बड़े औद्योगिक घरानों की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान बड़े औद्योगिक घरानों की आस्तियों में हुई वृद्धि की प्रतिशतता का ब्यौरा क्या है और इसी अवधि के दौरान गरीब लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) कुछ पूर्वानुमानों के आधार पर देश में 1979-80 और 1981-82 में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या (जैसा कि मध्यावधि मूल्यांकन में अनुमान लगाया गया है) तथा जनसंख्या में इनका प्रतिशत नीचे सारणी में दिया गया है :—

वर्ष	गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों की संख्या	गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत
1979-80	339.0 मिलियन	51.1 प्रतिशत
1981-82	282.0 मिलियन	41.5 प्रतिशत

सारणी से पता चलता है कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में कमी हुई है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा 1983 में किए गए पारिवारिक उपभोक्ता व्यय से संबंधित सर्वेक्षण के परिणाम उपलब्ध होने पर इस संबंध में नवीनतम स्थिति का पता चलेगा।

वर्ष 1981, 1982 और 1983 के दौरान बड़े औद्योगिक घरानों की संख्या (अर्थात वे जिनके मामलों में उनकी परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन या अंत: संबंधित उद्यमों की परिसम्पत्तियों सहित अपनी परिसम्पत्तियों का मूल्य) और उनकी परिसम्पत्तियों में प्रतिशत वृद्धि 1981 के मुकाबले 1983 में नीचे सारणी में दी गई है जिससे यह पता चलता है कि बड़े औद्योगिक घरानों की संख्या और उनकी परिसम्पत्तियों में वृद्धि हुई है ।

वर्ष	बड़े औद्योगिक घरानों की संख्या	बड़े औद्योगिक घरानों की परिसम्पत्तियां (करोड़ रु० में)
1981	145	17443.72
1982	168	21688.38
1983	185	25962.40
1981 के मुकाबले 1983 में प्रतिशत वृद्धि	27.6 प्रतिशत	48.8 प्रतिशत

राज्यों को केन्द्रीय सहायता

5752. **श्री विष्णु मोदी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को केन्द्रीय योजना सहायता उपलब्ध कराई जाती है;

(ख) यदि हां, तो ये सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं और उनकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को राजस्थान को विकासशील राज्यों के बराबर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए उक्त राज्य सरकार से कोई सुझाव/अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस सुझाव पर विचार किया गया है;

(ङ) क्या सरकार ने ऐसे सुझावों पर विचार किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता का आबंटन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा वर्ष 1980 में यथाअनुमोदित "परिशोधित गाडगिल फार्मूले" के आधार पर किया जाता है । इस फार्मूले के अनुसार 8 विशेष श्रेणी के राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एकमुश्त राशि पहले ही अधिकृत की जाती है और शेष राशि निम्नलिखित मानदण्ड के आधार पर विशेष श्रेणी इतर बकाया 14 राज्यों से की जाती है :—

(1) जनसंख्या के आधार पर 60 प्रतिशत;

(2) प्रति व्यक्ति कर प्रयत्न के आधार हर 10 प्रतिशत;

(3) राष्ट्रीय औसत से कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों को 20 प्रतिशत; और

(4) विशेष समस्याओं के लिए 10 प्रतिशत ।

(ग) से (च) राजस्थान सरकार ने "परिशोधित गाडगिल फार्मूले" में कुछ परिवर्तनों के सुझाव दिए हैं । फार्मूले में परिवर्तनों के बारे में केवल राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा ही विचार किया जाएगा ।

त्रिपुरा में त्रिपुरा नेशनल वालंटियरों द्वारा सुरक्षा कर्मियों की हत्या

5753. **श्री एम० रघुमा रेड्डी :**
श्री सी० माधव रेड्डी :
श्री मोहम्मद महफूज अली खां :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 अप्रैल, 1985 को उत्तर त्रिपुरा में मामलपुर सब-डिवीजन के अन्तर्गत सेत्रोइचेरा के पास जब त्रिपुरा नेशनल वालंटियर के छापामारों ने राज्य पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक गश्तीदल पर हमला किया तो सुरक्षा बल के 7 कर्मचारी मारे गए उतने ही कर्मचारी घायल हो गए थे; और

(ख) यदि हां, तो इन घटनाओं का ब्योरा क्या है और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) 5-4-85 को त्रिपुरा नेशनल वालंटियर ने शिकारबाड़ी थाना कमालपुर उत्तरी त्रिपुरा के नजदीक कमालपुर-कैलाशहर सड़क पर पुलिस दल पर घात लगाकर आक्रमण किया गया जिसमें केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सिविल पुलिस थी, जिसके परिणामस्वरूप सात व्यक्ति (3 सिविल पुलिस कार्मिक और 4 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के) घटना स्थल पर ही मारे गए और 5 अन्य व्यक्ति जख्मी हुए । इन पांच घायलों में से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक कांस्टेबल और एक होम गार्ड ने बाद मे दम तोड़ दिया, जिससे घटना में मारे गए व्यक्तियों की कुल संख्या 9 हो गयी । पुलिस दल ने जवाब में गोली चलायी जिसके परिणामस्वरूप उग्रवादी मारे गए पुलिस कार्मिकों के हथियार लूट नहीं सके । वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटना क्षेत्र में गए । क्षेत्र मे गहन छानबीन की गई है । सुरक्षा उपायों को दृढ़ कर दिया गया है और कड़ी सतर्कता बरती जा रही है ।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा यात्री किराए में वृद्धि

[हिन्दी]

5754. **श्री हरीश रावत :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखकर इंडियन एयरलाइन्स ने वर्तमान किराया और भाड़ा दरों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव मंजूरी के लिए उनके मंत्रालय के पास भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके प्रति उनके मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है और इंडियन एयरलाइन्स का विचार यात्री किराया और भाड़ा दरों में कितने प्रतिशत वृद्धि करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स ने यह प्रस्ताव किया था कि दिनांक 17 मार्च, 1985 से पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि को पूरा करने के लिए ईंधन अधिप्रभार के रूप में वर्तमान मूल किरायों के 11.5% की वृद्धि कर दी जाए तथा आखरी बार वर्ष 1981 में मूल किरायों में किए गए परिशोधन के बाद से प्रचालन लागतों में (ईंधन को छोड़कर) 22.7% की वृद्धि के मुकाबले अन्तर्देशीय क्षेत्रकों पर वर्तमान मूल किरायों के 7 से 12 प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए। इन प्रस्तावों को सरकार ने अनुमोदित कर दिया है।

उत्तर बंगाल की लोक संस्कृति

[अनुवाद]

5755. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पुरुलिया के "गम्भीर" गाम, "छाऊ" और बीरभूम के "बाउल" गीतों के लिए उत्तर बंगाल की सांस्कृतिक विरासत और लोक संस्कृति के संवर्धन और परिरक्षण के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार छात्रवृत्तियां देकर संस्कृति की उस समृद्ध परम्परा पर गहन अनुसंधान कार्य के प्रस्ताव पर विचार करने का है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) संस्कृति विभाग विभिन्न कला स्वरूपों में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान हेतु छात्र-वृत्तियां देने की कुछ योजनाएं संचालित कर रहा है।

ब्रिटेन में भारत-विरोधी समूह

5756. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**
श्री शांताराम पोतदुखे :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है कि ब्रिटेन में विभिन्न भारत-विरोधी समूहों द्वारा अप्रैल, 1985 में लन्दन में एक सम्मेलन किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) डॉ० जगजीत सिंह चौहान के नेतृत्व में तथाकथित "खालिस्तान गणराज्य के तत्वावधान में एक अन्तर्राष्ट्रीय सिख सम्मेलन 6-7 अप्रैल, 1985 को लन्दन में आयोजित किया गया था। समझा जाता है कि इस सम्मेलन में 150 प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिनमें 135 यू० के० के बाहर के थे। इस सम्मेलन को डॉ० जगजीत सिंह चौहान, "नागालैंड गणराज्य के स्वयंभू राष्ट्रपति" ए० एच० फिजो, अफगान मुजाहिदीन के डॉ० अमनयार, जम्मू और काशमीर मुक्ति मोर्चे के श्री गिलानी और भारतीय मुस्लिम फैडरेशन के श्री सईद ने सम्बोधित किया।

यह सम्मेलन लन्दन में एक जलूस के साथ समाप्त होना था लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी।

विदेशी राजनयिक की हत्या

5757. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में विदेशी राजनयिकों की हत्या/हत्या के प्रयास के कितने मामले हुए और वे किन-किन देशों का प्रतिनिधित्व करते थे;

(ख) कितने मामलों में मारने वालों आक्रमणकारियों का पता लगाया गया और गिरफ्तार किया गया और उनकी राष्ट्रीयता क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन घटनाओं और सोवियत राजनयिक की हाल ही में हुई हत्या को ध्यान में रखते हुए अफगानिस्तान और अन्य मध्य पूर्व देशों में संघर्ष के कारण भाग कर इस देश में शरण लेने वाले विदेशी राष्ट्रिकों की गतिविधियों को जानने के लिए कोई प्रयास किए;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) यदि उत्तर नकारात्मक है तो क्या सरकार का ऐसा कोई निर्धारण करने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जनवरी, 1982 से मार्च, 1985 की अवधि के दौरान विदेशी राजनयिकों की हत्या के 3 मामले और हत्या के प्रयास के 2 मामले सरकार के ध्यान में आये हैं। ये राजनयिक कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, जोर्डन, यू० के० तथा सोवियत संघ के थे।

(ख) आक्रमणकारियों को पहचाना नहीं गया है तथा गिरफ्तार नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) राज्य प्राधिकारी तथा आसूचना एजेन्सियां देश में विदेशियों की गतिविधियों पर निगरानी रखती है। देश में विदेशियों का ठहरना तथा चालचलन विदेशी नागरिक अधिनियम 1946, विदेशी नागरिक पंजीकरण अधिनियम, 1939 तथा सम्बन्धित नियमों द्वारा भी नियमित किया जाता है।

कलकत्ता में एयरबस बेस और तकनीकी आपरेशन केन्द्र

5758. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में खरीदे गये 757 एयरबस विमानों का बेस कार्यालय और तकनीकी आपरेशन केन्द्र कलकत्ता में स्थापित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या उसकी पुनरीक्षा करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) तकनीकी और प्रचालनात्मक दृष्टि से दिल्ली को बोइंग-757 विमानों के आधार स्थल के लिए सबसे अच्छी अवस्थिति समझा गया है। इस निर्णय की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पर्वतीय क्षेत्रों में वन वृक्षों को क्षति

5759. **श्री बी० वी० रमैया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्वतीय क्षेत्रों में वन वृक्षों, विशेषतः चीड़ को वायु प्रदूषण के कारण होने वाले अत्यधिक पाइन नीडल नुकसान की वजह से काफी क्षति पहुंच रही है;

(ख) यदि हां, तो अब तक यदि कोई अध्ययन किया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने हैं;

(ग) क्या उपग्रह अध्ययनों के अनुसार वनों के क्षेत्रफलों में 30 प्रतिशत से 10 प्रतिशत की अभूतपूर्व और खतरनाक कमी हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और बचाव के लिए किए/किए जाने वाले उपाय क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) और (ख) वायु प्रदूषण के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में वन वृक्षों को हुए नुकसान के बारे में अब तक कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय सुदूर संवेदनशील एजेन्सी द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि वन क्षेत्र 1972/75 के 551.709 लाख हैक्टार से घटकर 1980/82 में 462.873 लाख हैक्टार रह गया है। भूमि पर वास्तविकता के संदर्भ में इस मूल्यांकन की जांच की जा रही है। विद्यमान वनों के संरक्षण तथा उजड़े वनों और अकृष्य भूमि में वनरोपण करने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं।

हुबली में हवाई पट्टी बनाने के लिए आधार-भूत सुविधाएं

5760. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार हुबली में हवाई पट्टी बनाने के लिए सभी आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहमत हो गई है; और

(ख) हुबली चूंकि बंगलौर से काफी दूर स्थित है और उत्तर कर्नाटक के लिए केन्द्रीय स्थल है, क्या सरकार हुबली में हवाई पट्टी बनाने की मंजूरी देगी और हुबली को भारत के वायुयान चित्र पर ले आएगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) वायुदूत की हुबली में विमानक्षेत्र का निर्माण हो जाने और अपेक्षित आधार संरचनात्मक सुविधाओं का विकास हो जाने के बाद हुबली के लिए प्रचालन करने की योजना है।

ग्वालियर रेयन्स, मबूर के कारण केरल में जल प्रदूषण

5761. **श्री वी० एस० विजय राघवन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में ग्वालियर रेयन्स, मबूर के कारण जल प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप उस क्षेत्र में लोगों को स्वास्थ्य सम्बन्धी गम्भीर खतरा पैदा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रदूषण-विरोधी उपायों को सख्ती से लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) और (ख) केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, कारखाने के लिए उपयुक्त अपशिष्ट उपचार तथा निस्सरण सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। उपचार के पश्चात् निस्सार बहिस्राव की गुणवत्ता एवं विशेषता बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमा के अन्तर्गत है।

भारत में एयर टैक्सी चलाया जाना

5762. **श्री विमल कांति घोष** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में एयर टैक्सी चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो भारत में प्रभावी रूप से एयर टैक्सी चलाने हेतु सरकार द्वारा यदि कोई नीति बनाई गई हो, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) उस विमान का ब्यौरा क्या है जिसे सरकार का विचार एयर टैक्सी के रूप में प्रयोग करने का है;

(घ) निकट भविष्य में देश में ही इस तरह से विमान का निर्माण आरम्भ करने की क्या संभावनाएं हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार भारतीय कम्पनियों अथवा भारतीय कम्पनियों के साथ सम्बन्ध रखने वाली अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों को निजी क्षेत्र/संयुक्त क्षेत्र में इस तरह के विमानों का निर्माण करने की अनुमति देने का है; और

(च) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार एयर टैक्सी कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त विमानों का आयात करने की अनुमति देने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारत-पाकिस्तान मंत्री स्तरीय संयुक्त आयोग

5763. **श्री हरीश रावत** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अति निकट भविष्य में भारत-पाकिस्तान मंत्री स्तरीय संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित करने हेतु पाकिस्तान से प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) भारत और पाकिस्तान की सरकारों में भारत-पाकिस्तान संयुक्त आयोग की दूसरी बैठक नई दिल्ली में 27 से 29 जून, 1985 तक करने पर सहमति हो गई है।

अमरीका से परमाणु विस्फोटक स्विचों की पाकिस्तान को तस्करी

5764. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका से पाकिस्तान को परमाणु विस्फोटक स्विचों की तस्करी के प्रयास सम्बन्धी घटना के बारे में अमरीका सरकार का क्या विचार है; और

(ख) क्या सरकार को इस विषय में अमरीकी संसद की विदेश कार्य सम्बन्धी समिति की सिफारिशों और अमरीकी राष्ट्रपति द्वारा उनको स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने की जानकारी है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) पाकिस्तान के एक राष्ट्रिक श्री नजीर अहमद वैद द्वारा अमरीका से ऐसे अत्युन्नत इलेक्ट्रानिक स्विच जो नाभिकीय बम का विस्फोट करने के काम आ सकते हैं, चोरी से लाने की कोशिश करने के बारे में अमरीका के प्रचार माध्यमों ने जो खबरें दी हैं उनसे लगता है कि अमरीका सरकार के विभिन्न विभागों ने पाकिस्तान सरकार के साथ श्री वैद के सम्बन्धों को और मामले की गंभीरता को कम करके दिखाने का प्रयास किया है।

(ख) अमरीकी संसद की विदेशी मामलों की एशियाई और प्रशान्त मामलों सम्बन्धी समिति ने उन देशों को सहायता स्थगित करने की सिफारिश की है जो नाभिकीय युक्ति का निर्माण करने के लिए अमरीका के निर्यात कानूनों का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति को पेश किए जाने से पहले अमरीकी कांग्रेस को इस सिफारिश पर और आगे काम करना होगा।

पाकिस्तान को हवा से हवा में मार करने वाले अमरीकी प्रक्षेपास्त्र

5765. **श्री बी० बी० देसाई :**
श्री बृज मोहन महन्ती :
श्री के० राममूर्ति :
श्री चित महता :
श्री राम समुझावन :
श्री मोहम्मद महफूज अली खां :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 मार्च, 1980 को अमरीकी रक्षा विभाग हवा से हवा में मार करने वाले 500 प्रक्षेपास्त्र पाकिस्तान को बेचने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या 15 राडार प्रणाली भी पाकिस्तान को सप्लाई की गई है;

(ग) क्या अमरीका सरकार द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई के लिए यह कारण दिया है कि अफगानिस्तान में सोवियत संघ की उपस्थिति है; और

(घ) यदि हां, तो क्या भारत ने पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर हथियारों की सप्लाई पर कड़े शब्दों में विरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर अमरीका सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) भारत द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) 28 मार्च, 1985 को अमरीकी प्रशासन ने अमरीकी कांग्रेस को औपचारिक रूप से यह सूचित किया कि वह पाकिस्तान को हवा से हवा मे मार करने वाले 500 मिसाइल बेचना चाहता है।

(ख) और (ग) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं।

(घ) से (च) पाकिस्तान अमरीका से बड़े पैमाने पर अत्युन्नत हथियार ले रहा है और इस बात से सरकार चिन्तित है। इस मामले को विभिन्न अवसरों पर और विभिन्न स्तरों पर पाकिस्तान की सरकार के साथ और अमरीका की सरकार के साथ भी उठाया गया है। सरकार ऐसी सभी घटनाओं पर पूरी निगरानी रख रही है जिनका देश की सुरक्षा पर असर पड़ सकता हो।

कार्य के लिए अनाज और अन्त्योदय योजनाएं

5766. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग की मूल्यांकन समिति ने अपने मूल्यांकन में यह टिप्पणी की है कि कार्य के लिए अनाज और अन्त्योदय जैसी योजनाओं से निर्धन लोगों में निर्धनतम लोगों को लाभ पहुंचा था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन योजनाओं को फिर से चलाने और उनको मजबूत करने का है; और

(ग) यदि हां, तो "काम के लिए अनाज" कार्यक्रमों के लिए कितना खाद्यान्न उपलब्ध किया जायेगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने वर्ष 1979 में "काम के बदले अनाज कार्यक्रम" का मूल्यांकन किया था। इसकी रिपोर्ट के अनुसार रोजगार और आय के रूप में ग्रामीण समुदाय के जीवन पर इस कार्यक्रम का निश्चित रूप से अनुकूल प्रभाव पड़ा है। इस रिपोर्ट में कुछ प्रमुख कमजोरियों और कमियों के बारे में भी बताया गया था। इनको ध्यान में रखते हुए छठी योजना में एक नया कार्यक्रम—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम अधिक बड़े पैमाने पर शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वेतन के कुछ भाग को खाद्यान्न के रूप में वितरित करने की व्यवस्था है। अन्त्योदय कार्यक्रम केन्द्रीय कार्यक्रम नहीं था और बिहार, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश राज्यों में ही राज्य स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया गया। इस कार्यक्रम का मूल्यांकन 1979-81 में किया गया था। निष्कर्षों में एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्नता थी। इसी बीच, छठी योजना में उत्पादकता परिसम्पतियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम वर्ष 1980-81 में सम्पूर्ण देश में शुरू किया गया ताकि गरीबों में सबसे गरीब 15 मिलियन परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जा सके।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

राजकोट को विमान सेवा द्वारा दिल्ली से जोड़ा जाना

5767. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौराष्ट्र और कच्छ के वाणिज्यिक हवाई अड्डे ऐसे हैं जिनका बम्बई से दैनिक सम्बन्ध में और जहां से यदि कोई दिल्ली के लिए उड़ान भरना चाहे तो उसे पहले उल्टी दिशा में जाना पड़ता है;

(ख) क्या राजकोट को दिल्ली के साथ जोड़ने की सम्भावनाओं का पुनः सर्वेक्षण करने हेतु हाल में सिफारिश की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी क्या प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) सर्वेक्षण चल रहा है।

भारत के बाहर के शहरों के लिए विशेष चार्टर और वापसी किराया सुविधा

5768. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के बाहर किन शहरों में भारत में गंतव्य स्थान के लिए हवाई जहाज से यात्रा हेतु विशेष चार्टर और वापसी किराया दरों की सुविधाएं मौजूद हैं; और

(ख) सुदूर पूर्व, मध्य पूर्व और अफ्रीका के शहरों में इस प्रकार की सुविधाएं न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) सुदूर पूर्व, मध्य पूर्व और अफ्रीका सहित विश्व के किसी भी स्थान से अपेक्षित अनुमति से स्थान से स्थान तक आधार पर पर्यटक चार्टर उड़ानें प्रचालित की जा सकती हैं।

छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान वनरोपण

5769. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1952 के सरकार के राष्ट्रीय वन नीति संकल्प में कुल भूमि क्षेत्र के एक-तिहाई क्षेत्र में वन लगाने का लक्ष्य रखा गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या छठी योजनावधि के दौरान लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो धीमी प्रगति के क्या कारण हैं और लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करने के लिए उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या लक्ष्य पर पुनर्विचार किया गया है और सातवीं योजना के लिए उच्च लक्ष्य की सिफारिश की गई है ? और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) अधिसूचित वन क्षेत्रों के अन्दर और बाहर दोनों तरफ पेड़ लगाकर वनों के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र लाने के लिए निरन्तर प्रयास किए जाते हैं। 1952 और 1980 के बीच कुल 35.6 लाख हैक्टार क्षेत्र में वन लगाये गये, सिर्फ छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान खण्ड पौध रोपण के जरिए 22.7 लाख हैक्टार क्षेत्र कवर किया गया था। इसके अलावा, छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान फार्म भूमि, निजी जातों और वास भूमि पर रोपण करने के लिए लोगों में लगभग 377 करोड़ पौध वितरित की गई। सरकार का सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि और उसके बाद वनरोपण सम्बन्धी प्रयासों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है। ईंधन की लकड़ी और चारा के वृक्षा-रोपण के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष 50 लाख हैक्टार भूमि लाने और जन आन्दोलन शुरू करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अकृष्य भूमि विकास बोर्ड की स्थापना की गई है।

अमरीका द्वारा पाकिस्तान को सैन्य सहायता

5770. **डा० कृपा सिन्धु भोई :**
श्री मोहम्मद महफुज अली खां :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि 32 लाख पौण्ड के पहले ऋण के अतिरिक्त अमरीका द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य सहायता का काफी बड़ा भाग पाकिस्तान में अमरीकी वायु सेना के लिए 23 हवाई अड्डों के निर्माण के लिए उपयोग किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) सरकार ने अखबारों में छपी इस आशय की खबरें देखी हैं।

(ख) और (ग) सरकार किसी भी देश में विदेशी अड्डे/सुविधायें स्थापित करने के खिलाफ है और यह बात विभिन्न अवसरों पर अमरीका और पाकिस्तान, दोनों की सरकारों को बता दी गई है।

केरल में भारत पर्यटन विकास निगम की संयुक्त क्षेत्र की परियोजना

5771. श्री टी० बशीर : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्य सरकारों/निगमों के नाम क्या हैं जिनके साथ भारत पर्यटन विकास निगम ने संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाएं आरम्भ की हैं;

(ख) प्रत्येक परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल में संयुक्त क्षेत्र की परियोजना का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

परियोजना और राज्य जहां वह स्थापित है	सहयोगी	क्षमता (कमरों की संख्या)	स्टार श्रेणी	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1. गोहाटी (असम)	असम राज्य सरकार	50	3	195.00	परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।
2. पुरी (उड़ीसा)	उड़ीसा पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	44	3	190.00	—वही—
3. रांची (बिहार)	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	30	3	130.00	परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।
4. भोपाल (मध्य प्रदेश)	मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	38	3	190.00	परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।
5. ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश)	अरुणाचल प्रदेश औद्योगिक विकास और वित्तीय निगम लिमिटेड	20	1-2	80.00	राज्य सरकार द्वारा स्थान मुहैया कराया जाना है।
6. पाण्डिचेरी (संघशासित प्रदेश)	पाण्डिचेरी औद्योगिक संवर्धन विकास और निवेश निगम लिमिटेड	20	1-2	92.00	परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 309 का संशोधन

5772. **श्री बाई० एस० महाजन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार हमारे समाज के बदलते हुए मानदण्डों और मूल्यों को देखते हुए आत्म-हत्या के प्रयासों के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 309 के प्रावधानों पर फिर से विचार करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : विधि आयोग ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 309 के निरसन की सिफारिश की है। जब उस संहिता का व्यापक संशोधन किया जाएगा तो इस सिफारिश को ध्यान में रखा जाएगा।

खोकरापार-मोनाबाओ रेल मार्ग को फिर से खोलना

5773. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या विदेश मन्त्री मोनाबाओ-खोकरापार रेल मार्ग के बारे में 3 मार्च, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1913 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने खोकरापार मोनाबाओ रेल मार्ग को पुनः खोलने का मामला अभी हाल ही में पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) सरकार ने विभिन्न अवसरों पर, मौखिक रूप से और लिखित रूप में भी पाकिस्तान की सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह सितम्बर, 1974 के भारत-पाकिस्तान वीसा करार में निहित व्यवस्था के अनुरूप खोकरापार-मोनाबाओ पड़ताल चौकी पुनः खोलना स्वीकार कर ले। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की सरकार से कोई ठोस उत्तर नहीं आया है।

केन्द्रीय प्रौद्योगिकी आयात योजना

5774. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय प्रौद्योगिकी आयात योजना को अन्तिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अन्तर्गत किन-किन मदों का आयात किया जाएगा;

(ग) क्या इस आयात योजना पर स्वदेशी कम्पनियों का कोई प्रभाव होगा;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) कुछ मामलों में, जहां कई निवेशकों ने एक ही उत्पाद की प्रौद्योगिकी के आयात के लिए प्रस्ताव भेजे हैं, सरकार ने ऐसी प्रौद्योगिकी में आयात को केन्द्रीय आधार पर बढ़ावा दिया है जिसे पूंजी निवेशक आपस में बांट सकते

हैं। हाल ही में सरकार ने इलेक्ट्रोनिक्स पी० ए० बी० एक्स० और इलेक्ट्रोनिक टेलिफोनों के विनिर्माण के लिए इसी आधार पर प्रौद्योगिकी का चयन किया है।

(ग) और (घ) कई भारतीय कम्पनियों के, जिनके पास इलेक्ट्रानिक, पी० ए० बी० एक्स० और इलेक्ट्रानिक्स टेलिफोनों का विनिर्माण करने के लिए लाइसेंस अथवा आशयपत्र हैं, इस पहल द्वारा लाभान्वित होने की आशा की जाती है।

टर्नकी और पैबैक आधार पर सोवियत संघ के सहयोग से उद्योगों की स्थापना

5775. **श्री चित्त महाता :**

श्री सोमनाथ रथ :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ भारत में सरकारी और गैर-सरकारी, दोनों ही क्षेत्रों में टर्नकी और पेबैक दोनों आधार पर उद्योग स्थापित करने में सहायता देने पर राजी हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन उद्योगों को देश के पिछड़े क्षेत्रों में लगाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में सोवियत संघ के सहयोग से शुरू की जाने वाली प्रमुख परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ङ) सोवियत संघ के साथ आपसी हित के लिए वैज्ञानिक सहयोग बढ़ाने के कई प्रस्ताव विचाराधीन हैं। ब्यौरे अभी तैयार किए जा रहे हैं।

भूमि पर सफेदे के पेड़ लगाने का प्रभाव

5776. **श्री के० प्रधानी** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में शुष्क क्षेत्रों में कुल कितनी एकड़ भूमि में सफेदे के पेड़ लगाए गए;

(ख) क्या हाल ही में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि सफेदे के और अधिक पेड़ लगाने से यह भूमि मरुस्थल में बदल जाएगी और सारा उप-द्वीप ही मरुभूमि बन जाएगा;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन क्षेत्रों में सफेदे के पेड़ लगाया जाना रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है जिससे यह पता चलता हो कि सफेदे के और अधिक पेड़ लगाने से यह भूमि मरुस्थल में बदल जाएगी और सारा उप-द्वीप ही मरुभूमि बन जाएगा।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बम्बई के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा और धन के लिए अनुरोध

5777. **श्री मुकुल वासनिक :**
श्री डी० बी० पाटिल :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :
श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई का विकास करने और देश के विभिन्न भागों में इस शहर में आने वाले हजारों लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, महाराष्ट्र सरकार ने आने वाले पांच वर्षों के लिए केन्द्रीय सरकार से 1000 करोड़ रुपए देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) महाराष्ट्र की सातवीं योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि राज्यों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित परिशोधित गाडगिल फार्मूले के आधार पर ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में सम्पूर्ण राज्य योजनाओं के लिए दी जाती है न कि विशिष्ट परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा जाली पासपोर्ट का जारी किया जाना

5778. **श्री जी० जी० स्वैल :**
श्री चित महाटा :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रैवलिंग एजेंसियों ने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से जारी हुए जाली पासपोर्ट के आधार पर बड़ी संख्या में श्रमिक खाड़ी के देशों को भेजे थे;

(ख) क्या इस मामले में विदेश मन्त्रालय के साथ बातचीत की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं। सरकार के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है जबकि ट्रैवलिंग एजेंसियों ने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से जारी हुए जाली पासपोर्टों के आधार पर कोई श्रमिक खाड़ी के देशों को भेजा हो।

(ख) लेकिन जब भी जाली पासपोर्टों के मामले सरकार के ध्यान में आते हैं पुलिस प्राधिकारियों को उचित रूप से इसकी सूचना दी जाती है ताकि वे अपराधियों के विरुद्ध कानूनी और दण्डात्मक कार्रवाई करने के उद्देश्य से जांच पड़ताल कर सकें।

(ग) प्रश्न नहीं उठते ।

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी (खजुराहो) : अध्यक्ष महोदय, आज फिर पेपर में आया है कि पंजाब में पुलिस कर्मियों की उग्रवादियों द्वारा हत्या कर दी गई है । आए दिन रोज हमारे कांग्रेस के कार्यकर्त्ता, पुलिस कर्मचारियों और अन्य निरपराध अधिकारियों की उग्रवादियों द्वारा हत्यायें की जा रही हैं । इस तरह के जुल्म हो रहे हैं । मैं सरकार से जानना चाहती हूं, ये हत्यायें कब तक होती रहेंगी ? सरकार इस समस्या को अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाकर हल करना चाहती है, मेल-मिलाप से समस्या को हल करना चाहती है, लेकिन इसके विपरीत इस प्रकार की घटनायें रोज हो रही हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए, होम मिनिस्टर जी बैठे हुए हैं, मैं उनको लिखकर दूंगा ।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बाकुरा) : आज संसार के शांतिप्रिय लोग फासिस्टवाद की हार की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं । इस सदन को इसे श्रद्धांजलि अर्पित करने का प्रस्ताव होना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : आपको मुझे इसे पहले ही देना चाहिए था । हमने सभी लोगों को बुलाया होता और ऐसा किया होता । यह पहले ही आया होता, मैं बैठक बुला लेता ।

श्री बसुदेव आचार्य : आप कल ऐसा कर सकते हैं ।

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : आंध्र में गम्भीर सूखा पड़ने की स्थिति है । मैंने सूचना दी है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कार्यवाही कर ली है । मैंने आपसे कहा है कि ऐसा पहले ही किया जा चुका है । इस पर कल चर्चा हो रही है ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : आज के "इण्डियन एक्सप्रेस" में बहुत चिन्ताजनक समाचार आया है ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर पहले ही चर्चा हो चुकी है तथा उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री ने इसका समर्थन किया है ।

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं । इसकी अनुमति नहीं दी जा रही है ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री चौधरी, आप सदन में नहीं थे । आप वहां नहीं थे । इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है ।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या ऐसा किया गया है ।

श्री वसन्त थामस (मवेलिकरा) : बम्बई के दक्षिणी भारतियों को जाना पड़ेगा । वहां शिव सेना सत्ता में आ गई है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही इस विषय पर कार्यवाही कर चुका हूं । अब मि० कुरियन ।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इडुक्की) : हमें अपने फ्लैटों में—न नार्थ एवन्यू, और न ही बिशम्बर दास मार्ग में—सवेरे पानी नहीं मिलता है । सवेरे 7.30 बजे.....

अध्यक्ष महोदय : क्या शाम को मिलता है । आप कहते हैं कि आपको प्रातःकाल नहीं मिलता । मैं पूछता हूं कि क्या आपको यह शाम के समय मिलता है ?

प्रो० पी० जे० कुरियन : जी नहीं रात को भी नहीं । (**व्यवधान**)

संसदीय कार्य मन्त्री (**श्री एच० के० एल० भगत**) : सरकार को इसके सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण की अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : आपको इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन यदि आप सदस्यों को पानी देंगे मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी ।

श्री एच० के० एल० भगत : हम दे देंगे, सरकार उसकी ओर ध्यान देगी । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप पानी दीजिए । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : शांति । मैं कहता हूं कि पानी उपलब्ध किया जाना चाहिए । यह मंत्री की जिम्मेवारी है । मुझे ध्यानाकर्षण से कुछ नहीं मिलता है । मैं चाहूंगा कि आप जल उपलब्ध करें ।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं सम्बद्ध मन्त्री से बात करूंगा ।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : मैंने नियम 222 के अन्तर्गत मि० कुलदीप नायर के विरुद्ध विशेषाधिकार का उल्लंघन तथा सभा की अवमानना की सूचना दी है ।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचाराधीन है ।

प्रो० के० के० तिवारी : उन्होंने अध्यक्ष पर आक्षेप किया है, और उन्होंने कहा है कि मेरे विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचाराधीन है ।

[**हिन्दी**]

छोड़िए तिवारी जी अगर किसी आदमी को पता ही नहीं है कि वह क्या लिख रहा है, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं ।

[**अनुवाद**]

प्रो० के० के० तिवारी : इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए ।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं यह देखूंगा । मैं उसे ध्यान में रखूंगा ।

[हिन्दी]

क्या मामूली बातें होती हैं।

[अनुवाद]

प्रो० के० के० तिवारी : मुझे आशा है कि आप इसका ध्यान रखेंगे। यह एक गम्भीर मामला है।

श्री के० वी० शंकरगौडा (मांड्या) : वह उनके विषय में था जिन्हें पानी नहीं मिलता है। उनके विषय में आप क्या कह सकते हैं जिनके पास कोई फ्लैट नहीं है। मेरे पास कोई फ्लैट नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे पहले ही कह चुका हूं।

श्री के० वी० शंकरगौडा : मेरे पास कोई फ्लैट ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मेरी पूरी सहानुभूतियां आपके साथ हैं। पर मुझे आशा है कि आप इस बात को मानेंगे कि आप पानी के अभाव में नहाने तथा मल-मूत्र के क्लेश से बच रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप हमेशा यहीं बैठे रहेंगे।

(व्यवधान)

श्री एच० ए० डोरा (श्रीकाकुलम) : पाकिस्तान ने परमाणु यन्त्र बनाए हैं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यहां किसी बात पर चर्चा नहीं होगी। इस प्रकार इसकी चर्चा नहीं होगी। यहां कोई चर्चा नहीं होगी। आप मेरे कक्ष में आइए और हम इसे देखेंगे?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन में शांति चाहता हूं। माननीय सदस्य ! क्या आप समझते हैं कि यह ऐसा स्थान है जहां आप इस प्रकार गलियारों मे खड़े बातचीत कर सकते हैं। आपको यहां क्या करना है? कृपया अपने स्थान ग्रहण कीजिए।

अब पत्र सभापटल पर रखे जायें।

12.06 म० प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

वायु निगम अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत अधिसूचना

[अनुवाद]

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 45 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) एयर इंडिया कर्मचारी पैंसेज (संशोधन) विनियम, 1984, जो 10 नवम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एच० क्यू०/79 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

(दो) एयर इंडिया कर्मचारी सेवा (संशोधन) विनियम, 1984 जो 15 दिसम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एच० क्यू०/66-12 में प्रकाशित हुए थे तथा तत्सम्बन्धी शुद्धि-पत्र जो 9 फरवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण । [ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 870/85]

(2) (एक) अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1971 की धारा 24 की उपधारा (4) तथा 25 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखाओं की एक प्रति ।

(दो) भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 871/85]

(4) (एक) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 37 की उपधारा (2) के अन्तर्गत एयर इंडिया के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसकी सहायक कम्पनियों, अर्थात, भारतीय होटल निगम सीमित और एयर इंडिया चार्ट से समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति ।

(दो) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 15 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, एयर इण्डिया के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति।

(तीन) एयर इण्डिया तथा उसकी सहायक कम्पनियों, अर्थात्, भारतीय होटल निगम समिति और एयर इण्डिया चार्टर्स समिति के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 872/85]

गंगा के प्राधिकरण के गठन के बारे में संकल्प

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : मैं केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण के गठन के बारे में दिनांक 16 फरवरी, 1985 के संकल्प संख्या क्यू० 14011/4/84-ई० पी०

सी० (एक) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 16 फरवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 873/85]

संघ लोक सेवा आयोग, भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता, आदि का पुनरीक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : श्री के० पी० सिंह देव की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं—

(1) संविधान के अनुच्छेद 323(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) संघ लोक सेवा आयोग का 1 अप्रैल, 1983 से 31 मार्च, 1984 तक की अवधि से सम्बन्धित 34वां प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन में उल्लिखित मामलों में संघ लोक सेवा आयोग की सलाह में माने जाने के कारणों को दर्शाने वाला ज्ञापन। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 874/85]

(2) (एक) भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्सम्बन्धी लेखा-परीक्षित लेखाओं की एक प्रति।

(दो) भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 875/85]

(4) (एक) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 876/85]

(6) (एक) विक्टोरिया मैमोरियल हाल, कलकत्ता, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखाओं की एक प्रति।

(दो) विक्टोरिया मैमोरियल हाल, कलकत्ता, के वर्ष 1983-1984 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 877/85]

(8) (एक) नेशनल स्कूल आफ ड्रामा (राष्ट्रीय नाटक विद्यालय) नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (राष्ट्रीय नाटक विद्यालय), नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 में कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 878/85]

(10) (एक) खुदाबख्श ओरिएन्टल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखाओं की एक प्रति।

(दो) खुदाबख्श ओरिएन्टल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 879/85]

रिहेबिलीटेशन प्लांटेशन्ज सीमित पुनालूर की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन हिन्दी के प्रचार तथा विकास का वार्षिक मूल्यांकन

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखती हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) रिहेबिलीटेशन प्लांटेशन्ज सीमित, पुनालूर के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रिहेबिलीटेशन प्लांटेशन्ज सीमित पुनालूर के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या टी० 880/85]

(3) भारत संघ के विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रसार और विकास तथा उत्तरोत्तर उपयोग की गति को तेज करने के कार्यक्रम तथा उसके क्रियान्वयन के बारे में वर्ष

1983-84 सम्बन्धी वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 881/85]

(4) (एक) भारतीय भाषायी अल्पसंख्यकों सम्बन्धी उपायुक्त के जुलाई, 1982 से जून, 1983 तक की अवधि के तेइसवें प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) प्रतिवेदन सम्बन्धी एक व्याख्यात्मक टिप्पण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 882/85]

12.10 म० प०

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

कुछ गैर-सरकारी अभिकरणों द्वारा सम्बन्धित प्राधिकारियों की पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना केरल और भारत-बर्मा सीमा के संवेदनशील और प्रतिबन्धित क्षेत्रों के मानचित्र कुछ विदेशी अभिकरणों की सप्लाई किए जाने का समाचार

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : मैं गृह मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्त्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :—

"कुछ गैर-सरकारी अभिकरणों द्वारा सम्बन्धित प्राधिकारियों की पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना, केरल और भारत-बर्मा सीमा के संवेदनशील और प्रतिबन्धित क्षेत्रों के मानचित्र कुछ विदेशी अभिकरणों की सप्लाई किए जाने तथा इस प्रकार शासकीय गुप्त बात अधिनियम तथा मानचित्र प्रतिबन्ध नीति का उल्लंघन किए जाने के समाचार और इस मामले में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं कुछ गैर-सरकारी अभिकरणों द्वारा सम्बन्धित प्राधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना कुछ विदेशी अभिकरणों की संवेदनशील और प्रतिबन्धित क्षेत्रों के मानचित्र देने के समाचारों के विषय में वक्तव्य दे रहा हूं।

2. महोदय, कुवल जांच आयोग, जो ग्रामीण विकास के लिए स्वयंसेवी अभिकरणों के संघ (ए० वी० ए० आर० डी०) के प्रकाशनों सहित कार्यकरण और गतिविधियों की जांच कर रहा है, द्वारा एकत्र की गयी सूचना के अनुसार, ये आरोप लगाए गए थे कि 1975 के प्रारम्भ में ए० वी० ए० आर० डी० ने नागालैण्ड में क्षेत्रों के प्रतिबन्धित मानचित्रों की प्रतिलिपियां प्राप्त कीं और इन प्रतिलिपियों को एक विदेशी अभिकरण को "नागालैण्ड के चुने गए क्षेत्रों की विकास योजना" नामक एक योजना के अंग के रूप में दी थी। इस योजना का उद्देश्य धन प्राप्त करना था जिसका उपयोग विशेष अभिकरणों नामत: नागालैण्ड शांति केन्द्र कोहिमा और नागालैण्ड गांधी आश्रम द्वारा किया जाना था। जांच के दौरान आयोग के ध्यान में यह भी आया कि बेलानाद पंचायत, केरल के प्रतिबन्धित क्षेत्रों के कुछ मानचित्र ए० वी० ए० आर० डी० द्वारा प्रकाशित "विकास के लिए शिक्षा" नामक पुस्तक में प्रकाशित किए गए हैं। इन प्रकाशनों में प्रकाशित मानचित्रों की प्रकृति और महत्व

को निश्चित करने के लिए आयोग ने मामले में भारतीय सर्वेक्षण और रक्षा मंत्रालय के विचार और सलाह प्राप्त की। भारतीय सर्वेक्षण ने विचार प्रकट किया है कि इनमें से कुछ मानचित्र प्रतिबन्धित क्षेत्रों के हैं इसलिए भारतीय महा सर्वेक्षण के कार्यालय और रक्षा मंत्रालय दोनों की स्वीकृति की जरूरत थी। यह भी कहा गया है कि इन प्रकाशनों में प्रकाशित कुछ मानचित्रों में भारत की सीमाओं को गलत दिखाया गया है। रक्षा मंत्रालय ने भी आयोग को सूचित किया था कि इनमें से कुछ मानचित्र प्रतिबन्धित क्षेत्रों के हैं और रक्षा मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना इनका प्रकाशन और खुले प्रचलन की अनुमति नहीं थी।

3. प्रारम्भिक जांच पूरी करने पर शासकीय गुप्त बात अधिनियम और मानचित्र प्रतिबन्ध नीति के उल्लंघन का प्रथमदृष्टया मामला होने के बारे में सन्तुष्ट होने पर आयोग ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 8(ख) के अन्तर्गत, ए० वी० ए० आर० डी०, नागालैण्ड शांति केन्द्र, नागालैण्ड गांधी आश्रम और मित्र निकेतन को कारण बताओ और अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए, यदि कोई हो, नोटिस दिया। आयोग द्वारा जारी किए गए "कारण बताओ नोटिस" के अनुसार इन संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों के लिए 13 मई, 1985 को आयोग के समक्ष प्रस्तुत होना आवश्यक था।

4. इस प्रकार जैसा कि ऊपर उल्लिखित तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि उचित अनुमोदन के बिना प्रतिबन्धित क्षेत्रों के मानचित्रों के प्रकाशन के विषय में ए० वी० ए० आर० डी० और इससे सम्बन्धित संगठनों के विरुद्ध आरोप की जांच कुडाल जांच आयोग द्वारा की जा रही है।

5. मैं इस अवसर पर इस सम्माननीय सदन को आश्वासन देता हूं कि सरकार देश की सुरक्षा और अखण्डता की रक्षा के लिए भरसक सतर्कता बरत रही है। जो व्यक्ति या संगठन राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त पाया जाएगा उसके साथ कानून के उपबन्धों के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : यह एक गम्भीर मामला है किन्तु जो बयान उन्होंने अभी दिया है उससे इस प्रकार के विचार बनने की संभावना है कि इन प्रतिबन्धित नक्शों को तैयार करना तथा उन्हें कुछ विदेशी एजेन्सियों को दे देना कुछ ऐसा है मानो यह बहुत हाल में घटी घटना है जो अभी-अभी घटी है तथा अचानक ही प्रकाश में आयी है।

किन्तु मेरे पास जो जानकारी है, इससे बिलकुल अलग है। यह एक ऐसी बात है जो पिछले कई वर्षों से होती चली आ रही है और मैं सरकार से यह साफ-साफ जानना चाहता हूं कि क्या यह पहली बार है कि कुदाल आयोग से एकत्रित की गयी जानकारी के आधार पर यह बात सरकार के ध्यान में आयी है और क्या यह सच है कि ऐसा पिछले सात-आठ सालों से होता आ रहा है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : कुदाल आयोग।

अध्यक्ष महोदय : इसका 1975 में पता चला है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस बात का सरकार को पता चला है।

[हिन्दी]

प्रो० मधु दण्डवते : कुदाल आयोग को बीच में ले आये हैं।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कुदाल आयोग में मेरी कोई रुचि नहीं है, वे इसके साथ जो करना चाहें, कर सकते हैं।

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस मामले में सरकार का क्या दृष्टिकोण है तथा सरकार क्या कार्यवाही कर रही है क्योंकि सरकार इसके बारे में वर्षों से जानती है। उदाहरणार्थ, 1958-59 से 1966-67 तक यह ग्रामीण विकास सम्बन्धी स्वयंसेवी एजेन्सी एसोसिएशन नाम का संगठन खुले रूप में एशिया फाउन्डेशन से निधि प्राप्त कर रहा था जिसके बारे में बाद में पता लगा कि यह अमेरिकी गुप्तचर संगठन सी० आई० ए० के एजेन्ट के रूप में कार्य कर रहा था। बाद में, 1968 में सरकार ने एशिया फाउन्डेशन को भारत से अपना काम बन्द करने के लिए कहा। और जहां तक हम लोगों को पता है, 1968 के बाद इस ग्रामीण विकास सम्बन्धी स्वयंसेवी एजेन्सी एसोसिएशन को एशिया फाउन्डेशन से प्रत्यक्ष रूप से पैसा मिलना संभवतः बन्द हो गया है। किन्तु ग्रामीण विकास सम्बन्धी स्वयंसेवी एजेन्सी एसोसिएशन एक ऐसा संगठन है जिसने अपने साथ अनेक अन्य संगठनों को सम्बद्ध कर रखा है। मुझे बताया गया है कि इस प्रकार के संगठनों की संख्या नौ सौ से भी अधिक हैं जो देश के विभिन्न भागों में विभिन्न विकास योजनाओं के नाम पर चलाए जा रहे हैं। उदाहरणार्थ, मैं यह जानना चाहता हूं कि, गृह मंत्री शायद इसकी पुष्टि कर पाएं अथवा नहीं, 1974 में यानी जब सरकार ने एशिया फाउन्डेशन को भारत में अपना कार्यालय बन्द करने के लिए कहा था, उस समय ग्रामीण विकास सम्बन्धी स्वयंसेवी एजेन्सी एसोसिएशन से सम्बद्ध इन सदस्य एजेन्सियों, जैसे नागालैण्ड पीस सेन्टर, कोहिमा, नागालैण्ड गांधी आश्रम, चुचुईमलांग, नागालैण्ड तथा इसी प्रकार के अन्य संगठनों ने 1974 में पश्चिम जर्मनी के एक ई० जेड० ई० नामक सगठन से क्रमशः 22,34,000 रुपये तथा 19,55,000 रुपये प्राप्त किए थे। इस संस्था का पूरा नाम हमारे पास है किन्तु जर्मन भाषा में होने के कारण इसका उच्चारण करना कठिन है। इस संगठन के सदस्यों के नाम का हमें पता है तथा ये नक्शे यहां छापे जा रहे हैं। नक्शे तैयार किए जाते हैं तथा इन्हें प्रकाशित किया जाता है। ये नक्शे किसी मुद्रणालय द्वारा प्रकाशित किए जाने चाहिए तथा सरकार को हमें यह बताने के लिए तैयार होना चाहिए कि ये मुद्रणालय कौन-से हैं जहां ये नक्शे मुद्रित तथा प्रकाशित किए जा रहे हैं तथा ये पश्चिम जर्मनी के उक्त संगठन ई० जेड० ई० को भेजे जा रहे हैं।

इसका कुदाल आयोग के निष्कर्षों से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय की सभी गुप्तचर एजेन्सियां इन वर्षों में क्या करती रही हैं क्योंकि रक्षा मंत्रालय तथा भारतीय सर्वेक्षण ने आयोग के समक्ष यह स्वीकार किया है जिसका संदर्भ अभी उन्होंने यह कहकर दिया है कि ये नक्शे इन मंत्रालयों तथा भारतीय सर्वेक्षण की आवश्यक अनुमति के बिना तैयार किए गए हैं। यह एक अपराध है, दण्डनीय अपराध, जिसके लिए सजा दी जानी चाहिए। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इन नक्शों में अन्य काफी जानकारी भी दी गयी है जैसे उन क्षेत्रों में संचार-साधनों की स्थिति, टेलीफोन एक्सचेंजों का स्थान, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग, अन्य स्थलाकृतिक निशान तथा अन्य ब्यौरे। इसका क्या प्रयोजन हो सकता है? क्या इससे बहुत बड़ा अनर्थ नहीं हो सकता है? क्यों इस प्रकार के नक्शे, जिनमें इस प्रकार की सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारी निहित होती है, तैयार किए जाते हैं, प्रकाशित किए जाते हैं तथा पिछले अनेक वर्षों से जो इन विदेशी एजेन्सियों को भेजे जाते रहे हैं। और सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर रही है। मैं, वास्तव में, इसे समझने में एकदम असमर्थ हूं। कुदाल आयोग की स्थापना 1982 में की गयी थी। किन्तु मैं जिस बात की ओर ध्यान

दिखा रहा हूं वह उसकी स्थापना से कम-से-कम 15 साल पहले से होता आ रहा है। निश्चय ही मेरा विश्वास है कि जो कुछ होता रहा है उसके बारे में गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय तथा अन्य सभी गुप्तचर एजेन्सियों को पता है। किन्तु यह कैसी बात है कि इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। मुझे जानकारी मिली है कि जब से कुदाल आयोग ने कार्य करना शुरू किया है, इनमें से जिन व्यक्तियों को उपस्थित होने के लिए नोटिस दिया जाता है, वे लोग न्यायालयों में निरन्तर जाकर स्थगन आदेश, निरोधादेश प्राप्त कर लेते हैं तथा वे आयोग के समक्ष उपस्थित होने से बिल्कुल ही इंकार कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या होने जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इसी महीने कुछ दिनों के बाद उन्हें उपस्थित होने के लिए आयोग द्वारा कुछ नये नोटिस दिए गए हैं। वे उपस्थित नहीं होंगे। वे न्यायालय में जाएंगे तथा किसी-न-किसी बहाने स्थगन-आदेश प्राप्त कर लेंगे तथा तकनीकी आपत्ति के आधार पर वे अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों की वास्तविक जांच से बच जाएंगे। इस प्रकार के तथाकथित गुप्तचर जांचों तथा जासूसी कांडों के बारे में आपने जो पता लगाया है तथा जिसके बारे में आपने इस सत्र के प्रारम्भ में तथा पिछले सत्र में हम लोगों को जो कुछ बताया है तथा जिसके बारे में अब कुछ भी सुनने को नहीं मिलता, इस बारे में किसी को भी मालूम नहीं कि इसके लिए अपनी गुप्तचर एजेन्सियों के कार्य को कितना श्रेय दिया जाना चाहिए। यह एक ऐसा कार्य है जो थोड़ा या बहुत खुले आम किया जा रहा है तथा सरकार जिसके बारे में जानती है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो गुप्त रूप से की जा रही है। क्यों इन सीमावर्ती क्षेत्रों—नागालैण्ड, उत्तर-पूर्वी सीमा, केरल की सीमा तथा पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित कोई भी स्थान—का चुनाव किया जाता है। ये जो कुछ संगठन हैं जो धर्मार्थ संगठन अथवा धार्मिक मिशनरियों के संगठन अथवा इसी प्रकार के संगठन समझे जाते हैं, इन संगठनों का कार्य नक्शे तैयार करना एवं कुछ पैसों के बदले उन नक्शों को विदेशों को भेजना नहीं है। मुझे उन मिशनरियों के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है जो इस देश में विधिसम्मत कार्य कर रहे हैं। किन्तु यह उनका विधिसम्मत कार्य या विधिसम्मत क्रियाकलाप नहीं है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि वह इन वर्षों में क्या करती रही है। सरकार को इन सभी बातों का पता है। कम-से-कम ऐसे 20 नक्शों का कुदाल आयोग के समक्ष हवाला दिया गया है जिन्हें प्रकाशित किया गया है तथा विदेशों को भेजा गया है। सरकार ने अपनी गुप्तचर एजेन्सियों के माध्यम से किसी प्रकार की भी जांच नहीं की है यह जानने के लिए कि कौन इस काम को कर रहा है, क्यों कर रहा है तथा इससे कौन-कौन व्यक्ति सम्बद्ध हैं। क्या इसमें कुछ ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जिनके विरुद्ध कार्यवाही करने से सरकार कतरा रही है। मुझे नहीं मालूम कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण एवं बड़े लोग शामिल हैं अथवा नहीं जिनके विरुद्ध सरकार देश की सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए कार्यवाही करना नहीं चाहती। कृपया इस सम्बन्ध में कुछ और बताएं, इस पर कुछ और प्रकाश डालें, केवल यह कहने के बदले कि कुदाल आयोग को 1982 के बाद इसके बारे में पता लगा है। वे तो एक जांच आयोग की तरह अपना कार्य करेंगे जिसमें वर्षों का समय लगेगा। अनेक ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा जांच को लम्बा किया जा सकता है तथा वास्तविक जांच से बचा जा सकता है। किन्तु, इस बीच सभी महत्वपूर्ण सैनिक जानकारी चोरी-छुपे भेजी जा रही है और सरकार इस सम्बन्ध में स्पष्टतः कुछ नहीं कर रही है। कोई उपाय नहीं किया गया है। इसलिए, मैं सरकार पर इस बात का आरोप लगाता हूं कि वह देश की सुरक्षा के मामले में लापरवाही बरत रही है। इसका एक ठोस सबूत यह है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में वह क्या कर रही है, क्या करने का उसका विचार है।

प्रो० मधु दण्डवते : कुदाल आयोग केवल निर्दोष लोगों को परेशान कर रहा है।

श्री एस० बी० चव्हाण : यह सही है कि ग्रामीण विकास सम्बन्धी स्वयंसेवी एजेन्सी एसोसिएशन तथा इससे सम्बद्ध संगठन 1958 से कार्य कर रहे हैं। वे विदेशी एजेन्सियों से बहुत बड़ी मात्रा में धन प्राप्त करते रहे हैं। प्रतिबन्धित क्षेत्रों के नक्शों के प्रकाशन के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि इन पुस्तकों को 1984 में कुदाल आयोग के ध्यान में लाया गया था।

12.20 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इससे पूर्व ग्रामीण विकास सम्बन्धी स्वयंसेवी एजेन्सी एसोसिएशन तथा इससे सम्बद्ध संगठनों के खिलाफ जो आरोप लगाये गये थे, वे सामान्य प्रकार के थे। किन्तु अब कुछ एजेन्सियों द्वारा ठोस सबूत पेश किए गए हैं···(**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसे कुदाल आयोग के ध्यान में किसने लाया था ?

श्री एस० बी० चव्हाण : यह कहना बहुत कठिन है। मेरे लिए यह बताना संभव नहीं है कि उन्होंने इसे किस प्रकार प्राप्त किया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह कोई सरकारी जांच एजेन्सी है अथवा कोई गैर-सरकारी व्यक्ति।

श्री एस० बी० चव्हाण : कम-से-कम मेरे पास जो जानकारी है उससे यही पता चलता है कि इस सम्बन्ध में कुदाल आयोग का जिक्र किया गया था तथा इसके बाद भारत के महा-सर्वेक्षण तथा रक्षा मंत्रालय ने कुछ जानकारी के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है जिस जानकारी के बारे में उनसे जिरह की गयी थी। रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि ये सभी प्रतिबन्धित क्षेत्र हैं तथा इसे कोई भी व्यक्ति न तो छाप सकता है, न इसके आकार में वृद्धि कर सकता है अथवा न तो किसी रूप में इसे परिचालित कर सकता है जैसा कि ग्रामीण विकास सम्बन्धी स्वयंसेवी एजेन्सी एसोसिएशन द्वारा मुद्रित पुस्तक के मामले में किया गया है। यह एक सच्चाई है कि कुदाल आयोग के कार्यकरण के खिलाफ अनेक स्थगन आदेश लाए गए हैं। किन्तु मामला अब हम लोगों के अधिकार में है। हम कुदाल आयोग के साथ पुनः चर्चा करने जा रहे हैं। अन्तरिम रिपोर्ट पर विचार किए बिना जिसे वे बाद में प्रस्तुत कर सकते हैं। इस मामले के बारे में पता लगने के बाद सरकार गुप्तचर ब्यूरो, केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा अन्य एजेन्सियों से सम्पर्क स्थापित करेगी और यदि आवश्यक हुआ तो इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कार्यवाही करेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है। मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है, उससे यह प्रतीत होता है कि यह वास्तव में एक प्रकार से उनकी स्वीकृति है कि उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है। अब वे कार्यवाही करने का विचार कर रहे हैं। उन्होंने स्वयं ही कहा है कि एशिया फाउन्डेशन द्वारा ग्रामीण विकास सम्बन्धी स्वयंसेवी एजेन्सी एसोसिएशन को दिए जाने वाले धन के बारे में 1958 में पता लगा था जिसे सरकार द्वारा बन्द कर दिया गया था। एशिया फाउन्डेशन का सी० आई० ए० के एजेन्ट के रूप में भंडाफोड़ होने के बाद इस देश में इसके कार्यालय को बन्द कर दिया गया था। क्या मुझे यह जानने की आवश्यकता है कि उस समय से लेकर अब तक

सरकार तथा इसकी एजेन्सियों ने कभी भी इस बात की जांच करने अथवा पता लगाने की कोशिश नहीं की कि वे लोग क्या कर रहे थे अथवा इस धन का किस रूप में वे उपयोग कर रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्हें यह स्वीकार करना चाहिए कि इस मामले में उन्होंने पूरी तरह से लापरवाही बरती है जबकि इससे देश की सुरक्षा का प्रश्न जुड़ा हुआ था। अब जबकि मामला सामने आया है, तो कुदाल आयोग ने कुछ जानकारी दी है तथा मामला इस सदन में उठाया गया है। उनका कहना है कि वे गुप्तचर ब्यूरो तथा अन्य लोगों से सम्पर्क करेंगे तथा दूसरों को कुछ करने के लिए कहेंगे। यह कैसा दृष्टिकोण है। इससे यही पता चलता है कि हम पूरी तरह से गंभीर नहीं हैं।

श्री एस० बी० चव्हाण : मेरे पास जो जानकारी उपलब्ध है, उसके मुताबिक 1958 से 1976 तक ग्रामीण विकास सम्बन्धी स्वयंसेवी एजेन्सी एसोसिएशन तथा उसके कार्यों के खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे, वे सामान्य प्रकार के आरोप थे, सरकार के सामने कोई गंभीर मामला नहीं आया था। इस कारण कोई जांच नहीं की गयी थी। कम-से-कम मेरे पास तो यही जानकारी है। अब जबकि दो निश्चित आरोपों से सम्बन्धित मामले, जिन्हें कुदाल आयोग ने स्पष्टतः सिद्ध कर दिया है, सरकार की सूचना में आये हैं तो निश्चित ही इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी।

[हिन्दी]

श्री जयप्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही सनसनीखेज मामला है जो आज हमारे सामने है। कुछ ऐसी ताकतें हैं जो विदेशों से हिन्दुस्तान में पैसा भेजकर यहां की सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा देश में अराजकता फैलाना चाहती थीं। उन्होंने कुछ ऐसी संस्थाओं को चुना, जिनके नाम गांधी जी के नाम पर रखे हुए थे, जैसे—"गांधी पीस फाउंडेशन", "गांधी स्मारक निधि", "सर्व सेवा संघ", इन संस्थाओं का काम था कि देश की जो बार्डर स्टेट्स हैं, वहां पर वे अराजकता फैला सकें। वहां के जो सीक्रेट नक्शे हैं, जो ऐसी जगहें हैं जहां डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा पाबंदी है, उन जगहों के नक्शे बनाना, ये इनका काम था। उनके नक्शे बनाए गए और कोशिश की गई कि उनको विदेशों में बेच दिया जाए, ताकि किसी वक्त भी उन विदेशी शक्तियों के हाथ, जो इस देश को तोड़ना चाहती हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहती हैं, उनके हाथ इनसे मजबूत हों और वे यहां पैसा फैंक कर अलग-अलग संस्थाओं से अपना काम निकलवा सकें और देश को नुक्सान पहुंचा सकें। यह 1962 में एशिया फाउन्डेशन से शुरू हुआ लेकिन 1968 में जब जवर्नमैंट को यह पता लगा कि एशिया फाउन्डेशन एक ऐसी संस्था है, जिसका सी० आई० ए० से सम्बन्ध है जो देश में तोड़-फोड़ कराना चाहती है, जो देश में अराजकता फैलाना चाहती है तो गवर्नमैंट ने उस पर बेन लगा दिया। बेन लगाने के बावजूद भी जो पैसा विदेशों से बराबर आ रहा था, वह बन्द नहीं हुआ। आपको याद होगा कि जब 1971 में श्रीमती इन्दिरा गांधी चुनावों में भारी बहुमत से विजयी हुई थीं तो 1971 से लेकर 1975 तक, इन संस्थाओं के माध्यम से बिहार और गुजरात में अराजकता फैलाने की कोशिश की गई, हड़तालें की गईं और इन संस्थाओं के लोग सीधे उन हड़तालों से सम्बद्ध रहे। यह कोशिश की गई कि जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं उनको बांध दिया जाए, उनको असैम्बलीज में न जाने दिया जाए, तोड़-फोड़ की कार्यवाही की जाए तथा उस समय जो स्टूडैन्टस रिवोल्यूशन हुआ था, उसमें भी इन्होंने मदद की। इन सारी कार्यवाहियों का सेन्टर गांधी पीस फाउन्डेशन रहा और उसके पदाधिकारी ** रहे जो कि ऐसी लगभग 900 संस्थाओं में से 100 संस्थाओं के या तो प्रेजीडैन्ट थे, या जनरल सेक्रेटरी थे अथवा ट्रैजरार थे या एक्जीक्यूटिव कमेटी के

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैम्बर थे। उन्होंने उस पैसे का भरपूर उपयोग गवर्नमैंट के खिलाफ किया, श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार के खिलाफ किया। कई जगह इलैक्शन्स के दौरान उन्होंने ऐसे पम्फलैट्स और पोस्टर्स निकाले कि हमें सरकार को मदद नहीं करनी चाहिए, सहयोग नहीं करना चाहिए। मैं यहां सदन के सामने श्रीमती इन्दिरा गांधी का एक बयान, जो उन्होंने मृत्यु से कुछ समय पूर्व दिया था, पढ़कर सुनाना चाहता हूं—

[अनुवाद]

"गांधी से सम्बन्धित निकायों के खिलाफ यह आरोप था कि विदेशी स्रोतों से प्राप्त राशि....."

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जयप्रकाश अग्रवाल आप यदि कोई प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। इसमें से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपने इसकी अनुमति नहीं मांगी है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : कोई नुकसान भी तो नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसमें से पढ़ने की अनुमति नहीं ली है।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : यह आरोप नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आरोप तो नहीं है पर वह नाम लेकर बात कह रहे हैं।

श्री जयप्रकाश अग्रवाल : मैं इण्डियन एक्सप्रेस में छपी खबर का जिक्र कर रहा हूं।

"गांधी से सम्बन्धित निकायों के खिलाफ यह आरोप था कि कुएं खोदने तथा उड़ीसा जैसे सूखा-ग्रस्त राज्यों के लिए विदेशी तथा आन्तरिक स्रोतों से प्राप्त राशि का दुरुपयोग किया जाता था। विपक्षी दलों को धैर्य रखना चाहिए तथा यह समझना चाहिए कि कुदाल आयोग किस प्रकार की जांच कर रहा है तथा उसमें अड़चनें नहीं डालनी चाहिए।"

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहूंगा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है।

सबसे पहले तो उन्होंने जो मुद्दा उठाया है उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु मैं यही कहना चाहूंगा कि कभी-कभी इस देश में महत्वपूर्ण पदधारी व्यक्ति की विदेशी बैंकों में कुछ राशि जमा होती है। इसके बारे में भी हवाला दिया गया था तथा समाचार पत्रों में भी इसका जिक्र था। जब उसे उद्धृत किया गया था तो अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि यदि समाचार पत्रों में ऐसा छपा है तो वह उसके लिए जिम्मेदार हैं परन्तु यदि किसी प्रकार का आरोप है तो उपयुक्त नोटिस दिए बिना उसे नहीं उठाया जाना चाहिए तथा यदि आपने उसे अधिप्रमाणित नहीं किया है तो आप उसे नहीं उठा सकते। मुझे तो इसकी कोई फिक्र नहीं है। जयप्रकाश नारायण के खिलाफ भी इस सभा में आरोप लगाए गए थे परन्तु मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि ऐसी मिसाल है।

श्री भागवत झा आजाद : परन्तु इस मिसाल से इसका क्या सम्बन्ध है?

प्रो० मधु दण्डवते : दोनों बिल्कुल एक समान हैं। दोनों में संस्थानों तथा व्यक्तियों का जिक्र है।

श्री भागवत झा आजाद : वह भूतपूर्व प्रधान मन्त्री का वक्तव्य उद्धृत कर रहे हैं। इसमें तो कुछ गलत नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : आप ध्यान नहीं दे रहे हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : मैं पूरा ध्यान दे रहा हूं । उन्होंने कहा है कि श्री राधाकृष्णन सैकड़ों संगठनों, जिसमें गांधी पीस फाउण्डेशन भी शामिल है, के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा त्रिपुमवीर हैं। इसमें गलत क्या है यह सही है ।

प्रो० मधु दण्डवते : इस वक्तव्य में सभी हवाले दे दिए गए हैं। पहले ऐसा नहीं होता था ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, यदि किसी नाम का जिक्र किया गया है तो यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा ।

श्री भागवत झा आजाद : मैं सविनय यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमें इसकी गम्भीरता को समझना चाहिए । यह संगठन बराबर नक्शे आदि बाहर भेज रही है । इसमें जो व्यक्ति शामिल हैं उनके नाम बताए जाने चाहिए इसमें गलत क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि उन्हें कोई नाम लेना है तो उसकी पूर्वानुमति आवश्यक है । अन्यथा इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है । यदि किसी का नाम सामने आया···

(व्यवधान)

यदि श्री भागवत झा आजाद यह कहना चाह रहे हैं कि मैं किसी का बचाव कर रहा हूं तो ऐसा नहीं है ।

श्री भागवत झा आजाद : मैंने ऐसा नहीं कहा ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं तो आपको यह बता रहा हूं कि पहले क्या होता था । यदि किसी का नाम लिया जाना हो तो हमें लिखित रूप में देना पड़ता था तभी यदि किसी दस्तावेज को उद्धृत किया जाता था तो उसे भी पेश किया जाता था उसके बिना ऐसा नहीं होता था । यदि ऐसा किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । मैं भी आपको सहयोग दूंगा ।

श्री भागवत झा आजाद : उन्होंने क्या आपत्तिजनक बात कही है ? हवाला देना उनका अधिकार है ।

प्रो० मधु दण्डवते : उसमें नामों के उल्लेख पर मुझे आपत्ति है ।

उपाध्यक्ष महोदय : नाम लेने की इजाजत नहीं है ।

श्री भागवत झा आजाद : यह तो तथ्यों का विवरण है, इसमें कोई बात गलत नहीं है ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं चाहता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय अपना निर्णय दें ।

श्री के० राममूर्ति (कृष्णगिरि) : महोदय, श्री मधु दण्डवते इस सभा पर तानाशाही करना चाहते हैं । उनका कहना है कि जब भी इस सभा का कोई सदस्य यहां उपस्थित सदस्यों के बारे में कोई आरोप लगाए या कुछ पढ़ना चाहे तो उसे पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी पर बाहर के व्यक्तियों के बारे में कुछ भी कहा जा सकता है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती।

श्री भागवत झा आजाद : आप बताइए किसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी भी प्रकार के आरोप लगाने की मैं अनुमति नहीं दूंगा।

श्री भागवत झा आजाद : * *

यह सब सभा के नियमों के अनुसार है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिए नियम हैं, यदि कोई निन्दात्मक बात.....

(व्यवधान)

श्री भागवत झा आजाद : हम सांसद हैं। संसद के नियम हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम देश का हित नहीं चाहते। अब वह कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आजाद यदि किसी का नाम चाहें वह यहां का सदस्य हो या बाहर का, लिया गया है बिना अनुमति लिए कोई आरोप यदि उसके खिलाफ लगाया जाता है तो मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री भागवत झा आजाद : आपके पीठासीन होने से पहले इस सभा में हजारों बार नाम लिए गए हैं और आगे भी लिए जाते रहेंगे। आप ऐसे ही कुछ नहीं कह सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहें तो मैं नियम पढ़ सकता हूं। नियम में स्पष्टतः कहा गया है कि कोई भी निन्दात्मक आरोप नहीं लगाया जा सकता।

श्री भागवत झा आजाद : निन्दात्मक क्या होता है ? यह निन्दात्मक नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उसको मैं पढ़ लूंगा।

श्री भागवत झा आजाद : आप क्या पढ़ लेंगे।

(व्यवधान)

श्री के० एच० रंगनाथ : मैं दो वर्ष तक कर्नाटक विधान सभा में रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति कुछ उद्धृत करता है वह उसका दायित्व भी लेता है। यह निन्दात्मक कैसे है इसका निश्चय करना आपका काम है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें पूर्व सूचना देनी चाहिए।

श्री भागवत झा आजाद : यह निन्दात्मक कैसे है ?

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं स्पष्ट कह रहा हूं क्योंकि मैं दूसरों को दुखी नहीं करना चाहता।

(व्यवधान)

श्री भागवत झा आजाद : यह निन्दात्मक नहीं है वरन यह तो तथ्य हैं।

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं नहीं चाहता कि मेरे सहयोगीं मुझे गलत समझें ।

श्री भागवत झा आजाद : हम आपको गलत नहीं समझ रहे हैं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : किसी का नाम लेने से मैं खिलाफ नहीं हूं । न ही मैंने यह कहा है कि उन्होंने कोई आरोप लगाया है ।

श्री भागवत झा आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था के प्रश्न पर मैं कह रहा हूं कि ** सैकड़ों संगठनों के अध्यक्ष हैं वह अध्यक्ष हैं या सचिव हैं या कोषाध्यक्ष हैं क्या यह बात निन्दात्मक है। यह बात सही है । आपने जो कहा है उस पर मुझे हैरानी हो रही है ।

प्रो० मधु दण्डवते : श्री आजाद मैं यह कहना चाहता हूं·····

श्री भागवत झा आजाद : आप मुझसे यह क्यों कह रहे हैं ?

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, जो उन्होंने कहा है उसका मैं समर्थन कर रहा हूं । (व्यवधान) मैं फिर कह रहा हूं कि मैं श्री आजाद का समर्थन करता हूं कि नाम व संस्थानों का जिक्र किया जा सकता है परन्तु मैं केवल इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं·····

श्री भागवत झा आजाद : यह केवल राष्ट्र हित में है तथा आपने यह टिप्पणी की है ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मैं केवल यही कह रहा हूं कि नाम व संस्थानों का जिक्र किया जा सकता है । मैं यह मुद्दा नहीं उठा रहा हूं । मैं कह रहा हूं कि यदि किसी व्यक्ति के बारे में कोई आरोप लगाना है तो उन्हें लिखित अनुमति लेकर उसका दायित्व लेना होगा ।

श्री भागवत झा आजाद : मैं भी आपसे पूरी तरह सहमत हूं । परन्तु मैं उपाध्यक्ष महोदय के कथन का जिक्र कर रहा हूं कि इस ए० वी० ए० आर० डी० के मामले में यदि श्री के सैकड़ों संस्थानों से सम्बन्धित हैं तो इसमें निन्दात्मक क्या है ? मैं आपसे सहमत हूं कि यह सही है । परन्तु अब वह असहमत हैं । दुर्भाग्य से आपके व्यवस्था के प्रश्न से उपाध्यक्ष असहमत हैं । आप और हम नियम जानते हैं हम सही कह रहे हैं । परन्तु उपाध्यक्ष महोदय·····

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं ऐसा नहीं कहिए ।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा । उनकी टिप्पणी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं की जायेगी ।

श्री जी० जी० स्वैल (शिलांग) : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं जो कि इस सभा में व्यवस्था बनाए रखने तथा कार्यवाही चालू रखने से है । हम नियम जानते है । हमें मालूम

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

है कि निन्दात्मक तथा 'अभिशंसी' शब्दों का क्या मतलब है। मुझे लगता है हम इन बातों को काफी आगे तक ले जा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री भागवत झा आजाद : आप बीच में क्यों पड़ रहे हैं। उन्होंने उस पर निर्णय दे दिया है। हम आपके बारे में बात नहीं कह रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री स्वैल बोल रहे हैं उन्हें बोलने दीजिए, दूसरों को बहस करने की जरूरत नहीं है।

श्री जी० जी० स्वैल : मुझे अपना कथन समाप्त करने दीजिए। मैं आपसे यह सलाह लेना चाहता हूं कि क्या इस सभा को कालेज या वाद-विवाद सोसाइटी बनाया जा सकता है जिसमें कुछ बातें सैद्धान्तिक रूप से कहनी हैं या कुछ शैक्षणिक रूप से या फिर इस सभा में देश के बारे में विचार-विमर्श किया जाता है। क्या आप देश की घटनाओं को उसमें रहने वाले व्यक्तियों से अलग कर सकते हैं ताकि हम कोई नाम न लें। आप कृपया इस पर अपना निर्णय दें।

श्री भागवत झा आजाद : प्रतिदिन हजारों नाम लिए जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तांत देखूंगा तथा फिर इस पर विचार करूंगा। यदि निन्दात्मक नहीं है तो उसे नहीं निकाला जाएगा।

श्री जी० जी० स्वैल : मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। आप इस पर अपना निर्णय दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तांत देखूंगा। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ निन्दात्मक बात हुई तो उसे निकाल दिया जाएगा।

श्री भागवत झा आजाद : यह अपमानजनक कैसे है। मैं यह जानना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो मैं कार्यवाही वृत्तांत देख कर बताऊंगा।

श्री जी० जी० स्वैल : रिकार्ड देखना एक बात है तथा व्यवस्था के प्रश्न पर निर्णय देना दूसरी बात। यदि आप अभी निर्णय नहीं दे सकते तो कुछ समय बाद सभा में आकर निर्णय दें। मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : महोदय, मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी के वक्तव्य का एक अंश उद्धृत कर रहा था :

> "गांधी से सम्बन्धित निकायों के खिलाफ यह आरोप था कि कुएं खोदने तथा उड़ीसा जैसे सूखाग्रस्त राज्यों के लिए विदेशी तथा आन्तरिक स्रोतों से प्राप्त राशि का दुरुपयोग किया जाता था।"

> "विपक्षी दलों को धैर्य रखना चाहिए तथा उन्होंने कहा कि यह समझना चाहिए कि कुदाल आयोग किस प्रकार की जांच कर रहा है तथा उसमें अड़चनें नहीं डालनी चाहिए।"

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : हिन्दुस्तान में बहुत सारी बाडीज ऐसी थीं, व संस्थायें हैं, जिनको बाहर से पैसा मिला और लाखों रुपये उन लोगों को दिए गए, जिसमें वनवासी सेवा केन्द्र, अवहौड़ा को

42 लाख रुपये मिले, सिटीजन्स वालेन्टरीज ट्रेनिंग सेन्टर, कोहिमा को 76 लाख, महात्मा गांधी सेवा आश्रम, जौरा को 33 लाख, टैगोर सोसाइटी फार रूरल डेवलपमेंट, वेस्ट बंगाल को 89 लाख, श्यामाप्रसाद इंस्टीट्यूट आफ कल्चर, वेस्ट बंगाल को 16 लाख, टी० ए० ग्रामदान संघ, आसाम को 31 लाख, मन्दरा उन्नयन, वेस्ट बंगाल को 38 लाख, निरपद, यू० पी० को 200 लाख और अवार्ड नई दिल्ली को 306 लाख रुपये मिले।

उपाध्यक्ष तहोदय, कोई भी व्यक्ति जो देश में अराजकता फैलाना चाहता हो, तोड़फोड़ करना चाहता हो, देश को नुकसान पहुंचाना चाहता हो, वह देशद्रोही कहलाता है। कौन है देशद्रोही ? एक तो वह जो उस काम को करता है, लेकिन दूसरा वह जो उसकी मदद करता है।

मैं यह बताना चाहता हूं कि 1971 से 1985 तक जो कुछ हुआ, उसके बाद उसके खिलाफ जो इन्क्वायरी बैठाई गई, क्या वजह थी कि 1977-79 के बीच में उस इन्क्वायरी को बन्द कर दिया गया और वह पेपर्स जो इन संस्थाओं से पकड़े गए थे उनको वापिस कर दिया गया ? क्या उस समय की सरकार उसमें शामिल नहीं थी ? क्या उनका उसमें हाथ नहीं था ?

मैं याद दिलान चाहता हूं कि पिछले कुछ साल पहले जो न्यूज पेपर्स में आया था कि ** का सी० आई० ए० के साथ हाथ है।**

उन्होंने उस इन्क्वायरी को बन्द करा दिया। क्या यह महसूस नहीं होता, क्या इस बात से यह साबित नहीं होता कि यह दोनों चीजें एक थीं और इन लोगों का संरक्षण था, हाथ था और चाहते थे कि देश में तोड़फोड़ हो ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अग्रवाल आपने सी० आई० ए० के साथ सम्बन्धों का जिक्र किया था।

(व्यवधान)

श्री जयप्रकाश अग्रवाल : समाचार-पत्र में यह छपा था यह सबको मालूम है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी इजाजत नहीं देता यह कोई तरीका नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : कांग्रेसी नेताओं सहित सभी नेताओं ने कहा है कि ** के खिलाफ लगाए गए आरोप का विरोध कर रहे हैं यह स्पष्ट हो जाना चाहिए।

श्री भगवत झा आजाद : उन्होंने यह नहीं कहा कि ** सी० आई० ए० के एजेंट हैं। बात को समझिए। उन्होंने कहा कि ऐसा उन दिनों छपा था। किसी ने ऐसा कहा था तथा इसे छाप दिया गया गया तथा यह सभा के कार्यकारी वृत्तांत में शामिल है। हमने कभी ** को सी० आई० ए० एजेंट नहीं कहा। वह प्रधान मंत्री ने तथा बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हमने यही कहा है कि यह समाचार-पत्रों में छपा था। केवल हवाला दिया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि यह कुदाल आयोग, जब सरकार सत्ता में आई तो कुछ घटनायें घटीं परन्तु हुआ यही था कि ए० वी० आर० डी० के कागजात वापस आयोग को भेज दिए गए थे। ऐसा क्यों हुआ ? कोई भी इसे जानना चाहेगा। उन्होंने या हमने यह नहीं कहा कि वह सी० आई० ए० के एजेंट हैं। परन्तु अखबारों में ऐसा छपा था यह सच है। हम केवल उसे उद्धृत कर रहे हैं।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, इसका मतलब हुआ·····

श्री भागवत झा आजाद : **

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आरोप लगाए जाने के लिए दो समाचार का हवाला नहीं दिया जा सकता।

श्री भागवत झा आजाद : ** आप सभा के नियमों के अनुसार चलिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे मत दिखाइए। आप बहुत ज्यादा बहस कर रहे हैं।

श्री भागवत झा आजाद : आपको सुनना पड़ेगा। आप ** नियमों से बद्ध हैं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : यदि कोई समाचार-पत्र कहे·····

(व्यवधान)

श्री भागवत झा आजाद : शून्य काल के दौरान प्रो० मधु दण्डवते समाचार-पत्र का हवाला देते हैं न कि अपनी व्यक्तिगत जानकारी का। हम उन्हें रोज देखते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं किसी बात का कहीं से कभी भी हवाला नहीं देता·····

श्री भागवत झा आजाद : जब शून्यकाल में आप बोलते हैं तो कहते हैं समाचार-पत्र की खबर है—न कि आपकी अपनी खबर।

प्रो० मधु दण्डवते : वह अलग बात है। मैं विदेशी एजेन्सी के बारे में कह रहा हूं। यदि यह कहा जाए कि मुख्य मन्त्री को कोई वक्तव्य दिए जाने की सूचना मिलती है, वह बिल्कुल अलग बात है। किन्तु यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि "मैंने खबर पढ़ी है कि ** सी० आई० ए० एजेन्ट अथवा कोई अन्य एजेन्ट है·····

श्री भागवत झा आजाद : मुझे पता है कि जनता सरकार के समय में ए० बी० ए० आर० डी० (एवार्ड) के अभिलेख उन्हें वापस कर दिए गए थे। किन्तु यदि सरकार ऐसा करती है, तो आप क्या कर सकते हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : आपको मुझे दोष देने की जरूरत नहीं है। यह मैंने नहीं किया।

श्री भागवत झा आजाद : बिल्कुल नहीं।

प्रो० मधु दण्डवते : जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं वह यह है कि यदि आप समाचार-पत्र में ऐसी कोई खबर पढ़ते हैं कि "अमुक प्रधान मन्त्री अथवा वर्तमान प्रधान मन्त्री के जी० बी० एजेंट हैं अथवा कोई अन्य एजेंट हैं तो यह मेरा मत नहीं है, लेकिन समाचार-पत्र ने बताया है कि अमुक मंत्री अथवा गृह मन्त्री के जी०बी० के एजेंट हैं," तो क्या मैं इससे इनकार कर सकता हूं ? यही सब मैं कह रहा हूं।

श्री भागवत झा आजाद : मुझे प्रसन्नता है कि आप हर बार नरम पड़ जाते हैं।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने शुरू से यही कहा है। आप देख सकते हैं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : उसमें यही है। मुझे याद है, मैंने यह कहा है। मैंने कहा है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरी बात कार्य-वृत्तांत में शामिल की गई है। मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री भागवत झा आजाद : आप इस पर आपत्ति कैसे कर सकते हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने सिर्फ यही कहा है कि यदि वे आगे के वक्तव्य में कोई आरोप लगाते हैं केवल तभी मैं इसका विरोध करूंगा। मेरी बात रिकार्ड की गई है। मैंने अभी तक यही कहा है कि मैंने आपत्ति नहीं की है। मेरी बात कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल है।

श्री भागवत झा आजाद : आपके और मेरे बीच कोई समस्या नहीं है। हम यह कैसे कह सकते हैं कि हमारी कोई अन्य समस्या है।

[हिन्दी]

श्री जयप्रकाश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, वह संस्थायें जिनको वह रुपया मिल रहा था, जिनका काम था गांधी जी के कार्यों को जनता तक बताना, वहां पर किस तरह उनकी लाइब्रेरी में किताबें रखी गईं। उससे यह साबित होता था कि गांधी जी एक बहुत छोटे से व्यक्ति थे और नाथूराम गौडसे एक बहुत बड़ा आदमी था। उसने ठीक तरह गांधी जी को मारा। मैं इसमें हाई कोर्ट के जस्टिस एस० मोहन के जो रिमार्क्स हैं, वह पढ़कर सुनाना चाहता हूं—

[अनुवाद]

"यदि वास्तव में यह लाइब्रेरी महात्मा गांधी के आदर्शों का प्रचार करने के लिए स्थापित की गई है, तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि लाइब्रेरी गोपाल गौड़से की पुस्तक कैसे रख दी गई है, जिसमें निश्चित तौर पर राष्ट्रीयता की हर तरह से निन्दा की गई है ? पाठक को महात्मा गांधी के प्रति, जिन्होंने कि पददलितों के उत्थान के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, देश को एकता के लिए निरन्तर कार्य किया, अच्छी धारणा नहीं होगी।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि जब उन लोगों का और उन संस्थाओं का पता लगा तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। उनके पासपोर्ट जब्त क्यों नहीं किये गये ? उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्यवाहियां क्यों नहीं चालू की गईं और अगर हम इस तरह लोगों को खुला छोड़ देंगे अपने देश में तोड़फोड़ करने के लिए तो हम अपनी आजादी की रक्षा नहीं कर सकते। जिन लोगों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी कुर्बानियां दीं, अपने सीने पर गोलियां खायीं, लाठी खायीं, जेलों में गये जिन्होंने फांसी के फन्दे में अपना सिर दे दिया और दूसरे वह सैनिक जिन्होंने इस देश की आजादी की रक्षा करने के लिए अपना खून बहाया, उस आजादी की रक्षा हम नहीं कर सकेंगे अगर इस तरह कुछ पोलिटिकल पार्टियां ऐसे लोगों को संरक्षण देती रहेंगी।...**(व्यवधान)**...

मेरे दो सवाल हैं।

[अनुवाद]

ये मेरे सवाल हैं। क्या यह सच है कि ग्रामीण विकास सम्बन्धी स्वयंसेवी अभिकरण संघ और उससे निकट सम्बन्ध रखने वाले संगठनों से जब्त किए गए नक्शों और दस्तावेज 1977-78 के दौरान तत्कालीन सरकार द्वारा संगठनों को वापिस कर दिए गए थे और उन अभियुक्तों को सजा क्यों नहीं दी गई जिन्होंने कि राज्य की सुरक्षा के प्रति कपटपूर्ण कार्य किया था।

दूसरे सरकार ने दस्तावेजों की तलाशी और जब्त करने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए और इन संगठनों के उन पदाधिकारियों के पासपोर्ट जब्त क्यों नहीं किए गए हैं जो कि इस प्रकार के राष्ट्र विरोधी अपराध से सम्बद्ध हैं। और सरकार उनके विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है ?

श्री एस० बी० चव्हाण : उस जानकारी के बारे में, जो माननीय सदस्य ने सभा को दी है, ग्रामीण विकास सम्बन्धी स्वयंसेवी अभिकरण संघ के खिलाफ लगाए गए ये आरोप वास्तव में अत्यन्त चिन्ताजनक हैं। किन्तु मेरे लिए इस पर तत्काल कुछ कहना कठिन होगा कि ये कागजात 1977-78 के दौरान वापिस कर दिए गए थे क्योंकि जो मामला हमारे ध्यान में लाया गया है वह ध्यानाकर्षण सूचना के रूप में है और यह केवल प्रतिबन्धित क्षेत्रों के कतिपय नक्शों के प्रकाशन और उनके देश से बाहर परिचालित किए जाने के बारे में भी है। यह इस ध्यानाकर्षण सूचना की विषय-सामग्री है। जहां तक मुझे जानकारी है ये वही आरोप हैं जो कि कुदाल आयोग द्वारा जांच कराए जाने वाली विषय-सामग्री है और जब तक वे निश्चित निर्णय पर नहीं पहुंचते हैं तब तक सरकार को किसी के भी विरुद्ध कार्यवाही करना अत्यन्त कठिन होगा। किन्तु इस जांच के कुछ पहलू हैं; यदि सरकार स्वयं कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध कतिपय जांच करना चाहती है और यदि वे शासकीय गुप्त बात अधिनियम के उपबन्धों और नक्शों के बारे में प्रतिबन्धित नीति, जिसको रक्षा मंत्रालय अपना रहा है, के उल्लंघन किए जाने के लिए प्रत्यक्षतः उत्तरदायी पाए जाते हैं तो हम निश्चित तौर पर सभी सम्बन्धित अधिकारियों से परामर्श करना चाहेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो कार्यवाही आरम्भ करेंगे।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : क्या कारण है कि सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है ? ऐसा दिखाई देता है जैसे कोई व्यक्ति हर समय सोता रहता है।

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने बयान में और इसके कई सवालों के जवाब में यह कहा है कि जो व्यक्ति या संगठन राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों के अन्तर्गत पाया जाएगा उसके साथ कानून के उपबन्धों के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा। उसी बयान में मंत्री जी ने कहा है कि इन प्रकाशनों में प्रकाशित मानचित्रों की प्रकृति और महत्व को निश्चित करने के लिए आयोग ने इस मामले में भारतीय सर्वेक्षण और रक्षा मंत्रालय के विचार और सलाह प्राप्त की। भारतीय सर्वेक्षण ने विचार प्रकट किया है कि इसमें कुछ मानचित्र प्रतिबन्धित क्षेत्रों के हैं, इसलिए भारतीय महा-सर्वेक्षक के कार्यालय और रक्षा मंत्रालय दोनों की स्वीकृति की जरूरत थी। तो पहले तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस फैक्ट के बाद क्या आफिशियल सीक्रेट ऐक्ट का सेक्शन 3 और सेक्शन 5 वायलेट नहीं होता है ? अगर वायलेट होता है तो स्युओ मोटो कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? कमीशन की बात को भारत के रक्षा मंत्रालय से और सर्वे-विभाग से पूछा गया। उन्होंने डैफिनिट राय दी कि उसमें प्राहिबिटेड एरियाज हैं जिनके नक्शे बनाने के

लिए परमिशन लेने की जरूरत थी। वह जरूरत नहीं ली गई। इसमें सुओ-मोटो सरकार द्वारा कार्यवाही किए जाने में क्या परेशानी है, क्यों कार्यवाही नहीं हो सकी है ?

उपाध्यक्ष जी, यह मामला सिर्फ कुदाल कमीशन के जरिए नोटिस देने से सामने नहीं आया है। जैसा कि हमारे पूर्ववक्ता माननीय श्री इन्द्रजीत गुप्ता जी ने भी कहा, यह मामला जो वर्षों से चल रहा है। पांचवीं लोक सभा में भी यह मामला उठाया गया था। उस समय के सदस्य श्री शशि भूषण जी ने इस मामले को उठाया था। उस पर जांच भी हुई और यह मामला इनफार्मेशन ब्यूरो और सी० बी० आई० को दिया गया। इसके कुछ नक्शे भी पकड़े गए, कुछ छापे भी पड़े। क्या मन्त्री जी बताएंगे कि मेरी जानकारी सही है या गलत है ?

दूसरी बात सन् 1977 में भी शाह कमीशन के सामने यह मामला आया था। उसमें भी शाह कमीशन द्वारा श्री शशि भूषण को गवाही के लिए बुलाया गया था। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात यह थी कि उस समय की सरकार देश की व्यापक सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए कोई कार्यवाही करती, बल्कि पांचवीं लोक सभा में जो मामला उठाया गया था और जिस पर कार्यवाही भी चल रही थी, नक्शे भी पकड़े गए थे, जांच भी हो रही थी, वह सारी कार्यवाही उस समय की जनता पार्टी की सरकार ने बन्द कर दी। सारी कार्यवाही ही बन्द नहीं की, सारे नक्शे भी उन संस्थाओं को वापिस कर दिए। जो नक्शा उन्होंने बनाया था, वे सारे के सारे नक्शे इन्होंने उनको वापिस कर दिए गए। इस प्रकार से भारत की सुरक्षा के मामले में एक गम्भीर रूप से ढिलाई बरती गई और इसको नजर-अन्दाज कर दिया गया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जो बातें मैंने कही हैं—उस पर जांच हो रही थी, सरकार ने कुछ कार्यवाही की थी, नक्शे भी पकड़ लिए थे, उसके बाद जनता पार्टी की सरकार ने उनको वापिस कर दिए—क्या यह सही है ? इसके बाद कुदाल कमीशन बैठा। कुदाल कमीशन अपनी जांच कर रहा है, लेकिन हमको उससे लेना-देना कुछ नहीं है। उस जांच के बारे में मैं कुछ नहीं करना चाहता हूं। जांच में बहुत-सी बातें हैं, सिर्फ यह नक्शे का ही मामला नहीं है। सारे देश में बहुत से लोगों को इस बात पर शक है कि एबार्ड और गांधी पीस फाउन्डेशन या उससे सम्बन्धित जो संस्थाएं हैं, वे सी० आई० ए० की एजेन्ट हैं। दूसरे देशों, जो भारत के विरोधी देश हैं, उनके लिए ये एजेन्ट का काम करती हैं। सीधे नहीं, बल्कि संस्थाओं के जरिए, कुछ अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाए हैं, एशियन फाउन्डेशन का जिक्र किया गया है, इनके जरिए उनको पैसा मिलता है और उनके पब्लिकेशन्स खरीदते हैं। हमारे देश के लोगों में यह शंका बहुत दिनों से व्याप्त है। इस मामले में बहुत-सी चीजें हैं, फण्ड का दुरुपयोग है, रुपये-पैसे का दुरुपयोग है, बड़े-बड़े लोग उसमें इन्वाल्व हैं और कई प्रकार की जांच हो रही है। इस बारे में मैं कुछ नहीं करना चाहता हूं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यह हमारे देश की सुरक्षा का मामला है। बार्डर एरियाज, कोस्टल एरियाज, जहां के नक्शे लेना या देना, फोटोग्राफी या सर्वे करना सख्त मना है, उन जगहों के नक्शे लिए गए हैं और बाहर भेजे गए हैं। उपाध्यक्ष जी, मेरे समझ में एक बात नहीं आती कि यह ग्रामीण विकास के मामले में एबार्ड और दूसरी संस्थाओं ने बोर्डर एरिया और कोस्टल एरिया को ही क्यों चुना है ? उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के पिछड़े ग्रामीण अंचलों को नहीं चुना, देश के अन्दर ऐसे बहुत से पिछड़े ग्रामीण अंचल हैं जिनको चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने कोस्टल एरियाज को चुना, समुद्र से जो हमारी सीमा लगती है उसको चुना, बर्मा से जो हमारी सीमा लगती है उसको चुना, चीन से जो सीमा लगती है उसको चुना। केवल ऐसे ही स्थानों को चुनने का क्या कारण है ? यहीं से शक पैदा होता है कि इसमें कोई साजिश थी। हमारे अग्रवाल जी सही कह रहे थे कि ऐसे बहुत-से लोग हैं जिनको इस बात का शक है कि 1974-75 में देश में जो स्थिति पैदा हुई थी, जो

अराजकता का वातावरण पैदा हुआ था, जिसने देश में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों को जन्म दिया था, उन सबके पीछे इन्हीं संस्थाओं का हाथ था। उस समय गांधी पीस फाउन्डेशन के वालंटीयर्स गुजरात और बिहार में अराजकता का वातावरण फैलाया करते थे, सरकार के खिलाफ नफरत का वातावरण फैलाया करते थे। ये सारी कार्यवाहियां बहुत सोचे और समझे ढंग से हो रही थीं। उसके बाद जब 1977 में उनके खिलाफ एन्क्वायरी बन्द हुई, वे नक्शे वापस किये गये तो ऐसा लगता है कि जनता पार्टी ने पीछे किये गये उनके कामों का इनाम दिया। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी को सत्ता में लाने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं संस्थाओं का था। मैं जयप्रकाश नारायण जी के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं। उनकी नीयत पर मैं कोई शक भी नहीं करता हूं, लेकिन उनके पर्दे के पीछे ये कार्यवाहियां हो रही थीं। जयप्रकाश जी का नाम ये संस्थाएं बेच रही थीं इसमें कोई दो रायें नहीं हैं। गांधी पीस फाउन्डेशन के नाम से ये महात्मा गांधी का नाम बेच रही थीं। इनके म्यूजियम की लाइब्रेरी में आज भी गोडसे की किताब रखी हुई है। मधु दण्डवते साहब, नाथूराम गोडसे की किताब उनकी लाइब्रेरी में आज भी रखी हुई है। यदि आप इसको एप्रीशियेट करते हैं, तब तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं—हिटलर के फासिज्म के साथ हमारा सौ फीसदी मतभेद है, लेकिन उसकी किताब आज पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में रखी हुई है—क्या इसका यह मतलब है कि हम उसको सपोर्ट करते हैं ?

श्री जैनुल बशर : हिटलर ने गांधी जी को गोली नहीं मारी थी। अंग्रेजों से हमारा विरोध था, लेकिन उन्होंने बरबरतापूर्वक या कायरतापूर्वक गांधी जी को गोली नहीं मारी थी। नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी। उसके पीछे जो आइडियालौजी थी, जो सिद्धान्त था उसने गोली मारी थी उसके बावजूद भी वह चीज वहां रखी हुई है—आप इसको एप्रीशिएट करें तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन इस प्रकार की गतिविधियां इन संस्थाओं की रही हैं और आपको थैंकफुल होना चाहिए, उनकी वजह से आप सत्ता में आये, उनकी वजह से आप मिनिस्टर बने।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं पांच मर्तबा चुनकर लोक सभा में आया हूं, किसी की कृपा से नहीं आया हूं, जनता की सेवा करके आया हूं।

श्री जैनुल बशर : भगवान करे आप दस मर्तबा चुनकर आयें, उससे मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन उस वक्त इन लोगों की वजह से आपकी सरकार बनी थी वरना जिन्दगी भर आने वाली नहीं थी। एक बार आपकी सरकार आ गई, लेकिन अब दोबारा कभी आने वाली नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : वह तो आपकी वजह से आई, एमरजेन्सी की वजह से आई, वर्ना जिंदगी भर न आते। उस वक्त तो आपकी वजह से बैठे थे।

श्री जैनुल बशर : हमारे गृह मंत्री जी आज जैसा बयान दे रहे हैं, अगर ऐसा ही बयान देंगे तो फिर उनकी सरकार आ सकती है। उन्होंने फिर वही काम शुरू कर दिया है। गुजरात में जो हो रहा है उसकी जांच की जानी चाहिए। महाराष्ट्र में शिव सेना जो काम कर रही है, उसके पीछे इन्हीं संस्थाओं का हाथ है, इनके रिसोर्सेज हैं, इनके वालंटीयर्स हैं, इनके सब साधन लगे हुए हैं और ये लोग फिर से वही परिस्थिति पैदा करना चाहते हैं, 1974-75 के वातावरण को फिर से वापस लाना चाहते हैं। इस पर आपको ध्यान देना होगा और अगर नहीं देंगे तो शायद मधु दण्डवते जी

1.00 म० प०

फिर उसी जगह पर वापस आ जाएंगे, जहां पर आज आप बैठे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इनकी गतिविधियां बहुत ही खतरनाक हैं। कुडाल कमीशन इसकी जांच कर रहा है। वह जब रिपोर्ट देगा, उसके बाद आप कार्यवाही करेंगे, तो फिर आप कार्यवाही कभी नहीं कर सकेंगे। मैं नहीं कहता कि दूसरी बातों के लिए आप कार्यवाही कीजिए लेकिन इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं, जो प्रोहीबीटेड एरियाज हैं और जिन पर रोक लगी हुई है, बंदिश लगी हुई है, उन जगहों के जो नक्शे छापे गये, उसके लिए कार्यवाही करने के लिए गवर्नमेंट को कौन-सी चीज रोक रही है, कौन-सी बात रोक रही है। मैं तो चाहूंगा कि मंत्री जी इस पर सख्त कार्यवाही करें। मैं यह नहीं कहता कि मंत्री जी यह कहें कि हम अभी कार्यवाही करने जा रहे हैं लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि इस पर सख्ती के साथ, राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए, देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, कार्यवाही करें।

इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मैंने बीच में जो बहुत से सवाल उठाए हैं, मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी उनका जवाब देंगे।

श्री एस० बी० चव्हाण : उपाध्यक्ष महोदय, जो बातें अभी माननीय सदस्य ने कही हैं, उनमें काफी हद तक सच्चाई है कि देश के अन्दर कुछ ऐसे तत्व काम कर रहे हैं, जो देश में गड़बड़ पैदा करना चाहते हैं। ये जो सारे इंसीडेंट्स हुए हैं, इनके पीछे कोई लिंक है या नहीं, इसके बारे में आज तो मेरे पास कोई जानकारी नहीं है लेकिन इससे शक पैदा होता है कि अलग-अलग जगहों पर कुछ लोग इसमें ज्यादा इन्ट्रेस्टेड दीखते हैं कि इस देश में डीस्टेबीलाइजेशन हो और अलग-अलग इंसीडेंट्स में वे लोग अपने ढंग से काम किये जा रहे हैं।

यह भी सच है कि जो इंक्वायरी हो रही थी, उसको 1977 में उन्होंने बन्द कर दिया लेकिन नक्शे जो उनके पास थे और जो लिए गये थे, वे उनको वापस दे दिये गये थे या नहीं, इसके बारे में कोई आथेंटिक इंफार्मेशन हमारे पास उपलब्ध नहीं है और मैं इसकी तरफ खास तौर से ध्यान देने के लिए तैयार हूं। अगर यह बात सच है कि जो सारा मैटीरियल गवर्नमेंट के कब्जे में आया हुआ था और इंक्वायरी बन्द करते ही, वह सारा मेटीरियल उनको वापस दे दिया गया, तो उसकी तह में जाना होगा और कौन-कौन इसके अन्दर शामिल हैं, जिन्होंने इस काम में हिस्सा लिया, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा सकती है, इसको हम देखेंगे लेकिन केसेज शुरू करने के बारे में जो कहा गया तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शुरू करने के लिए जो मवाद चाहिए, जब तक वह मवाद उपलब्ध नहीं हो जाता, उस वक्त तक कोई भी केस कोर्ट के अन्दर ले जाना ठीक नहीं होगा। शुरू में मैंने यह बात कही थी कि दो, तीन एजेन्सियों के साथ हम बात कर रहे हैं और अगर हमको लगता है कि कोई प्राइमा फैसी केस है, तो हम देखेंगे। जैसा कि कुडाल कमीशन ने कहा है कि इसके अन्दर आफिशियल सीक्रेसी ऐक्ट का वायलेशन दीखता है लेकिन उनको मौका देना होगा कि उनको क्या कहना है। शो-काज-नोटिस उनको दिया गया है। उनका जवाब देखेंगे और जवाब देखने के बाद अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि इसके अन्दर प्राइमा फैसी केस है और उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू करने जैसी स्टेज आ गई है, तो मैं हाऊस को यकीन दिलाना चाहता हूं कि इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।

[अनुवाद]

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : जैसा कि हमारे गृह मंत्री ने बताया है, सरकार भी इस बात को समझती है कि हमारे देश में ये विभिन्न एजेंसियां ऐसे कार्य कर रही हैं जिनसे हमारी

सम्पूर्ण सुरक्षा को खतरा हो रहा है। जैसा कि बशर साहब ने अभी-अभी बताया है कि सरकार ने बहुत ही अधिक समय ले लिया है। यह मामला 1975 के बाद का है और अब 1985 चल रहा है। श्री बशर साहब की शिकायत सही है। जनता पार्टी सरकार ने इस मामले पर कार्यवाही नहीं की, उन्होंने इसे वापस ले लिया। हमारे गृह मंत्री को यह पता नहीं है कि आवश्यक सामग्री (जिसे सरकार ने मामला शुरू करने के लिए जब्त किया था) उन अधिकारियों को लौटा दी गई थी, जिनके विरुद्ध मामले शुरू तो किए गए थे लेकिन बाद में उन मामलों को छोड़ दिया गया। निस्संदेह हमारे देश पर दबाव है। हम घिर गए हैं। कल ही राज्य सभा में इस बात पर चर्चा हुई कि हमारे अपने ही कुछ वैज्ञानिक व जनता सरकार के समय में वैज्ञानिक नहीं थे, किन्तु वे इस सरकार के वैज्ञानिक हैं—जो रक्षा विभाग में राडार प्रणाली सम्बन्धी कार्य कर रहे थे, छोड़कर चले गए हैं और वे संयुक्त राज्य अमरीका चले गए हैं तथा हमारी समस्त रक्षा सामग्री और रक्षा-नक्शे और अन्य आंकड़े जो हमने तैयार किए थे और इस क्षेत्र में हमने जो कुछ भी तैयार किया है और प्राप्त किया है वह तमाम वस्तुएं अमेरिका को दे दी गई हैं। जब श्री वेंकटरमण तत्कालीन रक्षा मंत्री थे, उन्होंने सभा में कहा था कि वे उन वैज्ञानिकों को वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। किन्तु वे असफल रहे। अतः, मुझे चिन्ता इस बात की है कि वस्तुतः विदेश की अधिकांश एजेन्सियां हमारे मामलों में अत्यधिक रुचि ले रही हैं। यह सचाई आपकी जानकारी में लाई गई है और पिछली सरकार की जानकारी में भी लाई गई है। मैं जनता सरकार की सफलता और कार्यकलापों के बारे में कोई चर्चा नहीं करता। किन्तु सचाई यह है कि उन्होंने मामले वापस नहीं लिए थे। उन्हें मामलों पर कार्यवाही करनी चाहिए थी। कुदाल आयोग का गठन 1982 में हो गया था और अब 1985 है और यह सरकार 1980 में सत्ता में आ गई थी और इस सरकार ने इस आयोग के गठन में दो वर्ष का समय लिया और तब से आयोग का गठन हुए तीन वर्ष बीत चुके हैं। इसलिए, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले में यथाशीघ्र जांच की जाएगी ताकि उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जा सके। कुदाल आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। मैं जानना चाहता हूं कि उस रिपोर्ट के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है। वह उनके विरुद्ध मामलों के सम्बन्ध में स्वतः कार्रवाई करने के लिए सहमत नहीं हुई है। वह सहमत नहीं है, मुझे यह मालूम नहीं कि ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में इतना विलम्ब क्यों हुआ है। जहां तक रक्षा का सम्बन्ध है, इस बारे में हर एक ने चिन्ता प्रकट की है। मुझे नहीं पता कि उनका सम्बन्ध है अथवा नहीं, परन्तु देश की रक्षा के सम्बन्ध में हर एक ने चिन्ता प्रकट की है। मेरा सुझाव है कि घटना के पीछे बहुत प्रभावशाली, महत्वपूर्ण और साधन सम्पन्न व्यक्ति होने चाहिए ताकि वे सरकार के दबाव से स्वयं को दूर रखने में समर्थ हों।

महोदय, जब श्रमिक आंदोलनों का प्रश्न आता है तो सरकार कठोर कार्रवाई करती है। जब अपनी मांगें मनवाने के लिए किसान आंदोलन करते हैं तो सरकार कार्रवाई करती है। महोदय, अब मैं प्रकाशकों और स्थान के बारे में जानना चाहता हूं जहां पुस्तकें छपती हैं। मैं लेखकों के नाम जानना नहीं चाहता। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि ये सामग्री कहां छपती है और क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी है। मुद्रित नक्शों की संख्या क्या थी और अब वे नक्शे कहां हैं?

एक माननीय सदस्य : वे विदेश में हैं।

श्री नारायण चौबे : हां, वे विदेश में हैं। अब ऐसा मामला है, तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार मुद्रणालय और उन व्यक्तियों के विरुद्ध जोकि बहुत प्रभावशाली है, तत्काल कार्रवाई

शुरू कर सकती है। मुझे यकीन है कि जब देश की सुरक्षा का प्रश्न आता है तो वे इतने महत्वपूर्ण नहीं रह जाते।

श्री एस० बी० चव्हाण : एक पुस्तक भारत में भूपेन्द्र सागर प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली में छपी थी। दूसरी पुस्तक जो नागालैण्ड के चुनींदा ब्लाकों में ग्रामीण विकास योजना पर है, सागर प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स 1880, उदय चन्द मार्ग, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली स्थित भूपेन्द्र सागर द्वारा मुद्रित है। अतः उनमें से दोनों ही नई दिल्ली में छपी हैं। ये वही मुद्रक हैं जिन्होंने प्रकाशित की हैं और यह बात कुदाल आयोग की जानकारी में 1984 में ही आयी। कुदाल आयोग की जानकारी में आने के बाद आयोग ने इसे भारत के महा सर्वेक्षक और मंत्रालय को भेज दिया तथा नवम्बर, 1984 में उत्तर प्राप्त हुआ। आयोग को उत्तर भेज दिए जाने के पश्चात्, कुदाल आयोग ने मामला गुप्तचर विभाग को भेज दिया और अब वह सरकार के पास है; गुप्तचर विभाग, केन्द्रीय सतर्कता ब्यूरो और अन्य एजेन्सियां मामले पर विचार-विमर्श करने जा रहे हैं। यदि हम कुदाल आयोग द्वारा जारी जांच अधिनियम की धारा 8ख के तहत रिपोर्ट प्राप्त हो जाने और कारण बताओ नोटिस के बारे में स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, कि सम्बन्धित पार्टियों में से कुछ के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए प्रत्यक्ष मामला है, तो मैं आपको यह निश्चित विश्वास दिला सकता हूं कि इस मामले में चाहे कितने भी प्रभावशाली व्यक्ति शामिल हों, यदि यह कानून के अन्तर्गत आता है तो सरकार अत्यन्त कठोर कार्रवाई करेगी।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं क्षमा चाहती हूं, जब मुझे पुकारा गया था तब मैं यहां नहीं थी क्योंकि मुझे प्रधान मंत्री से मुलाकात करनी थी।

चूंकि अधिकांश प्रश्न पहले ही उठाए जा चुके हैं, इसलिए मैं केवल उन्हीं के सम्बन्ध में चर्चा नहीं करूंगी; मैं अन्य प्रश्नों पर चर्चा करूंगी।

सबसे पहले मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि इनमें से अनेक लोग इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कुदाल आयोग को सहयोग न दिया जाए। अन्य बातों के अलावा, एम्नेस्टी इंटरनेशनल के भारतीय प्रभाग में इस पर खूब वाद-विवाद हो चुका है। एम्नेस्टी इन्टरनेशनल के भारतीय प्रभाग पर अब एवार्ड के लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है तथा जिनका इस प्रश्न पर समान मत नहीं था, उनको वस्तुतः बाहर निकाल दिया गया है। क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है? मैं यह भी जानना चाहती हूं कि क्या यह सच है कि एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने, जिसके सी० आई० ए० के साथ भी घनिष्ठ सम्बन्ध प्रतीत होते हैं, 1983 में अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भारत के अनधिकृत नक्शे प्रकाशित किए थे, जिस पर सीमा शुल्क विभाग ने इस बात को दर्शाते हुए एक मोहर लगा दी थी कि नक्शे में चित्रित भारत की बाहरी सीमाएं न तो सही ही हैं और न ही प्रमाणिक हैं। इसके अलावा 1984 की एम्नेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट में वही नक्शे फिर छपे हैं। इस नक्शे में कश्मीर के भारतीय भू-भाग के खण्ड को पाकिस्तान और चीन को दे दिया गया है। क्या यह देश के भूमि सम्बन्धी कानून का उल्लंघन नहीं है? दूसरे, मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध न केवल जर्मन संगठन के साथ हैं, जिसका उल्लेख भी किया गया है, बल्कि इसके बहुत घनिष्ठ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध हैं और इस नक्शे में न केवल आपके उत्तर में बताई गई समस्त बातें हैं, बल्कि बहुत-सी अन्य बातें भी हैं। क्या कुदाल आयोग ने इसकी जांच की है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी स्वतः जांच करने जा रही है? इसके अतिरिक्त, क्या सरकार को यह मालूम है कि इंग्लैंड के

कुछ सिख छात्र संगठन की ओर से एम्नेस्टी इंटरनेशनल से सतवन्त सिंह की मदद के लिए अनुरोध किया गया है जिस पर हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री की हत्या का आरोप है ताकि उसका बचाव किया जा सके। वे तो निरंकारी बाबा की हत्या करने वाले व्यक्ति का भी बचाव करना चाहते हैं। वे इस एम्नेस्टी इंटरनेशनल से मदद प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं तथा इस बात का पता कर रहे हैं कि क्या इन लोगों को बचाया जा सकता है। मेरे विचार में केवल यही बातें नहीं हैं। एवार्ड के लोगों ने एम्नेस्टी इंटरनेशनल के भारतीय प्रभाग पर कब्जा कर लिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस समस्या से अवगत है और यदि हां, तो सी० आई० ए० प्रेरित इस प्रकार के संगठनों पर रोक लगाने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है जो हमारे नक्शों के साथ मनमानी कर रहे हैं। सरकार सम्पर्क को जोड़ते तथा इस मामले में सख्त कार्रवाई करने के लिए क्या कर रही है?

श्री एस० बी० चव्हाण : भारत के एक नक्शे के बारे में, जो प्रामाणिक नहीं है किन्तु जो एम्नेस्टी इंटरनेशनल के कुछ संगठनों द्वारा प्रकाशित किया गया है, उसके बारे में माननीय सदस्य ने, जो कुछ अभी कहा है उसके सम्बन्ध में तत्काल कुछ कहना मेरे लिए कठिन है। निश्चित रूप से, मैं इस मामले की जांच करूंगा। मामले के सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा क्या-क्या जांच की गई है अथवा मामला किस स्तर पर है, इस सम्बन्ध में, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता।

दूसरे पहलू के सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक सच्चाई है कि कुदाल आयोग द्वारा कुछ लोगों को नोटिस भेजे गए थे जिसमें अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया। किन्तु वे आयोग के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके विपरीत सरकार को यह पता लगा है कि अधिकांश मामलों में कुछ सम्बद्ध पार्टियों ने या तो उच्च न्यायालय में अथवा सर्वोच्च न्यायायय में रिट याचिकाएं दायर कर दी हैं और कुछ मामलों में स्थगन आदेश प्राप्त करने में भी वे सफल हो गए हैं। यही कारण है कि आदेशों में विलम्ब हो रहा है और बहुत-से मामलों में हम आगे कार्रवाई नहीं कर सकते, केवल इस कारण क्योंकि उनमें या तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अथवा उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी कर दिया गया है। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि यह उच्च न्यायालय है अथवा सर्वोच्च न्यायालय किन्तु न्यायालय का आदेश है जिसके कारण कार्यवाही रुक गई है। यही कारण है कि कुदाल आयोग ने भी काफी समय ले लिया है। ये ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनके बारे में हम नहीं चाहते कि हम लोगों को फांस सकें और उनके विरुद्ध आसानी से मामला दर्ज कर सकें। किन्तु समस्त बातें पूरी हो जाने के बाद और जैसाकि मैंने पहले कहा है, यदि हम यह देखते हैं कि जो लोग इस प्रकार की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगे हैं, उन्हें चार्ज शीट करने के लिए पर्याप्त सबूत मिल जाते हैं, तो हम कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे।

श्रीमती गीता मुखर्जी : आपने यहां जो कुछ भी कहा है, उससे सम्भवतः हर एक को यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई बात वास्तव में सिद्ध हो गई है। आपने कहा : यह प्रथमदृष्टया सिद्ध हो गया है।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैंने किसी विशेष नक्शे के बारे में कहा है न कि अन्य मामलों के बारे में। मैंने जो कहा है उसका सम्बन्ध केवल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से है जिसमें प्रतिबन्धित क्षेत्रों से सम्बन्धित नक्शों के प्रकाशन और परिचालन के बारे में बहुत ही सीमित प्रश्न उठाया गया था। शेष बातों के बारे में, इस अवस्था में कोई बात कहना मेरे लिए सम्भव नहीं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या आप इस सम्बन्ध में जांच करने की कृपा करेंगे ?

श्री एस० बी० चव्हाण : निश्चित रूप से । मैं इसकी जांच करूंगा ।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) छोटे क्षेत्रीय समाचार पत्रों की परेशानियां दूर करने के लिए एक आयोग गठित करने तथा अन्य प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अन्तर्गत मामले लेंगे ।

[हिन्दी]

श्री के० एन० प्रधान (भोपाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन अपना विषय उठाना चाहता हूं । हमारे यहां देश के छोटे समाचार पत्रों की स्थिति निरन्तर दयनीय होती जा रही है । केन्द्र सरकार का विज्ञापन तथा अखबारी कागज के कोटे की आबंटन नीति छोटे समाचार-पत्रों के हितों की रक्षा नहीं कर पा रही है। विज्ञापन और कागज का कोटा प्राप्त करने की डी० ए० वी० पी० (D. A. V. P.) की वर्तमान प्रक्रिया भी बड़ी जटिल और कष्टप्रद है ।

हमारे यहां लघु समाचार-पत्रों का प्रसारण वृहद् एवं मध्यम समाचार-पत्रों के प्रसारण से कई गुना अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गतिविधियों में विशेष रूप से प्रतिबिम्बित करने में लघु समाचार-पत्रों का विशेष योगदान है ।

छोटे समाचार-पत्र स्वावलम्बी बन कर स्वयं के पैरों पर खड़े हो सके और देश के विकास में अपनी पूर्णतः विशिष्ट भूमिका निभा सकें, इसके लिए अति आवश्यक है कि—

(1) छोटे समाचार-पत्रों के लिए पृथक रूप से एक आयोग का गठन किया जाए ।

(2) छोटे समाचार-पत्रों का मध्यम समाचार-पत्रों के समूह से अलग हटाकर उनके विज्ञापन तथा कागज के कोटे के प्रश्न पर विचार किया जाए ।

(3) विज्ञापन दरों पर विचार करते समय प्रसारण के साथ उत्पादन लागत पर भी विचार किया जाए ।

(4) छोटे भाषाई समाचार-पत्रों को संवाद समितियों की सेवा कम शुल्क में उपलब्ध हो सके, इसके लिए सरकार भाषाई संवाद समितियों को पर्याप्त सुविधा और उचित अनुदान प्रदान करे ।

(दो) बंगलादेश में भारतीय लेखकों की पुस्तकों के अप्राधिकृत पुनप्रकाशन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : यद्यपि भारतीय प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1983 और 1984 को नवीनतम संशोधनों के साथ लागू किया गया है, यह बताया गया है कि भारत में

बंगाली लेखकों द्वारा लिखी गई अनेक पुस्तकें लेखकों के सन्दर्भ बिना बंगलादेश में पुनः छापी जा रही हैं। वास्तव में यह साहित्यिक चोरी अनेक स्थापित और नए उभरते बंगाली लेखकों के लिए तथा उनके कार्य के प्रकाशकों के लिए चिंताजनक बन गई है।

मेरा शिक्षा मन्त्री से अनुरोध है कि वह इस साहित्यिक चोरी को रोकने के लिए शीघ्र ही आवश्यक उपाय करने शुरू करें और इसके लिए बंगाली लेखकों और विषय से सम्बन्धित प्रकाशकों से सुझाव आमन्त्रित करें।

(तीन) अयोध्या या उत्तर प्रदेश में एक रेडियो ट्रांसमीटर लगाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री निर्मल खत्री (फैजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना देता हूं—

"अयोध्या एक प्रसिद्ध तीर्थस्थली होने के साथ ही साथ अवधी भाषा का केन्द्र भी है। अवधी भाषा को प्रोत्साहित करने व यथायोग्य स्थान दिलाने के लिए तथा अयोध्या के मन्दिरों की पवित्र रामधुन आसपास के क्षेत्र के श्रद्धालु जनों तक पहुंचाने के लिए काफी दिनों से अयोध्या में एक आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना की आवश्यकता महसूस की जा रही है। अयोध्या के अतिरिक्त सभी धार्मिक स्थलों जैसे काशी, प्रयाग, मथुरा में आकाशवाणी केन्द्र कार्यरत हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि अयोध्या (उ० प्र०) में एक आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना करने का निर्णय लेने की कृपा करें।"

(चार) चामराजनगर को मेट्टुपलयम के साथ जोड़ने के लिए एक नई लाइन बिछाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद (चामराजनगर) : चामराजनगर को मेट्टुपलयम से जोड़ने के लिए विशेषज्ञों द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच बिलीगिरि और नीलगिरि पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य समतल भूमि है, वहां सुरंग बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बीच में कोई घाट नहीं है। वहां 200 वर्ष पुरानी टीपू सुल्तान द्वारा निर्मित सड़क भी है।

चामराजनगर और मेट्टुपलयम के बीच प्रस्तावित नई रेल लाइन उत्तर और दक्षिण को जोड़ेगी क्योंकि इस समय वैकल्पिक मार्ग केवल जालरपट के जरिए है। अब, माल और वस्तुओं दोनों का यातायात पिछली क्षमता से 1.66 गुना बढ़ा है। राष्ट्रीय विपत्तियों के समय यात्रियों को आने-जाने खाद्य और अन्य आवश्यक वस्तुओं के पहुंचने में रुकावट का खतरा रहता है।

प्रस्तावित लिंक द्वारा दक्षिण से उत्तर की दूरी लगभग 250 कि० मी० तक कम हो जाएगी। बम्बई और आगे की दूरी भी 200 कि० मी० से अधिक कम हो जाएगी। कोयम्बटूर से, मैसूर-चामराजनगर-मेट्टुपलयम के जरिए बंगलौर की दूरी वर्तमान 425 कि० मी० से केवल 300 कि० मी० तक कम हो जाएगी।

जब प्रस्तावित रेल लाइन बिछा दी जाएगी तो त्रिवेन्द्रम और दिल्ली के बीच केरल-दिल्ली एक्सप्रेस का कोयम्बटुर, मैटुपलयम, चामराजनगर, मैसूर, बंगलौर और गुनतकल (बड़ी लाइन में परिवर्तन के बाद) से मार्ग-परिवर्तन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित रेल मार्ग उट्टी जैसे दक्षिण के प्रसिद्ध ग्रीष्मकालीन स्थलों को जाने के लिए भी पर्यटकों को सुविधा दिलाएगा।

मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय इस अविद्यमान लिंक का कार्य शुरू करेंगे।

(पांच) राजस्थान के खानपुर अहीर फ्लैग स्टेशन का दर्जा बढ़ाकर उसे पूरा रेल स्टेशन बनाने की आवश्यकता

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : रेवाड़ी और अलवर के बीच मीटर गेज रेल लाइन पर खानपुर अहीर, जिला अलवर, राजस्थान फ्लेग स्टेशन है। इस समय, खानपुर अहीर स्टेशन पर केवल शटल गाड़ी रुकती है। इस क्षेत्र में रेल सवारी और परिवहन का एकमात्र साधन है। खानपुर अहीर से गाड़ी में बैठने वाले यात्री सामान्यत: बहुत अधिक होते हैं। वहां केवल दो शटल गाड़ियां हैं अर्थात् एक सुबह और दूसरी शाम वाली और यदि कोई यात्री सुबह गाड़ी नहीं पकड़ पाता है तो उसे अगली शटल के आने अर्थात् शाम तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यात्रियों को अपने जरूरी दैनिक कार्यों के लिए अलवर जाना पड़ता है क्योंकि अलवर शहर जिले का मुख्यालय है। यात्रियों को दिल्ली से भी आना जाना पड़ता है जो खानपुर अहीर से केवल 130 कि० मी० है।

इस क्षेत्र की आम जनता की उपर्युक्त कठिनाइयों को ध्यान में रखकर मैं रेल मन्त्री के अनुरोध करता हूं कि खानपुर अहीर फ्लैग स्टेशन का दर्जा बढ़ाकर उसे पूर्ण रेलवे स्टेशन बनाया जाए।

(छः) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के मद्रास स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को बन्द करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता

श्री के० राममूर्ति (कृष्णगिरि) : मद्रास में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय कावेरी बेसन और पालम स्ट्रेटस में खोज प्रयासों का प्रभारी है। मद्रास में इस कार्यालय में लगभग 1200 कर्मचारी और अधिकारी हैं। कर्मचारी सहकारी समिति मद्रास में घर बनाने के लिए भूमि भी अर्जित की हुई है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग रूसी तेल विशेषज्ञों के मूल्यांकन से पूर्णत: परिचित है कि कावेरी बेसन और पालम स्ट्रेटस में तेल के अथाह भण्डार हैं और विदेशी सहायता से यहां खोज कार्य बढ़ाया जाना चाहिए ताकि वाणिज्यिक खोज शुरू की जा सके।

मद्रास में अचानक ही तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय बन्द किया जा रहा है जिससे क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मचारियों के बीच तनाव और अव्यवस्था पैदा हो गई है। इन कर्मचारियों के परिवार बहुत दुःखी हैं क्योंकि बच्चों की शिक्षा के कारण उनके परिवारों को दो स्थानों पर रहना पड़ता है। इसका तमिलनाडु की जनता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है क्योंकि वह समझते हैं कि कावेरी बेसन और पालम स्ट्रेटस में खोज प्रयास समाप्त किए जा रहे हैं। यह राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित करते हुए विध्वंसकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करेगा।

यह सुझाव दिया गया है कि तमिलनाडु की अर्थ व्यवस्था और 1200 कर्मचारियों के हित के लिए तेल और प्राकृतिक गैस का क्षेत्रीय कार्यालय मद्रास में स्थित रहना चाहिए।

(सात) राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए गुरुदेव टैगोर की कृतियों को सभी प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित करने की आवश्यकता

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : आज 8 मई, 1985 को गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्मदिन है। जीवन मूल्यों के सम्पूर्ण विकास, प्रकृति और मानव के बीच पर्यावरणीय सन्तुलन, सत्य, अहिंसा और मानव के प्रति प्यार और स्नेह के लिए उनके अगाध सहयोग को स्मरण करने के लिए यह प्रत्येक भारतीय के लिए एक महान क्षण है। गुरुदेव का राष्ट्रीय गीत बताता है कि कितने निष्कपट रूप से उन्होंने संयुक्त भारत की कल्पना की और इस गीत की शुरुआत पंजाब की क्रांतिकारी भूमि को व्यक्त करते हुए की है—"पंजाब सिंध गुजरात मराठा" सिक्ख धर्म, गुरु नानक देव, गुरु रामदास, गुरु गोविन्द सिंह को उनकी श्रद्धांजलि और पंचनद (पांच नदियों) के लिए उनका सम्मान उनके साहित्य और उनके पत्र व्यवहार में भली-भांति सुरक्षित है। जलियावालांबाग हत्याकाण्ड की उन्होंने कठोर निन्दा की और अंग्रेजों से प्राप्त 'सर' की उपाधि उन्होंने वापिस कर दी।

ठाकुर जी ने मोहनदास कर्मचन्द गांधी को महात्माजी के रूप में सम्मान दिया और उन्होंने अपनी "ताशीर देश" नेताजी को समर्पित की। हिन्दू-मुस्लिम एकता की ठाकुर जी का धारणा और "उनकी कहानी काबुलीवाला" इस बात पर बल देती है कि धर्म या जाति प्यार और स्नेह के लिए बाधक नहीं हो सकती। एक मुस्लिम पठान ब्राह्मण लड़की को अपनी लड़की की तरह प्यार कर सकता है।

छुआछूत के विरुद्ध उनके लेखन, उपनिषद और ब्राह्मण धर्म की उनकी धारणा ने भारतीय दर्शन में सत्य की खोज के लिए नई दिशा दी है।

ठाकुरजी निर्माण, सर्जन और पुनर्मूल्यन, प्रत्येक दिशा में मानव आत्मा की गति थे। हमारे देश में इस संकट के समय उनके साहित्य पर आधारित उनके विचार और शिक्षाएं, गीत और अन्य कार्य अनेकता में एकता की हमारी धारणा के सन्दर्भ में नई शक्ति प्रदान कर सकते हैं?

इसलिए शिक्षा और संस्कृति दोनों मन्त्रालयों से अनुरोध है कि ठाकुर जी के सभी लेखन कृत्य सभी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित किए जाएं और कम से कम सम्भव मूल्यों पर युक्त पीढी को उपलब्ध कराए जाएं ताकि वे समझ सकें कि वह एक ऐसे आदमी थे जो जाति, समुदाय या धर्म के सभी बन्धनों से ऊपर थे, जिन्होंने सम्पूर्ण भारत को अपनी आत्मा माना और भारत के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक धर्म का सपना देखा जो प्यार स्नेह और भाईचारे के सद्भाव से बंध सकता है।

ठाकुर जी ने अपनी कृत्तियों में हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध—सभी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है और अंततः सब एक फूल बनें जिसका नाम भारत है।

आज हम ठाकुरजी को उनके दर्शन सहयोग और कार्यों के लिए प्रणाम करते हैं जो हमें हमारा मार्ग बताने के लिए प्रकाश होंगे। यदि हम विघटित हो गए हैं और संकट में हैं तथा हमारे सहायता मांगने पर कोई आगे नहीं आता है तो हम ठाकुर जी के साथ गाएं—

"जोदि तोर डाक शुने कोउ ना आशे
तोबे एकला चालो रे....."

हमें आशा है कि भारत के प्रधानमन्त्री जो देश की एकता को बनाए रखने और पंजाब के मामले का हल ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं वह निश्चय ही ठाकुरजी से और शक्ति प्राप्त करेंगे।

(आठ) कार निकोबार द्वीप में बढ़िया किस्म की आवश्यक वस्तुओं की नियमित आपूर्ति के लिए कदम उठाने की आवश्यकता

श्री अजित कुमार साहा (विष्णुपुर) : मुख्य भूमि से लोग, कामगार, कर्मचारी और श्रमिक अपना जन्मस्थान, सम्बन्धियों और मित्रों को छोड़कर सरकार की अपील के सम्बन्ध में अण्डमान जाते हैं और कठिन परिस्थितियों में वहां रहते हैं। हाल ही में हमें अण्डमान और निकोबार प्रशासन के सप्लाई विभाग द्वारा सप्लाई किए गए चावल और गेहूं के नमूने के पैकेट प्राप्त हुए हैं। नमूने से इन अनाजों की निम्न किस्म का पता चलता है जिससे कार निकोबार के लोग पीड़ित होते हैं। यहां लोगों के पास इस निम्न कोटि के अनाज पर निर्भर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है क्योंकि इन द्वीपसमूहों में नारियल आदि के अतिरिक्त अन्य अनाज की उपज नहीं होती है। कार निकोबार के लोगों को सप्लाई किया गया गेहूं और चावल पत्थर, मिट्टी रेत और कीड़ों से भरा हुआ है। यदि इस खराब किस्म का चावल 5 कि० ग्रा० की अल्प मात्रा में सप्लाई किया जाता है तो इन द्वीपसमूहों के लोगों की दुर्दशा समझी जा सकती है।

जहां तक अन्य अनिवार्य वस्तुओं की सप्लाई का सम्बन्ध है, कार निकोबार के लोगों को ई० एच० एल०—व्यापार कर रही एकमात्र प्राधिकृत एजेंसी पर निर्भर रहना पड़ता है और यह एजेंसी अधिकतर वस्तुएं समय से और नियमित रूप से उपलब्ध कराने में असफल रहती है। इन परिस्थितियों में कार निकोबार में अधिकतर अनिवार्य वस्तुओं की हमेशा भारी कमी बनी रहती है। दूध, सब्जी, मांस, अण्डे जो किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं, इन द्वीपसमूहों में हमेशा उपलब्ध नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त ये द्वीपसमूह मलेरिया ग्रस्त क्षेत्र हैं। पोषक आहार की अनुपलब्धता मलेरिया से लोगों की प्रतिरोध शक्ति को कम करती है।

इस बुरी स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोई भी काम करने के लिए कार निकोबार आना पसन्द नहीं करता। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि कार निकोबार में अनिवार्य खाद्य अनाजों, सब्जी, दूध आदि की किस्म और सप्लाई सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं ताकि लोग वहां बसने के लिए जाने के इच्छुक हों।

(नौ) संगमरमर को उस पर लगाए गए उत्पाद शुल्क से, जिसके परिणामस्वरूप राजस्थान में छोटे संगमरमर एकक बन्द हो गए हैं, छूट देने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के तहत वित्त मंत्री जी का ध्यान मारबल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से राजस्थान की सभी मारबल लघु इकाइयां बन्द होने तथा 1.5 लाख श्रमिकों के बेकार होने की समस्या की तरफ आकर्षित करना चाहूंगी।

राजस्थान देश की 90 प्रतिशत मारबल की मांग पूरी करता है। यहां लगभग 2,200 लघु उद्योग यूनिट्स मारबल के हैं। सफेद, काला, पीला, चाकलेटी, गुलाबी पत्थर को चीर कर पालिश की जाती है। असली मारबल तो 20 प्रतिशत ही है बाकी चाकलेटी, पीला तथा गुलाबी और काला तो हार्ड पत्थर हैं जिन्हें लाइम स्टोन हम कह सकते हैं, पर इन लघु उद्यमियों ने इसका बाजार भाव बढ़ाने के लिए मारबल नाम दे दिया है।

यह उद्योग अभी अपने शैशव काल में है। कई शिक्षित युवकों ने इसमें प्रवेश किया और बड़ी कठिनाई से वे इसको चलाने लगे। कई वित्त संस्थाओं के लोन चुकाने की स्थिति में वे नहीं थे। कुछ लघु उद्योग तो 95 प्रतिशत सिंगल डायमंड व्हिल के हैं। कुछ में एक व्यक्ति अपने सभी परिवार को इसमें लगाकर रोज का माल रोज बेच रहे हैं। सारा परिवार रात-दिन काम कर रोजी कमा रहे हैं। कुछ मारबल की चिराई के समय वेट मेटीरियल को खरीदकर छोटी-छोटी मारबल टाइल्स बना रहे थे।

इस उद्योग पर एक्साइज ड्यूटी लगने से सभी लघु यूनिट्स 17 मार्च से बन्द हो गये हैं। डेढ़ लाख श्रमिक बेकार हो गये हैं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र चित्तौड़गढ़ तथा उसके आसपास काकरोली, नागौर सब जगह यह इकाइयां बन्द हो गई हैं। चित्तौड़गढ़ में 10 वर्ष पूर्व यहां इस उद्योग की तरफ कुछ शिक्षित युवकों का ध्यान गया था। वित्त संस्थाओं से ऋण लेकर काम शुरू किया और आज इसके बन्द हो जाने से उस औद्योगिक क्षेत्र में जब मैं पिछली बार अपने निर्वाचन क्षेत्र में गयी तो मुझे मरघट जैसी शांति दिखाई दी।

अत: वित्त मंत्री जी से पुरजोर शब्दों से निवेदन करूंगी कि राजस्थान में मारबल उद्योग जो अभी शैशवावस्था में ही है इसे बचाने के लिए लगाई गई एक्साइज ड्यूटी फौरन हटाई जाये। राजस्थान सरकार को लायलटी तथा सेल्स टैक्स की भी भारी हानि हो रही है। अत: राजस्थान सरकार ने भी भारत सरकार को इस एक्साइज को हटाने की मांग की है।

1.35 म० प०

वित्त विधेयक, 1985

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम वित्त विधेयक को विचार करने और पारित करने के लिए लेंगे। विधेयक की सभी तीन-तीन अवस्थाओं के लिए 12 घंटे आबंटित किए गए हैं। यदि सभा सहमत होती है तो हम 1 घंटे सामान्य चर्चा के लिए, 2 घंटे खंडवार चर्चा के लिए और एक घण्टा विधेयक तृतीय पठन के लिए रख सकते हैं।

वित्त और वाणिज्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए केन्द्रीय सरकार की प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, वित्त विधेयक में मुख्य प्रस्तावों की मुख्य बातें मेरे बजट भाषण में स्पष्ट की गई हैं। बिल के प्रस्तावों के विवरण, बजट पत्रों के साथ वितरित, स्पष्टीकरण ज्ञापन में निर्दिष्ट किए गए हैं। इसलिए मैं पुन: पृष्ठभूमि को दोहराकर सभा का समय नहीं लेना चाहूंगा।

बजट पर सामान्य वाद-विवाद के दौरान अनेक माननीय सदस्यों ने विधेयक के प्रस्तावों पर महत्वपूर्ण विचार और सुझाव दिए थे। मुझे व्यापार और उद्योग, व्यवसायिक संस्थाओं, अर्थशास्त्रियों, कर विशेषज्ञों और अन्य से भी अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं। मैं माननीय सदस्यों और अन्य सभी को

उनके सुझावों के लिए अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैंने इन सुझावों पर ध्यान से विचार किया है। यद्यपि इन सभी सुझावों को स्वीकार करना सम्भव नहीं है तथापि मैंने इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए विधेयक के कुछ उपलब्धों में संशोधन करने का निर्णय किया है, इन संशोधनों पर विचार करते हुए मैंने युक्तियुक्त शिकायतों को यथासमय दूर करने का प्रयत्न किया है। अब मैं संक्षेप में विधेयक के उपबन्धों में करने के लिए प्रस्तावित मुख्य परिवर्तनों को स्पष्ट करूंगा।

सर्वप्रथम मैं बजट प्रस्तावों में सीमा-शुल्क और उत्पाद शुल्कों के सम्बन्ध में सुझावों को लूंगा। माननीय सदस्यों को याद होगा कि सामान्य वाद-विवाद के उत्तर के दौरान मैंने बीड़ी और चमड़े की मशीनरी की कुछ मदों के सम्बन्ध में पहले ही कुछ छूट की घोषणा की थी। इसके अतिरिक्त, किसान की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए जो हमारी अर्थव्यवस्था के मूल आधार हैं, मैंने कृषि सम्बन्धी औजारों, विशेषकर मुर्गी-पालन उपकरण और 25 हॉर्स पावर तक मध्यम पावर के ट्रैक्टरों के लिए भी छूट दी है।

विभिन्न प्राप्त अभिवेदनों के संबंध में मैंने कुछ अन्य वसूलियों के संबंध में कुछ छूट की अनुमति देने का निर्णय किया है। पान-मसाला के संबंध में कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कुछ शंकाओं की स्थापना की है जैसे कि कर विवरणों को ध्यान में रखते हुए क्या सुपारी उत्पादों जैसे सुगन्धित सुपारी पर भी पान मसाले की भांति शुल्क होगा। इस मामले में संकाओं को समाप्त करने के लिए मेरा सुपारी के अतिरिक्त चूना या कत्था या दोनों जो इसमें शामिल नहीं हैं, सभी से उत्पाद-शुल्क समाप्त करने का विचार है।

संगमरमर पर नये कर लगाने के संबंध में भी छोटे निर्माताओं से बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनको विशेष रूप से उनकी एककों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो पुरानी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके शुभ प्रधान उद्योग होने तथा इसमें भारी संख्या में रोजगार पर लगे श्रमिकों को ध्यान में रखते हुए मैंने संगमरमर की सिल्लियों और टाइलों पर शुल्क को 20 रुपये प्रति वर्गमीटर से घटाकर 10 रुपये प्रति वर्गमीटर करने का निर्णय किया है।

उन छोटे एककों, जो 10 हार्स पावर तक बिजली का प्रयोग करके सिल्लियां और टाइलें बनाती हैं, उन्हें पूर्णतः उत्पादन शुल्क से छूट देने का भी मेरा प्रस्ताव है। सरलीकरण के उपाय के रूप में मेरा यह भी प्रस्ताव है कि उन एककों के लिए एक संयुक्त कर लगाने की योजना शुरू की जाए जो पुराने भारों की सहायता से संगमरमर की झिल्लियां बनाती है।

छोटे एककों को और राहत देने के उपाय के रूप में टायर-ट्यूब फ्लैप्सों की लघु छूट योजना को सभी प्रकार के टायर-ट्यूब और फ्लैप्सों को छूट देकर उदार बनाने का भी प्रस्ताव है। इसके साथ ही साथ अन्यथा देय 33.33 प्रतिशत प्रचलित रियायत के स्थान पर 50 प्रतिशत शुल्क रियायत उपलब्ध करने का भी प्रस्ताव है।

दो पहिया और तिपहिया स्कूटरों के टायरों के फ्लैप्सो को पूर्णतः छूट देने का भी मेरा प्रस्ताव है।

मैंने अपने मूल्य प्रस्तावों में कुटीर क्षेत्र की पूरी कार्ड बोर्ड माचिस पर शुल्क को 4.90 रुपये से घटाकर 1.60 रुपये किया था अन्य क्षेत्रों द्वारा निर्मित पूरी कार्ड बोर्ड माचिसों के सम्बन्ध में दरों में थोड़ी कमी या वृद्धि की गई थी।

कुटीर क्षेत्र और यांत्रिक के मध्य अधिकतम शुल्क का अन्तर 1.70 रुपये से 5.25 रुपये तक था। मैंने मामले की पुनरीक्षा करवाई थी। इस समूचे उद्योग में रोजगार के लिए अन्य क्षेत्रों को भी कुछ राहत का आश्वासन दिया गया है। अतः प्रति ग्रोस बाक्स की 4.50 रुपये, 5.15 रुपये और 6.85

रुपये की प्रचलित शुल्क दरों को संशोधित करके क्रमशः 3.50 रुपये, 4.15 रुपये और 5.05 रु० करने का भी प्रस्ताव है। ये दरें कार्ड-बोर्ड और परतवाली माचिस यानि दोनों के लिए लागू होंगी।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैंने अपने बजट प्रस्तावों में मद संख्या 68 के अन्तर्गत आने वाले सामानों के लिए लघु छूट योजना को पात्रता सीमा को 75 लाख रुपये तक बढ़ाकर तथा स्लेब पर निश्चित करके उदार बनाया गया था। तथापि विशिष्ट सामान के लिए 75 लाख रुपये की सामान्य सीमा की तुलना में पूर्ण छूट सीमा 20 लाख रुपये निर्धारित की गई थी। इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में लघु क्षेत्र से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों पर विचार करने पर मद संख्या 68 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाले छोटे एककों को और राहत देने का निर्णय किया गया है। मेरा यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि उन एककों को जो मद संख्या 68 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं का निर्माण करते हैं उनको 20 लाख रुपये और 30 लाख रुपये के मध्य निकासी के लिए देय शुल्क का केवल 25 प्रतिशत ही देना होगा जबकि इस संबंध में 25 लाख रुपये तक 50 प्रतिशत और 40 लाख रुपये तक 75 प्रतिशत देने का पहला प्रस्ताव था। इन उपायों से सीमा-शुल्क में 2.42 करोड़ रुपये और उत्पादन शुल्क में 14.5 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि होगी।

अब मैं प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र के प्रस्तावों को लेता हूं। विधेयक के उपबंध के अन्तर्गत, भारत में चाय पैदा करने तथा बनाने का कार्य करने वाली कम्पनियां राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक के विशेष खाते में जमा अपने लाभ में 20 प्रतिशत तक कटौती की हकदार होगी क्योंकि अभ्यावेदन किया गया है कि देश के कुछ भागों को विशेष रूप से दक्षिण में कुछ छोटे गैर-निगमित उद्यमों की अत्यधिक संख्या है जो चाय पैदा करने के कार्य में लगी हैं, उन्हें भी लाभ होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखकर गैर-निगमित कर दाताओं को भी इस रियायत को देने का मेरा प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, यह उपबंध उन चाय उत्पादकों पर भी लागू होगा जो अन्य व्यवसाय भी करते हैं। विधेयक में यह भी उपबंध है कि धन कर से छूट किसी उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में उपलब्ध नहीं होगी जो किसी धर्मार्थ या धार्मिक न्यास द्वारा चलाये जा रहे व्यापार का अंग है, यह छूट केवल उन्हीं मामलों में दी जायेगी जिनमें व्यापार के लाभ आयकर अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत आयकर से मुक्त हैं। आयकर अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत बहुत-से मामलों में संस्थान की आय और निधियों पर कर नहीं लगता। यह तर्कसंगत तथा आवश्यक है कि इस प्रकार के उन संस्थानों जिनकी कुल सम्पत्ति तथा निधियां आयकर से मुक्त हैं उन्हें धन कर से मुक्त किया जाना चाहिए। मैं इसके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने का प्रस्ताव करता हूं।

विधेयक के अन्तर्गत लॉटरी से जीती गयी धनराशि पर 30 प्रतिशत के हिसाब से आयकर काटा जाना चाहिए। चूंकि व्यक्तिगत आयकर की अधिकतम सीमांत दर को घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है और आयकर अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत लॉटरी की 5,000 से ऊपर की धनराशि के 50 प्रतिशत पर ही आयकर लगता है। इस प्रकार के मामलों में आय पर कर काटने की दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का मेरा प्रस्ताव है।

विधेयक में यह भी उपबंध है कि आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही के सम्बन्ध में करदाता द्वारा चुकायी गयी फीस के सम्बन्ध में कर योग्य लाभों के संगणन अथवा उस अधिनियम से उत्पन्न अन्य मामलों में किसी प्रकार की कटौती की अनुमति नहीं होनी चाहिए।

मेरा यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि इस उपबंध के अंतर्गत तब तक कोई अस्वीकृति नहीं दी जायेगी जब तक एक मूल्यांकन वर्ष के लिए विशिष्ट श्रेणी का कुल व्यय 10,000 रुपये से अधिक नहीं होता है।

इस सम्बन्ध के विधेयक में उपबंध को उदार बनाते हुए आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर, दंड, ब्याज या अन्य किन्हीं मामलों के सम्बन्ध में परामर्श करने के लिए दी गयी फीस के लिए भी इसके क्षेत्र को बढ़ाने का मेरा प्रस्ताव है।

सरकार ने यह निर्णय किया है कि 1 लाख रुपये तक की आय के सम्बन्ध में कर दाताओं द्वारा फाइल की गई विवरिणियों को न्यूनतम औपचारिकताओं सहित स्वीकार किया जायेगा। इससे कर दाताओं पर इसकी पूर्णता तथा विवरणी के सही होने को सुनिश्चित करने की अधिक जिम्मेदारी आती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए विवरणी तैयार करने के लिए करदाताओं द्वारा व्यवसायिक सहायता के लिए दी गयी फीस पर मैं कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा रहा हूं।

अन्य संशोधन संगत या प्रारूप तैयार करने की तरह के हैं और मैं इन संशोधनों पर विचार करने में सभा का समय नहीं लेना चाहता हूं।

यह स्मरण रहे कि माननीय सदस्यों के विचार जानने की दृष्टि से मैंने सामूहिक कर के सम्बन्ध में प्रस्तावों का एक सेट प्रस्तुत किया था जिन्हें अगले दो वर्षों में चरणबद्ध तरीके से पुनः स्थापित किया जायेगा। मुझे यह सुझाव दिया गया है कि इस मुद्दे पर खुले वाद-विवाद के लिए उपलब्ध समय पर्याप्त नहीं है। चूंकि सरकार का इस वर्ष वाद में एक दीर्घकालीन वित्त नीति लाने का प्रस्ताव है, वित्त विधेयक पर वाद-विवाद का उत्तर देने के दौरान इस मामले में सरकार के निर्णय की घोषणा करना उस समय अच्छा होगा।

मैं अब सरकारी क्षेत्र के लिए संसाधन जुटाने के लिए एक महत्वपूर्ण नये उपाय को लेता हूं। सरकार हमारे आर्थिक विकास में सरकारी क्षेत्र द्वारा अदा की गई महत्वपूर्ण भूमिका तथा इसकी वृद्धि के लिए अतिरिक्त संसाधनों को उपलब्ध करने की अनिवार्य आवश्यकता से सहमत है। उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से दूर-संचार तथा विद्युत में चुने हुए सरकारी क्षेत्र उपक्रमों द्वारा बॉंड के प्रवर्तन के सम्बन्ध में एक नयी योजना के शुरू करने का सरकार का प्रस्ताव है। एक विशिष्ट सीमा तक ये बांड नामजद सरकारी क्षेत्र उपक्रमों द्वारा जारी किए जाएंगे और इन पर ब्याज भी अधिक होगा। ग्रामीण बचत को काम में लाने तथा उनको असुविधा से बचाने जो उन बांडों को खरीदना चाहते हैं जो कर-योग्य नहीं हैं, उन पर प्राप्त ब्याज पर कर नहीं काटा जायेगा और आयकर अधिनियम की धारा 80 एल के अन्तर्गत उन पर भी कर से छूट मिलेगी। इन बांडों के मूल्य भी बिना किसी सीमा के धन-कर से मुक्त होंगे। आवश्यक विधायी उपाय उचित समय के भीतर किए जाएंगे।

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस वित्त विधेयक को मेरे प्रस्तावित संशोधनों सहित अपना समर्थन दें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : अभी-अभी माननीय मंत्री द्वारा घोषित कुछ राहतों और रियायतों का मैं स्वागत करता हूं। मैं यह चाहता था कि इन रियायतों की घोषणा पहले की जानी चाहिए थी जिससे हमें कुछ टिप्पणी करने का अवसर मिलता। लेकिन फिर भी मैं विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के सहायतार्थ बांड जारी करने का स्वागत करता हूं और मैं यह देखता हूं कि सरकारी क्षेत्र को अधिक विनियोजन मिला है।

जब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे, तब अभी-अभी घोषित कुछ रियायतों के गुणावगुणों को देखना हमारे लिए सम्भव होगा।

फिलहाल मैं कर-पद्धति के सम्बन्ध में कुछ सामान्य टिप्पणियों पर टिप्पणी करने तक ही सीमित रहना चाहता हूं।

मैंने सामान्य बजट वाद-विवाद पर अपनी चर्चा करने के समय बजट प्रणाली की कुछ कमियों के सम्बन्ध में बताया था। सभा को इन कमियों के बारे में जानकारी है क्योंकि हम इस बजट पर पिछले लगभग छः सप्ताह से चर्चा करते आ रहे हैं फिर भी बजट प्रस्तावों और कराधान प्रस्तावों के पूर्ण प्रभाव की जानकारी कुछ समय बाद होगी और यह समय बजट प्रस्तावों के प्रभाव का उचित विश्लेषण करने का समय होगा।

1.48 म० प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

कांग्रेस पक्ष के सदस्यों ने इस बजट की इस सभा में प्रशंसा की है और सभा के बाहर यह कहा जा रहा है कि यह बजट एक युगान्तरकारी बजट है, यह एक संरचनात्मक बजट है और बजट तैयार करने में बहुत गहराई से विचार किया गया है। मैं यह नहीं जानता हूं कि इसके बारे में कोई विचारधारा है या इसकी कमी है। लेकिन एक बात बहुत ही स्पष्ट है कि यह एक बहीखाता रखने वालों का ही बजट नहीं है। यह निश्चय ही एक अर्थशास्त्री का बजट है। कुल मिलाकर प्रस्तावों की कुछ दिशाएं तथा दृष्टिकोण है और बजट का विचार हमारे समक्ष बहुत ही स्पष्ट है। कुछ बाहरी परिवर्तनों के होते हुए भी जिनकी अभी-अभी वित्त मंत्री महोदय ने घोषणा की है, मैं यह बताना चाहता हूं कि इस बजट को एक निश्चित दिशा मिली है और यह बजट वह है। विचार सुस्पष्ट है। सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि जितने अधिक कर लगाए हैं राजस्व में उतनी कमी होने जा रही है, आय का छिपाव अधिक होगा और यह प्रति उत्पादक होगी। यह पूर्ण विचार होता हुआ प्रतीत होता है। अब मैं उस विचार का पुरजोर खण्डन करता हूं जिसे अर्थशास्त्री लाफर कर्व सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि यह सिद्धांत उन सभी देशों में असफल हो गया है जिनमें इसे अपनाया गया है और यह हमारे देश में भी असफल हो गया है।

एक दशक पहले हमारे देश में प्रत्यक्ष कर आयकर लगाये जाते थे और ये कर 97.5 प्रतिशत तक होते थे। हमारी आयकर दर अत्यधिक थी और इसको यह सोचकर घटाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया था कि इससे एक अच्छा वातावरण बनेगा और इससे यह भी सम्भव होगा कि जो लोग अपनी आमदनी को छिपा लेते हैं वे अपनी आमदनी को बता देंगे और करों का भुगतान कर देंगे। फिर हमने इसे घटाकर 60 प्रतिशत और फिर 55 प्रतिशत कर दिया। (व्यवधान) और इस वर्ष हमने आयकर अधिकतम दर को घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया है और अभी-अभी वित्त मंत्री जी ने

कहा कि सरकार एक वित्त नीति बनाने जा रही है और इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भी है यद्यपि सरकार उनकी अभी घोषणा नहीं कर सकती है।

लेकिन इसका बजट में पहले ही संकेत दिया गया है कि सरकार इसे घटाकर 45 प्रतिशत करने वाली है। मुख्य सिद्धांत यह है कि जैसे ही आप इस कर को घटाते हैं इससे आपको छिपी हुई आमदनी को निकलवाना सम्भव होगा और इससे राजस्व भी अधिक मिलेगा। इससे पता लगता है कि हम कहां गलती कर रहे हैं क्योंकि गत वर्षों में हम यह देख चुके हैं कि जब कभी हमने अधिकतम कर दर को घटाया, कोई सुधार नहीं हुआ क्योंकि लाफर कर्व सिद्धान्त अर्थशास्त्र के शब्दों में घटते लाभ का सिद्धांत की तरह काम नहीं करता है। क्योंकि घटते लाभ का सिद्धांत कुछ प्राकृतिक शक्तियों पर कार्य करता है।

लेकिन यहां हम मनुष्य और मनुष्य व्यवहार पर विचार कर रहे हैं। इस देश में लोग आमदनी छिपाने में कर की चोरी किया करते हैं, और रियायत देने से स्थिति में कोई सुधार होने वाला नहीं है और निःसन्देह यह सिद्ध हो चुका है क्योंकि हम पिछले 10 वर्षों से यह कार्य करते आ रहे हैं और इसका कोई परिणाम नहीं निकाला है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको कर लगाने से ही न तो अतिरिक्त राजस्व मिल रहा है और न आप जनता को राहत देने की स्थिति में हैं।

मुझे याद है लखनऊ में उन्होंने कहा :—

[हिन्दी]

"न खुदा ही मिला न विसाले सनम"

आपने इतनी मेहनत की लेकिन कोई हल नहीं मिला।

[अनुवाद]

मेरा प्रश्न है कि इस बजट और हमारे सामने जो कर प्रस्ताव है, उनमें जो भी परिवर्तन अब किए गए हैं उनसे निश्चय ही निजी क्षेत्र को लाभ होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं है। पिछले अनेक वर्षों से यह प्रचार होता आ रहा है कि 'भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर नियन्त्रण कर लिया गया है, बहुत से विनियम हैं बहुत नियन्त्रण हैं, उच्च कराधान और इस प्रकार की अन्य बातें और इनसे कोई सुधार नहीं हुआ है। प्रचार इतना शक्तिशाली था कि प्रत्येक बार वे सरकार पर प्रभाव डालने की स्थिति में थे और रियायतें प्राप्त करके आनन्द उड़ाते थे।

मुझे इस बात का खेद है कि वित्त मंत्री इस प्रकार के सिद्धांत के प्रभाव के अन्तर्गत आये हुए प्रतीत हैं कि यदि आप उन्नति चाहते हैं तो आप निजी क्षेत्र को रियायतें देने जाते हैं। यह गलत है। यह तर्क कि यदि कर कम हैं राजस्व ज्यादा है, आमदनी निजी क्षेत्र को होती है उन्नति के लिए निवेश के सम्बन्ध में अधिक निधियां उपलब्ध होंगी, यह बिल्कुल गलत है। निश्चित रूप से उन्नति सम्भव हो सकती है। लेकिन यह किस दिशा में सम्भव हो सकती है। यह सभी उन्नति विभिन्न दिशा में है। निजी क्षेत्र को हानियां होती रही हैं। लेकिन एक बात बहुत ही स्पष्ट है कि सरकारी क्षेत्र उस किस्म का माल उत्पादन कर रहा है जो देश की वर्तमान अर्थ-व्यवस्था के लिए आवश्यक है लेकिन निजी क्षेत्र इस सिद्धांत की ओर निश्चय ही ध्यान नहीं दे रहा है। उन्हें देश के आर्थिक लक्ष्य के बारे में चिन्ता नहीं होती है, उन्हें केवल अपने काम की ही चिन्ता होती है। आजकल लाभ कहां हैं? भारतीय सप्लाइड आर्थिक अनुसंधान संस्थान ने इस देश में उपभोक्ता माल उद्योग का

एक बहुत अच्छा विश्लेषण किया है गत अनेक वर्षों से हमारा उद्योग भारी मात्रा में उपभोक्ता माल का उत्पादन करता आ रहा है और हमारे नीति निर्धारकों ने आमतौर से इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। जब हम बाजार में जाकर विभिन्न प्रकार के माल भारी मात्रा में देखते हैं तो इससे देखकर आश्चर्य होता है। इस वर्ष उपभोक्ता माल योरुप और अमरीका से बाजार में आया है अगले वर्ष इस माल का इस देश में ही उत्पादन करना होगा। आजकल हमारे पास जो माल है आप उनकी किस्म जानते हैं। हमारे पास विभिन्न प्रकार के माल हैं आपकी इच्छाएं भी अनेक हैं। जब हम बाजार में जाकर वस्तुओं को देखते हैं, उन्हें देखकर भावोत्तेजक हो जाते हैं। हमें बाजार में अनेक प्रकार के टूथ पेस्ट, पाउडर प्रसाधन की वस्तुएं तथा अन्य प्रयोग में आने वाली वस्तुएं देखने में आती हैं। मेरा प्रश्न है कि ये निस्संदेह महत्वपूर्ण हैं मगर इस समय नहीं। यह एक ऐसी स्थिति है जहां हमें इस देश में वस्तुओं की बढ़ती हुई उपभोक्ता सेवा को नियंत्रण में रखना है ताकि हमारे अपर्याप्त स्रोत लागत की वांछित रेखा तक जा पहुंचे। हमारी अर्थ-व्यवस्था इस स्तर पर है जहां इसे अत्यन्त प्रेरणा की आवश्यकता, उचित दिशा की आवश्यकता है। मैं वित्त मंत्री द्वारा ली गई इस विशेष दिशा को देख रहा हूं जो गलत है। निजी क्षेत्र का यह लाड़-प्यार नहीं चलेगा। निस्संदेह हमें इस कारण हानि उठानी पड़ेगी।

मुझे मालूम है कि इस बजट की घोषणा के पश्चात् क्या हुआ। जैसा मैंने कल सामान्य बजट पर चर्चा आरम्भ करते हुए कहा था, सामान्य व्यक्ति सुझावों के सम्बन्ध में प्रसन्न नहीं हैं, मगर केवल धनवान ही प्रसन्न हैं। शीघ्र ही, बजट की घोषणा के चार दिन के अन्दर-अन्दर—बजट 16 मार्च को प्रस्तुत किया गया और फिर 21 मार्च तक —स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी-बड़ी कम्पनियों के सभी शेयरों का मूल्य बढ़ गया है। मेरे पास एक विवरण है जिससे पता चलता है कि पांच दिन में यह वृद्धि 10 से 25% तक हो गई। मैं उनका उल्लेख करूंगा :

	दिनांक को शेयर मूल्य (रुपये)	
	16-3-85	21-3-85
टाटा स्टील (इस्पात)	441	487
टेलको	448	546
टाटा टी	70	89
रिचर्डसन्ज	87	109
कॉलगेट	197	244
पांड्स	108	117
रिलाएंस टेक्सटाइल्ज	139	165
फूड स्पेशैलिटीज (भोजन विशेषताएं)	120	140
ग्लैक्सो	31	40
हिन्द लीवर्स	77	88
ब्रिटेनिया	54	58
ब्रुक बांड	52	59

2.00 म० प०

चाय सम्पदा का शेयर मूल्य जो 77 रुपये था, 95 तक पहुंच गया। यह बाजार की दशा थी। यह निस्संदेह एक स्वागत योग्य बात थी क्योंकि अर्थ-व्यवस्था तरणशील है। इसका अर्थ है कि लागत के लिए अधिक निधि उपलब्ध होगी। यदि यही मत है, तो इसे निश्चय ही प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। पर फिर भी क्या हो रहा है? बड़े-बड़े उत्पादकों के लिए पहले ही उपभोक्ता वस्तुओं के बनाने के लिए योजनाएं हैं और इस पर कोई नियन्त्रण नहीं है। ऐसा इसलिए है कि आपने नियन्त्रणों को हटा दिया है, आपने लाइसेन्सिंग प्रणाली को भी हटा दिया है, कई इकाइयों का उदार किया है और वह किसी भी प्रकार का उद्योग स्थापित कर सकते हैं और सरकारी लागत का प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की लागत को उत्पादकता के अवांछनीय तरीकों में प्रयोग कर सकते हैं। आज वास्तव में ऐसा ही हुआ है।

आप किस प्रकार इस स्थिति में सुधार लाने जा रहे हैं। आप यह देखने के लिए क्या उपाय करेंगे कि क्या लागत उचित इकाइयों को जाती हैं? भारत में उपभोक्ता वस्तुओं का उद्योग इस प्रकार का है कि आजकल उच्च वर्ग के 20% लोए औद्योगिक वस्तुओं के 50% का प्रयोग करते हैं और जनता के निम्न वर्ग औद्योगिक वस्तुओं का केवल 20 प्रतिशत प्रयोग करते हैं। यह तथ्य उत्पादकों को मालूम है। वह जानते हैं कि उनके ग्राहक कौन हैं, उन्हें कौन प्रयोग करते हैं और उनकी मांग कैसी पूरी की जा सकती है। उपभोक्ता वस्तुओं की मांग काफी बढ़ती ही जा रही है। इस सम्बन्ध में मुझे उपभोक्ता वस्तुओं की हो रही तस्करी की याद आती है। यह इस देश में अत्यन्त खेदजनक स्थिति है, साड़ियों, संश्लेषित रेशे (धागे) और सांश्लेषिक कपड़ों की तस्करी हो रही है। सांश्लेषित रेशों की इस देश में भारी मात्रा में तस्करी हो रही है। यह अनुमान लगाया जाता है कि हमारे देश में 1,000 करोड़ रुपये के मूल्य की साड़ियों, जिनका उपयोग केवल भारत में ही होता है, की तस्करी जापान, ताईवान, चीन और अन्य देशों से की रही हैं। वह साड़ियों का उत्पादन करते हैं और उन्हें भारत को भेजते हैं तस्करी करते हैं। हमें किस कारण नुकसान हो रहा है? तस्करी के कारण सरकार को करआय तथा सीका शुल्क के लगभग 600 करोड़ रुपये की हानि होती है। इसके अतिरिक्त, इससे स्थानीय आवश्यकताओं में कटौती होती है क्योंकि हमारे पास साड़ियों तथा अन्य सांश्लेषिक कपड़ों का उत्पादन करने की काफी क्षमता है। हमारे देश में वास्तव में जितनी आवश्यकता है उससे कहीं अधिक क्षमता है। फिर भी तस्करी जारी है। मैं सचमुच हैरान हूं। जब आप उपभोक्ता वस्तुओं की तस्करी करते हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को भारी क्षति पहुंचती है। मैं जानता हूं कि कुछ और वस्तुओं की भी हमारे देश में तस्करी की जाती है।

मुझे शीघ्र ही सिलिकोन कणों—करोड़ों रुपयों के सिलिकोन कणों की तस्करी की बात याद आ रही है। क्योंकि यह एक अत्यन्त छोटी वस्तु है, इस प्रकार के उत्पाद की तस्करी करना अत्यन्त सहज है और इसकी मात्रा करोड़ों तक होती है। सिलिकोन कण औद्योगिक कच्चा माल है। किसी प्रकार की तस्करी ठीक नहीं है और इसे नियन्त्रण में रखता हूं लेकिन जब आप देश में मशीनरी अथवा इसी प्रकार की और कोई वस्तु चोरी छिपे अपने देश में लाते हैं, अथवा जब आप कोई वस्तु चोरी छिपे विदेश भेज सकते हैं, इसमें कोई बुराई नही है यद्यपि यह अत्यन्त बुरा है।

मैं एक देश के बारे में जानता हूं। मैं उस देश का नाम नहीं लेता क्योंकि इससे हमारी सरकार को परेशानी होगी जो आजकल पड़ोसियों की नई कूटनीति आरम्भ कर रही है। परन्तु देश कुछ हानिकारक उत्पादों को चोरी छुपे विदेश भेज रहा है और उसकी सारी अर्थव्यवस्था

तस्करी के कारण प्रगति कर रही है। यह अफीम है। पर जब हम अपने देश का विचार करते हैं, हम निर्धन हैं, और अपने साधनों का उपयोग उपभोक्ता वस्तुओं के इस प्रकार के घृणित व्यापार के लिये कर सकते हैं, मगर यह निरन्तर हो रहा है और जहां कहीं भी आप जाएंगे ऐसी वस्तुओं का प्रदर्शन देखते ही बनता है। यदि वित्त मंत्री नहीं जानते हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपनी पत्नी से पूछें। वह इस बारे में अच्छी तरह से जानती हैं। प्रत्येक गृहणी जानती है कि बाजार में क्या हो रहा है और वह साड़ियां कहां उपलब्ध हैं। वह खुले-आम बेखटके बेची जा रही हैं।

बम्बई, कलकत्ता अथवा अन्य स्थानों को जाइए। प्रत्येक व्यक्ति उन केन्द्रों के विषय में जानता है कहां बेचे जा रहे हैं; वहां एक अच्छा व्यापार हो रहा है। इस विशेष वस्तु के आयात पर आप प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगायेंगे, तस्करी द्वारा देश में लाए जाने पर रोक क्यों नहीं लगाएंगे? उपभोक्ता वस्तुओं के उपभोग को न केवल उनके उत्पादन बल्कि उनकी तस्करी को कम करने की आवश्यकता है।

मूल्यों तथा घाटे के वित्त प्रबन्ध के प्रश्न की बात करते हुए, मैं अत्यन्त प्रसन्न हूं कि ए० आई० सी० सी० (अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी) ने इस समस्या पर गम्भीरता से विचार किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने और एक समस्या की ओर गम्भीर रूप से ध्यान दिया है; मगर हमें डर है कि सरकार एक और ही दिशा की ओर जा रही है; मुझे खुशी है कि उन्होंने घोषणा की है कि उन्होंने समाजवाद के लक्ष्य को नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा है कि मूल्यों को कम किया जाएगा; उन लोगों के प्रति कार्यवाही की जाएगी जो जमाखोरी और चोर-बाजारी करते हैं। मगर मैं नहीं समझता कि यहां इस प्रकार की कोई समस्या है; यहां न जमाखोरी होती है और न ही चोर-बाजारी होती है; यदि इस प्रकार की कोई बात है, तो निश्चय ही कार्यवाही की जा सकती है। पर वास्तव में बात यह है कि जमाखोरी करने अथवा चोर-बाजारी करने वाले मूल्यों में वृद्धि के उत्तरदायी नहीं हैं। मूल्यों में वृद्धि का कारण वास्तव में बजट प्रस्तावों में दी गई सरकार की नीति, अप्रत्यक्ष कर—पेट्रोलियम से सम्बन्धित शुल्क में वृद्धि इत्यादि है। बजट पर सामान्य वाद-विवाद के दौरान मैंने इसकी ओर संकेत किया था। अब मेरे पास स्पष्ट तस्वीर है। बजट के पश्चात् ही थोक मूल्यों में 2.3 प्रतिशत अथवा इससे अधिक की वृद्धि थी, परचून मूल्यों में वृद्धि इससे बहुत अधिक है। यदि आप मध्य वर्ग के लोगों पर इसका प्रभाव देखेंगे, आपको आश्चर्य होगा कि मध्य वर्ग लोगों को परिवहन और दूसरी चीजों पर कितना अधिक खर्च करना पड़ता है। मैं उन लोगों के विषय में कह रहा हूं जिनकी संख्या दस लाख के करीब हैं क्योंकि वित्त मंत्री ने कहा है कि लगभग दस लाख लोग कर के जाल से मुक्त किए गए हैं; मैं केवल उन लोगों के विषय में कह रहा हूं; मैं उन लोगों के विषय में नहीं कह रहा हूं जो उससे नीचे हैं क्योंकि वित्त मंत्री के अनुसार, उनका अस्तित्व ही नहीं है, वह किसी प्रकार के प्रत्यक्ष कर नहीं देते। निःसन्देह उन लोगों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि अप्रत्यक्ष करों से इन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा—सामान्य जन जो करदाता नहीं हैं। अब मैं करदाताओं के विषय में कह रहा हूं, दस लाख करदाताओं के विषय में कहा गया है कि वह कर के जाल से मुक्त किए गए हैं। उनकी स्थिति आज यह है। पेट्रोल के मूल्यों, रेल के किराए इत्यादि में वृद्धि के कारण परिवहन यात्रा पर उन्हें 150 रु० अधिक प्रति महीने देने पड़ते हैं, उसे हर समय 50 रु० देने पड़ते हैं, जब कभी उसे यात्रा करनी हो जो वह एक वर्ष में दो बार अथवा तीन बार करता है। वनस्पति के लिए उसे 25 रु० अधिक देने पड़ते हैं। दूध के लिए उसे 15 रु० अधिक देने पड़ते हैं। दूसरे घर-गृहणी भण्डारों के लिए उसे 20 रु० अधिक देने पड़ते हैं। घर-गृहस्थी सहायता के लिए उसे और 20 रु०

देने पड़ते हैं। ईंधन तथा खाना पकाने के गैस के लिए उसे और 24 रु० देने पड़ते हैं। यह सारा 305 रु० बनता है; उसके बजट में यह औसत मासिक वृद्धि है। एक वर्ष के लिए यह 3,660 रु० बनता है। अब उन्हें किस प्रकार की सहायता दी गई है? उसके बजट में वृद्धि की तुलना में जो सहायया उसे प्राप्त है बहुत कम है। आप जो कर रहे हैं वह यह है कि आपने उन्हें कर के जाल से बाहर निकाल दिया है और कहते हैं कि उन्हें सहायता दी गई है। पर वास्तव में आपने उन पर और 3,000 रु० प्रति वर्ष का भार डाल दिया है। इससे उसके बजट पर प्रभाव पड़ा है। कोई भी इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकता है। इस बारे में विभिन्न पक्षों द्वारा बजट की आलोचना की गई है। मुझे इस पर विस्तारपूर्वक बातचीत करने की आवश्यकता नही है। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि इन छूटों से उसे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।

एक और जांच से और दृष्टिकोण सामने आता है, लोगों के विभिन्न वर्गों को दी गई कर में छूट। जैसा मैंने कहा, यह बाह्य छूट है, वह सहायया जिनकी घोषणा पहले ही की गई है। कर लगने वाली 25,000 रुपये की आय पर, छूट 3.1 प्रतिशत है; कर लगने वाली 40,000 रुपये की आय पर छूट केवल 4.7 प्रतिशत है। कर लगने वाली 60,000 रुपये की आय पर छूट 7.2% है। यह बढ़ती ही जा रही है। कर लगने वाली एक लाख रुपये की आय के लिए उन्हें 10.4% छूट मिलेगी और एक लाख रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक उन्हें 12.6% की छूट मिलेगी। यह छूट किन लोगों को मिल रही है? इस अध्ययन से यह बिलकुल स्पष्ट है कि केवल बड़े लोगों जिन्हें सरकार द्वारा दी गई यह छूट प्राप्त है और निर्धन लोगों को नहीं।

इसके पश्चात् आरक्षित घाटे तथा मुद्रा-स्फीति की बात करते हुए, लोग कहते हैं कि यह 7% हो सकता है पर अब अगर कुछ भी कहेंगे, मुझे लगता है कि यह 10% से कम नहीं होगा। यह 10% तक जा सकता है क्योंकि 3349 करोड़ रु० के वर्ग की घाटे की वित्त व्यवस्था रहने वाली नहीं है। घाटे की वित्त व्यवस्था पिछले वर्ष के आंकड़ों से कहीं-बहुत अधिक होगी। मेरा अनुमान है कि यह 8000 करोड रुपये से किसी भी प्रकार कम नहीं होगा क्योंकि पिछले वर्ष हमारा अनुमान 1700 करोड़ रु० था लेकिन यह 3900 करोड़ तक पहुंच गया। यदि आप इसका ध्यान रखेंगे, मैं समझता हूं कि आरक्षित घाटा कहीं अधिक होगा। इस सम्बन्ध में मुझे राज्यों की घाटे की अर्थ-व्यवस्था याद आती है।

दिन प्रतिदिन हम सदन में और बाहर भी सुनते हैं कि राज्य अपनी अर्थव्यवस्था का प्रबन्ध अच्छे ढंग से नहीं करते हैं, कि वह करों को वसूल करने, बचत इत्यादि के सम्बन्ध में अधिक सावधान नहीं हैं। मैं कहना चाहूंगा कि सभी राज्यों को यदि इकट्ठा किया जाए, पूरे घाटे की वित्त व्यवस्था जिसका उन्होंने अब संकेत दिया है बहुत कम है क्योंकि बहुत से राज्यों ने अभी तक अपने बजट प्रस्तुत नहीं किए हैं, लेकिन उन्होंने इन आंकड़ों की सूचना भारत सरकार को दी है और उसके अनुसार सभी राज्यों के घाटे की वित्त व्यवस्था को कुल मिलाकर 1400 करोड़ के आसपास आती है, उससे अधिक नहीं। यह घाटे की वित्त व्यवस्था का तीसरा भाग भी नहीं है जिस पर हम केन्द्र में आरम्भ कर रहे हैं।

अब मैं ओवरड्राफ्ट के प्रश्न पर आता हूं। राज्यों की दिन-प्रतिदिन ओवरड्राफ्ट के प्रश्न पर आलोचना की जाती है और सरकार हाल ही में ओवरड्राफ्ट को नियन्त्रण में रखने के लिए बहुत ही कठोर रही और रिजर्व बैंक सख्ती से काम ले रही है। उन्होंने इस पर रोक लगा दी है। जरा हम देख लें कि यह ओवरड्राफ्ट क्या है और ऐसा क्यों होता है। केन्द्रीय सरकार को घाटे की वित्त व्यवस्था

का आश्रय लेने का अधिकार प्राप्त है लेकिन राज्य सरकार को इस प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। कुछ कालावधियां ऐसी हैं जिनके दौरान राज्यों को उस धनराशि से अधिक की आवश्यकता होती है जितनी वह पैदा कर सकते हैं अथवा जो उनकी पूंजी होती है और स्वभावतः ओवरड्राफ्ट एक प्रकार की आवश्यकता बन जाती है। अन्त में उन्हीं द्वारा ओवरड्राफ्ट की समायोजना की जाती है अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए कुछ ऋणों के कारण इनकी समायोजना की जाती है। यह ठीक है। देश की वर्तमान अर्थ-व्यवस्था में ओवरड्राफ्ट स्थिति भी उत्पन्न हुई है। नहीं तो राज्यों की सारी प्रणाली, सारा वित्तीय ढांचा ठप हो जाएगा यदि आप रोक लगाने जा रहे हैं। कभी-कभी हमें आय भी प्राप्त होती हैं और किसी समय हमें किसी प्रकार की आय भी प्राप्त नहीं होती है और राज्य के कर का आधार कम किया जाता है, और वह अधिक दबाव के तले काम करते हैं। कुछ ऐसे कर हैं जो हमें कुछ विशेष समय में ही प्राप्त होते हैं जबकि खर्चा चलता रहता है। आप केवल कुछ विशेष समय के दौरान उपलब्ध होती है किन्तु व्यय निरन्तर होता रहता है और इस अवधि के दौरान ओवरड्राफ्ट लेना आवश्यक हो जाता है। इस ओवरड्राफ्ट के अन्य कारण भी हैं। मुख्य कारण यह है कि राज्यों को प्रतिज्ञात राशि उन्हें समय पर नहीं पहुंचती है और अन्तराल उत्पन्न होता है। इसी प्रकार आकस्मिक कठिनाइयां, विपत्तियां इत्यादि है और इन्हीं के कारण राज्य सरकारों को धन खर्च करना पड़ता है। ओवरड्राफ्ट स्थिति को इतनी उद्विग्नता से नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि ओवरड्राफ्ट आरम्भ कर दिया गया है और यह जारी रहेगा। मुझे यह कहने में अत्यन्त प्रसन्नता है कि उन 14 राज्यों में जिन्होंने इस वर्ष घाटा दिखाया, हमारे राज्य आंध्र प्रदेश ने इस वर्ष किसी प्रकार की घाटे की वित्त व्यवस्था का अभी तक कोई संकेत नहीं किया है। और निश्चित मूल्यों जैसी भारत सरकार की कुछ नीतियों के कारण ओवरड्राफ्ट स्थिति जारी रहेगी। हाल ही से मैं देख रहा हूं कि भारत सरकार नए कर लागू करने के स्थान पर निश्चित मूल्यों में धोकेबाजी करने से काम चला रही है। यह धोकेबाजी क्यों हो रही है? क्योंकि निश्चित मूल्यों से जो कुछ अतिरिक्त आय आपको प्राप्त होती है, उसमें से राज्यों को कुछ नहीं मिलता है। पिछले छः महीने के दौरान इस्पात के मूल्यों में दुगनी वृद्धि हुई है और वृद्धि 50 प्रतिशत तक हुई। पिछले वर्ष से इस्पात का मूल्य 150 प्रतिशत बढ़ गया है। क्या आप जानते हैं कि इसका प्रभाव उन राज्यों पर क्या होगा जो सिंचाई परियोजनाओं अथवा अन्य औद्योगिक परियोजनाओं जैसी योजनाओं का निर्माण कर रहे हैं? इन परियोजनाओं की लागत बहुत बढ़ गई है। निश्चित मूल्यों में राज्य सरकार से परामर्श लिए बिना वृद्धि नहीं होनी चाहिए। जब इस प्रकार का प्रबल कदम उठाया जा रहा है, अर्थात् जब आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की जा रही है, आपको राज्यों को अपने विश्वास में लेने में क्या बाधा है। आपके इस्पात कारखानों की संयुक्त संयन्त्र समिति है पर राज्य से इस समिति में एक भी व्यक्ति लघु उद्योगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। वह इस्पात मंत्री से परामर्श लेते हैं और मूल्यों में वृद्धि करते हैं। इसके परिणाम कुछ भी हो, उन्हें इस बात की चिन्ता नहीं।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि वित्त मंत्री ने बजट में और कई बार सदन में कहा था कि हमारा राजस्व व्यय भयप्रद रूप से बढ़ रहा है। इसका अर्थ यह हैं कि केन्द्रीय सरकार अपने साधनों से बाहर जा रही है। सरकार इस स्थिति में नहीं है कि वह प्राप्त हुए राजस्व से राजस्व व्यय पूरा नहीं कर सकता है जिसका अर्थ है कि हम अपनी पूंजी को खाये जा रहे हैं। हम बजट में क्या देखते हैं? इस वर्ष बजट द्वारा राजस्व व्यय में 23 प्रतिशत वृद्धि हुई। मैं नहीं जानता कि वह किस प्रकार इस राजस्व व्यय को नियन्त्रण में ला रहे हैं।

जब लोक दल थोड़े समय के लिए सत्ता में था, चौधरी चरणसिंह ने केन्द्रीय सरकार के व्यय

की जांच करने के लिए एक आयोग की स्थापना की। उनके चले जाने के तुरन्त पश्चात् आयोग को भंग कर दिया गया। आप किस प्रकार राजस्व लेखे पर होने वाले व्यय को कम कर सकते हैं क्योंकि जब तक आप इस व्यय को, जो दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे है, कम नहीं करेंगे। आपके पास जो पूंजी व्यय के लिए बहुत कम धन होगा।

मैं समझता हूं कि राजस्व व्यय—केन्द्रीय सरकार का व्यय—एक पवित्र गाय के समान है और मुझे वित्त मंत्री का खेद है कि इस पवित्र गौ ने उसे एक कोने भी ओर ले लिया है और यह गौ आपे से बाहर हो गई है। मैं नहीं जानता कि आप इस गौ को किस प्रकार काबू में लाएंगे। यह आपको सोचना है। धन्यवाद !

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : सभापति महोदय, श्रीमन्, मुझे इस बात की जानकारी है कि मैं इस बजट में उस समय हस्तक्षेप कर रहा हूं जब इसको प्रस्तुत किए हुए दो महीने समाप्त हो गये हैं और इसके विभिन्न पहलुओं पर राष्ट्रीय वाद-विवाद हुए हैं। मुझे यह भी विश्वास है कि सरकार ने पूर्णतः राष्ट्रीय जीवन पर इसके प्रभाव को देखने का अवसर दिया है। लेकिन मैं बजट के कुछ पहलुओं तथा वित्तीय उपायों तक ही सीमित रहना चाहता हूं जिनके सम्बन्ध में सरकार ने प्रस्ताव रखे हैं।

यह कोई साधारण बजट नहीं है। पहले वक्ता श्री माधव रेड्डी ने यह उल्लेख किया है कि यह बजट भविष्य के लिए सरकार की आर्थिक नीतियों का सूचक है। अतः हम बजट का स्वागत करते हैं। और इस बात का भी स्वागत करते हैं कि आपने हमें एक वर्ष की अल्प अवधि में ही इन उपायों पर चर्चा करने का अवसर ही नहीं दिया है बल्कि इसके प्रभाव को आने वाले समय में भी देखने का अवसर दिया है। मुझे यह खुशी है कि वित्त मन्त्री ने यह उल्लेख किया है कि बाद में इस पर गहराई से विचार करने का भी अवसर दिया जाएगा। इस बार बजट पर, प्रधान मन्त्री की उनकी अपनी आर्थिक विचारधारा का भी स्पष्ट प्रभाव है और इस प्रकार हमें उन सक्रिय परिवर्तनों का स्वागत करना चाहिए जिनका उन्होंने देश को अगली शताब्दी में ले जाने पर प्रस्ताव किया है। इस सम्बन्ध में दो पहलू हैं जिन पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं।

पहला पहलू यह है कि इस बजट में देश के उद्योग को बड़े औद्योगिक घरानों के बन्धन से मुक्त कराने का दृढ़ प्रयास किया गया है। जनता के हाथों में निवेशीय फालतू राशि को सौंप कर सरकार ने बाजार क्षेत्रों के लिए एक उद्योग चलाने का अवसर दिया है और साथ ही साथ उसने जनता को अपनी उन प्राथमिकताओं की दिशा बताने का अवसर भी दिया है कि वे अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाना चाहते हैं। माननीय श्री माधव रेड्डी को यह स्वीकार करने में कुछ कठिनाइयां थीं कि हम अधिक मात्रा में उपभोक्ता माल का उत्पादन करने वाले हैं। उसी समय उन्होंने यह भी बताया था कि देश में उपभोक्ता माल की भारी मात्रा में तस्करी की जा रही है। मेरे विचार से उन्होंने इस माल की कीमत लगभग 600 करोड़ रुपये बतायी थी। अब यदि हम यह स्वीकार करें कि देश में उपभोक्ता माल की भारी मात्रा में जरूरत हैं तो क्या हम लोगों को स्थानीय निर्माताओं से माल प्राप्त करने का अवसर न दें ?

उन देशों, जिनमें बहुसंख्य आर्थिक प्रणालियां हैं, ने भी भारी मात्रा में उपभोक्ता माल मंगाने की अनुमति दी है और मेरे विचार से 35 वर्षों या स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात यह समय आया है जब हमें केवल उन लोगों के ही जीवन को अच्छा बनाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो तस्करी

से आये माल को खरीद सकते हैं, या जो इसे विदेशों से मंगा सकते है, बल्कि हमें उन लोगों के जीवन को भी अच्छा बनाने के बारे में सोचना चाहिए जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। हमें उनको भी इस योग्य बनाना चाहिए जिससे वे इस देश में ही निर्मित किये जाने वाले माल को खरीद सकें और यह माल उनको भारी मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए।

दूसरी बात जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं, यह है कि इस बजट में वित्तीय संस्थानों से निधियां निकालने तथा इससे छोटे उद्योग स्थापित करने का भी अवसर दिया गया है। मैंने पहले जो कुछ कहा है यह उसका ही अंग है। यह उद्योग को बड़े व्यवसायिक घरानों के नियन्त्रण से मुक्त करने का एक प्रयास है। मैं यह कहना चाहता हूं कि वृद्धि और अनावश्यक विनियमों पर बड़े व्यवसायिक घरानों द्वारा प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के बावजूद भी वर्ष 1980-1983 के तीन वर्षों के दौरान 12 बड़े व्यवसायिक घरानों की अपनी ही परिसम्पत्तियां बढ़कर दुगनी हो गयी हैं और 8 बड़े घरानों की तिगुनी हो गई हैं, ये घराने उन 25 बड़े औद्योगिक घरानों में से हैं जिनके विवरण मेरे पास हैं। कोई भी व्यक्ति यह देख सकता है कि उनमें से 20 घरानों की परिसम्पत्तियां दुगनी से भी ज्यादा हो गई है और अन्य चार घरानों की भी परिसम्पत्तियों में बहुत वृद्धि हुई है। केवल एक घराने की परिसम्पत्तियां घटी हैं लेकिन सभी 25 घरानों का उत्पादन बढ़ा है। अतः प्रतिबन्धों के होते हुए भी बड़े घराने बढ़ रहे हैं। फिर भी अब बजट में छोटे घरानों को बढ़ने का भी अवसर दिया गया है।

अब मैं इस बात का उल्लेख करता हूं क्योंकि इस बजट में कुछ अच्छी विशेषताएं हैं और इसमें प्रधान मन्त्री की अपनी निजी आर्थिक विचार धारा के प्रभाव का भी उल्लेख है। यह आवश्यक है कि हमें उन कमियों से बचना चाहिए जो इस बजट की सच्चाई का खण्डन करती हैं। और मेरा यह विचार है कि इस सचाई के बावजूद कि सरकार ने समाजवाद के प्रति वचनबद्धता के साथ समाजवादी अर्थव्यवस्था के महत्व पर जोर डालने का प्रयास किया है और इस विषय पर कुछ दिन पहले इस शहर में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में विचार किया गया था उसमें गलत आलोचनाएं की गई हैं। मैं यह भी कह सकता हूं कि कुछ समाचार पत्रों ने सरकार के प्रयासों के प्रतिकूल ही कार्य किया है। मेरे पास दिनांक 10-4-1985 के समाचार पत्र टेलीग्राफ की एक कतरन है जिनमें बड़े शीर्षकों में यह कहा गया है :

> "अब पूंजीवाद प्रतिष्ठित हो गया है?" और श्री रमेश थापर का कहना है कि : "हमें दो राष्ट्रों को एक राष्ट्र बनाने के लिए तेजी से आगे बढ़ना है। एक आन्तरिक राष्ट्र और दूसरा बाहरी राष्ट्र। एक का रूप है और दूसरे का कोई रूप नहीं है। कोई व्यक्ति वर्तमान बजट को एक समृद्ध बजट कैसे मान सकता है।"

अब उसी समाचार पत्र में दिनांक 14-4-1984 को श्री रणजीत साहू ने हमारे बजट की श्री रीगन के आर्थिक विचारों से तुलना की है। उन्होंने इस प्रकार कहा है :

"रीगन के आर्थिक विचारों का अर्थ, एक ऐसी एकमुश्त नीति से है जिसमें कार्य, बचत, निवेश और जोखिम उठाने को प्रोत्साहित करने के लिए कर घटाया जाए, मजदूरी और मूल्य नियंत्रण तथा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की स्थिर तथा साधारण वृद्धि हो।

उन्होंने यह भी कहा है :—

"प्रतीत होता है कि हमारे नई दिल्ली के आर्थिक जारों ने इस वर्ष के बजट बनाने के लिए रीगन की पुस्तक से कुछ संदर्भ लिए हैं। उन्हें इस बात को नोट करना चाहिए कि राष्ट्रपति रीगन ने वर्ष 1981 में अमरीका के इतिहास में सबसे अधिक करों में कमी थी, उन्होंने एक वर्ष बाद उस बैठक की भी अध्यक्षता की थी जिसमें करों में इतनी अधिक वृद्धि की गयी है जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी।"

अब वित्त मन्त्री से मेरा अनुरोध है कि इन आलोचनाओं का उन्हें दृढ़ता से उत्तर देना चाहिए और वे जो गलत भावनाएं पैदा कर रहे हैं उसे ठीक करना चाहिए ? लेकिन मुख्य आलोचना का समाधान तभी किया जा सकता है जब हम मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण करने में समर्थ हों। यह कुछ व्यक्तियों की क्रय शक्ति को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण नहीं हैं बल्कि यह अर्थव्यवस्था के स्वस्थ विकास के लिए भी आवश्यक है। कुछ दिन पहले मैं अपने चुनाव क्षेत्र में गया था और मैंने वहां यह महसूस किया कि इस बजट का कृषक समाज पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उनके अपने ही उत्पादन की 6 अप्रैल, 1985 को समाप्त होने वाले तीन सप्ताहों के थोक मूल्य सूचनांक की तुलना में 1.9 अंकों की कमी हुई। और अन्य गैर-खाद्यान्न वस्तुओं के मूल्य में 5.8 अंकों की वृद्धि हुई और सभी वस्तुओं के मूल्य में 6.05 अंकों की वृद्धि हुई। ईंधन बिजली तेल तथा लुब्रीकेन्ट के मूल्यों में 29.7 अंकों की भारी वृद्धि हुई एक दिन इस सभा में यह चर्चा थी कि खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मन्त्री ने यह स्वीकार किया था कि 13 अप्रैल, 1985 को समाप्त होने वाले चार सप्ताहों के मूल्यों में 2.3 अंकों की वृद्धि हुई है। दूसरी ओर परचून मूल्यों में भी वृद्धि हुई है और मुझे उस चेतावनी के बारे में कहना पड़ता है जिसका श्री माधव रेड्डी ने उल्लेख किया कि यदि इन मूल्यों पर गम्भीर रूप से रोक नहीं लगाते तो मुद्रा स्थिति बढ़कर दो अंकों तक पहुंच जायेगी। रहन सहन के खर्चों में वृद्धि, ईंधन और आवश्यक सामग्री के अत्यधिक मूल्य और कृषि उत्पादों के मूल्यों में गिरावट से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अधिकांश जनता के लिए कठिनाई पैदा हो सकती है। और इनमें भी विशेष रूप से कृषक तथा छोटे कृषकों के लिए अधिक कठिनाई होगी।

वित्त मन्त्री ने विशेष रूप से कुछ राहतों के बारे में पहले ही बताया है कि उन्हें उनका ख्याल है, और मैं उन तथा अन्य राहतों का स्वागत करता हूं जिनका उन्होंने उल्लेख किया है ? लेकिन मैं यह कहूंगा जिन राहतों का उन्होंने उल्लेख किया है वे जीवन के उन उच्च मूल्यों पर प्रभाव डालने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिनका अब किसानों और गरीब जनता को अपने जीवन में सामना करना पड़ रहा है। यदि मैं वित्त मन्त्री को यह न बताऊं कि लोगों ने इस बजट के बारे में यह कहना आरम्भ कर दिया है कि यह बजट केवल 40 लाख व्यक्तियों के अस्तित्व को मान्यता देने के लिए ही है लेकिन इसमें इस देश के 78 करोड़ व्यक्तियों को कोई मान्यता नहीं दी गई है।

प्रो० एन० जी० रंगा : ये लोग कौन हैं।

श्री बिनेश सिंह : प्रो० साहिब प्रोफेसर ही होता है, उन्हें पढ़ाने के लिए मेरे पास ज्ञान नहीं है।

मूल्यों में वृद्धि का यह मामला केवल आपूर्ति और वितरण का मामला नहीं है। वित्त मन्त्री को आयात पर और विचार करना पड़ेगा जिससे वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। उनमें से ईंधन भी एक है। जैसा कि मैंने कहा तीन सप्ताहों में सूचनांक में 29.7 अंकों की वृद्धि कोई साधारण मामला नहीं है। इससे हमारी जनता पर और देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है।

दूसरी बात जिस पर हमें ध्यान देना है, 3400 करोड़ रुपए के पूरा न किए गये अन्तर की है। फिर श्री माधव रेड्डी ने बोलते समय इसके उल्लेख करने का लाभ उठाया और यह भी बताना नहीं चाहता कि मैं उनके विचार पर चल रहा हूं और यह मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे उनकी विचार धारा को मानना पड़ेगा। यह पूरा न किया गया अन्तर और बढ़ेगा। मेरा यह विचार है कि वित्त मन्त्री एक व्यय आयोग स्थापित करने के लिए सख्त कदम उठायेंगे जिसके लिए स्थाई आयोग ने छठे दशक के दौरान सिफारिश की थी। फिर व्यय आयोग उन्हें यह बता सकेगा कि बढ़ते हुए सरकारी व्यय और हमारे राजस्व से भारी मांगों के ऊपर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। राजस्व व्यय के सम्बन्ध में बातें करते हुए मैं यह बताना चाहता हूं कि एक दशक में राजस्व व्यय में पांच गुणा वृद्धि हुई है। निश्चित रूप से सरकार की आवश्यकताएं नहीं बढ़ीं और जिस राजस्व व्यय के सम्बन्ध मे मैं कह रहा हूं उसमें रक्षा व्यय शामिल नहीं है। अत: सरकारी व्यय पर एक सख्त नियंत्रण होना चाहिए। क्या वित्त मन्त्री के लिए यह बताना सम्भव नहीं होगा कि राजस्व व्यय में 10 प्रतिशत की कमी होनी चाहिए और साथ ही साथ उनके लिए यह सुनिश्चित करना सम्भव नहीं होगा कि सभी प्रकार के गैर-विकासीय खर्चों पर सख्त निगरानी रखी जानी चाहिए ?

एक अन्य कारण जिससे मूल्यों में वृद्धि होती है वह है सरकारी उपक्रमों के उत्पादों के व्यवस्थित मूल्य, और इस सम्बन्ध में मुझे कोयला उद्योग का उदाहरण याद है जो राष्ट्रीयकरण के पश्चात अनेक बार मूल्य वृद्धि होने के बावजूद भी अभी भी किफायती रूप से व्यवहार्य नहीं है। अब प्रश्न यह है कि जनता को उन मुख्य उद्योगों के कुप्रबन्ध के लिए सजा क्यों मिलनी चाहिए जिनका प्रबन्ध नौकर-शाही मार्गदर्शन में हुआ ? अब समय है कि आधुनिकीकरण, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, अर्थ-व्यवस्था की व्यवसायिक जरूरतों को पूरा करने व्यवसायिक दृष्टि से चालू संस्थाओं में भी लाया जाना चाहिए। श्रीमन् क्या मैं वित्त मन्त्री जी को यह याद दिला सकता हूं कि सामाजिक अर्थव्यवस्था सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को राजस्व देने वाला मानती है न कि राजस्व लेने वाला। अत: निधियों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के व्यय के ऊपर वित्त मन्त्री जी का सख्त नियंत्रण होना चाहिए। इस सम्बन्ध में दूसरी बात जिसे मैं कहना चाहता हूं वह है रुग्ण मिलों का राष्ट्रीयकरण करना। इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर परिहार्य बोझ पड़ रहा है। जब रुग्ण मिलों का अधिग्रहण करने के लिए अधिनियम पारित किया गया, उसमें यह स्पष्ट निर्देश था कि जिन मिलों का एक बार अधिग्रहण कर लिया जायेगा उनका पुर्नगठन किया जायेगा और उनका आर्थिक कार्यकलाप करने के लिए आधुनिकी-करण किया जायेगा न कि केवल सरकारी संसाधनों को निकालने के लिए। हमें इस सम्बन्ध में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि इन रुग्ण मिलों पर खर्च करके हम निजी उद्योग की गलतियों के अपराधों के लिए जनता से धन मांग रहे हैं। इसका कोई कारण ही नही है कि हमें आवश्यक रूप से इन रुग्ण मिलों के ऊपर खर्च करना चाहिए। इनका पुनर्गठन किया जाना चाहिए और इनके उत्पादों में मिश्रित परिवर्तन तक भी किया जाये और कम्पनियों को सक्षम बनाया जाये ताकि इसके उत्पादों के बाजार में बेचा जा सके और यह अपने पैरों पर खड़ा हो सके।

इस बजट का सारा प्रभाव अधिकतम उत्पादन करने की क्षमता वाले क्षेत्रों को रुपया देने के लिए है। यह इस बजट पर दूसरा जोर है जिसका मैं अत्यधिक स्वागत करता हूं। लेकिन ऐसा करना सरकार और उद्योग के मध्य जिम्मेदारियों की स्पष्ट सूझबूझ होने पर ही सम्भव होगा। उद्योग के के लिए रियायतें देना माल ही उस तीव्र उत्पादन का उत्तर नहीं है जिसके लिए इस बजट द्वारा प्रयास किया जा रहा है। मेरे विचार से यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार को उद्योगों से स्पष्ट रूप से बातचीत करना आवश्यक होगा कि वे निर्यात उद्योगों में बराबर पूंजी निवेश करते हैं, वे अपने

अनुसंधान और विकास के आबंटन में वृद्धि करते हैं, अपनी प्रौद्योगिकी को आधुनिकतम बनाते हैं तथा उनका रोजगार का सृजन करने तथा विकास के सम्बन्ध में समयबद्ध कार्यक्रम है। अपनी विकासशील प्रक्रियाओं में उद्देश्यपूर्ण ढंग से उद्योग को अस्तव्यस्त करना आवश्यक है। आजकल वित्त नीति और आर्थिक विकास के सम्बन्ध में सरकारी कार्यवाही और उद्योगों की अपनी निजी कार्यवाही के मध्य पूर्ण अलगाव है। यदि हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के इस सिद्धान्त को जारी रखना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ समन्वय के उपायों की आवश्यकता है।

उद्योगों को विशेष जिम्मेदारी देते समय, मेरे विचार से सरकार को आधारभूत ढांचा बनाना आवश्यक होगा जो हमारे आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। इसकी पहली आवश्यकता बिजली की है। बिजली के बगैर कोई उद्योग उत्पादन कार्य नहीं कर सकता है।

मुझे खुशी है कि ऊर्जा मंत्री यहां हैं। हम आशा करते हैं कि हम सभी उनसे बिजली देने के विषय में स्वीकृति प्राप्त कर लेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : वह 25 अश्व शक्ति के मन्त्री हैं।

श्री विनेश सिंह : प्रो० मधु दण्डवते ने पूर्णतः विद्युत का अनुमान नहीं लगाया है जिस पर उनका नियंत्रण है।

मैं इस बात पर जोर डालना चाहूंगा कि विद्युत शक्ति उत्पादन में एक भारी गड़बड़ी है और विद्युत उपभोक्ताओं से डीजल जनरेटर लगाने के लिए कहना राष्ट्रीय संसाधनों का अत्यधिक ह्रास है। इसका कोई कारण नहीं है कि छोटे गैर-किफायती जनरेटरों के लिए आयातित डीजल का उपयोग किया जाये जबकि देश में तापीय बिजली पैदा करने के लिए कोयले का समुचित भण्डार है। यदि यह केवल पूंजी निवेश का ही प्रश्न है तो मुझे विश्वास है कि वित्त मन्त्री इस बात पर ध्यान देंगे जिससे दीर्घकाल में जिन उद्योगों के चलाने के बारे में वह अब सोच रहे हैं, उनसे खर्च होने की अपेक्षा बचत होगी जो अब छोटे जनरेटरों के कारण हो रही है।

इस सम्बन्ध में अन्य पहलू जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं, संचार हैं। यदि हम यह चाहते हैं कि हमारे उद्योग में तेजी आये, विकास हो, तो हमें बेहतर संचार सुविधा, परिवहन और दूरसंचार दोनों रूपों में, उपलब्ध करानी होगी।

यह बजट पूर्ण रूप से सन्तुलित है, नियंत्रण मूल्यों में सन्तुलन, अधिकतम उत्पादन वाले क्षेत्रों में संसाधनों को व्ययवर्तित करना तथा जनता द्वारा बृहद निवेश योग्य अधिशेष को उत्पादन के माध्यम से बाजार बलों का प्रचालन करना। परन्तु यह सब मूल्यों के नियंत्रण पर ही निर्भर करता है। वित्त मंत्री ने हमारे से पान-मसाला लिया है। उनके द्वारा आज घोषित की गई छूट में, उन्होंने पान-मसाले को अपने अधिकार में रखने का निर्णय लिया है। उन्हें बच्चों को आइसक्रीम से वंचित नहीं करना चाहिए। वे पहले ही इसके लिए 25% से अधिक दे रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : वे सम्पन्न समाज से ही सम्बन्धित हैं।

श्री विनेश सिंह : वह एक ऐसा वर्ग है जो अधिकांश आइसक्रीम का उपभोग करता है। इस आधार से भी, मूल्यों को नियंत्रित करना आवश्यक होगा।

मैंने खण्ड-7, जो दक्षिण भारत के चाय उद्योग से सम्बन्धित हैं, में संशोधन करने का प्रस्ताव किया था। परन्तु अब वित्त मंत्री ने अपने आप संशोधन का प्रस्ताव किया है। मेरे विचार में इसके

लिए जोर देने की मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं केवल इसको ध्यान में रखने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

निष्कर्ष में मैं यह कह सकता हूं कि यह बजट सम्भाव्यताओं से परिपूर्ण और विकास को गति प्रदान करने वाला है। सरकार की यह जिम्मेदारी है, विशेषकर वित्त मंत्री को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह गतिशीलता व्यर्थ न जाए। इसका प्रभाव शिथिल न हो जाए और हम एक नया वातावरण सुनिश्चित करने में सक्षम हो सकें, जिससे हमारी जनता के बहुत बड़े भाग को, गरीब-से-गरीब को लाभ प्राप्त हो, और यदि ऐसा नहीं किया जाता तो मेरे विचार में तो इतिहास में हमारे द्वारा किए गए कार्यों की बाद में प्रशंसा नहीं होगी। परन्तु मुझे दूसरी ओर यह विश्वास है कि विद्युत और वित्त तथा यहां पर बैठे अन्य मंत्री उनको सौंपी गई जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से समझते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : माननीय सभापति जी, मैं माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन के समक्ष जो वित्त विधेयक प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं और उसका समर्थन केवल मैं ही नहीं, बल्कि सारा देश करता है और मैं समझता हूं कि हमारे विरोधी पक्ष में बैठे हुए भाई भी अन्तरात्मा में इस वित्त विधेयक का समर्थन करते हैं।

मान्यवर, पहली बार सदन में इस प्रकार का बजट प्रस्तुत किया गया। हमारे राष्ट्र के प्रधान मंत्री और देश के नेता श्री राजीव गांधी ने जो हमें नारा दिया है कि हम आने वाले समय में सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रोडक्टिविटी और एम्पलाएमेंट को महत्व देंगे और इन्हीं को प्राथमिकता देंगे, उसी सिद्धांत को लेकर माननीय वित्त मंत्री जी ने उत्पादन को बढ़ाने के साथ-साथ हमारे देश से बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हमारे वित्त मंत्री जी ने साहसिक कदम उठाये हैं। मैं उनके इन कदमों की सराहना करता हूं।

अभी विपक्ष की ओर से बोलने वाले माननीय रेड्डी साहब ने कहा कि हमारा दल हमारी जो मूलभूत नीति थी, हमने जो समाजवाद का लक्ष्य अपनाया था उससे पीछे हट गया है। लेकिन उनको यह भ्रम है। इस बजट में जिस तरह के प्रावधान दिए गए हैं वे सब इस बात का संकेत करते हैं कि वे केवल अरबपतियों या करोड़पतियों के लिए नहीं है बल्कि हमारे देश के जन-साधारण लोगों की वास्तव में जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति उनसे होती है और उनको लाभ देने के लिए ये प्रावधान हैं। जो बजट आम लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता वह बजट प्रेक्टिकल बजट नहीं होता बल्कि एक युटोपियन बजट होता है। यह बजट एक प्रेक्टिकल बजट है।

मान्यवर, पिछले बजट में जो डेफिसिट था और जिन परिस्थितियों में माननीय वित्त मंत्री जी ने वह बजट पेश किया था उसको भी समझ लेने की आवश्यकता है। हमें मालूम है कि पिछले बजट में किस प्रकार से डेफिसिट रहा जिसको कि पूरा करने का एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व हमारे वित्त मंत्री जी पर रहा। पिछले बजट में 3,660 करोड़ रुपये का डेफिसिट था। मौजूदा वित्त मंत्री जी ने बड़े साहसपूर्ण ढंग से इस डेफिसिट को 3,359 करोड़ का रखा है। इस बजट में जो इस तरह के डेफिसिट का प्रावधान किया गया है उसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा।

माननीय वित्त मंत्री जी ने यह कहा कि आई० एम० एफ० से रुपये की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे सबसे पहले वित्त मंत्री हैं जिन्होंने यह कहा है। जब हक आई० एम० एफ० से लोन लेते थे

तो हमारे विरोध पक्ष के भाई आलोचना करते थे और आज जब वित्त मंत्री जी ने यह घोषणा की है कि हमें किसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी से अधिक रेट आफ इन्ट्रेस्ट पर लोन नहीं लेना है तो हमें इस बात का स्वागत करना चाहिए और इस बात के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। यही नहीं है, अभी आपने कहा कि नान डेवलपमेंट एक्सपेंडीचर बढ़ गया है, लेकिन आपको मालूम है कि हमारी सबसे पहली प्राथमिकता इंट्रेस्ट पेमेंट करने की है। आप जानते हैं कि भारतवर्ष के ऊपर जितना ऋण है, फण्डिंग और नान-फण्डिंग राशि का, उस पर हमारी रेवेन्यू रिसीट का लगभग 23 प्रतिशत लाभ केवल इंट्रेस्ट के पेमेंट में जाता है। फूड के बारे में कहा जाता है कि खाद्यान्न महंगा हो गया, उसके ऊपर कितनी सबसिडी दी जा रही है, तेल, कूड और पेट्रोल मंगाने के लिए कितनी सबसिडी दी जा रही है, क्या विरोध पक्ष चाहता है कि इस सबसिडी को समाप्त कर दिया जाए, क्या वे इसके पक्ष में कहेंगे ? मेरी मान्यता है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, वह एक बेलेंस बजट है और जो आज वित्त विधेयक लाए हैं और उसके साथ जो और घोषणाएं की हैं, उनसे और चार चांद लगे हैं। मैं यहां पर यह निवेदन करना चाहूंगा कि भारतवर्ष की आबादी सारे विश्व की आबादी का 15 प्रतिशत है और भारतवर्ष की आमदनी सारे विश्व की आमदनी का केवल 1.5 प्रतिशत है। इन परिस्थितियों में किसी भी डेवलपिंग कंट्री के वित्त मंत्री के लिए आज के युग में अपने देश का विकास करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए और ऐसे भारतवर्ष में जिसमें जनसंख्या इतनी हो, आपको मालूम है कि पापूलेशन का इन्फ्लेशन बहुत बड़ी समस्या है, इतनी बड़ी समस्या के होते हुए वित्त मंत्री जी के लिए सेवंथ फाइव इयर प्लान तैयार करना बहुत मुश्किल काम था। अब भी जो नक्शा सेवंथ फाइव इयर प्लान का आपके सामने है, हो सकता है कि दो साल के बाद मिड टर्म अप्रेजल के समय फिर इस पर विचार करना पड़े और अधिक राशि का प्रावधान करना पड़े। ऐसी परिस्थितियों में किसी भी विकासशील देश के वित्त मंत्री के लिए और खास तौर से उस प्रजातांत्रिक देश के वित्त मंत्री के लिए जो देश विश्व का सबसे बड़ा प्रजातन्त्र हो, उसमें बजट पेश करना, आम आदमी को इस बजट का फायदा मिले, ऐसा बजट पेश करना यह अपने आप में बहुत कठिन कार्य है। जिस दक्षता से वित्त मंत्री जी ने यह काम किया है, जिस निपुणता से यह काम उन्होंने अपने हाथ में लिया और पूरा किया, उसकी हम सब लोग तारीफ करते हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी को देश के अन्दर, खासतौर से रोजगार के साधन बढ़ाने के लिए कुछ बातों की ओर ध्यान देना होगा। मान्यवर, आप जानते हैं कि देश के अन्दर सबसे अधिक खाद्यान्न अभी तक 153.5 मिलियन टन 1983-84 में हुआ है और यह खाद्यान्न उत्पादन 166 मिलियन हैक्टर एबंल लैण्ड में हुआ है। अभी भी हम 1983-84 के खाद्यान्न उत्पादन रेट को देखकर प्रसन्न नहीं हो सकते, यह पर्याप्त नहीं है। जो दूसरे मुल्क हैं, उनके मुकाबले में हमारे यहां कृषि उत्पादन का औसत बहुत कम है। प्रश्न यह है जो आज हमारे वित्त मंत्री के सामने है। केवल दो ही सेक्टर ऐसे हैं, जिनके माध्यम से हम देश में रोजगार दे सकते हैं— देश के सामने सबसे बड़ी समस्या रोजगार देने की है और रोजगार आप इंडस्ट्रीज के माध्यम से दे सकते हैं या खेती को और अधिक विकसित साधन देकर वहां पर आप कुछ लोगों को और अधिक रोजगार दे सकते हैं। आपके पास 68 मिलियन हैक्टर लैण्ड इरीगेटेड है। सिक्स्थ फाइव इयर प्लान में आपने 56 से बढ़ाकर 68 मिलियन हैक्टर इरीगेटेड लैण्ड की है और आज हमारे पास 166 मिलियन हैक्टर में से केवल 68 मिलियन हैक्टर इरीगेटेड लैण्ड है। आज यह चुनौती भरा प्रश्न है कि कितनी अधिक से अधिक जमीन को हम इरीगेटेड बना सकते हैं, पानी के साधन दे सकते हैं। इसी से हमारा उत्पादन बढ़ सकता है और खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ने से ही जी० एन० पी० का रेट

बढ़ता है। छठी पंचवर्षीय योजना में जी० एन० पी० के रेट को सबसे अधिक बढ़ावा कृषि उत्पादन से ही मिला। इसको हम जितना बढ़ाएंगे, उतना देश के अन्दर उत्पादन बढ़ेगा और सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने का है, वह लक्ष्य भी तभी प्राप्त होगा। इससे प्रोडेक्टिविटी का लक्ष्य प्राप्त होगा और सातवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार की प्राप्ति की जो आशा व्यक्त की गई है, जो कि समाजवादी समाज की रचना का प्रमुख भाग है, वह पूरी हो सकेगी। जिस देश के अन्दर मैन-पावर रेसोर्सेस अपने आप में बहुत बड़ा रिसोर्स हो, उसको यूटीलाइज करने में ही बुद्धिमानी है। उसको किस तरह से यूटीलाइज कर सकते हैं, इसके लिए दो ही सेक्टर आपके सामने हैं। एक औद्योगिक सेक्टर है और दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर है। मैं मानता हूं कि औद्योगिक क्षेत्र में आपने बहुत सुविधाएं दी हैं और जो पेड़ आपने लगाया है अधिक विकास का, वह निश्चित रूप से आने वाले तीन, पांच सालों में फल देगा। अगले तीन वर्षों में या पांच वर्षों में निश्चित रूप से करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार के साधन बढ़ेंगे और जो आप बजट को दिशा देना चाहते थे, जो प्रशंसनीय कार्य आपने इस बार के बजट में करने का प्रयत्न किया है, उससे देश में रोजगार के साधन खुलेंगे और अब अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।

इसके साथ-साथ मैं चाहता हूं कि जितने हमारे देश में इरीगेशन प्रोजेक्टस चल रहे हैं, जैसे राजस्थान में श्रीमती इन्दिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट है, जिसका नाम पहले राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट था, दूसरा माही बजाज सागर प्रोजेक्ट है, नर्मदा परियोजना है, इन सबका कार्य बहुत मंथर गति से, धीमी गति से चल रहा है। आपने इन प्रोजेक्टस में जो पूंजी निवेश किया है, पूंजी नियोजन किया है, उसका लाभ देश को नहीं मिल रहा है। उसका कारण इन प्रोजेक्ट्स की एक्जीक्यूशन में देरी होना है। इससे न केवल प्रोजेक्ट में कास्ट एस्केलेशन होता है, बल्कि देश को जो लाभ मिलना चाहिए, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए थी, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, उन सबमें देश पीछे रह जाता है। सिर्फ उस प्रोजेक्ट का एस्टीमेट बढ़ता जाता है। इस तरह हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस स्थिति में सुधार लाने की ओर ध्यान दें।

इसी तरह जहां आपने औद्योगिक क्षेत्र की तरफ ध्यान दिया है, मैं चाहता हूं कि आप उसी तरह कृषि क्षेत्र की तरफ भी ध्यान दें। तभी आपके प्रयत्नों से हमारे किसान की औसत पैदावार कुछ बढ़ सकती है। मैं इस बात से सहमत हूं कि उर्वरक और फर्टिलाइजर में बहुत बड़ी छूट किसानों को दी है। इसके साथ-साथ उर्वरक का इनपुट भी आज बढ़ा है और किसान पहले से ज्यादा फर्टिलाइजर प्रयोग करने लगा है, फिर भी आज दुनिया भर में जिस रेट पर किसान उर्वरकों या फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करता है, उसकी तुलना में हिन्दुस्तान में वह रेट बहुत कम है। इसके दो कारण हैं—एक तो कारण यह है कि हमारे यहां ड्राई फार्मिंग इरीगेटिड लैण्ड नहीं है और दूसरा कारण यह है कि यहां के किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि जिस वक्त उसे फसल बोनी हो तो उस पैसे को काम में ला सकें। इसलिए आपको दोनों क्षेत्रों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। जिस समय सोइंग सीजन आता है, चाहे रबी का हो या खरीफ का हो, आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि कैसे किसान को उर्वरक, इनपुट्स या दूसरे हाई ब्रीड सीड्स उपलब्ध करवाए जाएं। यदि आप इस दृष्टिकोण से बजट पर दोबारा विचार करेंगे और प्रावधान करेंगे तो मैं समझता हूं कि इससे देश की इकानामी पर बहुत अच्छा और अनुकूल असर पड़ेगा।

इसके साथ ही जहां मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने इंडस्ट्रीज के मामले में जिस तरह की छूट की घोषणा की और पहली बार इस सदन में ऐसा बजट हमारे सामने

पेश किया, जिसकी दूसरी मिसाल नहीं मिलती। यह अपने आप में केवल बजट ही नहीं है, बल्कि हमारे दल, हमारी पार्टी और भारत सरकार के इकानामिक चार्ट, इकानामिक फिलौसफी और इकानामिक आइडियोलौजी का जीता-जागता प्रतिबिम्ब है। इसमें आपने जो पैकेज दिए हैं, उसके आधार पर हमको इंडस्ट्रीज में कुछ नौर्म्स तय करने हैं और सबसे पहली आवश्यकता यह है कि जिस तरह से इंडस्ट्रीज के मामले में जिले को बेस बनाया गया है, आने वाले समय में, सातवीं पंचवर्षीय योजना में, जो अब से 8-9 महीने बाद शुरू होने वाली है, आपको यह देखना है कि हम उसका आधार बदल कर कैसे ब्लाक लेवल को कर दें जिससे हमारे देश से बेरोजगारी दूर हो सके और इंडस्ट्रीज का विस्तार हो सके, उद्योग धन्धों का विस्तार हो सके और जैसे ही हमारे देश में उद्योग धन्धों का विस्तार होगा, उतना ही अधिक से अधिक लोगों को काम मिलेगा।

मान्यवर, हमारे देश में आज 24 मिलियन लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, जिनमें से ढाई करोड़ व्यक्ति तो एम्पलायमेंट एक्सचेंजेज में दर्ज हैं और एक अनुमान के अनुसार लगभग साढ़े चार करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं। इनमें से ढाई करोड़ लोग तो एम्पलायमेंट एक्सचेंजेज में दर्ज हैं और दो करोड़ व्यक्ति अशिक्षित होने के कारण दर्ज नहीं हैं। आज इस देश के सामने और सदन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि किस तरह से इन साढ़े चार करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए, जो रोजगार मांगते हैं। उसी चुनौती का जवाब हमारा यह बजट है जो अपने आप में ऐसे रिसोर्सेज पैदा करता है एम्पलायमेंट के ऐसे रिसोर्सेज पैदा करता है जिससे अधिक-से-अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे वित्त मंत्री जी ने इंडस्ट्रीज मामले में जिन कन्सेशन्स की घोषणा की है, उसके कारण देहात की कौटेज इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग धन्धे हैं, छोटे कारीगर हैं, जैसे मोची, पौटर, ब्लैकस्मिथ गांवों में काम कर रहे हैं···

3.00 म० प०

वे जो काम कर रहे हैं, उनके लिए अधिक से अधिक सहूलियतें देने की आवश्यकता है और आज कहीं ऐसा न हो कि बड़ी इंडस्ट्री वालों का जो प्रभाव है, वह उन पर पड़े। इसलिए उनको बढ़ावा देने के लिए ज्यादा सहूलियतें देने की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि पिछले वर्ष और इस वर्ष भी कॉटन इंडस्ट्रीज के जितने भी फिनिश्ड गुड्स हैं, उनसे जितना फारेन-एक्सचेंज हमने कमाया है, वह अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है और आज विदेशों के अन्दर हमारी कॉटन इंडस्ट्रीज में तैयार होने वाले माल की बहुत ज्यादा मांग है। इसलिए खासतौर से आपको उस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।

अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि आपने जो ये कन्सेशन्स दिए हैं, चाहे वे वैल्थ टैक्स में हैं, चाहे एस्टेट ड्यूटी के एबोलिशन में हैं और चाहे वे इन्कम टैक्स में हैं, ये अपने आप में बहुत प्रशंसनीय हैं। इनकी सभी ओर से प्रशंसा हुई है। इसके साथ-साथ मैं इस ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और आपने भी पहले सदन के सामने कहा था कि टैक्स का जो स्ट्रक्चर है, उसका सरलीकरण करना आवश्यक है, चाहे वह पब्लिक सैक्टर हो, चाहे वह इंडीविजुअल टैक्सपेयर हो, टैक्स स्ट्रक्चर को और सरल बनाया जाए। आज हम देखते हैं कि चाहे पब्लिक सैक्टर है चाहे इंडीविजुअल टैक्सपेयर है, उसको बहुत बड़ी दिक्कत टैक्स पे करने में आती है। आपने सरलीकरण किया है, इस बात को सारा देश स्वीकार करता है, किन्तु इसके साथ-साथ और अधिक टैक्स स्ट्रक्चर के सरलीकरण की आवश्यकता है।

आपने अभी समरी एसेसमेंट के लिए एक लाख दिया है, यह जो छूट दी है, यह भी आपका एक प्रशंसनीय कदम है। आपने सेशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी की बात जिस तरह से कही है,

समाज को आगे बढ़ाने के लिए आपने बहुत प्रयास किया है और टू व्हीलर तथा थ्री व्हीलर्स पर जो आपने एक्साइज-ड्यूटी में कमी की है, यह कदम भी प्रशंसनीय है। इसका फायदा जो कम आमदनी वाले बहुत से लोग हैं, उनको सीधा पहुंचेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारा जो पब्लिक सैक्टर है, उसकी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं और आज जो विरोधी दल के माननीय सदस्य कह रहे थे कि पब्लिक सैक्टर की तरफ आपका ध्यान कम है, वह ठीक प्रतीत नहीं होता है। मेरा पूरा विश्वास है कि हमारा देश, हमारे नेता, हमारी पार्टी और हमारे दल के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, फलेगा-फूलेगा। हमारा, देश की सेवा करने का जो लक्ष्य है, हमारी पार्टी, हमारा दल और हमारे नेता, उसी लक्ष्य पर चल रहे हैं और समाजवाद और पब्लिक सैक्टर की उन्नति, यही हमारी पार्टी के सिद्धान्त हैं, इन पर चलकर हमारा देश बहुत उन्नति करेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस वित्त-विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री वी० एस० विजयराघवन** (पालघाट) : महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। यह विधेयक जो बजट में शामिल उन प्रस्तावों के सम्बन्ध में है, भारतीय अर्थ-व्यवस्था के सन्धि-काल को सूचित करते हैं। इस बजट की मैंने बहुत आलोचना सुनी है। वामपंथियों ने यह कहा है, यह बजट पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था की ओर बढ़ने का प्रयास है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि श्री पालकीवाला तथा बड़े व्यापार वाले कई अन्य प्रवक्ताओं ने इसका समर्थन किया है। यदि हम बजट का केवल इस आधार पर कि पालकीवाला ने क्या कहा है, अवमूल्यन करते हैं तो मुझे भय है कि हम निष्पक्ष दृष्टि से मूल्यांकन नहीं करने वाले हैं।

इस वर्ष के बजट में दो दिशाओं में दो बड़े-बड़े प्रयास दृष्टिगोचर होते हैं। एक प्रयास कुछ नियंत्रणों के रूप में है, जिन्हें अनावश्यक रूप से हटाया जाना था। इस प्रयास का मुख्य प्रयोजन उत्पादन की गति को बढ़ाना है। निगम कर, व्यक्तिगत कर में छूट तथा अन्य कई रियायतें, अधिक निवेश योग्य अभिशेष पैदा करने की दृष्टि से दी गई हैं। इसके अतिरिक्त सरकार को यह भी आशा है कि इससे कर की चोरी कम होगी और राजस्व अधिक प्राप्त होगा। इस प्रयास के बारे में क्या खराबी है? एक आधुनिक सरकार इस अनुमान पर नहीं चल सकती कि सभी करदाता चोर हैं। अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि कर की ऊंची दर होने से कर की अधिक चोरी होगी। इसलिए, कर की मौजूदा दर में परिवर्तन आवश्यक था।

दूसरी दिशा श्रमिक वर्ग की समस्याओं के सम्बन्ध में है। इसके पश्चात् एक कम्पनी के बन्द होने पर कामगारों को देय राशि, रक्षित जमा के समान मानी जाएगी। इससे कामगारों की समस्याओं को हल करने में सरकार की ईमानदारी का पता चलता है। सरकार ने कामगारों के कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण विधान लाने का भी वचन दिया है।

इस प्रकार उत्पादक क्षेत्र मूल बातों के सम्बन्ध में सरकार एक युक्तिसंगत विधि अपनाई है। एक निवेश योग्य अभिशेष बनाने और दूसरी कामगारों के कल्याण से सम्बन्धित है। श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में सरकार द्वारा भारतीय अर्थ-व्यवस्था में परिवर्तन लाया गया है। इस सम्बन्ध में सरकार

*मलयालम में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

को कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में सावधान करूंगा। वह मूल्य स्तर के बनाए रखने की आवश्यकता के बारे में है। सरकार ने यह माना है कि मार्च-अप्रैल के दौरान थोक मूल्यों में 2.3% की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि बजट में कर सम्बन्धी प्रस्तावों और रेलवे के बजट में नई बढ़ोत्तरी के परिणामस्वरूप हुई। सामान्यत: थोक मूल्यों में और परचून मूल्यों में कोई सम्बन्ध नहीं है। जब थोक मूल्य स्थिर भी होते हैं तो खुदरा मूल्यों में बढ़ोत्तरी हो जाती है। तदनुसार यदि इतनी थोड़ी अवधि में थोक मूल्यों में 2.3% की वृद्धि हुई है तो परचून मूल्यों के क्या वृद्धि होगी इसके बारे में कोई भी अन्दाजा लगा सकता है। तदनुसार मेरा सरकार से अनुरोध है कि मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जायें। सरकार ने अधिक से अधिक वस्तुओं का वितरण उचित दर दुकानों के माध्यम से करने की नीति को अपनाया है। परन्तु सरकारी वितरण प्रणाली (पी० डी० एस०) को सफल बनाने की दृष्टि से राज्य सिविल सप्लाई की वित्तीय स्थिति को सशक्त बनाना होगा। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन निगमों को वित्तीय सहायता दी जाए और सरकारी वितरण प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की जाए।

भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। 1983-84 में हमारे कृषकों ने 1510 लाख टन से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन किया। इस वर्ष इसके और अधिक होने की आशा है। इसका ध्यान किया जाए कि हमने इस वर्ष गेहूं का निर्यात करने का निर्णय किया है। 7वें दशक में हमने खाद्यान्न का अमेरिका से आयात किया था परन्तु 9वें दशक में हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि हम खाद्यान्न का निर्यात कर सकते हैं। यह हमारे किसानों के कारण सम्भव हुआ है। परन्तु यह कहने की माफी चाहता हूं कि हमारे किसानों की बहुत-सी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। मुख्य समस्या यह है कि उन्हें अपने उत्पादन के लिए लाभकर मूल्य प्राप्त नहीं होता। यह एक आम शिकायत है कि मूल्य निर्धारित करते समय ए० पी० सी० उत्पादन की लागत में वृद्धि को पूर्णत: ध्यान में नहीं लेती है। तदनुसार खाद्यान्नों का मूल्य निर्धारित करते समय और युक्तिसंगत विधा अपनाई जाए।

जब मैं इस मुद्दे पर बोल रहा हूं तो मुझे केरल में धान उत्पादकों की दयनीय स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान धान का उत्पादन 16 लाख टन से घटकर 12 लाख टन हो गया है। इसका मुख्य कारण धान की कीमत में कमी होना और निवेश लागत में बहुत अधिक वृद्धि होना है। केरल के किसान ऋणों को, जिसे उन्होंने बैंकों से लिया है, वापस करने में समर्थ नहीं हैं। जब तक वे पिछला ऋण वापस नहीं करते तब तक नया ऋण उन्हें नहीं दिया जाएगा और यदि उन्हें श्रण नहीं मिलता तो वे कृषि कार्य आरम्भ नहीं कर सकते। इस प्रकार किसान द्विविधा में फंसे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि ऋणों की वापसी पर दो वर्षों की अवधि के लिए ऋण स्थगन की घोषणा की जाए। इसके अलावा उन्हें कीटनाशक दवाइयां और उर्वरक छूट प्राप्त दरों पर सप्लाई किए जायें। मैं धान के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए भी सरकार से अनुरोध करता हूं। एक अन्य सुझाव देना चाहता हूं यह है कि कृषकों को उत्पादन बोनस दिया जाए। इस प्रकार मेरा अनुरोध है कि सरकार द्वारा केरल के धान उत्पादकों को सहायता देने के लिए सभी सम्भव उपाय किए जाने चाहियें।

मैं एक या दो और समस्यायें सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। केरल में इस समय कांग्रेस के नेतृत्व में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार है। यह सरकार उस राज्य में बहुत सी उपलब्धियां लाने में समर्थ है। कानून और व्यवस्था को पुन: सुनिश्चित किया गया है 20 सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित किया गया है तथा औद्योगिक शांति स्थापित की गई है। इस अवधि के दौरान यह हुआ कि हानि होने श्रम दिनों की संख्या कम होकर न्यूनतम हो

गई। सामाजिक सेवाओं की ओर बहुत अधिक ध्यान दिए जाने के कारण केरल सरकार वित्तीय समस्या का सामना कर रही है। जब से वित्त आयोग ने केरल राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी में रखा है, केन्द्रीय आबंटन कम हो गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि 7वीं योजना का कुल परिव्यय उतना ही रखा जा रहा है जितना कि छठी योजना में था। इससे हमारे बहुत से विकासात्मक कार्यक्रमों में कटौती हो जाएगी। इसलिए मैं सरकार से केरल के लिए योजना परिव्यय में वृद्धि करने के लिए अनुरोध करता हूं।

औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में केरल बहुत पिछड़ा हुआ है। केरल में केन्द्रीय निवेश नगण्य है। राज्य को 23 लाख बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना है। यदि वहां पर औद्योगिक विकास नहीं होगा तो उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना सम्भव नहीं होगा। तदनुसार मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि राज्य को औद्योगिक विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए। इस सन्दर्भ में मैं सरकार को रेल के डिब्बों की फैक्ट्री का उदाहरण देता हूं। केरल सरकार ने अवसंरचनात्मक सुविधायें कम दरों पर उपलब्ध कराने का वचन दिया था। परन्तु इसे केरल में स्थापित नहीं किया गया। मेरा अनुरोध है कि 7वीं योजना में कम से कम पालघाट में रेल के डिब्बों का कारखाना स्थापित किया जाए। इसी प्रकार वाणिज्यिक तथा अन्य फसलों को उपयोग में लाकर उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, लघु उद्योग में रबड़ पेपर के लिए काफी बड़ी संख्या प्रोसैसिंग यूनिटें लगाई जा सकती हैं। इस प्रकार यदि विभिन्न तरह के उद्योग स्थापित किए जाते हैं तो हम बेरोजगारी की समस्या को कम कर सकते हैं। माननीय प्रधानमन्त्री ने नवयुवकों के कल्याण के लिए काफी रुचि ली है और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे केरल में बेरोजगार युवकों की समस्याओं पर विशेष ध्यान दें।

महोदय, मैंने आरम्भ में यह कहा है कि इस वर्ष का बजट एक साहसपूर्ण कदम है। यदि हम सरकार द्वारा आरम्भ की गई नीतियों को कार्यान्वित करते हैं तो हम अगले 5 वर्षों में देश के स्वरूप को बदलने में समर्थ हो जायेंगे। वित्त विधेयक का मैं पुनः समर्थन करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

3.10 म० प०

[श्रीमती वसव राजेश्वरी पीठासीन हुईं]

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : अध्यक्ष महोदय, यह बजट प्रस्तावों का आखिरी हिस्सा है और इस वित्त विधेयक के साथ इसे अन्तिम रूप दिया जा सकता है। बजट पर हमने सामान्य तौर पर पहले ही विचार-विमर्श किया और उस समय हमने अपनी आशंकायें व्यक्त की थीं कि प्रत्यक्ष करों में अधिक छूट देने और अप्रत्यक्ष करों में बढ़ोत्तरी करने से सामान्य रूप में मूल्यों की बढ़ोत्तरी होगी। वह डेढ़ महीना पहले की बात थी और इस अवधि के दौरान मूल्यों में इस तरह से वृद्धि हुई जो हमारी आशंकाओं से कहीं अधिक है। इनमें बढ़ोत्तरी बहुत अधिक तेजी से हुई। इस डेढ़ महीने के दौरान इनमें 2.5 से 3% तक की वृद्धि हुई। यह थोक मूल्य हैं। परचून मूल्यों में वृद्धि का मुझे पता नहीं है। यह बहुत अधिक है। यह इसलिए हुआ क्योंकि सरकार ने विशेष दर्शन को अपनाया है, और इस आशंका को उत्पन्न किया है वे इस दर्शन में विश्वास रखते हैं और इसके सही कार्यों का अनुसरण करने की भी कोशिश की कि यदि कर में राहत से बचत होती है तो उस बचत को निवेश के रूप में लाया जाएगा और उस निवेश से अधिक रोजगार प्राप्त होगा और उत्पादन बढ़ेगा। यह सिद्धांत उन अर्थशास्त्रीयों का है जिन्होंने पूर्ति को ही ध्यान में रखा है। सरकार ने इस बजट को

तैयार करते समय उस विशेष विचारधारा पर बहुत अधिक ध्यान दिया है। अथवा इसकी ओर उन लोगों को राहत देने के लिए, जिन्हें यह राजनैतिक विचार से राहत देना चाहते हैं, उस विचारधारा का लाभ उठाया है। यद्यपि सरकार ने इस उद्देश्य से ईमानदारी के साथ कार्य किया जिससे निवेश में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, रोजगार के अवसर पैदा हों, फिर भी मेरे विचार में भारत के संदर्भ में हमने जो देखा है वह यह है कि जब तक वे अनुत्पादक रूप में सम्पत्ति रखने या संभालने के लिए कुछ आर्थिक दण्ड न लगाया जाए लोग ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होंगे। आपने केवल उन्हीं विशिष्ट मदों के लिए ही नहीं, जो अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक है, बल्कि सभी तरह से सम्पत्ति कर में राहत दी है। यदि राहत केवल उस सम्पत्ति के लिए जो उत्पादन में लगी है, जो संयन्त्र और मशीनरी के रूप में है, और वे चीजें जिनमे सामान और सेवाओं की उत्पत्ति होती है, के लिए दी जाती तो मैं यह कह सकता था कि आप एक विशेष आर्थिक विचारधारा को अपनाने के लिए पूरी तरह से प्रयत्नशील हैं। परन्तु अब सम्पत्ति कर में कमी करने से लोग अपनी मर्जी अनुसार अपनी सम्पत्ति को किसी भी रूप में रख सकते हैं और फिर किस कर का लाभ उठायेंगे। वे इसे भूमि, स्थायी सम्पत्ति के रूप में रख सकते हैं, जो उत्पादक नहीं हैं, वे इसे सोने के रूप में या किसी भी बहुमूल्य वस्तु के रूप में रख सकते हैं, जिनका मूल्य, मूल्य वृद्धि के रूप में बढ़ता जाता है। इस प्रकार वे अपनी सम्पत्ति को मुद्रा स्फीति के लिए बचाव के रूप में ऐसी मदों की किस्मों को रख सकते हैं। इसके लिए कोई आर्थिक दण्ड नहीं हैं। यदि ऐसा कोई जुर्माना रखा जाता तो इसके लिए कार्यवाही करने, एक विशेष विचारधारा पर विश्वास रखने और इसके कार्यान्वयन के लिए प्रयास करने के लिए मैं पूरा समर्थन देता। परन्तु ऐसा नहीं किया गया है।

समाजवाद और सरकारी संस्था उपक्रमों में सरकार की चिन्ता, शासक दल की चिन्ता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मन्च से अभी हाल ही में व्यक्त बल्कि इसका उल्लेख किया गया है। परन्तु वित्त विधेयक की अन्तिम कार्रवाई में सरकार के कार्य मे मैंने इसे नहीं पाया। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है जिससे पता चले कि सरकार का अभी भी सरकारी क्षेत्र में दृढ़ विश्वास है और निजी क्षेत्र के समर्थक नहीं हैं। दूसरी ओर अन्य दिशा में, जो भी छूट दी गई है, नामशः सरकार और निजी उद्योग स्थापित करने के लिए प्रयास कर रही है, सरकार सरकारी क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र पर अधिक जोर दे रही है। इस प्रकार वे दो बातें कर रहे हैं जब वे लोगों के समक्ष बात करते हैं तो वे एक बात कहते हैं परन्तु जब यह इस अन्तिम चरण जिससे अन्ततः कम से कम अगले एक वर्ष के लिए आर्थिक व्यवस्था का निर्णय होगा, में पहुंचा है तो वे जो कुछ कर रहे हैं वह पूर्णतः भिन्न है। इस तरह की दोहरी बात की जा रही है जिसमे शासक दल नियमित रूप से लगा हुआ है। तदनुसार, मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि क्या वे यह देखने हेतु कि कर में दी गई राहत को उत्पादन में लगाया जाता है तथा अनुत्पादक सम्पत्ति के रूप में नहीं रखा जाता, कुछ परिवर्तन करने के बारे में विचार करेंगे।

मूल्यों में पहले ही वृद्धि हो गई है। आप इस सम्बन्ध में क्या करने जा रहे हैं? अब हुई वृद्धि की तुलना भविष्य में उस वृद्धि से जब वित्त विधेयक का प्रभाव, अप्रत्यक्ष कराधान की दरों में वृद्धि, रेलवे किराए और भाड़े में वृद्धि इत्यादि, सामने आएगी, नहीं की जा सकती। क्या आप जनता को, कम से कम आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित कर कुछ राहत देने के बारे में कार्रवाई कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल सरकार तथा वामपंथी मोर्चे के लोग 14 वस्तुओं को जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लाने समर्थन तथा प्रचार करते आ रहे हैं। उन वस्तुओं के मूल्यों को नियन्त्रण में रखा जाना चाहिए अथवा पूरे भारतवर्ष और सुदूर ग्रामों में भी इसी मूल्य पर वितरित की जानी चाहिए। सम्भवतः यह

निर्धन लोगों को मूल्य वृद्धि के प्रति राहत पहुंचाने का केवल मात्र उपाय है। और जो कुछ आप कहेंगे उससे गरीबों को कोई राहत नहीं होगी। यह एक कड़ावट रहेगी परन्तु यदि आपको अभी भी मत (वोट) प्राप्त होंगे, आप यही कहते रहेंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप उस काम से एक इंच भी नहीं हिलेंगे जो काम आपको करना है।

कर राहत देने में कुछ विशेषतायें हैं। उदाहरण के तौर पर, धन कर की दर कम कर दी गई है। दर बहुत घटा दी गई है, मैं कह दूं, 5 से 2 प्रतिशत तक। मुझे व्यापारियों ने भी कहा है कि उन्हें इस प्रकार की आकस्मिक तथा इतनी बहुत कटौती की आशा नहीं थी। वह अत्यन्त प्रसन्न हैं। लेकिन यह सरकार के अथवा सत्तारूढ़ दल के समाजवाद में विश्वास के अनुरूप नहीं है। अतः मैं समझता हूं कि उन्हें कम से कम एक ऐसी भाषा में बात करनी चाहिए जिसमें उनके कार्य की व्याख्या की जा सकती है। धन कर 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करके और साथ ही समाजवाद की बातें करना असंगत है।

इसी प्रकार सम्पदा शुल्क। इसे हटाने (समाप्त करने) का कारण यह बताया गया है कि इसकी वसूली पर बहुत ज्यादा लागत आती थी। अब वसूली की लागत को कम करने में इतने वर्षों में क्या कुछ प्रयास किए गए हैं—वह हमें नहीं बताया गया। हमें केवल यह कहा गया है कि यह बहुत ज्यादा और अलाभकारी है अतः इसे हटाया जा रहा है। अतः मैं उसी आधार पर सोच रहा हूं कि बाद में कोई और कर भी समाप्त किए जायेंगे। धन कर, कटौती के पश्चात अब बहुत कम होगा। अगले वर्ष वित्त मंत्री धन कर को समाप्त करने का सुझाव लेकर आ सकते हैं क्योंकि उस समय यह बहुत ही कम होगा, अतः वसूली की लागत अब उचित नहीं है। इसी प्रकार विभिन्न बहानों पर करों को कम किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह हमें स्पष्टतः बताए कि उन्होंने सम्पदा कर की वसूली को कम करने अथवा ढांचे अथवा अन्य सभी चीजों को सरल बनाने के लिए क्या उपाय किए हैं। ऐसा क्यों नहीं किया गया है? पाश्चात्य पूंजीवादी देशों में लोगों को अभी भी सम्पदा शुल्क देना पड़ता है।

लोक-हित के प्रति व्यवहार के सम्बन्ध में जिसके विषय में सत्तारूढ़ दल ने अपने मंच से बहुत कुछ कहा है, जब केन्द्र और राज्य के बीच धन के पुनः वितरण का प्रश्न उठता है तो इस प्रकार का व्यवहार व्यक्त नहीं किया जाता। हम अभी भी महोदया, आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा उसी दृष्टिकोण का पालन कर रहे हैं। जिसे 1930 के दशक में सर आटो निमेयर ने भारत सरकार को दिया था। देख रहे हैं कि केन्द्र का राज्य सरकारों के वित्त के सम्बन्ध में पूरी लापरवाही कर रही है राज्य सरकारों को एक प्रकार पालिकाओं की तरह रख रही हैं और भिक्षा दी जा रही हैं और उनके संवैधानिक कर्तव्यों को निभाने के लिए पर्याप्त वित्तीय साधनों का प्रबन्ध नहीं कर रही है। ऐसा ही रवैया है। निःसन्देह, दफ्तरशाही वैसी की वैसी है और जिन लोगों ने पुराने शासकों का स्थान लिया है उन्होंने उन्हीं का दर्शन अपनाया है। परिणामस्वरूप, यह दिखाने के लिए कि पिछले कुछ वर्षों से क्या हो रहा है मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रख सकता हूं। हम देखते हैं कि 1977-1980 में केन्द्र का योजना बजट 6412 करोड़ रु० था और सभी राज्यों का योजना बजट कुल मिलाकर 6099 करोड़ रु० था। वर्ष 1982-83 तक स्थिति लगभग ऐसी ही रही। वर्ष 1984-85 में केन्द्र का योजना बजट 17,351 करोड़ रुपये हुआ जबकि राज्यों का योजना बजट 12,781 करोड़ था। यह एक तिहाई कम है। केन्द्र का योजना बजट बढ़ रहा है जबकि राज्यों का योजना बजट नहीं बढ़ रहा है।

महोदय, शिक्षा, स्वास्थ्य कृषि और उन सभी चीजों का ध्यान कौन रखेगा जिससे आम आदमी का कल्याण हो। यह राज्य सरकार है जिसकी संवैधानिक तौर पर यह जिम्मेवारी है। केवल केन्द्रीय सरकार कुछ विशेष केन्द्रीय योजनाओं द्वारा राज्य सरकारों की सहायता करती है। उससे अधिक कुछ नहीं। फिर भी राज्य सरकारों को अंधेरे में छोड़ दिया जाता है जबकि केन्द्रीय सरकार की वित्त व्यवस्था बढ़ती जाती है। केन्द्रीय सरकार अब ऐसा करने के लिए कर लगाने पर आश्रित नहीं है। वह बाजार से ऋण लेते हैं। सभी राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋणों में से केन्द्रीय सरकार को 80 प्रतिशत मिलता है। केन्द्र यह भी कहता है कि राज्य सरकार को कितना ऋण मिल सकता है। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के साथ क्यों न मिल कर बैठे और उनकी आवश्यकताओं को देखकर उन्हें अतिरिक्त पूंजी प्रदान करें ? केन्द्र सरकार क्यों निर्धारित करे कि राज्य सरकार को कैसा ऋण मिलना चाहिए और वह किस विशेष दिशा में धन को खर्च कर सकते हैं। मैंने योजना आयोग की सलाहकार समिति की बैठक में पूछा कि योजना का अनुमोदन कौन करता है ? मुझे कहा गया कि यह राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की एक बैठक में पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा के मुख्यमन्त्री उठकर बाहर चले गए क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्हें इस प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली कि कार्य-सूची क्या है, और उन्हें सुझाव देने के लिए समय तक नहीं दिया जाता है। अत: यह बैठक केवल केन्द्र द्वारा आयोजित बैठक होती है। केन्द्रीय सरकार योजना बनाती है और राज्य के मुख्य मन्त्रियों को अपनी सहमति देने तदा अपने हाथ उठाने के लिए कहा जाता है। वास्तव में किसी प्रकार का परामर्श नहीं होता है। यह परामर्श का दिखावा मात्र है। इस प्रकार के व्यवहार से बचके ही रहना चाहिए। इस व्यवहार ने हमारी सहायता पहले नहीं की है न ही यह भविष्य में मैं हमारी सहायता कर सकता है। हमारा देश विश्व का सबसे पिछड़ा हुआ देश है और हम जो कुछ कहें पिछले 30 वर्षों में हमने जो प्रगति की है वह विश्व में न्यूनतम है। (व्यवधान)

किसी व्यक्ति ने मेरे सामने कहा कि 1660 लाख एकड़ भूमि में हम 1530 लाख टन अनाज उत्पन्न करते हैं। प्रधान मन्त्री तथा अन्य मन्त्री सरकार को इसके प्रयासों के लिए प्रशंसा कर रहे हैं। महोदय, चीन 1000 लाख एकड़ भूमि से 4000 टन अनाज पैदा करता है अर्थात् 4 टन प्रति एकड़ जबकि हम .9 टन प्रति एकड़ उगाते हैं। क्या यही हमारी सफलता है ! (व्यवधान) मैंने अभी उन्हें उत्तर दिया है। मैं इसे (वाद-विवाद) फिर उठाना नहीं चाहता था। आदरणीय सदस्य के तर्क ने मुझे विस्मित किया ! तभी तो मैंने (यह ?) कहा।

महोदय, श्री माधव रेड्डी ने ओवरड्राफ्ट का प्रश्न उठाया है। मैं पूरी तरह उनका समर्थन करता हूं। ओवरड्राफ्ट का प्रश्न कुछ इस प्रकार का है जिसके सम्बन्ध में आपको राज्यों से परामर्श लेना चाहिए। आप यह नहीं कह सकते हैं कि 'आपका ओवरड्राफ्ट इतना होगा जितना यह किसी वर्ष किसी विशेष दिन था ! यह ऐसे नहीं हो सकता है। राज्यों को कितने ओवरड्राफ्ट की आवश्यकता है, यह सारा राज्य की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। किसी व्यापारी को नहीं लीजिए जो व्यापार करता है; उसका पैसा उसके पास समय पर नहीं आता है ताकि वह उत्पादन आरम्भ कर सके। यही स्थिति सरकार की भी है। इसी प्रकार कभी सरकार का पैसा समय पर नहीं चलता है। उन्हें सरकार का कार्य चलाना है। उन्हें वेतन देने हैं। उन्हें निर्माण कार्य आगे ले जाने हैं। प्रत्येक चीज रुक जाती है। मैं नहीं जानता कि क्या यह जानबूझ कर किया गया—ऐसा हो सकता है—राजनैतिक दबावों अथवा अन्य कारणों से पश्चिमी बंगाल में वामपंथी मोर्चा सरकार को गिराने के लिए किया गया ? लेकिन क्या इसका कोई प्रभाव पश्चिमी बंगाल के विकास पर पड़ा ? बहुत बुरी बात है, क्योंकि

1982 से लेकर केन्द्र द्वारा ओवरड्राफ्ट के विषय में अपनाये गये रवैये से ऐसा हुआ है। क्या होता है जब सरकार बैंकिंग प्रणाली से पैसा उधार लेती है और सरकार उसे वापस नहीं करती? यदि कोई राज्य सरकार ऋणी हो अथवा राज्य सरकार निगम किसी केन्द्रीय सरकार निगम का भारी धन राशि का ऋणी हो और वह पैसा चुकाने का कोई प्रयास न करे तो क्या होता है? कुछ नहीं होता है, यदि वह राज्य हो जहां वही सत्तारूढ दल है जो केन्द्र में सत्तारूढ़ दल है? महोदय, मुझे कहा गया है कि पंजाब सरकार ने बैंकिंग प्रणाली से खाद्यान्न एकत्र करने के लिए 600 करोड़ रुपए उधार लिए थे। यह सब ठीक है। खाद्यान्न इकट्ठे करने हैं। लेकिन पैसा भी तो वापस करना है। महोदय, अब मैं चाहूंगा कि आदरणीय वित्त मन्त्री इस माननीय सदन को बता दें कि इन 600 करोड़ रुपयों में कितना वापस चुका दिया गया है। एक महीना पूर्व मुझे यह सूचना थी कि उन्होंने 600 करोड़ रुपए की धनराशि अपने पास ही रखी है। क्यों? महोदय, यह अब एक केन्द्र शासित प्रदेश है। इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश, एस० ई० बी० ने एन० टी० पी० सी० से 2000 करोड़ जैसी अनोखी धनराशि उधार ली है। उन्होंने अभी वह बिल नहीं चुकाया है। अब क्या होता है? इसी प्रकार और कई उदाहरण हैं। मैं उन सभी का वर्णन करके सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता, न मेरे पास विस्तृत रूप में पूरी सामग्री है। लेकिन मैं माननीय वित्त मन्त्री से पूछना चाहूंगा, कि यदि हर स्तर पर अनुशासनहीनता हो तो क्या हो सकता है, जब कुछ विभिन्न सरकारी उपक्रमों ने केन्द्रीय सरकार उपक्रमों अथवा केन्द्रीय सरकार से धन उधार लिया है और वापस नहीं किया है? ऐसा उचित नहीं है। लेकिन आप ऐसा करते रहे हैं। आप यह अच्छी तरह जानते हैं। आप उनके ओवरड्राफ्ट बढ़ाना अस्वीकार कीजिए अथवा आप उनके चेक अस्वीकार कीजिए। सौभाग्यवश अपने लिए हम इसे केन्द्र में सत्तारूढ़ दल के नियंत्रण के अन्तर्गत रख सके, और अतः हम किसी प्रकार से इसकी पूरी कठिनाई से बच गए।

महोदय, रोजगार इस सरकार का लक्ष्य नहीं रहा है। अब विभिन्न माननीय सदस्यों द्वारा क्या कुछ कहा गया है, हम तात्पर्य समझे बिना ही उन टेकनालोजी उद्योग आरम्भ कर रहे हैं।

महोदय, मुझे सन्देह है कि क्या वह लोग जो इस देश में सदा से कम्प्यूटरों के महत्त्व तथा विभिन्न अन्य उच्च टेक्नालोजी उपकरणों (सीमा शुल्क तथा अन्य चीजें दिए बिना) का समर्थन करते हैं इसका तात्पर्य नहीं समझ पाते। मुझे विश्वास है कि अब कुछ उन्नत कम्प्यूटरों जिन्हें उन्नत कम्प्यूटर प्रणाली कहा जाता है, के लिए कोई सीमा-शुल्क नहीं है। हम इसका अर्थ नहीं जानते। और वास्तव में कुछ कम्प्यूटर विशेषज्ञ भी यह न समझा सके कि इस 'एडवान्सड कम्प्यूटर सिस्टम' का अर्थ क्या है और "प्रणाली" शब्द का अर्थ क्या समझा जाता है। फिर भी मेरा मुद्दा केवल यही है। जब तक रोजगार के सम्बन्ध में कुछ निश्चित उपाय नहीं किए जाते हैं, यदि किसी भी प्रकार के नियंत्रण के बिना ही इस अभिप्राय की अनुमति दी जाती है, उससे क्या होगा? हमारी अर्थव्यवस्था का क्या होगा? हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति का क्या होगा? हम नहीं जानते। हमें डर है कि जब तक कुछ दूसरे क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के उपाय नहीं किए जाते हैं इससे रोजगार क्षमता में भारी मात्रा में कमी आएगी।

महोदय, कोई कम्पनी जो एक अथवा दो कम्प्यूटर लगवा कर अपने क्लर्कों की संख्या में कमी करती है, उस कम्पनी का यह कर्तव्य होना चाहिए कि कम्प्यूटर लगवाने से जिन लोगों को बेकार बनाया गया है उन्हें किसी दूसरे स्थान पर नियुक्त किया जाए। रोजगार के अवसर किसी भी प्रकार कम नहीं होने चाहिएं। अब ऐसी व्यवस्था कहां है? इस वित्त विधेयक अथवा इस सदन के समक्ष सरकार द्वारा लाए गए उपायों में कुछ नहीं है।

"रुग्ण उद्योगों" की समस्या के सम्बन्ध में मुझे कहना चाहिए कि वर्तमान मन्त्री मण्डल में से किसी ने भी इस समस्या को नहीं समझा है। विभिन्न रुग्ण उद्योगों के सम्बन्ध में मुझे कई मन्त्रियों के पास जाना होगा। लेकिन रुग्ण उद्योगों के सम्बन्ध में सभी विचार एक-जैसे हैं।

मुझे कहना चाहिए कि वे कहते हैं, यदि आप रुग्ण हैं, तो आप पैसा वापस करो, या आप काम बन्द करो और कर्मचारियों को पैसा देकर निकाल दिया जाये। एक सुविधा है जिसकी वित्त मंत्री ने घोषणा की है। यदि मालिकों को पैसा दिया जाना है उससे क्या होता है कि उनकी पूरी मजदूरी (वेतन) दी जाती है। इसे प्राथमिकता दी जायेगी। बहुत अच्छा। लेकिन किसमें से इसकी अदायगी होगी? वास्तव में कुछ नहीं। अधिकतम मामलों में, रुग्ण उद्योग, जिनके साथ अब हमारा सम्बन्ध है, ऐसे उद्योग हैं जिनका प्रबन्ध सरकार ने 6, 10 अथवा 12 वर्ष पूर्व अपने हाथों में लिया है। लेकिन कोई पूंजी नहीं लगायी गई है। उन्हें बहुत कठिनाई से जारी रखा गया है। यद्यपि मजदूरी दी गई है और कुछ उत्पादन भी आरम्भ हुआ है फिर भी किसी प्रकार की पूंजी नहीं लगायी गई है। टेक्नालोजी में किसी प्रकार की उन्नति का प्रश्न नहीं उठता है। अतः इसी समय क्या हुआ है? वह सभी आर्थिक अव्यवहार्य हुए हैं। लेकिन यदि केन्द्रीय सरकार इस प्रकार का व्यवहार अपना ले कि 'आप अब व्यवहार्य नहीं हैं, हम क्यों पूंजी लगाएं?' फिर उन उद्योगों को बन्द किया जाना चाहिए।

केन्द्रीय सरकार ने इस मामले में बिल्कुल वही कुछ कहा है जो नियोक्ता संगठन के चेयरमैन ने भी किसी समाचार पत्र में कहा था जो मैंने कल पढ़ा। यह बिल्कुल ऐसा ही लगा जो प्रधान मन्त्री ने रुग्ण उद्योगों के सम्बन्ध में कहा है। यदि उद्योग समाप्त हो जाता है, तो उन लोगों का क्या होगा जो वहां नियुक्त हुए हैं? कभी वहां हजारों लोग नियुक्त होते हैं। अब उनका क्या होगा? कोई भी इसके विषय में नहीं सोचता है। कोई भी गहराई मे नहीं सोचता है। लेकिन उनमें से अधिक श्रमिकों को उनकी कारीगारी और अनुभव का प्रयोग करके व्यवहार्य बनाया जा सकता है। आजकल भारत में हमारे पास औद्योगिक क्षमता है जिसका प्रयोग पचास अथवा साठ प्रतिशत से अधिक नहीं होता है। अच्छा, ऐसा क्यों है? इसलिए कि यह उद्योग अपने उत्पाद का विक्रय करने में समर्थ नहीं है। वह अपना उत्पाद विक्रय करने में समर्थ नहीं हैं क्योंकि औद्योगिक वस्तुओं का विक्रय-स्थल बहुत ही कम है। ऐसा इस कारण है क्योंकि बहुत कम लोगों के पास खाद्य बजट के पश्चात् औद्योगिक वस्तुओं पर खर्च करने के लिए शेष बचता है। वास्तव में भारत में बहुत कम लोगों को दो समय का पेट भर भोजन मिलता है। कोई भी व्यक्ति जो ईमानदारी से दिन में दो बार खाना खाता है उसके पास औद्योगिक माल खरीदने के लिए कम रुपया बचता है। रोजगार अवसरों में वृद्धि की जानी चाहिए लेकिन मुझे पूरे बजट में अथवा अनुदानों की विभागीय मांगों मे इसके कोई संकेत नहीं दिखाई देते हैं कि रोजगार बढ़ाने के लिए इनमें कोई वास्तविक सक्रिय प्रयास हैं।

ग्रामीण विकास क्षेत्र के सम्बन्ध में भी जो कुछ किया गया है वह सिर्फ उन्हीं लाइनों पर कुल मिलाकर कामचलाऊ कार्य किया गया है। वस्तुतः कुछ वृद्धि हुई है? वृद्धि होनी चाहिए क्योंकि मूल्यों में वृद्धि होती रही है। ग्रामीण परिसम्पत्ति सृजन में उन्हें अत्यधिक वृद्धि करनी चाहिए और ऐसा केवल उन व्यक्तियों को रोजगार देकर ही हो सकता है जो वर्ष में केवल 30, 40 या 50 दिन ही कार्य करते हैं और शेष दिनों में बेकार रहते हैं। अतः उन लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए और उन्हें रोजगार उपलब्ध करके ही परिसम्पत्तियों का सृजन किया जाना चाहिए। इसके लिए ग्रामीण विकास के लिए एक विशाल रोजगार कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने इस प्रकार का कोई कार्यक्रम शुरू नहीं किया है।

हमारा जोर मुख्य रूप से उद्योग पर नहीं होना चाहिए; मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमें कुछ नहीं रखना चाहिए लेकिन मैं यह कहता हूं कि कृषि और ग्रामीण विकास पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। मुझे यह कहने में खेद है कि वित्त विधेयक में उसका कोई संकेत नहीं है और यहां तक कि इसका संकेत किसी विभागीय अनुदान में भी नहीं है।

अब वित्त मन्त्री ने एक बात कही है। कहीं इस बात के लिए उन्हें श्रेय भी मिला है। उन्होंने कहा है कि एक फसल बीमा योजना है लेकिन यह एक बहुत ही छोटा उपाय है और यह प्रयोगात्मक उपाय है। इस उपाय का यह अर्थ होगा कि जो व्यक्ति बैंकों से ऋण ले रहे हैं उनको बीमा की किसी किस्म से लाभ मिलेगा ताकि लिए गये ऋण को बैंकों को चुकाया जा सके। किसान तथा निर्धनों के लाभ के लिए यह फसल बीमा योजना नहीं बनायी गयी है। जो कुछ चाहिए—और इस सुझाव को मैंने पहले योजना आयोग को भी दिया था— वह यह है कि अधिक पैदावार वाली किस्में जिन्हें भारत के केवल एक भाग में लागू किया गया है—केवल उत्तरी भारत में—भारत के सभी भागों में लागू की जानी चाहिए।

किसान प्रायः रूढिवादी होते हैं, इसलिए अधिक पैदावार वाली किस्मों के बीजों के लिए उनकी फसल का बीमा किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जा सकता है और किसान अधिक पैदावार वाली किस्मों के बीजें तो इससे पर्याप्त रोजगार पैदा होंगे क्योंकि इन अधिक पैदावार वाली किस्मों के लिए श्रम की आवश्यकता होती है। जैसाकि मैंने कहा था यदि इन अधिक पैदावार वाली किस्मों के लिए फसल बीमा योजना शुरू की जानी और विशेषकर उन इलाकों में जहां ये अभी तक लोकप्रिय नहीं हुई हैं, तो आपने कुछ अच्छी बात की होती। यह एक वित्तीय उपाय है, राजकोषीय उपाय नहीं है। आप इस बात पर विचार कर सकते हैं।

एक अन्य बात भी है जिसे मैं नहीं चाहता जो कम्पनियां ग्रामीण विकास में लगी हुई थीं उन्हें रियायतें मिला करती थीं, ग्रामीण विकास के लिए खर्च की गई निधियों में कमी होती थी। उस कटौती को वापस ले लिया गया है। पिछले बजट में ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में व्यापार मण्डल द्वारा खर्च किये गये व्यय के सम्बन्ध में कटौती को वापिस ले लिया गया था। इस वर्ष कम्पनियों द्वारा ग्रामीण विकास पर व्यय के सम्बन्ध में उपबन्ध को हटा दिया गया है। मेरा विचार यह नहीं है कि यह ठीक है क्योंकि प्रसार कार्य करने के लिए आपके पास पर्याप्त व्यक्ति नहीं है। जो कम्पनियां इस प्रसार कार्य को कर रही थीं उनमें से कुछ कम्पनियां अच्छा कार्य कर रही थीं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : गैर-सरकारी क्षेत्र में तथा विश्वास।

श्री अमल दत्त : कुछ व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में बहुत रुचि रखते हैं। इसलिए कुछ रुपया व्यय किया जा रहा था। वस्तुतः वे अपनी जेब से रुपया खर्च करने में इच्छुक नहीं हैं। लेकिन यदि रुपया खर्चा करने से उनको कुछ कर बचा सकते या कम करा सकते तो निश्चय ही कुछ व्यक्ति इसके लिए खर्च करते। इस सम्बन्ध में कुछ कम्पनियां अच्छा कार्य कर रही थीं। उस सम्बन्ध में मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। यदि सरकार उनकी जगह काम करती तो मुझे खुशी होती। वास्तव में, मैं यह चाहता हूं कि सरकार उनकी जगह कार्य करे लेकिन क्या सरकार ऐसा करने की स्थिति में है। 100 से भी अधिक ऐसी प्रयोगशालाएं हैं जो किसी न किसी रूप में कृषि और इससे सम्बन्धित उत्पादों के सम्बन्ध में अनुसधान कार्य में लगी हुई हैं। इन प्रयोगशालाओं में जो ज्ञान एकत्रित हुआ है, उसका क्या किया जाता है? इन प्रयोगशालाओं को सरकारी निधियों से वित्त दिया जाता है। वैज्ञानिक विकास पर 1000 करोड़ रुपये से भी अधिक रुपये खर्च किये जा रहे हैं लेकिन इसके परिणाम

किसानों तक नहीं पहुंचते हैं। सरकार के पास प्रसार सेवा नहीं है। मैंने विभिन्न प्रयोगशालाओं के अध्यक्षों से बातें की हैं और उनसे यह पूछा है कि आप जनता के पास जाकर उन्हें जानकारी से अवगत क्यों नहीं कराते हैं। उन्होंने बताया कि उनके पास रुपया नहीं है वे एक वर्ष में 15-20 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दे सकते हैं। भारत जैसे देश में इस प्रकार के 15-20 व्यक्तियों से किस प्रकार काम चल सकता है। उससे कृषि में भी प्रगति नहीं होती है। आपको इस देश में एक बहुत अच्छी विस्तार प्रणाली रखनी पड़ेगी। हमारी प्रयोगशालाओं के पास पर्याप्त ज्ञान है, जिसे किसानों तक पहुंचाया जाना आवश्यक है और यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार चीन करता आ रहा है। वहां हर बात किसानों तक पहुंचाई जाती है। लेकिन हमारे देश में हर बात प्रयोगशालाओं में ही रहती है और वह बहुत थोड़ी मात्रा में किसानों तक पहुंचती है।

प्रो० एन० जी० रंगा : हमारे देश में सभी राज्यों में "प्रयोगशाला से खेत तक" सम्बन्धी बहुत अच्छा कार्यक्रम है।

श्री अमल दत्त : अन्त में आपने कहा है कि कम्पनियों द्वारा राजनैतिक योगदान देने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह इस कारण से है कि इससे भ्रष्टाचार कम होगा। निःसन्देह राजनैतिक योगदान भी भ्रष्टाचार का एक कारण है। और हमने हमेशा इस बात को कहा लेकिन प्रश्न यह है कि यदि आप यह कहते हैं कि अब खुले रूप से कम्पनियों द्वारा राजनैतिक योगदान दिया जा सकता है और इससे अब भ्रष्टाचार पूर्णतः दूर हो जायेगा, यह इस प्रकार का नहीं होगा ? यह इसलिए है कि इससे आपका काला धन क्षेत्र रहेगा। काला धन क्षेत्र—खेत धन की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। कम्पनियों के सम्बन्ध में व्यापार क्षेत्र के सम्बन्ध में काला धन श्वेत धन की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है।

आप व्यय की दर घटाने मात्र से ही काला धन पैदा होने को कैसे कम करने जा रहे हैं ? यह होने वाला नहीं है। आपने कहा है कि कर वसूली बढ़कर 200 करोड़ रुपये तक हो जायेगी। आपने यही कहा है। 200 करोड़ रुपये के अधिक कर वसूल करने से ही आप काला धन क्षेत्र को कैसे हटा सकते हैं। आप इसे हटा नहीं सकते। इससे प्रति वर्ष कम से कम 10,000 करोड़ रुपये पैदा होते होंगे। काला धन क्षेत्र रहेगा। राजनैतिक भ्रष्टाचार रहेगा। यह किसी अन्य नाम से होगा जिसके अन्तर्गत सत्ताधारी राजनैतिक दल को बड़े-बड़े दान प्राप्त होंगे। अतः यह बिल्कुल ही राजनैतिक विचार है। इसमें कोई औचित्य नहीं है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या माननीय सदस्य यह जानते हैं कि सत्ताधारी दल में पश्चिम बंगाल की पार्टी भी शामिल हैं ?

श्री अमल दत्त : पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी केवल उनके ही सम्बन्ध में शासन कर रही है जिनके ऊपर इसको अधिकार है। इसको कम्पनियों के सम्बन्ध में कोई अधिकार नहीं है। इसको उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में अधिकार है जो खेती करते हैं, जो भूमिहीन हैं और जो बर्गादार हैं। वे हमारी पार्टी को धन देते हैं। अन्यथा हमारी पार्टी अस्तित्व में नहीं रह सकती है। अपने भाषण को समाप्त करते हुए मैं एक अच्छा शब्द कहना चाहता हूं। मैं इस बात की सराहना करता हूं कि चाय उद्योग को रियायतें दी गयी हैं। प्रारम्भ में यह कम्पनियों तक ही सीमित थी। आजकल वित्त मन्त्री ने इसे साझेदारी और मालिकी तक भी बढ़ा दिया है मैं यह आशा करता हूं कि इसमें सहकारिता को भी शामिल कर लिया जायेगा। क्योंकि फिलहाल चाय के मूल्य में वृद्धि के कारण इसमें भी वृद्धि होगी। निर्यात वाली चाय को ऊंचे मूल्य पर बेचा जाता है। जिस चाय का 30 रुपये प्रति किलो के

हिसाब से निर्यात होता है उसे जब पेकेटों में पश्चिम देशों में उपभोक्ताओं को बेचा जाता है, तो अन्त में इसे 90 रुपये या 100 रुपये प्रति किलो केहिसाब से बेचा जाता है। दीर्घकालीन आधार पर इस मूल्य वृद्धि को प्रोत्साहन देते हुए, बढ़े मूल्य पर चाय निर्यात को तीव्र करने के लिए इसे योजना का अंग बनाना चाहिए। इसमें समय लगेगा। यदि ऐसा किया जाता तो इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती। कृपया यह याद रखें कि टी० टी० सी० आई० की स्थापना श्री ज्योतिर्मय वसु के प्रयासों के फलस्वरूप की गई। उन्होंने पश्चिमी देशों का यह देखने के उद्देश्य से दौरा किया था कि भारत की अपेक्षा विदेशों में पैकेटों में चाय किस मूल्य पर बेची जा रही है। इसके पश्चात् उन्होंने सरकार से निवेदन किया और टी० टी० सी० आई० की स्थापना की गई। लेकिन उस समय से ही यह ठीक स्थिति में नहीं है। वित्त मन्त्री जिनके पास वाणिज्य मन्त्रालय भी है, टी० टी० सी० आई० की स्थिति में सुधार करने तथा यह देखने के लिए कि इसके सभी निर्यात बढ़े मूल्य रूप में होते हैं, कुछ कदम उठाने की कृपा करें।

[हिन्दी]

श्री मोहन भाई पटेल (जूनागढ़) : मैडम चेयरमैन, पिछले दो महीने से इस बजट के दोनों पक्षों को लेकर हम बहस कर रहे हैं और आज वित्त विधेयक हमारे सामने विचार के लिए पेश है। देश के हर कोने से और समाज के हर वर्ग की ओर से इस बजट की तारीफ हुई है और वित्त मंत्री जी को भारत के कोने-कोने से अभिनन्दन मिला है। उन्होंने इस बजट को तैयार करने से पहले भारत के विभिन्न पार्ट्स की समस्याओं को बहुत गौर से सुना, उनकी राय सुनी और बजट पेश करने के बाद भी लगातार आज तक वे लोगों की राय सुन रहे है। रात में दो बजे तक वे लोगों से सम्पर्क करते रहते हैं, उनकी राय जानते हैं और क्या पौजिटिव एप्रोच हो सकती है, वह करने की कोशिश कर रहे हैं।

इस हाउस में जो बजट पेश किया गया है, उसके सम्बन्ध में समाज में कई तरह की प्रतिक्रिया है, जहां कई लोगों ने इसकी तारीफ की है, वहीं कुछ लोगों ने बजट में दिखाये गये डैफिसिट, इसमें विकास दर क्या होगी, उसको लेकर आलोचना की है। मैं उस सबमें नहीं जाना चाहता बल्कि यहां जो वित्त विधेयक पेश हुआ है···

मैं, सिर्फ फायनेंस बिल, जो यहां पेश हुआ है, उसकी दो-तीन बातें माननीय वित्त मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। आपने कृषि के बारे में काफी राहत दी है, रियायत दी है और अभी भी देते जा रहे हैं। मैं जो पहली बात कहना चाहता हूं वह 10 हार्स पॉवर से जो कम के इंजन हैं और जो सिर्फ कृषि में ही लगते हैं, उनके बारे में कहना चाहता हूं। माननीय मैडम चेयरमैन, अपने देश में सिंचाई की सुविधा कम है और बिजली की स्थिति भी अच्छी नहीं है। इसलिए पूरे देश में जहां ट्यूबवैल से सिंचाई कर रहे हैं, उन किसानों के लिए सिंचाई का पूरा आधार आयल इंजन है। जिनके खेत पर बिजली है, वे भी कृषि कार्य के लिए आयल इंजन रखते हैं क्योंकि पता नहीं बिजली कब चली जाए। इसलिए इसको सब्सटीट्यूट करने के लिए आयल इंजन रखना पड़ता है। इसलिए आयल इंजन का अपने देश के कृषि के विकास में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जहां कैनाल इरिगेशन नहीं है, वहां तो आयल इंजन का महत्व और भी बढ़ जाता है, इसलिए इसका अपने देश के कृषि विकास में महत्वपूर्ण हिस्सा है।

आज, यह आयल इंजन 68 टैरिफ में आता है। पहले इसकी स्थिति क्या थी और यह कब से यहां आ गया, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि 1960 के पहले कोई भी टैरिफ में नहीं था, इंजन भी नहीं था, उसका कंपोनेंट भी नहीं था।

[अनुवाद]

पहली बार वर्ष, 1960 में कृषि डीजल इंजिनों को टैरिफ की मद 29 में शामिल किया गया था। फिर वर्ष, 1965 में 10 अश्व शक्ति के उपर्युक्त इंजिनों को अधिसूचना संख्या 138/65 द्वारा मुक्त किया गया था। फिर वर्ष, 1975 में डीजल इंजिनों के पुर्जों को टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत शामिल किया गया, यह वर्तमान टैरिफ मद 68 है। पहली बार वर्ष 1975 में पुर्जों को शामिल किया गया। अभ्यावेदन देने के पश्चात् अधिसूचना संख्या 114/75 द्वारा डीजल इंजिनों को मुक्त किया गया। फिर 1979 में मेरे विचार से जनता शासन में अधिसूचना संख्या 26/79 द्वारा इस रियायत को वापस ले लिया गया। इसे वापस ले लिया गया।

[हिन्दी]

तो यह कृषि और देश के विकास में महत्व का हिस्सा है। जो कॉमन मैन है, जो ट्रेक्टर नहीं रख सकता है, अपना दूसरा कोई सामान नहीं रख सकता है, वह आयल इंजन रखता है। इस प्रकार से यह एक प्रायमरी नैसेसिटी फार्मर की है। इसमें बहुत से चेंज होते रहे और आज वह 68 टैरिफ में आ गया है तो मेरी यह मांग है कि 10 हार्स पॉवर के इंजन पर कोई ड्यूटी नहीं है, लेकिन उसके कंपोनेन्ट पर है। जब कंपोनेन्ट पर ड्यूटी आ जाती है, तो वह इंजन पर ड्यूटी आ जाती है। इसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई सिर्फ कंपोनेन्ट बनाए, तो 68 टैरिफ लगाते हैं और अगर कोई इंजन असैम्बल करे, तो उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं है, क्योंकि सिर्फ कंपोनेन्ट बनाने के ऊपर ड्यूटी है। यदि इंजन बनाने वाला कंपोनेन्ट बनाकर, इंजन असैम्बल कर ले, तो कोई ड्यूटी नहीं है। इसलिए आज हालत यह हो गई है कि इंजन बनाने वालों के सामने कंपोनेन्ट बनाने वालों का टिकना मुश्किल हो गया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इंजन को 68 टैरिफ में नहीं रखा जाए, क्योंकि यह पहले भी कभी नहीं था। इसलिए उसको टोटली एग्जम्प्ट कर देना चाहिए। 20 दिन पहले हमने वित्त मंत्री से निवेदन किया था, तब उन्होने यह बताया था कि हम तो आयल इंजन को टोटली एग्जम्प्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसमें कई पार्ट ऐसे होते हैं जिनका उपयोग दूसरी जगह पर भी होता है जैसे बीयरिंग और फ्यूल इन्जेक्शन पम्प। इनका टैरिफ अलग होता है और इसमें सेट-अप का सवाल ही नहीं आता। हमारी मांग है कि एक्सक्लूसिव पार्ट जो उसी इंजन में इस्तेमाल होता है, उसको एक्साइज से निकाल देना चाहिए। आपने अपनी स्पीच के पार्ट 'बी' में कहा था—

[अनुवाद]

उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद 68 के सम्बन्ध में शुल्क की दर को वर्तमान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत किया जा रहा है। इससे प्रतिवर्ष केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के रूप में 125 करोड़ रुपये और बराबर शुल्क के रूप में 60 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व मिलने की सम्भावना है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इससे उस कच्चे माल और विनिर्मित आदानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनकी उत्पादन के लिए आवश्यकता होती है क्योंकि अन्य उत्पादन शुल्क लगने योग्य माल के उत्पादन में उपयोग किए गए मद 68 के अन्तर्गत आने वाले माल पर चुकाये गये शुल्क की क्षति-पूर्ति करने के लिए वर्तमान उपबन्ध जारी रहेंगे।

यह बात आपने जो कही है, वह इसलिए लागू नहीं होती क्योंकि 10 हार्स पावर का इंजन टोटली एग्जम्प्टेड है और इसीलिए आयल इंजन का सेट नहीं लगता है, वह इस पर लागू नहीं होता।

आपने कई कामन यूज की आइटम के कांपोनेन्ट्स को लास्ट बजट में एग्जम्प्ट किया है जैसे साइकिल, स्युइंग मशीन। यह भी प्रोडक्शन की नीड है, इसको भी टोटली एग्जम्पशन दी जानी चाहिए।

टैरिफ 68 के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि आयल इंजन के सिवाय बाकी आइटम पर हमारी बात कहने से पहले ही इसमें सुधार कर दिया है। मुझे डर है कि अब हमारी बात सुनी जायेगी या नहीं क्योंकि अभी आपने सुधार किया है, इसके बाद फिर करेंगे या नहीं। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो 30 लाख के बजाय 20 लाख तक आपने एग्जम्पशन की है और 20 से 30 तक बजाय 50 परसैन्ट के 25 परसैन्ट कर दिया है, तो यह कारखाने चलाने वाले बहुत छोटे आदमी हैं। वह एक ही कमरे में 2 मशीनें लगाते हैं तो 20 से 30 लाख का प्रोडक्शन हो जाता है। पूरे देश में 40,000 ऐसे कारखाने हैं जो टैरिफ 68 में आ गये हैं। उनमें से कई कारखाने वाले ऐसे हैं जो खुद आर्टिजन हैं, कारीगर से मालिक बने हैं, सरकारी नीति के कारण बैंक से लोन मिलने के कारण तो, उनके पास कोई बुनियादी सुविधा नहीं है एक्साइज मेन्टेन करने के लिए कोई क्लर्क भी नहीं है। वह इतने अनपढ़ हैं कि यह उनके ऊपर एक जंजीर हो जायेगी। जब यह सीमा 30 लाख थी तो वह 28, 29 तक रुक जाते थे। वह एक्साइज में नहीं आना चाहते थे। आज क्या हुआ है कि 30 से आपने 20 कर दिया, उन्हें 16 लाख पर रुकना पड़ेगा, नहीं तो वह एक्साइज की जंजीर में आ जायेंगे।

4.00 म० प०

हमारी आपसे प्रार्थना है कि 30 लाख का कर दिया जाये तो ज्यादा समस्या सुलझ सकती है। अगर आपने 25 प्रतिशत किया है उसमें अगर 25 की बजाय 40 कर देते तो हमें एतराज नहीं है, लेकिन 30 वाला 20 हुआ उस पर आप कंसीडर करें क्योंकि छोटे कारखाने वाले हमारे राजकोट में 4 से 5 हजार हैं, उसमें से 2 हजार बन्द हो गए हैं। उनका रिप्रेजेंटेशन भी आया है। मुझे दो दिन पहले फोन भी आया है कि हम एजीटेशन कर रहे हैं। जब तक फाइनेंस मिनिस्टर कुछ करेंगे नहीं तो समस्या हल नहीं हो सकती।

10 हार्स पावर वाला इंजन जो कृषि में इस्तेमाल होता है, उसके कम्पोनेंट को एग्जम कर दिया जाये। ऐसा आप जरूर सोचेंगे। इसी प्रार्थना के साथ आपका यह जो फाइनेंस बिल है, उसको मैं सपोर्ट करता हूं।

श्री राजकुमार राय (घोसी) : सभापति महोदय, मैं आठवीं लोक सभा के इस पहले वित्त विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। यह वित्त विधेयक जो फाइनेंस बजट था, उसको लैजिस्लेशन शेप देने के लिए जिसको वित्त मंत्री जी ने रखा है, उसमें कुछ ऐसी खूबियां हैं कि जिसके कारण सदन के दोनों तरफ बैठे हुए सदस्यों ने इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। यह अत्यन्त ही व्यावहारिक है। इसके पहले जो कर के मामले औपचारिकताओं से भरे रहते थे, उससे स्थिति यह होती थी कि लाख प्रयास करने के बाद जो सरकार टैक्स लेना चाहती थी, नहीं ले पाती थी, लेकिन हमारे वित्त मंत्री ने बहुत ही खुले दिल से उन बातों को स्वीकार किया है और उन औपचारिकताओं को खत्म करके इस स्थिति में ला दिया है कि सरकार को उससे ज्यादा टैक्स मिले और औपचारिकताओं के पालन में जो अनावश्यक खर्च होता था, श्रम व्यय होता था, उससे छुटकारा मिल सके।

जहां इस बजट से इण्डस्ट्रीज को ज्यादा इन्सेंटिव मिलते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जिन अच्छी भावनाओं से हमारे वित्त मंत्री जी ने इसको रखा है कि आने वाले दिनों में हमारे देश

में उद्योग होंगे और उससे रोजगार के ज्यादा साधन खुलेंगे, उस सम्बन्ध में 2-3 बातें कहना चाहता हूं।

हमारे बहुत से लोगों ने आशंका व्यक्त की है कि टैक्स बहुत थोड़े बढ़े, सुविधाएं ज्यादा मिलीं, लेकिन इसके बाद भी महंगाई इस तरह बढ़ गई जिससे आम आदमी को इस बजट के द्वारा काफी नुकसान हुआ। नमक जोकि आम आदमी के इस्तेमाल की सबसे छोटी आवश्यक चीज है, उसके दाम, खाद्यान्न के दाम और अन्य आवश्यक चीजों के दाम इस तरह बढ़े हैं कि मैं नहीं समझता कि इतना व्यावहारिक बजट आने के बाद भी इतना कुछ कैसे हो सका है।

वित्त मंत्री की हैसियत से माननीय वित्त मंत्री की जिम्मेदारी है कि हम जनता को ज्यादा राहत दिलाने का प्रयास करें।

जहां तक इस वित्त विधेयक के विनिमय का सवाल है, मैंने इसके पहले भी निवेदन किया था कि बहुत से ऐसे स्थान हैं, जहां पर नजर नहीं जा सकी है, जैसे हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश जिसके बारे में हमारे माननीय वित्त मंत्री उसके कोने-कोने को जानते हैं। वह जानते हैं कि इस तरह से उसका भला नहीं होने वाला है। वह एक ऐसी इकाई है, एक ऐसा यूनिट है जिसको अलग से देखकर उसके कम्यूनिकेशंस को, उसकी इंडस्ट्री को, उसके एग्रीकल्चर को, इर्रीगेशन को इन सब चीजों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। उस क्षेत्र को अलग से देखकर उसके विकास के लिए अलग से एक प्राधिकरण नहीं बनाया गया, उसके विकास पर अलग से ध्यान नहीं दिया गया तो एक नहीं सैकड़ों बजट पेश होते रहेंगे और जहां सारे देश और सारे प्रदेश आगे बढ़ते रहेंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश वैसे ही कराहता रहेगा। मैं यह नहीं कहता कि देश के और हिस्से कमजोर नहीं हैं, गरीब नहीं हैं, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति एकदम नाजुक है।

बड़ी लाइन वहां एकदम नहीं के बराबर है। इसलिए मैंने निवेदन किया था माननीय वित्त मंत्री के जरिए, माननीय प्रधान मंत्री और रेल मंत्री के जरिए कि शाहगंज से बलिया की बड़ी लाइन को जल्दी पूरा किया जाए ताकि उस क्षेत्र की प्रगति हो सके। भटनी से बनारस की जो छोटी लाइन है उसमें इतनी कम प्रगति है, 16 कुछ की कि इस तरह की कितनी ही पंच वर्षीय योजनाएं खत्म हो जाएंगी और उनसे कुछ होने वाला नहीं है।

दूसरी चीजें जैसे दोहरी घाट, आजमगढ़ में एक थर्मल पावर स्टेशन की घोषणा माननीय इन्दिरा जी कर गई थीं, उसके बारे में मैंने पावर मिनिस्टर को और माननीय वित्त मंत्री एवं माननीय प्रधान मंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि इस फातवीं पंचवर्षीय योजना में इस बात का प्रावधान कर दिया जाए कि जो माननीया प्रधान मंत्री ने घोषणा की थी और जिसकी उपयोगिता भी थी वह जल्दी से बनाया जा सके। इसी के एक योजना ऊंचाहार में चली थी जिसका कार्यान्वयन हो गया है। अगर उसी के साथ इसे भी नहीं लेंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, बलिया, आजमगढ़ और गाजीपुर जहां इस एक ही थर्मल पावर स्टेशन के लग जाने से विकास की किरण पहुंच सकती है, वह वैसे ही अविकसित रह जाएगा। मगर वहां कुछ भी नहीं हुआ। जब भी कुछ कहा जाता है तो पासिटी आफ फन्ड्स और रिसोर्सेज की कमी की बात कह कर उसे टाल दिया जाता है।

यह हम लोगों का सौभाग्य है कि एक योग्यतम व्यक्ति आज भारत का वित्त मंत्री है लेकिन इससे बुरा कुछ नहीं होगा कि जो हर तरह की जिन्दगी व्यतीत करके आया है, जिसने कमजोर

क्षेत्रों को, गरीब क्षेत्रों को अपनी आंखों से बहुत ही गौर से देखा है उसके वित्त मंत्री रहने के बाद भी ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले और गरीब तबके वैसे ही छूट जाते हैं। फिर इनके भाग्य को आगे कौन सुधारने वाला है ?

मैं ज्यादा न कहकर जहां एक तरफ इसका समर्थन करता हूं उसके साथ ही माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि इन सारी चीजों पर अवश्य वह ध्यान दें। कांग्रेस की सरकार समाजवादी सरकार है। समाजवाद के लिए हम कटिबद्ध हैं। इसीलिए इसमें यह कल्पना की गई और माननीया इन्दिरा जी ने भी कहा था जिसकी बिना पर आर० एल० ई० पी०, एन० आर० ई० पी० जैसी योजनाएं चलाई गईं ताकि जब गरीब किसान खेतों पर फावड़ा लेकर जाए तो उसे कुछ अनाज मिल जाए, कुछ भोजन मिल जाए, कुछ मजदूरी मिल जाए और हिन्दुस्तान वह हिन्दुस्तान न रह जाए जिसके लिए दुनिया का कोई आदमी यह कह सके कि इस देश में किसी को करने को कुछ काम नहीं है। इसीलिए ऐसी योजनाएं बनाई गईं कि जिसमें जो भी जाए उसे काम पहले मिल जाए। इस एक बात की गारन्टी जहां हुई वहीं मैं कहूंगा कि इतनी सारी रकम का इम्प्लीमेंटेशन के दुरुपयोग के कारण कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। वह पैसा गरीब को नहीं मिल पा रहा है। एन० आर० ई० पी० का अगर सर्वे करा लें तो मालूम होगा कि जितना करोड़ रुपया भी जाता है वह सारा रुपया ठेकेदारी पर खर्च होता है। रुपया हम देते हैं गरीब के लिए ताकि वह कुछ काम करे, उससे सड़क, नहर या रास्ता बन जाए। वह हम इसलिए नहीं देते हैं कि उसका बहुत-सा हिस्सा सरकारी कर्मचारी और ठेकेदार मिल कर खा जाएं। जो सबसे आखिरी व्यक्ति है, सबसे कमजोर व्यक्ति है जिसको निशाना बनाकर हम इतना सारा रुपया देते हैं वह रुपया उस गरीब तक नहीं पहुंच पाता। बांटने के लिए आप बांट देते हैं लेकिन वह उसको नहीं मिलता। इसलिए जरूरत इस बात की है हम जो भी रुपया देते हैं वह उस तक पहुंचे और उसका समुचित लाभ उसको मिले। मुझे याद है कि मैं उत्तर प्रदेश में विधायक रहा और माननीय वित्त मंत्री जी वहां के मुख्य मंत्री रहे। हम एक बार यह स्वीकार कर लें कि जिसे हम देना चाहते हैं उसे देंगे जरूर। हम औपचारिकताओं को खत्म करेंगे, जैसे टैक्स में आपने खत्म किया। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर कोई चयनीत व्यक्ति है, जिसे शासन ने मान लिया है कि यह आखिरी व्यक्ति है जिसे भैंस दी जानी है, जिसको वह खिलाकर, दूध बेचकर अपने बच्चों का जीविकोपार्जन कर सके। इसके बीच में आपने इतनी औपचारिकताएं लगा दी हैं, इतनी पाबन्दियां लगा दी हैं, उसके कभी डाक्टर के पास दौड़ना पड़े और कभी बैंक वाले के पास दौड़ना पड़े, तो आपके द्वारा दी गई उस सहायता का कोई अर्थ नहीं रहता है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जब आपने फैसला किया है, शासन की दृढ़ नीति है, शासन की दृढ़ धारणा है कि शासन की तरफ से उस गरीबी को कुछ मदद देनी है, तो उस बेचारे को मिलने वाली उस सहायता के बीच में इतनी औपचारिकताएं लगाने का क्या मतलब है। माननीय वित्त मंत्री जी जब उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री थे, तो उन्होंने कहा था कि हम विकेन्द्रित नियोजन की आशा करते हैं। लेकिन उनके उत्तर प्रदेश से चले जाने के बाद उत्तर प्रदेश में वह स्थिति पैदा नहीं हुई। आज वे संयोग से केन्द्र में वित्त मंत्री हैं, मैं इस महान के माध्यम से उनसे निवेदन करूंगा कि वे इन सारी पाबन्दियों को हटाएं, जिससे शासन का जो रुपया उन तक नहीं पहुंच पाता है, वह पहुंचे। मैं आशा करता हूं कि वे इस औपचारिकता को खत्म करने की आज घोषणा करेंगे। एन० आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जी० पी० योजनाओं में काम ठेकेदारी प्रथा से न हों, अगर जहां कहीं पर भी हुए हैं, तो करने वाले लोगों को पिनलाइज किया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ आपका आभार प्रकट करता हूं।

[अनुवाद]

श्री गिरधारी लाल डोगरा (ऊधमपुर) : सभापति महोदया, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे कुछ शब्द कहने का अवसर दिया है। मैं एक लम्बा भाषण नहीं देना चाहता हूं बल्कि मैं वित्तमंत्री का कुछ बातों की ओर ही ध्यान आकर्षिक करना चाहूंगा।

उत्पादन के विचार से यह एक अच्छा बजट है। उद्योग और व्यापार में वृद्धि के लिए इस बजट द्वारा एक बहुत ही अनुकूल वातावरण पैदा किया है। उनके लिए भी जो निर्यात व्यापार करते हैं जो माल को निर्यात करने का कार्य करते हैं उनके, लिए भारी रियायतें दी गई हैं और मेरा विचार है कि इस बजट के कारण हमें भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमाने में सफलता मिलेगी। यह बहुत बजट रहा है और जहां तक उत्पादन और व्यापार का प्रश्न है, हममें से अधिकांश इस पक्ष और उस पक्ष के सदस्य, इसे अच्छा समझते हैं और मुझे इस विचार से इसे एक आदर्श बजट कहना चाहिए। लेकिन जितनी भी रियायतें दी गई हैं। उनके विकल्प का पता लगाया जाना चाहिए और उसके लिए, मेरे विचार से विकल्प का पता लगाने के लिए एक कठोर प्रयास आवश्यक है। जितने कर पेट्रोल उत्पादों पर लगाए गए उन पर कुछ रियायतें भी दी गई और रेल किराये और भाड़े में वृद्धि से भी मूल्यों में वृद्धि हुई है जो इस वृद्धि गैर अनुपातिक है। यदि इस बात पर विचार किया जाता है तो सम्भवतः यातायात की लागत के कारण मूल्य वृद्धि बहुत कम हुई है। लेकिन माल उत्पादकों, थोक व्यापारियों तथा फुटकर व्यापारियों द्वारा इसका दुरुपयोग किया गया है और विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां सड़कें नहीं हैं लोगों को खच्चरों, घोड़ों, ऊंटों पर सामान ले जाना पड़ता है और उन गरीब लोगों को बहुत मूल्य देना पड़ता है। किसी भी प्रकार से मूल्य वृद्धि का वातावरण पैदा किया गया है। यह वातावरण सारे देश में है और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में है। मेरे मित्र सिर्फ उत्तर प्रदेश के बारे में ही बातें कर रहे थे और मेरा चुनाव क्षेत्र उत्तर प्रदेश से दूर है।

लोग मूल्य वृद्धि के बारे में शिकायतें करते आ रहे हैं। दुर्भाग्यवश, डालर का विनियम मूल्य भी उस समय बढ़ा जब हमारा बजट प्रस्तुत किया गया था। लेकिन सम्भवतः इसका प्रमुख भाग डालर की विनियम दर के कारण ही है। वस्तुतः यह हमारे बजट की समकालिक है। अतः लोग यह सोचते हैं कि मूल्य सूची में वृद्धि बजट के कारण ही हुई है। लेकिन यह सच नहीं है। हम पहले भी किसी भी तरह इस पर नियंत्रण करते रहे हैं और अब लोगों को इससे कठिनाई हो रही है। विशेषरूप से उन लोगों को अधिक कठिनाई महसूस हो रही है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं। अतः मैं मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वह यह पता लगायें कि इस सम्बन्ध में क्या किया जा सकता है। क्योंकि यदि हम कठोर और अनियमित उपाय ही अपनाते हैं तो इससे भ्रष्टाचार फिर तेजी से बढ़ेगा और पुलिस कार्मिक और सिविल आपूर्ति अधिकारियों को विवरण प्रणाली से लाभ हो सकता है। अतः इससे भी स्वाभाविक रूप से समस्याएं पैदा होंगी। अतः जहां तक मूल्य वृद्धि पर नियन्त्रण के इस पहलू का संबंध है इसकेलिए बहुत ही गम्भीर रूप से परामर्श करने की आवश्यकता है। बजट पर साधारण विचार-विमर्श के समापन के समय, वित्त मन्त्री ने रियायतें दी थीं। लेकिन उन रियायतों या करों की दर में कमी करने का काम उपभोक्ताओं को नहीं पहुंचा है। इसकी उन लोगों द्वारा प्रशंसा या अप्रशंसा भी की गई है जो इस क्षेत्र में कार्य करते आ रहे हैं या वे लोग हैं, उत्पादक थोक विक्रेता और, फुटकर विक्रेता। लेकिन जहां तक लोगों का सम्बन्ध है, एक बार बढ़ा हुआ मूल्य कम नहीं हुआ है। जहां तक राज्य सरकारों का सम्बन्ध है वहां भी ठीक है। केन्द्रीय सरकार विशेषतः वित्त मन्त्री की कठिनाई यह है कि उन्हें प्रत्येक बात को राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित करना पड़ता है।

मैंने अपने अनुभव से यह देखा है कि इसे परिवहनकर्ताओं ने राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना मालभाड़ा अथवा मालवहन दर अथवा यात्री किराए को भी बढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई। किन्तु इस बार ऐसा हुआ कि सभी राज्यों में परिवहनकर्ताओं ने दर में, यदि आवश्यक हो तो उचित वृद्धि निर्धारित करने के लिए सरकारों से परामर्श किए बिना ही किराये की दर और भाड़ा बढ़ा दिया।

आज दिल्ली में हम कठिनाई महसूस कर रहे हैं क्योंकि आटोरिक्सा चालक और उनके आटोरिक्शा मालिक हड़ताल पर हैं और हमारे लोग, खासकर वे जो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक और शताब्दि सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहां आए हैं, उन्हें बहुत कठिनाइमां उठानी पड़ीं औरउन्हें दूर-दूर तक पैदल जाना पड़ता है और यदि संयोगवश उन्हें वाहन मिल भी जाता है तो उन्हें बहुतभाड़ा देना पड़ता है। हमें इन बातों पर विचार करना है और समस्या का समाधान करना है।

मूल्य वृद्धि का वातावरण तैयार कर दिया गया है। अभाव का भी ऐसा वातावरण तैयार किया गया है कि विमान के टिकटों की बुकिंग में कम्प्यूटर प्रणाली शुरू करने के बाद हमें इसकी कुछ असुविधा अनुभव हुई। मेरे विचार से हर कोई इसे अनुभव कर रहा है। अन्यथा आप कभी ऐसा नहीं पाते कि टिकटों की कमी हो। किन्तु अब हर कोई यह महसूस करता है। जब भी टिकट लेने जाओ टिकट नहीं मिलता। मोफासिल क्षेत्र में स्थिति सबसे खराब है। यदि आप एक महीना पहले जायें और टिकट बुक करा लें। एयरलाइन्स में लोग कहते कि बुकिंग को दिल्ली में तय किया जाएगा और तभी उन्हें इसका पता लगेगा। मैंने माननीय मन्त्री जी को एक पत्र लिखा है कि जिन लोगों ने एक माह पूर्व टिकट बुक करा दिया है, उन्हें भी अन्तिम तारीख तक यहां तक कि यात्रा के दिन हवाई अड्डा पहुंचने पर भी यह पता नहीं होता कि उन्हें सीट मिली भी है या नहीं। विमान टिकटों अथवा रेल टिकटों की बुकिंग कराते समय आपको अभाव का वातावरण का सामना करना पड़ता है और लोग स्वयं को असहाय महसूस करते हैं। कल मैं टिकटें लेने के लिए संसद में रेलवे काउण्टर पर गया था। हालांकि यह काउण्टर सिर्फ संसद सदस्यों के लिए है, किन्तु मैं उस तक नहीं पहुंच सका। ऐसा वातावरण बना हुआ है, आपको इस पर गौर करना होगा।

मैं इस बात को माननीय मन्त्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि अनेक सदस्यों ने देश के एक समान विकास की आवश्यकता के सम्बन्ध में कहा है। भारत उद्योग और कृषि दोनों क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है किन्तु विकास एक समान नहीं है। देश के कुछ भाग बहुत अधिक विकसित हो रहे हैं जबकि शेष देश पिछड़ा हुआ है। यह असमान विकास खतरनाक है। अविकसित क्षेत्रों में रह रहे लोग इसे महसूस करने लगे हैं। वित्त मन्त्री महोदय इस मामले को देख सकते हैं और वे उन राज्यों का मार्गदर्शन कर सकते हैं जो पिछड़े अथवा अविकसित क्षेत्रों की उपेक्षा कर रहे हैं। देश के एक समान विकास के लिए केवल वित्त मन्त्री महोदय ही सहायता कर सकते हैं। सामाजिक एवं वित्तीय दृष्टि से कमजोर वर्गों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, मैं पहले ही इस बात का उल्लेख कर चुका हूं कि कुछ क्षेत्र बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं। किन्तु जहां तक बहु फसल क्षेत्रों, एकल फसल क्षेत्रों, पिछड़े क्षेत्रों मरुक्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों का सम्बन्ध है, सभी सोचते हैं कि वे कृषि में प्रगति करने के योग्य नहीं हैं। सरकार के कृषि विश्वविद्यालयों तथा कालेजों द्वारा भी समस्त कृषि को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। हमें इस ओर ध्यान देना है।

एक अन्य समस्या पेय जल की है। हमारी जीतोड़ कोशिश के बावजूद अनेक गांवों में पानी की कमी महसूस की जा रही है। अतः हमें यह देखना होगा कि पेय जल उपलब्ध कराया जाए।

वनरोपण और वह कटान पेयजल की समस्या से सम्बन्धित हैं वनरोपण आवश्यक है क्योंकि वन हमारी सम्पदा है और वे जस आपूर्ति के स्रोतों का अभिरक्षण करते हैं। अतः वे बहुत आवश्यक हैं तथा उनका परिरक्षण हमारा एक पर्यावरण विभाग है। मैं समझता हूं कि इसके अधिकांश अधिकारी यह देखने नहीं जाते कि कार्यक्रम कार्यान्वित हो रहे हैं या नहीं। पैसा देने का क्या फायदा है? आपको मेरा यह सुझाव है कि हर मन्त्रालय में एक निरीक्षण दल होना चाहिए। इसे कार्य क्षेत्रों में आना तथा इस बात की परवाह न करते हुए कि कौन-सा दल सत्तारूढ़ है यह देखना चाहिए कि कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। उन्हें यह देखना चाहिए कि धन उसी प्रयोजन के लिए कम किया जाए जिसके लिए वह दिया गया है। वन इन निरीक्षण दलों के अभाव का शिकार होकर रह गए हैं। माननीय वित्त मंत्री के ध्यान में मैं जो दूसरी बात लाना चाहता हूं वह है इस वित्त विधेयक के अन्तर्गत करदाताओं द्वारा अपने बचाव के लिए आयकर सम्बन्धी वकीलों अथवा परामर्शदाताओं को दिए जाने वाले शुल्कों को अनुमत व्यय के रूप में नहीं माना है। बहुत अनुचित बात है। यह बहुत अनुचित प्रतिबन्ध है। यदि किसी व्यक्ति को अपनी रक्षा के लिए, जितना धन व्यय करना होता है, उसके लिए अनुमति न दिया जाना बहुत अनुचित है। मेरा माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वे इस पर पुनर्विचार करें।

मैं जो अन्य मुद्दा उठाना चाहता हूं, वह यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों, खासकर जहां राष्ट्रीय अखण्डता आन्दोलन कमजोर है, चाहे वह क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में हो, अथवा पूर्वी राज्यों में, या कि पर्वतीय क्षेत्रों में, उनका दोहन किया जाए। इसके लिए हमें खासकर इन अवस्थाओं में गांवों में विकास और रोजगार पर जोर देने की आवश्यकता होगी। इसके बिना देश में एकता की भावना को पुष्ट बनाना सम्भव नहीं है। और जहां तक पंजाब का सम्बन्ध है, प्रधान मन्त्री का रुख बहुत अच्छा और स्वागत योग्य रहा है; उन्होंने थिपेन बांध और अन्य परियोजनाओं के बारे में कहा; वहां एक रेलवे सवारी डिब्बों की फैक्ट्री भी स्थापित की जा रही है। अन्य क्षेत्रों में भी कुछ एसे कदम उठाये जाने चाहिए। हमें इसकी सभी कमियों पर विचार करना चाहिए और हमें लोगों को यह महसूस करवाना चाहिए कि वे देश के भाग हैं और जहां तक उनके रोजगार तथा आर्थिक विकास का प्रश्न है, केन्द्रीय सरकार उनमें बहुत रुचि ले रही है।

हमें यह बताया गया है कि कृषि और उद्योग, दोनों क्षेत्रों में ऋणसरणियां भ्रष्टाचारग्रस्त हैं। जो कोई ऋण लेने जाता है, उसे एक ओर कर दिया जाता है। एजेन्सियां ऋण आवेदकों का शोषण करती हैं। मैं जानता हूं जहां तक बैंकों का सम्बन्ध है, वित्त मंत्री ने कुछ रुचि ली है, वे स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। राज्य वित्त निगम जैसी सरकारी एजेन्सियों में भी बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त है। बेशक उन्हें सरकारी संस्थायें समझा जाता है किन्तु केन्द्रीय कोष से धन में पुनर्वित्तीयन के लिए जाता है। मेरा वित्तमंत्री से यह अनुरोध है कि वे इन संस्थाओं में भ्रष्टाचार को समाप्त करायेक्योंकि वे खासकर पिछड़े राज्यों में विकास के जिम्मेवार हैं। यदि वे दुराचार करने लगेंगे, तो लोगों के लिए उन छूटों को प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाएगा जो आप दे रहे हैं।

अंत में कहना चाहूंगा कि आप जो भी करने का प्रयास कर रहे हैं, वह प्रशंसनीय है किन्तु एक निगरानी सेल रखिए ताकि आप कार्यान्वयन की जांच कर सकें। हमें लोगों से सीखना है, उनकी

बातें सुननी हैं। यदि इन सभी कार्यक्रमों के लिए आपके निगरानी सेल होंगे, तो तब आप वास्तविकता जान पायेंगे।

यही वे थोड़े से सुझाव हैं जो मैं आपको देना चाहता था।

*श्री वी० सैल्वेन्द्रन (पेरियाकुलम) : सभापति महोदया, मैं वर्ष 1985-86 के वित्त विधेयक के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। वित्त विधेयक वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट मे घोषित कराधान प्रस्तावों को कानूनी संस्वीकृति प्रदान करता है।

सर्वप्रथम मैं सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि उद्योगपतियों में एक परिपाटी बन गई है कि जैसे ही वित्त मंत्री कराधान प्रस्ताव घोषित करके न्यायालय की ओर दौड़ लगाई जाए। यह एक बारम्बरिक वार्षिक घटना बन गई है। इस वर्ष वित्त मंत्री द्वारा माचिस उद्योग पर उत्पाद शुल्क के यौक्तिकरण की घोषणा किए जाने के बाद जो हुआ, मैं उसका उदाहरण देना चाहूंगा। अगले दिन मद्रास उच्च न्यायालय में बीसियों रिट याचिकायें दाखिल कर दी गई और अन्तरित स्थान आदेश प्राप्त कर लिया गया। स्वाभाविक बात है कि सरकार माचिस उद्योग से उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण के लिए कार्यवाही नहीं कर सकती इससे देश के औद्योगिक विकास में भी बाधा आती है। मैं उत्पादन शुल्क के परिगणन के लिए विनिर्माण पश्चात के व्ययों के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के हाल ही के निर्णय का भी उदाहरण दूंगा। अब सरकार को उद्योगपतियों से 800 करोड़ रुपये का बकाया उत्पाद शुल्क वसूल करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मदास, सरकार को उत्पाद शुल्क वसूल करने और बकाया राशियों की वसूली शुरू करने के लिए पांच वर्ष का समय लगा है। इन पांच वर्षों के दौरान उद्योग-पतियों को निजी विस्तार के लिए इस धन का उपयोग करने दिया गया। यह बहुत निंदनीय बात है और सरकार को चाहिए कि वह सरकार द्वारा प्रस्तावित वित्तीय शुल्कों के मुद्दों को इस प्रकार न्यायालय भेजे जाने पर रोक लगाये। मेरा सुझाव है कि सरकार वित्तीय प्रस्तावों के सम्बन्ध में कोर्ट में अपील करने पर रोक लगाने के लिए कानून बनाये। हमें वित्तीय मामलों में इस प्रकार के कानूनी वाग्छल को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस बारे में विचार करें और राष्ट्रीय स्तर पर यह सुनिश्चित करें कि वित्तीय उपायों सम्बन्धी मामलों को न्यायालय में ले जाने और स्थगन आदेश प्राप्त करने की परिपाटी समाप्त कर दी गई है।

दूसरे, मैंने माननीय वित्त मंत्री जी का यह वक्तव्य सुना था कि केन्द्र को देश में दो राज्यों का सारा योजना व्यय वहन करना है—एक राज्य में बहुत समय से सूखाग्रस्त रहने के कारण और दूसरे राज्य के बुरे आर्थिक प्रबन्ध के कारण। निर्विवाद सत्य है कि सूखा एक प्राकृतिक विपत्ति है, यह सरकार के नियन्त्रण से बाहर है। सरकार को इन सूखाग्रस्त राज्यों की सहायता करनी चाहिए। अन्य मामले में भी राज्य में वित्तीय कुप्रबन्ध भी केन्द्र की गलत वित्तीय नीतियों के कारण होता है। साल ही में केन्द्रीय सरकार ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अन्तरिम सहायता की और मंहगाई भत्ते की और किश्तों की घोषणा की है। इससे सरकार पर सालाना 380 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। आप भली भांति कल्पना कर सकते हैं कि राज्यों में इसके क्या परिणाम होंगे। राज्य सरकार के कर्मचारी भी महंगाई भत्ते और अन्तरिम सहायता के लिए अभी मांगें रखने लगेंगे। मूल्य वृद्धि तो सभी के लिए एक सी है। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों को चावल एक ही मूल्य पर बेचा जाता है। उन्हें एक ही मूल्य पर सिनेमा और खाद्य तेल खरीदने होते हैं।

*तमिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

इसलिए मैं दोनों के दे खों का निवारण करने और अधिक महंगाई भत्ता और अन्तरिम सहायता मंजूर हो। सवाल यह है कि राज्य सरकार धन के लिए कहां जाएगी ? सभी राजस्व के लोचदार स्रोत केन्द्र के पास हैं और लोचहीन राजस्व स्रोत राज्यों के पास हैं। यदि वे योजनेतर व्यय को इस प्रकार बढ़ायेंगे तो जरूरी है कि योजना अवधि की योजनाओं के कार्यान्वयन में वित्तीय कठिनाईयां होंगी। भारतीय रिजर्व बैंक ओवरड्राफ्ट स्वीकार करने के मामले में कठोर है। ओवरड्राफ्ट के मामले में नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है। महंगाई भत्ते और अन्तरिम सहायता में इस प्रकार की बार-बार की वृद्धि को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के पास पर्याप्त वित्त होने की आशा नहीं की जा सकती।

हमारे मुख्य मंत्री पुरात्की तलैवार डा० एम० जी० आर० राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में बार-बार इस बात पर जोर देते रहे कि महंगाई भत्ते और अन्तरिम सहायता की घोषणा करने से पहले केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार से परामर्श कर लेना चाहिए। इस पूर्व सूचना से राज्य सरकारें अधिक महंगाई भत्ते और अन्तरिम सहायता की मांग करने वाले अपने कर्मचारियों के असन्तोष के निवारण के लिए कुछ कार्यवाही कर सकें। हम कर्मचारियों के आन्दोलन करने और अपनी वाजिब मांगों को प्रस्तुत करने के संविधान सम्मत अधिक के उपयोग से राज्यों को वंचित नहीं कर सकते हैं। किन्तु इसकी व्यवस्था के लिए राज्य सरकारों के पास वित्त होना चाहिए। मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय वित्त मंत्री केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता या अन्तरिम सहायता देते समय राज्यों के मुख्य मंत्रियों को विश्वास में बनाए रखें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री ऐसा सुनिश्चित करेंगे।

4.34 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अब मैं निरन्तर बढ़ते जा रहे विदेशी विदेशी ऋण पर चर्चा करूंगा। वर्ष 1985-86 में हमें 1438 करोड़ रुपये देना है, 1986-87 में 2010 और 1987-88 में 2396 करोड़ रुपये। माननीय वित्त मंत्री को इसके उपाय और साधन खोजने हैं। हमारी राष्ट्रीय आय में विदेशी ऋण 25 प्रतिशत तक है। हमें विदेशी मुद्रा में ऋण देना है। हमने 68% ऋण अमेरिका से, 12 प्रतिशत ब्रिटेन और 10 प्रतिशत प० जर्मनी से ले रखे हैं। मुझे ऐसा इसलिए कहना है कि हमें ऋण की अदायगी डालरों और पौण्ड में करनी है।

हाल ही में घोषित आयात एवं निर्यात नीति के अनुसार मुझे यह आशंका है कि आयात में पर्याप्त वृद्धि होगी और निर्यात में कमी होगी। इसका स्वाभाविक परिणाम होगा व्यापार का असंतुलन और विदेशी मुद्रा में विदेशी ऋण अदा कर सकने में असर्थता। जब तक हम विदेशी मुद्रा का संचय नहीं करेंगे, हम विदेशी ऋण लौटा न सकेंगे। यहां मैं अब आपको उस बात का हवाला दूंगा जो हमारे प्रसिद्ध तमिल कवि कम्बर ने अपनी रामायण में रावण की मन स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है। उसकी मानसिक स्थिति ऋण लौटाने में असमर्थ ऋणी की भांति दिखाई गई है। आप भारत माता की दुर्दशा का अनुमान लगा सकते हैं जो भारी मात्रा में ऋणग्रस्त है। माननीय वित्त मंत्री महोदय को यथाशीघ्र विदेशी ऋण के भार को समाप्त करने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए।

अनुमान है कि भारत सरकार के राजस्व के स्रोत सीमित होते जा रहे हैं जिसके कारण 1200 करोड़ रुपये के आयकरों के भारी बकाया और 2000 तरोड़ रुपये का कर अपवंचन हैं।

कर अपवंचन के फलस्वरूप काले धन का जमाव होता है और मैं उस तबाही का जिक्र नहीं करना चाहता जो इन काला-बाजारियों ने इस मुल्क में कर दी है। कर अपवंचन द्वारा सूचित काले धन को समाप्त करने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। करों की बकाया राशि शीघ्र वसूली जानी चाहिए। तभी केन्द्रीय सरकार सुदृढ़ हो सकेगी। मेरा माननीय वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे इस मामले में तत्काल कार्यवाही करें।

अपना वक्तव्य समाप्त करने से पहले मैं पोहक आहार योजना का जो हमारे मुख्य मन्त्री डा० एम० जी० रामाराव द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, जिक्र करूंगा, वे प्रतिदिन 80 लाख बच्चों को भोजन दे रहे हैं। इस योजना के विरोधी भी अब इसके प्रशंसक बन गए हैं। हम अपने मेहमान को एक दिन का भोजन कराने में भी कठिनाई अनुभव करते हैं। यहां 80 लाख बच्चों को हर रोज खाना खिलाया जा रहा है। इसे अन्तर्राष्ट्रीय प्रशंसा प्राप्त हुई है। अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी इस योजना का स्वागत किया है, मैं चाहता हूं कि इसको राष्ट्रीय योजना का अंग बनाया जाए। मैं इस सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध कर रहा हूं। इसी प्रकार मुझे यही भी विश्वास है कि हमारे वित्त मंत्री महोदय तमिलनाडु के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में आबंटित राशि के लिए शीघ्र स्वीकृति प्रदान करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस फाइनेन्स बिल का समर्थन करता हूं। माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर ने जिस प्रकार का बजट इस वर्ष प्रस्तुत किया है, सभी क्षेत्रों के लोगों ने उसकी तारीफ की है। यह बजट हमारे देश की इंडस्ट्री की ग्रोथ को बढ़ायेगा और इससे देश की डैवलपमैंट तेजी से आगे बढ़ेगी। इस बजट से हम हर क्षेत्र में आर्थिक तौर पर उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे।

हमारे कुछ विपक्षी भाइयों ने जिस प्रकार से इसे क्रिटिसाइज किया है, उसमें कोई मुद्दा नहीं है। वह कहते हैं कि यह समाजवादी व्यवस्था से दूर हटने वाला बजट है। हमारा कहना यह है कि जिस प्रकार की व्यवस्थाएं इस बजट में की गई हैं, निश्चित तरीके से उससे हमारे देश का डैवलपमैंट आगे बढ़ेगा और देश के लोगों को एम्पलायमेंट मिलने में इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा और देश का आर्थिक विकास भी ज्यादा तेजी से होगा। मगर कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनकी तरफ मैं वित्त मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

एक उसूल यह है कि जितना कम टैक्स होगा उतना ही ज्यादा पैसा वसूल होगा। पिछले 2, 3 साल में जो व्यवस्था अपनाई गई है, उससे यह साबित होता है कि जितना टैक्स रेट में रिडक्शन किया है, उतनी ही हमारी आमदनी बढ़ी है और उसी के तहत आपने इस वर्ष भी अच्छे कदम उठाये हैं।

इनकम टैक्स के बारे में मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो कन्सैशन्स आपने दिये हैं, वह बहुत ही स्वागत-योग्य हैं मगर उनमें कुछ कमियों की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपने जिनकी आमदनी ज्यादा है, उनको ज्यादा कन्सैशन दिया है और जिनकी आमदनी कम है, उनको कम कन्सैशन दिया है। 25 हजार पर जितने कन्सैशन दिये हैं और उसके बाद 1 लाख से 5 लाख तक जितने कन्सैशन दिये हैं, उसका परसैंटेज देखें तो महसूस होता है कि बड़े लोगों को

ज्यादा कन्सैशन मिला है, छोटों को कम मिला है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : माननीय सदस्य की बात का मैं डिटेल में तो उत्तर दूंगा, मगर बिल्कुल इसके उल्टे आंकड़े हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : जैसा मेरी समझ में आया है, मैं बता रहा हूं। अच्छी बात है, जैसा आप कहते हैं कि छोटों को ज्यादा कन्सैशन मिले हैं। हम तो चाहते यही हैं।

आपने हमारे राजस्थान पर बड़ी कृपा की है। मार्बल पर आपने 25 रुपये से 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम की है, मगर फिर भी यह बहुत है। मार्बल एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें राजस्थान में हजारों लोग काम करते हैं और इस एक्साइज ड्यूटी के लगने से सारी की सारी इंडस्ट्री ठप्प पड़ी हुई है।

इस बारे में आपके पास रिप्रेजेंटेशन भी दिया है। आपने उसको कम किया है, मगर 10 रुपया जो है यह भी ज्यादा हैं, इसलिए आप इस पर पुनर्विचार करें कि यह थोड़ा और कम कर दिया जाये तो ज्यादा अच्छा होगा।

महोदय, आप जानते हैं कि राजस्थान का जो मारबल है वह हिन्दुस्तान में ही नहीं विदेशों में भी जाता है और उसके जरिये से आपको फारेन एक्सचेंज मिलता है, हजारों लोगों को रोजगार मिलता है और इसमें छोटे लोग ज्यादा काम करते हैं। ऐसी हालत आप हम पर एक और कृपा करें तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा होने से कारखाने बराबर चलते रहेंगे और उससे प्रोडेक्शन भी बढ़ेगा।

अब मैं एक्साइज ड्यूटी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। यह एक्साइज ड्यूटी जो आप लगाते हैं, उसको आपके अधिकारी लोग वसूल करते हैं। इस चीज को हमने कई जगह जाकर देखा है और एग्जामिन भी किया है कि जिस चीज पर जितनी एक्साइज ड्यूटी लगनी चाहिए थी, उससे कम एक्साइज ड्यूटी वह लोग वसूल करते हैं क्योंकि अधिकारियों का वसूल करने वालों से हिस्सा बंधा होता है। इस वजह से करोड़ों रुपये का नुकसान भारत सरकार को होता है। जब सारा आडिट होता है तो कई प्रकार की खामियां निकलती हैं। इस प्रकार उसकी वसूली में बहुत ज्यादा गड़बड़ की जाती है। इस वजह से जितना हमें पैसा मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पाता। ऐसे लोगों के खिलाफ भी आपको कार्यवाही करनी चाहिए। इस प्रकार निश्चित तरीके से इस व्यवस्था को आपको देखने की आवश्यकता है जिससे हमारी सरकार को नुकसान न हो।

अब मुझे कस्टम के बारे में निवेदन करना है। कस्टम आपने जगह-जगह एयरपोर्ट पोर्टस के ऊपर बनाकर रखे हुए हैं। चैक पोस्ट भी सारे हिन्दुस्तान में बनाकर रखे हैं। मगर उसके बावजूद भी बहुत-सी स्मगलिंग कई जगहों पर होती है, उससे काफी नुकसान हमारी सरकार को होता है। इसके लिए आपको निश्चित तरीके से माकूल व्यवस्था करनी होगी खास तौर से बार्डर एरिया में यह स्मगलिंग होती है। जितनी भी जहरीली चीजें हैं वह स्मगलिंग होकर यहां आती हैं। उससे हमारे नौजवान लोगों के ऊपर इसका बुरा असर पड़ रहा है। अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो इसका बहुत बुरा असर हमारे समाज के ऊपर पड़ेगा। इसके लिए आपको सख्त कदम उठाने की जरूरत है। ऐसे लोग जो बड़े-बड़े गैंग्स बनाकर स्मगलिंग करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए।

आपके जो बार्डर सिक्योरेटी फोर्स और बार्डर में लगे जो लोग हैं वह इन गैंगस्टर के साथ मिले हुए हैं, उसके द्वारा भी स्मगलिंग बहुत अधिक होती है। इस सम्बन्ध में भी माकूल व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

एस्टेट ड्यूटी के बारे में हमारे विरोधियों ने खास तौर से कहा है। एस्टेट ड्यूटी बिलकुल एबॉलिश कर दी गई है, उसकी वजह से यह कहने का मौका मिलता है कि हमारी सरकार बड़े-बड़े लोगों को इस प्रकार के टेक्सीज से छुटकारा दे रही है। एस्टेट ड्यूटी के सम्बन्ध में मैंने कई आंकड़ों को स्टडी किया है। उसके आधार पर करीब सौ करोड़ के आसपास उसमें बकाया भी निकला जो आज सारे के सारे कोर्ट्स में गए हुए हैं, उसकी वजह से हमारी वसूली होती नहीं और एवसटैंशन बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं। इस व्यवस्था को माकूल बनाने की आवश्यकता अगर आप समझते हैं तो निश्चित तरीके से एस्टेट ड्यूटी जिसके जरिए से जितने बड़े-बड़े लोग हैं जिनकी जितनी बड़ी सम्पत्ति है उसके ऊपर अगर थोड़ा बहुत टैक्स नहीं रहेगा तो यह सारी व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं बैठ पाएगी। मैं निवेदन करूंगा कि यह टैक्स बहुत पहले से लगा था और इसके सम्बन्ध में कई प्रकार की भ्रान्तियां और कई प्रकार की बातें समय-समय पर बराबर होती रही हैं, इसलिए इस सम्बन्ध में भी निश्चित तरीके से ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ऐसे टैक्स, उनसे हमें चाहे कम वसूली मिले, चाहे उनसे कम पैसा मिले लेकिन हमारा जो चरित्र है हमारी जो व्यवस्थाएं हैं और हम जिस आधार पर बराबर चलते आ रहे है कि बड़े लोगों से ज्यादा पैसा लिया जाय और उसके जरिए से सारी व्यवस्थाओं को ठीक प्रकार से चलाया जाय, उसमें अगर यह व्यवस्था होती है तो लोगों को उसमें शक व सुबहा करने की गुंजाइश होती है, इसलिए इस व्यवस्था को भी देखने की आवश्यकता है।

वैल्थ टैक्स भी आपने पांच परसेंट के बजाय दो परसेंट कर दिया। आपने दो परसेंट किया तब भी कोई बात नहीं। मगर वैल्थ टैक्स कैसे वसूल किया जाय और किस तरह से सब लोगों की सम्पत्ति की जानकारी की जाय इसके सम्बन्ध में विशेष तौर से कोशिश करने की आवश्यकता है। यह तो बात ठीक है कि जितना कम टैक्स होगा उतनी ही ज्यादा वसूली होगी, इसलिए आपने कम किया मगर वह सारी लिस्ट कम्पलीट तैयार हो जानी चाहिए। जिन लोगों के पास सम्पत्ति है, जिनके पास पैसा है उनकी लिस्ट अगर कम्पलीट तैयार हो जाय तो इस दो परसेंट से भी, जितना पैसा हमें पहले मिलता था उससे भी ज्यादा पैसा निश्चित तरीके से मिलेगा। इसलिए इस सम्बन्ध में भी आप जरूर कुछ न कुछ व्यवस्था करें।

मेरे अपने क्षेत्र की दो-तीन समस्याएं हैं। बैंकिंग के सम्बन्ध में मैं माननीय वित्त मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अनएम्पलायड जो पढ़े लिखे लोग है उनको 25 हजार रुपया लोन देने की व्यवस्था है जिसके जरिए से वह अपना स्वयं का कारोबार चला सकें और अपने पांवों पर खड़े हो सकें। लेकिन उसकी सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं करेंगे तो यह जो इतनी अच्छी व्यवस्था है जिसके जरिए से हम लाखों लोगों को एम्पलायमेंट दे सकते हैं उसका लाभ उन लोगों को नहीं मिल पाएगा क्योंकि आज उसका दुरुपयोग आपकी बैंकिंग व्यवस्था कर रही हैं और उस आधार पर हमको कई बातें जगह-जगह सुननी पड़ती हैं। खास तौर पर इसमें जो सब्सिडी सेक्टर घुसा हुआ है वह सब्सिडी सैक्टर ही सारी अव्यवस्था फैलाने वाली है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इन्टरेस्ट फ्री लोन भी आप दे दें तो वह ज्यादा अच्छा रहेगा और इसके बजाय यह सब्सिडी वाली व्यवस्था जो चल रही है उसको निकाल दें तो इसमें जो करप्शन आज चल रहा है वह सारा करप्शन समाप्त हो जायगा और उससे लोगों को पैसा भी मिलेगा, एम्पलायमेंट भी मिलेगा। सारी व्यवस्था ठीक प्रकार से चलेगी।

हमारे क्षेत्र में स्माल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स खास तौर से शेड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को जो बैंकों से कर्जा मिलता है, जैसे एक आदमी को तीन हजार रुपया मिला, फिर बाद में बहुत सारी कठिनाइयां आ जाती हैं, कभी फ्लड आ जाता है, कभी फेमिन आ जाता है, जिसकी वजह से वह समय पर उसे जमा नहीं करा पाते। फिर उस पर ब्याज दर ब्याज बराबर बढ़ता रहता है। एक आदमी ने तीन हजार रुपया लिया, तीन हजार के बजाय छः हजार उसने जमा कर दिया, तब भी उसके ऊपर 7-8 हजार रुपया बकाया निकल रहा है। उसकी लिस्ट मेरे पास तैयार है। मन्त्री महोदय चाहें तो उनको दे सकता हूं। मैंने जिलाधीश से यह सारी लिस्ट ली है। कम से कम दो सौ आदमी ऐसे हैं जिन्होंने जितना पैसा लिया उससे डबल जमा करा दिया, उसके बाद भी उससे चौगुना पैसा आज भी उनके ऊपर बकाया है और इसकी वजह से ऐसे लोगों की जिनको हम एम्पलायमेंट देना चाहते हैं, जिनकी बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं उनकी जमीनें नीलाम हो रही हैं, उनको तरह-तरह के कष्ट भुगतने पड़ रहे हैं। तो सिविल प्रोसीजर कोड में जब इस बात की व्यवस्था है कि जितना कर्जा दिया जाए उससे दुगुने से ज्यादा वसूल न किया जाए और मनी लैन्डर्स ऐक्ट में भी इस तरह का प्रावधान है कि जितना पैसा आप दें उससे दुगुने से ज्यादा वसूल नहीं करें ऐसी हालत में पांच पांच छः छः गुना पैसा वसूल किया जाए यह निश्चित तरीके से बहुत बड़ा अन्याय है। बैंकों में इस प्रकार का आज कोई कानून नहीं है कि कम पैसा वसूल किया जाए या दुगुने से ज्यादा वसूल न किया जाए। इसलिए एक व्यवस्था जो आपके दूसरे कानूनों में बनी हुई है, मनी लैन्डर्स ऐक्ट में या और दूसरे कानूनों में, वह व्यवस्था आपके बैंकिंग ऐक्ट में भी होनी चाहिए। इन गरीब लोगों को जितना कर्जा दिया जाता है, उससे दुगुना उनसे वसूल किया जाता है। कुछ ही दिन पहले राज्य मन्त्री ने आंकड़े देते हुए बताया था कि इन गरीब लोगों के पास इतने लाख रुपया बकाया है। मैं बताना चाहता हूं कि जब एक व्यक्ति ने दुगुना-तिगुना पैसा जमा करवा दिया है, लेकिन फिर भी उसकी तरफ बकाया निकल रहा है, यह कैसे सम्भव हो सकता है। जब इंडस्ट्रियलिस्ट्स को पैसा दिया जाता है, तो वह दुगुना पैसा जमा नहीं करवाता है। इसमें एक वजह यह भी है कि कुछ लोग डिफाल्टर हो जाते हैं, इसलिए यह पैसा बढ़ता जा रहा है। इन लोगों के साथ भयंकर अन्याय हो रहा है। इसलिए इस सम्बन्ध में मैं निश्चित तरीके से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि वे कुछ-न-कुछ कदम इस दिशा में अवश्य उठाएं, जिससे इन गरीब लोगों को कुछ राहत मिले। इन लोगों की जमीनें नीलाम न हों। हम खास तौर से इन गरीबों को रोजगार देना चाहते हैं, रोटी-रोजी देना चाहते हैं। जब इनकी जमीन नीलाम हो जाएगी, जो वह कुआं खोदता है, वह नीलाम हो जाएगा, तो वे अपना पेट किस तरीके से भरेंगे। इसलिए कानून में अमेंडमेंट लाकर इन लोगों के साथ अन्याय होने से बचाइए, ताकि निश्चित तरीके से इन लोगों को लाभ मिल सके।

एक बात मैं प्राइस राइज के विषय में कहना चाहता हूं। बजट के जरिए से आपने जितना टैक्स लगाया है, भाड़े में जो वृद्धि की है, पैट्रोलियम की कीमतें बढ़ायी हैं, इस आधार पर जितनी कीमतें बढ़नी चाहिए, उससे भी दुगुनी कीमतें बढ़ गई हैं। हर क्षेत्र में इतनी कीमतें बढ़ने से लोगों के अन्दर काफी असन्तोष है। दो दिन पहले प्रधान मन्त्री जी ने कहा था कि हम प्राइस राइस को चैक करने के लिए सख्त से सख्त कदम उठायें, मगर जब तक इस व्यवस्था को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक ये होर्डर्स, प्रोफैटियर्स, ब्लैक मार्केटियर्स लोग जनता से कहीं ज्यादा पैसा वसूल करते रहेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे यह प्राइस राइज न हो। इस व्यवस्था को जब आप माकूल तरीके से लागू करेंगे, तब जाकर इसका लाभ आम जनता को मिलेगा।

एक निवेदन मैं अपने क्षेत्र की टैक्सटाइल मिल के बारे में करना चाहता हूं। आपने पैसा देने का वायदा किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इनको पैसा दिलाकर मेवाड़ टैक्सटाइल मिल को चलवाने की कोशिश करें। यदि आपने इस दिशा में कदम उठाया तो आपकी बड़ी कृपा होगी और ढाई लाख मजदूर आपकी जय-जयकार करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं फाइनेंस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश (चतरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

वित्त मन्त्री जी का यह विधेयक बहुत ही प्रगतिशील है। यह कोई शार्ट टर्म पॉलिसी नहीं है, लॉंग टर्म पालिसी है, जिससे यह झलकता है कि इसका लाभ हमें आने वाले वर्षों में मिलेगा। इस लांग टर्म पॉलिसी के बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। वित्त मंत्री जी सारे भारत की गरीब जनता और उसके विकास के कस्टोडियन हैं। इसलिए उन्होंने सारी चीजों को सोच-समझकर के बजट पेश किया है। इस बजट से हमें काफी लाभ होने की सम्भावना है। लेकिन बहुत दुःख का विषय है कि हमारे विरोधी पक्ष के लोगों को इस में सन्देह है। हमारे पूंजीवादी विचारधारा के लोगों को सन्देह है कि हम साम्यवाद की ओर जा रहे हैं और साम्यवादी लोगों को सन्देह है कि हम पूंजीवाद की ओर जा रहे हैं। लेकिन इस सन्देह का कोई इलाज नहीं है। इन लोगों को जानना चाहिए कि जिस तरह से छोटे किसानों के हित में वित्त मंत्री ने उर्वरक की कीमत घटाई है, उससे किसानों का उत्साह बढ़ा है। फसल बीमा योजना लागू की गई है जो एक प्रगतिशील कदम है और इससे मैं समझता हूं हमारे ग्रामीण क्षेत्र से भाग कर शहरों की तरफ जाने की जो प्रवृत्ति हमारे किसानों में पैदा होने लगी थी, उसमें ठहराव आयेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं दो तीन बातें माननीय वित्त मन्त्री जी को सुझाना चाहता हूं। सिंचाई के सम्बन्ध में उन्होंने बहुत व्यापक ढंग से सारी बातों की व्याख्या की है जिनसे किसानों को काफी लाभ होगा। लेकिन देश में ऐसे बहुत से पिछड़े इलाके हैं जहां सिंचाई की व्यवस्था बिलकुल नगण्य है। बिहार के पठारी इलाके में भी ऐसे बहुत से पिछड़े इलाके हैं जिनके लिए छोटी, बड़ी स्कीमों की योजना की गई थी लेकिन पिछले 15-20 वर्षों से वे सब स्कीम राज्य सरकार की एडवांस प्लानिंग में पड़ी हुई हैं। यदि हमने इन क्षेत्रों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो किसानों के विकास का जो सपना हम देख रहे हैं, उसमें हमें सफलता नहीं मिल सकेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि एडवांस प्लानिंग में जो स्कीमें पड़ी हुई हैं, वे बड़े महत्व की स्कीमें है, आप कृपा कर राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाकर तथा सिंचाई मन्त्री जी के साथ अपने स्तर पर बात करके उन स्कीमों को जल्द से जल्द निपटाने का प्रयास करें।

हमारे यहां लोग कहते हैं कि पब्लिक सैक्टर से हमारा विश्वास खत्म होता जा रहा है और प्राइवेट सैक्टर की तरफ हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं—अभी हाल में श्रमिक दिवस के अवसर पर हमारे प्रधान मन्त्री जी धनबाद गए थे जहां उन्होंने मजदूर-बस्ती में भाषण देते हुए प्रबन्धन में मजदूरों की साझेदारी की घोषणा की है। यह घोषणा एक बहुत प्रगतिशील कदम है जिससे हमारे समाजवादी कार्यक्रम को बहुत बल मिलेगा। हमारे वित्त मंत्री जी को यह चिन्ता है कि देश में काफी पूंजी इकट्ठी हो तथा विकास के कार्यक्रम तेजी से चलें। इस सम्बन्ध में मैं वित्त मन्त्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं—हमारे यहां प्राइवेट सैक्टर में कुछ ऐसे उद्योग चल रहे हैं जो सरकार से अधिक से अधिक पैसा लेकर अपने अन्य व्यवसायों में इस्तेमाल करते और

फिर भी अपनी इण्डस्ट्री को खतरे में डाले रहते हैं। जैसे बिहार में डालमिया नगर है या कुछ जूट मिलें हैं जो बार-बार घाटा दिखा कर सरकार से करोड़ों रुपया लेती हैं और उस रुपये को दूसरे कामों में लगा कर फिर घाटा दिखा देते हैं। सरकार को ब्लैक-मेल करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास उद्योग को चलाने के लिए पूंजी नहीं है, हम इस यूनिट को बन्द कर देंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़े और व्यावहारिक कदम उठाने की जरूरत है जिससे वे सरकारी धन का दुरुपयोग न कर सकें साथ ही उद्योग को बन्द न कर सकें।

हमारे पब्लिक सैक्टर में जो काम चल रहा है, उसमें लाभ होना चाहिए। हमारी वेलफेअर स्टेट है और सबके वेलफेअर की दृष्टि से काम होना चाहिए। हम यह देखते हैं कि हमारे इन यूनिट्स का कार्य-संचालन ठीक नहीं है। इनमें जो लोग उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं उनमें उद्योग के प्रति अनुभव की कमी है, जिसके कारण उनमें घाटा होता है। बिजली का उत्पादन देश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन कोयले का महत्व भी कम नहीं है। मैं सरकार का ध्यान कोयला खदानों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं—यदि इस तरफ ठीक से ध्यान दिया जाए तो मैं समझता हूं कि इस उद्योग से काफी रेवेन्यू प्राप्त हो सकता है। मैं खास तौर से सी० आई० एल० के कुछ इलाकों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। कोयले के उत्पादन के जो आंकड़े दिये गये हैं उनमें मध्य प्रदेश के बिलासपुर के सम्बन्ध में कहा गया है कि वहां कोयले का काफी उत्पादन हुआ है। लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। लाखों टन कोयला पड़ा हुआ है लेकिन ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है। अगर कोयला वहां से मूव नहीं करेंगे तो हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को कोई लाभ नहीं होगा। मेरा यह निवेदन है कि आप उत्पादन के साथ-साथ उसके मूवमन्ट की तरफ भी ध्यान दें। हमारे यहां बी० सी० सी० एल० में जो हार्ड कोक बनता था अगस्त, 1983 से उसका उत्पादन बन्द कर दिया गया है। आज समग्र कोयला खदानों के अन्दर हार्ड कोक ओवन खण्डहर हो रहे हैं और उनको फिर चालू करने की जरूरत पड़ेगी, तो करोड़ों रुपया उनकी रिपेयरिंग में लग जाएगा। एक तरफा तो यह घाटे की बात हो रही है। दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर में हम देख रहे हैं कि हार्ड कोक ओवन बहुत बड़े पैमाने पर चल रहे हैं और 200, 300 रुपए प्रति टन का मुनाफा प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है। इस तरह से बहुत बड़े मुनाफे से सरकार वंचित रह रही है। सलेरी हमारा उच्चतम कोटि का कोयला है लेकिन उसे जानबूझ कर वहां दिया जाता है और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के कारण हम ऐसे कोयले को खोते जा रहे हैं। इस पर कड़ी निगाह रखने की जरूरत है।

एक बात की ओर मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे पब्लिक सेक्टर में इतने बड़े काम हो रहे हैं लेकिन वहां पर काम का वातावरण, मजदूर जिस वातावरण में काम करते हैं, सही रूप में नहीं दिखाई देता है। मजदूरों का रहन-सहन ठीक नहीं है और वे गारबेज में और गन्दी बस्तियों में रहते हैं। उनके रहने की व्यवस्था ठीक से नहीं है। मैंने एक बार पहले भी इस ओर ध्यान आकर्षित किया था। पहले नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट के अन्दर यह व्यवस्था की गई थी कि 12 हजार मकान बनाएंगे लेकिन वे मकान बने नहीं। केवल 4500 मकान बन पाए और बाकी मकान नहीं बने। तीसरा नेशनल कोलवेज एग्रीमेंट जो हुआ था, उसके अन्दर 17 हजार मकान बनने थे लेकिन वह काम अभी तक शुरू नहीं हो रहा है और उसकी अवधि पूरी होने जा रही है।

मैं मजदूरों की स्थिति के सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे प्रधान मंत्री ने बहुत से प्रगतिशील कदम उठाए हैं और औरतों के विकास के सम्बन्ध में बहुत सारी बातें कही हैं लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कोयला खदानों में जो काम करने वाली औरतें हैं, उनको

काम से निकाला जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि उनकी ट्रान्सफरएबिल पोस्ट नहीं है और उनको ट्रान्सफर करने में काफी कठिनाई होती है और अपनी जगह पर वे किसी डिपेन्डैन्ट को लगवा दें और काम से अलग हो जाएं। इस प्रक्रिया को पहले भी अपनाया गया था लेकिन इसमें काफी गड़-बड़ी हुई और नकली वारिसों को काम मिल गया। कुछ होशियार किस्म के लोगों ने पैसा देकर दूसरे लोगों को काम दिलवा दिया। इसलिए इसमें बहुत सावधानी की आवश्यकता है।

नियोजन के सम्बन्ध में सरकार बहुत चिंतित है। मैं इस बात की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बिहार के अन्दर कुछ ऐसे पिछड़े हुए इलाके हैं जहां कोयले के अक्षय भण्डार पड़े हुए हैं और वहां पर नियोजन की हम काफी अधिक सम्भावनाएं पैदा कर सकते हैं। बिहार में पलामू एक जगह है और बालूमाथ नामक स्थान पर कोयले के अक्षय भंडार हैं। वहां पर रेल और रोड्स की सुविधाएं भी हैं। वहां पर यदि हम कोयला खदानों को चलाएं, तो लाखों की संख्या में लोगों का विकास होगा और खासकर जो हरिजन और आदिवासी लोग हैं, जिनका एक्सप्लायटेशन हो रहा है, उनके एम्पलायमेंट की उनके रोजगार की व्यवस्था होगी और निश्चित रूप से उनका विकास होगा। मैं आग्रह करूंगा कि वित्त मंत्री जी इस कोयला खान के विकास की दिशा में काम करें।

एक बात और कहना चाहता हूं। कोल-फील्ड्स के अन्दर जो हार्ड कोक बनाने के भट्टे हैं, यह सब अपने हाथ में लिया जाए। मौके ओवन्स का हर जगह मशरूम ग्रोथ हो रही है और इससे वातावरण दूषित हो रहा है और पोल्यूशन की एक बहुत भयंकर समस्या पैदा हो रही है। कोयला खदानों के अन्दर जो डस्ट उड़ रही है, वैज्ञानिक तरीके से इसकी व्यवस्था की जाए। वहां पर अगर इसकी व्यवस्था सही नहीं होगी, तो वातावरण की एक बहुत बड़ी समस्या चारों तरफ बन जाएगी।

एक बात यह कहना चाहता हूं कि मजदूरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। माइन्स ऐक्ट के अन्दर अनिवार्य रूप से कोयला खदानों के मजदूरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था का प्रावधान है लेकिन आज कोयला खदानों में हाहाकार मचा हुआ है और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। केन्द्रीय सरकार के सहयोग से वहां एक प्राधिकरण की स्थापना हुई लेकिन वर्षों बीत गये, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। जो काम पहले होता था वह काम भी रुक गया है और पानी की एक भयंकर समस्या बन गई है।

एक बात पीने के पानी के बारे में कहना चाहता हूं। दामोदर नदी जो वहां के निवासियों के पीने के पानी का स्रोत है, पोल्यूशन से भर गई है। तमाम नदी का सौंदर्य भी, कोयले को धोकर जो गन्दगी उसमें आती है, उससे नष्ट हो रहा है। इसी पानी से पीने के पानी की आपूर्ति की जा रही है। उसमें इतनी गन्दगी है कि उसको पीने से बीमारी पैदा हो सकती है। वह पानी जो नहाने लायक भी नहीं है, उसको पीने के उपयोग में लाया जा रहा है, इससे काफी नुकसान हो रहा है। इसलिए प्रदूषण के सम्बन्ध में प्रधानमन्त्री जी का जो कार्यक्रम है, उसको अविलम्ब कोयला खदान क्षेत्र में लागू करना चाहिए।

एक बात कोयला खदान मजदूरों के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि उनकी जिन्दगी को, साढ़े सात लाख मजदूरों की गरीबी हटाने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक नई रोशनी दी थी। वहां के मजदूरों को रिटायरमेंट के बाद उनके बच्चों को रोजगार मिलता था, लेकिन अब वह स्कीम बन्द कर दी गई है। मेरा सरकार से और माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि रिटायरमेंट के बाद उनके बच्चों को, आश्रितों को रोजगार देने की अविलम्ब व्यवस्था की जाए।

एक समस्या पानी की है। ग्रामीण अंचलों में कुओं, तालाबों और नदियों का पानी सूख जाता है और वहां पीने के पानी की समस्या पैदा होती है। इसके साथ-साथ उनके जो मवेशी हैं, जानवर हैं, उनके पीने के पानी की भी बड़ी समस्या है। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

इसके अलावा सरकार का ध्यान भूमि अधिग्रहण की ओर दिलाना चाहता हूं। इसके लिए उनको मुआवजा नहीं दिया जाता है। पहले यह प्रावधान था कि जिसकी जमीन ली जाती थी, उसको नियोजन मिलता था। इस बारे में बंगाल में यह नियम है कि एक एकड़ जमीन पर उसके वारिस को नौकरी दी जाती है, लेकिन बिहार में 3 एकड़ पर नौकरी मिलती है। यह तरीका ठीक नहीं है। इसके अलावा जो केस पैंडिंग हैं, उनको शीघ्र निपटाया जाए, जिससे वहां उत्पन्न समस्याएं दूर हो सकें।

अभी हाल ही में मैं धनबाद गया था, वहां मैंने देखा कि कुछ उग्रवादी सब जगह रोड काट रहे हैं और व्यवधान पैदा कर रहे हैं। कोयले से ऊर्जा मिलती है और स्टील उत्पादन में इसका बड़ा सहयोग है, इसके बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। अगर उग्रवादी धनबाद पर कब्जा कर लेंगे तो वहां पर ठीक से काम नहीं हो पाएगा और स्टील का उत्पादन भी कम हो जाएगा। इस ओर मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूं और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक की प्रशंसा करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा इस सदन में प्रस्तुत किए गए वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। जैसा कि यह बजट का तीसरा वाचन है और हमारे मंत्री ने पहले ही सदन में अपना भाषण देते हुए कुछ सुविधाएं देने तथा कुछ राहत देने की कृपा की है। अतः, यह एक स्वागत योग्य कदम है जिसके द्वारा उन्होंने कुछ ऐसे क्षेत्रों को नई आशा प्रदान की है जिन्हें अधिक क्षति पहुंची है।

महोदय, इस वित्त विधेयक में मैं एक बात की प्रशंसा करना चाहूंगा वह है लद्दाख के निवासियों तक आयकर से सम्बन्धित मुक्ति का विस्तार। यह वर्तमान वित्त वर्ष के अन्त तक समाप्त होने वाला था। अब इसे और तीन वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अतः उन लोगों की ओर से, उस पर्वतीय क्षेत्र के लोगों की ओर से मैं वित्त मंत्री को इस छूट के लिए तीन वर्ष का समय बढ़ाने के लिए धन्यवाद देता हूं।

दूसरे, उन्होंने कुछ नये उपखंड जोड़ने का वचन दिया है। किसी विदेशी बैंक को दिए जाने वाले कर से सम्बन्धित जो यहां केन्द्रीय बैंककारी कार्य करते हैं, के लिए आयकर अधिनियम की धारा 10 के खण्ड 15 में एक नया उपखंड (3क) जोड़ा जाना है और निस्सन्देह ऐसा करना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति दिए जाने पर निर्भर करता है बशर्ते कि वह इसे भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा करें। अतः यह भी एक स्वागत योग्य कदम है। इसी प्रकार एक नया खंड 33-क ख भी सम्मिलित किया गया है। यह 'नाबार्ड' से सम्बन्धित चाय कम्पनियों के विषय में है। मैं वित्त विधेयक में इन नई धाराओं के जोड़े जाने का स्वागत करता हूं।

वर्ष 1983 से कराधान के ढांचे का करों के सम्बन्ध में पुनर्निर्माण हुआ जब प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों के लिए दो निगमों की स्थापना हुई। तब से विभिन्न प्रकार के सुधार होते रहे हैं जो

ठीक दिशा में हैं। हमें विभिन्न लोगों द्वारा की गई आलोचना का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। कोई कहता है कि वित्त मंत्री बासमतियों की भाषा में बात करते हैं और दक्षिण दिशा की ओर चलते हैं (इत्यादि इत्यादि) और इसी प्रकार की कई बातें होती हैं। यह कुछ ऐसी टिप्पणियां हैं। यह कुछ इस प्रकार के विचार हैं जो बजट का अधिक गहराई से अध्ययन न करने से उत्पन्न होते हैं।

इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री के पास कई उपाय हैं। उन्होंने देश को एक विस्तृत वित्तीय नीति का वचन दिया है जिसकी घोषणा सितम्बर के महीने में की जाएगी। शायद, उस समय, वह वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में फैसले की घोषणा करेंगे। यह हमें देखना है कि जब वह सदन के समक्ष आएंगे तो वे किन-किन प्रस्तावों को लेकर आते हैं।

देश की अर्थव्यवस्था को एक नए ढंग से विनियमित किया गया है। उन्होंने अपने नए उपायों को सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम् दर्शन की संज्ञा दी है। इस सम्बन्ध में मेरे कुछ अपने विचार हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि उनकी आशाओं को अन्त मे व्यवहार में लाया जाए और एक नई दिशा जिससे समाजवाद, योजना तथा लोकतन्त्र की विचारधारा में अन्त में अच्छे परिणाम देने का प्रयत्न किया है। यदि यह आलोचनात्मक धारणाएं तथा सुरुचि सम्पन्न विचार आर्थिक सोच-विचार को ठोस वास्तविकताओं में बदल दिए जाते, ऐसा देश के लिए अच्छा होगा। लेकिन इस समय हमारे सामने मूल्यों में वृद्धि की समस्या है। प्रो० राज कृष्ण ने अप्रैल, 85 के आरम्भ में एक सेमिनार में चर्चा के दौरान कहा था कि मूल्यों में वृद्धि होने वाली है। मूल्यों में वृद्धि हुई है। हमारे मंत्री ने भी यह बात मान ली है। अत: समय की मांग है कि इन्हें नियन्त्रण में रखने के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि इस समय थ्रीवीलर वालों ने पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि के कारण स्ट्राइक की है। आम लोगों को यातायात मिलने में काफी कठिनाई होती है। यह देखना है कि इन नीतियों का प्रभाव क्या है और जनता के दिन प्रति दिन के कार्य में इसे देखना है और इसका विश्लेषण करना है और दिल्ली तो पूरे देश का अभिसूचक है। लोग कष्ट उठा रहे हैं। यह उचित समय है कि इसे कम करने के लिए कुछ किया जाए। हम इस सदन में जो कुछ प्रस्तुत करते हैं और बाहर जिसकी आशा करते हैं, इन दोनों के बीच किसी प्रकार का सहज सम्बन्ध होना चाहिए क्योंकि हम शून्य में बात नहीं कर रहे हैं। मैं मान लेता हूं कि वित्त मंत्री यह समझ लेंगे कि पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि के कारण, सामान्य जनता इस कष्ट को महसूस करेगी क्योंकि वह लोग जो थ्रीवीलर तथा टैक्सी चलाते हैं सामान्यत: अधिक मांगना आरम्भ करते हैं अथवा जनता या सरकार पर दबाव डालने का प्रयत्न करते हैं। जब आप पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि करेंगे तो किराए में भी सहवर्ती वृद्धि होनी चाहिए। आखिरकार, वे लोग जो थ्रीवीलर चलाते हैं, समाज के धनवान लोग तो नहीं हैं। इस समय इस स्ट्राइक के कारण हमें दिल्ली में यातायात का काफी अभाव है और परिणामस्वरूप जनता को और उन लोगों को कठिनाई होती है जो यह वाहन चलाते हैं। इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

वित्त मंत्री ने प्रकाशकों को दी गई कुछ राहत वापस ली हैं। प्रकाशन व्यापार को अधिक क्षति पहुंची है। हाल ही में मुझे वित्त मंत्री से मेरे एक पत्र का उत्तर प्राप्त हुआ जिसमें वह कह रहे हैं, "हां, पहले इस व्यवस्था का मूल रूप से दुरुपयोग किया गया है और इससे केवल सुस्थापित प्रकाशन कम्पनियों तथा प्रकाशन केन्द्रों को ही लाभ प्राप्त हुआ है, अत: अच्छा ढंग यह होगा कि नए प्रकाशन केन्द्रों तथा प्रकाशन के क्षेत्र में नए उद्यमियों को सीधे तौर पर सहायता अथवा वित्तीय सहायता दी जाए।" लेकिन दुर्भाग्य यह है कि और इसे समझा जाना चाहिए कि नये प्रकाशन व्यवसाय तथा नये उद्यमियों को आगे आने में समय लगेगा जबकि पुराने प्रकाशन केन्द्र निर्धन विद्वानों

की पुस्तकें जिन्हें इस देश में रहने ही अधिक क्षति रहेगी है, पुस्तकों को प्रकाशित करना अस्वीकार करेंगे। अतः मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में पुनर्विचार करें क्योंकि भारत तो पहले ही एक ऐसा देश है जहां अधिकांश लोग निरक्षर हैं और जहां विद्वता का कोई अधिक महत्व नहीं है। अधिकांश लेखकों की अपनी कृतियां प्रकाशित किए बिना ही मृत्यु होती है क्योंकि कोई भी प्रकाशक उपलब्ध नहीं है और सरकारी अभिकरण (माध्यम) जिन्हें इन कृतियों के प्रकाशन की जिम्मेदारी है कुछ बड़ी संस्थाएं नहीं हैं। अतः यदि पहले प्रकाशन व्यवसाय को किसी प्रकार का प्रोत्साहन अथवा कोई छूट दी गई है तो उसे जारी रखा जाए। यदि आप उन्हें किसी प्रकार की रियायत नहीं दे रहे हैं, ठीक है, कम से कम आप उनके लिए बढ़ाने की सोच सकते हैं जो कार्य कर रहे हैं। भारत में भाषाओं की संख्या बहुत अधिक है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने एक दिन हमें यहां लोक सभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि रेडियो कार्यक्रम 142 भाषाओं में प्रसारित होते हैं लेकिन उन सभी भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित नहीं हो सकती हैं। संविधान केवल 15 या 16 भाषाओं को मान्यता देता है और साहित्य अकादमी उनके अलावा कुछ और आठ अथवा उससे अधिक को देती है। अतः कुल मिलाकर 23 या 24 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। कोई व्यक्ति जो इनके अतिरिक्त भाषा में पुस्तक लिखता है इसे स्वयं प्रकाशित करना चाहिए, उसकी पूरी लागत उसे स्वयं देनी चाहिए क्योंकि उसे प्रकाशक नहीं मिलेगा। अतः, यह एक ऐसा मामला है जिसमें उन कठिनाइयों की ओर ध्यान देना है जो प्रकाशन व्यवसाय को इस बजट में वित्त मंत्री द्वारा सम्मिलित राहतों को वापस लिए जाने से और जो वापस लिए हैं यह तब तक ऐसे ही जारी रहना चाहिए जब तक वित्तीय सहायता की नई परियोजना की घोषणा नहीं की जाती और उसे लागू नहीं किया जाता है। यह मेरा निवेदन है।

एक बात की ओर मैं आदरणीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे वित्त मंत्री तथा उनके राज्य मंत्री पर्वतीय राज्यों की मांगों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन वह केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को विशेष पर्वतीय भत्ता किसी विशेष ऊंचाई पर देते हैं। वह यह शिमला में देते हैं जो समुद्री तल से 6,000 मीटर ऊंचा है लेकिन वह इसे शिमला से दूर स्थानों पर जिनकी ऊंचाई 1,000 मीटर से कम है देने से इनकार करते है। यद्यपि ऊंचाई 1,000 मीटर न हो, स्थान सतलुज घरिया के तट पर स्थापित हो और मूल्य भी अधिक हों। यह और भी दूरस्थ क्षेत्र है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो अगम्य है। यह इस तथ्य से स्पष्ट होगा कि तीन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र जो शिमला से दूर स्थित हैं, 26 को अपना मतदान करने जा रहे हैं। वह शेष देश से कदम मिलाकर नहीं चल सकते हैं। मंडी के समस्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव 25 मई को हो रहा है। आप केवल 1,000 मीटर से अधिक अथवा न्यूनतम 1,000 मीटर की किसी निर्धारित ऊंचाई पर भत्ता दे सकते हैं, पर ऐसे भी स्थान हैं जो अत्यन्त दूर हैं। अतः मैं इस बात का निवेदन करूंगा कि योजना आयोग ने मार्च, 1965 में राष्ट्रीय विकास परिषद के एक प्रस्ताव से पर्वतीय क्षेत्र के विचार को स्वीकृत किया, इस पर्वतीय भत्ते अथवा विशेष पर्वतीय भत्ते को उन सभी क्षेत्रों में भी क्यों न लागू करें जो आज से लगभग बीस वर्ष पूर्व वित्त आयोग ने स्वीकार किए थे ? ये कोई नई बातें नहीं हैं.....(व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा : उत्तर-पूर्वी राज्यों के विषय में आपका क्या विचार है ?

प्रो० सत्यनारायण जटिया पराशर : वह इसके अन्तर्गत आते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रस्ताव से योजना आयोग ने कई राज्यों को पर्वतीय क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया और वह उन्हें सामान्यतः

विशेष वर्ग राज्यों के अन्तर्गत लाते हैं। निस्सन्देह थोड़ा परिवर्तन (संशोधन) हो सकता है। उस सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जब आप उन्हें 90 प्रतिशत अनुदान देते हैं और विशेष वर्ग राज्यों के अन्तर्गत इकट्ठा करते हैं, तो उन्हें योजना के मामले में विशेष प्रकार के व्यवहार की आशा है। केन्द्र सरकार के कर्मचारी जो वहां काम कर रहे हैं यह देखकर निराश हो रहे हैं कि उनके प्रतिपक्ष के राज्यों को अधिक भत्ते प्राप्त हैं, उन्हें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से अधिक वेतन मिल रहा है। एक समय ऐसा था जब राज्य सरकार कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से ईर्ष्या थी। चक्र अब पूरा हो गया है और केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों को राज्य सरकार कर्मचारियों की ईर्ष्या हो रही है। अतः क्या हुआ है ? प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जो हिमाचल प्रदेश या लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश अथवा मेघालय और मिजोरम में तैनात है शीघ्र ही दिल्ली अथवा किसी और महानगर में सिफारिश अथवा किसी और ढंग से जो कोई नाम आप इसे देंगे, और वह ऐसा करने में सफल होगा, जिसके परिणामस्वरूप प्रशासन में निरन्तर अस्थिरता आ रही है। यह प्रवाह की स्थिति में है क्योंकि दूरी के कारण, कम पारिश्रमिक के कारण, अधिक मूल्यों के कारण और रहने के असुविधाजनक स्थिति के कारण कोई भी वरिष्ठ अधिकारी वहां नहीं जाना चाहता है। अतः इस मामले की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

सबसे अधिक महत्वपूर्ण मामला नए पदों की भर्ती पर रोक का और वर्तमान रिक्त स्थानों को पूरा करने का है। आप समझते हैं कि इस प्रकार का रोक ठोंककर आप देश की अर्थव्यवस्था को नियन्त्रित करते हैं जैसे आप यह स्वर्ग में कर रहे हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : हम किफायत करना चाहते हैं।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : आप जानते हैं कि आपकी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं जहां पहले तीन टेलीफोन एक्सचेंज (दूरभाष केन्द्र) थे, अब पांच हैं, लेकिन आप कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने से इनकार कर रहे हैं। अतः क्या हुआ है ? एक लाइन मैन जो एक दूरभाष केन्द्र का संचालन करता था, इसकी मरम्मत और कार्य की देख-रेख करता था, अब उसे पांच स्थानों को जाना है। आपको ग्राहकों की अधिक संख्या से अधिक धन मिल रहा है। आप अधिक कमा रहे हैं लेकिन आप खर्च करने से इनकार करते हैं। मैं नहीं समझता यह तर्क क्या है। जब आप अधिक टेलीफोन कनेक्शन देकर अधिक पैसा कमा रहे हैं, आप अधिक लोगों की सेवा के लिए देख-रेख तथा रख-रखाव के लिए उपलब्ध करने में समर्थ होने चाहिए। इस प्रतिबन्ध का परिणाम यह है कि संचार सेवाओं में तेजी से बिगाड़ (ह्रास) हुआ है। दूसरी गतिविधियों में भी, जिनकी आवश्यकता है, तेजी से खराबी आयी है। इस अनूठे देश में पूरे एक वर्ष में संचार मंत्री, श्री मिर्धा ने हमें बताया कि केवल 62 शाखा डाकघर (ब्रांच पोस्ट आफिस) खोले गए हैं, जबकि योजना के प्रत्येक वर्ष में केवल एक राज्य में प्रत्येक सर्किल में एक दो शाखाएं खोली जाती थीं। अतः यह नई भर्ती पर आपकी पाबन्दी का प्रभाव है। आप एक ब्रांच पोस्ट आफिस खोलने से भी इनकार करते हैं जहां सारा काम दो घंटे का होता है और इसमें अधिक धन भी खर्च नहीं करना है क्योंकि यह अंशकालिक कार्य है। आप कहते हैं कि वह सरकारी कर्मचारी नहीं है। आप कहते हैं कि यह सरकारी वित्तीय सहायता है, हम नहीं मानते। परिणाम यह है कि इससे अगम्य तथा दूरस्थ क्षेत्रों में भारी उदासी पैदा हुई है जिसके परिणामस्वरूप सेवा में बिगाड़ उत्पन्न हुआ है और कर्मचारियों के बीच परेशानी पैदा हुई है। कार्यभार अधिक है लेकिन कोई अधिक प्रोत्साहन नहीं है। कोई भर्ती नहीं हो रही है। यहां तक कि जिन लोगों की पदोन्नति हो रही है, उनके रिक्त स्थानों को पूरा नहीं किया जाता है। जिन लोगों

को प्रशिक्षण दिया गया है वह एक वर्ष से प्रतीक्षा में हैं, लेकिन उन्हें अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है। फिर प्रशिक्षण किस लिए है? ऐसा सब कुछ इसलिए है कि वित्त मंत्रालय ने अपनी बुद्धिमत्ता से विचार किया है कि गैर योजना व्यय को सुनियोजित करने से और योजना व्यय को कम करने से वह अर्थ-व्यवस्था को अच्छी तरह चला सकते हैं। यह अर्थ-व्यवस्था का संचालन करने का कोई ढंग नहीं है। आप अपने प्रबन्ध मंत्रालयों से परामर्श ले सकते हैं और उनकी प्रतिक्रियाओं को देख सकते हैं। आप कहते हैं कि आप व्यक्तिगत मामलों में छूट देते हैं। कितने व्यक्तिगत मामलों पर आपके मंत्रालय द्वारा कार्यवाही की जा सकती है जो इतनी तेज है कि बंगलौर विश्वविद्यालय के एक प्राध्यापक के अनुसार एक फाइल पर कार्य करने में 289 दिन लगते हैं। यह भारत के दफ्तर-शाही कार्य के अनुसंधान कार्य का परिणाम है। जब इस प्रकार की बातें ऐसे होती हैं, तो ग्राम में सामान्य व्यक्ति इसकी कठिनाई को समझ लेता है। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप प्रतिबन्ध के अपने विचार पर पुनर्विचार करें और क्षमता की शर्तों पर, कार्य की सामान्य शर्तों पर सोच-विचार करें।

प्रो० एन० जी० रंगा : आपको वाणिज्य सेवाओं के सम्बन्ध में कहना चाहिए।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : हां, वाणिज्य सेवाओं के सम्बन्ध में, ताकि कुछ हो जाए और ग्राहकों को उस पूंजी के लिए कुछ मिले जो वह लगा रहे हैं। जब आप उसपे सेवाओं के लिए भुगतान अथवा अदायगी के लिए धन प्राप्त करते हैं, तो कम से कम उसे यदि सामान्य सेवा से अच्छी नहीं फिर भी अच्छी सेवाओं का भी आश्वासन दिया जाना चाहिए। अथवा क्या यह इस प्रकार है कि ऐसे दृश्य हमारे सामने आएं कि वर्ष 1986 में 1985 से भी अधिक बिगाड़ हो और यह 1984 से भी तीव्र हो जाए। अतः हम सातवीं पंचवर्षीय योजना की ओर जा रहे हैं और कार्य-क्षमता में हम पीछे ही जा रहे हैं। अतः मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि कार्य-क्षमता तथा अच्छी सेवाओं के लिए इस मामले का पुनरीक्षण किया जाए।

इसी प्रकार कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनके लिए प्रशंसा का एक शब्द कहने की आवश्यकता है। यह फसल बीमा योजना कुछ ऐसी है जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। वित्त मंत्री ने ठीक ही कहा है कि बदलते मौसम के कारण धरती की सम्पदा या उत्पादन खराब नहीं ही जानी चाहिए। जब कृषक अपनी उपज खो बैठता है, उसे कुछ नहीं मिलता है जबकि कारखाने के मालिक को यदि कोई दुर्घटना होती है, उसे मुआवजा मिलता है। अतः कृषक राज्य (सरकार) के हाथों वित्तीय सहायता का हकदार है। कम से कम कृषक धरती का सौतेला पुत्र तो नहीं है। वह इस देश का ऐसा ही नागरिक है जैसा कि किसी कारखाने का मालिक अथवा व्यापारी है। अतः मैं आपके साथ कृषक के मामले का समर्थन करता हूं और कहना चाहूंगा कि इस पर शीघ्र ही कार्यवाही की जाए।

इसी प्रकार मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे वित्त मंत्री अर्थ-व्यवस्था को सम्पूर्ण दृष्टि से देखें। ऐसा नहीं है कि हमारे पास केवल एक वित्तीय दृष्टिकोण है। जब आप देश के पूरे वित्तीय चित्र के विषय में सोचते हैं, आपको नई रेल लाइनों अथवा चालू परियोजनाओं पर लगने वाली राशि को कम नहीं करना चाहिए। यह उचित नहीं है क्योंकि अन्त में देश के पिछड़े क्षेत्रों को भी देश की शेष अर्थ-व्यवस्था तक लाना है। अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सभी चालू परियोजनाओं पर किसी प्रकार की कटौती नहीं होनी चाहिए और कृपा करके 1984-85 का बजट ध्यान में रखिये और उन सभी कटौतियों को पुनः स्थापित कीजिए जो आपने विभिन्न चालू परियोजनाओं पर लगा दिए

हैं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता के रूप में संचार तथा बिजली के लिए स्रोत तैयार करने के काम को रेलवे के लिए भी नई रेलवे लाइन्स बनाने विशेषकर चालू परियोजनाओं के लिए भी अनुमति देने का प्रस्ताव स्वागत योग्य है। मैं यह उन सभी राज्यों के सम्बन्ध में कह रहा हूं जिनके मामले में चालू परियोजनाओं में कटौती की गई है। आखिरकार आप सातवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित होने की ओर जा रहे हैं, यह आकार और मात्रा में ही नहीं अपितु, प्रत्येक परियोजना के आबंटन के स्वरूप से भी कम नहीं होना चाहिए। एक विधि यह भी है कि नियन्त्रित अर्थ-व्यवस्था तथा विवेकपूर्ण नियन्त्रण द्वारा हम राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को एक अच्छा रूप प्रदान करने में समर्थ होंगे जिससे आने वाले दिनों में राष्ट्र को एक नई आशा प्राप्त हो सकती है।

डा० पी० वल्लभ पेरुमान (चिदम्बरम) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त विधेयक, 1985-86 के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहने के लिए आपने मुझे यह अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

आर्थिक सुधार के युग में प्रवेश करने के लिए वित्त विधेयक एक बहुत ही शक्तिशाली तंत्र है। इस प्रकार का वित्त विधेयक पुरःस्थापित करने का श्रेय वित्त मंत्री को जाता है जिन्होंने अपने पहले ही वित्त विधेयक में एक आर्थिक व्यवस्था की वास्तव में घोषणा की है।

हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि शायद भारत ही एक ऐसा देश है जिसने अपने विकास के लिए 93 प्रतिशत की मात्रा में संसाधन पैदा किए हैं। वर्ष 1966 में भारत को विदेशों से खाद्यान्नों का आयात करना पड़ता था लेकिन अब देश में 151.5 मि० टन खाद्यान्न का उत्पादन हो रहा है।

कुछ रूढ़िवादी भविष्य वक्ताओं ने अचानक ही मूल्यों में तेजी से हुई वृद्धि के सम्बन्ध में चिंता करना शुरू कर दिया है। यह मूल्य वृद्धि एक मौसमी कारण है। वर्ष 1985-86 बजट का पूरा प्रभाव अभी महसूस किया जाना है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि कर की चोरी करने वालों को दण्ड देने के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जाना चाहिए। जिनको परिसरों पर कर अधिकारियों ने छापे मारे थे उनको अपनी परिसम्पत्तियों की घोषणा करने के लिए 15 दिनों की छूट नहीं देनी चाहिए। 10,000 रुपये से ऊपर के सभी ऋण चैक से ही होने चाहिए। जो व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करने में दो बार पकड़ा गया हो उसे 6 से 7 वर्ष के लिए जेल भेजा जाना चाहिए। मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि भारी सूखाग्रस्त राज्यों को वित्तीय सहायता देने में केन्द्र को उदार होना चाहिए लेकिन साथ ही साथ उन राज्यों के लिए उदार होना आवश्यक नहीं है जिनमें वित्तीय कुप्रबन्ध है। साथ ही साथ, हम यह नहीं भूल सकते हैं कि देश में औद्योगीकरण के मुख्य रूप से आगे बढ़ाने में सरकारी क्षेत्र के उद्योग को जिम्मेदार बनाया गया था क्योंकि यह निजी उद्योग के लाभ कमाने से प्रेरित नहीं है। सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की बदनामी करने को रोकने का समय है।

निजी क्षेत्र के उद्योग हमेशा ही चिल्लाते आ रहे हैं। अधिकांश निजी क्षेत्र के उद्योग सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थाओं से 90 प्रतिशत तक ऋण सुविधा प्राप्त करके अपने को जीवित रखते हैं। वे सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के हितों की जड़ खोदने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं करते हैं। मेरा सुझाव है कि निजी क्षेत्र के एककों के प्रबन्ध के में सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों को इस प्रकार की एककों के वित्तीय प्रबन्ध को देखने में अत्यधिक कारगर तथा क्रियाशील होना चाहिए। इन संस्थानों में वे सरकारी धन के अभिभावक हैं।

मेरा दूसरा सुझाव है कि गैर-योजना व्यय में भारी कटौती की जानी चाहिए। गैर-अधिकृत गैर-योजना व्यय के सम्बन्ध में दो वर्षों के लिए ऋण स्थगन होना चाहिए। मेरा यह भी सुझाव है कि इस उद्देश्य के लिए व्यय आयोग को भी पुनर्जीवित किया जाए।

मेरा तीसरा सुझाव है कि सरकारी क्षेत्र उद्योग परियोजनाओं द्वारा तैयार की गई कार्य अनुसूची का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। अनावश्यक विलम्ब से लागतों में वृद्धि होती है। सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें समय पर पूरी की जानी चाहिए।

हजारों करोड़ रुपये के कर बकायों को युद्ध स्तर पर वसूल किया जाना चाहिए। कर वंचना और कर चोरी पर सख्ती से कार्यवाही की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में मैंने पहले भी सुझाव दिए थे।

सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाओं में सामान सूचियों पर सख्त नियन्त्रण होना चाहिए। हम अनावश्यक सूचियों में भारी धनराशि को लगाने की अनुमति नहीं दे सकते।

अब मैं उस क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूं जिसके सम्बन्ध में सरकार को एक स्पष्ट राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए। मेरा अभिप्राय शराब के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय नीति से है। मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 का उल्लेख करता हूं जिसमें यह कहा गया है।

राज्य अपने लोगों के आहार पुष्टि तत्व और जीवन-स्तर को ऊंचा करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से मानेगा तथा विशेषतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से अतिरिक्त उपयोग का प्रतिबन्ध करने का प्रयास करेगा।

दुर्भाग्यवश सरकार शराब पीने को प्रोत्साहन देने का प्रयास कर रही है। घोषित नीति के अनुसार, 1975 से केवल औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ही शराब बनाने के लिए लाइसेंस दिये जा सकते हैं। राज्य सरकारें सुरक्षा सहित लाइसेंस देने के उपबन्धों का उल्लंघन कर रही हैं। सरकार शराब के पेय उद्देश्यों के लिए प्रयोग करने की घटनाओं में वृद्धि को मूक दर्शक होकर देखती है।

केन्द्रीय राशि बोर्ड की वार्षिक बैठक में रसायन तथा उर्वरक मंत्री ने यह बताया कि शराब के कुल उत्पादन का 70 प्रतिशत उत्पादन उद्योगों में होता है। फिर भी वर्ष 1983-84 में यह घटकर 46 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1984-85 में यह घटकर 35 प्रतिशत होता प्रतीत होता है। यद्यपि माननीय मंत्री श्री वीरेन्द्र पाटिल कहते हैं कि शराब का अन्य वस्तुओं का उत्पादन में प्रयोग करना तथा विनियम अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करना होगा। अभी तक उन औद्योगिक विकास व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दांडिक कार्यवाही शुरू नहीं की गई है जो इस कार्य में लगे हुए हैं।

राज्य सरकारें शराब से राजस्व बढ़ाने पर अत्यधिक निर्भर होती प्रतीत होती हैं। हमारे राज्यों की अर्थव्यवस्था भी शराब से प्राप्त राजस्व पर निर्भर होती प्रतीत होती है। कस्बों तथा शहरों में स्कूल, मंदिर, चर्च, मस्जिद, फैक्टियां, सिनेमाघरों के आसपास ताड़ी और शराब की दुकानें आपको देखने में आयेंगी। केन्द्रीय सरकार लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने की बात करती है लेकिन अधिकांश लोग देसी शराब पी रहे हैं। सरकार घोषणा करती है कि देश में संतुलित औद्योगिक विकास होगा? दुर्भाग्यवश देश में शराब व्यापार का संतुलित विकास हुआ है।

शराब पर आधारित उद्योग विनाश किए जाने की सीमा पर हैं। शराब के सम्बन्ध में हमारी कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। शक्ति के एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में शराब का उपयोग करने के

सम्बन्ध में पश्चिम देशों में की गई प्रगति के बारे में वित्त मंत्री जानते हैं। मैं यह जानता हूं कि ब्राजील में 10 लाख कारें शराब से चलाई जाती हैं। पश्चिम के देशों में बहुत से उद्योगों के लिए शराब एक प्रमुख कच्चा माल बन गई है। भारत में हमने इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं की है। उत्तर प्रदेश में बरेली में एक पाइनीयरिंग स्टीविन बुटाडिन रबर मेन्युफैक्चरिंग एकक है। इस एकक की कांग्रेस के पक्के समर्थक श्री तुलसीदास खिलाचन्द ने यह सोचकर स्थापना की थी कि इस एकक की शराब की पूरी जरूरत पूरी की जाएगी। यह औपचारिक आश्वासन श्री गोविन्द बल्लभ पंत ने दिया था। आजकल इस एकक के लिए शराब नहीं है। उत्तर प्रदेश से शराब पश्चिम बंगाल के लिए तो जाती है लेकिन उत्तर प्रदेश की इस एकक को शराब नहीं मिलती है।

यह विडम्बना ही है कि कुछ महीने पहले शीरे का निर्यात करके उद्योगों के लिए शराब का आयात करने के लिए सरकार पर दबाव डाला गया है। जब सरकार वास्तविक प्रयोक्ताओं द्वारा उद्योगों के लिए निशुल्क शराब का आयात करने की अनुमति देती है तो कृत्रिम रबर का उत्पादन करने के लिए अपेक्षित बुटाडिन का वास्तविक प्रयोक्ताओं द्वारा बगैर शुल्क लगाये आयात करने की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए।

इसी प्रकार प्राकृतिक रबर पर किसी प्रकार के कर नहीं लगाए जाते हैं औद्योगिक शराब से बनाई गई कृत्रिम रबर पर भारी कर लगाये जाते हैं जबकि औद्योगिक शराब के गन्ने से पैदा किया गया एक कृषि उत्पाद है। बरेली की कृत्रिम और रसायन फैक्ट्री की समस्याओं के बारे में वित्त मंत्री जानते हैं। उन्हें पिछड़े क्षेत्र में स्थित एकक को बचाने के हित में बगैर किसी प्रकार के शुल्क लगाए बुटाडिन का आयात करने के आदेश देने चाहिए।

सरकार को औद्योगिक (विकास और विनियम) अधिनियम का सख्ती से पालन करके तथा केवल औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ही शराब बनाने के लिए लाइसेंस जारी करके शराब की खपत को धीरे-धीरे कम करना चाहिए। आजकल राज्य सरकारें यह देखती हैं कि उनके राजस्व के बड़े स्रोतों में से पेय शराब भी इसका एक स्रोत है। केन्द्र सरकार को शराब पर प्रतिबन्ध लगाने के फलस्वरूप होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति 100 प्रतिशत अनुदान देकर करनी चाहिए।

यदि ऐसा किया जाता है तो मनुष्य के शरीर पर शराब के घातक प्रभाव को हटाने के अतिरिक्त उद्योगों में वृद्धि होगी और योग्य व्यक्तियों के लिए पर्याप्त रोजगार भी पैदा होगा।

खांडसारी सीरा औद्योगिक शराब का एक अप्रयुक्त स्रोत है। गुड से इलेक्ट्रोनिक तरीके को अपनाकर शराब निकल सकती है। हमें देशी शराब पर आधारित ऐसे उद्योगों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए जिनसे रोजगार के अधिक अवसर पैदा हो सकते हैं।

इन उपायों से गन्ना उत्पादकों को लाभकारी मूल्य मिलना सुनिश्चित होगा। मैं ब्राजील का एक उदाहरण दूंगा जहां वर्ष 1974 में औद्योगिक शराब का उत्पादन शुरू किया गया था।

वर्ष 1974 में ब्राजील में 615 मि० लिटर शराब का उत्पादन किया गया जबकि भारत में केवल 318 मि० लिटर का ही उत्पादन किया गया। वर्ष 1983 में ब्राजील में 741 मि० लिटर का उत्पादन किया गया और भारत में 540 मि० लिटर का उत्पादन किया गया।

आत्मविश्वास के साथ 21वीं शदी में प्रवेश करने के लिए हमें शराब का अत्यधिक उत्पादन करने में ब्राजील के उदाहरण का अनुकरण करना चाहिए जिनमें औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति

लाने की बहुत शक्ति है। हमारे संविधान में वर्णित राज्यनीति के निदेशक सिद्धांतों के अनुसरण में मद्यनिर्माणशालाओं के अलकोहल देने और शराब बनने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए।

अन्त में मैं माननीय मन्त्री जी से पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने और एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए अनुरोध करूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम पूजन पटेल (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक का समर्थन करते हुए दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं।

माननीय मंत्री जी ने बहुत ही सावधानी के साथ, दूरदर्शिता के साथ हम लोगों के सामने बजट प्रस्तुत किया है और उसमें हर तरह से कोशिश की गई है कि देश के लोगों को लाभ हो। माननीय वित्त मंत्री जी ने विभिन्न मदों में जो छूट दी हैं, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जो मंहगाई बढ़ी है, उसके लिए मंत्री महोदय ने माना है कि बाजारों में भाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हुईं, जिसके कारण बाजारों में भाव बढ़ा है? ऐसे लोगों के खिलाफ जो देश के हित के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ मंत्री जी ने कहा है कि वे सख्त कदम उठाएंगे। इसके साथ ही साथ माननीय वित्त मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि सरकार की जो नीति है, उसको सुचारू रूप से लागू होना चाहिए।

एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि इस बात को देश का चपरासी भी जानता है कि गरीबी की रेखा से ऊपर लोगों को उठाने के लिए सरकार पर्याप्त मात्रा में धन दे रही है, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। यदि इसका सर्वेक्षण कराया जाए, तो मैं समझता हूं कि मुश्किल से दस प्रतिशत लोगों को ही इससे लाभ हुआ होगा। अन्यथा कोई लाभ नहीं हो रहा है। इस स्कीम का पैसा बीच में जो अधिकारी है, कर्मचारी हैं उनकी जेबों में पैसा चला जाता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हर जिले में एक-एक ब्लाक के लिए जांच कमेटी बनाई जाए। एक-एक ब्लाक जरूर जांच होनी चाहिए। वास्तव में उस ब्लाक में कितना पैसा दिया गया है और उससे कितने लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है, यह बात स्पष्ट हो जाएगी। मीटिंग्स में सरकारी अधिकारी आकर आंकड़े दे दिया करते हैं कि इतने करोड़ इतने लाख लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जा चुका है। लेकिन यदि हम प्रैक्टिकली इस चीज की जांच करें, तो उसका उल्टा पायेंगे। मैं समझता हूं सब लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि कैसे इसको रोका जाए। हमारे कुछ साथियों ने कहा है कि पैसा देने के जो बीच में लिंक बने हुए हैं चाहे आई० आर० डी० पी० की स्कीम हो या एन० आर० ई० पी० की स्कीम हो या जैसे अभी शिक्षित बेरोजगारों को पैसा दिया गया है—इनमें बीच के लोग पैसा खा जाते हैं। मैं चाहता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसमें जो 25 परसेन्ट की छूट दी गई है उसका नतीजा यह हुआ है कि गरीबों को पैसा नहीं मिला है, कमजोर वर्ग को पैसा नहीं मिला है और जहां मिला है उसमें आठवां रुपये ये लोग खा गये हैं। अगर आप यहां पर केवल आंकड़े देते रहेंगे तो इससे गांवों की तरक्की नहीं होगी। आप जिस तरह का आश्वासन यहां पर देते हैं उसके मुताबिक हमारे अधिकारीगण कार्य करने में असक्षम हैं, बल्कि वे लोग करना नहीं चाहते हैं। जब हम लोग इस बात को कहते हैं तो वे कहते हैं कि एम० पी० लोगों का आलोचना करना काम है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों का विकास जिस गति से होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं—आज हम पांच हजार

रुपये की एक भैंस खरीदते हैं तो वह दस किलो दूध देती है, लेकिन जब सरकारी रुपये से खरीदते हैं तो केवल तीन किलो दूध देती है। ऐसा क्यों होता है—यह बात आज हर आदमी जानता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि गांव के गरीबों को रुपया सीधा दिए जाने की व्यवस्था करें, यदि बिचौलिए बीच में होंगे तो निश्चित रूप से गरीबों का शोषण होगा।

मैं यह भी चाहता हूं कि जिस तरह से हमने भूमि का सीलिंग किया है उसी तरह से धन का सीलिंग भी लगाना चाहिए। निश्चित कर दिया जाए कि इससे ज्यादा धन किसी के घर में पाया जाएगा तो जैसे कोई आदमी कत्ल कर देता है तो उसको फांसी पर लटकाया जाता है, उसी तरह से उस व्यक्ति को भी सजा दी जाएगी। जो लोग गरीब किसानों का शोषण करके धन इकट्ठा करते हैं उनके लिए कानून बनाया जाना चाहिए कि उसको फांसी दी जाएगी, क्योंकि वह जिन्दा लोगों का शोषण कर रहा है। जब तक ऐसा नहीं होगा गरीबों का कल्याण नहीं होगा। ऐसे लोगों के लिए फांसी या आजीवन कारावास की सजा की व्यवस्था संविधान में की जानी चाहिए।

मैं जिस क्षेत्र से चुन कर आता हूं—वह फूलपुर है, जहां से माननीय वित्त मंत्री जी भी एक बार चुन कर आए थे, इसलिए वे वहां की परेशानियों को अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे यहां इफको का एक कारखाना है। कुछ समय हुआ हमारी भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी की उपस्थिति में उस समय के कृषि मंत्री राव बीरेन्द्र सिंह ने घोषणा की थी कि वहां पर एक सोडा-एश का कारखाना लगाया जाएगा, लेकिन अभी तक वह कारखाना वहां नहीं लगाया गया है और न इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही हो रही है। मुझे मालूम हुआ है कि कुछ टैक्नीकल लोगों ने कह दिया है कि वहां पर सोडा-एश का कारखाना लगाने से लाभ नहीं होगा। यदि ऐसी परिस्थिति है तो वहां पर कोई दूसरा कारखाना लगवा दें जिससे श्रीमती इन्दिरा गांधी जी की आत्मा को सन्तोष मिले, क्योंकि यह घोषणा उनकी उपस्थिति में की गई थी। इस सम्बन्ध में मैंने पत्र भी लिखा था लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही कराने की कृपा करें।

आप जानते हैं इलाहाबाद में गन्ना बहुत अच्छा होता था, लेकिन वहां पर पिराई के साधन न होने से किसानों ने गन्ने का बोना कम कर दिया। इस बीच में एक प्रस्ताव आया कि फूलपुर की तहसील सौरों में चीनी का एक कारखाना लगाया जाए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह प्रस्ताव आपके पास भेजा है, इसके लिए आप शीघ्र स्वीकृति दिलाने की कृपा करें क्योंकि रुपया आपको देना है।

हमारे वित्त मंत्री जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे तब उन्होंने इलाहाबाद में कर्जन पुल बनाने की स्वीकृति दी थी उस पर काम शुरू हो गया है जिसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। अन्त में आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि फूलपुर में सोडा-एश का कारखाना, सौरों में चीनी की मिल तथा सौरों और फूलपुर में एक-एक कारखाना और लगवा दें तो वहां की जनता जन्म-जन्मान्तर तक आपको याद करेगी। वह बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। इस देश के प्रथम प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू भी उसी क्षेत्र से चुन कर आये थे। उनके पिछड़ेपन को हम लोग दूर करें, तो बड़ी कृपा होगी। देश के हित में हमको सख्त से सख्त कानून बनाने पड़ेंगे, जिससे गरीबों का जो शोषण होता है, उससे वे बच सकें क्योंकि पूंजीपति जो होते हैं वे गरीबों का शोषण करते हैं और मैं समझता हूं कि इस समय सबसे ज्यादा पूंजीपति तो अधिकारी लोग हो गए हैं। अगर इनके यहां जांच हो, तो मैं समझता हूं कि 60, 70 परसेन्ट ऐसे होंगे जो करोड़पति से कम नहीं होंगे। इन पर अंकुश लगाना जरूरी है क्योंकि

शासन केवल आंकड़ों से नहीं चलता है। हमें यह देखना होगा कि किसानों के लिए जो रुपया दिया जा रहा है, वह उनको मिल रहा है या नहीं। मैं आशा करता हूं कि आप जैसे व्यक्ति, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के किसानों के हित में, भूमिहीन हरिजनों के हित में कानून बनाकर उनको फायदा पहुंचाया है, उसी तरह से विशाल भारत में गरीबों, भूमिहीनों और हरिजनों, सबकी तरक्की के लिए आप कानून बनाएंगे।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि मेरे विचारों पर आप ध्यान देंगे।

श्री उमा कान्त मिश्र (मिर्जापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन कर रहा हूं। बजट का समर्थन तो हमने प्रारम्भ में किया था जब बजट पेश हुआ था और उस पर सामान्य चर्चा हुई थी। हम लोगों ने इस बजट को बहुत ही स्वागत योग्य कहा था और अब भी कह रहा हूं कि यह स्वागत योग्य है। बजट में कुछ ऐसी बातें हैं जो उत्पादन बढ़ाने के लिए, देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए और आर्थिक विकास को तेज करने के लिए की गई हैं और कुछ कदम उठाए गए हैं और यह आवश्यक भी थे किन्तु श्रीमन्, इस बजट के पेश होने के बाद, हम लोग तो यह समझते हैं कि हमारी जो मूल आर्थिक नीति है, उससे हम हटे नहीं हैं। हमारे वित्त मंत्री जी ने और हमारे प्रधान मन्त्री जी ने यह बार-बार घोषणा की है कि हम मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में विश्वास रखते हैं और हम निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों के विकास का काम करेंगे। यह हमारी मूल नीति है, जिसको जवाहरलाल नेहरू जी ने स्थापित किया था और श्रीमती इन्दिरा गांधी ने आगे बढ़ाया था लेकिन देश में बड़े पैमाने पर और बड़ी तेजी से एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि इस वर्ष जो बजट पेश किया गया है, यह दक्षिणपंथी है और मध्य मार्ग से हटकर है और हमारी आर्थिक नीति सेन्टर से हटकर दाहिने की तरफ जा रही है और वित्त मंत्री जी इस देश की आर्थिक नीति को बीच से हटाकर दाहिने की तरफ ले जाना चाहते हैं। यह भ्रान्ति सारे देश में फैली हुई है और एक प्रचार किया जा रहा है और चर्चाएं प्रारम्भ की गई। हम लोग जवाबदेह हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी मूल आर्थिक नीति मिश्रित अर्थव्यवस्था की है, जिसमें निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र, तीनों का विकास करना है और ऐसा हम कर भी रहे हैं और इसकी आवश्यकता भी है।

इसका कारण यह है कि इस बजट के पेश होने के बाद इस देश के घोर दक्षिणपंथी लोगों ने बजट की बड़ी तारीफ कर दी जैसे नानी पालकीवाला हैं। नानी पालकीवाला ने तारीफ कर दी, तो लोगों ने यह सोचा कि जब नानी पालकीवाला इस बजट की तारीफ कर रहे हैं, जो स्वतन्त्र पार्टी की व्यवस्था के समर्थक हैं, तो यह बजट जरूर मध्य रास्ते से हटकर दाहिने जा रहा है और वामपंथी रास्ते को छोड़ रहा है और पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इन्दिरा गांधी की नीतियों को छोड़ रहा है। फिक्की जैसे औद्योगिक और व्यापारिक और व्यावसायिक संगठन ने भी बैठकर इस बजट की तारीफ करना शुरू कर दी। उन्होंने इसका स्वागत किया। कुछ निजी क्षेत्र के लोगों को देश के विकास करने का अवसर मिले उस सीमा तक यह स्वागतयोग्य है। मगर देश के विरोधी दल के लोगों ने इस बात को बढ़ावा दिया कि जब देश के पूंजीपति इस बजट का स्वागत कर रहे हैं तो यह पूंजीपतियों का बजट है। यह गरीबों का बजट नहीं है, किसानों का, आम आदमियों का बजट नहीं है। लोगों ने बजट को न समझा, न पढ़ा, न देखा। उसके लक्ष्य को भी न जाना। उद्योगपतियों ने इस बजट की तारीफ कर दी तो कह दिया कि यह उद्योगपतियों का बजट है, अगर नानी पालकीवाला ने तारीफ कर दी तो कह दिया कि यह स्वतन्त्र पार्टी का दक्षिणपंथी बजट है। इससे देश के लोग भड़के।

हमने उनका एक लेख पढ़ा था। उन्होंने कहा था कि देश को आर्थिक स्रोत का बहुत बड़ा आधार निजी क्षेत्र है और किसानों पर भी टेक्स लगाना चाहिए। इसके हम लोग खिलाफ हैं। इस देश के कृषि क्षेत्र पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। वे कहते हैं कि कृषि क्षेत्र पर टैक्स लगाना चाहिए। अगर उन्होंने इसकी तारीफ कर दी तो लोग कहने लगे कि यह उनका बजट है। इस बजट के उस हिस्से को न लोगों ने समझा, न विचारा जो कि अच्छाइयों वाला हिस्सा है। अब लोगों में एक आम धारणा फैल गई कि भारत के वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है वह दक्षिणपंथी बजट है, वह गरीबों के खिलाफ बजट है। हालांकि हमारे प्रधान मंत्री ने इसका खण्डन किया। बड़ी सभाओं में और ए० आई० सी० सी० के मंच पर खण्डन किया और वित्त मंत्री जी ने भी बड़े स्पष्ट रूप से, विस्तार के साथ इस बात को समझाया जिस रास्ते पर देश की अर्थव्यवस्था पण्डित जवाहरलाल जी ने अग्रसर की थी, और जिस रास्ते पर इंदिरा जी ने उसको आगे बढ़ाया था हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। सत्य भी यही है कि यह समाजवादी बजट है। उसी रास्ते पर और उसी दिशा में हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है।

हम लोगों ने यह मांग की थी कि निजी क्षेत्र को जब तक आप उदारता से नहीं देखेंगे, निजी क्षेत्र को जब तक आप प्रोत्साहन नहीं देंगे, बढ़ावा नहीं देंगे तब तक न उत्पादन बढ़ेगा, न तेजी से, देश के पिछड़े इलाकों का उद्योगीकरण होगा। हमारी बुनियादी नीतियां भी यही हैं कि पिछड़े क्षेत्रों का तेजी से विकास किया जाए। इसीलिए यह बजट आम तौर पर आम लोगों के विकास का, उनकी आशाओं और आकांक्षाओं का बजट है। इसीलिए यह बजट स्वागतयोग्य है।

मगर जहां यह बजट स्वागतयोग्य है वहां आश्चर्य भी इस बात का है कि देश का यह अच्छा बजट होते हुए भी देश में तेजी के साथ दाम बढ़े हैं। इसको हमारे वित्त मन्त्री जी ने उस दिन भी समझाया था और विस्तार के साथ बताया था कि देश में जो कीमतें बढ़ रही हैं, उसकी जिम्मेदारी बजट पर नहीं है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत विचार है क्योंकि हम लोग गांव के हैं, सड़कों और बसों में चलते हैं, देहातों में घूमते हैं। वहां लोगों में धारणा यह है कि जिस सीमा तक आपने टैक्स लगाए या एक्साइज ड्यूटी लगाई उस सीमा से अधिक वस्तुओं के दाम बढ़े हैं। अगर उसी सीमा तक दाम बढ़ते तो कोई बुरी बात नहीं थी क्योंकि उसको सभी जानते हैं कि दाम बढ़ेंगे। मगर जिस सीमा तक आपने टैक्स या एक्साइज ड्यूटी लगाई उससे तीन गुना दाम बढ़ गये। इसके अलावा जिन वस्तुओं पर आपने टैक्स या एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाई उनके भी दाम बढ़ गये जो कि नहीं बढ़ने चाहिए थे। इससे घबराहट पैदा हो गई।

इसमें कोई सन्देह नहीं है जैसा कि आपने भी उस दिन कहा था कि एक-दो परसेंट दाम बढ़ने की जिम्मेदारी बजट पर है, इससे ज्यादा दाम बढ़ने की जिम्मेदारी नहीं है। ज्यादा दाम जो बढ़े हैं वे मौसमी रूप से बढ़े हैं। मेरा कहना यह है कि मौसमी रूप से इतनी तेजी से दाम नहीं बढ़ते हैं जितनी तेजी से दाम बढ़े हैं। मैं समझता हूं कि इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक चीज काम कर रही है कि आम तौर पर लोगों ने यह समझ लिया कि इस देश में यह बजट बनिया क्लास का, व्यापारियों का, मुनाफाखोरों का बजट है और अब ज्यादा मुनाफा कमाओ। लेकिन बजट के बारे में यह बात सच नहीं है। इसमें सत्यता नहीं है। (व्यवधान)

जैसा मैंने निवेदन किया यह बजट समाजवादी है, यह बजट जनवादी है, यह बजट उत्पादन-वादी है, यह बजट प्रगतिवादी है। मगर जब नाना पालकीवाला, फिक्की और तमाम बड़े-बड़े उद्योग-पतियों ने और दक्षिणपंथी लोगों ने तारीफ की तो आम प्रचार हो गया कि यह व्यापारियों का बजट

6.00 म० प०

है। तो जिन चीजों पर दाम नहीं बढ़ने चाहिए थे, उनके दाम भी बढ़ाकर मुनाफा कमाना शुरू कर दिया गया। नमक, तेल, कपड़ा, डालडा सबके भाव बढ़ने लग गए। जिन चीजों पर टैक्स नहीं लगाया गया, उनके भी दाम बढ़ने लगे और एक घबराहट पैदा हो गई। मेरा निवेदन है कि यह जो आम धारणा बन गई है कि यह व्यापारियों का बजट है, इसको दूर किया जाए। (व्यवधान)

मेरा निवेदन यह है कि दामों को बढ़ने से रोका जाए। मेरा पूर्ण विश्वास है कि दाम जो बढ़े हैं, वे बजट के कारण नहीं बढ़े हैं। यह जो भ्रान्ति धारणा फैलाई गई है, जो भ्रम फैलाया गया है, उसके कारण दाम बढ़े हैं। इस भ्रान्त धारणा को फैलाने में इधर के लोगों का बड़ा हाथ रहा है। इन्होंने ही यह धारणा फैलाई है। विरक्ष के लोगों ने प्रचार किया कि यह बजट पूंजीपतियों का बजट है, जनवादी बजट नहीं है और इनके आम प्रचार के कारण और कुछ दक्षिणपंथी लोगों की तारीफ के कारण दाम बढ़े। यह धारणा गलत है। अन्त में मैं कुछ सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

दामों पर नियन्त्रण करने के लिए मेरा निवेदन है कि कठोर कदम उठाए जायें। हमारे प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री अपनी बुनियादी आर्थिक नीतियों से नहीं हटे हैं। यह बजट समाजवादी, प्रगतिवादी, उत्पादन को बढ़ाने वाला और जन-कल्याणकारी बजट है, लेकिन मूल्यों को रोकने के लिए कठोर कदम उठाये जायें, यह मेरी मांग है और मेरा सुझाव है।

एक और निवेदन करना चाहता हूं, सातवीं पंचवर्षीय योजना शुरू होने जा रही है और इस समय हर प्रदेश और हर इलाके में ड्रिंकिंग वाटर की बड़ी कठिनाई पैदा हो गई है। इस समस्या को देखकर हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, लोगों को क्या जवाब दें। कुछ जिले या कुछ इलाके अभावग्रस्त हों, ऐसी बात नहीं है, आज तो हर प्रदेश में बड़े बड़े क्षेत्र पीने के पानी के मामले में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए अवश्य व्यवस्था करें। अगर अन्य मदों में कटौती करने की आवश्यकता हो तो की जाए, लेकिन सारे हिन्दुस्तान के गांवों के लोगों को शुद्ध पीने का पानी जरूर जल्दी से जल्दी दीजिए। यह मेरी मांग है।

मेरा अगला सुझाव किसानों के बारे में है। आपने बजट बहुत अच्छा पेश किया है और किसानों को आपने कई सुविधायें दी हैं, लेकिन किसानों को उनके उत्पादन का जितना दाम मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। समर्थन मूल्य की इस बार घोषणा की गई है, लेकिन आप गांवों में जाकर देखें, 157 रुपए क्विंटल का गेहूं का दाम घोषित किया गया है, लेकिन बिक्री केन्द्र नहीं खुले हैं। इसके कारण 115 और 120 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बनियां गेहूं खरीद रहा है और किसानों का गल्ला इस तरह से पानी के भाव बिक रहा है। इसलिए मेरा सुझाव है कि किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने की व्यवस्था करें।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि गांवों में बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबों को जो भूमि वितरण का कार्य शुरू कराया गया था श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा, वह आज ज्यों का त्यों ठप्प पड़ा हुआ है। भूमि का वितरण आदिवासियों और हरिजनों में खेती के काम के लिए और उनको बसाने के लिए नहीं किया गया तो उनमें असन्तोष बढ़ेगा। आई० आर० डी० पी० कार्यक्रमों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के आर्थिक विकास के लिए भूमि वितरण का काम नितांत आवश्यक है। यह बीस सूत्री कार्यक्रम का अंग है और इसको आगे बढ़ाया जाए।

अन्तिम प्वाइंट बिजली के बारे में है। किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए बिजली उसकी बुनियाद है, चाहे खेती का विकास हो या उद्योग का विकास हो या रोशनी का मामला हो, विद्युत बुनियादी चीज है। बिजली ही तरक्की है, बिजली ही प्रगति है और स्टालिन के शब्दों में बिजली ही समाजवाद है। स्टालिन ने कहा था कि बिजली ही समाजवाद है, पावर ही समाजवाद है और हमारे देश में बिजली की हालत बहुत खराब है, शोचनीय है, मैं उत्तर प्रदेश का हाल खास तौर से जानता हूं, क्योंकि वहां से आता हूं, वैसे तो सारे देश का एक जैसा हाल है, परन्तु उत्तर प्रदेश में लोग ज्यादा तकलीफ में हैं। इसलिए इस दिशा में मेरा सुझाव है कि जब तक राज्यों की विद्युत परिषदें सफेद हाथी के रूप में विद्यमान रहेंगी, जब तक प्रदेश स्तर पर बिजली की स्थिति नहीं सुधरेगी, तब तक स्थिति में सुधार नहीं आ सकता। केन्द्रीय उपक्रम जितने हैं, वे ठीक काम कर रहे हैं, परन्तु प्रदेशों के, राज्यों के बिजली उपक्रम ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं: न उत्पादन के मामले में और न वितरण के मामले में। इसलिए मेरा सुझाव है कि राज्यों से कहा जाए कि वे अपने यहां की विद्युत परिषदों को तोड़कर प्रत्येक मण्डल में छोटी-छोटी विद्युत परिषदों का गठन करें और वे ही उत्पादन और वितरण का कार्य करें। जब तक हमारे देश में ऊर्जा की स्थिति ठीक नहीं होगी, बिजली की स्थिति ठीक नहीं होंगी, तब तक आपने जो विकास के स्वप्न देखे हैं, राजीव जी ने इक्कीसवीं शताब्दी में जाने के स्वप्न देखे हैं, हमने उत्पादन बढ़ाने के स्वप्न देखे हैं और देश के सामने जो कार्यक्रम रखा है, वह सब गड़बड़ हो जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुए अन्त में केवल एक बात और कहना चाहता हूं।

आपने निजी क्षेत्र को जो सुविधायें दी हैं, उनको लाइसेंस मिलता है तो वे जहां चाहे उद्योग स्थापित कर लेते हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे देश के समान विकास के लिए केवल उन इलाकों में ही उद्योग लगाये जायें जो पिछड़े हैं, और बैकवर्ड हैं। मेरा सुझाव है कि जब भी किसी उद्यमी को लाइसेंस दिया जाये तो उसे साफ तौर पर बता दिया जाये कि आपको पिछड़े अंचल में, पिछड़ी तहसील में, पिछड़े जिलों में उद्योग स्थापित करना होगा। यदि आप वहां नहीं लगायेंगे तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। हमारे मिर्जापुर में कार्बन ब्लैक का कारखाना लगाने के लिए बिड़ला जी को लाइसेंस दिया गया है और वे उसे पिपरी में लगाना चाहते हैं। उनसे कहा जाये कि मिर्जापुर शहर बहुत पिछड़ा है, मिर्जापुर खास में वह कारखाना लगना चाहिए, मिर्जापुर तहसील में लगना चाहिए। ताकि वहां का विकास हो सके। इन शब्दों के साथ मैं प्रधान मंत्री जी, वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : श्रीमन, कुछ समय पहले मुझे बोलने के लिए बुलाया गया था। मुझे खेद है कि मैं उस समय सदन में उपस्थित नहीं था। मुझे मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण लेना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय उद्योग के सम्बन्ध में देश में क्षेत्रीय असंतुलन की ओर ध्यान देंगे और इसकी जांच कराएंगे ? मैं इस बात को उनकी जानकारी में लाना चाहता हूं। मैं इस समय एक राजनीतिज्ञ के रूप में नहीं बोलता हूं। आयोजन एक अलग बात है और अन्त में वित्त मंत्री महोदय को क्षेत्रीय असन्तुलन की ओर ध्यान देना चाहिए। कुछ ऐसे मंत्रीगण हैं जो केवल अपने ही चुनाव क्षेत्रों की सेवा करते हैं। अतः मैं उनकी जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि गत 30 या इससे अधिक वर्षों में 25,550 करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र में खर्च किया गया है। जम्मू और कश्मीर का हिस्सा बहुत है।

हम राज्यों में रेलवे लाइनें चाहते हैं और राज्य में पानी व्यर्थ में ही पाकिस्तान में बह रहा है। 15,000 मेगावाट की क्षमता की तुलना में हम लगभग 200 मेगावाट ही काम में ला रहे हैं। अतः मैं वित्त मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करता हूं कि कृपया वे इस ओर अपना ध्यान दें और जम्मू और कश्मीर राज्य की सहायता करें।

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : वाद-विवाद के उत्तर में मैं इस बात का स्पष्टीकरण दूंगा।

6.10 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार, 9 मई, 1985/19, वैशाख, 1907 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, साऊथ मौजपुर, दिल्ली-53